1 सुनन अबू दाऊद 0001-0796

سُنن ابُو داوُد

सुनन अबू दाऊद

तालीफ़

इमाम अबू दाऊद

सुलैमान बिन अशअस़ सजस्तानी

तहक़ीक़ व तख़रीज

हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई

नज़रे सानी, तन्क़ीह

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़

Bismillah Arrehman Nirrahim

बिस्मिल्लाहि रहमान निर्रहिम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है

फ़रमाने बारी तआला

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ
وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

और अल्लाह के रसूल जो कुछ तुम्हें दें, वो ले लो और जिस जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें, उससे रूक जाओ। (सूरह हश्र 59:7)

फ़रमाने रसूल

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ
مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ،
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख़्स (नहीं जाएगा) जिसने (जन्नत में जाने से) इंकार किया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! कौन (बदबख़्त) इंकार करेगा?

आप (ﷺ) ने फ़रमाया,
जिसने मेरी फ़रमाबर्दारी की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफ़रमानी की यक़ीनन उसने (जन्नत में जाने से ख़ुद ही) इंकार किया।
(सहीह बुख़ारी : 7280)

سنن ابوداؤد

सुनन अबू दाऊद

<u>तालीफ़</u>

इमाम अबू दाऊद

सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी

<u>तहक़ीक़ व तख़रीज</u>

हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई

<u>नज़रे सानी, तन्क़ीह</u>

हाफ़िज़ सलाउद्दीन यूसुफ़

ज़िल्द नम्बर

1

हदीस नं. 1 से 796 तक मुकद्दमा-किताबुततहारह-किताबुस्सलात

<u>ज़ेरे निगरानी</u>

शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस जोधपुर-राजस्थान

مرکزی انجمن خدام القرآن جودھپور

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है।
इस किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/सस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	:	**सुनन अबू दाऊद**
तालिफ़	:	**इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अ़शअ़स़ सजस्तानी**
हिन्दी तर्जुमा	:	**दारुत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त, जोधपुर**
तस्हीह व नज़्रेसानी	:	**मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी**
लेजर टाइपसेटिंग	:	**अब्दुल वाजिद**
कवर डिज़ाईन	:	**कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइन्ट**
प्रिण्टिंग	:	**बेस्ट ऑफसेट**
मैनेजिंग डायरेक्टर	:	**अली हमजा, 82338-55587**
तादाद पेज	:	**640 पेज**
प्रकाशन	:	**रमजान 1440 हिजरी, इस्वी सन् मई, 2019**
ता'दाद	:	**1,100**
क़ीमत	:	**रुपए 550/-**

सोल डिस्ट्रीब्यूटर

पोपुलर बुक स्टोर, जोधपुर, 96641-59557

मिलने के पते

अलकिताब इन्टरनेशनल

जामिया नगर, नई दिल्ली 011-26986973

मकताबा तर्जुमान

4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली 011-23273407

अल हिरा पब्लिकेशन,

423 उर्दू मार्केट, मटिया महल,
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारुल उलूम सलफिया

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)
70004-11352, 98273-97772

मोहम्मद अब्बास

903, बड़े ओम्ती, जबलपुर,एम.पी. 89595-13602

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503

सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, 070148-98515

सीकर (राज.)

नईम कुरैशी

2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भट्टा बास
पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर (राज) 82091-64214

मकतबा अस्सुन्नह

मुम्बई 08097-44448

दारुल इल्म

नागपाड़ा मुम्बई 022-23088989, 23082231

शैख़ सुहैल सल्फ़ी

मकतबा सलफ़िया, वाराणासी 094519-15874

आई. आई. सी.

नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार,
भुज, कच्छ (गुजरात) 094290-17111

मकतबा अलफहीम

मऊनाथ, भंजन, यू.पी. 0547-2222013

नसीम खलीली

नीमू डायमण्ड फुट वीयर, 87 बेधा नगर, भूतला रोड
आगरा, (यू.पी.) 084497-10271

अलकौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 09414-920119

अब्दुर्रहीम मुतवल्ली,

मर्कज़ी जामा मस्जिद अहले हदीस, जोधपुर (राज.)
93143-66303

फ़ेहरिस्त-मज़ामीन

मज़मून	पेज नं.
अजे नाशिर	20
पेशे गुफ़्तार	23
अ़र्ज़े मुतर्जिम	28
मुक़द्दमा	31
क़ारेईने किराम से एक गुज़ारिश	40
मुक़द्दमतुत तहक़ीक़	44
हालाते ज़िन्दगी इमाम अबू दाऊद (रह.)	48
सुनन अबू दाऊद और उसकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात	52
इस्तेलाहाते मोहद्दिसीन	58
कुतूबे अहादीस़ की किस्में	63
कुतूबे अहादीस़ के मुख़्तलिफ़ तब्क़ात या दर्जात	64
सुनन अबू दाऊद से इस्तेफ़ादे का तरीक़ा	67
तहारत के अह़काम व मसाइल	71
बाब : 1 क़ज़ा-ए-ह़ाजत (पेशाब, पाख़ाने) के लिए लोगों से अ़लग और दूर होने का बयान	71
बाब : 2 पेशाब के लिए (नर्म) जगह तलाश करना	72
बाब : 3 आदमी बैतुलख़ला में दाख़िल होना चाहे तो क्या पढ़े?	72
बाब : 4 क़ज़ा–ए–ह़ाजत के वक़्त क़िब्ला रुख़ होना मकरूह है	76
बाब : 5 इस मसले में रुख़सत का बयान	80
बाब : 6 क़ज़ाए ह़ाजत के वक़्त कपड़ा उतारने का अदब	81
बाब : 7 क़ज़ाए ह़ाजत के दौरान बातचीत मकरूह (मना) है	81

मज़मून

मज़मून	सफ़्हा
बाब :8 पेशाब करते हुए सलाम का जवाब देना?	82
बाब :9 तहारत के बग़ैर अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र करना	84
बाब :10 ऐसी अंगूठी जिसमें अल्लाह का ज़िक्र कंदा हो, बैतुलख़ला में ले जाना	85
बाब :11 पेशाब से ख़ूब अच्छी त़रह़ पाक होने का बयान	86
बाब :12 खड़े होकर पेशाब करना	89
बाब :13 इंसान रात को किसी बर्तन में पेशाब करे और फिर उसे अपने पास पड़ा रहने दे	91
बाब :14 वह मक़ामात जहाँ पेशाब करना मना है	91
बाब :15 गुस्लख़ाने में पेशाब का मसला	92
बाब :16 बिल में पेशाब करने की मुमानिअ़त	93
बाब :17 बैतुलख़ला से निकलकर इंसान क्या पढ़े?	94
बाब :18 इस्तिंजा में शर्मगाह को दाएँ हाथ से छूने की मुमानिअ़त	95
बाब :19 कज़ाए ह़ाजत के वक़्त पर्दा करना	97
बाब :20 वह चीज़ें जिनसे इस्तिंजा मना है	98
बाब :21 ढेलों के साथ इस्तिंजा करना	101
बाब :22 इस्तिंजा का बयान	102
बाब :23 पानी से इस्तिंजा करना	102
बाब :24 इस्तिंजा के बाद आदमी अपना हाथ ज़मीन पर रगड़े	103
बाब :25 मिस्वाक का बयान	104
बाब :26 मिस्वाक कैसे की जाए?	106
बाब :27 इंसान किसी दूसरे की मिस्वाक इस्तेमाल करे...?	107
बाब :28 मिस्वाक धोने का बयान	108
बाब :29 मिस्वाक आ'माले फ़ित़रत में से है	108

बाब :30 रात को उठने वाले के लिए मिस्वाक का बयान	110
बाब :31 वुज़ू की फ़र्ज़ियत	113
बाब :32 जो इंसान बावुज़ू होते हुए नया वुज़ू करे	115
बाब :33 पानी को क्या चीज़ नजिस (नापाक) करती है?	115
बाब :34 बुज़ाआ के कुएँ का ज़िक्र	117
बाब :35 (जुंबी का इस्तेमाल किया हुआ) पानी "जुंबी" नहीं होता (बल्कि पाक ही रहता है)	119
बाब :36 ठहरे हुए पानी में पेशाब करना?	120
बाब :37 कुत्ते के झूठे पानी से वुज़ू करना...?	121
बाब :38 बिल्ली के झूठे का बयान	123
बाब :39 औरत के (इस्तेमाल से) बचे हुए पानी से वुज़ू करना	125
बाब :40 औरत के (इस्तेमाल शुदा पानी से) बचे हुए पानी से वुज़ू की मुमानिअत का ज़िक्र	127
बाब :41 समुन्द्र के पानी से वुज़ू	128
बाब :42 खजूर और मुनक़्क़ा केशरबत (नबीज़) से वुज़ू करना...?	128
बाब :43 पेशाब पाख़ाने की हाजत होने की हालत में नमाज़ पढ़ना कैसा है?	130
बाब :44 वुज़ू के लिए किस क़द्र पानी काफ़ी है?	134
बाब :45 वुज़ू में इस्राफ़ मना है।	136
बाब :46 वुज़ू मुकम्मल करने का बयान	137
बाब :47 पीतल के बर्तन से वुज़ू	138
बाब :48 वुज़ू शुरू करते हुए "बिस्मिल्लाह" कहना	139
बाब :49 जो शख़्स अपने हाथ धोने से पहले बर्तन में डाल दे	140
बाब :51 नबी के वुज़ू का बयान	141
बाब :52 आज़ा (वुज़ू के हिस्से) को तीन तीन बार धोने का बयान	158

बाब :53 दो दो बार वुज़ू के हिस्सों को धोना	159
बाब :54 वुज़ू के का एक एक बार धोना	160
बाब :55 कुल्ली और नाक में पानी लेने में फ़र्क़ करना	161
बाब :56 नाक झाड़ने का बयान	162
बाब :57 दाढ़ी में ख़िलाल करने का बयान	165
बाब :58 पगड़ी पर मसह़ करने का बयान	166
बाब :59 पैर धोने का बयान	167
बाब :60 मोज़ो पर मसह़ करने का बयान	167
बाब :61 मसह़ के लिए मुद्दत का बयान	174
बाब :62 जुराबों पर मसह़ करना	176
बाब :63 मसह़ कैसे हो?	179
बाब :64 छींटे मारने का बयान	181
बाब :65 वुज़ू के बाद आदमी क्या पढ़े?	183
बाब ... एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ना?	185
बाब:66 वुज़ू में तसलसुल क़ायम न रहे तो...?	186
बाब:67 अगर बेवुज़ू होने में शक हो तो...?	187
बाब:68 बोसा लेने से वुज़ू का मसला...?	188
बाब:69 शर्मगाह को छूने से वुज़ू	190
बाब:70 इसमें रुख़्सत का बयान	191
बाब:71 ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू	192
बाब:72 कच्चे गोश्त को हाथ लगाने से वुज़ू या हाथ धोने का मसला	193
बाब:73 मुरदार को हाथ लगाने से वुज़ू न करना	195

बाब:74 आग पर पकी चीज़ के इस्तेमाल से वुज़ू न करने का बयान	196
बाब:75 मज़्कूरा मसले में तश्दीद का बयान	199
बाब:76 दूध पीकर वुज़ू करने का मसला	200
बाब:77 इससे कुल्ली न करने की रुख़्सत	201
बाब:78 ख़ून निकलने से वुज़ू का मसला....?	201
बाब:79 नींद से वुज़ू	203
बाब:80 अगर कोई गन्दगी को रौंदकर आये तो...?	207
बाब:81 जो शख़्स नमाज़ के दौरान में बेवुज़ू हो जाए...?	208
बाब:82 मज़ी का मसला	209
बाब:83 (मुबाशिरत के मौक़े पर) अगर जज़्बात ठण्डे हो जाएँ...? (और इंज़ाल न हो तो...?)	214
बाब:84 जुंबी (अगर ग़ुस्ल करने से पहले) अपनी बीवी के पास दोबारा आए तो...?	216
बाब:85 जो दोबारा मुजामिअ़त करना चाहे तो वुज़ू कर ले!	217
बाब:86 जुंबी अगर सोना चाहे तो...?	218
बाब:87 जुंबी अगर कुछ खाना चाहे...?	219
बाब:88 जो यह कहता है कि जुंबी वुज़ू करे!	220
बाब:89 जुंबी ग़ुस्ल मुअख़्ख़र (देरी से) कर सकता है!	221
बाब:90 जुंबी आदमी का क़ुरआन पढ़ना...?	224
बाब:91 जुंबी का मुसाफ़ा करना	225
बाब:92 जुंबी का मस्जिद में दाख़िल होना	227
बाब:93 जुंबी आदमी लोगों को भूले से नमाज़ पढ़ाए	228
बाब:94 नींद से बेदारी पर इंसान अपने जिस्म या कपड़ों में नमी महसूस करे तो...?	231
बाब:95 औरत (ख़्वाब में) वह कुछ देखे जो मर्द देखता है तो...?	232

मज़मून	पेज नं.
बाब:96 पानी की मिक़्दार (मात्रा), जो गुस्ल के लिए काफ़ी हो सकती है	234
बाब:97 गुस्ले जनाबत का बयान	236
बाब:98 गुस्ल के बाद वुज़ू करना	242
बाब:99 क्या औरत गुस्ल में अपने सिर के बाल खोले?	243
बाब:100 जुंबी आदमी का गुस्ल करते हुए ख़ित्मी से सिर धोना	245
बाब:101 वह पानी जो मर्द और औरत के बीच बहे...?	246
बाब:102 हाइज़ा (पीरियड वाली) औरत से मिलकर खाना और (घर में) उससे मेल जोल रखना	247
बाब:103 हाइज़ा औरत मस्जिद से कोई चीज़ उठाए (तो जाइज़ है!)	249
बाब:104 हाइज़ा हैज़ के दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा न करे	250
बाब:105 हाइज़ा से मुजामिअत (हमबिस्तरी) का मसला	251
बाब:106 शौहर अपनी बीवी से (अय्यामे हैज़ में) जिमाअ (हमबिस्तरी) के अलावा सब कुछ कर सकता है	253
बाब:107 मुस्तहाज़ा का बयान और यह कि (ग़ैर मुमय्यिज़ा) अपने हैज़ के दिनों के बराबर नमाज़ छोड़ दिया करे।	257
बाब:108 जब हैज़ ख़त्म हो जाए तो फिर नमाज़ न छोड़े	264
बाब:109 (मुस्तहाज़ा को) जब हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दे	265
बाब:110 वह रिवायात जिनमें है कि मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के लिए गुस्ल करे	272
बाब:111 उन हज़रात की दलीलें जो क़ाइल हैं कि मुस्तहाज़ा नमाज़ें जमा करे और हर दो नमाज़ों के लिए एक गुस्ल करे।	276
बाब:112 उन हज़रात की दलीलें जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा तोहर से तोहर (पाकी) तक एक ही गुस्ल करे	279
बाब:... उन हज़रात की दलीलें जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा ज़ुहर से ज़ुहर तक एक ही गुस्ल करे	282
बाब:113 उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि (मुस्तहाज़ा) हर रोज़ एक बार गुस्ल करे और ज़ुहर के वक़्त की तअयीन नहीं करते।	283

बाब: 114 उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा उन अय्याम (दिनों) में (मौक़ा ब मौक़ा) ग़ुस्ल करती रहे	284
बाब: 115 उन हज़रात के दलाइल जो कहते हैं कि (मुस्तहाज़ा) हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे	285
बाब: 116 उन लोगों की दलील जो (मुस्तहाज़ा को अलावा ख़ून के) किसी हदस के लाहिक़ होने ही पर वुज़ू के क़ाइल हैं	286
बाब: 117 औरत अगर तुहर के बाद पीला (ज़र्द) या मेला पानी महसूस करे?	287
बाब: 118 मुस्तहाज़ा से उसका शौहर मुजामिअत कर सकता है	288
बाब: 119 निफ़ास के दिनों के अहकाम व मसाइल	289
बाब: 120 ग़ुस्ले हैज़ के अहकाम व मसाइल	290
बाब: 121 तयम्मुम के अहकाम व मसाइल	293
बाब: 122 मुक़ीम के लिए तयम्मुम का बयान	302
बाब: 123 जुंबी के लिए तयम्मुम का बयान	305
बाब: 124 क्या जुंबी को सर्दी का डर हो तो तयम्मुम कर ले?	308
बाब: 125 चेचकज़दा (या ज़ख़्मी) के लिए तयम्मुम का बयान	309
बाब: 126 तयम्मुम वाले को नमाज़ पढ़ लेने के बाद पानी मिल जाए और नमाज़ का वक़्त अभी बाक़ी हो तो...?	311
बाब: 127 जुम्अ़े के लिए ग़ुस्ल का बयान	313
बाब: 128 जुम्अ़े के दिन ग़ुस्ल न करने की रुख़्सत का बयान	320
बाब: 129 नो मुस्लिम के लिए ग़ुस्ल का हुक्म	322
बाब: 130 औरत अपने हैज़ के दिनों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े को धोए	323
बाब: 131 जिस कपड़े में इंसान अपनी बीवी से सोहबत करे उसमें नमाज़ पढ़ना...?	328
बाब: 132 औरतों के कपड़ों में नमाज़	328
बाब: 133 इसमें रुख़्सत का बयान	329

बाब: 134 कपड़े को अगर मनी लग जाए तो...?	330
बाब: 135 बच्चा अगर कपड़े पर पेशाब कर दे तो...?	332
बाब: 136 ज़मीन पर पेशाब पड़े तो...?	335
बाब: 137 यह बयान कि ज़मीन का ख़ुश्क हो जाना उसकी पाकी है	337
बाब:... (अगर राह चलते हुए) पल्लू में नजासत लग जाए तो...?	338
बाब:... जूते को नजासत लग जाए तो...?	339
बाब: 138 नजासत लगे कपड़े की वजह से नमाज़ के एआदा (लौटाने) का मसला	340
बाब : 139 कपड़े को थूक लग जाए तो...?	342
नमाज़ की अहमियत और फ़ज़ीलत	343
नमाज़ के अहकाम व मसाइल	344
बाब : 1 नमाज़ की फ़र्ज़ियत का बयान	344
बाब : 2 औक़ाते नमाज़ के अहकाम व मसाइल	346
बाब : 3 नबी (ﷺ) की नमाज़ों के औक़ात और आपका तरीक़-ए-नमाज़	352
बाब : 4 ज़ुहर की नमाज़ का वक़्त	354
बाब : 5 अस्र की नमाज़ का वक़्त	357
बाब : 6 नमाज़े मग़्रिब का वक़्त	364
बाब : 7 नमाज़े इशा का वक़्त	366
बाब : 8 नमाज़े फ़ज्र का वक़्त	369
बाब : 9 नमाज़ों (के वक़्त) की पाबन्दी का बयान	371
बाब : 10 जब इमाम नमाज़ को वक़्त से मुअख़्ख़र (देरी) करे	375
बाब : 11 जो शख़्स नमाज़ के वक़्त में सोता रह जाए या नमाज़ (पढ़ना) भूल जाए?	379
बाब : 12 तअमीरे मसाजिद का बयान	388

मज़मून पेज नं.

बाब :13 मुहल्लों में मसाजिद बनाने का बयान	394
बाब :14 मसाजिद में रोशनी का एहतिमाम	395
बाब :15 मस्जिद में कंकरियाँ बिछाना	396
बाब :16 मस्जिद में झाड़ू देने का बयान	397
बाब :17 मस्जिद में औ़रतों का मर्दों से अ़लैह्दा (अलग) रहना	398
बाब :18 मस्जिद में दाख़िल होने की दुआ़	399
बाब :19 मस्जिद में दाख़िल होने पर नमाज़ का बयान	401
बाब :20 मस्जिद में बैठने की फ़ज़ीलत	402
बाब :21 मस्जिद में गुमशुदा चीज़ों के ऐलान की कराहत (मनाही)	404
बाब :22 मस्जिद में थूकने की कराहत	405
बाब :23 किसी मुश्रिक का मस्जिद में दाख़िल होना	411
बाब :24 वह मक़ामात जहाँ नमाज़ जाइज़ नहीं	413
बाब :25 ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने की मनाही	416
बाब :26 बच्चे को किस उ़म्र में नमाज़ का हुक्म दिया जाए?	416
बाब :27 अज़ान की शुरुआत (इब्तिदा)	419
बाब :28 अज़ान कैसे दी जाए?	421
बाब :29 इक़ामत का बयान	439
बाब :30 यह मसला कि एक शख़्स अज़ान कहे और दूसरा इक़ामत (तक्बीर कहे)	441
बाब :31 बुलंद आवाज़ से अज़ान कहना	443
बाब :32 मुअज़्ज़िन के लिए वाजिब है कि वक़्त की पाबन्दी करे।	445
बाब :33 मीनार पर अज़ान कहना	446
बाब :34 मुअज़्ज़िन अज़ान कहते हुए घूमे	447

मज़मून | सफ़्हा

बाब :35 अज़ान और इक़ामत के दरम्यान दुआ की अहमियत	448
बाब :36 मुअज़्ज़िन को सुने तो क्या कहे?	449
बाब :... इक़ामत सुने तो क्या कहे?	452
बाब :37 अज़ान के बाद की दुआ	453
बाब :38 मग़्रिब की अज़ान के वक़्त की दुआ	454
बाब :39 अज़ान पर उज्रत (मेहनताना) लेना?	455
बाब :40 वक़्त से पहले अज़ान कह दी जाए तो?	456
बाब :41 नाबीने शख़्स का अज़ान कहना	458
बाब :42 अज़ान के बाद मस्जिद से निकलना	459
बाब :43 मुअज़्ज़िन इमाम का इंतिज़ार करे	459
बाब :44 तस्वीब का मसला	460
बाब :45 अगर इक़ामत के बाद इमाम न पहुँचा हो तो मुक़्तदी ह़ज़रात बैठकर उसका इंतिज़ार करें (खड़े न रहें)	461
बाब :46 जमाअ़त छोड़ने पर इंकारे शदीद	465
बाब :47 बाजमाअ़त नमाज़ अदा करने की फ़ज़ीलत	470
बाब :48 नमाज़ के लिए पैदल चलकर जाने की फ़ज़ीलत	472
बाब :49 अंधेरे में नमाज़ के लिए पैदल जाने की फ़ज़ीलत	475
बाब :50 नमाज़ के लिए जाने का अदब	476
बाब :51 जो शख़्स नमाज़ की ग़र्ज़ से आया मगर देखा कि नमाज़ हो चुकी है?	478
बाब :52 औरतों का मसाजिद में जाना	479
बाब :53 इस मसले में तश्दीद का बयान	481
बाब :54 नमाज़ के लिए दौड़कर आना	483

मज़ामीन	पेज नं.
बाब :55 मस्जिद में दो बार जमाअत का होना	485
बाब :56 जो शख़्स अपनी मंज़िल में नमाज़ पढ़कर आया हो फिर जमाअत को पाये तो उनके साथ मिलकर नमाज़ पढ़े	486
बाब :57 जब किसी आदमी ने जमाअत से नमाज़ पढ़ ली हो फिर दूसरी जमाअत पाये तो दोबारा पढ़ सकता है?	489
बाब :58 इमामत की फ़ज़ीलत और अह़काम का बयान	490
बाब :59 इमामत का भार एक दूसरे पर डालने की कराहियत	490
बाब :60 इमामत का ज़्यादा ह़क़दार कौन है?	491
बाब :61 औरतों की इमामत का मसला	497
बाब :62 उस आदमी का इमामत कराना जिसे लोग नापसंद करते हों	499
बाब :63 स़ालेह़ और फ़ाजिर की इमामत	500
बाब :64 नाबीने की इमामत	501
बाब :65 ज़ाइर (मेहमान) की इमामत	502
बाब :66 इमाम का मुक़्तदियों से बुलंद मक़ाम पर खड़े होना	503
बाब :67 जो कोई किसी क़ौम को नमाज़ पढ़ाए ह़ालाँकि वह ख़ुद नमाज़ पढ़ चुका हो	504
बाब :68 इमाम अगर बैठकर नमाज़ पढ़ाए	505
बाब :69 जब दो आदमी हों, एक इमाम हो तो कैसे खड़े हों?	510
बाब :70 अगर तीन अफ़राद हों तो कैसे खड़े हों?	512
बाब :71 इमाम सलाम के बाद क़िब्ले की त़रफ़ से फिर जाए	513
बाब :72 इमाम का अपनी जगह (अपने मुसल्ले) पर सुन्नत या नफ़्ल अदा करना।	514
बाब :73 इमाम ने आख़िरी रकअ़त से सिर उठाया और उसका वुज़ू टूट गया तो?	515
बाब :74 मुक़्तदी को इमाम की (पूरी त़रह़) पैरवी करने का हुक्म	517
बाब :75 इमाम से पहले सिर उठाने या रखने पर वईद	519

मज़मून	पेज नं.
बाब :76 इमाम से पहले उठकर जाने का मसला	519
बाब :77 कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़ी जाए?	520
बाब :78 कोई अपने तहबंद के पल्लुओं को अपनी गर्दन में गिरह देकर नमाज़ पढ़े?	522
बाब :79 इंसान ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़े कि उसका कुछ हिस्सा दूसरे पर हो?	523
बाब :80 इंसान एक क़मीस़ में नमाज़ पढ़े	523
बाब :81 जब कपड़ा तंग हो तो उसका तहबन्द बाँध ले	524
बाब :82 नमाज़ में टख़्नों से नीचे कपड़ा लटकाना	527
बाब :83 औरत कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़े?	529
बाब :84 औरत का ओढ़नी के बग़ैर नमाज़ पढ़ना	531
बाब :85 नमाज़ में सद्ल करना	532
बाब :86 औरतों के ज़ेरे इस्तेमाल कपड़ों में नमाज़	534
बाब :87 कोई मर्द अपने बालों का जूड़ा बनाकर नमाज़ पढ़े?	534
बाब :88 जूते पहनकर नमाज़ पढ़ने का मसला	536
बाब :89 नमाज़ी अपने जूते उतारे तो कहाँ रखे?	539
बाब :90 छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना	541
बाब :91 बड़ी चटाई पर नमाज़ पढ़ना	541
बाब :92 इंसान अपने कपड़े पर सज्दा करे	543
स़फ़बन्दी के अहकाम व मसाइल	544
बाब :93 स़फ़ें सीधी करने का मसला	544
बाब :94 सुतूनों के बीच स़फ़ें बनाने का मसला	551
बाब :95 इमाम के क़रीब कौन खड़ा हो और पीछे रहने की कराहियत	552
बाब :96 बच्चे स़फ़ में कहाँ खड़े हों?	554

मज़मून	पेज नं.
बाब :97 औरतों की सफ़ का बयान और यह कि वह पहली सफ़ से पीछे हो	555
बाब :98 इमाम के खड़े होने की जगह	557
बाब :99 जो शख़्स सफ़ के पीछे अकेला ही नमाज़ पढ़े	557
बाब: 100 जो शख़्स सफ़ में मिलने से पहले ही रुकूअ कर ले	558
सुतरे के अहकाम व मसाइल	560
बाब: 101 कौनसी चीज़ सुतरा हो सकती है?	560
बाब: 102 अगर सुतरा के लिए लाठी न मिले, तो ख़त (लकीर) खींचने का मसला	562
बाब: 103 सवारी को सुतरा बनाकर नमाज़ पढ़ना	565
बाब: 104 किसी सुतून वग़ैरह को सुतरा बनाए, तो उसे किस अंदाज़ में अपने सामने रखे?	565
बाब: 105 बातों में मशग़ूल या सोने वालों की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ना	565
बाब: 106 सुतरे के क़रीब खड़े होने का बयान	566
बाब: 107 नमाज़ी को यह हुक्म कि अपने आगे से गुज़रने वाले को रोके	567
बाब: 108 नमाज़ी के आगे से गुज़रने की मुमानिअत	570
उन चीज़ों की तफ़्सील जिनसे नमाज़ टूट जाती है और जिनसे नहीं टूटती	571
बाब: 109 किस चीज़ (के गुज़रने) से नमाज़ टूट जाती है?	571
बाब: 110 इमाम का सुतरा उसके पीछे वालों का भी सुतरा होता है।	575
बाब: 111 उनके दलाइल जो क़ाइल हैं कि औरत के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती	576
बाब: 112 उनके दलाइल जो कहते हैं कि गधे के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती	579
बाब: 113 उन हज़रात की दलील जो कुत्ते को नमाज़ का क़ातेअ (तोड़ने वाला) नहीं समझते	581
बाब: 114 उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती	581
नमाज़ शुरू करने के अहकाम व मसाइल	583
बाब 114, 115: नमाज़ में रफ़उल यदैन का बयान (यानी दोनों हाथों का उठाना)	583

मज़मून	पेज नं.
बाब: 115, 116 नमाज़ के इफ़्तिताह का बयान	589
बाब:.. दो रकअतों के बाद तीसरी के लिए उठने पर रफ़उल यदैन	602
बाब: 116, 117 जिसने रुकूअ के वक़्त रफ़उल यदैन करने का ज़िक्र नहीं किया	605
बाब : 118 नमाज़ में दायें हाथ को बायें हाथ के ऊपर रखना	609
बाब : 119 नमाज़ शुरू करते हुए कौनसी दुआ पढ़ी जाये	612
बाब : 120 इफ़्तिताहे नमाज़ में (सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका) वाली दुआ पढ़ना	624
बाब : 121 इफ़्तिताहे नमाज़ के मौक़े पर सकते का बयान	626
बाब : 122 उन हज़रात के दलाइल जो 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' को ऊँची आवाज़ से नहीं पढ़ते	629
बाब : 123 बिस्मिल्लाह ज़हरी (ज़ोर से) पढ़ने वालों के दलाइल	633
बाब : 124 किसी आरिज़ की वजह से नमाज़ को हल्का (मुख़्तसर) कर देना	635
बाब : 125 नमाज़ मुख़्तसर (हल्की) पढ़ानी चाहिए	636
बाब : 126 नमाज़ के सवाब में कमी का बयान	640

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अर्ज़े नाशिर

इस्लामी दुनिया में जिन अहादीस की किताबों को बहुत ज्यादा शोहरत मिली वह छः हैं जो 'सिहाहे सित्ता' के नाम से मशहूर हैं। (1) सहीह बुख़ारी, (2) सहीह मुस्लिम, (3) सुनन अबू दाऊद, (4) जामेअ़ तिर्मिज़ी, (5) सुनन नसाई, (6) सुनन इब्ने माजा। ये किताबें अर्सा–ए–दराज़ तक सिर्फ़ अ़रबी जबान में दस्तयाब थी। फारसी जबान में इनका तर्जुमा हुआ या नहीं इसकी जानकारी हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता मौता इमाम मालिक का फारसी तर्जुमा शाह वलीउल्लाह साहब (رحمہ اللہ) ने **'मुसफ्फ़ा–मुसव्वा'** के नाम से ज़रूर किया था। लगभग तेरहवीं सदी हिजरी में कुतूबे अहादीस़ के उर्दू तर्जुमे की सआदत शहरे भोपाल के हिस्से में आई। नवाब वालाजाह स़य्यद सिद्दीक हसन ख़ाँ और आपकी अहलिया नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ताजुल हिन्द फ़रमा रवाए रियासते भोपाल की कोशिश ने शहरे भोपाल को आ़लमे–इस्लाम का एक अ़ज़ीम दीनी और इल्मी मर्क़ज़ बना दिया। आ़लमे इस्लाम और हिन्दुस्तान भर से अ़हले इल्म भोपाल में जमा कर दिये गये और इन उलमा के सुपूर्द रियासत का महक़म–ए–तालीम, महक़म–ए–मालियात, शोबा–ए–तालीम व तदरीस और शोबा तारीख नवेसी वग़ैरह कर दिये गये। तस्नीफ़ व तालीफ़ और किताबों की नश्रो इशाअ़त और उनके तर्जुमों के एहतिमाम का एक अ़ज़ीमुश्शान मन्सुबे पर अ़मल दरामद किया गया, जिसने बग़दाद के **'इल्मुल हिक़मत'** की याद ताज़ा कर दी। लाखों रूपये के ज़ाती और सरकारी ख़र्चे से **'फ़तहुलबारी'**, **'तफ्सीर इब्ने कस़ीर'**, **'नैलुल अवतार'** जैसी बिसियों किताबें मिस्र, बैरूत और हिन्दुस्तान के छापा–खानों से शाया की गई। नवाब वहीदुज़्ज़मां और नवाब बदीउज़्ज़मां साहब हैदराबादी को भोपाल बुलाकर 'सिहाहे सित्ता' का उर्दू तर्जुमा करवाया ताकि हिन्दुस्तान के लोग भी हदीस़ के फ़ैज़ और बरक़त से झोलियाँ भर सकें। हमारी जानकारी के मुताबिक़ ये कुतूबे अहादीस़ के पहले उर्दू तर्जुमें हैं। एक अर्से से आज तक इन तर्जुमों से फ़ायदा उठाया जा रहा है और कई कुतूब खाने इन तर्जुमों को बार–बार शाया कर चुके हैं।

इन तर्जुमों की ज़बान कुछ पुरानी थीं और हदीस़ के फ़वाइद और तशरीहात भी ख़ास–ख़ास और बहुत कम मुकामात पर दर्ज थी। और अहादीस़ की तख़रीज़ का भी एहतिमाम नहीं किया गया था। इन तमाम उ़मूर के मद्देनज़र ज़रूरत थी कि हदीस़ के ज़ख़ीरे को उर्दू ज़बान में मुकम्मल तशरीह और तख़रीज़ के साथ नये सिरे से इशाअ़त की जाये। चुनांचे मौलाना मुहम्मद दाऊद साहब राज़ (رحمہ اللہ) ने 'स़हीह बुख़ारी' की अ़ज़ीमुश्शान शरह का बेड़ा उठाया और अठारह साल की मेहनत से आठ ज़िल्दों पर मुश्तमिल स़हीह बुख़ारी का उर्दू तर्जुमा शाया हुआ। **'सिहाहे सित्ता'** को दूसरी किताबों से आला मैयार पर मुकम्मल तशरीह व तौजीह और तख़रीज़ के साथ शाया करने का मन्सुबा स़ऊदी अ़रब में वाक़ेअ़ इदारा दारूस्सलाम के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अब्दुल मालिक मुज़ाहिद ने शुरू किया। इस इदारे की तरफ से अब तक **'स़हीह मुस्लिम'**, **'सुनन अबू दाऊद'**, **'सुनन इब्ने**

माज़ा' और **'सुनन नसाई'** के तर्जुमे शाया होकर मन्ज़रे आम पर आ चुके हैं। सहीह बुख़ारी के तर्जुमे का काम हो रहा है इस इदारे को बेशुमार ड़लमा की ख़िदमात हासिल है और बजट की कोई कमी नहीं।

आज़ादी के बाद उर्दू ज़बान से जो सौतेला सुलूक किया गया उसका नतीज़ा ज़ाहिर है। हमारी नस्लें उर्दू से नावाक़िफ़ हो चुकी है। ये सिर्फ़ हमारे मदारिस है जिनकी वजह से उर्दू का वुजूद बाकी है। नई नस्ल को अब इस्लामी तालीमात पहुँचाने का ज़रिया हिन्दी रह गई है। चुनांचे इस मक़सद को हासिल करने के लिए हिन्दी ज़बान में इन किताबों की ज़रूरत महसूस की गई। एक मुद्दत से मेरे दिल में ये आरज़ू थी कि **'तफ़्सीर इब्ने कसीर', और 'सिहाहे सित्ता'** और दुसरी अहम और बुनियादी किताबों का हिन्दी जबान में ऐसा तर्जुमा पेश किया जाये जिसमें मुकम्मल इस्नाद के साथ अरबी मतन भी हो। तफ्सील से हर हदीस की मुस्तनद शरह तख़रीज़ और तहक़ीक़ के साथ बयान की जाये। और तबाअत, काग़ज़, जिल्दसाज़ी वग़ैरह में आला मैयार कायम रखा जाये।

ये सरज़मीने जोधपुर की खुशनसीबी है कि अल्लाह तआला ने इसे दीने हक़ की ख़िदमत और क़ुर्आन हदीस की नश्रो व इशाअत का शर्फ़ बख़्शा है। जो काम भोपाल में सरकारी सरपरस्ती में हुआ और जिस पैमाने के वसाइल और सहूलियात इदारा **'दारूस्सलाम रियाज़'** को हासिल है उसका छोटा सा हिस्सा भी जोधपुर में मयस्सर नहीं। इसके बावजुद ये सिर्फ़ अल्लाह की तौफ़ीक़ और मदद शामिले हाल है। जिसकी वजह से ये अज़ीमुश्शान काम ना तवाँ बन्दों के हाथों अन्ज़ाम पा रहा है।

मैं जोधपुर के अस्हाबे ज़माअत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ख़िदमते हदीस का काम करने में मेरी हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई ये काम मुझे अपनी बिसात से बढ़कर नज़र आ रहा था लेकिन आमिलीने किताबो सुन्नत की मुहब्बत, शफ़क़त और एतमाद ने हिम्मत बंधाई ख़ास–तौर पर उलमा–ए–किराम ने इस काम की तकमील के लिए जिस तआवुन और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया और अहले जमाअत को इस ज़ानिब तवज्जोह दिलाई अल्लाह तआला उन्हें इसका बड़ा अज्र अता फ़रमाये।

फ़ज़ीलतुश्शैख़ जनाब अबुल कलाम साहब फ़ैज़ी से दौराने इशाअते कुतूब कई मुक़ामात पर इल्मी रहनुमाई भी हासिल हुई । जब भी कभी किसी मुक़ाम पर अश्क़ाल हुआ तो शैख़ से तहक़ीक़ के लिये राब्ता क़ायम किया गया।

मुझे एहसास है कि कुतूबे सित्ता का मुक़ाम और मर्तबा जिस बुलन्द मैयार का तक़ाज़ा करता है मैं इसमें अपनी इल्मी व फ़न्नी कोताहियों की वजह से काफ़ी पीछे हूँ, अगर ये काम किसी बड़ी इल्मी शख़्सियत के हाथों अंज़ाम पाता तो बेशुमार फ़वाइद और बरक़ात का हामिल होता। अब ये जो कुछ भी है आपके सामने है। इसमें जो लग्ज़िशें, गलतियाँ, और कमियाँ हैं वो मेरी कम फ़हमी और कम इल्मी की वजह से है अगर आपको कोई ख़ुबी नज़र आये तो वह अल्लाह का एहसान और आपकी ज़र्रा नवाज़ी है। हिन्दी भाषा में इशाअते दीन का काम शुरू करने के लिए **'अहकामो मसाइल'**, **'फ़तावा रसूलुल्लाह'** और **'मेरा जीना मेरा मरना'** जैसी मुफ़ीद आम किताबों का इन्तेख़ाब किया गया। अवाम में जब इन किताबों की पज़ीराई हुई तो

सहीह बुख़ारी को हिन्दी ज़बान में मुन्तकिल करने का काम शुरू किया गया। बहरहाल अल्लाह की मदद शामिले हाल रही और ढाई–तीन साल में सहीह बुख़ारी की मुकम्मल आठ (8) ज़िल्दें उम्मीद से भी ज़्यादा मैयारी, ख़ुबसूरत और दीदा जेब सूरत में मुकम्मल हुई। ये मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका था।

'**सिहाहे सित्ता**' की दुसरी किताब '**सुनन इब्ने माज़ा**' की इशाअत का काम जनाब मोहम्मद निसार ख़िलज़ी के सुपुर्द किया गया। जिसको उन्होंने बहुस्नो ख़ुबी पुरा किया। ये किताब भी बहुत मक़बूल हुई और इसका दुसरा एडीशन भी शाया किया गया। '**सुनन इब्ने माजा**' के एक ज़दीद एडीशन का प्रोग्राम भी ज़ेरे ग़ौर है। जिसमें अ़रबी मतन, मुक़म्मल इस्नाद तसरीह व तौज़ीह के साथ शाया किया जायेगा। इन्शाअल्लाह।

कुतूबे सित्ता की तीन किताबें '**सहीह मुस्लिम**', '**सुनन अबू दाऊद**', '**जामेअ़ तिर्मिज़ी**' की टाइपिंग का काम काफ़ी हद तक पुरा हो चुका है। प्रुफ रिडिंग, तस्हीह का काम भी ज़ारी है। मोहतरम क़ारेईन से दरख़्वास्त है कि दुआ फ़रमायें अल्लाह तआला अपने फ़ज़ले ख़ास से इस काम में आसानी फ़रमा दें और जल्द से जल्द मुक़म्मल करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

इस सिलसिले में '**सुनन अबू दाऊद**' की पहली ज़िल्द हाज़िर है। इस किताब का उर्दू तर्जुमा मौलाना अबू अ़म्मार उ़मर फ़ारूक़ सईदी फ़ाजिल मदीना युनिवर्सिटी ने बड़े उम्दा तरीके से किया और कई अहादीस के फ़वाइद व मसाइल भी तहरीर किए। इस किताब की तमाम अहादीस़ की तख़रीज़ अ़ज़ीम मुहक़्क़िक जनाब हाफ़िज़ ज़ुबैर अ़ली ज़ई (رحمہ اللہ) ने की है। हिन्दी ज़बान में इसको मुन्तक़िल करने की जिम्मेदारी मुक़ामी इदारा दारूत्तर्जुमा के अ़राकीन ने निहायत जाँ फशानी और एहतियात से की और तस्हीह का काम मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी ने अन्जाम दिया।

'**सुनन अबू दाऊद**' शरीयते इस्लामी और नबी–ए–करीम (ﷺ) की अहादीस़ का वो अ़ज़ीमुश्शान दीवान है जिससे उम्मते मुस्लिमा के उ़लमा व अवाम में इन्तेहाई कद्र की निगाह से देखा जाता है। उम्मत के फुक़हा और मुफ्तियान के लिए वह तमाम हदीस़ी दलाइल ज़मा कर दिये गये हैं जो इस्लामी फुक़हा ने इख़्तियार किये।

कुतूबे अहादीस़ के हिन्दी एडीशन की तैयारी के फ़न्नी (टेक्नीकल) मसाइल कम्पोजिंग, डिजाईनिंग, सेटिंग वग़ैरह में हमारे दर्ज ज़ेल नौजवान कारकुनों ने इसे खुब से खुब तर बनाने में भरपुर मेहनत लगन, खुलूस और शौक़ से काम किया है। अ़ज़ीज़ान मोहम्मद शकील मोदी, अब्दुल वाजिद, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद ग़ुफ़रान, साजिद कमाल और शाकिर कैफ़ वग़ैरह अल्लाह तआला इन सबकी कोशिशों को कुबूल फ़रमाये।

एम.ए.फारूक

ख़ादिम, कुरआनो-हदीस

जोधपुर (राज.)

पेशे गुफ़्तार

इंसानियत की हिदायत और सिराते मुस्तक़ीम पर चलने के लिए एक बंद–ए–मुस्लिम के सामने सिर्फ़ दो मुस्तनद हवाले और रास्ते हैं, जिनका मक़सूद और मन्ज़िल एक है। इनमें से एक तरीक़ क़ुर्आन हकीम की आयात बय्यिनात से मिलता है जबकि उससे हमआहन्गा और हम रंग एक दूसरा जाद–ए–शरीयत है जिसे हम सुन्नत या हदीस़ कहते हैं। क़ुर्आन हो या सुन्नत इन दोनों का मक़सूद मतलूब और मक़ाम एक ही है। दोनों की नौईयत और दोनों का लुज़ूम एक दूसरे के लिए तकमीली शान पैदा करता है। क़ुर्आन मजीद ने अपनी उसूली और इज्माली तालीमात की तशरीह व तफ़्सीर और तौज़ीह व तस़रीह के लिए ख़ुद सुन्नत और उस्वा–ए–हसना की ज़रूरत को बयान किया है। क़ुर्आन मजीद के अहकाम व नुसूस के लिए अगर ज़ख़ीरा–ए–सुन्नत और सरमाया–ए–अहादीस़ मौजूद न हो तो दीन व शरीयत का माख़ज़े अव्वल ख़ुद चीस्तान बन जायेगा। पेशे नज़र रहे कि सुन्नत और अहादीस़ में जो तशरीही और तौज़ीही सरमाया है, ये किसी एक शख़्स की ज़ाती और ज़हनी इख़्तियारात नहीं बल्कि नबी–ए–स़ादिक़ व मुसद्दक़ (ﷺ) को ये इल्म भी अल्लाह तआला से जिब्राईल अमीन अलैहि. के ज़रिये से मयस्सर आता था। यही वजह है कि क़ुर्आन मजीद को वही–ए मतलू और हदीस़ को वही ए–ग़ैर मतलू कहा जाता है।

इंसान ने आज तक इल्म व फ़न की तारीख़ में जितने इल्मी, तहक़ीक़ी और फ़न्नी कारनामे सरअंजाम दिये हैं, इनमे इल्मे हदीस़ एक मुमताज़ और मुन्फ़रिद मक़ाम रखता है। क़ुर्आन मजीद की तरह तो बहुत सी इल्हामी किताबों और स़हाइफ़ का ज़िक्र मिलता है, मगर इल्मे हदीस़ की मानिन्द किसी दूसरे इल्म का वजूद दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि इल्मे अलहदीस़ की वज़ाहत व तशरीह के लिए जो दूसरे इल्मों व फ़ुनून ईजाद हूए, उनकी तरह किसी दूसरे इल्म व फ़न का नमूना हमारे सामने नहीं है। अहादीस़ के हुसूल के लिए मोहद्दिसीन ने जिस क़द्र मेहनत व मशक़्क़त की है और इसकी स़ेहत व इस्तेनाद के लिए जो साइंटिफ़ीक उस्लूब इख़्तियार किया है और फिर उसकी तदवीन के लिए जिस नोअ की रियाज़त की है, ये सब उमूर बाहम मिलकर इस इल्म को इस्लामी उ़लूम का इफ़्तख़ार बना देते हैं। मोहद्दिसीन के इस जज़्ब व शौक़ के नतीजे में स़िहाहे सित्ता का अ़ज़ीम ज़ख़ीरा उम्मत की हिदायत के लिए मुरत्तब हूआ, स़िहाहे सित्ता के अ़लावा मौता, अस्स़हीह, अलमुस़न्नफ़, अलजामेअ़, अस्सुनन, अलमुसनद, अलमुसतदरक, अलमुसतख़रज और अलमोजम के अ़नावीन के तहत अहादीस़ का सरमाया जमा किया गया। मोहद्दिसीन ने उम्मत की दीनी ज़रूरतों के तहत इनके बहुत से इन्तिख़ाबात भी शाया किये जिनमें मशारिक़ अलअनवार, जामेअ़ अलउसूल, अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब, शरहुस्सुन्ना, रियाज़ुस्स़ालेहीन, उ़म्दतुल अहकाम, मुन्तक़ल अख़्यार, मिश्कातुल मस़ाबीह, मज्मउ़ज़्ज़वाइद, ज़ादूल मआ़द, बुलूग़ूल मराम, कन्ज़ूल उ़म्माल,

अलजामेअ अस्सग़ीर, तयसीर अलवसूल, उकूद अलजवाहिर, अत्ताज अलजामेअ, और अल्लू लू वल मरजान वग़ैरह मारूफ़ हैं।

अरबी ज़बान में 'हदीस़' का लफ़्ज़ बहुत से मानी में इस्तेमाल होता है। लुग़वी तौर पर ये लफ़्ज़ गुफ़्तगू, नई बात, क़ाबिले ज़िक्र वाक़िया, नई चीज़ या कलाम के मानी में मुस्तामल है, मगर जब हदीस़ का लफ़्ज़ एक इस्तेलाह के बतौर इस्तेमाल हो तो इससे मुराद रसूले करीम (ﷺ) के अक़वाल व अफ़आल और आमाल व अहवाल होते हैं या यूँ कहिए कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ाते गिरामी और रिसालत से मुताल्लिक़ रावीयों (स़हाबा–ए–किराम और उनके फ़ैज़ याफ़तगान) के ज़रिये से जो कुछ हम तक पहुँचा है, वह हदीस़ कहलाता है। हदीस़ को दीगर इस्तेलाहात में सुन्नत, ख़बर और अस़र भी कहते हैं। ये तमाम ज़ख़ीरा–ए–हदीस़ क़ौली, फ़ेअली या तक़रीरी नौईयत से ताल्लुक़ रखता है। अलबत्ता कुछ हज़रात ने आपके शमाइल (ख़स़ाइल व आदात) को भी गन्जीन–ए हदीस़ में शामिल रखा है।

ज़ख़ीरा–ए–हदीस़ की वुसअत, क़तईयत, हुज्जत, स़दाक़त और आलमगीरयत एक अम्रे मुसल्लम है। रसूले करीम (ﷺ) की बईस़त के आग़ाज ही से क़लम व क़िरतास और तहरीर व निगारिश का सिलसिला शूरू हूआ। (अल्लज़ी अल्लमा बिलक़लम) (अलअलक़) और (नून, वलक़लम वमा यस्तुरून) (अलक़लम) की आयात के हवाले से अहदे रिसालत में किताबत के फ़न को फ़रोग़ मिला। अरब व हिजाज़ के लोग जो इस्तेहज़ार (हिफ़्ज़ व ज़ब्त) को अपना शर्फ़ व इफ़्तख़ार समझते थे, अब उनके यहाँ तहरीर व तसवीद का पहलू भी सामने आया। क़ुर्आन मजीद के पचास से ज़ाइद कातिबों का तज़किरा मिलता है। मगर अहादीस़ की रिवायत व किताबत का अहद ब अहद एक वसीअ निज़ाम दिखाई देता है। ख़ूद अहदे रिसालत में जिन उमूर को बाक़ायदा लिखा जा रहा था, उनमें क़ुर्आने मजीद के अलावा इस्लामी रियासत के सरकारी मुरासले, मक्तूबाते बनवी, दस्तूरे ममलकत, ख़ुत्बाते नबवी, मुआहिदात, हिबा नामे, अमान नामे, मरदुम शुमारी, गुलामों की आज़ादी के परवाने, मुख़्तलिफ़ इलाक़ों और सूबों के गवर्नरों और उम्माल के नाम सरकारी हिदायात, बैतुल माल में आमद व ख़र्च की तफ़्स़ीलात और कई स़हाबा का ज़ख़ीरा–ए–अहादीस़ जो आपके अफ़आल की रूईयत या गुफ़्तगू की समाअत पर मुश्तमिल होता था ... ये मुख़्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा हूआ तहरीरी ज़ख़ीरा आपके ज़माना–ए–नबूवत से मुताल्लिक़ है, जिसे एक शरई मशरूईयत और कमाले ज़ब्त व एहतियात से लिखा जाता रहा था और अहदे स़हाबा में अहादीस़ के ज़ख़ीरे को जिस तवज्जोह और ज़िम्मेदारी के साथ लिखा गया, उसके मुस्तनद तफ़्स़ीलात हमारे सामने मौजूद हैं।

नबी (ﷺ) ने कई मौक़ो पर बहुत से स़हाबा–ए–किराम (رضي الله عنهم) को हिदायत की कि वह इल्म को क़ैदे किताबत में लायें। ख़ुत्बा–ए–हज्जतुल विदा के मौक़े पर यमन के अबू शाह की दरख़्वास्त पर इसे लिखवाया गया। यूँ आप (ﷺ) ने जब दीन व शरीयत की तालीमात को दूसरे लोगों तक पहुँचाने की दावत दी तो हाज़िर लोगों ने दुनिया के कोने कोने में रहने वालों तक नबी (ﷺ) की सुन्नत और अहादीस़ को तहरीर व तक़रीर के ज़रिये मुन्तक़िल किया।

अ़हदे नबवी और दौरे स़हाबा की उन रिवायात को जब बाद के तब्क़ात व अदवार में जमा करने की भरपूर कोशिश की गई तो इसके हवाले से रिवायत व दिरायत, जरह व तादील और मुस्तलहाते हदीस़ का एक ऐसा इल्म वजूद में आया जिसने इस ज़ख़ीरा–ए–हदीस़ की हिफ़ाज़त, स़क़ाहत, वज़ाहत और इस्तेनाद में एक साइंटिफ़ीक उस्लूब इख़्तियार किया। इन उलूमुल हदीस़ में अस्माउर्रिजाल तो तारीख़े आ़लम का सबसे इम्तियाज़ी इल्म और फ़न है, जिस पर 'अलइस़ाबा फ़ी तमीज़िस्स़हाबा' करते हूए जर्मन मुस्तशरिक़ डाक्टर इस्परंग ने अपने मुक़द्दमा में ये तारीख़ी अल्फ़ाज़ लिखे:

'दुनिया में कोई ऐसी क़ौम नहीं गुज़री और न आज कहीं मौजूद है जिसने मुसलमानों की तरह अस्माउर्रिजाल का अ़ज़ीमुल मरत्बत फ़न ईजाद किया हो, जिसके बाइस़ पाँच लाख मुसलमानों के अहवाल मालूम हो सकते हैं।'

हमें ऐतराफ़ है कि दुशमनाने इस्लाम, मुनाफ़िक़ीन और कुछ दजाजला ने अहादीस़ को अपनी जानिब से वज़ा करके फैलाने की कोशिश की। इस मौक़े पर मोहद्दिस़ीन ने जिस ईमानी ग़ैरत, मुशाहिदाती क़ूव्वत, इल्मी इदराक, तारीख़ी ज़ौक़ और साइंसी शऊर के साथ उन वज़्ज़ाईन का मुक़ाबला किया और ज़ख़ीरा–ए–हदीस़ से इन वज़्ज़ाईन की रिवायात को स़ाफ़ निकाल बाहर किया और इस मौज़ूअ पर अपने मन्हज की सांइसी बुनियादों को जिस वज़ाहत व स़राहत से बयान किया, ये तारीख़े उ़लूमे इंसानी का सबसे बड़ा इफ़्तिख़ार है। मोहद्दिस़ीन ने क़यामत तक की नस्लों के लिए ज़ख़ीरा–ए–हदीस़ के मतन को महफ़ूज़ कर दिया। यूँ एक तरफ़ रिवायत व किताबत के ज़रिये और दूसरी तरफ़ मसनून शख़्सी आ़माल के ज़रिये से ये ज़ख़ीरा–ए–सुन्नत, गन्जीना–ए–सीरत और सरमाया–ए–इल्म व मारफ़त जमा और महफ़ूज़ हो रहा था। इस तरीक़ और मन्हज की तफ़्स़ीलात से उ़लूमुल हदीस़ की किताबें भरी पड़ी हैं मगर हम यहाँ अपने क़ारेईन के लिए एक तारीख़ी दिलचस्पी को बयान करते हैं:

अब्बासी अ़हद में हारून अर्रशीद ने एक ज़िन्दीक़ को गिरफ़्तार कर के उसके क़त्ल का हुक्म स़ादिर कर दिया जो वज़अे हदीस़ के जुर्म में गिरफ़्तार था, इस मौक़े पर इस ज़िन्दीक़ ने हारून रशीद से कहा कि ऐ अमीरूल मोमिनीन! आप उन चार हज़ार अहादीस़ का क्या करेंगे जो मैंने वज़अ की हैं? जिनमें मैंने हलाल को हराम और हराम को हलाल बना दिया है, हलांकि इनमें एक लफ़्ज़ भी रसूले करीम (ﷺ) ने बयान नहीं फ़रमाया। इस पर हारून ने कहा: 'ऐ अल्लाह के दुशमन! तुम अबू इस्हाक़ फ़ज़ारी और अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक से बच कर कहाँ जाओगे? जो इनको छलनी की तरह छान कर एक एक हरफ़ निकाल बाहर फैंकेंगे।'

इल्मे हदीस़ की हिफ़ाज़त 'क़तईयत, हुज्जत और दिफ़ा में मोहद्दिस़ीन ने जो बेमिस़ाल और तारीख़ी ख़िदमात अंजाम दी हैं, उसके तज़कारे जलील का ये मौक़ा नहीं मगर ये हक़ीक़त अलम नशरह है कि इस उम्मत की हिदायत के लिए क़ुर्आन के बाद इस चश्मा–ए–स़ाफ़ी को मोहद्दिस़ीने इ़ज़ाम (रह.) की इल्मी और तहक़ीक़ी काविशों ने इस्तेनाद और ऐतमाद अ़ता कर दिया। रिवायत व दरायत, जरह व तादील और

अस्माउर्रिजाल के उलूम व फुनून की रोशनी में जब तमाम ज़खीरा–ए हदीस़ की तन्क़ीहात व तस़रीहात सामने आ गयीं तो फिर उनकी रोशनी में तदवीने हदीस़ का अ़ज़ीमुश्शान मरहला सामने आया जिसकी ज़ूफ़शानीयों में कुतूबे सित्ता के अ़लावा मुस़न्नफ़ात, जवामेअ़, सुनन, मसानीद, मुअ़जम, मुस्तदरकात और मुस्तख़रजात का अ़ज़ीम ज़ख़ीरा मोहद्दिसीने इज़ाम (रह.) की जलीलुल्क़द्र मेहनत व रियाज़त और अ़क़ीदत व मसऊलियत के नतीजे में उम्मत के हाथ आया। जिसके हज़ारों मख़्तूतात अ़हद ब अ़हद शरह व हवाशी और तहक़ीक़ व तख़रीज के साथ मुरत्तब हूए जो आज भी आ़लमी कुतूब ख़ानों में अरबाबे तहक़ीक़ की तौज़ीहात का मर्कज़ हैं। मगर इनमें स़िहाहे सित्ता की कुतूब गुलिस्ताने हदीस़ में गुले सरसब्द की हैस़ियत रखती हैं।

मेरे लिए ये सआ़दत की बात है कि मेरा ख़ानदानी ताल्लुक़ उ़लमा–ए–किराम और कातिबाने कुतूब व सुन्नत से है। मुद्दतुल उम्र से मुझे इस्लाम के ईमानी और रूहानी मर्कज़ हिजाज़ में क़याम के मौक़े हास़िल हैं। मैं अपनी इस ख़ूश नस़ीबी पर अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करता हूँ कि चंद साल पहले 'दारूस्सलाम' के नाम से हमने जिस मर्कज़े इल्म व तहक़ीक़ और इदारा–ए–तबाअ़त व इशाअ़त की बुनियाद डाली थी, उसने इस्लामी मौज़ूआत के मुख़्तलिफ़ उ़नवानात पर सैंकड़ों किताबें दुनिया की कई ज़बानों में शाया की हैं। इन कुतूब ने अपने तहक़ीक़ी मिज़ाज, इस्लाम के मस़ादिरे अस़लिया और तबाअ़ती ज़ौक़ के बाइस क़बूलियते आ़म्मा का दर्जा हास़िल किया है, मगर एक मुद्दत से मेरे दिल में इस बात की आरज़ू थी कि स़िहाहे सित्ता का जदीद और शगुफ़्ता उर्दू ज़बान में ऐसा तर्जुमा पेश किया जाये जिसमें हर हर हदीस़ के नताइज व फ़वाइद भी दर्ज किये जायें और उन तमाम मुमकिना मक़ामात पर जहाँ किसी अ़स्री और ज़मानी मौज़ूअ़ पर कोई हदीस़ बयान की गई हो तो उस पर एक तफ़्स़ीली और तहक़ीक़ी शज़रा उस उस्लूब से लिखा जाये कि दौरे जदीद में शुब्हात की दलदल में घिरा हूआ ज़हन कामिल इत्मिनान और मुकम्मल यक़ीन हास़िल कर सके। कुतूबे सित्ता के इन तराजिम व फ़वाइद पर एक मुद्दत से ख़ामोशी के साथ बर्रे स़ग़ीर के अहले इल्म और मुहक़्क़िक़ीन बड़ी दिल जमई और तमानियत के साथ काम कर रहे थे। व लिल्लाहिल हम्द कि स़हीहैन के बाद सुनने अरबआ़ में से एक जुज़–ए–अ़ज़ीम सुनन अबी दाऊद पर काम मुकम्मल हो गया है।

इस किताब के फ़ाज़िल मुतर्जिम मौलाना अबू अ़म्मार उ़मर फ़ारूक़ सईदी फ़ाज़िल मदीना युनिवर्सिटी, जिन्होंने बड़ी उ़म्दगी के साथ इसका तर्जुमा मुकम्मल किया और अक्स़र व बेशतर अहादीस़ के फ़वाइद व मसाइल भी तहरीर किये। इस मजमूए की जुम्ला अहादीस़ की तख़रीज अ़जीम मुहक़्क़िक़ीन हाफ़िज़ ज़ुबैर अ़ली ज़ई (..) ने की है, जिसकी तस़हीह व तन्क़ीह और प्रुफ़ रिडींग के फ़राइज़ रूफ़क़ा–ए–इदारा मौलाना सलीमुल्लाह ज़मान और हाफ़िज़ अ़ब्दुल ख़ालिक़ (..) ने निहायत जांफ़शानी और ज़िम्मेदारी से निभाये। तर्जुमा की मतन के साथ मुराजअ़त और तस्हीह व तन्क़ीह और प्रुफ़ रिडींग की ज़िम्मेदारी मौलाना अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद अ़ब्दुल जब्बार और हाफ़िज़ मुहम्मद आसिफ़ इक़बाल (..) ने बड़ी अ़र्क़ रेज़ी और मेहनत से अदा की। इसके अ़लावा फ़वाइद व मसाइल में तहक़ीक़ी और इल्मी

इज़ाफ़े भी किये नीज़ सानी अज़्ज़िक्र ने जदीद उस्लूब के मुताबिक़ किताबयात की इब्तेदा में, किताब में मज़्कूर मसाइल का ख़ुलासा इल्मी व तहक़ीक़ी अन्दाज़ में भी तहरीर किया है ताकि क़ारेईन तमाम मसाइल को एक ही जगह मुलाहिज़ा कर सकें।

इदारे के सिनियर रिसर्च स्कालर मोहतरम प्रोफ़ेसर मुहम्मद यहया जलालपूरी (..) ने जदीद अस्री मसाइल के हल और इनके शरई इन्तिबाक़ में ख़ुसूसी तौर पर इल्मी व तहक़ीक़ी शज़रे तहरीर फ़रमाये हैं। इसके अलावा मुफ़स्सिर व मुतर्जिम और मुसन्निफ़ कुतूबे कसीरा फ़ज़ीलतुश शैख़ हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) मुदीर शौबा–ए–तहक़ीक़ व तसनीफ़ दारूस्सलाम ने दिन रात की अंथक मेहनत से इस पर नज़रे सानी की और इल्मी व तहक़ीक़ी फ़वाइद व मसाइल का इज़ाफ़ा किया। आख़री मरहला में मर्कज़ इल्मी दारूल इस्लाम, रियाज़ में क़ारी मुहम्मद इक़बाल अब्दुल अज़ीज़ और इनके साथियों ने दिक़्क़ते नज़र से पूरी किताब का मुराजआ किया और हस्बे ज़रूरत इस्लाहात का एहतिमाम किया। फ़जज़ाहुमुल्लाह अहसन अलजज़ा वल आख़िरा। सुनन अबू दाऊद की तैयारी के फ़न्नी मराहिल कम्पोज़ींग, डिज़ाईन वग़ैरह में मुहम्मद आमिर रिज़वान, इख़्लासे हक़ साजिद, शैख़ मुहम्मद याक़ूब और अब्दुल जब्बार ग़ाज़ी ने इसे ख़ूब से ख़ूब तर बनाने में भरपूर मेहनत की है। अल्लाह तआला इन तमाम अहबाब की कोशिशों को क़बूल फ़रमाये। आमीन! या रब्बल आलमीन!

इन तमाम अहबाब की दिन–रात मेहनत के बाइस सुनन अबी दाऊद का ये तर्जुमा इन्शाअल्लाह अलअज़ीज़ उर्दू ख़्वां हज़रात, उलमा–ए–दीन, क़ानून दानों, उस्ताद, तल्बा और आम्मतुल मुस्लमीन में क़बूलियत हासिल करेगा। इस सिलसिले में बिरादर अज़ीज़ हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम असद ने जिस मुसल्सल मेहनत और इस मन्सूबे के लिए जिस इन्हिमाक और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया है, अल्लाह तआला उन्हें इसका अज्रे जज़ील अता फ़रमाये। क़ारेईने मोहतरम से दरख़्वास्त है कि वह कुतूबे सित्ता के बक़िया जारी शुदा मन्सूबे के लिए दुआ फ़रमायें कि अल्लाह तआला अपनी तौफ़ीक़े ख़ास से इसे जल्द अज़ जल्द मुकम्मल करने की हिम्मत अता फ़रमाये। आमीन! या रब्बल आलमीन!

ख़ादिमुल किताब व सुन्नत
अब्दुल मालिक मुजाहिद
दारूस्सलाम, रियाज़

अर्ज़े मुतर्जिम

क़ुर्आन मजीद फ़ुरक़ाने हमीद अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की आख़री किताब और दीने इस्लाम की बुनियाद है। हदीसे़ नबवी इसकी शरह व तफ़्सीर और बयान है। इसका पढ़ना फ़र्ज़े किफ़ाया और इन्तेहाई सआ़दत और बरकत का काम है। यही वजह है कि अहादीसे़ नबविया की मोहब्बत और उनके हिफ़्ज़ व ज़ब्त का शौक़, दर्स, तदरीस और इशाअ़त का एहतिमाम उम्मते मुस्लिमा के अन्दर रोज़े अव्वल से मौज्ज़न रहा है। और ये एक न ख़त्म होने वाला जज़्बा है जो इस्लाम के दीने फ़ितरत होने और इसकी हक़्क़ानियत की ज़बरदस्त दलील है। अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की हिकमते अजीबा है कि हर हर दौर में इन्तेहाई क़ाबिले ऐतमाद, मक़बूल ख़लाइक़ और नाबग़ा–ए–रोज़गार क़िस्म के उ़लमा और शख़्सि़यात पैदा होती रही हैं जिन्होंने दीन की दावत व तब्लीग़ और शरियते इस्लामिया की निगेहबानी के लिए हिफ़ाज़ते हदीस़ के मुश्किल तरीन अ़मल को अपने जीते जी एक महबूब तरीन दिल पसन्द मशग़ला बनाये रखा। दुनिया–ए–दूं की कोई कशिश, सफ़र व हज़र की कोई मशक़्क़त और अपने पराये की कोई उल्फ़त उन्हें अपने इस महबूब मशग़ले से बाज़ न रख सकी। तकब्बलल्लाहु जुहू दहुम व जज़ाहुम अ़निल इस्लाम वलमुस्लिमीन ख़ैरल जज़ा!

स़हाबा–ए–किराम (ﷺ) के अ़हदे ज़र्री के बाद दौरे ताबेईन, तबे ताबेईन और अइम्मा इ़ज़ाम से लेकर अब तक ये इल्म बतौर एक फ़न इन्तेहाई तरोताज़ा और शादाब है, दुनिया का कोई गोशा ऐसे अफ़राद से ख़ाली नहीं रहा है जहाँ इस इल्मे नबूवत की आबयारी न हो रही हो। कम या ज़्यादा, हर जगह ऐसे लोग मौजूद हैं और हदीस़ का डंका बजा रहे हैं। अल्लाह करीम उनकी कोशिशें क़बूल फ़रमाये।

इन सआ़दतमंदों में इदारा–ए–दारूस्सलाम के कारपरदाज़ान बिलख़ुसूस इसके मुदीरे मोहतरम जनाब अ़ब्दुल मालिक मुजाहिद स़ाहिब (..) की फ़िकरी व अ़मली जोलानगाह इन्तेहाई मुबारक और क़ाबिले दाद है कि इशाअ़ते इस्लाम के लिए अपनी तमाम तर मसाई बरूएकार ला रहे हैं। क़ुर्आने मजीद, कुतूबे सित्ता और दीगर दवावीने हदीस़ के मतनों व तराजिम बनी नोअ इंसान तक पहुँचाने का अ़ज़्म किये हूए हैं और बड़ी हद तक इसे अ़मली जामा पहना रहे हैं। अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल क़बूल फ़रमाये, इस्तेक़ामत दे और नज़रे बद से महफ़ूज़ रखे।

'सुनन अबू दाऊद' शरीयते इस्लामी और अहादीसे़ नबविया का वह अ़ज़ीमुश्शान दीवान है जिसे उम्मते मुस्लिमा के उ़लमा व अ़वाम में इन्तेहाई क़द्र की निगाह से देखा जाता है। इसमें फ़ुक़हा– ए–उम्मत

और मुफ़्तियाने शरअ़ मतीन के लिए वह तमाम हदीसी दलाइल जमा कर दिये गये हैं जो फ़ुक़हा–ए–इस्लाम ने इख़्तियार किये हैं और उनके मुस्तदल रहे हैं। ज़रूरत थी कि इस अ़ज़ीम किताब का एक उ़म्दा और आसान तर्जुमा मअ़ फ़वाइद व मसाइल एक नये क़ालिब में उर्दू ख़्वां तबक़ा के सामने पेश किया जाये जो उनकी रूहानी ग़िज़ा का काम दे। इससे पहले मौलाना नवाब वहीदुज ज़मान ख़ान साहिब (रह.) का तर्जुमा जो एक अ़र्से से मुतदाविल और मारूफ़ चला आ रहा है, अपनी ज़बान की क़दामत की बिना पर कुछ तबीयतों के लिए गिरां और नामानूस महसूस किया जाता था और नवाब साहिब मरहूम ने फ़वाइदे हदीस भी ख़ास ख़ास मक़ामात ही पर दर्ज फ़रमाये थे।

चुनांचे इस ग़र्ज़ के लिए अहबाबे इदारा बिलख़ुसूस हाफ़िज़ अ़ब्दुल अ़ज़ीम असद साहिब (..) और इनके रूफ़क़ा–ए–किराम ने राक़िम उ़मर फ़ारूक़ अस्सईदी से मुलाक़ात करके इस कारे ख़ैर में हिस्सा लेने की दावत दी, जो मैंने अपनी सआ़दत जानते हूए क़बूल कर ली। ये काम महज़ सआ़दत ही नहीं बल्कि इन्तेहाई भारी बोझ और बड़ी सख़्त ज़िम्मेदारी का था जिसे रहमतुल बारी के बाद उन मुख़्लिसीन की हौसला अफ़ज़ाई और दुआओं के तुफ़ैल किसी क़द्र अदा करने के क़ाबिल हूआ हूँ ... गर क़बूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शर्फ़!

इस अ़मल में बुनियादी नुकात ये थे कि (1) तर्जुमा सलीस हो। और अ़रबी मतन के क़रीबतर हो। (2) सही अहादीस के आख़िर में इख़्तिसार से फ़वाइद व मसाइल की निशानदेही की जाये। (3) और फ़िक़ही क़ील व क़ाल से बचते हूए बराहे रास्त इरशादाते नबविया से सैराब व मुस्तफीद होने में अपने क़ारेईन की मदद की जाये ... चुनांचे ये 'बज़ाअ़ते मुज़जात' (हक़ीर सी पूँजी) पेशे ख़िदमत है, इसमें जो ख़ैर व ख़ूबी है वह सरासर अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का फ़ज़ल व करम है और फिर अपने फ़ाज़िले अजिल्ला असातिज़ा किराम की तफ़हीमात हैं और अपने सल्फ़ सालेहीन की ख़ोशा चीनी। और जो ख़ता व क़सूर है मैं ही उसका ज़िम्मेदार हूँ। अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल हर क़िस्म की कज फ़िक्री या ग़लत कयशी से हमेशा महफ़ूज़ रखे। अहले नज़र अगर किसी ख़ता व ज़लल से आगाह हों तो मुत्तलअ़ फ़रमा कर शुक्रिया का मौक़ा दें ताकि इस्लाह कर ली जाये।

मैं 'दारूस्सलाम' के इदारा–ए–तहक़ीक़ात और बिरादराने मुराजेईन का इन्तेहाई शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे बयाज़ात को इन्तेहाई ख़ूबी व कमाल से पुर किया है और कमज़ोरीयों की इस्लाह कर दी है। जज़ाहुमल्लाहु ख़यरा वअहसनल जज़ा!

तर्जुमा व फ़वाइद के मराजेअ़: ये इल्म सरासर इल्मे मनक़ूल है। इसमें इज्तेहाद व सनअ़त का कहीं कोई दख़ल नहीं, सिवाए इसके कि अल्फ़ाज़ व तराकीब और तर्तीबे मज़ामीन में कोई नयापन हो या फिर मुख़्तलिफ़ुल अहादीस में जमा व तत्बीक़ या तर्जीह की कोई नई सूरत अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल किसी के दिल

में डाल दे और फिर ये सब बातें भी हमारे सल्फ़ (रह.) की तुरास़ में मौजूद हैं। इस विरास़त का मुताला कर लेना और इसे समझ लेना और हज़म कर लेना ही बड़ी बात है। बहरहाल इस काम में दर्ज ज़ेल अहम मराज़ेअ मेरे पेशे नज़र रहे हैं और अपने अ़ज़ीज़ तलबा को भी इन्हें मर्कज़े तवज्जा बनाने की नस़ीहत करता हूँ:

(1) तर्जुमा कुर्आन मजीद मअ तफ़्सीर अहसनुल बयान (2) औ़नूल माबूद (3) बज़्लुल मज्हूद (4) मआलिमुस सुनन (5) सबीलुल इस्लाम (6) सुबुलुस्सलाम तैसीरूलअ़ल्लाम (7) अत्तालीकातुस–सलफिया अलन्नसाई (8) मिरआत अलमफ़ातीह (9) फ़तावा इब्ने तैमिया (10) ज़ादुलमआद इब्ने अल क़य्यिम (11) फ़िक़्हुस्सुन्ना (सय्यद साबिक़), मोहद्दिसे अस्र अ़ल्लमा मुहम्मद नास़िरूद्दीन अल्बानी (रह.) की तालीफ़ात बिलख़ुसूस़ (12) स़ही सुनन अबी दाऊद (13) ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद और (14) मिस्बाहुल लुग़ात। मुतर्जिमे अव्वल जनाब अ़ल्लामा नवाब वहीदुज़ ज़मान ख़ान (रह.) की उम्दा ताबीरात और मज़ामीन के इक़्तेबासात भी हस्बे मौक़ा दर्ज किये गये हैं।

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल हमारे सल्फ़ स़ालेहीन और असातिज़–ए–किराम को आ़ला–ए इल्लिय्यीन में बलन्द तरीन मक़ाम दे कि उनके फ़ज़ाइल व ख़ैरात से ख़ोशा चीनी करके ही हम कुछ बयान करने या लिखने के क़ाबिल होते हैं। (रह.)

ग़र्ज़ नक़्शे सत कज़ मा याद मानद!

कि हस्ती रा नमी बीनम बक़ाये!!

मगर स़ाहिबदिले रोज़े बरहमत!

कुनद दर हक़ ईं मिस्कीं दुआएँ!!

रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अन्तस्समीउल अ़लीम व तुब अ़लयना इन्नका अन्तत्तव्वाबुर्रहीम.व स़ल्लल्लाहु अ़लन नबी मुहम्मद व अ़ला आलिही व स़हबिही अज्मईन!

नाचीज़ तालिबे इल्म :

अबू अ़म्मार उ़मर फ़ारूक़ अस्सईदी

नज़ील जामिआ़ अबी बक्र अल इस्लामिया

शअ़बान 1426 हि./सितम्बर 2005

मुक़द्दमा

कुर्आन करीम और हदीसे रसूल दोनों शरीयत के बुनियादी माख़ज़ और हुज्जत हैं

अदिल्ला शरीया और मसादिरे शरीयत के तज़किरे में कुर्आन करीम के बाद हदीसे रसूल का नम्बर आता है, यानी कुर्आन करीम के बाद शरीयते इस्लामिया का ये दूसरा माख़ज़ है। हदीस का इतलाक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के अक़्वाल अफ़्आल और तक़रीरात पर होता है तकरीर से मुराद ऐसे मामलात हैं जो रसूल (ﷺ) की मौजूदगी में किये गये लेकिन आपने उस पर कोई नकीर नहीं फ़रमाई बल्कि ख़ामोश रह कर उस पर अपनी पसन्दीदगी का इज़हार फ़रमा दिया। इन तीनों क़िस्म के उलूमे नबूवत के लिए बिलउमूम चार अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये गये हैं। (1) ख़बर (2) असर (3) हदीस (4) सुन्नत।

ख़बर : वैसे तो हर वाक़िये की इत्तेला और हिकायत को ख़बर कहा जाता है, मगर नबी (ﷺ) के इरशादात के लिए भी अइम्मा किराम और मोहद्दिसीने इज़ाम ने इसका इस्तेमाल किया है और उस वक़्त ये लफ़्ज़ हदीस के मुतरादिफ़ और अख़बारूर रसूल के हम मानी होगा।

असर : किसी चीज़ के बक़िया और निशान को असर कहते हैं, और नक़ल को भी असर कहा जाता है। इसलिए सहाबा व ताबेईन से मनक़ूल मसाइल को आसार कहा जाता है। यही वजह है कि जब आसार का लफ़्ज़ मुतलक़न बोला जायेगा तो उससे मुराद आसारे सहाबा ही होंगे। लेकिन जब इसकी इज़ाफ़त, अर्रसूल, की तरफ़ होगी यानी 'आसारे रसूल' कहा जायेगा तो अख़बारूर रसूल की तरह आसारूर रसूल भी अहादीसुर रसूल ही के हम मानी होगा।

हदीस : इसके मानी गुफ़्तगू के हैं और इससे मुराद वह गुफ़्तगू और इरशादात हैं जो रसूलुल्लाह(ﷺ) की ज़बाने मुबारक से निकले।

सुन्नत : आदत और तरीक़े को सुन्नत कहते हैं और इससे मुराद आदात व अतवारे रसूल (ﷺ) हैं, इसलिए जब सुन्नते नबवी या सुन्नते रसूल कहेंगे तो इससे मुराद नबी (ﷺ) ही के आदात व अतवार होंगे।

अव्वलुज़्ज़िक्र दो लफ़्ज़ों (ख़बर और असर) के मुक़ाबले में सानी अज़्ज़िक्र अल्फ़ाज़ (हदीस और सुन्नत) का इस्तेमाल उलूमे नबूवत के लिए आम है और इसमें इतना ख़ुसूस पैदा हो गया है कि जब भी हदीस या सुन्नत का लफ़्ज़ बोला जाता है तो उससे मुराद नबी (ﷺ) के अक़्वाल व आमाल और तक़रीरात

ही मुराद होते हैं। इस मफ़हूम के अलावा किसी और तरफ़ ज़हन मुन्तक़िल ही नहीं होता। अगरचे कुछ लोगों ने हदीस़ और सुन्नत के मफ़हूम में भी फ़र्क़ किया है कि सुन्नत से मुराद रसूलुल्लाह (ﷺ) के आमाल व आदात हैं और हदीस़ से मुराद अक़वाल। और कुछ लोगों ने इससे भी तजावुज़ करके ये कहा कि आप के आमाल व आदात अरब के माहौल के पैदावार थीं इसलिए उनका इत्तेबा ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ आपके अक़वाल क़ाबिले इत्तेबा हैं। इस तरह कुछ लोगों ने इसके बरअक्स ये कहा कि आपके अक़वाल पर अमल ज़रूरी नहीं, जिसे वह हदीस़ से ताबीर करते हैं। ताहम आपके आमाले मुस्तमिर्रा (दायमी आमाल) क़ाबिले अमल हैं, इसे वह सुन्नत कहते हैं। लेकिन ये सब बातें स़ही नहीं। मोहद्दिस़ीन ने सुन्नत और हदीस़ के मफ़हूम के दरम्यान कोई फ़र्क़ नहीं किया है। वह सुन्नत और हदीस़ दोनों को मुतरादिफ़ और हम मानी समझते हैं। इस तरह सुन्नत से सिर्फ़ आदात व अतवार मुराद लेकर उनकी शरई हुज्जियत से इंकार भी ग़लत है और इंकारे हदीस़ का एक चोर दरवाज़ा। और इसी तरह सिर्फ़ आमाले मुस्तमिर्रा को क़ाबिले अमल कहना, अहादीस़ के एक बहुत बड़े ज़ख़ीरे का इंकार है और मुन्किरीने हदीस़ की ब'अन्दाज़े दीगर हम नवाई।

बहरहाल हदीस़ और सुन्नत, रसूलुल्लाह (ﷺ) के अक़वाल, अफ़आल और तक़रीरात को कहा जाता है और ये भी क़ुर्आन करीम की तरह दीन का माख़ज़, शरीयत का मस्दर और मुस्तक़िल बिज़्ज़ात क़ाबिले इस्तेनाद है। चुनांचे इमाम शौकानी (रह.) फ़रमाते हैं: 'मालूम होना चाहिए कि अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि सुन्नते मुतह्हरा तशरीअ़े अहकाम में मुस्तक़िल हैस़ियत की हामिल है और किसी चीज़ को हलाल क़रार देने या हराम करने में इसका दर्जा क़ुर्आन करीम ही की तरह है।'

फिर आगे चल कर लिखते हैं:

'सुन्नते मुतह्हरा की हुज्जियत का स़बूत और तशरीअ़े अहकाम में इसकी मुस्तक़िल हैस़ियत एक अहम दीनी ज़रूरत है और इसका मुख़ालिफ़ वही शख़्स़ है जिसका दीने इस्लाम में कोई हिस्स़ा नहीं।'

सुन्नत का मुस्तक़िल हुज्जते शरई होने का मतलब ये है कि नबी (ﷺ) की स़ही हदीस़ से जो हुक्म स़ाबित हो, वह मुसलमान के लिए क़ाबिले इताअ़त हैं, चाहे उसकी स़राहत क़ुर्आन में हो या न हो। आपके सिर्फ़ वही फ़रमूदात क़ाबिले इताअ़त नहीं होंगे जिनकी स़राहत क़ुर्आन करीम में आ गई है, जैसे कि गुमराह फ़िर्क़ों ने कहा है और इसके लिए एक हदीस़ भी घड़ ली कि 'मेरी बात को क़ुर्आन पर पेश करो, जो उसके मुवाफ़िक़ हो उसे क़बूल कर लो और जो उसके मुख़ालिफ़ हो उसे रद्द कर दो।' (इमाम शौकानी (रह.) लिखते हैं: 'इमाम यहया बिन मईन कहते हैं कि क़ुर्आन पर हदीस़ को पेश करने वाली रिवायत मौज़ूअ है जिसे बे'दीनों ने घड़ा है।' (इरशाद अलफ़हूल, स़फ़ा: 33) बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के हर फ़रमान पर अमल करना ज़रूरी है बशर्ते कि वह स़ही सनद से स़ाबित हो।

इसलिए किसी भी हदीस़े रसूल को ज़ाहिर क़ुर्आन के ख़िलाफ़ बावर कराके उसे रद्द करना अहले इस्लाम का शेवा नहीं। ये तरीक़ा सिर्फ़ अहले ज़ैग़ और अहले अहवा का है जिन्होंने मुवाफ़िक़ते क़ुर्आन के

ख़ूश नुमा उनवान से बे'शुमार अहादीसे रसूल को ठुकरा दिया। चुनांचे इमाम इब्ने अब्दुलबर (अलमुतवफ़्फ़ा 463 हिजरी) लिखते हैं: 'अल्लाह तआला ने अपने नबी की इताअत का मुतलक़न हुक्म फ़रमाया है और इसे किसी चीज़ से मुक़य्यद (मशरूत) नहीं किया है और अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि नबी (ﷺ) की बात तुम उस वक़्त मानो जब वह अल्लाह की किताब के मुवाफ़िक़ हो, जिस तरह कि कुछ अहले ज़ैग़ कहते हैं।'

और इमाम शाफ़ेई (रह.) फ़रमाते हैं: यानी 'क़बूलियते हदीस को मुवाफ़िक़ते क़ुर्आन से मशरूत करना जहालत (क़ुर्आन व हदीस से बे'ख़बरी) है।' और इमाम इब्ने अलक़य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं: यानी 'हदीसी अहकाम की तीन सूरतें हैं: **(1)** एक तो वह जो तमाम तरीकों से क़ुर्आन के मुवाफ़िक़ हैं। **(2)** दूसरे, वह जो क़ुर्आन की तफ़्सीर और बयान की हैसियत रखते हैं। **(3)** तीसरे, वह जिनसे किसी चीज़ का वजूब या उसकी हुरमत साबित होती है हालांकि क़ुर्आन में इसके वजूब या हुरमत की सराहत नहीं।

अहादीस की ये तीनों क़िस्में क़ुर्आन से मुआरिज़ नहीं है। जो हदीसी अहकाम ज़ाइद अलल क़ुर्आन हैं, वह नबी (ﷺ) की तशरीई हैसियत को वाज़ेह करते हैं यानी उनकी तशरीअ व तक़नीन (क़ानून साज़ी) आप (ﷺ) की तरफ़ से हूई है जिसमें आपकी इताअत वाजिब और नाफ़रमानी हराम है। और इसे तक़दीम अला किताबिल्लाह भी नहीं कहा जा सकता बल्कि ये अल्लाह के उस हुक्म की फ़रमांबरदारी है जिसमें उसने अपने नबी (ﷺ) की इताअत का हुक्म दिया है। अगर इस (तीसरी) क़िस्म में नबी-ए-करीम (ﷺ) की इताअत न की जाये और ये कहा जाये कि आपकी इताअत सिर्फ़ उन्हीं बातों में की जायेगी जो क़ुर्आन के मुवाफ़िक़ होंगी तो आपकी इताअत का हुक्म बेमानी होकर रह जाता है और आपकी वह ख़ास इताअत ही साक़ित हो जाती है जिसका हुक्म अल्लाह तआला ने दिया है। (मय्युतीईरसूल फ़क़द अताअल्लाह).

हदीस की इस तीसरी क़िस्म (ज़ायद अलल क़ुर्आन) ही की बाबत नबी (ﷺ) ने भी अपनी उम्मत को तन्बीही अन्दाज़ में फ़रमाया था: 'ख़बरदार, मुझे क़ुर्आन भी अता किया गया है और इसकी मिस्ल (यानी सुन्नत) भी।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4604, मुसनद अहमद: 4/131)

और आपका यही वह मन्सब है जो क़ुर्आन करीम की इस आयत में बयान फ़रमाया गया है: **'ऐ पैगम्बर! हमने आपकी तरफ़ क़ुर्आन इसलिए उतारा है ताकि आप लोगों को इसकी तशरीह व तबईन करके बतलायें।'**

चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने इस मन्सब के मुताबिक़ तौज़ीह व तशरीह की और इसके इज्मालात की तफ़्सील बयान फ़रमाई, जैसे नमाज़ की तादाद और रकआत, इसके औक़ात और नमाज़ की वज़अ व हैयत, ज़कात का निसाब, इसकी शरह, इसकी अदायगी का वक़्त और दीगर तफ़्सीलात। क़ुर्आन करीम के बयान करदा इज्मालात की ये तफ़्सीर व तौज़ीहे नबवी उम्मते मुस्लिमा में हुज्जत समझी गई और क़ुर्आन करीम की तरह इसे वाजिबुल इताअत तस्लीम किया गया। यही वजह है कि नमाज़ व

ज़कात की ये शक्लें अहदे नबवी से आज तक मुसल्लम व मुतवातिर चली आ रही हैं। इसमें किसी ने इख़्तिलाफ़ नहीं किया।

कुर्आन करीम के इज्माल की तफ़्सील व तफ़्सीर जिस तरह नबी (ﷺ) का मन्सब है, बिल्कुल उसी तरह उमूमाते कुर्आनी की तख़्सीस और इतलाक़ात (मुतलक़) की तक़ईद भी तबईने कुर्आनी का एक हिस्सा है और कुर्आन के उमूम व इतलाक़ की आपने तख़्सीस व तक़ईद भी फ़रमाई है। और इसे भी उम्मते मुस्लिमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर क़बूल किया है, इसे ज़ायद अलल कुर्आन कह कर रद्द नहीं किया जा सकता, जैसा कि आजकल कुछ गुमराह अज़हान इस तरह का मुज़ाहिरा कर रहे हैं।

हदीसे रसूल के मुताल्लिक़ मुआनेदीन का ताज्जुब अंगेज़ रवैया

इस्लाम की इब्तेदाई दो सदीयों के बाद मोतज़ला ने कुछ अहादीस का इंकार किया, लेकिन इससे इनका मक़सूद अपने गुमराह कुन अक़ाइद का साबित करना था, इसी तरह गुज़िश्ता एक डेढ सदी पहले नेचर परस्तों ने अहादीस की हुज्जते शरिया में मीन–मेख निकाली, इससे भी उनका मक़सूद अपनी नेचर परस्ती का इस्बात और मोजिज़ाते कुर्आनी की मन मानी तावीलात था। नेचर परस्तों का यही गिरोह अब मुस्तशरेक़ीन की 'तहक़ीक़ाते नादिरा' से मुतास्सिर, साहिराने मग़रिब के अफ़्सूँ से मसहूर और शाहिदे तहज़ीब की उस्वा तराज़ीयों से मरऊब होकर एक मुनज़्ज़म तरीक़े से क़ौमे रसूले हाशमी को उनकी तहज़ीब व मुआशरत से महरूम करना और इस्लामी अक़दार व रिवायात से बेगाना करके तहज़ीबे जदीद के साँचे में ढालना चाहता है। चुनांचे मग़रिबी नो मुस्लिम फ़ाज़िल अल्लामा मुहम्मद असद मरहूम लिखते हैं:

'आज जब कि इस्लामी ममालिक में मग़रिबी तहज़ीब का असर व नफ़ूज़ बहुत बढ़ चुका है हम उन लोगों के ताज्जुब अंगेज़ रवैये में, जिनको 'रोशन ख़्याल मुसलमान' कहा जाता है, एक और सबब पाते हैं। वह ये कहते हैं कि एक ही वक़्त में रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नतों पर अमल करना और ज़िन्दगी में मग़रिबी तहज़ीब को इख़्तियार करना नामुमकिन है। फिर मौजूदा मुसलमान नसल इसके लिए तैयार है कि हर मग़रिबी चीज़ को इज़्ज़त की निगाह से देखे और बाहर से आने वाले हर तमद्दुन की इसलिए परस्तिश करें कि वह बाहर से आया है और ताक़तवर और चमकदार है। माद्दी ऐतबार से ये अफ़रंग परस्ती ही इस बात का सबसे बड़ा सबब है कि आज अहादीसे रसूलुल्लाह (ﷺ) और सुन्नत का पूरा निज़ाम रिवाज नहीं पा रहा है। सुन्नते नबवी इन तमाम सियासी अफ़कार की खुली और सख़्त तर वईद करती है जिन पर मग़रिबी तमद्दुन की इमारत खड़ी है।

इसलिए वह लोग जिनकी निगाहों को मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन ख़ीरा कर चुका है, वह इस मुश्किल से अपने को इस तरह निकालते हैं कि हदीस व सुन्नत का बिलकुल्लिया ये कह कर इंकार कर दें कि सुन्नते नबवी का इत्तेबा मुसलमानों पर ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद उन अहादीस पर है जो क़ाबिले ऐतबार नहीं हैं और इस मुख़्तसर अदालती फ़ैसले के बाद कुर्आन करीम की तालीमात की तहरीफ़

करना और मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन की रू से उन्हें हमआहन्ग करना बहुत आसान हो जाता है।' (इस्लाम एट दी करास रोड्ज़, बहवाला, 'इस्लामी मिज़ाज व माहौल की तशकील व हिफ़ाज़त में हदीस़ का बुनियादी किरदार' स़फ़ा: 42, तबअ़ हिन्द, लखनऊ)

यही अ़ल्लामा मुहम्मद असद, सुन्नत की अहमियत बयान करते हूए लिखते हैं:

'सुन्नते नबवी (ﷺ) ही वह बेहद मज़बूत ढाँचा है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है। अगर आप सीधी इमारत का ढाँचा हटा दें तो क्या आपको उस पर ताज्जुब होगा कि इमारत इस तरह टूट जाये जिस तरह काग़ज़ का घरौंदा।' 'ये आ़ला मक़ाम जो इस्लाम को इस हैसियत से हासिल है कि वह एक अख़्लाक़ी, अमली, इन्फ़ेरादी और इज्तेमाई निज़ाम है, इस तरीक़े से (यानी हदीस़ और इत्तेबा ए सुन्नत की ज़रूरत के इंकार से) टूट कर और बिख़र कर रह जायेगा।' (हवाला मज़कूर) ऐसे मुद्दइयाने इस्लाम की बाबत, जो इत्तेबा–ए–रसूल से गुरेज़ां और हुज्जिये अहादीस़ के मुन्किर हैं, अ़ल्लामा फ़रमाते हैं: 'ऐसे लोगों की मिस़ाल उस शख़्स की है जो किसी महल में दाख़िल होने की कोशिश करता है लेकिन उस कुंजी को इस्तेमाल करना नहीं चाहता जिसके बग़ैर दरवाज़े का खुलना मुमकिन ही नहीं।' (इस्लाम एट दी करास रोड्ज़, बहवाला, मआ़रिफ़, आ़ज़मगढ, दिसम्बर 1934, स़फ़: 421)

चंद क़ाबिले ग़ौर व फ़िक्र पहलू

❶ अल्लाह का नाज़िल करदा दीन एक ही है और वह इस्लाम और सिर्फ़ इस्लाम है। (इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम) (आले इमरान: 3/19) (व मय्यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फलय्युक़्बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल ख़ास़िरीन) (आले इमरान: 3/85) इस दीन को अल्लाह तआ़ला ने या अल्लाह के रसूल ने 'मज़ाहिब' में तक़सीम नहीं फ़रमाया, बल्कि इस एक दीन ही को मिल कर मज़बूती से थामने का हुक्म दिया और जुदा जुदा होने से मना फ़रमाया है। (वअ़तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ़व वला तफ़र्रक़ू) (आले इमरान: 3/103) और अपने रसूल के ज़रिये से भी ऐलान करवाया। (व इन्ना हाज़ा स़िरातीमुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहुवला तत्तबिउस्सुबुला फ़तफ़तर्रक़ बिकुम अ़न सबीलीही) (अल अनआ़म: 6/153) 'ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसकी पैरवी करो, और कई रास्तों के पीछे मत लगो, वह तुम्हें इस सीधे रास्ते से पलटा देंगे।'

❷ क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआ़ला ने कई मक़ामात पर फ़िर्क़ाबन्दी से रोका है, जिसका मतलब फ़िर्क़ों और गिराहों में बट जाना है। इसके अ़लावा नबी (ﷺ) ने भी एक ही रास्ते पर चलने की तल्क़ीन फ़रमाई है और दूसरे तमाम रास्तों को ग़लत क़रार दिया है। इस ऐतबार से हक़ का रास्ता एक ही हो सकता है न कि कई। अक़्ल व नक़्ल के ऐतबार से कई रास्ते बैक वक़्त किस तरह 'हक़' हो सकते हैं। क़ुर्आन तो कहता है: (फ़माज़ा बअ़दल हक़्क़ि इल्लज़ ज़लालु) (यूनुस: 10/32) 'हक़ एक ही है, बाक़ी सब गुमराही।'

❸ ये दीने इस्लाम या सिराते मुस्तक़ीम क्या है? और कहाँ है? ये बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर मुश्तमिल है: एक क़ुर्आन मजीद और दूसरी हदीसे रसूल मक़बूल (ﷺ). अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तुम्हारे अन्दर दो चीज़ें छोड़ चला हूँ, तुम जब तक इन दोनों को थामे रहोगे, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरी, उसके नबी की सुन्नत।'

❹ ये दीन, साब्क़ा दीनों की तरह ग़ैर महफ़ूज़ नहीं रहा। लेकिन चूंकि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए यही दीन राहे निजात है, इसलिए अल्लाह तआला ने इसकी हिफ़ाज़त का भी ज़िम्मा लिया और फ़रमाया: 'हम ही ने इस 'अज़्ज़िक्र' को उतारा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं।'

(अज़्ज़िक्र) से मुराद क़ुर्आन मजीद है, जो महफ़ूज़ है, इसमें किसी क़िस्म का बदलाव नहीं हूआ है और न आइन्दा ही हो सकेगा। और चूंकि हदीसे रसूल के बग़ैर इसको समझना और इस पर अ़मल करना नामुमकिन था, इसलिए इसकी हिफ़ाज़त के मफ़हूम में हदीस की हिफ़ाज़त भी शामिल है। चुनांचे हदीस की हिफ़ाज़त के लिए अल्लाह तआला ने मोहद्दिस का गिरोह पैदा फ़रमाया जिसने बेमिसाल काविश व मेहनत से हदीस की हिफ़ाज़त का अ़ज़ीमुश्शान काम सरअंजाम दिया।

इसलिए इस दीन के माख़ज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ क़ुर्आने करीम और अहादीसे सहीहा हैं अलबत्ता इनको समझने के लिए सहाबा–ए–किराम के मन्हज और सल्फ़ सालेहीन की ताबीर व तशरीह से इस्तेफ़ादा ज़रूरी है।

❺ अइम्मा–ए–किराम में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनकी बात हरफ़े आख़िर है, बल्कि इसके बरअक्स उन्होंने ये कहा है कि उनसे भी ग़लती हो सकती है। इसलिए उन्होंने इस अम्र की भी ताकीद की है कि उनके क़ौल के मुक़ाबले में सही हदीस आ जाये, तो हमारी बात को छोड़ देना और हदीस पर अ़मल करना। इसके अ़लावा ख़ूद उनका भी कई बातों में रूजू साबित है। और कुछ मसाइल में उनके शागिर्दों की भी ये सराहत मौजूद है कि ये हदीस हमारे उस्ताद और इमाम के सामने नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसके बरअक्स राय इख़्तियार की, अगर उन्हें ये हदीस मिल जाती, तो वह यक़ीनन अपनी राय से रूजू कर लेते। अइम्मा के दौर में अहादीस की जमा व तदवीन और उनकी जाँच परख का वह काम नहीं हूआ था जो कुतूबे सित्ता और दीगर किताबों के मुअल्लिफ़ीन ने किया, चूंकि उनके सामने अहादीस के ये मजमूए नहीं थे, इसलिए वह तो अपनी इज्तेहादी ख़ता पर माज़ूर बल्कि माजूर ही होंगे। लेकिन अहादीसे सहीहा के मजमूए मुरत्तब व मुदव्वन हो जाने के बाद, हदीस के मुक़ाबले में, किसी फ़िक़ही राय पर इसरार करने का और मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ से हदीसों को मुस्तरद करने का क्या जवाज़ है?

❻ इन अइम्मा के शागिर्दाने रशीद ने बहुत से मसाइल में दलील की बुनियाद पर अपने अइम्मा और उस्ताद से इख़्तिलाफ़ किया है। और इस इख़्तिलाफ़ के बाइस किसी ने उन्हें क़ाबिले मज़म्मत नहीं गरदाना बल्कि ये इख़्तिलाफ़ उनकी हक़ गोई और इल्मी क़ाबिलीयत पर ही महमूल किया गया। चूनांचे

आज भी अगर दलीले शरई की बिना पर कोई आलिमे दीन अइम्मा–ए–किराम की कुछ रायों से इख़्तिलाफ़ करता है तो वह हक़ बजानिब है और उसके इस नुक़्त–ए–नज़र को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाना चाहिए।

चंद गुज़ारिशात सुनने अरबआ के हवाले से

सुनन अरबआ से मुराद सुनन अबू दाऊद, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन नसाई और सुनन इब्ने माजा हैं। बर्रे सग़ीर पाक व हिन्द में 'सिहाहे सित्ता' की इस्तेलाह मारूफ़ और ज़बान ज़द आम व ख़ास है। और इससे हदीस की छः किताबें मुराद होती हैं। चार मज़कूरा सुनन अरबआ और सही बुख़ारी व सही मुस्लिम। इन आख़री दो किताबों को अलग 'सहीहैन' कहा जाता है। इन आख़िरूज़ ज़िक्र दोनों किताबों की बाबत तो अहले सुन्नत के यहाँ ये बात मुसल्लमा है कि ये दोनों किताबें सही अहादीस के मजमूए हैं, इनमें कोई भी रिवायत सनद के ऐतबार से ज़ईफ़ नहीं है, इसलिए शाह वलीउल्लाह (रह.) ने इन दोनों किताबों की बाबत कहा है: 'सही बुख़ारी और सही मुस्लिम की बाबत मोहद्दिसीन का इत्तेफ़ाक़ है कि इनमें जितनी भी मुत्तसिल मरफ़ूअ अहादीस हैं, वह क़तई तौर पर सही हैं और वह अपने मुसन्निफ़ीन तक मुतवातिर हैं, नीज़ ये कि जो शख़्स भी इन दोनों (मजमूआ–ए–हदीस) की शान घटाता है, वह बिदअती है और मोमिन का रास्ता छोड़ कर किसी और रास्ते का पैरोकार है।' (हुज्जतुलल्लाहिल बालिग़ा: 1/134)

अलबत्ता सुनन अरबआ की बाबत सब तस्लीम करते हैं कि इनमें कुछ हिस्सा ज़ईफ़ अहादीस का भी है, उन्हें 'सहीहैन' के साथ मिलाकर जो 'सिहाहे सित्ता' (हदीस की छः सही किताबें) कहा जाता है, उसकी वजह इनमें सिहाह की तादाद का ज़्यादा होना और ज़ुआफ़ का कम होना है। गोया उन्हें ब'हैसियते मजमूई सही क़रार दिया गया है, न कि इस ऐतबार से कि वह सही बुख़ारी व सही मुस्लिम की तरह हर तरह से सही हैं। ताहम 'सिहाहे सित्ता' की इस्तेलाह से अवाम में ये तास्सुर ज़रूर फैला कि ये छः कि छः किताबें सही अहादीस के मजमूए हैं और उलमा से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहुत बड़ा तबक़ा भी, जो फ़न्ने नक़्दे हदीस और अस्माउर्रिजाल से बिलउमूम ना आश्ना है, किसी हदीस का सुनन अरबआ में से किसी के अन्दर होने को सेहत के लिए काफ़ी समझता है। बिलख़ुसूस बहस व जदाल में इस इस्तलाह से ख़ूब फ़ायदा उठाया जाता है, और इन किताबों का हवाला देकर उनकी ज़ईफ़ अहादीस को भी सही बावर कराया जाता है। इसके अलावा ख़ूद उलमा की अक्सरीयत के लिए भी ये मालूम करना कि उनमें सही कौन सी है और ज़ईफ़ कौन सी, निहायत मुश्किल अम्र था, क्योंकि उसूले हदीस और अस्माउर्रिजाल में दस्तरस के बग़ैर ये फ़ैसला किया ही नहीं जा सकता। और उलूमे हदीस में इस क़िस्म की महारत और उबूर रखने वाले उलमा निहायत कम होते हैं।

ये सूरते हाल अरसा–ए–दराज़ से यूँ ही चली आ रही थी कि इस दौर में मोहद्दिसे अस्र और अज़ीम मुहक़्क़िक़ अल्लामा शैख़ नसिरूद्दीन अल्बानी (रह.) (वफ़ात 1999) को अल्लाह तआला ने तजदीदी

शान के साथ अहादीस़ की तहक़ीक़ का मुहतरम बिश्शान काम करने की तौफ़ीक़ से नवाज़ा। शैख़ की मसाई हस्ना की बदौलत तहक़ीक़े हदीस़ का ये काम, जो मुअल्लिफ़ीने कुतूबे हदीस़ के बाद जुमूद या तसाहुल का शिकार चला आ रहा था, नये आहन्ग और नये अ़ज़्म के साथ शुरू हूआ। शैख़ अल्बानी (रह.) ने एक तरफ़ तो अपने तलामिज़ा की ऐसी टीम तैयार की जो शैख़ ही की तरह तहक़ीक़े हदीस़ के मोहद्दिसाना ज़ौक़ से बहरावर है, और दूसरी तरफ़ ख़ुद भी निहायत वसीअ़ पैमाने पर तहक़ीक़े हदीस़ का काम सरअंजाम दिया जिसकी मुख़्तसर तफ़्सील नीचे दर्ज है:

उनकी एक अ़ज़ीम ख़िदमते हदीस़ ये है कि उन्होंने सुनन अरबआ़ की अहादीस़ की तहक़ीक़ और छान फटक कर के ज़ईफ़ और सह़ी दोनों क़िस्म की रिवायात की निशानदेही कर दी जिससे इस बात की वज़ाहत हो गई कि इन चारों किताबों की हदीसें स़ही बुख़ारी व स़ही मुस्लिम की तरह, सारी की सारी, स़ही नहीं हैं। और किसी हदीस़ का महज़, सुनन में होना ही इसके मुस्तनद होने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि मोहद्दिसाना उसूल की रोशनी में उनकी स़ेहत व ज़ुअफ़ का फ़ैसला करना ज़रूरी है। शैख़ (रह.) ने फ़ैसला करके और दो दो हिस्सों में तक़सीम करके उ़लमा को आसानी मुहय्या फ़रमा दी। अब हर आ़लिम, जो तहक़ीक़े हदीस़ के फ़न से आशनाई या उसमें दर्क और तजुर्बा नहीं रखता (और अक्सरियत ऐसे ही उ़लमा की है) वह भी इनमें मौजूद रिवायात से आगाही हासिल कर सकता है कि कौन सी रिवायत स़ही है और कौन सी ज़ईफ़? इसके अ़लावा शैख़ अल्बानी (रह.) का ये मौक़िफ़ भी था कि 'सिहाहे सित्ता' की इस्तलाह क़ाबिले इस्लाह है' वह फ़रमाते थे कि बुख़ारी व मुस्लिम को स़हीहैन (हदीस़ के दो स़ही मजमूए) और बाक़ी चार किताबों को सुनने अरबआ़ कहा जाये और सिहाहे सित्ता की इस्तलाह तर्क कर दी जाये, ताकि लोग सुनन अरबआ़ को भी स़हीहैन की तरह स़ही अहादीस़ का मजमूआ न समझें। और इन सब को कुतूबे सित्ता से ताबीर किया जाये।

दारूस्सलाम का जज़्बा–ए–ख़िदमते हदीस़ और इसके लिए इदारे का शानदार किरदार : तम्हीदी गुज़ारिशात और शैख़ अल्बानी की ख़िदमात के तज़किरे के बाद ज़रूरी है कि 'दारूस्सलाम' के अरबाबे बस्त व कुशाद के जज़्बा–ए–ख़िदमते हदीस़ का ज़िक्र किया जाये, जिनमें बिरादरे अ़ज़ीज हाफ़िज़ अ़ब्दुल अ़ज़ीम असद जन्रल मैनेजर दारूस्सलाम और बिरादरे अ़ज़ीम मौलाना अ़ब्दुल मालिक मुजाहिद डायरेक्टर जन्रल दारूस्सलाम, अर्रियाज़, सबसे नुमायाँ हैं। दारूस्सलाम ने जब ये फ़ैसला किया कि कुतूबे सित्ता को उर्दू में अज़ सरे नो नये तराज़िम और फ़वाइद के साथ शाया किया जाये, क्योंकि मौलाना वहीदुल्लाह ज़मां (रह.) के तराज़िम की ज़बान की कुहन्गी की वजह से एक नये तर्जुमा की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही थी, तो साथ ही उनके ज़हन में ये भी आया कि तहक़ीक़े हदीस़ का जो ज़ौक़ आ़म हूआ है (जिसकी तफ़्सील गुज़िश्ता सफ़हात में बयान हूई) इसके पेशे नज़र सुनन अरबआ़ की अहादीस़ की तहक़ीक़ भी ज़रूरी है। इसके बग़ैर उनको उर्दू ज़बान में शाया करना इस ज़ौक़ की नफ़ी है, जब कि ज़रूरत

इस ज़ौक़ की नशू व नुमा और इसकी आबयारी करने की है। ये अगरचे निहायत कठिन काम था और इसके लिए कसीर वसाइल की ज़रूरत थी, जिसके लिए आम नाशेरीन तैयार नहीं होते, लेकिन दारूस्सलाम के पेशे नज़र चूंकि महज़ तिजारत नहीं थी, बल्कि मन्हजे मोहद्दिसीन के मुताबिक़ हदीस की ख़िदमत और अवाम की सही दीनी रहनुमाई थी, इसलिए उन्होंने दीनी नफ़ा नुक़सान से ऊपर उठकर महज़ रज़ा–ए इलाही की ख़ातिर ये फ़ैसला किया कि चाहे इस पर कितने ही वसाइल सर्फ़ हो जायें, लेकिन हम सुनन अरबआ को उनकी अहादीस की तहक़ीक़ के बग़ैर शाया नहीं करेंगे।

चुनांचे जहाँ कुतूबे सित्ता उर्दू तराजिम व फ़वाइद के लिए मुख़्तलिफ़ उलमा की ख़िदमात हासिल की गयीं, वहाँ सुनन अरबआ की अहादीस की तहक़ीक़ के लिए शैख़ ज़ुबैर अली ज़ई (हज़रे वाटक) की ख़िदमात हासिल की गयीं। शैख़ ज़ुबैर अली ज़ई अज़ीम मुहक़्क़िक़ीन, ख़िदमते हदीस के जज़्बे से बहरावर, तहक़ीक़े हदीस के ज़ौक़ से आशना और फ़न्ने अस्माउर्रिजाल के माहिर हैं। उलूमे हदीस पर भी इनकी नज़र गहरी है और फ़ुक़हा–ए–मोहद्दिसीन की तरह सही हदीस को ज़ईफ़ से अलग करने का जज़्बा भी रखते हैं और इस काम की अहलियत व सलाहियत भी। चुनांचे दारूस्सलाम की दरख़्वास्त पर मौलाना मौसूफ़ ने सुनने अरबआ की मुकम्मल तहक़ीक़ तख़रीज की है, जो इन्शाअल्लाह उर्दू एडीशन के अलावा अरबी और अंग्रेज़ी एडीशन में भी शामिल होगी। कुतूबे सित्ता के अरबी और इंगलिश एडीशन भी (मअ तख़रीज) दारूस्सलाम की तरफ़ से इन्शाअल्लाह अनक़रीब इशाअत पज़ीर होंगे। इस तहक़ीक़ व तख़रीज में शैख़ ज़ुबैर अली ज़ई ने हर हदीस पर अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक़ हुक्म लगाया है कि वह सही, हसन या ज़ईफ़ है। सही या हसन है तो उसकी तख़रीज की है यानी वह हदीस कुतूबे सित्ता में से किस किस कुतूब में है और कहाँ कहाँ है? कुछ जगह हस्बे ज़रूरत दूसरी हदीस की किताबों के हवाले भी हैं। और अगर रिवायत ज़ईफ़ है, तो मुख़्तसरन वजहे ज़ईफ़ भी बयान कर दी है, मसलन इसमें फ़लां रावी मुदल्लस है और उसने इसे अन के साथ बयान किया है। ऐसी हदीस मोहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ होती है, इल्ला ये कि तहदीस की सराहत मिल जाये, या मसलन इसमें फ़लां रावी ज़ईफ़ है, या आख़री उमर में वह सूए हिफ़्ज़ और इख़्तिलात का शिकार हो गया था, ऐसे रावीयों की बाद अल इख़्तिलात की रिवायत भी ज़ईफ़ होती हैं।

ये सारा फ़ैसला शैख़ मौसूफ़ ने मुकम्मल तौर पर अपनी तहक़ीक़ की बुनियाद पर किया है जिसमें मेहनत के अलावा अमानत व दयानत भी शामिल है और मोहद्दिसना तन्क़ीह व तहक़ीक़ में यही दो बुनियादी उन्सुर होते हैं, जिगर कावी व मेहनत और अमानत व दयानत। एक मोहद्दिस के अपने कोई ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, न कोई फ़िक़ही मस्लक और न किसी क़िस्म का हिज़्बी तास्सूब। मदारिसे दीनिया में शैख़ अलमोहद्दिस के मन्सब पर रोनक़ अफ़रोज़ उलमा–ए–किराम को भी यही ज़ैबा है कि वह हर क़िस्म के ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात या हिज़्बी तास्सुबात को बाला–ए–ताक़ रख कर मोहद्दिसाना शान से और इल्मी अमानत व दयानत के तक़ाज़ों को मल्हूज़ रखते हूए सुन्नते मुतहहरा की ख़िदमत फ़रमायें।

क़ारेईने किराम से एक गुज़ारिश

हमारे वह मोअ़ज़्ज़ज़ करम फ़रमा जिनकी नज़र से दारूस्सलाम की मतबूअ़े कुतूबे सित्ता (हदीस़ की छः किताबें, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा और स़ही बुख़ारी व स़ही मुस्लिम) गुज़रेंगी, हमारी उनसे गुज़ारिश है कि वह इन कुतूब को पढ़ते पढ़ाते वक़्त सबसे पहले अपनी नीयतों को ख़ालिस़ कर लें, यानी उनके दिल में ये नियत हो कि हमें नबी–ए–करीम (ﷺ) की एक एक हदीस़ के सामने सरे तस्लीम ख़म करना है और इसको दूसरों की राय के मुक़ाबले में तर्जीह देना है।

दूसरे, अल्लाह से स़ही रास्ते की रहनुमाई की दुआ करें, ये हम हर नमाज़ में पढ़ते भी हैं। (इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम) 'ऐ अल्लाह! हमें सीधा रास्ता दिखा' लेकिन तर्जुमा न जानने की वजह से इसका हमें स़ही मानों में एहसास व शऊर नहीं होता। आप दिल की गहराईयों से ये दुआ करें, और ख़ानदानी तौर पर या मख़्सूस माहौल के ज़ेरे अस़र आपने जिस मस्लक को अपनाया हूआ है, उस पर सन्तुष्ट न रहें और हिदायत की तलबे स़ादिक़ अपने दिल में पैदा करें और उसके पाने की दुआ भी करें।

तीसरे, ये कि अल्लाह ने आप को अ़क़्ल व फ़हम से नवाज़ा है, उसे आप जिस तरह अपनी दुनिया बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी इस्तेदआ है कि अपनी आख़िरत के संवारने के लिए भी इसे इस्तेमाल करें। आप दुनिया के उतने ही अस्बाब व वसाइल पर क़नाअत नहीं करते जो आपको अपने वालिदैन से विरस़े में मिलते हैं, बल्कि आप अपनी मेहनत और जद्दोजहद के ज़रिये से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इज़ाफ़ा करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया के लिए जो आरज़ी, फ़ानी और चंद रोज़ा है इसके लिए तो आप शब व रोज़ मस़रूफ़ रहें, ज़िन्दगी का एक एक लम्हा उसके लिए वक़्फ़ रखें, अपनी तमाम तवानाईयाँ इस पर स़र्फ़ करते रहें, आपकी दोस्तीयाँ और दुशमनीयाँ भी इसी मेहवर पर घुमें लेकिन आख़िरत की ज़िन्दगी, जो दाइमी है जिसे फ़ना और ज़वाल नहीं, उसकी बेहतरी और इस्लाह के लिए आपके पास न कोई वक़्त हो और न उसके लिए आप अपनी अ़क़्ल व फ़हम को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही महसूस करें बल्कि उन्हीं मज़हबी रिवायात पर अ़मल कर लेने को काफ़ी समझते रहें जो आपको अपने ख़ानदान या माहौल से विरस़े में मिलीं। ये अ़दल व इन्साफ़ नहीं है, अल्लाह की दी हूई नेमते अ़क़्ल व फ़हम का स़ही इस्तेमाल नहीं है, ये अपने नफ़्स पर और अपनी आल औलाद पर ज़ुल्म है। आप अपने आपको भी और अपनी आल औलाद को भी इस ख़ुसराने आख़िरत से बचाने की कोशिश करें जो स़िराते मुस्तक़ीम से इन्हराफ़ की सूरत में आपका मुक़द्दर बन सकता है। और इसका तरीक़ा वही है जो हमने गुज़िश्ता सुतूर (लाइनों) में बयान किया है।

हमारा तर्ज़े अमल और इन्दल्लाह बाज़पुर्स का एहसास : जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम भी मज़कूरा बातों से अलग नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल को गवाह बनाकर कहते हैं कि हमने हदीस़ की स़ेहत व ज़ुअफ़ का फ़ैस़ला करने में किसी हिज़्बी तास्सुब और जानिब दारी का मुज़ाहिरा नहीं किया है, अपने ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात को सामने नहीं रखा है और अपने ख़ानदान और माहौल के अस़रात को इस पर अस़र अन्दाज़ नहीं होने दिया है, बल्कि पूरी अमानत व दयानत से नक़्दो तहक़ीक़ के मोहद्दिस़ाना उस़ूल ही की रोशनी में अहादीस़ को जाँचा और परखा है और फिर उन्हीं मसाइल का इस्बात या उनकी अरजुहियत का फ़ैस़ला किया है जो अहादीस़े स़हीहा का इक़्तज़ा है। अहादीस़ को तोड़ मरोड़ कर उनकी बेमानी का तावील करना या स़ही हदीस़ को ज़ईफ़ और ज़ईफ़ हदीस़ को स़ही स़ाबित करने की कोशिश करना, या बिला दलील किसी हदीस़ को नासिख़ या मन्सूख़ क़रार देना, ये सब तरीक़े हमारे नज़दीक़ दजल व तल्बीस और कितमाने हक़ की फ़ेहरिस्त में आते हैं। हम इनसे अल्लाह की पनाह माँगते हैं और क़ारेईने किराम को भी पूरे ऐतमाद और इज़्आन से ये यक़ीन दिलाते हैं कि हमारा दामन उन तमाम चाबुक दस्तीयों से बिलकुल पाक हैं। मोहद्दिसाना उस़ूल के इन्तबाक़ में हमसे ग़लती हो सकती है, मालूमात में कमी या अ़दमे रसाई की वजह से ग़लती हो सकती है, फ़हम व इस्तेबात में हमसे ग़लती हो सकती है (और इन पर मुतन्नबा करने वालों के हम ममनून होंगे और इन्शाअल्लाह इन ग़लतीयों की इस्लाह कर दी जायेगी) लेकिन उन कोताहियों में अल्हम्दुलिल्लाह किसी क़िस्म की बद दयानती का उ़न्सुर शामिल नहीं है 'मस्लक पस मन्ज़र का दख़्ल नहीं है, किसी और जज़्बे और मफ़ाद की इसमें कारफ़रमाई नहीं है। वल्लाहु अ़ला मा नक़ूलु वकील!

चंद बातें तस़हीह व तबाअ़त के हवाले से

अब स़हीहैन और सुनने अरबआ़ के तर्जुमा व फ़वाइद, तस्हीह व नज़रे स़ानी और इशाअ़त के बारे में चंद गुज़ारिशात। जब दारूस्सलाम ने कुतूबे सित्ता के उर्दू तर्जुमे का प्रोग्राम बनाया, तो मुख़्तलिफ़ उ़लमा और शैख़ूल हदीस़ को एक एक किताब के तर्जुमा व फ़वाइद का काम दे दिया गया, चुनांचे उन्होंने अपना अपना काम मुकम्मल करके इदारे के सुपुर्द कर दिया। सिर्फ़ स़ही बुख़ारी के तर्जुमा व फ़वाइद का काम अभी जारी है, इसकी तकमील अब तक कई वुजूह से नहीं हो सकी। दूसरी किताबों के तबाअ़ती मराहिल की तकमील तक उम्मीद है कि इसके तर्जुमा व तहशिया का काम भी इन्शाअल्लाह मुकम्मल हो जायेगा।

इन तर्जुमा शुदा किताबों की कम्पोज़ींग, तर्जुमा व मतन का मुक़ाबला, फ़वाइद व तराजिम में तर्मीम व इस्लाह और इज़ाफ़ा और फिर प्रूफ़ रिडिंग, इसके अ़लावा सुनने अरबआ़ की हद तक तहक़ीक़ व तख़रीज की वजह से अहादीस़ की स़ेहत व ज़ोअफ़ की रोशनी में फ़वाइद में तब्दीली वग़ैरह, और इस तरह के दीगर बहुत से मामलात, जिनसे आ़म लोग तो बा'ख़बर नहीं हैं, लेकिन तबाअ़त की दुनिया से आगाही रखने वाले

इन मराहिल की मुश्किलात और दर्जा बदर्जा कठिनाईयों से बा'ख़बर हैं, बिलख़ुसूस जब मक़सद सिर्फ़ दौलत कमाना न हो, बल्कि असल मक़सद हर लिहाज़ से मेयारी कुतूब अवाम को फ़राहम करना हो, जैसा कि दारूस्सलाम का नस्बुल ऐन है, तो इस राह की दुश्वारीयों में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है।

दारूस्सलाम का ये अज़ीम मन्सूबा भी इन्हीं कठिन मराहिल से गुज़रा है और अभी गुज़र रहा है और इसकी तफ़्सील बहुत लम्बी भी है और सब्र आज़मा भी। अल्लाह तआला जज़ा–ए–ख़ैर दे मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद और हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम असद (रह.) को कि इन दोनों हज़रात ने कमाल सब्र व ज़ब्त का सबूत दिया और माली तआवुन में भी कोई दरेग़ नहीं किया। इनके मिसाली तआवुन और किताब व सुन्नत की इशाअत के जज़्बा बेपायां से अब इस मन्सूबे की तकमील का सरो सामान बहम होने लगा है। और सुनने अरबआ में से एक किताब सुनन अबू दाऊद तमाम मराहिल से गुज़र कर क़ारेईने किराम के हाथों में है।

हम इस तौफ़ीक़े इलाही पर बारगाहे इलाही में सज्दा रेज़ हैं कि जो कुछ भी हूआ है, उसके करम और तौफ़ीक़ ही से हूआ है और आइन्दा भी जो कुछ होगा, उसके करम ही से होगा।

हमारे हाथ अल्लाह की बारगाह में इस इल्तेजा के लिए फैले हूए हैं कि वह बक़िया पाँचों किताबों की भी जल्द अज़ जल्द तकमील की तौफ़ीक़ हमें इनायत फ़रमाये और रास्ते की तमाम मुश्किलात को हमारे लिए आसान फ़रमा दे। क़ारेईने किराम से भी ख़ुसूसी दुआ की दरख़्वास्त है।

चुनांचे इरशादे नबवी: 'जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने अल्लाह का शुक्र भी नहीं किया।' (तिर्मिज़ी, हदीस: 1955) की रोशनी में मज़कूरा दोनों अज़ीमुल क़द्र भाईयों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। वाक़िया ये है कि दोनों हज़रात सब्र व ज़ब्त और ईसार व कुर्बानी का ये अज़ीम मुज़ाहिरा न करते जो उन्होंने इस अज़ीम मन्सूबे के लिए किया है, तो ये काम बज़ाहिर निहायत मुश्किल था। ये अज़ीम काम अल्लाह तआला ने इन दोनों अज़ीम भाईयों के लिए मुक़द्दर कर रखा था जिसकी तौफ़ीक़ अल्लाह तआला ने एक सदी के बाद इनके नसीब में रख दी। बारकल्लाहु फ़ी उमरिहिमा व जुहुदिहिमा व तक़ब्बलल्लाहु मसाइयहुमा, आमीन!

- सुनन अबू दाऊद के इस तर्जुमे में, शैख़ ज़ुबैर अली ज़ई (रह.) की तख़रीज व तहक़ीक़ के अलावा इदारे के हस्बे ज़ेल रूफ़क़ा–ए–गिरामी ने तस्हीह व प्रूफ़ रिडिंग और तरमीम व इस्लाह के फ़राइज़ सरअंजाम दिये हैं।
- प्रोफ़ेसर मुहम्मद यहया साहिब जलालपूरी (..), जिन्होंने बतौर ख़ास किताबुज़्ज़कात क़िताबुल बुयूअ, किताबुल इजारह किताबुल अत्इमा, किताबुल अक़्जिया, किताबुत्तिब पर नज़रे सानी फ़रमाई और निहायत मुफ़ीद इज़ाफ़े फ़रमाये।

- मौलाना सलीमुल्लाह ज़मान और अबू अलहसन हाफ़िज़ अब्दुल ख़ालिक़ (..) दोनों ने बड़ी ज़िम्मेदारी और मेहनत से तख़रीज व तहक़ीक़ की नक़ीह व तन्क़ीह और प्रूफ़ रिडिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दिये।
- हाफ़िज़ मुहम्मद आसिफ़ इक़बाल और मौलाना अबू उबैदुल्लाह मुहम्मद अब्दुल जब्बार (..) दोनों ने बड़ी अर्क़ रेज़ी और मेहनत से तर्जुमा व मतन का मुक़ाबला करने के अलावा, बहुत से मुफ़ीद इज़ाफ़े भी किये और बड़ी जां फ़शानी से तस्हीह व प्रूफ़ रिडिंग का काम भी सरअंजाम दिया। फ़ज़ाहुमुल्लाह अहसनल जज़ा!

आख़िर में राक़िमुल हुरूफ़ ने पूरी किताब पर नज़र सानी करके और हस्बे ज़रूरत इस्लाह व तर्मीम और इज़ाफ़े करके इसको आख़री शक्ल दी है। अल्लाह तआला इस अज़ीम मन्सूबे के बक़िया हिस्सों की भी तकमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये और जल्द अज़ जल्द उन्हें भी मन्ज़रे आम पर लाने के असबाब व वसाइल मुहय्या फ़रमाये। वयरहमुल्लाह अब्दन क़ाल आमीना!

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़
शौबा–ए–तहक़ीक़ व तालीफ़ व तर्जुमा
दारूस्सलाम

मुक़द्दमतुत तहक़ीक़

सुनन अबू दाऊद तहक़ीक़ व तख़रीजे अहादीस़ का उस्लूब

इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु, व नुसल्ली अ़ला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद!

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मुझे 'सुनन अरबआ' (सुनन अबू दाऊद, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन नसाई और सुनन इब्ने माजा) की तहक़ीक़ व तख़रीज की तौफ़ीक़ बख़्शी वलहम्दुलिल्लाह! सुनन अरबआ में से सुनन अबू दाऊद को अव्वलीन हैसियत हासिल है। इस पर अ़रबी तालीक़ व तहक़ीक़ 'नैलूल मक़सूद फित्तालीक अला सुनन अबी दाऊद' की तकमील के बाद मैंने 'तल्ख़ीसु नैलिल मक़्सूद' के नाम से इसका ख़ुलास़ा तहक़ीक़ व तख़रीज मअ़ फ़वाइद लिखा। यही ख़ुलास़ा, मुतर्जिम अबू दाऊद में 'तख़रीज' के उ़नवान से शामिल है। (तल्ख़ीसु नैलिल मक़्सूद) में राक़िम अलहुरूफ़ के मन्हज व अ़मल को जानने के लिए दर्ज ज़ेल नुक़ात का जानना ज़रूरी है:

- सुनन अबू दाऊद में दो तरह की हदीसें हैं:

  ❶ जो स़हीहैन (स़ही बुख़ारी व स़ही मुस्लिम) या स़हीहैन में से किसी एक किताब में मौजूद हैं।
  ❷ जो स़ही बुख़ारी या स़ही मुस्लिम में मौजूद नहीं हैं।
  मेरी तहक़ीक़ में स़ही बुख़ारी व स़ही मुस्लिम की तमाम (मरफ़ूअ़ मुसनद) रिवायात स़ही हैं, जैसा कि उ़लमा–ए–उम्मत का भी इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है। दूसरी रिवयात पर मैंने स़ेहत व ज़ोअ़फ़ के लिहाज़ से हुक्म लगाया है। मस़लन देखिये हदीस़ नम्बर: 1 इस्नाद हसन और हदीस़ नम्बर: 3 इस्नाद ज़ईफ़।
- जिन रिवायात पर ज़ईफ़ का हुक्म लगाया गया है, वहाँ वजहे ज़ईफ़ भी मुख़्तस़रन बयान कर दी है, मस़लन देखिये हदीस़ नम्बर: 3 की सनद पर ज़ईफ़ का हुक्म लगाने के बाद लिखा है: (शैख़ लम आरिफ़) 'शैख़ रावी को मैंने नहीं पहचाना।'
- जिस रिवायत को हसन या स़ही क़रार दिया गया है अगर उसकी तस्हीह व तहसीन किसी दूसरे मोहद्दिस़ से स़ाबित है तो उसका हवाला दे दिया है, देखिये हदीस़ नबर: 1 (सनद हसन ... वक़ाल तिर्मिज़ी: हसन स़ही, स़ही इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 50, हाकिम, हदीस़: 1/140).
- सुनन अबू दाऊद की जो रिवायात स़हीहैन और दूसरी किताबों में मौजूद हैं उनकी तख़रीज में सिर्फ़

सहीहैन पर इकतफ़ा करते हूए आम तौर पर सहीहैन ही का हवाला दिया है, जैसे हदीस़ नम्बर: 58 व अख़रज मुस्लिम, हालांकि ये रिवायत सुनन नसाई (हदीस़: 1706) में भी मौजूद है। कई मक़ामात पर सहीहैन के साथ सुनन अरबआ के हवाले भी दिये गये हैं, मस़लन देखिये हदीस़ नम्बर: 7, अख़रजा मुस्लिम ... व रवाहु तिर्मिज़ी, हदीस़: 16, नसाई, हदीस़: 41, इब्ने माजा, हदीस़: 316. और देखिये हदीस़ नम्बर: 9, अखरजा बुख़ारी ... व मुस्लिम .... व रवाहु तिर्मिज़ी, हदीस़: 8, व नसाई, हदीस़: 20–22 व इब्ने माजा, हदीस़: 318.

- अख़रजलबुख़ारी, व अख़रजा मुस्लिम का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये रिवायत इस सनद के साथ मुख़्तसरन या मुतव्वलन सही बुख़ारी या सही मुस्लिम में मौजूद है। अस़ल मतन का मफ़हूम एक है, अल्फ़ाज़ में कमी बेशी और इख़्तिलाफ़ हो सकता है।
- अहले तहक़ीक़ के नज़दीक सही बुख़ारी को सही मुस्लिम पर तर्जीह हासिल है, लिहाज़ा तख़रीज में सही बुख़ारी को मुक़द्दम किया गया है। कुछ मक़ामात पर तख़रीज में सही मुस्लिम का ज़िक्र इसलिए पहले आया है कि उन रिवायात की सनद का ज़्यादा हिस्सा सही मुस्लिम में है। मस़लन देखिये हदीस़ नम्बर: 4, अख़रजा मुस्लिम मिन हदीसे हम्माद बिन ज़ैद ... वलबुख़ारी मिन हदीसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब) इसे दर्ज ज़ेल जदवल के साथ समझ लें।

अनस बिन मालिक (ﷺ)

|

अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब

|

अब्दुल वारिस़ | हम्माद बिन ज़ैद | (—)

इमाम अबू दाऊद | इमाम मुस्लिम | इमाम बुख़ारी

सनदे मज़कूर में इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद के ज़्यादा क़रीब हैं, लिहाज़ा उनका ज़िक्र मुक़द्दम किया गया है।

- कुछ फ़वाइदे हदीसीया, मस़लन तस़रीहे सिमाअ मुदल्लिस वग़ैरह की वजह से सिहाहे सित्ता से बाहर के हवाले भी दिये हैं, देखिये हदीस़ नम्बर: 18.
- इमाम अबू दाऊद जिन रावीयों से रिवायात लाये हैं अगर उनकी मतबूअ किताब में वह रिवायत

मिली है तो उसका हवाला दे दिया है। यानी सुनन अबू दाऊद के मसादिर की तख़रीज का भी इल्तेज़ाम किया है, मस़लन देखिये हदीस़ नम्बर: 13.

- सुनन अबू दाऊद की जो रिवायतें हदीस़ की किताबों में इमाम अबू दाऊद की सनद से मौजूद हैं उनकी तख़रीज 'नैलुल मक़सूद' में कर दी गई है और 'तलख़ीस़ नैनुल मक़सूद' में इन्दज ज़रूरत इन रिवायतों का हवाला दिया है, मस़लन देखिये हदीस़ नम्बर: 11, अख़रजा बैहक़ी (1/92) मिन हदीसे अबी दाऊद। इसका फ़ायदा ये है कि नुस्ख़ों का इख़्तिलाफ़ और सनद या मतन की कुछ अग़लात की तस्हीह हो जाती है।
- **मुदल्लिसीन के बारे में दो बातें मद्दे नज़र रहें :**

  ❶ जिन पर तदलीस का इल्ज़ाम बिल्कुल बातिल है, मस़लन: इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम, अबू क़लाबा अलजरमी, मकहूल अश्शामी, ज़ैद बिन असलम, जुबैर बिन नक़ीर, हम्माद बिन उसामा वग़ैरहुम, ये तमाम अइम्मा व् रूवात तब्क़ा–ए–ऊला के हैं। इनकी मअ़नअ़न (अन के लफ़्ज़ से बयान करदा) रिवायात, बग़ैर किसी क़रीना, स़ारिफ़ा के सिमाअ़ पर महमूल हैं।

  ❷ जिन पर तदलीस का इल्ज़ाम स़ाबित है, मस़लन: क़तादा, आमश, सुफ़ियान स़ौरी, अबू इस्हाक़ अस्सबीई वग़ैरहुम, उनकी ग़ैर स़हीहैन में मअनअ़न रिवायत, अ़दमे सिमाअ़ व अ़दमे मुताबिअ़त की सूरत में ज़ईफ़ होती है। इमाम शाफ़ेई (रह.) फ़रमाते हैं: यानी 'हम मुदल्लिस की सिर्फ़ वही हदीस़ क़बूल करते हैं जिसमें हद्दस़ना के अल्फ़ाज़ हों, या तस़रीहे सिमाअ़ (या मोतबर मुताबिअ़त) हो।' (किताबुर रिसाला, स़फ़ा: 38) तदलीस के बारे में इमाम शाफ़ेई (रह.) का ये क़ौल ही राजेह है।

  कुछ उ़लमा सुफ़ियान स़ौरी, सुफ़ियान बिन उ़यय्ना, आ़मश वग़ैरहुम की मअ़नअ़न रिवायात को स़ही और हसन बस़री, अबू अज़्ज़ुबैर व अबू इस्हाक़ वग़ैरहुम की मअ़नअ़न रिवायात को ज़ईफ़ कहते हैं। मेरे नज़दीक ये मन्हज स़ही नहीं है बल्कि मुदल्लिसीन के बारे में वाज़ेह और दो टूक मौक़िफ़ इख़्तियार करना चाहिए। तफ़्स़ील के लिए देखिये मेरा रिसाला 'अत्तासीस फ़ी मस्अलतित तदलीस'
- जिस रावी की तौस़ीक़ व तज़ईफ़ में मोहद्दिसीने किराम का इख़्तिलाफ़ है वहाँ अ़दमे तत्बीक और अ़दमे जमा बैनल अक़वाल की सूरत में राक़िमुल हुरूफ़ ने जुम्हूर मोहद्दिस़ीन को हर जगह तर्जीह दी है।
- अस्माउर्रिजाल के मुतसाहिल माहिरीन, मस़लन: इमाम तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान और हाकिम वग़ैरहुम का अगर किसी रावी की तौस़ीक़ पर तफ़र्रूद अलवाहिद है, तो ऐसे रावी को मस्तूर व

मजहूल क़रार दिया है, अगर तौसीक़ करने वाले दो हैं, मसलनः इमाम तिर्मिज़ी व इब्ने हिब्बान, तो मुवस्सक रावी को हसन अलहदीस व सदूक़ क़रार दिया है।

तम्बीह : कुछ उलमा इमाम अज्ली को मुतसाहिल समझते हैं, राक़िमुल हुरूफ़ के नज़दीक ये मौक़िफ़ सही नहीं है बल्कि इमाम अज्ली आम मोहद्दिसीन इमाम अहमद और इब्ने मईन वग़ैरहुम की तरह मुअतदिल हैं।

- रिवायत की तस्हीह व तहसीन इसके हर रावी की तौसीक़ होती है, मसलनः नाफ़े बिन महमूद अलमक़दिसी की हदीस को दारकुतनी और बैहक़ी ने हसन या सही क़रार दिया है, लिहाज़ा ये रावी दारकुतनी और बैहक़ी के नज़दीक सिक़ा है। नीज़ देखिये नस्बुर राया, 1/29, हदीसः 3007, ऐसे रावी को मजहूल या मस्तूर क़रार देना ग़लत है।
- तस्हीहे हदीस व तहसीन में शवाहिद व मुताबआत का भी ऐतबार किया गया है, लिहाज़ा कुछ रिवायात को शवाहिद व मुताबआत के साथ सही और हसन क़रार दिया गया है।
- इन मन्हजी उसूलों के बावजूद इंसान ख़ता का पुतला है। यहाँ मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि मेरी जिस तहक़ीक़ व तख़रीज में ख़ता साबित हूई तो मुझे रूजू करने में हेजीटेशन नहीं होगा। वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन!
- रावीयों पर जरह व तअदील में राक़िमुल हुरूफ़ ने अस्माउर्रिजाल की असल किताबों की तरफ़ रूजू और मुकमल तहक़ीक़ करके आदलुल अक़्वाल और राजेह क़ौल लिखा है, अगर किसी साबिक़ मोहद्दिस का हवाला बग़ैर तम्बीह के दिया है तो उसका मतलब ये है कि मैं इससे मुत्तफ़िक़ हूँ।

अबू ताहिर हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई

मार्च 2005

हालाते ज़िन्दगी इमाम अबू दाऊद (रह.)

★ **नाम व नसब :** अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअ़स बिन इस्हाक़ बिन बशीर बिन शद्दाद बिन अ़म्र बिन इमरान। यमन के मारूफ़ क़बीला-ए-अजद की निस्बत से अज़दी और इलाक़ा सयस्तान या सजिस्तान की तरफ़ निस्बत से सजिस्तानी या सजज़ी कहलाते हैं। कहा जाता है कि इनके पुर्वज इमरान जंगे सिफ़्फ़ीन में हज़रत अ़ली (ﷺ) के साथ थे और इसमें क़त्ल हूए थे। वल्लाहू आलम!

★ **विलादत व नशू व नुमा :** 202 हिजरी में आपकी विलादत बासआ़दत हूई। कुछ उम्र को पहुँचे तो मारूफ़ इस्लामी अन्दाज़ो अतवार से आपकी तालीम व तर्बीयत का मरहला तय हूआ। और बक़ौल, होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, आप ज़हानत व फ़तानत की वहबी सलाहियतों से माला माल थे। पहले अपने इलाक़े के उ़लमा व उस्ताद से भरपूर इस्तेफ़ादा किया। इसके बाद कामिल तौर पर इल्मे हदीस़ की तरफ़ राग़िब हो गये और इल्मी मराकिज़ का रूख़ किया। इराक़, जज़ीरा, शाम, मिस्र और हिजाज़ वग़ैरह जहाँ भी उ़लमा-ए-हदीस़ और मशाइख़ के मुताल्लिक़ सुना, उनकी ख़िदमत में हाज़िर हूए और अपना दामने इल्म ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश की। और इस मुसाफ़रत में हर हर इलाक़े की तहज़ीब व स़क़ाफ़त से भी ख़ूब आगाह हूए।

★ **उस्तादे किराम :** इमाम स़ाहिब ने वक़्त के अ़ज़ीम तरीन असातीने इल्म से इस्तेफ़ादा किया। हाफ़िज़ इब्ने हज्र (रह.) का कहना है कि 'सुनन अबू दाऊद' वग़ैरह में आपके मारूफ़ उस्ताद की तादाद तीन सौ के क़रीब है। इनमें इमाम अहमद बिन हम्बल, यहया बिन मईन, उ़स्मान बिन अबी शैबा, इस्हाक़ बिन राहवे, अबू अलवलीद तयालिसी, क़ुतैबा बिन सईद और मुसद्दद बिन मुसरहद वग़ैरह (रह.) के अ़ज़ीमुश्शान नाम बहुत नुमायाँ हैं। और ये सब इमाम अबू दाऊद (रह.) की सर बलन्दी और इल्मी अ़ज़मत व वक़ार की शानदार सनद हैं।

★ **तलामिज़ा :** हुसूले इल्म के बाद आप आलमे जवानी ही में मस्नदे तदरीस पर फ़ायज़ हो गये और साथ साथ इन्तेख़ाबे अहादीस़ और तालीफ़ का अ़मल भी शूरू कर दिया। आप तरसूस में तक़रीबन बीस साल रहे और वहाँ आप अपनी ये अ़जीम किताब 'अस्सुनन' तर्तीब दे चुके थे। एक ज़माना ने आपसे अहादीस़े रसूल का दर्स लिया। आपके तलामेज़ा में बड़े बड़े अइम्मा के नाम आते हैं। आपके जलीलुलक़द्र शैख़ इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) ने भी आपसे एक हदीस़ ली थी और इस पर आप बहुत फ़ख़्र किया करते थे। इसके अ़लावा इमाम तिर्मिज़ी, नसाई, अबू अ़वाना, असफ़राईनी, ज़करिया साजी, अबू बशीर मुहम्मद बिन अहमद दोलाई, मुहम्मद बिन नस्र मर्वजी आपके वह मारूफ़ शागिर्द हैं जो उम्मत के इमाम कहलाये हैं और अस़हाबे तस़ानीफ़ भी हैं।

★ **सुनन अबू दाऊद के रावी :** इनके अ़लावा वह हज़रात जो सुनन अबू दाऊद के रावी होने की

शोहरत रखते हैं, आपके ख़ास मारूफ़ शागिर्द हैं। इनके अस्मा–ए–गिरामी ये हैं: (1) अबू अ़ली मुहम्मद बिन अहमद बिन अ़म्र वललूलूई (2) अबूबक्र मुहम्मद बिन बक्र बिन अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिन दासा अत्तम्मार (3) अबू सईद अहमद बिन मुहम्मद बिन ज़ियाद अलआराबी (4) अबू अलहसन अ़ली बिन अलहसन बिन अ़ब्द अन्सारी (5) अबू उसामा मुहम्मद बिन अ़ब्दुल मलिक अर्रवासी (6) अबू सालिम मुहम्मद बिन सईद अलजलूदी और (7) अबू अ़म्र अहमद बिन अ़ली बिन हसन अलबस़री (रह.).

★ **इमाम स़ाहिब का इल्मी वक़ार व मर्तबा :** नीचे दिये गये वाक़िया इमाम अबू दाऊद (रह.) की जलालते इल्मी और उस दौर के इल्मी हलक़ात में आपकी अहमियत की बेहतरीन दलील है। हूआ ये कि 257 हिजरी में बस़रा में कुछ हंगामे फूट पड़े और उनका अस़र ये हूआ कि बस़रा बावजूद यकायक पुर रोनक़ तिजारती मंडी और शानदार इलाक़ा था लोगों ने वहाँ से कूच करना शूरू कर दिया। शहर और मंडी उजड़ने लगी तो इस बढ़ती हूई वीरानी को रोकने के लिए वहाँ के अमीर अबू अहमद अलमूफ़क़ ने इमाम अबू दाऊद (रह.) के साथ बग़दाद में ख़ुसूस़ी मुलाक़ात की और दरख़्वास्त की कि आप बस़रा तशरीफ़ ले चलें और उसे ही अपना वतन बना लें ताकि आपकी वजह से तलबा और उ़लमा इस शहर का रूख़ करें और इस इलाक़ा की आबादी का सामान हो जाये। चुनांचे इमाम स़ाहिब ने अमीरे बस़रा की ये दरख़्वास्त क़बूल कर ली और आपने बस़रा को अपना मर्कज़े दावत व तदरीस बना लिया तो इसकी रोनक़ें वापस आने लगीं। ये वाक़िया दलील है कि भले वक़्तों में अ़वाम व उमरा अपने उ़लमा को अपने शहरों की ज़ीनत समझते थे और उनका वजूद अपने लिये बाइ़से इज़्ज़त व बरकत गरदानते थे।

इक बार जनाब सहल बिन अ़ब्दुल्लाह तस्तरी (रह.) इमाम स़ाहिब की ज़ियारत के लिए आये। आपने उनका भरपूर इस्तेक़बाल किया और उनको इज़्ज़त व एहतिराम से नवाज़ा। उन्होंने अ़र्ज़ किया, हज़रत अल इमाम! मैं आपकी ख़िदमत में एक अहम काम से आया हूँ। आपने पूछा, फ़रमाइये? कहा कि पहले वादा फ़रमायें कि जहाँ तक हो सके ज़रूर करेंगे। आपने वादा फ़रमा लिया कि जहाँ तक हो सके में आपका काम ज़रूर करूंगा। तो जनाब सहल (रह.) ने अ़र्ज़ किया हज़रत! मैं आपकी इस मुबारक ज़बान का बोसा लेना चाहता हूँ, जिससे आप अहादीस़े रसूल बयान करते हैं। चुनांचे इमाम स़ाहिब ने अपनी ज़बान बाहर निकाली और उन्होंने उसका बोसा लिया।

★ **इमाम इब्राहीम हरबी (रह.) ने कहा :** इमाम अबू दाऊद (रह.) के लिए हदीस़ ऐसे ही नर्म कर दी गई थी जैसे कि सय्यदना दाऊद अ़लैहि के लिए लोहा।

★ **जनाब मूसा बिन हारून (रह.) ने कहा :** इमाम अबू दाऊद (रह.) दुनिया में हदीस़ के लिए और आख़िरत में जन्नत के लिए पैदा किये गये थे और मैंने उनसे बढ़ कर किसी को नहीं पाया।

★ **जनाब अहमद बिन मुहम्मद बिन यासीन हरूरी कहते हैं :** इमाम अबू दाऊद (रह.) इस्लाम के

मुमताज़ तरीन हुफ़्फ़ाज़ में से थे। उन्होंने इल्मे हदीस़ और इसकी असानीद व इलल पर कामिल उ़बूर हासिल था, इबादत, इफ़्फ़त और इस्लाह व तक़्वा में उनका दर्जा बहुत बलन्द था। आप फ़न्ने हदीस़ के माहिर तरीन मोहद्दिस़ में से थे।

✱ **इमाम अबू हातिम बिन हिब्बान का क़ौल :** इमाम अबू दाऊद (रह.) अपने इल्म, तफ़क़्क़ोह, हिफ़्ज़, इबादत, वरअ़ व तक़्वा और पुख़्तगी–ए–इल्म में यगाना–ए–रोज़गार थे, उन्होंने अहादीस़ जमा कीं, कुतूब तस़ानीफ़ कीं और सुन्नते रसूल का कामिल दिफ़ा किया।

✱ **इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह बिन मन्दा कहते हैं :** वह मुमताज़ अइम्मा जिन्होंने अहादीस़ की तख़रीज की और स़ही व ख़ता में इम्तियाज़ किया चार हैं: इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम, और इनके बाद इमाम अबू दाऊद और नसाई (रह.).

अलग़र्ज़ इस क़िस्म के दसयों अक़्वाल अइम्मा–ए–वक़्त ने हज़रत अल इमाम अबू दाऊद (रह.) की मदह व स़ना में बयान किये हैं।

✱ **अक़्वाले हिकमत :** इमाम स़ाहिब के ज़िक्रे जमील में कुछ तज़किरा निगारों ने आपके कुछ अक़्वाल भी नक़्ल किये हैं जो यक़ीनन हिकमत भरे हैं। मस़लन:

- 'सरदारी व सरबराही की ख़्वाहिश मख़्फ़ी शहवात में से है।'
- 'बेहतरीन बात वह है जो बिला इजाज़त ही कान में दाख़िल हो जाये।'
- जिसने कमतर सादा लिबास और कमतर सादा खाने पर सब्र कर ली उसने अपने जिस्म को बहुत राहत दी।

इस ज़िम्न में आपका वह मक़ूला भी बड़ा हिकमत भरा है कि मैंने अपनी किताब 'सुनन' में चार हज़ार आठ सौ अहादीस़ जमा की हैं। इनमें स़ही, उसके मुशाबा और उसके क़रीब दर्जा की रिवायात हैं। किसी भी इंसान की दीनदारी के लिए उनमें से सिर्फ़ चार हदीसें काफ़ी हैं:

❶ अ़ामाल का दारोमदार नियतों पर है।
❷ इंसान के बेहतरीन इस्लाम की अ़लामत ये है कि बेमक़्स़द उमूर को छोड़ दे।
❸ कोई शख़्स़ उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए भी वही कुछ पसन्द न करे जो अपने लिये करता है।
❹ हलाल वाज़ेह है और हराम भी, और इनके दरम्यान बहुत सी चीज़ें शुब्हे वाली हैं।

✱ **अपनी औलाद के लिए सिमाअ़े हदीस़ का शौक़ :** इमाम स़ाहिब जहाँ उम्मत के लिए अ़ज़ीम दाई और मोहद्दिस़ थे वहाँ अपनी औलाद के लिए भी यही शौक़ रखते थे। और हर बाप की तरह चाहते थे कि ये मराहिल जल्द अज़ जल्द तय हों और वह सिमाअ़े हदीस़ की फ़ज़ीलत हासिल करें। याक़ूत हम्वी ने इब्ने अ़साकिर से नक़्ल किया है कि इमाम स़ाहिब के शैख़ अहमद बिन स़ालेह नो उम्र बच्चों को अपनी मज्लिस में सिमाअ़ की इजाज़त न दिया करते थे। इमाम अबू दाऊद (रह.) का एक स़ाहिबज़ादा

नो उम्र था और आप चाहते थे कि किसी तरह शैख़ अहमद से सिमाअ़े हदीस़ का शर्फ़ हासिल कर ले। तो इस ग़र्ज़ के लिए आपने एक हीला इख़्तियार किया कि बच्चे के चेहरे पर बनावटी दाढ़ी लगा दी ताकि बड़ा नज़र आये। मगर ये बात खुल गई। और फिर दूसरे बड़े बड़े उ़लमा के सामने उस बच्चे की ज़हानत व फ़तानत वाज़ेह भी हो गई मगर शैख़ अहमद ने मज़ीद सिमाअ़ की इजाज़त न दी।

✶ **जुर्अत व बेबाकी :** उ़लमा–ए–हक़ की एक सिफ़त ये रही है कि वह हुक्कामे वक़्त से बिलख़ुसूस किसी तरह ख़ौफ़ज़दा न होते थे और हक़ का इज़हार कर दिया करते थे। अमीरे बस़रा अबू अहमद अलमूफ़क़ ने दरख़्वास्त की कि आप मेरे बच्चों को अपनी 'सुनन' का दर्स दें, मगर मज्लिस उनके लिए ख़ास़ हो क्योंकि उमरा के बच्चे अ़वाम के साथ बैठना पसन्द नहीं करते। आपने पहली बात तो क़बूल की और दूसरी से इंकार कर दिया और फ़रमाया कि इल्म के मामले में अ़वाम व ख़्वास़ सब बराबर हैं। चुनांचे वह आपकी आ़म मज्लिस में आते थे मगर दरम्यान में पर्दा होता था।

✶ **वफ़ात :** इमाम अबू दाऊद (रह.) अपनी ज़िन्दगी की तिहत्तर बहारें देखने के बाद 15 शव्वाल 275 हिजरी को बस़रा में अपने रब के मेहमान जा बने और इमाम सुफ़ियान स़ौरी (रह.) के पहलू में दफ़न किये गये।

✶ **इमाम स़ाहिब की तस़्नीफ़ी ख़िदमात :** आपने इल्मे हदीस़ की ज़बानी इशाअ़त व तब्लीग़ के साथ साथ जो क़लमी ज़ख़ीरा छोड़ा है वह इन्तेहाई वक़ीअ़ और क़ाबिले क़द्र है। नीचे दिये गये कुतूब आपका इल्मी वरस़ा हैं: (1) अस्सुनन (2) मसाइले अहमद (3) अन्नासिख वलमन्सूख़ (4) इजाबातुहू, अ़न सवालत अबी उबैद मुहम्मद बिन अ़ली बिन उ़स्मान अल अजरी (5) रिसालत फ़ी वस़्फ़े किताबिस सुनन (6) किताबुज़्ज़ुहद (7) तस्मियतुल इख़्वतुल्लज़ीना रूविया अन्हुमुल हदीस (8) अस्इलतुल इमाम अहमद बिन हम्बल अनिर्रूवात वस्सिकात (9) किताबुल क़द्र (10) किताबुल बअ़स वन्नूशूर (11) अल मसाइलुल्लती हुलिफ़ा अ़लैहल इमाम अहमद (12) दलाइलुन्नुबुव्वा (13) अत्तफ़र्रूद फिस्सुनन (14) फ़ज़ाइलुल अन्सार (15) मुस्नद मालिक (16) अद्दुआ (17) इब्तेदाउल वही (18) अख़बारूल ख़्वारिज (19) मा तफ़र्रदा बिही अहलुल अम्सार (20) मारिफतुल इख़्वति वल अख़्वात (21) अल आदाबुश्शरइया.

सुनन अबू दाऊद और उसकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात

❶ **तारीफ़ अस्सुनन :** उलमा–ए–हदीस़ की इस्तेलाह में 'अस्सुनन' उस किताब को कहा जाता है जिसमें अहादीस़े अहकाम किताबुत्तहारत से लेकर किताबुल वस़ाया तक फ़िक़ही तर्तीब से जमा की गई हों।

❷ **ज़माना–ए–तालीफ़ :** इमाम स़ाहिब तक़रीबन बीस साल तक तरसूस (दक्षिणी टर्की) में मुक़ीम रहे। ग़ालिबन इस दौर में आपने ये किताब तालीफ़ फ़रमाई है। इसकी तकमील के बाद आपने अपने जलीलुलक़द्र शैख़ इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) की ख़िदमत में पेश किया तो उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ की। इमाम अहमद (रह.) की वफ़ात 241 हिजरी में हुई है।

❸ **अक़वाले अइम्मा :** मुहम्मद बिन मुख़लिद का कहना है कि इमाम अबू दाऊद ने अस्सुनन तालीफ़ की और लोगों पर इसकी क़िराअत की, तो अहलुल हदीस़ के यहाँ ये किताब मुस़हफ़ की मानिन्द तलब की जाने लगी और अहले ज़माना ने उनके हिफ़्ज़ व ज़ब्त का इक़रार व ऐतराफ़ किया।

- इब्ने अलआराबी कहते हैं कि अगर किसी शख़्स़ के पास क़ुर्आन मजीद के साथ ये किताब मौजूद हो तो उसे उनके बाद किसी और इल्म की क़तअन कोई ज़रूरत नहीं।
- अ़ल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि सुनन अबू दाऊद वह अ़ज़ीम किताब है कि इल्मे दीन में इस जैसी और कोई किताब तस़नीफ़ नहीं हुई और उसे लोगों में इन्तेहाई मक़बूलियत हास़िल हुई है, बल्कि उ़लमा व फ़ुक़हा के इल्मी हल्क़ात में ये अ़लामाते इम्तियाज ठहरी है और हर तब्क़े के उ़लमा इससे फ़ैज़याब हैं। अहले इराक़, मिस्र, मग़रिब और बहुत से इस्लामी ममालिक में इसकी शोहरत मुसल्लमा है। (स़ही बुख़ारी व मुस्लिम का मक़ाम बजा) मगर सुनन अबू दाऊद का भी अपनी शानदार तर्तीब और फ़िक़ही मसाइल के एहाता के ऐतबार से एक ख़ास़ मक़ाम है।
- और बक़ौल अ़ल्लामा सुब्की फ़ुक़हा–ए–किराम सुनन अबू दाऊद और तिर्मिज़ी के लिए लफ़्ज़ 'अस्सही' बिलाझिझक इस्तेमाल करते हैं। (इमाम स़ाहिब ने अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक़ अपनी इस राय का इज़्हार फ़रमाया है। ज़रूरी नहीं है कि वाक़ेअतन ऐसा ही हो। क्योंकि तहक़ीक़े अहादीस़ के बाद सुनन अबू दाऊद में कुछ अहादीस़ ज़ईफ़ भी पाई गई है। ताहम इससे इमाम अबू दाऊद और उनकी सुनन अबू दाऊद की स़क़ाहत पर अस़र नहीं पड़ता।)
- इमाम स़ाहिब ने अपनी किताब के मुताल्लिक़ बयान किया है कि इसमें कोई ऐसी हदीस़ नहीं है जिसके तर्क पर उ़लमा का इज्मा हो या बअल्फ़ाज़े दीगर इसमें किसी ऐसे रावी की हदीस़ नहीं है जो मतरूकुल हदीस़ हो। (इमाम स़ाहिब ने अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक़ अपनी इस राय का इज़्हार फ़रमाया है। ज़रूरी नहीं है कि वाक़ेअतन ऐसा ही हो। क्योंकि तहक़ीक़े अहादीस़ के बाद सुनन अबू

दाऊद में कुछ अहादीस़ ज़ईफ़ भी पाई गई है। ताहम इससे इमाम अबू दाऊद और उनकी सुनन अबू दाऊद की स़क़ाहत पर अस़र नहीं पड़ता।)

- हाफ़िज़ अबू अत्ताहिर अस्सल्फ़ी ने अपनी सनद से हसन बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम से उनका एक ख़्वाब नक़ल किया है कि मैंने ख़्वाब में रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आप फ़रमाते थे कि जो शख़्स़ सुनन पर अ़मल करना चाहता है, वह सुनन अबू दाऊद पढ़े।

❹ **अहादीस़े सुनन अबू दाऊद बा ऐतबारे दर्जात :** इमाम ज़हबी (रह.) सियरू आलामुन्नुबला में लिखते हैं कि सुनन अबू दाऊद की अहादीस़ छः मरातिब पर हैं।

1. सबसे आ़ला वह हैं जो स़हीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में रिवायत की गई हैं और ये तक़रीबन आधी किताब के बराबर हैं।
2. वह अहादीस़ जो स़हीहैन में से किसी एक में हैं और दूसरी में नहीं।
3. वह अहादीस़ जो इन दोनों ने बयान नहीं की हैं मगर सनद के ऐतबार से जय्यद (उ़म्दा) हैं। इनमें कोई शुज़ूज़ और इल्लते ख़ुफ़िया नहीं है।
4. वह अहादीस़ जिनकी असानीद स़ालेह (बेहतर) हैं और उ़लमा ने उन्हें क़बूल किया है इस तौर पर कि वह कम अज़ कम दो सनदों से मरवी हों, ख़्वाह वह ज़ईफ़ ही हों।
5. वह रिवायात जिन्हें ज़ईफ़ क़रार दिया गया है कि उनके रावी अपने हिफ़्ज़ व ज़ब्त में कमज़ोर थे। इस नोअ़ पर इमाम अबू दाऊद (रह.) बिलउ़मूम ख़ामूशी इख़्तियार करते हैं।
6. और वह रिवायात जो वाज़ेह तौर पर बहुत ही ज़ईफ़ हैं, इस क़िस्म पर इमाम स़ाहिब ख़ामोश नहीं रहते बल्कि इसके ज़ईफ़ की स़राहत कर देते हैं और जहां कहीं रिवायत अपने ज़ुअ़फ़ में मशहूर हो तो ये ख़ामोश भी रहते हैं।

❺ **ज़ईफ़ अहादीस़ बयान करने की वजह :**

1. इस बारे में ये कहा जाता है कि इमाम स़ाहिब ने अपनी किताब में वह तमाम रिवायात जमा करने की कोशिश की है जो उ़लमा–ए–मज़ाहिब की दलील हैं, क़तअ़ नज़र इससे कि वह स़ही है या ज़ईफ़। इस बारे में उन्होंने असानीद का ज़िक्र करके अहले नज़र को दावते फ़िक्र दी है कि ख़ूद कम्पेयर करें।
2. दूसरी वजह ये है कि जब किसी मसले में स़ही हदीस़ वारिद न हो तो वह ज़ईफ़ बयान कर देते हैं और ब़कौल कुछ, लोगों की राय और कियास के मुक़ाबले में ज़ईफ़ हदीस़ बहरहाल बेहतर होती है।
3. या अगर रिवायत इन्तिहाई ज़ईफ़ हो तो वह तल्बा को मुतन्नबा करने के लिए इसे दर्ज कर देते हैं कि इससे ख़बरदार रहना, ये रिवायत अपनी सनद वग़ैरह के ऐतबार से क़ाबिले हुज्जत नहीं है।

❻ **ज़ईफ़ हदीस़ पर अ़मल का मसला :** फ़ुक़हा–ए–उम्मत में ये मसला एक बड़ा मारका आरा मसला है। तफ़्सीलात के लिए मुतव्वलात की तरफ़ रूजू किया जाना चाहिए। मुख़्तस़रन 'अल हत्ता फ़ी ज़िक्रे सिहाहिस्सित्ता' में है कि अहकामे शरीयत में हुज्जत स़िर्फ़ और स़िर्फ़ ख़बरे स़ही ही है और इस पर

इज्मा है या इसके साथ उ़लमा के नज़दीक हसन लिज़ातिही भी मुल्हक़ है, इसका मर्तबा अगरचे स़ही से कम है लेकिन मक़बूल है और ज़ईफ़ हदीस़ जो कसीर तुरूक से हसन लिग़ैरिही के दर्जे को पहुँच जाये वह भी क़ाबिले एहतिजाज होती है। और ये क़ौल जो मशहूर है कि 'ज़ईफ़ हदीस़ फ़ज़ाइले आ़माल में मक़बूल है' इससे मुराद मुफ़रदात (यानी किसी एक सनद से मरवी अहादीस़) हैं न कि मजमूआत (यानी कई तरीक़ से मरवी अहादीस़) क्योंकि मजमूई तरीक़ के बाइस़ ये दर्जा–ए–हसन में दाख़िल हो जाती है ज़ईफ़ नहीं रहती। और अइम्मा ने इसकी तस़रीह की है। (लेकिन ऐसा तब ही होता है, जब कई तरीक़ में ज़ईफ़ ख़फ़ीफ़ हो। अगर सब में ज़ईफ़ शदीद हो, मस़लन हर तरीक़ में कोई रावी कज़्ज़ाब, वज़्ज़ाअ़, मतरूक और फ़ाश ग़लतियाँ करने वाला वग़ैरह हो तो इस क़िस्म के शदीद ज़ईफ़ की हामिल रिवायात का मजमूआ किसी हदीस़ को क़ाबिले क़बूल नहीं बना सकेगा, बल्कि वह रिवायत ज़ईफ़ और नाक़ाबिले अ़मल ही रहेगी।)

कुछ ने कहा कि ज़ईफ़ हदीस़ का बाइस़ अगर रावी के हिफ़्ज़ की ख़राबी या इख़्तिलात या तदलीस हो और रावी जाती तौर पर स़ादिक़ और मुत्तदीन हो तो ऐसा ज़ईफ़ कई तरीकों से दूर हो जाता है, लेकिन अगर ज़ईफ़ का सबब झूठ की तोहमत, शुज़ूज़ या फ़ोहशुल ग़लत हो तो कस़रते असानीद से ये ऐब दूर नहीं होता और ऐसी रिवायत ज़ईफ़ ही रहती है लेकिन फ़ज़ाइले आ़माल में क़बूल कर ली जाती है न कि अहकाम या हलाल व हराम में। मोहद्दिस़ीन के इस क़ौल के यही मानी हैं जो उन्होंने कहा कि 'ज़ईफ़ हदीस़ ज़िक्र करना जायज़ है बशर्ते कि मौज़ूअ़ न हो। लेकिन अहकाम यानी हलाल व हराम और मामलात में स़ही और हसन हदीस़ ही क़ाबिले अ़मल है मगर ये कि कोई मामला ऐहतियाती हो। मस़लन कुछ ज़ईफ़ रिवायात में चंद बुयूअ़ या निकाह की कुछ मकरूह स़ूरतें बयान हूई हैं तो मुस्तहब ये है कि इनसे बचा जाये, लेकिन वाजिब नहीं है।

अलअ़रबी मालकी ने इस क़ायदा के ख़िलाफ़ कहा है कि 'ज़ईफ़ हदीस़ क़तअन नाक़ाबिले अ़मल है।' शैख़ सख़ावी ने 'अलक़ौलुल बदीअ़' में लिखा है कि 'मैंने अपने शैख़ इब्ने हज्र (रह.) से बारहा सुना, फ़रमाते थे कि ज़ईफ़ हदीस़ पर अ़मल की तीन शर्तें हैं:

- पहली शर्त मुत्तफ़िक़ है कि ज़ईफ़ शदीद न हो। यानी कोई रावी कज़्ज़ाब, मुत्तहम बिलकिज़्ब और फ़ोहशुल ग़लत क़िस्म का न हो।
- दूसरी शर्त ये है कि ये हुक्म किसी आ़म मारूफ़ शरई क़ायदा के तहत आता हो। इस तरह इस रिवायत की हैस़ियत तख़रीज व इस्तेम्बात की होगा न कि अस्लुल उसूल की।
- तीसरी शर्त ये है कि इस पर अ़मल करते हूए इसके क़तई स़बूत का ऐतक़ाद न हो, ताकि नबी(ﷺ) की तरफ़ कोई ऐसी बात मन्सूब न हो जाये जो आपने नहीं फ़रमाई।

ये आख़री दो शर्तें शैख़ इब्ने अ़ब्दुस्सलाम और इब्ने दक़ीक़ अलईद की बयान की हूई हैं और पहली पर इमाम उलाई ने भी इत्तेफ़ाक़ ज़िक्र किया है। इमाम अहमद (रह.) कहते हैं कि जब कोई स़ही हदीस़ न

मिले तो ज़ईफ़ पर अमल कर लिया जाये। उनके एक दूसरे बयान में यूँ है: 'हमारे नज़दीक ज़ईफ़ हदीस़ लोगों की राय से ज़्यादा महबूब है।'

अ़ल्लामा इब्ने अलक़य्यिम 'इलामुल मूक़ेईन' में कहते हैं कि 'इमाम अहमद (रह.) के उसूलों में से चौथा उसूल ये है कि जब किसी मसले में कोई स़ही हदीस़ वारिद न हो तो मुर्सल और ज़ईफ़ हदीस़ क़बूल कर ली जाये। और यही किस्म क़यास पर राजेह है। और इस ज़ईफ़ से मुराद वह ज़ईफ़ नहीं जो बिल्कुल बातिल या मुन्कर हो या उसका रावी मुत्तहम हो कि इसकी तरफ़ रूजू करना किसी तरह भी जायज़ न हो। इमाम मौसूफ़ के नज़दीक ज़ईफ़ हदीस़ पर अ़मल गोया स़ही या हसन हदीस़ की एक क़िस्म पर अ़मल है। उनके नज़दीक हदीस़ की दो क़िस्में हैं, स़ही और ज़ईफ़ और ज़ईफ़ के उनके यहाँ कई मरातिब हैं। अगर इस बाब में कोई रिवायत न मिले या स़हाबी का क़ौल या इज्मा-ए-उम्मत स़ाबित न हो, जिससे इस ज़ईफ़ रिवायत की तर्दीद होती हो तो उनके नज़दीक उस पर अ़मल करना क़यास से बेहतर होता है और तक़रीबन तमाम अइम्मा उनके इस क़ायदा में मुईद मुवाफ़िक़ हैं, सब ही ने ज़ईफ़ हदीस़ को क़यास पर तर्जीह दी है। (इक़तबास अज़ अलहत्ता फ़ी ज़िक्रे सिहाहिस्सित्ता, नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान, बाब स़ालिस, फ़स़ले स़ानी)

❼ सुनन अबू दाऊद के इम्तियाज़ात :

- किताब फ़िक़ही अबवाब पर मुरत्तब है। अबवाब के अ़नावीन मुख़्तस़र, जामेअ़ और वाज़ेह हैं।
- अहादीस़ बिलउ़मूम दो या ज़्यादा असानीद से बयान की हैं और हर सनद में कोई दक़ीक़ नुक्ता या ऐसे ख़ास़ अल्फ़ाज़ होते हैं जो उ़लमा व फ़ुक़हा के लिए इज़ाफ़ा व इफ़ादा-ए इल्मी के हामिल होते हैं और उनसे अहकाम व मसाइल का इस्तेम्बात होता है।
- इख़्तिस़ार के पेशे नज़र दूसरी सनद में बिलउ़मूम 'बमअनहू या मिस़लहू' वग़ैरह के अल्फ़ाज़ लाते हैं।
- रूवाते हदीस़ में जहाँ किसी के तआ़रूफ़ व तअ़य्युन और इश्तबाह को दूर करने की ज़रूरत महसूस करते हैं वहाँ रावीयों का मुख़्तस़र तआ़रूफ़ कराते हैं।
- ऐसे ही ग़ैर मारूफ़ मक़ामात का तआ़रूफ़ (परिचय) भी कराते हैं।
- हस्बे ज़रूरत हदीस़ का पसे मन्ज़र भी बताया गया है।
- अहम इस्नादी फ़वाइद के ज़िम्न में इस तरह बयान करते हैं कि ये हदीस़ मुसल्सल है या ये हदीस़ अहले शाम की है या अहले बस़रा इसमें मुतफ़र्रिद (तन्हा) हैं वग़ैरह।
- अहम मसाइल में, फ़िक़ही इख़्तियारात में स़हाबा व ताबेईन और दीगर अइम्मा के नाम शुमार करते हैं।
- इन्तेहाई ज़ईफ़ अहादीस़ की स़राहत करते हैं।
- और जिन पर कोई कलाम है और ये ख़ामोश रहते हैं तो वह हदीस़ बिलउ़मूम उनके नज़दीक क़ाबिले अ़मल होती है। सुनन अबू दाऊद की शुरूहात : इस मुबारक किताब की उ़लमा-ए उम्मत ने बहुत ख़िदमत की है। कुछ शरूहात मतबूअ़ और मुतदाविल हैं और बहुत सी मख़्तूत सूरत में आ़लमी मकतबात में महफ़ूज़ हैं। जैसे:-

1. **मआलिमुस सुनन :** तालीफ़ अबू सुलेमान अहमद बिन मुहमद बिन इब्राहीम बिन ख़त्ताब अलबस्ती अलख़त्ताबी, वफ़ात: 388 हिजरी, ये हज़रत ज़ैद बिन ख़त्ताब (ﷺ) की तरफ़ निस्बत से ख़त्ताबी कहलाते हैं।

2. **मुख़्तसर सुनन अबी दाऊद :** तालीफ़ इमाम ज़कीयुद्दीन अब्दुल अज़ीम बिन अब्दुल क़वी अलमुन्ज़िरी, वफ़ात: 656 हिजरी, इस किताब में असानीद को हज़फ़ कर दिया गया है और बाक़ी कुतूबे ख़म्सा से इसकी तख़रीज की गई है और मुख़्तसर फ़वाइद भी लिखे गये हैं।

3. **तहज़ीब इब्ने अलक़य्यिम :** तालीफ़ इमाम मुहम्मद बिन अबीबक्र बिन अय्यूब बिन सअद अज़्ज़रई अलमारूफ़ ब इब्ने क़य्यिम अलजौज़ीया, वफ़ात: 751 हिजरी। ये सुनन अबू दाऊद पर एक उम्दा हाशिया है, इसमें हस्बे ज़रूरत नादिर हदीसी व फ़िक़ही मबाहस को तफ़्सील से बयान किया गया है।

4. **औनूल माबूद शरह सुनन अबी दाऊद :** तालीफ़ अल्लामा अश शैख़ शम्सुलहक़ अज़ीम आबादी, वफ़ात: 1911, ये हक़ीक़त में उनकी तफसीली शरह गायतुल मकसूद फ़ी हल्ले अबी दाऊद का ख़ुलासा है जो अफ़सोस कि मुकम्मल न हो सकी। गायतुल मकसूद का इब्तेदाई कुछ हिस्सा तबअ हूआ था। अब इसके कुछ और क़लमी हिस्से 'ख़ुदाबख़्श लाईब्रेरी' पटना (भारत) से मिले हैं, सुना है कि वह छप गये हैं। ये शरह फ़िक्रे असहाबुल हदीस की बेहतरीन तर्जुमान हैं।

5. **बज़्लुल मज्हूद फ़ी हल्ले अबी दाऊद :** इसमें मौलाना ख़लील अहमद साहिब सहारनपूरी (रह.) ने सुनन अबू दाऊद को बड़ी ख़ूबी के साथ हल किया है और इख़्तेलाफ़ी मसाइल में उलमा–ए–अहनाफ़ का मौक़िफ़ तफ़्सील से बयान किया है।

6. **अलमन्हलुल अज़्बुल मौरूद शरह सुनन अबी दाऊद :** तालीफ़ अश्शैख़ महमूद मुहम्मद ख़त्ताब अस्सुबकी अलमिस्री। इब्तेदाई हिस्से शैख़ मौसूफ़ ने तालीफ़ किये। बाद में उनके साहबज़ादे जनाब अमीन महमूद ख़त्ताब ने कुछ हिस्से तहरीर किये। किताब मिस्र में तबअ हूई है।

7. **दर्जात मिर्क़ातुस्सऊद इला सुनन अबी दाऊद :** तालीफ़ शैख़ अली बिन सुलेमान दमन्ती बाजम्अवी। ये दरअसल इमाम सुयूती (रह.) की शरह 'मिर्कातुस्सुऊद इला सुनन अबी दाऊद' की तल्ख़ीस है जो 1298 हिजरी में मिस्र में तबअ हूई थी।

8. **उर्दू तर्जुमा:** अज़ अल्लामा नवाब वहीदुज़्ज़मां खान (रह.)

9. **उर्दू तर्जुमा:** अज़ मौलाना ख़ूरशीद हसन क़ासमी (देवबंद)

❁ इसके अलावा नीचे दी गई शरह का तज़किरा भी मिलता है, इनमें से कुछ आलमी मकतबात में मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर महफ़ूज़ हैं।

1. **अजालतुल आलम मिन किताबिल मआलिमः** तालीफ़ हाफ़िज़ शिहाबुद्दीन अहमद बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम अलमक़दिसी, वफ़ात, 765 हिजरी, ये मआलिम अस्सुनन (ख़त्ताबी) का इख़्तिसार है।
2. **इन्तिहाउस्सुनन व इक्तिफ़ाउस्सुननः** ये हाफ़िज़ शिहाबुद्दीन अहमद की तालीफ़ है जिनका ऊपर ज़िक्र हूआ।
3. **शरह अल इमाम नववीः** नाक़िस रही।
4. **अलअहुल मौदूद फ़ी हवाशी सुनन अबी दाऊद** : हाफ़िज़ मुन्ज़िरी।
5. **शरह अस्सुननः** शिहाबुद्दीन अहमद बिन हुसैन बिन अरसलान अर्रमली, वफ़ातः 844 हिजरी।
6. **शरह अस्सुननः** कुतुबुद्दीन अबूबक्र अहमद बिन दुईन अलयमनी अश्शाफ़ेई, वफ़ातः 752 हिजरी।
7. **शरह अस्सुननः** अश्शैख़ मुग़लताई बिन क़लीच, वफ़ातः 762 हिजरी (नाक़िस)
8. **शरह अस्सुननः** अश्शैख़ अम्र बिन अरसलान बिन नस्र अलबलक़ीनी, वफ़ातः 805 हिजरी।
9. **शरह अस्सुननः** इमाम अबू ज़रआ अलइराक़ी वलियुद्दीन अहमद बिन इब्राहीम, वफ़ातः 826 हिजरी।
10. **शरह अस्सुननः** अश्शैख़ अलअल्लामा महमूद बिन अहमद अलऐनी अलहनफ़ी, वफ़ातः 855 हिजरी (नाक़िस)
11. **फ़तहूल वदूद अला सुनन अबी दाऊदः** अल्लामा अबू अलहसन मुहम्मद बिन अब्दुल हादी अस्सिन्धी, वफ़ातः 1138 हिजरी।
12. **मुख़्तसर मुहम्मद बिन अलहसन बिन अल बलख़ीः** ये सातवीं सदी हिजरी के उलमा में से हैं।
13. **आयते क़ुर्आनियाः** अश्शैख़ ज़करिया साजी ने ऐसी तमाम आयाते क़ुर्आनिया जमा की हैं जो अहादीस के मुवाफ़िक़ हैं। वफ़ातः 307 हिजरी।
14. **तसमीया शुयूख़े अबी दाऊदः** शैख़ अबू अली हुसैन बिन मुहम्मद बिन अहमद अलजयाफ़ी, वफ़ातः 498 हिजरी।
15. **ज़वाइद अस्सुनन अलस सहीहैनः** शैख़ सिराजुद्दीन अम्र बिन अली अल मुल्क़िन अश्शाफ़ेई, वफ़ातः 804 हिजरी, ये किताब उन जवाइद की शरह है।

इस्तेलाहाते मोहद्दिसीन

❶ **हदीस़ की तारीफ़ :** रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुताल्लिक़ रावीयों के ज़रिये से जो कुछ हम तक पहुँचा है, वह हदीस़ कहलाता है। हदीस़ को कुछ दफ़ा सुन्नत, ख़बर और अस़र भी कहा जाता है।

❷ **बुनियादी अक़साम (किस्में):**

☆ **क़ौली हदीस़:** वह हदीस़ जिसमें आप का फ़रमान मज़कूर हो।

☆ **फ़ेअ़ली हदीस़:** वह हदीस़ जिसमें आपका अ़मल मज़कूर हो।

☆ **तक़रीरी हदीस़:** वह हदीस़ जिसमें आपका किसी बात पर ख़ामोश रहना मज़कूर हो।

☆ **शमाइले नबवी:** वह अहादीस़ जिनमें आपके आ़दाब व अख़्लाक़ या बदनी औस़ाफ़ मज़कूर हों।

नोट : किसी हदीस़ की अस़ल इबारत 'मतन' कहलाती है। मतन से पहले, रावीयों के सिलसिले को सनद कहते हैं। सनद का कोई रावी हज़फ़ न हो तो वह 'मुत्तस़िल' होती है वरना 'मुनक़तअ़'.

❸ **निस्बत के ऐतबार से हदीस़ की अक़साम किस्में:**

☆ **हदीसे क़ुदसी:** अल्लाह तआ़ला का वह फ़रमान जिसे नबी–ए–अकरम (ﷺ) ने अल्लाह तआ़ला से रिवायत किया हो, रावीयों के ज़रिये से हम तक पहुँचा हो और क़ुर्आन मजीद में मौजूद न हो।

☆ **मरफ़ूअ़:** वह हदीस़ जिसमें किसी क़ौल, फ़ेअ़ल या तक़रीर को रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया गया हो।

☆ **मौक़ूफ़:** वह हदीस़ जिसमें किसी क़ौल, फ़ेअ़ल या तक़रीर को स़हाबी की तरफ़ मन्सूब किया गया हो।

☆ **मक़तूअ़:** वह हदीस़ जिसमें किसी क़ौल या फ़ेअ़ल को ताबेई या तबअ़ ताबेई की तरफ़ मन्सूब किया गया हो।

❹ **रावीयों की तादाद के ऐतबार से हदीस़ की किस्में:**

☆ **मुतवातिर:** वह हदीस़ जिसमें तवातुर की चार शर्तें पाई जायें।

1. उसे रावीयों की बड़ी तादाद रिवायत करे।
2. इंसानी अ़क़ल व आ़दत उनके झूठा होने को मुहाल समझे।
3. ये कस़रत अ़हदे नबूवत से लेकर स़ाहिबे किताब मोहद्दिस़ के ज़माने तक सनद के हर तब्क़े में पाई जाये।
4. हदीस़ का ताल्लूक़ इंसानी मुशाहिदे या समाअ़त से हो।

नोट : रावीयों की जमाअ़त जिसने एक उस्ताद या ज़्यादा उस्ताद से हदीस़ का सिमाअ़ किया हो 'तब्क़ा' कहलाती है।

☆ **ख़बरे वाहिद:** वह हदीस जिसमें मुतवातिर हदीस की शर्तें जमा न हों। उसकी चार क़िस्में हैं:

❀ **मशहूर:** वह हदीस जिसके रावीयों की तादाद हर तब्क़े में दो से ज़्यादा हो मगर यकसां न हो, मसलन किसी तब्क़े में तीन, किसी में चार और किसी में पाँच रावी उसे बयान करते हों।

❀ **मुस्तफ़ीज़:** वह हदीस जिसके रावी हर तब्क़े में दो से ज़्यादा और यकसां तादाद में हों या सनद के अव्वल व आख़िर में उनकी तादाद यकसां हो।

❀ **अज़ीज़:** वह हदीस जिसके रावी किसी तब्क़े में सिर्फ़ दो हों।

❀ **ग़रीब:** वह हदीस जिसे बयान करने वाला किसी ज़माने में सिर्फ़ एक रावी हो। अगर वह सहाबी या ताबेई है तो उसे ग़रीब मुतलक़ कहेंगे और अगर कोई और रावी है तो उसे ग़रीब निसबी कहेंगे।

नोट : ऊपर दी गई अक़साम में से मुतवातिर हदीस इल्मुल यक़ीन की हद तक सच्ची होती है। बाक़ी अक़साम मक़बूल या मरदूद हो सकती हैं।

❺ क़बूल व रद्द के ऐतबार से हदीस की किस्में :

☆ **मक़बूल:** वह हदीस जो वाजिबुल अमल हो।

☆ **मरदूद:** वह हदीस जे मक़बूल न हो।

❻ मक़बूल हदीस की अक़साम व दर्जात (शराइते क़बूलियत के ऐतबार से) :

(1) सही लिज़ातिही (2) सही लिग़ैरिही (3) हसन लिज़ातिही (4) हसन लिग़ैरिही

☆ **सही लिज़ातिही :** वह हदीस जिसमें सेहत की पाँच शर्तें पाई जायें।

❀ उसकी सनद मुत्तसिल हो, यानी हर रावी ने उसे अपने उस्ताद से अख़ज़ किया हो।

❀ उसका हर रावी आदिल हो, यानी कबीरा गुनाहों से बचता हो, सग़ीरा गुनाहों पर इसरार न करता हो, शाइस्ता तबीयत का मालिक और बा अख़्लाक़ हो।

❀ और कामिलुज़ ज़ब्त हो, यानी हदीस को तहरीर या हाफ़िज़े के ज़रिये से कमा हक़्क़हू महफ़ूज़ करे और आगे पहुँचाये।

❀ वह हदीस शाज़ न हो।

❀ मालूल न हो। (शाज़ और मालूल की वज़ाहत आगे आ रही है।)

☆ **हसन लिज़ातिही :** वह हदीस जिसके कुछ रावी सही हदीस के रावीयों की निस्बत ख़फ़ीफ़ुज़ ज़ब्त (हल्के ज़ब्त वाले) हों, बाक़ी शर्तें वही हों।

नोट : हसन लिज़ातिही का दर्जा सही लिग़ैरिही के बाद है मगर तारीफ़ात को आसान तर करने के लिये तर्तीब बदली गई है।

☆ **सही लिग़ैरिही :** जब हसन हदीस की एक से ज़ायद सनद हों तो वह हसन के दर्जे से तरक़्क़ी करके सही के दर्जे तक पहुँच जाती है। उसे सही लिग़ैरिही कहते हैं क्योंकि वह अपने ग़ैर (दूसरी सनदों) की वजह से दर्जा–ए–सेहत को पहुँची।

☆ **हसन लिग़ैरिही :** वह हदीस जिसकी कई सनदें हों, हर सनद में मामूली ज़ोअफ़ हो मगर कई सनदों से उस ज़ोअफ़ की तलाफ़ी हो जाये तो वह हसन लिग़ैरिही के दर्जे को पहुँच जाती है।

❼ **सही हदीस की किस्में व दर्जात :** (कुतूबे हदीस में पाये जाने के ऐतबार से)

☆ **मुत्तफ़क़ अलैहि:** वह हदीस जो सही बुख़ारी और सही मुस्लिम दोनों में पाई जाये, मुत्तफ़क़ अलैहि कहलाती है और सेहत के सबसे आला दर्जे पर होती है।

☆ **अफ़रादे बुख़ारी:** हर वह हदीस जो सही बुख़ारी में पाई जाये, सही मुस्लिम में न पाई जाये।

☆ **अफ़रादे मुस्लिम:** हर वह हदीस जो सही मुस्लिम में पाई जाये, सही बुख़ारी में न पाई जाये।

☆ **सही अला शर्तिहमा:** वह हदीस जो सही बुख़ारी व सही मुस्लिम दोनों में न पाई जाये लेकिन दोनों अइम्मा की शराइत के मुताबिक़ सही हो।

☆ **सही अला शर्तिल बुख़ारी:** वह हदीस जो इमाम बुख़ारी की शराइत के मुताबिक़ सही हो मगर सही बुख़ारी में मौजूद न हो।

☆ **सही अला शर्ते मुस्लिम:** वह हदीस जो इमाम मुस्लिम की शराइत के मुताबिक़ सही हो मगर सही मुस्लिम में मौजूद न हो।

☆ **सही अला शर्ते ग़ैरिहिमा:** वह हदीस जो इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम के अलावा दीगर मोहद्दिसीन की शराइत के मुताबिक़ सही हो।

❽ **मरदूद हदीस की अक़साम इन्क़ताअे सनद की वजह से:**

☆ **मुअल्लक़:** वह हदीस जिसकी सनद का इब्तेदाई हिस्सा या सारी सनद ही (अमदन) हज़फ़ कर दी गई हो।

☆ **मुर्सल:** वह हदीस जिसे ताबेई बिला वास्ता रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करे।

☆ **मुअज़ल:** वह हदीस जिसकी सनद के दरम्यान से दो या दो से ज़्यादा रावी इकट्ठे हज़फ़ हों।

☆ **मुनक़तअ:** वह हदीस जिसकी सनद के दरम्यान से एक या एक से ज़ाइद रावी मुख़्तलिफ़ मक़ामात से हज़फ़ हों।

☆ **मुदल्लस:** वह हदीस जिसका रावी किसी वजह से अपने उस्ताद या उस्ताद के उस्ताद का नाम (या तारीफ़) छुपाये लेकिन सुनने वालों को ये तास्सुर दे कि मैंने ऐसा नहीं किया सनद मुत्तसिल ही है हालांकि उस सनद में रावियों की मुलाक़ात और सिमा तो साबित होता है मगर मुतअल्लिक़ा रिवायत का सिमाअ नहीं होता।

☆ **मुर्सले ख़फ़ी:** वह हदीस़ जिसका रावी अपने ऐसे हम अस्र से रिवायत करे जिससे उसकी मुलाक़ात स़ाबित न हो।

☆ **मअ़लूल या मुअ़ल्लल:** वह हदीस़ जो बज़ाहिर मक़बूल मालूम होती हो लेकिन उसमें ऐसी पोशीदा इल्लत या ऐब पाया जाये जो उसे ग़ैर मक़बूल बना दे। इन उ़यूब व एलल का पता चलाना माहिरीने फ़न ही का काम है, हर शख़्स के बस की बात नहीं।

❾ मरदूद हदीस़ की किस्में रावी के आ़दिल न होने की वजह से:

☆ **रिवायतुल मुबतदिअ़:** वह हदीस़ जिसका रावी बिदअ़ते मुकफ्फ़िरा का क़ाइल व फ़ाइल हो लेकिन अगर रावी की बिदअ़त, मुकफ्फ़िरा न हो और वह आ़दिल व ज़ाबित भी हो तो फिर उसकी रिवायत मोतबर होगी। याद रहे बिदअ़ते मुकफ्फ़िरा (काफिर बनाने वाली बिदअ़त) से इरतेदाद लाज़िम आता है।

☆ **रिवायतुल फ़ासिक़:** वह हदीस़ जिसका रावी कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब हो लेकिन हद्दे कुफ़्र को न पहुँचे।

☆ **मतरूक:** वह हदीस़ जिसका रावी आ़म बोल चाल में झूठ बोलता हो और मोहद्दिसीन ने उसकी रिवायत को क़बूल करने से इंकार कर दिया हो।

☆ **मोज़ूअ़:** वह हदीस़ जिसके रावी ने किसी मौक़े पर हदीस़ के मामला में झूठ बोला हो, ऐसे रावी की हर रिवायत को मौज़ूअ़ (मनघड़त) कहते हैं।

❶⓪ मरदूद हदीस़ की अक़साम रावी के ज़ाबित न होने की वजह से :

☆ **मुसहफ़:** वह हदीस़ जिसके किसी लफ़्ज़ की ज़ाहिरी शक्ल तो दुरूस्त हो मगर नुक़तों, हरकात या सुकून वग़ैरह के बदलने से उसका तलफ़्फ़ुज़ बदल गया हो।

☆ **मक़लूब:** वह हदीस़ जिसके अल्फ़ाज़ में रावी की भूल से तक़दीम व ताख़ीर वाक़ेअ़ हो गई हो या सनद में एक रावी की जगह दूसरा रावी रखा गया हो।

☆ **मुदरज:** वह हदीस़ जिसमें किसी जगह रावी का अपना कलाम अ़मदन या सहवन दर्ज हो जाये और उस पर अल्फ़ाज़े हदीस़ होने का शुब्हा होता हो।

☆ **अलमज़ीद फ़ी मुत्तसिलिल असानीद:** जब दो रावी एक ही सनद बयान करें, उनमें एक स़िक़ा और दूसरा ज़्यादा स़िक़ा हो। अगर स़िक़ा रावी उस सनद में एक रावी का इज़ाफ़ा बयान करे तो उसकी रिवायत को मज़ीद फ़ी मुत्तसिलिल असानीद कहते हैं।

☆ **शाज़:** वह हदीस़ जिसका रावी सिक़ा हो और बयाने हदीस़ में अपने से ज़्यादा सिक़ा या अपने जैसे बहुत से सिक़ा रावीयों की मुख़ालिफ़त करे (शाज़ के बिलमुक़ाबिल हदीस़ को महफ़ूज़ कहते हैं)

☆ **मुन्कर:** वह हदीस़ जिसका रावी ज़ईफ़ हो और बयाने हदीस़ में एक या ज़्यादा सिक़ा रावीयों की मुख़ालिफ़त करे (मुन्कर के बिलमुक़ाबिल हदीस़ को मारूफ़ कहते हैं)

☆ **रिवायतु सय्यिइल हिफ़्ज़:** वह हदीस़ जिसका रावी सय्यिउल हिफ़्ज़, यानी पैदाइशी तौर पर कमज़ोर हाफ़िज़े वाला हो।

☆ **रिवायतु कस़ीरूल ग़फ़ला:** वह हदीस़ जिसका रावी शदीद ग़फ़लत या कस़ीर ग़लतीयों का मुर्तकिब हो।

☆ **रिवायतु फ़ाहिशुल ग़लत:** वह हदीस़ जिसके रावी से फ़ाश क़िस्म की ग़लतीयाँ सरज़द हों।

☆ **रिवायतुल मुख़तलित:** वह हदीस़ जिसका रावी बुढ़ापे या किसी हादसे की वजह से याददाश्त खो बैठे या उसकी तहरीर करदा अहादीस़ ज़ाया हो जायें।

☆ **मुज़तरिब:** वह हदीस़ जिसकी सनद या मतन में रावीयों का ऐसा इख़्तिलात वाक़े हो जो हल न हो सके।

❶❶ मरदूद हदीस़ की किस्में रावी के मजहूल होने की वजह से:

☆ **रिवायतु मजहूलुल हाल:** वह हदीस़ जिसका रावी मजहूलुल हाल हो, यानी उसके मुताल्लिक़ अइम्मा–फ़न का कोई तब्सरा न मिलता हो और उससे रिवायत करने वाले कुल दो आदमी हों जिसके बाइस़ उसकी शख़्सीयत मालूम और हालत मजहूल ठहरती हो। ऐसे रावी को मस्तूर भी कहते हैं।

☆ **मुबहम:** वह हदीस़ जिसकी सनद में किसी रावी के नाम की स़राहत न हो।

कुतूबे अहादीस़ की किस्में

- **कुतूबे स़िहाह :** हर वह किताब जिसके मोल्लिफ़ ने अपनी किताब में स़ही रिवायात लाने का इल्तेज़ाम किया हो और 'स़ही' के लफ़्ज़ को किताब के नाम का हिस्सा बनाया हो। ऐसी किताब की रिवायात कम अज़ कम उसके मौल्लिफ़ के नज़दीक स़ही होती हैं। और अगर वह ख़ूद ही किसी हदीस़ की इल्लत बयान कर दे तो उससे उस किताब के स़ही होने पर हरफ़ नहीं आता।
- **स़िहाहे सित्ता :** हदीस़ की छः कुतूब स़ही बुख़ारी, स़ही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, जामेअ़ तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा स़िहाहे सित्ता कहलाती हैं। इन्हें 'उस़ूले सित्ता' या 'कुतूबे सित्ता' भी कहा जाता है। पहली दो किताबें 'स़हीहैन' कहलाती हैं और ये स़िर्फ़ अपने मौल्लिफ़ीन के नज़दीक ही स़ही नहीं हैं बल्कि पूरी उम्मत के नज़दीक स़ेहत के आ़ला दर्जे पर फ़ाइज़ हैं। इन पर ऐतराज़ बराए ऐतराज़ करने वाला शख़्स़, शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस़ देहलवी (रह.) के बक़ौल, इज्मा–ए–उम्मत का मुख़ालिफ़ और बिदअ़ती है जबकि आख़री चार किताबों को सुनन अरबआ़ कहते हैं। गो इन में ज़ईफ़ हदीस़ मौजूद हैं, ताहम स़ही हदीस़ों की कस़रत की वजह से अकस़र उ़लमा इन्हें 'स़िहाहे सित्ता' में शुमार करते हैं।
- **जामेअ़ :** जिस किताब में इस्लाम से मुताल्लिक़ तमाम मौज़ूआत (मस़लन अ़क़ाइद, अहकाम, तफ़्सीर, जन्नत, दोज़ख़ वग़ैरह) से ताल्लुक़ रखने वाली अहादीस़ रिवायत की गई हों, मस़लन स़ही बुख़ारी और जामेअ़ तिर्मिज़ी वग़ैरह।
- **सुनन :** जिस किताब में स़िर्फ़ अ़मली अहकाम से मुताल्लिक़ अहादीस़ जमा की गई हों, मस़लन सुनन अबू दाऊद।
- **मुसनद :** जिस किताब में एक स़हाबी या कई स़हाबा की रिवायात को अलग–अलग जमा किया गया हो, मस़लन मुसनद अहमद, मुसनद हुमैदी।
- **मुस्तख़रज :** जिस किताब में मुस़न्निफ़ किसी दूसरी किताब की हदीस़ों को अपनी सनदों से रिवायत करे, जैसे मुस्तख़रज इस्माईल अ़ला स़ही अलबुख़ारी।
- **मुस्तदरक :** जिस किताब में मुस़न्निफ़ ऐसी रिवायात जमा करे जो किसी दूसरे मुसन्निफ़ की शराइत के मुताबिक़ हो लेकिन उसकी किताब में न हों, मस़लन मुसतदरक हाकिम।
- **मौजम :** जिस किताब में मुस़न्निफ़ एक ख़ास़ तर्तीब के साथ अपने हर उस्ताद की रिवायात को अलग अलग जमा करे, मस़लन मौजम तबरानी।
- **अरबईन :** जिस किताब में किसी एक या मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत पर चालीस अहादीस़ जमा की गई हों, मस़लन अरबईन नववी, अरबईन स़नाई वग़ैरह।
- **जुज़ :** वह किताब जिसमें स़िर्फ़ एक रावी या एक मौज़ूअ की रिवायात जमा की गई हों, जैसे इमाम बुख़ारी (रह.) की 'जुज़उ रफ़उलयदैन' और 'जुज़उल क़िराअति ख़ल्फ़ूल इमाम' या इमाम बैहक़ी (रह.) की 'किताबुल क़िराअत ख़ल्फ़ूल इमाम' वग़ैरह।

कुतूबे अहादीस़ के मुख़्तलिफ़ तब्क़ात या दर्जात

❶ पहला तबक़ा स़ही बुख़ारी, स़ही मुस्लिम और मौता इमाम मालिक पर मुश्तमिल है। मौता इमाम मालिक ज़माना–ए–तालीफ़ के लिहाज़ से स़हीहैन से मुतक़द्दिम, लेकिन मर्तबा व मक़ाम के लिहाज़ से तीसरे नम्बर पर है। इमाम मालिक (रह.) और उनके हम ख़्याल उ़लमा की राय के मुताबिक़ इसकी तमाम अहादीस़ स़ही हैं। दूसरे मोहद्दिस़ीन के नज़दीक इसकी मुनक़तअ़ या मुर्सल रिवायात (मुख़्तलिफ़ किताबों में) दीगर सनदों से मुत्तस़िल हैं (लेकिन सिर्फ़ इत्तेस़ाले सनद स़ेहते हदीस़ के लिए काफ़ी नहीं होता)

❷ दूसरा तबक़ा सुनन अरबआ़ पर मुश्तमिल है। कुछ के नज़दीक मुसनद अहमद और सुनन दारमी भी ग़ालिबन इसी तबक़े में शामिल हैं। इनके मौल्लिफ़ीन इल्मे हदीस़ में बड़े विद्वान थे, स़क़ाहत व अ़दालत और ज़ब्ते हदीस़ में मारूफ़ थे। उन्होंने जिन मक़ास़िद और शराइत को मद्दे नज़र रखा, उनको पूरा करने में कोताही नहीं की। उनकी किताबों को हर दौर के मोहद्दिस़ीन और दीगर अहले इल्म में बेपनाह पज़ीराई मिली।

❸ वह मसानीद, जवामेअ़ और मुस़न्नफ़ात जो सिहाहे सित्ता से पहले या उनके ज़माने में या उनके बाद लिखी गईं। इनके मौल्लिफ़ीन की ग़र्ज़ महज़ अहादीस़ को जमा करना था। यही वजह है कि उनमें हर क़िस्म की अहादीस़ पाई जाती हैं। मोहद्दिस़ीन में गोया किताबें अजनबी नहीं, ताहम ज़्यादा मारूफ़ व मक़बूल भी नहीं, चुनांचे जो अहादीस़ पहले दो तबक़ों की किताबों में मौजूद नहीं बल्कि सिर्फ़ इसी तबक़े की किताबों में पाई जाती हैं, फ़ुक़हा ने उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया और मोहद्दिस़ीन ने भी उनकी स़ेहत व सिक़म, क़बूल व रद्द, और तशरीह व तौज़ीह का ज़्यादा एहतिमाम नहीं किया, मस़लन 'मुस़न्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, मुस़न्नफ़ इब्ने अबी शैबा, मुसनद तयालिसी, बैहक़ी, तहावी और तबरानी वग़ैरह।

❹ वह किताबें जिनके मौल्लिफ़ीन ने ज़माना–ए–दराज़ के बाद इन अहादीस़ को जमा किया जो पहले दो तबक़ों की किताबों में नहीं थीं बल्कि ऐसे मजमूओं में पाई जाती थीं जिनकी (इल्मी दुनिया में) कोई वक़अ़त न थीं। ये अहादीस़ उ़मूमन वाइज़ीन के इस्तेदलालात, हुकमा के अक़वाले ज़र्रीं और इस्राईली रिवायात पर मुश्तमिल हैं जिन्हें ज़ईफ़ रावीयों ने सहवन या अ़मदन अहादीस़े नबविया से ख़लत मलत कर दिया या किताब व सुन्नत के कुछ एहतिमालात हैं जिन्हें कुछ जाहिल सूफ़िया ने बिलमानी रिवायत कर दिया और उन्हें मरफ़ूअ़ अहादीस़ समझ लिया गया या चंद अहादीस़ से जुम्ले मुन्तख़ब करके एक नई हदीस़ बना दी गई वग़ैरह। मस़लन इब्ने हिब्बान की 'किताबुज़

ज़ुअफ़ा' इब्ने अदी की 'अलकामिल' और 'ख़तीब बग़दादी, अबू नुऐम अस़बहानी, इब्ने अ़साकिर, जोज़क़ानी, इब्ने नजार और दयलमी की किताब। इसी तरह 'मुसनद ख़वारज़मी' इब्ने जौज़ी और मुल्ला अ़ली क़ारी की 'अलमौज़ूआत' वग़ैरह भी इसी तबक़े में शामिल हैं।

❺ इस तबक़े की किताबों में वह अहादीस़ शामिल हैं जो फ़ुक़हा, सूफ़िया मुअर्रिख़ीन और मुख़्तलिफ़ फ़ुनून के माहिरीन की ज़बानों पर मशहूर थीं, नीज़ वह अहादीस़ भी शामिल हैं जो बेदीन ज़बान दानों ने कलामे बलीग़ से वज़अ़ कीं और उनके लिए सनदें भी घड़ लीं।

- पहले और दूसरे तबक़े की किताबों पर मोहद्दिसीन को कामिल ऐतमाद है। इन्हें हमेशा इन किताबों से वाबस्तगी रही है।
- तीसरे तबक़े की अहादीस़ से इस्तेदलाल करना उन माहिरीने हदीस़ का काम है जो रावीयों के हालात और हदीस़ के मख़्फ़ी इल्लतों के जानने वाले हों। उ़मूमन ऐसी अहादीस़ ख़ुद दलील नहीं बन सकीं, अलबत्ता किसी मक़बूल हदीस़ की ताईद में पेश की जा सकती हैं।
- पहले दो तबक़ों की अहादीस़ की तक़वीयत में चौथे तबक़ा की अहादीस़ को जमा करना और उनसे इस्तेदलाल करना उ़लमा मुताख़्ख़िरीन का महज़ तकल्लूफ़ है। अहले बिदअ़त इसी क़िस्म की अहादीस़ से अपने अपने मज़ाहिब की ताईद में शवाहिद मुहय्या करते हैं लेकिन मोहद्दिसीन के नज़दीक इस तबक़ा की अहादीस़ से इस्तेदलाल करना स़ही नहीं है। (मुलख़्ख़स़ अज़ हुज्ज़तुल्लाहिल बालिगा)

✽ मस़ादिर और मराजेअ़ का मफ़हूम :

- **मस़ादिर :** वह कुतूब जिनमें मुस़न्निफ़ीन ने अहादीस़ को अपनी सनदों के साथ रिवायत किया हो। ऊपर दिये गये तबक़ात में जो दर्जा बंदी की गई है उनमें उ़मूमन मस़ादिर ही मुराद हैं।
- **मराजेअ़ :** वह कुतूब जिनमें अहादीस़ को मुख़्तलिफ़ मस़ादिर से मुन्तख़ब करके जमा किया गया हो। उनकी तीन किस्में हैं:

1. वह मराजेअ़ जिनमें सिर्फ़ स़ही अहादीस़ को जमा किया गया है, मस़लन 'अल्लूलू वलमरजान फ़ीमा इत्तफ़क़ा अ़लैहिश्शैख़ान' और 'उ़म्दतुल अहकाम' वग़ैरह।
2. वह मराजेअ़ जिनमें उ़मूमन मुस्तनद मस़ादिर से अहादीस़ मुन्तख़ब की गई हैं लेकिन उनमें ज़ईफ़ अहादीस़ भी मौजूद हैं, जैसे 'मिश्कातूल मस़ाबीह' रियाजुस्स़ालेहीन' अत्तरग़ीबु वत्तरहीब, बुलूग़ूल मराम' वग़ैरह।
3. वह मराजेअ़ जिनमें किसी मेअ़यार और तहक़ीक़ के बग़ैर बहुत से मुस्तनद और ग़ैर मुस्तनद मस़ादिर से अहादीस़ लेकर जमा कर दी गई हों, मस़लन 'कन्जुल उम्माल' वग़ैरह।

नोट : दूसरी और तीसरी क़िस्म के मराजेअ में मज़कूर किसी हदीस़ से तहक़ीक़ के बग़ैर इस्तेदलाल करना दुरूस्त नहीं है।

दो मक़बूल अहादीस़ के ज़ाहिरी तआरूज़ (जाहिरी इख़्तिलाफ़) को दूर करने की मुख़्तलिफ़ सूरतें:

- सबसे पहले उनका कोई ऐसा मुश्तरक मफ़हूम मुराद लिया जायेगा जिससे हर हदीस़ पर अ़मल करना मुमकिन हो जाये और इस सिलसिले में उस मफ़हुम को तर्जीह दी जायेगी जो किसी तीसरी हदीस़ में बयान हूआ हो या फ़ुक़हा–ए–मोहद्दिसीन ने इसे बयान किया हो।
- अगर ऐसा न हो सके तो फिर ये तहक़ीक़ की जायेगी कि आया उनमें से कोई हदीस़ मन्सूख़ तो नहीं है। इस सूरत में मन्सूख़ को छोड़ कर नासिख़ पर अ़मल किया जायेगा।
- अगर नस्ख़ का स़बूत न मिले तो फिर एक हदीस़ को किसी मस्लक का लिहाज़ किये बग़ैर महज़ वजूहे तर्जीह (फ़न्नी ख़ूबीयों) की बिना पर तर्जीह दी जायेगी और दूसरी हदीस़ को छोड़ दिया जायेगा, मस़लन कोई हदीस़ स़ेहत के आ़ला दर्जा पर फ़ायज़ हो या आ़ला तबक़े की किसी किताब में मरवी हो तो कमतर दर्जे या तबक़े की हदीस़ को छोड़ दिया जायेगा ... वग़ैरह वग़ैरह।

नोट : अगर मक़बूल और मरदूद हदीस़ों का तआरूज़ आयेगा तो वहाँ मरदूद हदीस़ को रद्द करके स़िर्फ़ मक़बूल हदीस़ पर अ़मल किया जायेगा।

सुनन अबू दाऊद से इस्तेफ़ादे का तरीक़ा

✧ **तारीफ़े किताब :** सुनन अबू दाऊद हदीस़ के बुनियादी मराजेअ में से है। कुतूबे सित्ता (स़िहाहे सित्ता) में स़हीहैन (स़ही बुख़ारी व स़ही मुस्लिम) के बाद इस किताब का तीसरा दर्जा बनता है। इस किताब की तर्तीब मौज़ूअवार है। इसे इमाम अबू दाऊद (रह.) (202 हि. से 275 हि.) ने मौज़ूअ के ऐतबार से तीन हिस्सों में तक़सीम किया है। (1) कुतूब, (2) अबवाब, (3) अहादीस़। इस तक़सीम व तर्तीब को इस्तेलाह में 'फ़िक़ही तर्तीब' या 'फ़िक़ही तबवीब' (बाब बंदी) का नाम दिया जाता है। सुनन अबू दाऊद की कुल किताबें 43 और कुल अहादीस़ 5274 हैं।

✧ **कुतूब:** सबसे पहले किताब की फ़िक़ही तर्तीब का लिहाज़ रखते हूए मौज़ूअ के ऐतबार से उ़नवान क़ाइम किया गया है, मस़लन 'किताबुत तहारत' 'किताबुस स़लात' 'किताबुल अदब' वग़ेरह। इस तर्ज़ पर सुनन अबू दाऊद की कुल 43 किताबें बनती हैं जिनकी अलग से एक स़फ़हे में फ़ेहरिस्त दे दी गई है।

✧ **अबवाब:** किताब में 'फ़िक़ही मौज़ूआत' में से हर मौज़ूअ के मुताल्लिक़ ज़ैली अबवाब (अनावीन) दिये गये हैं, मस़लन 'किताबुत तहारत के 143 ज़ैल अबवाब क़ाइम किये गये हैं, इसी तरह किताबुस स़लात वग़ेरह।

✧ **अहादीस़:** हर बाब और उ़नवान के तहत अहादीस़ को ख़ूबसरत मानवी तर्तीब के साथ पेश किया गया है जो हस्बे ज़रूरत किसी बाब में कम और किसी बाब में ज़्यादा हैं। क़ारेईने किराम को जिस मसले के मुताल्लिक़ हदीस़ तलाश करनी हो, उन्हें इसी तर्तीब को मल्हूज रखना होगा।

✧ **अलमौजम और अत्तोहफ़ा:** सुनन अबू दाऊद के अ़रबी हिस्से में हर किताब और बाब के शूरू में (अलमौजम) और आख़िर में (अत्तोहफ़ा) का लफ़्ज़ आता है जिसकी तफ़्सील हस्बे ज़ेल है।

1. 'अलमौजम' से मुराद 'अलमौजमुल मुफ़्हरस लिअल्फ़ाजिल हदीस़' है जो आठ जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये किताब कुतूबे तिस्आ (9 किताबें) यानी स़ही बुख़ारी, स़ही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन तिर्मिज़ी (जामेअ तिर्मिज़ी), सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा, मुसनद अहमद, मौता इमाम मालिक और सुनन दारमी की अहादीस़ के मतन की माद्दे के ऐतबार से हुरूफ़े तहज़्ज़ी का लिहाज़ रखते हूए, फ़ेहरिस्त हैं। इसका मक़स़द हदीस़ के मतन की तलाश में आसानी पैदा करना है कि एक हदीस़ इन ऊपर दी गई किताबों में कहाँ कहाँ बयान की गई है। अहादीस़ की फ़ेहरिस्त मुस्तशरेक़ीन की टीम (ग़ैर मुस्लिम स्कॉलर) ने 1922 ई. से 1987 ई. तक, 65 साल के तवील अ़र्से में मुरत्तब की। ये फ़ेहरिस्त आठ बड़ी जिल्दों में है।
2. 'अत्तोहफ़ा' से मुराद 'तोहफतुल अशराफ़ बिमारिफतिल अतराफ' है। ये किताब जमालुद्दीन अबुल हज्ज़ाज़ यूसुफ़ अलमिज़्ज़ी (रह.) ने मुरत्तब की। इसे इमाम मिज़्ज़ी (रह.) ने 696 हि. से 722

हि. तक, तक़रीबन 27 साल के तवील अ़र्से में तैयार किया। ये कुतूबे सित्ता के अ़लावा 'अस्सुननुल कुब्रा लिन्नसाई' और 'शमाइले तिर्मिज़ी' की अहादीस़ के मतन की फ़ेहरिस्त है जिसका उसलूब स़हाबा किराम, उनके शागिर्द ताबेईन, और उनके शागिर्द तबे ताबेईन के नामों के हवाले से, हुरूफ़े तहज्जी के ऐतबार से, उनकी अहादीस़ को जमा करना है। इस तर्तीब को इस़्तेलाह में 'मुसनद' कहा जाता है। सुनन अबू दाऊद अ़रबी हिस़्से में 'अलमौजम' और 'अत्तोहफ़ा' के साथ कुछ नम्बर दिये गये हैं जिनसे रहनुमाई की गई है कि ये अहादीस़ 'अलमौजमुल मुफ़हरिस' और 'तोहफ़तुल अशराफ़' में कहाँ कहाँ आई हैं ताकि क़ारी (पढ़ने वाला) इन किताबों की फ़ेहरिस्त की मदद से अहादीस़ के दीगर मराजेअ़ तक बा'आसानी पहुँच जाये। मुहक़्क़िक़ीन को हदीस़ की तलाश में इन किताबों से बहुत आसानी हो गई है।

✧ **रक़मुल हदीस़:** मुहम्मद फ़व्वाद अ़ब्दुल बाक़ी (रह.) ने आज से साठ सत्तर साल पहले स़हीहैन और इब्ने माजा की अहादीस़ के शुरू में हदीस़ नम्बर का इज़ाफ़ा किया ताकि अहादीस़ की तलाश आसान हो जाये। इसे अ़रबी में 'रक़मुल हदीस़' कहते हैं। अब तक़रीबन हदीस़ की तमाम किताबों के शुरू में हदीस़ नम्बर का सिलसिला मिलता है। आप इन नम्बरों के ज़रिये से मतलूबा हदीस़ को फ़ौरन तलाश कर सकते हैं।

✧ **सनदे हदीस़:** मोहद्दिस़ हदीस़ बयान करते वक़्त अपने उस्ताद से लेकर हर रावी–ए–हदीस़ को स़हाबी–ए–रसूल तक बयान करता है, रावीयों के इस सिलसिले को 'सनद' कहा जाता है।

✧ **मतने हदीस़:** सनद के इख़्तिताम पर जो कलाम शुरू हो, उसे 'मतन' कहा जाता है।

✧ **फ़वाइद व मसाइल:** उर्दू एडीशन में हर हदीस़ का मफ़हूम वाज़ेह करने के लिए और उस हदीस़ से जो जो मसाइल निकलते हैं, उन्हें बयान करने के लिए 'फ़वाइद व मसाइल' का उ़नवान दिया गया है। फ़वाइद व मसाइल लिखते वक़्त क़ुर्आन मजीद और दीगर कुतूबे अहादीस़ से भी इस्तेफ़ादा किया गया है जिनका मुकम्मल हवाला दर्ज किया गया है। कुछ औक़ात फ़वाइद के ज़िम्न में हदीस़ के नम्बर का हवाला दिया जाता है जिसका मक़स़द ये है कि आप इस हदीस़ नम्बर के ज़रिये से मज़ीद फ़वाइद भी देख सकते हैं।

✧ **तख़रीज:** क़ारेईने किराम उर्दू एडीशन में 'तख़रीज' का उ़नवान भी मुलाहिज़ा फ़रमायेंगे। ये एक फ़न्नी चीज़ है जिससे भरपूर फ़ायदा तो उ़लमा–ए–किराम और माहिरीने फ़न्ने हदीस़ ही स़ही मानों में उठा सकते हैं मगर इसमें हदीस़ की स़ेहत व ज़ोअ़फ़ का हुक्म ज़रूर देखा जा सकता है कि कौनसी हदीस़ स़ही और कौनसी ज़ईफ़ है। इस सिलसिले में चंद बुनियादी इस़्तेलाहाते हदीस़ भी पीछे बयान की जा चुकी हैं जिनको पढ़ कर ज़हन नशीन करना मुफ़ीद होगा।

हदीस की किस्में

- क़ौली हदीस़
- फ़ेअ़ली हदीस़
- तक़रीरी हदीस़
- शमाइले नबवी

हदीस़ की किस्में – निस्बत के ऐतबार से

- हदीस़े क़ुदसी
- मरफ़ूअ़
- मौक़ूफ़
- मक़तूअ़

हदीस की किस्में – रावियों की तादाद के ऐतबार से

- मुतवातिर
- ख़बरे वाहिद
  - मशहूर
  - मुस्तफ़ीज़
  - अ़ज़ीज़
  - ग़रीब
    - ग़रीबे मुतलक़
    - ग़रीबे निसबी

मक़बूल हदीस की किस्में

- स़ही लिज़ातिही
- स़ही लिग़ैरिही
- हसन लिज़ातिही
- हसन लिग़ैरिही

मक़बूल हदीस़ के दर्जात

- मुत्तफ़क़ अलैह
- अफ़रादे बुख़ारी
- अफ़रादे मुस्लिम
- स़ही अला शर्तिहिमा
- स़ही अला शर्तिल बुख़ारी
- स़ही अला शर्ते मुस्लिम
- स़ही अला शर्ते ग़ैरिहिमा

(1) मरदूद हदीस़ की किस्में इन्क़ताअ़े सनद के ऐतबार से

- मुअ़ल्लक़
- मुर्सल
- मुअ़ज़ल
- मुन्क़तअ़
- मुदल्लस
- मुर्सले ख़फ़ी
- मअ़लूल या मुअ़ल्ल

(2) मरदूद हदीस़ की किस्में रावी के आ़दिल न होने की वजह से

- रिवायतुल मुब्तदिअ़
- रिवायतुल फ़ासिक़
- मतरूक
- मोज़ूअ़

(3) मरदूद हदीस़ की अक़साम–रावी के ज़ाबित न होने की वजह से

- मुस़हफ़
- मक़लूब
- मुदरज
- अल मज़ीद फ़ी मुत्तस़िलिल असानीद
- शाज़
- मुन्कर
- रिवायतु सय्यिइल हिफ़्ज़
- रिवायतु कस़ीर अल ग़फ़ला
- रिवायतु फ़ाहिशुल ग़लत
- रिवायतु मुख़तलित
- मुज़तरिब
- मुअ़लल

(4) मरदूद हदीस़ की अक़साम- रावी के मजहूल होने की वजह से

- रिवायतु मजहूलुल हाल
- रिवायतु मजहूलिल ऐन
- मुब्हम

كتاب الطهارة

तहारत के अहकाम व मसाइल

《1》 باب التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

बाब : 1 क़ज़ा-ए-हाजत (पेशाब, पाख़ाने) के लिए लोगों से अलग और दूर होने का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، -يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ .

(1) हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) बयान करते हैं: नबी (ﷺ) जब ख़ला (पेशाब, पाख़ाने) के लिए जाते तो (आबादी से) दूर चले जाते।

तख़रीज 1: (सनद हसन) तिर्मिज़ीः 20, नसाईः 17, व इब्ने माजाः 331 सहीह इब्ने खुज़ैमाः 50, हाकिमः 1/140.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ .

(2) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) को जब पेशाब, पाख़ाने की हाजत होती तो (आबादी से) दूर चले जाते यहाँ तक कि आपको कोई न देख सकता।

तख़रीजः (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजाः 335.

फ़वाइद व मसाइलः दूसरी रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम पहली हदीस सहीह है, इसमें भी यही बात

बयान की गई है। इससे ह़स्बे ज़ेल मसाइल का इस्बात होता है (1) देहात में यानी खुले इलाक़े में क़ज़ाए ह़ाजत के लिए आबादी से दूर जाना ज़रूरी है ताकि किसी शख़्स की नज़र न पड़े। शहरों में चूँकि बापर्दा बैतुलख़ला बने होते हैं, इसलिए वहाँ दूर जाने की ज़रूरत नहीं। (2) नबी (ﷺ) का मामूले मुबारक इंसानी और इस्लामी फ़ित्रत का आईनादार है जिसमें शर्मगाह को इंसानी नज़र से महफ़ूज़ रखने के अ़लावा माह़ौल की स़फ़ाई सुथराई के एहतिमाम का भी दर्स मिलता है और मज़ीद यह कि आबादी के माह़ौल को किसी त़रह़ भी आलूदा नहीं होना चाहिए। (3) यह और इस क़िस्म की दीगर अह़ादीस वाज़ेह़ करती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) आम इंसानी और बशरी तक़ाज़ों से बालातर न थे। (4) नीज़ आप ह़या व वक़ार का अ़ज़ीम पैकर थे। (5) इन अह़ादीस में अस्ह़ाबे किराम (रज़ि.) की बालिग़ नज़री भी मुलाह़िज़ा हो कि उन्होंने नबी (ﷺ) की नशिस्त व बरख़ास्त तक के एक एक पहलू को किस दिक़्क़ते नज़र और शरई ह़ैसियत से मुलाह़िज़ा किया, इसे अपने ज़हनों में महफ़ूज़ रखा और उम्मत तक पहुँचाया।

बाब : 2
पेशाब के लिए (नर्म) जगह तलाश करना

﴾2﴿
باب الرَّجُلِ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ

(3) अबू तय्याह़ कहते हैं कि मुझे एक शैख़ ने बताया कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) जब बस़रा में (बह़ैसियत गवर्नर) तशरीफ़ लाए तो लोग उन्हें ह़ज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) से सुनी हुई अहादीस बयान करते थे.. (तो इस ज़िम्न में) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) के नाम एक ख़त़ लिखा जिसमें उनसे कुछ मसाइल पूछे चुनाँचे ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने उन्हें जवाब में लिखा: मैं एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) की मइयत (साथ) में था, तो आपने पेशाब करने का इरादा किया, पस आप एक दीवार की जड़ में नर्म मिट्टी के पास आए और पेशाब किया। उसके

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكَانَ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى، فَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ

صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا " .

बाद आपने फ़र्माया, ''तुममें से जब कोई पेशाब करना चाहे तो उसके लिए (मुनासिब नर्म) जगह तलाश कर लिया करे।''

तख़रीज 3: (सनद ज़ईफ़) अहमद: 4/396, नववी, अल्मज्मूअ: 2/83.

फ़वाइद व मसाइल: (1) यह रिवायत अगरचे एक मज्हूल रावी (शैख़) की बिना पर ज़ईफ़ है मगर दीगर सहीह अहादीस से यह मसला इसी तरह साबित है कि पेशाब से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि इंसान का पेशाब नापाक है अगरचे उसका जुर्म नज़र नहीं आता। इससे बचना और तहारत हासिल करना फ़र्ज़ है। दूध पीता बच्चा या सल्सुलुल बौल का मरीज़ इस हुक्म से अलग है। पेशाब करने के लिए ऐसी जगह ढूँढनी चाहिए जहाँ से छींटे पड़ने का अंदेशा न हो। जगह नर्म न हो तो नर्म कर ली जाए। या ढलान ऐसी हो कि पेशाब के छींटों से आलूदा होने का अंदेशा न हो। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दो क़ब्रों के पास से गुज़रे तो फ़र्माया, ''इन दोनों क़ब्र वालों को अज़ाब हो रहा है और बाइसे अज़ाब कोई बड़ी चीज़ नहीं, इन दोनों में से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगलख़ोर था।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, हदीस: 218) इस हदीस से मालूम हुआ कि पेशाब के छींटों से सख़्त परहेज़ करना चाहिए। वह लोग जो पेशाब करते वक़्त छींटों से परहेज़ नही करते, अपने कपड़ों को नहीं बचाते, पेशाब करके (पानी की अदमे मौजूदगी में टिशू या मिट्टी वग़ैरह से) इस्तिंजा किये बग़ैर फ़ौरन उठ खड़े होते हैं, उनके पाजामे, पतलून, सलवार और जिस्म वग़ैरह पेशाब से आलूदा हो जाते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि पेशाब से न बचना अज़ाब का बाइस और कबीरा गुनाह है। और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ही से एक और रिवायत मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''क़ब्र में ज़्यादातर अज़ाब पेशाब के मामले में (तहारत से ग़फ़्लत बरतने पर) होता है, लिहाज़ा इससे एहतियात करो।'' (सहीह अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब, अल्जुज़्उल अव्वल, हदीस: 158) **(2)** इस्लाम दीने नज़ाफ़त और तहारत है जो कि फ़र्द और मुआशरे को दाख़िली व ज़ाहिरी हर लिहाज़ से तहारत व नज़ाफ़त का पाबंद बनाता है। **(3)** ख़ैरुल क़ुरून में लोग अस्हाबे इल्म व फ़ज़्ल से मसाइल मालूम कर लिया करते थे और अहादीस की तहक़ीक़ भी करते थे, नीज़ दीगर उलमा का बयानकर्दा रिवायात और फ़त्वे की जाँच परख का एहतिमाम भी करते थे। **(4)** हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि) ने भी, बावजूद यह कि आप अहले बैत के ज़ी वजाहत फ़र्द और जलीलुल क़द्र सहाबी थे, तहक़ीक़े मसाइल में हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से मुराजिअत में कोई बाक (शर्म) महसूस नहीं किया। उलम-ए-हक़ की यही शान है और तल्बा व अवाम के लिए बेहतरीन नमूना है।

﴿3﴾ باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ

बाब : 3
आदमी बैतुलख़ला में दाख़िल होना चाहे तो क्या पढ़े?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ
الْخَلاَءَ - قَالَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ " . وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ - قَالَ
" أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " .
قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَقَالَ مَرَّةً أَعُوذُ بِاللَّهِ
و قَالَ وُهَيْبٌ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ

(4) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बैतुलख़ला में दाख़िल होने का इरादा करते तो दर्जे ज़ेल दुआ पढ़ते... हम्माद बिन ज़ेद के अल्फ़ाज़ हैं (अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिका मिनल ख़ुबुसि वल ख़बाइस) और अब्दुल वारिस के अल्फ़ाज़ हैं (अऊज़ुबिल्लाहि मिनल ख़ुबुसि वल ख़बाइस) ''ऐ अल्लाह! मैं ख़बीस जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ।'' इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि शुअबा अब्दुल अज़ीज़ से (अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक..) के अल्फ़ाज़ मंक़ूल हैं उन्होंने एक बार (अऊज़ु बिल्लाहि...) के अल्फ़ाज़ बयान किये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि वुहैब से (फ़ल्यतअव्वज़ बिल्लाहि) ''उसे अल्लाह की पनाह लेनी चाहिए'' के अल्फ़ाज़ मंक़ूल हैं।

तख़रीज :सहीह मुस्लिम:375, सहीह बुख़ारी: 142

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، - يَعْنِي السَّدُوسِيَّ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ

(5) शुअबा अब्दुल अज़ीज़ यानी इब्ने सुहैब से, वह हज़रत अनस (रज़ि.) से यही (मज़्कूरा बाला) हदीस नक़्ल करते हैं। उनके अल्फ़ाज़ यह हैं (अल्लाहुम्म इन्नी

عَبْدِ الْعَزِيزِ، - هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنَسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ " . وَقَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ مَرَّةً " أَعُوذُ بِاللَّهِ " .

अऊ़ज़ुबिका...) और शुअबा कहते हैं कि अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने (ह़ज़रत अनस रज़ि. से) एक बार (अऊ़ज़ुबिल्लाहि...) के अल्फ़ाज़ बयान किये।

तख़रीज 5: (सनद स़ह़ीह़) तिर्मिज़ीः 5

फ़वाइद व मसाइलः (1) मुह़द्दिसीने किराम (रह़ि.) की ह़िफ़ाज़ते ह़दीस के सिलसिले में काविशों की दाद दी जानी चाहिए, देखिए! रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुबारक अल्फ़ाज़ नक़्ल करने में किस क़द्र अमानत व दयानत का सबूत देते हैं। एक उस्ताज़ ने (अल्लाहुम्म इन्नी अऊ़ज़ुबिक) बयान किया है तो दूसरे ने जो सुना और याद रखा वही पेश कर दिया है, अल्लाहुम्म इन्नी) की बजाय स़िर्फ़ (अऊ़ज़ुबिल्लाहि) और मुह़द्दिस ने दोनों के अल्फ़ाज़ अलग अलग बएनिही वैसे ही याद रखे और बयान किये। **(2)** इस ह़दीस में ता'लीम है कि बैतुलख़ला ख़्वाह घर में हो या जंगल में हर मौक़े पर कलिमात पढ़ने चाहिए। **(3)** ख़्याल रहे कि यह अल्फ़ाज़ बैतुलख़ला से बाहर ही पढ़े जाएँ क्योंकि बैतुलख़ला अल्लाह के ज़िक्र का मक़ाम नहीं है। अगर जंगल में हो तो कपड़ा उतारने से पहले यह अल्फ़ाज़ कह लें। **(4)** मुह़द्दिसीने किराम बयान करते हैं कि दुआ़ के अल्फ़ाज़ में (अल्ख़ुबुस) को अगर 'बा' के ज़म्मा के साथ पढ़ा जाए तो यह (ख़बीसन) (मुज़क्कर) की जमा है। और (ख़बाइस, खबीसतुन) मुअन्नस की। मुराद है जिन्नों में मुज़क्कर और मुअन्नस अफ़राद। और अगर (ख़ुबुस) की 'बा' को साकिन पढ़ा जाए तो मअ़नी होगा ''ऐ अल्लाह! मैं तमाम मकरूहात, मुहर्रमात, बुराईयों और गंदगियों से तेरी पनाह चाहता हूँ।''

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" .

(6) ह़ज़रत ज़ेद बिन अरक़म (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं, आपने फ़र्माया, ''यह बैतुलख़ला जिन्नों और शैत़ानों के आने जाने की जगहें हैं, लिहाज़ा तुममें से जब कोई बैतुलख़ला जाना चाहे तो यह कलिमात कह लिया करें (अऊ़ज़ु-बिल्लाहि मिनल ख़ुबुसि वल ख़बाइस) ''मैं ख़बीस जिन्नों और जिन्नियों (के शर्र) से अल्लाह की पनाह में आता हूँ।''

तख़रीज 6: (सनद ह़सन) सुनन इब्ने माजाः 296, इब्ने ख़ुज़ैमाः69, इब्ने ह़िब्बानः 1405, ह़ाकिमः 1/187

फ़वाइद व मसाइलः (1) यह ख़बर उमूरे ग़ैबिया में से है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बयान की है और तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि आपकी दी हुई ख़बरों पर मिन व अ़न और बिला चूँ चरा ईमान लाएँ। (2) मालूम हुआ कि इस दुआ की पाबन्दी से इंसान कई तरह की ज़ाहिरी बातिनी परेशानियों से महफ़ूज़ रह सकता है। और आजकल जो घर घर में जिन्नों और आसेब के हमलों का चर्चा है उसके अस्बाब में से एक यह भी है कि लोग ख़ुद नापाक रहते हैं या इस सुन्नते मुतह्हरा के छोड़ने वाले होते हैं, अआज़नल्लाहु मिन्हा

बाब : 4 क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ला रुख़ होना मकरूह है

﴿4﴾ بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قِيلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ . قَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ وَأَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ .

(7) हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि) से मरवी है, किसी ने उनसे कहा कि तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें सभी चीज़ें सिखाई हैं यहाँ तक कि पेशाब पाख़ाने का तरीक़ा भी! उन्होंने कहा, हाँ! बिला शुब्हा (इसमें हमारे लिए कोई ऐब की बात नहीं) आपने हमें पेशाब, पाख़ाने के वक़्त क़िब्ला रुख़ होने और दाएँ हाथ से इस्तिंजा करने से मना किया है और यह कि हममें से कोई तीन ढेलों से कम में इस्तिंजा न करे और गोबर या हड्डी से भी इस्तिंजा न करे।

तख़रीज 7: सहीह मुस्लिमः 262, तिर्मिज़ीः 16, नसाईः 41, इब्ने माजाः 316

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

(8) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, बिला शुब्हा मैं तुम्हारे लिए वालिद की तरह हूँ, तुम्हें सिखाता हूँ। जब तुममें से कोई पाख़ाने के लिए आए तो क़िब्ला रुख़ होकर न बैठे

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ ". وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ .

और न क़िब्ले की तरफ़ पीठ करे और न दाएँ हाथ से इस्तिंजा करे।'' और नबी (ﷺ) हुक्म दिया करते थे कि (कम अज़्कम) तीन ढेले इस्तेमाल किया करें और गोबर और हड्डी से मना किया करते थे।

तख़रीज 8: (सनद हसन) सुनन नसाईः 40, इब्ने माजाः 312, 313, इब्ने ख़ुज़ैमाः 80, इब्ने हिब्बानः 1432, मुस्लिमः 265

फ़वाइद व मसाइलः (1) बोल (पेशाब) व बराज़ (पाख़ाने) के वक़्त जान बूझकर क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करना बिलकुल जाइज़ नहीं है। छोटे बच्चे अगरचे ग़ैर मुकल्लफ़ होते हैं मगर वालदेन या सरपरस्तों की ज़िम्मेदारी है कि इस मसले का ख़्याल रखा करें। **(2)** इस्तिंजा में अगर तीन ढेले, इसी तरह टिशू पेपर इस्तेमाल कर लिये हों और तहारत हासिल हो गई हो तो उनके बाद पानी इस्तेमाल न भी किया जाए तो तहारत हर तरह से कामिल होती है। **(3)** इस्तिंजा के लिए दाएँ हाथ का इस्तेमाल भी जाइज़ नहीं **(4)** गोबर और पलीद चीज़ों से तहारत हासिल नहीं होती। **(5)** हड्डी चूँकि जिन्नोंका खाना है इसलिए जाइज़ नहीं। दीगर खाने पीने की चीज़ों से भी इस्तिंजा जाइज़ नहीं। **(6)** रसूलुल्लाह (ﷺ) उम्मत के लिए रूहानी बाप और आपकी अज़्वाजे मुतह्हिरात रूहानी माओं का मर्तबा रखती हैं। (देखिए सूरतुल अहज़ाब, आयत 6 और 40) **(7)** बाप के फ़राइज़ में से है कि अपनी औलाद को उनकी ज़िन्दगी में पेश आने वाले तमाम मसाइल बिल्ख़ुसूस दीनी उमूर की ता'लीम दे यहाँ तक कि मख़्सूस मसाइल भी समझाए और नौजवान औलाद को आज़ादमंश लोगों का शिकार न होने दें। इसी तरह माओं के ज़िम्मे भी है कि अपनी बच्चियों को उनकी ज़िन्दगी के मख़्सूस लाज़मी मसाइल से बिज़्ज़रूर आगाह किया करें। **(8)** अहकामे शरीअत को छोटे (सग़ीरा) और बड़े (कबीरा) में तक़्सीम करने या उनको हल्का जानने से हमेशा परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के तमाम अहकाम और नबी (ﷺ) की तमाम ता'लीमात इंतिहाई अज़ीम और ज़ी शर्फ़ हैं। मुसलमान को इनके इख़्तियार करने या इनकी दअवत देने में मअज़िरत ख़्वाहाना अंदाज़ से बचकर फ़ख़्रो शर्फ़ और शुक्र से उन पर अमल करना चाहिए, इनका इज़्हार करना चाहिए और इनकी तरफ़ दावत देनी चाहिए जैसाकि सय्यदना सलमान (रज़ि.) ने किया और कहा।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

(9) हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) से मरफ़ूअन रिवायत है (यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब तुम

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، رِوَايَةً قَالَ " إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا " . فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .

बैतुलख़ला में आओ तो पेशाब पाख़ाने के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह न किया करो बल्कि मश्रिक़ या मग़रिब की तरफ़ रुख़ कर लिया करो।'' (अबू अय्यूब रज़ि. कहते हैं कि) जब हम शाम में आये तो देखा कि (वहाँ के) बैतुलख़ला क़िब्ला रुख़ पर बने हुए थे, चुनाँचे हम उससे मुँह फेरकर बैठते थे और इस्तिग़फ़ार करते थे।

तख़रीज 9: सहीह बुख़ारीः 394, मुस्लिमः 264, तिर्मिज़ीः 318, नसाईः 20–22, इब्ने माजाः 318

फ़वाइद व मसाइलः (1) मदीना मुनव्वरा में क़िब्ला चूँकि जुनूब की तरफ़ है इसलिए उन्हें मश्रिक़ या मग़रिब की तरफ़ रुख़ करने का हुक्म दिया गया, लिहाज़ा जिन इलाक़ों में क़िब्ला मग़रिब या मश्रिक़ की तरफ़ बनता है, उन्हें शिमाल या जुनूब की तरफ़ रुख़ करना होगा। (2) हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) इस नही को आम समझते थे और शहर या जंगल में तफ़रीक़ के क़ाइल न थे और बहुत से अहले इल्म का यही मज़हब है और यही राजेह है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ

(10) हज़रत मअक़िल बिन अबी मअक़िल (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पेशाब पाख़ाने के वक़्त क़िब्लतैन (बैतुल हराम और बैतुल मक़्दिस) की जानिब मुँह करने से मना फ़रमाया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, ''अबू ज़ेद, बनू सअलबा क़बीले के आज़ादकर्दा गुलाम थे।''

तख़रीज 10: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 319, फ़त्हुल बारीः 1/246

फ़वाइद व मसाइलः यह रिवायत ज़ईफ़ है, शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे 'मुंकर' कहा है, ताहम जिनके नज़दीक सहीह है, उन्होंने इसकी तौजीह की है, जैसे अल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि इस हुक्म की दो तौजीहात हो सकती हैं। पहली यह कि जो शख़्स मदीना मुनव्वरा में बैतुल्लाह यानी ख़ाना

कअबा की तरफ़ मुँह करेगा वह लाज़िमन बैतुल मक़्दिस की तरफ़ पुश्त (पीठ) करेगा। दूसरी तौजीह यह हो सकती है कि चूँकि बैतुल मक़्दिस भी मुसलमानों का क़िब्ला रहा है इसलिए उसका एह्तिराम भी ज़रूरी है और यह नह्य तंज़ीही है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ

(11) हज़रत अस्फ़र बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को देखा कि उन्होंने अपनी सवारी क़िब्ला रुख़ बिठाई और फिर उसकी तरफ़ मुँह करके पेशाब करने लगे। मैंने कहा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! क्या इससे मना नहीं किया गया है? उन्होंने कहा, हाँ! खुली फ़िज़ा में इससे रोका गया है, मगर जब तुम्हारे और क़िब्ले के बीच कोई चीज़ हाइल हो तो कोई हर्ज नहीं।

तख़रीज 11: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 1/92, इब्ने ख़ुज़ैमाः 60, दारे क़ुत्नीः 1/58, हाकिमः 1/154

फ़ायदाः यह रिवायत ज़ईफ़ है, बशर्ते सेहत यह अमल उन हज़रात की दलील है जो बंद जगह (यानी बैतुलख़ला) या ओट में क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करने को जाइज़ समझते हैं। और मअरूफ़ फ़िक़्ही क़ायदा है कि जहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) के सरीह फ़र्मान और आपके अमल में तआरुज़ महसूस हो वहाँ उम्मत के लिए मोतबर आपका फ़र्मान हुआ करता है, इसलिए यहाँ आपके सरीह फ़र्मान और फ़ेअल में तआरुज़ नहीं बल्कि आपका अमल आपके लिए ख़ास और उम्मत के लिए वही फ़र्मान है जिसका बयान ऊपर गुज़रा है। या बक़ौल इमाम शाफ़ेई (रह.) नही आम है अल्बत्ता घरों या ता'मीरशुदा बैतुलख़लाओं में रुख़्सत है और बक़ौले इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) नह्य तंज़ीही है और अमल बयाने जवाज़ के लिए है। बहरहाल एहतियात इसी में है कि पेशाब पाख़ाने की हालत में क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ न की जाए। (नैलुल अवतार, जिल्दः 1, बाब नही अल्मुतखल्ली अन इस्तिक़्बालिल क़िब्लति व इस्तिदबारिहा)

बाब : 5
इस मसले में रुख़्सत का बयान

﴿5﴾
باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

(12) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं (एक बार) घर की छत पर चढ़ा तो देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ज़ाए हाजत के लिए दो ईंटों पर बैठे हैं और आपका मुँह बैतुल मक़्दिस की जानिब है।

तख़रीज 12: सहीह बुख़ारी, : 145, मुस्लिमः 266, मौत्ताः 1/193, 194

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ

(13) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने मना किया कि हम पेशाब के लिए क़िब्ले की तरफ़ चेहरा करें। फिर मैंने आपकी वफ़ात से एक साल पहले आपको देखा कि आप क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके (क़ज़ाए हाजत के लिए) बैठे थे।

तख़रीज 13: (इस्नाद हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 9, व इब्ने माजाः 325, इब्ने ख़ुज़ैमाः 58, व इब्ने हिब्बानः 134, हाकिमः 1/154.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا.

फ़ायदाः इन अहादीस से इस्तिदलाल किया जाता है कि घरों में ता'मीरशुदा बैतुलख़लाओं में बैतुल्लाह की तरफ़ पीठ करना जाइज़ है जबकि इस मसले की तमाम अहादीस से राजेह यही मालूम होता है कि इससे बचा जाए जैसाकि हदीस नम्बर 11 के फ़वाइद व मसाइल में गुज़रा है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो (अरौज़तुन नदिया शरह अद्दुर्रुल बहीत, बाब तर्कल इस्तिक़्बालि व इस्तिदबारिल क़िब्लति)

बाब : 6
क़ज़ाए ह़ाजत के वक़्त कपड़ा उतारने का अदब

﴾6﴿ باب كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ

(14) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) जब क़ज़ाए ह़ाजत का इरादा करते तो जब तक ज़मीन के क़रीब न हो जाते अपना कपड़ा न उठाते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि इस ह़दीस को अ़ब्दुस्सलाम बिन ह़र्ब ने अअ़मश से और उन्होंने ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत किया है, मगर यह सनद ज़ईफ़ है।

तख़रीज 14: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ी: 1/96, तिर्मिज़ी: 14

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لاَ يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بِهِ .

फ़ायदा: यह रिवायत ज़ईफ़ है ताहम बेहतर यही है कि इंसान को अकेले में भी उ़रियाँ (नंगा) होने में बहुत ज़्यादा एह़तियात़ करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तआ़ला इस बात का ज़्यादा ह़क़दार है कि उससे ह़या की जाए।

बाब : 7
क़ज़ाए ह़ाजत के दौरान बातचीत मकरूह (मना) है

﴾7﴿ باب كَرَاهِيَةِ الْكَلاَمِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

(15) ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप (ﷺ) फ़रमाते थे, ''दो शख़्स इस त़रह पाख़ाने के लिए न निकलें कि वह अपनी शर्मगाहें खोले पाख़ाना कर रहे हों और बातें

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ،

भी किये जा रहे हों, बिला शुब्हा अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल इस बात पर नाराज़ होता है।'' इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि इस ह़दीस को स़िर्फ़ इक्रिमा बिन अ़म्मार ने मुस्नद बयान किया है।

तख़रीज 15: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजा: 342, नसाई: 32, 33, इब्ने ख़ुज़ैमा: 71, व इब्ने ह़िब्बान: 137, ह़ाकिम: 1/157, त़ब्रानी: 1286.

قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَمْ يُسْنِدْهُ إِلاَّ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ .

फ़ायदा: यह रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दूसरी स़ह़ीह़ रिवायात से क़ज़ाए ह़ाजत के वक़्त एक दूसरे के सामने अपनी शर्मगाहें खोलने और बाहम बातचीत करने की मुमानिअ़त साबित होती है जैसे ह़दीस है।'' मर्द, मर्द की शर्मगाह और औ़रत, औ़रत की शर्मगाह की त़रफ़ न देखे।'' (स़ह़ीह़ मुस्लिम, अल्ह़ैज़, ह़दीस: 338) दूसरी ह़दीस में है ''एक शख़्स़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से गुज़रा जबकि आप पेशाब कर रहे थे, उसने आपको सलाम किया लेकिन आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, अल्ह़ैज़, ह़दीस: 370) ह़ालाँकि सलाम का जवाब देना ज़रूरी है, उसके बावजूद आपने जवाब नहीं दिया। इससे मालूम हुआ कि जब सलाम का जवाब देना पसंद नहीं, तो दूसरी बातें करना किस त़रह़ जाइज़ होगा? ग़ालिबन इसी वजह से कुछ उ़लमा ने अबू दाऊद की ज़ेरे बह़स ह़दीस को सही लि ग़ैरिही क़रार दिया है। (मुलाह़िज़ा हो, अल्मौसूअ़तुल ह़दीसिया, मुस्नद अल्इमाम अह़मद, : 17, ह़दीस: 11310, स़ह़ीहुत्तर्ग़ीब: 1/175)

बाब : 8
पेशाब करते हुए सलाम का जवाब देना?

﴾8﴿
بَابُ أَيَرُدُّ السَّلاَمَ وَهُوَ يَبُولُ

(16) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, (एक बार) नबी करीम (ﷺ) पेशाब कर रहे थे कि एक शख़्स़ आपके पास से गुज़रा, उसने आपको सलाम किया, तो आपने सलाम का जवाब नहीं दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि ह़ज़रत

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله

عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ.

अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) और दूसरों से रिवायत की गई है ''नबी (ﷺ) ने(फ़ारिग़ होकर) तयम्मुम किया और फिर उसके सलाम का जवाब दिया।''

तख़रीज 16: स़ह़ीह़ मुस्लिमः 370, तिर्मिज़ीः 90, नसाईः 37, इब्ने माजाः 353, मुस़न्नफ़ः 8/435

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ " إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ " . أَوْ قَالَ " عَلَى طَهَارَةٍ " .

(17) ह़ज़रत मुहाजिर बिन क़ुन्फ़ुज़ (रज़ि.) से रिवायत है कि वह नबी (ﷺ) के पास से गुज़रे और आप पेशाब कर रहे थे। उन्होंने सलाम किया तो आपने जवाब न दिया यहाँ तक कि आपने वुज़ू किया (और जवाब दिया) और मअ़ज़िरत करते हुए फ़र्माया, ''मुझे यह बात नापसंद आई कि त़हारत के बग़ैर अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र करूँ।''

रावी को शक है कि आप (ﷺ) ने (अ़ला त़ुहरिन) कहा था या (अ़ला त़हारतिन) (मअ़नी दोनों का एक ही है।)

तख़रीज 17: (इस्नाद ज़ईफ़) सुनन नसाईः 38, इब्ने माजाः 350, इब्ने ख़ुज़ैमाः 206, इब्ने ह़िब्बानः 189, ह़ाकिमः 1/167, 3/479

फ़वाइद व मसाइलः (1) यह रिवायत एक दूसरे त़रीक़ से आती है और वह स़ह़ीह़ है, उसमें सिर्फ़ यहाँ तक बयान है कि नबी (ﷺ) ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, ह़दीसः 370) इसलिए अबू दाऊद की ह़दीस नम्बर 17 का अगला ह़िस्स़ा कि आपने वुज़ू किया.... यह सही नहीं, इसलिए यह बात तो सही साबित हुई कि पेशाब पाख़ाना करते हुए सलाम का जवाब न दिया जाए लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि सलाम का जवाब या अल्लाह का ज़िक्र वुज़ू के बग़ैर जाइज़ नहीं। **(2)** इससे यह बात भी मुस्तफ़ाद (फ़ायदा) होती है कि क़ज़ाए ह़ाजत के लिए बैठे हुए शख़्स़ को सलाम न किया जाए।

बाब : 9
तहारत के बग़ैर अल्लाह तआला का ज़िक्र करना

﴿9﴾ باب فِي الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، - يَعْنِي الْفَأْفَاءَ - عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .

(18) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर वक़्त अल्लाह तआला का ज़िक्र किया करते थे।

तख़रीज 18 : सहीह मुस्लिमः 373, तिर्मिज़ीः 3384, इब्ने माजाः 302, बुख़ारीः 1/407, 2/114, अहमदः 6/278

फ़ायदाः किसी भी मुसलमान मर्द हो या औरत किसी हाल में भी अल्लाह तआला के ज़िक्र से ग़ाफ़िल नहीं रहना चाहिए (सिवाए बैतुलख़ला वग़ैरह के) बावुज़ू हो या बेवुज़ू, ताहिर हो या जुंबी। कुरआन मजीद भी अल्लाह का ज़िक्र है मगर हालते जनाबत में तिलावत नाजाइज़ है। ख़्वातीन को भी अय्यामे मख़्सूसा में आम ज़िक्र अज़्कार की पाबंदी करनी चाहिए। मगर उनके लिए कुरआन मजीद की तिलावत के मसले में इख़्तिलाफ़ है। इमाम मालिक, तब्री, इब्नुल मुंज़िर, दाऊद और इमाम बुख़ारी (रह.) का मैलान ऊपर वाली हदीस की रोशनी में यह है कि मुबाह और जाइज़ है। बिल्ख़ुसूस ऐसी ख़्वातीन जो कुरआन मजीद की हाफ़िज़ा हों या उलूमे शरइया के दर्स व तदरीस से जुड़ी हुई उनके लिये ये तअत्तुल (छोड़ना) हारिज होता है। जबकि जनाबत का हदस बहुत मुख़्तसर वक़्त के लिए होता है। अगरचे हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि वह जुंबी के लिए भी तिलावत में कोई हर्ज नहीं समझते थे। तफ़्सील के लिए देखिए (सहीह बुख़ारी व फ़त्हुल बारी, किताबुल हैज़, बाब तक़्ज़िल हाइज़ुल मनासिक कुल्लहा...)

बाब : 10
ऐसी अंगूठी जिसमें अल्लाह का ज़िक्र कंदा हो, बैतुलख़ला में ले जाना

﴿10﴾
باب الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ يَدْخُلُ بِهِ الْخَلاَءَ

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ . وَالْوَهَمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ هَمَّامٌ.

(19) हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) जब बैतुलख़ला जाते तो अपनी अंगूठी उतार लिया करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह हदीस मुंकर है, (यानी सिक़ात की रिवायत के ख़िलाफ़ है) जबकि मअरूफ़ सनद यूँ है, अन इब्ने जुरैज, अन ज़ियाद बिन सअद, अन ज़ोहरी, अन अनस बिन मालिक (रज़ि.) कि नबी (ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई फिर उसे उतार दिया... ऊपर वाली पहली हदीस में वहम हम्माम का हुआ है और इसे सिर्फ़ हम्माम ने रिवायत किया है।

तख़रीज 19: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 303, तिर्मिज़ीः 1746, नसाईः 5216

फ़ायदाः असल रिवायत इस तरह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई और फिर उसे उतार दिया। गोया बैतुलख़ला में जाते वक़्त अंगूठी उतार देने की रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम अदब व एहतिराम का तक़ाज़ा है कि ऐसी अंगूठी या किताब वग़ैरह, जिसमें अल्लाह का नाम हो, बैतुलख़ला में ले जाना मुनासिब नहीं है। मज़्कूरा बाला सनद के मुंकर होने की वजह यह है कि हम्माम ने हदीस का लफ़्ज़ रिवायत करने में सिक़ात की मुख़ालिफ़त की है और इस मतन को एक दूसरी हदीस के मतन के साथ ख़लत मलत कर दिया है।

बाब : 11
पेशाब से ख़ूब अच्छी तरह पाक होने का बयान

﴾11﴿
باب الاِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

(20) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) दो क़ब्रों के पास से गुज़रे तो आपने फ़र्माया, ''इन्हें अज़ाब दिया जा रहा है और इन्हें किसी बहुत बड़ी बात में अज़ाब नहीं दिया जा रहा है। रहा यह शख़्स! तो यह पेशाब से न बचता था और यह (दूसरा) तो यह चुग़लख़ोरी किया करता था।'' फिर आपने खजूर की एक ताज़ा टहनी मँगवाई, उसे दो हिस्सों में चीरा और हर दो क़ब्रों पर एक एक को गाड़ दिया और फ़र्माया, ''उम्मीद है कि इनके सूखने तक इन के अज़ाब में तख़्फ़ीफ़ रहेगी।''

हन्नाद के अल्फ़ाज़ (यस्तन्ज़िहु) ''पेशाब से नहीं बचता था।' की बजाय (यस्ततिरु) ''पर्दा न करता था'' हैं।

तख़रीज 20: सहीह बुख़ारीः 6052, मुस्लिमः 292, तिर्मिज़ीः 70, नसाईः 31, व इब्ने माजाः 347

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ " . ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا وَقَالَ " لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا " . قَالَ هَنَّادٌ " يَسْتَتِرُ " . مَكَانَ " يَسْتَنْزِهُ " .

फ़वाइद व मसाइलः (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही के बताने से ऐसी ख़बरें दिया करते थे। फ़र्माया (वमा यन्तिक़ु अनिल हवा. इन हुव इल्ला वह्युंय्युहा) (नज्मः 3 से 4) ''वह अपनी ख़्वाहिश से कुछ नहीं कहते। जो कहते हैं वह्री (मैसेज) होती है उन पर नाज़िलकर्दा।'' (इस हदीस से कुछ लोग यह मसला अख़ज़ करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ग़ैब जानते थे, हालाँकि उमूरे ग़ैब के बारे में अस़ल बात यह है कि यह अल्लाह तआला का ख़ास्सा हैं, उन्हें अल्लाह तआला ही जानता है, इर्शाद बारी तआला है (व इन्दहू मफ़ातिहुल ग़ैबि ला यअलमुहा इल्ला हुव व यअलमु मा फ़िल्बर्रि वल बह्रि वमा तस्क़ुतु मिंव्वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़िव्वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम् मुबीन) (अल्अन्आमः 59) ''और उसी के पास ग़ैब की कुँजियाँ हैं

जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीज़ों का इल्म है और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वह उसको जानता है और ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज़ नहीं मगर किताबे रोशन में (लिखी हुई) है।'' और फ़र्माया, ''ऐ पैग़म्बर (ﷺ)! कह दीजिए कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह के सिवा ग़ैब की बातें नहीं जानते और वह यह भी नहीं जानते कि वह कब (ज़िन्दा करके) उठाये जाएँगे।'' (नम्लः 27/65) अल्बत्ता अल्लाह तआला अपने रसूलों में से जिसको चाहता है, ग़ैब की जिस बात पर चाहता है ख़बर कर देता है। इर्शादे बारी तआला है, ''(वही) ग़ैब की बात जानने वाला है और किसी पर अपने ग़ैब को ज़ाहिर नहीं करता, हाँ! जिस पैग़म्बर को पसंद करे तो उसको ग़ैब की बातें बता देता है और उसके आगे और पीछे निगहबान मुक़र्रर कर देता है।'' (जिन्नः 72/26, 27) और फ़र्माया, ''कह दीजिए कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं आया और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा? मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वह़ी आती है और मेरा काम तो स़ाफ़ स़ाफ़ (खुल्लम खुल्ला) डराना है।'' (अह़क़ाफ़ः 46/9) ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से मरवी मशहूर ह़दीस में है कि जब ह़ज़रत जिब्रईल (अ़.) ने नबी (ﷺ) से क़ियामत के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया, ''उसके बारे में मस्ऊल को साइल से ज़्यादा इल्म नहीं है।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब सुआलु जिब्रईलन्नबी (ﷺ) अ़निल ईमान.., ह़दीसः 50, स़ह़ीह़ मुस्लिम, अल्ईमान, ह़दीसः 8) फिर आपने जिब्रईल (अ़लैहि.) को क़ियामत की चंद निशानियों के बारे में ज़रूर बतलाया इससे भी मालूम होता है कि नबी (ﷺ) को बस उतना इल्मे ग़ैब था जितना कि अल्लाह तआ़ला ने आपको मालूम करवा दिया था, उसी के बारे में आपने बवक़्ते ज़रूरत बताया, ग़ैब के बाक़ी उमूर जिनके बारे में अल्लाह तआ़ला ने आपको नहीं बताया, उनके बारे में आप (ﷺ) को इल्म न था। (2) पेशाब से त़हारत ह़ासिल न करना, या उसके छींटों से न बचना, या पर्दा न करना यानी बरसरे आ़म पेशाब पाख़ाना करने के लिए बैठ जाना अ़ज़ाबे क़ब्र का बाइस है। (3) चुग़लख़ोरी को भी आ़म सी बात नहीं समझना चाहिए बल्कि यह भी बहुत बड़ा गुनाह और अ़ज़ाबे क़ब्र की वजह है। (4) रसूलुल्लाह (ﷺ) का क़ब्रों पर छड़ियाँ रखने का अ़मल आप ही से मख़्सूस़ है। आपके बाद स़ह़ाबा (रज़ि.) में से किसी ने भी यह अ़मल नहीं किया, अब जो लोग करते हैं एक बिदअ़त के मुर्तकिब होते हैं।

(21) जनाब उ़स्मान बिन अबी शैबा कहते हैं कि हमें जरीर ने मंसूर के वास्ते से मुजाहिद से बयान किया है, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरफ़ूअ़न उसके हम मअ़नी रिवायत बयान की है। जरीर (रह.) ने

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه

कहा (काना ला यस्ततिरु मिन बौलिही) और अबू मुआविया (मुहम्मद बिन ख़ाज़िम) के लफ़्ज़ हैं (काना ला यस्तंज़िहु मिन बौलिही)

وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ " كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ " . وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ " يَسْتَنْزِهُ " .

तख़रीज 21: सहीह बुख़ारीः 216

फ़ायदाः (ला यस्ततिरु) का ज़ाहिर मअ़नी है कि ''पर्दा न करता था।' और यह भी कहा जा सकता है कि ''वह अपने और पेशाब के बीच कोई चीज़ आड़ न करता था ताकि वह उसके जिस्म और कपड़ों को न लगे।'' इस तरह दोनों लफ़्ज़ मअ़नवी तौर पर एक ही मफ़्हूम के हामिल हैं।

(22) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन हसना (रज़ि.) कहते हैं कि मैं और अ़म्र बिन आ़स नबी (ﷺ) के पास गए, उसी दौरान आप बाहर निकले और आपके पास (चमड़े की) एक ढाल थी, आपने उसी से पर्दा किया और फिर पेशाब किया। हम (में से कुछ) ने कहा कि देखो ऐसे पेशाब कर रहे हैं जैसे कि औ़रत (छुपछुपाकर) पेशाब करती है। यह बात आपने सुन ली, आपने फ़र्माया, ''क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बनी इस्राईल के एक शख़्स का क्या हाल हुआ था? उनको अगर पेशाब लग जाता था तो वह उस हिस्से को काट डालते थे। उस शख़्स ने अपनी क़ौम को उस काम से रोक दिया तो क़ब्र में अ़ज़ाब दिया गया।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मंसूर ने अबू वाइल से उन्होंने अबू मूसा (रज़ि.) से इसी हदीस में यह लफ़्ज़ कहे (जिल्द अहदिहिम) ''अपने चमड़े को काट देते।'' जबकि आ़सिम ने अबू वाइल से, उन्होंने अबू मूसा से, उन्होंने नबी (ﷺ)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمَّ بَالَ فَقُلْنَا انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ . فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ " أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " جِلْدَ أَحَدِهِمْ " . وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي

مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " جَسَدَ أَحَدِهِمْ " .

से यह लफ़्ज़ कहे, (जसद अह़दिहिम) ''अपने जिस्म को काट देते।''

तख़रीज 22: (सनद ज़ईफ़) सुनन नसाईः 30, इब्ने माजाः 346

फ़ायदाः (क़त़ऊ मा अस़ाबहुल बौल) ''जिसको पेशाब लगता था, उसे काट देते थे।''इसमें इब्हाम है कि किस चीज़ को काटते थे? अबू दाऊद की दूसरी रिवायात में से एक में (जिल्द) ''चमड़े'' का और दूसरी में 'जसद' 'जिस्म' का ज़िक्र है। जसद के लफ़्ज़ को शैख़ अल्बानी (रह़.) ने ज़ईफ़ अबू दाऊद में मुंकर कहा है और जिल्द से मुराद चमड़े का लिबास मुराद लिया गया है जो पहना जाता है। इस त़रह़ काटे जाने वाली चीज़ जिस्म का ह़िस़्सा नहींबल्कि लिबास (कपड़ा या चमड़ा) होता था जिसे पेशाब लग जाता था, स़ह़ीह़ बुख़ारी की रिवायत से भी इसी की ताईद होती है जिसके अल्फ़ाज़ हैं (इज़ा अस़ाब सौब अह़दिहिम क़रज़ह़) (बुख़ारी, अल्वुज़ूउ, ह़दीसः 226) ''जब उनमें से किसी के कपड़े को पेशाब लग जाता तो वह उसे काट देता था।'' इससे ह़स्बे ज़ेल बातें मुस्तफ़ाद होती हैं (1) इस्लाम हमेशा से त़हारत व पाकीज़गी का दाई रहा है। बनी इस्राईल में यह अह़काम इंतिहाई सख़्त थे। जिस बदबख़्त ने लोगों को इस अम्रे शरई की मुख़ालिफ़त पर उभारा था, उसे क़ब्र में अ़ज़ाब दिया गया। (2) अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की इत़ाअ़त से रोकना, उसमें तह़रीफ़ करना या तावीले बात़िल से उसे मुह़मल (बेमानी) क़रार देना ह़राम और शक़ावत (बदबख़्ती) का काम है और ऐसा शख़्स़ अ़ज़ाबे इलाही का मुस्तह़िक़ है।

﴿12﴾ بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

बाब : 12
खड़े होकर पेशाब करना

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، - وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(23) ह़ज़रत ह़ुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं ''रसूलुल्लाह (ﷺ) एक क़ौम के कूड़े के एक ढ़ेर पर आए और खड़े होकर पेशाब किया। फिर आपने पानी मँगवाया और (वुज़ू किया, उस वुज़ू में आपने) अपने मोज़ों पर मसह किया।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि (उनके शैख़) मुसद्दद ने कहा कि रावी ह़दीस ह़ज़रत

سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ .

हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा कि (उस मौक़े पर) मैं आपसे दूर हटने लगा, तो आपने मुझे बुलाया यहाँ तक कि मैं (आपके क़रीब आ गया और) आपके पीछे ऐड़ियों के पास खड़ा हो गया।

तख़रीज 23: सह़ीह़ बुख़ारीः 224, मुस्लिमः 273, तिर्मिज़ीः 13, नसाईः 18, 26, 28, इब्ने माजाः 305

फ़वाइद व मसाइलः (1) मालूम हुआ कि ज़रूरत के मौक़े पर खड़े होकर पेशाब करना जाइज़ है बशर्ते कि छींटे पड़ने का अंदेशा न हो। चुनाँचे इस ह़दीस के पेशे नज़र ह़ज़रत उ़मर और ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) से मंक़ूल है कि खड़े होकर पेशाब करना जाइज़ है लेकिन सुन्नत यह है कि आदमी बैठकर पेशाब करे क्योंकि ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से मरवी है, ''जो शख़्स़ तुम्हें यह बयान करे कि नबी करीम (ﷺ) खड़े होकर पेशाब किया करते थे तो उसकी बात की तस्दीक़ न करो क्योंकि आप (ﷺ) तो हमेशा बैठकर ही पेशाब किया करते थे।'' (जामेअ़ तिर्मिज़ी, अत्तहारत, बाब मा जाअ फ़िन्नही अ़निल बौल क़ाइमन, ह़दीसः 12, व सुननुन्नसाई, अत्तहारतु, ह़दीसः 29) इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) फ़र्माते हैं कि इस मसले में सबसे ज़्यादा सही रिवायत यही है और फिर बैठकर पेशाब करने में पर्दापोशी भी ज़्यादा है और आदमी पेशाब के छींटों से भी ज़्यादा मह़फ़ूज़ रहता है। आजकल मॉडर्न क़िस्म के लोग, जो मग़रिब (पश्चिमी सभ्यता) की नक़्क़ाली में ह़द से बढ़ चुके हैं, होटलों और पार्कों में खड़े होकर पेशाब करते हैं और उसमें फ़ख़्र मह़सूस करते हैं, ह़ालाँकि हर मामले में ग़ैरों की नक़्क़ाली करना सरासर ह़दीसे रसूल के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तआ़ला हमें सुन्नते नबवी पर अ़मल पैरा होने की तौफ़ीक़ अ़ता करे और अंग्रेज़ की और ग़ैर मुस्लिमों की नक़्क़ाली से बचाए। **(2)** नीज़ यह भी मालूम हुआ कि कुछ ह़ालात में लोगों के क़रीब भी पेशाब किया जा सकता है।

बाब : 13
इंसान रात को किसी बर्तन में पेशाब करे और फिर उसे अपने पास पड़ा रहने दे

﴿13﴾
باب فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فِي الإِنَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ .

(24) हज़रत उमैमा बिन्ते रुक़ैक़ा (रज़ि.) रिवायत करती हैं, नबी (ﷺ) के पास लकड़ी का एक प्याला था, जो आपकी चारपाई के नीचे रखा होता था। आप रात को उसमें पेशाब कर लिया करते थे।

तख़रीज 24: (हसन) सुनन नसाईः 32, इब्ने हिब्बानः 1423, हाकिमः 1/167

फ़ायदाः बीमारी, सर्दी या किसी दूसरे ऊज़्र की बिना पर इंसान किसी बर्तन में पेशाब कर ले और बाद में उसे बाहर गिरा दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।

बाब : 14
वह मक़ामात जहाँ पेशाब करना मना है

﴿14﴾ باب الْمَوَاضِعِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبَوْلِ فِيهَا

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ ". قَالُوا وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ ".

(25) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''लअ़नत के दो कामों से बचो।'' सहाबा (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! लअ़नत के वह कौनसे दो काम हैं ? आपने फ़र्माया, ''जो लोगों के रास्ते में या उनके साये में पाख़ाना करता है।''

तख़रीज 25: सहीह मुस्लिमः 269

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ، وَحَدِيثُهُ، أَتَمُّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ".

(26) हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''लअ़नत के तीन कामों से बचो। (यानी) पानी के घाट पर पाख़ाना करने से, ऐन रास्ते में या (लोगों के) साये में।''

तख़रीज 26: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 328, हाकिमः 1/167

फ़ायदाः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। अल्बत्ता सह़ीह़ ह़दीस यह है, दो लअ़नत वाले कामों से बचो, एक यह कि आ़म गुज़रगाह में पाख़ाना किया जाए। दूसरा, यह कि लोगों की साये वाली जगह में यह काम किया जाए। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, ह़दीसः 269) इस ह़दीस से यह इस्तिदलाल सही है कि घाट समेत ऐसी तमाम जगहों पर बौल व बराज़ (पेशाब पाखाना) करना सही नहीं जिससे दूसरे लोगों को तक्लीफ़ हो।

﴾15﴿
باب فِي الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

बाब : 15
गुस्लख़ाने में पेशाब का मसला

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ،وَقَالَ الْحَسَنُ،عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ،قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ قَالَ أَحْمَدُ " ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ"

(27) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तुममें से कोई शख़्स गुस्लख़ाने में हर्गिज़ पेशाब न करे कि बाद में वह वहीं नहाएगा।''

अह़मद रिवायत करते हैं, ''फिर वह वहीं वुज़ू करेगा, क्योंकि अक्सर वस्वसे उसी से पैदा होते हैं।''

तख़रीज 27: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 304, तिर्मिज़ीः 21, बुख़ारीः 8/588, इब्ने ह़िब्बानः 1252, ह़ाकिमः 1/167, 185

फ़ायदाः यह रिवायत ज़ईफ़ है अल्बत्ता ह़दीस सही है जो इसी के हम मअ़नी है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ .

(28) हुमैद हिम्यरी, अब्दुर्रहमान के साहबज़ादे, कहते हैं कि मैं एक साहब से मिला जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की सोहबत से फ़ैज़ याफ़्ता थे जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) आपकी सोहबत में रहे थे, उन्होंने बयान किया, ''रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़र्माया कि हमारा कोई शख़्स हर रोज़ कँघी करे या अपने ग़ुस्लख़ाने में पेशाब करे।''

तख़रीज 28: (सनद सहीह) सुनन नसाई: 239

फ़ायदा: (1) ग़ुस्लख़ाने में पेशाब से बचना ही अफ़ज़ल है ख़्वाह वो कच्चा हो या सीमेन्ट और चिप्स वग़ैरह से बना हो क्योंकि आप (ﷺ) ने उससे मना किया है। पेशाब के लिए जगह अलग बनी हुई हो तो कोई हर्ज नहीं। अल्ग़र्ज़ तहारत में बद एहतियाती की वजह से वस्वसा लाहिक़ हो सकता है। **(2)** हर रोज़ कँघी से मना करने की वजह यह है कि आम दुनियादारों की तरह ज़ाहिरी टीपटाप का बहुत ज़्यादा एहतिमाम नहीं होना चाहिए जैसे कि अरबों का आम मामूल था कि वह बाल लम्बे रखते थे, अल्बत्ता सादा अंदाज़ में कँघी से बालों को बराबर करना कि इंसान बा वक़ार नज़र आए, इंशाअल्लाह मुबाह है। आम मफ़्हूम में कँघी करने को भी मुहद्दिसीने किराम ने नही तंज़ीही पर महमूल किया है। बहरहाल मक़्सद यह है कि इंसान अपनी ज़ाती ज़ेबो ज़ीनत को रोज़ाना का मअमूल न बनाए जैसे कि हमारे घरों में यह मुसीबत दर आई है कि हम्माम में आईना, कँघा , तेल व इत्र, दरवाज़े पर आईना कँघा और डेसिंग मेज़ वग़ैरह सजे रहते हैं। किसी सही हदीस से यह साबित नहीं है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर रोज़ दो बार कँघी करते थे। **(3)** हदीस शरीफ़ में वारिद हुक्म मर्दों के साथ साथ औरतों के लिए भी है। अगरचे ज़ेबो ज़ीनत उनके लिए एक एतिबार से मत्लूब है मगर उसमें भी ऐतिदाल ज़रूरी है, न यह कि इंसान हर वक़्त अपनी ज़ाहिरी और मस्नूई अफ़्ज़ाइशे हुस्न ही पर लगा रहे।

﴿16﴾ باب النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ، فِي الْجُحْرِ

बाब : 16
बिल में पेशाब करने की मुमानिअत

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

(29) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सर्जिस (रज़ि.) से मंक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने बिल में पेशाब करने से मना किया है। लोगों ने

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ . قَالَ قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ .

क़तादा (रह.) से कहा कि बिल में पेशाब क्यूँ मकरूह व मम्नूअ है? तो उन्होंने कहा, ''कहा जाता है कि उनमें जिन्न रहते हैं।''

तख़रीज 29: (सनद ज़ईफ़) सुनन नसाईः 34, हाकिमः 1/186

फ़ायदा: यह रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम एहतियात इसी में है कि बिलों में पेशाब न किया जाए, क्योंकि बिलों में बिल्उमूम मूज़ी (तक्लीफ़देह) जानवर भी होते हैं तो उनमें पेशाब करने से कोई नुक़्सान भी पहुँच सकता है इसलिए खुले माहौल को छोड़कर किसी बिल या सूराख़ को पेशाब करने के लिए इस्तेमाल करना कोई अ़क़्ल व दानिश की बात नहीं है।

﴿17﴾ بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

बाब : 17 बैतुलख़ला से निकलकर इंसान क्या पढ़े?

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ " غُفْرَانَكَ " .

(30) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, नबी करीम (ﷺ) जब बैतुलख़ला से फ़ारिग़ होकर निकलते तो कहते, (ग़ुफ़रानक) ''ऐ अल्लाह! मैं तेरी बख़्शिश चाहता हूँ।''

तख़रीज 30: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिज़ीः 7, इब्ने माजाः 300, इब्ने ख़ुज़ैमाः 90, इब्ने हिब्बानः 1441, इब्नुल जारूदः 42, हाकिमः 1/185

फ़ायदा: इसके अलावा और भी दुआएँ आई हैं, मगर यह हदीस और दुआ, दीगर दुआओं के मुक़ाबले में, सनद के ऐतिबार से ज़्यादा क़वी है। अ़ल्लामा ख़त्ताबी इस दुआ की हिक्मत यह बताते हैं कि चूँकि यह वक़्त अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुज़रता है इसलिए इस पर इस्तिग़फ़ार की ता'लीम दी गई है।

बाब : 18
इस्तिंजा में शर्मगाह को दाएँ हाथ से छूने की मुमानिअत

﴿18﴾ باب كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ فِي الاِسْتِبْرَاءِ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلاَ يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا " .

(31) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब तुममें से कोई पेशाब करने बैठे तो अपने ज़कर (ख़ास हिस्से/प्राइवेट पार्ट) को अपने दाएँ हाथ से न छूए। और जब कोई पाख़ाने के लिए आए तो दाएँ हाथ से इस्तिंजा न करे और जब कुछ पीये तो एक साँस में न पिये।''

तख़रीज 31: सहीह बुख़ारीः 153, 154, मुस्लिमः 267, तिर्मिज़ीः 15, नसाईः 24, 25, इब्ने माजाः 310

फ़वाइद व मसाइलः (1) जब इस्तिंजा जैसी अहम ज़रूरत के वक़्त दाएँ हाथ से शर्मगाह को छूना या उसे पकड़ना मना है तो आम हालात में और ज़्यादा बचना चाहिए। औरतें भी इसी हुक्म की पाबन्द रहें। **(2)** कोई चीज़ पीने का शरई अदब यह है कि उसे तीन साँस में पिया जाए।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، - يَعْنِي الإِفْرِيقِيَّ - عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، وَمَعْبَدٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ .

(32) हज़रत हफ़्सा ज़ोजा नबी (ﷺ) बयान करती हैं नबी (ﷺ) अपना दायाँ हाथ खाने पीने और पहनने (जैसे कामों) में इस्तेमाल किया करते थे और बायाँ हाथ उसके अलावा दूसरे कामों में।

तख़रीज 32: (सनद हसन) सुनन हाकिमः 4/109

फ़वाइद व मसाइलः यह ह़दीस दलील है कि दाएँ हाथ को फ़ज़ीलत ह़ासिल है। एक रिवायत में नाफ़ेअ ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''बाएँ हाथ से किसी से कोई चीज़ पकड़े न बाएँ हाथ से कोई चीज़ पकड़ाए।'' (स़ह़ीह़ मुस्लिम, बाब आदाबुत्तआम वश्शराबु व अह़कामहुमा, ह़दीसः 2020) इस मामले में लोग एह़तियात़ नहीं करते और चीज़ लेते और देते वक़्त बाएँ हाथ को इस्तेमाल करते हैं, ह़ालाँकि खाने पीने की त़रह़ चीज़ लेते और देते वक़्त भी सिर्फ़ दायाँ हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तुममें से कोई भी बाएँ हाथ से खाये न पिये, इसलिए कि शैत़ान बाएँ हाथ से खाता और बायें हाथ से पीता है।'' (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुलअश्रिबा, बाब आदाबुत्तआम वश्शराबु व अह़कामहुमा, ह़दीसः 2020) इससे मालूम हुआ कि बाएँ हाथ से खाना पीना शैत़ानी काम है लेकिन बदक़िस्मती से बहुत से मुसलमान फ़िरंगियों की नक़्क़ाली में बड़े फ़ख़्र से बाएँ हाथ से खाते पीते हैं, ह़ालाँकि काफ़िरों के साथ मुशाबिहत करने पर निहायत सख़्त वईद है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने एक शख़्स़ ने बाएँ हाथ से खाया तो आपने उसे फ़र्माया, ''दाएँ हाथ से खा।'' उसने कहा, मैं इसकी त़ाक़त नहीं रखता। आपने फ़र्माया, ''तू न ही त़ाक़त रखे।'' उसे सिर्फ़ तकब्बुर ने ऐसा करने से रोक दिया था। इस ह़दीस के रावी फ़र्माते हैं उसके बाद वह शख़्स़ अपना दाहिना हाथ मुँह की त़रफ़ उठा ही नहीं सका। (स़ह़ीह़ मुस्लिमः 2021) इस ह़दीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके लिए जो बद् दुआ की वह क़बूल हो गई, इसलिए बाएँ हाथ से खाना पीना बहुत सख़्त गुनाह है। नज़ाफ़त और स़फ़ाई का तक़ाज़ा भी यही है कि खाने और पीने के लिए सिर्फ़ दायाँ हाथ ही इस्तेमाल किया जाए क्योंकि इस्तिन्जा वग़ैरह के लिए बायाँ हाथ इस्तेमाल करने का हुक्म है तो जिस हाथ से इंसान अपनी गंदगी स़ाफ़ करता है, उस हाथ से खाना पीना कितना मअ़यूब है। ऐसी पाकीज़ा आ़दात व अत़वार को मअ़मूले ज़िन्दगी बनाने के लिए अपनी औलाद में शुरू से ही इन आ़दात का एहतिमाम और इल्तिज़ाम करना चाहिए ताकि शरई आदाब का ह़ामिल नेक और स़ालेह़ मुआ़शरा तश्कील पा सके।

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى .

(33) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़इशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का दाहिना हाथ वुज़ू और खाने (जैसे कामों) के लिए (मख़्स़ूस़) था और बायाँ हाथ ख़ला में इस्तिंजा और दीगर मकरूहात वग़ैरह में इस्तेमाल करते थे।

तख़रीज 33: (सनद ज़ईफ़) अह़मदः 6/265, ये हदीस़ बयान की जा चुकी हैः 32

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ .

(34) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) नबी (ﷺ) से (एक दूसरी सनद से भी) ऊपर वाली हदीस के हम मअ़नी रिवायत करती हैं।

तख़रीज 34: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 6/265, नववी फ़ी रियाज़िस्सालेहीनः 722, देखिए हदीस नंः 33)

फ़ायदाः हदीस 33 और 34 ज़ईफ़ हैं। ताहम हदीस 32 सहीह है और इससे यह मसला साबित है जैसाकि इसके फ़वाइद की तफ़्सील गुज़री।

(19) بَابُ الاِسْتِتَارِ فِي الْخَلاَءِ

बाब : 19 कज़ाए हाजत के वक़्त पर्दा करना

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ

(35) सय्यदना हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया, ''जो शख़्स सुर्मा लगाये तो बेजोड़ सलाइयाँ लगाए जिसने ऐसा किया तो बेहतर किया और जिसने न किया उस पर कोई हर्ज नहीं और जो इस्तिंजा करने में ढेले इस्तेमाल करे, उसे चाहिए कि ताक़ अदद ले, जिसने ऐसा किया तो बेहतर किया और जिसने न किया उस पर कोई हर्ज नहीं और जिसने कुछ खाया और फिर तिनके से ख़िलाल किया तो चाहिए कि मुँह के रेज़ों को फेंक दे और जो कुछ अपनी ज़बान से साफ़ करे तो वह निगल ले, जिसने क्या ख़ूब किया और जिसने न किया उस पर कोई हर्ज नहीं और जो पाख़ाने को आए तो चाहिए कि कोई

الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

आड़ ले ले, अगर कुछ न पाये तो रेत की ढेरी ही बना ले और उसकी तरफ़ पीठ कर ले, बिला शुब्हा शैतान बनी आदम के सुरीनों के साथ खेलता है, जिसने ऐसा किया बहुत अच्छा किया और जिसने नहीं किया तो उस पर कोई हर्ज नहीं।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस को अबू आसिम ने सौर से रिवायत किया तो रावी का नाम.... हुसैन हिम्यरी बताया (न कि हिब्रानी) और अब्दुल मलिक बिन सब्बाह ने रिवायत किया तो कहा अबू सईद अल्ख़ैर (न कि सिर्फ़ अबू सईद)

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू सईद अल्ख़ैर नबी (ﷺ) के सहाबा में से थे।

तख़रीज 35: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 3498

फ़ायदाः यह रिवायत ज़ईफ़ है। इसमें जो बातें दूसरी अहादीस से साबित हैं, वह क़ाबिले अमल हैं। दीगर बातों पर अमल करना ज़रूरी नहीं।

﴾20﴿ باب مَا يُنْهَى عَنْهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ

बाब : 20
वह चीज़ें जिनसे इस्तिंजा मना है

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، - يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ الْمِصْرِيَّ - عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ، أَخْبَرَهُ عَنْ

(36) शैबानी क़िल्बानी रिवायत करते हैं कि मस्लमा बिन मुख़ल्लद ने (जो कि अमीर मुआविया रज़ि. की तरफ़ से मिस्र में गवर्नर थे) हज़रत रुवैफ़िअ बिन साबित (रज़ि.) को ज़ेरीं (नीचे) मिस्र की जानिब अपना नाइब मुक़र्रर किया। शैबान कहते हैं

شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيِّ، قَالَ إِنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ اسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ، عَلَى أَسْفَلِ الأَرْضِ . قَالَ شَيْبَانُ فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ كُومِ شَرِيكٍ إِلَى عَلْقَمَاءَ أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَى كُومِ شَرِيكٍ - يُرِيدُ عَلْقَامَ - فَقَالَ رُوَيْفِعٌ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَأْخُذُ نِضْوَ أَخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَلِلآخَرِ الْقِدْحُ . ثُمَّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم مِنْهُ بَرِيءٌ " .

कि हम जनाब रुवैफ़िअ बिन साबित के साथ कूमि शरीक से अ़ल्क़मा, या अ़ल्क़मा से कूमि शरीक की जानिब चले, उनकी मुराद अ़ल्क़ाम है, तो हज़रत रुवैफ़िअ बिन साबित (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में हममें से कोई अपने भाई की कमज़ोर सी सवारी ले लेता, इस शर्त पर कि जो कुछ भी ग़नीमत में से मिलेगा, उसमें से आधा मालिक के लिए और आधा हमारे लिए होगा। और फिर ऐसा भी होता था कि (माल की तक़्सीम में) किसी को तीर का फल मिलता, किसी को उसके पर और किसी को उसकी लाठी। फिर उन्होंने बयान किया कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ऐ रुवैफ़िअ! उम्मीद है तुझे मेरे बाद लम्बी ज़िन्दगी मिलेगी, तो तुम लोगों को बता देना कि जो अपनी दाढ़ी को गिरह लगाए या ताँत बाँधे या जानवर के गोबर या हड्डी से इस्तिंजा करे तो मुहम्मद (ﷺ) उससे बरी हैं।''

तख़रीज 36: (सनद सहीह) सुनन नसाई: 5070

फ़वाइद व मसाइल: (1) इस्तिंजा में गोबर और लीद का इस्तेमाल हराम है क्योंकि यह सब जिन्नों का खाना हैं। (सुनन अबी दाऊद, अत्तहारतु, हदीस: 39) **(2)** शराकत का कारोबार जाइज़ है। **(3)** मुश्तरक चीज़ ख़्वाह कितनी ही मामूली हो उसे हिस्सेदारों में तक़्सीम कर लेना चाहिए बशर्तेकि उसके अज्ज़ा (पार्ट्स) क़ाबिले इस्तिफ़ादा हों और वह चीज़ ज़ाया न होती हो। **(4)** दाढ़ी को गिरह लगाना जाइज़ नहीं जैसे कि अ़ज्मी करते थे और अब सिख करते हैं या ऐसे अंदाज़ में बट देकर रखना कि बाल घुँघराले हो जाए या देखने वालों को छोटी नज़र आए, वल्लाहु आ'लम। **(5)** कुछ लोग जानवरों को ताँत इस ग़र्ज़ से बाँधते थे कि नज़र न लगे और यह मफ़्हूम भी हो सकता है कि ग़ैर मुस्लिमों की तरह ज़ुन्नार बाँधना नाजाइज़ है।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ عَيَّاشٍ، أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ، أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، أَيْضًا عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ بِحِصْنِ بَابِ أَلْيُونَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حِصْنُ أَلْيُونَ عَلَى جَبَلٍ بِالْفُسْطَاطِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ شَيْبَانُ بْنُ أُمَيَّةَ يُكْنَى أَبَا حُذَيْفَةَ .

(37) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने मज़्कूरा बाला हदीस बयान की जबकि वह (अबू सालिम) उनके साथ बाबे अल्यून के क़िले पर मोर्चाबन्द थे।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि अल्यून का क़िला इलाक़ा फ़ुस्तात़ में पहाड़ पर वाक़ेअ था। इमाम अबू दाऊद (रह़.) बयान करते हैं कि (गुज़िश्ता ह़दीस में मज़्कूर) शैबान क़िल्बानी वह इब्ने उमय्या है और उसकी कुन्नियत अबू हुज़ैफ़ा है।

तख़रीज 37: (सनद स़ह़ीह़)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ .

(38) सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हड्डी या मींगनी से इस्तिंजा करने से मना किया था।

तख़रीज 38: स़ह़ीह़ मुस्लिम: 263

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا . قَالَ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.

(39) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि) कहते हैं कि जिन्नों का एक वफ़्द रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उन्होंने कहा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! अपनी उम्मत को मना फ़र्मा दीजिए कि वह हड्डी या गोबर या कोयले से इस्तिंजा न करें, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनमें हमारा रिज़्क़ रखा है। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने हमें उनसे रोक दिया।

तख़रीज 39: (सनद हसन) बैहक़ी: 1/109, दारे कुत्नी: 1/55, 56

﴾21﴿
باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

बाब : 21
ढेलों के साथ इस्तिंजा करना

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ " .

(40) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, वह कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब तुममें से कोई पाख़ाने के लिए जाने लगे तो अपने साथ तीन ढेले ले जाया करे, उनसे इस्तिंजा कर लिया करे। बेशक यह उसके लिए किफ़ायत करेंगे।''

तख़रीज 40: (हसन) सुनन नसाईः 44, दारेक़ुत्नीः 1/54, 55

फ़वाइद व मसाइलः (1) हिदायत है कि रफ़ए हाजत के लिए बैठने से पहले तहारत हासिल करने का इंतिज़ाम कर लिया जाए। मुम्किन है बरमौक़ा कोई चीज़ मुहैया न हो लिहाज़ा ग़ैर मोअतबर मक़ामात पर नल को पहले देख लिया जाए कि आया उसमें पानी भी है या नहीं। **(2)** ढेले का हुक्म साइल के बद्दू होने की मुनासिबत से है और यह है कि तीन ढेलों से इस्तिंजा पानी से किफ़ायत करता है। आजकल टिशू पेपर इसकी जगह इस्तेमाल होते हैं। ताहम अफ़ज़लियत पानी ही के इस्तेमाल में है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الاِسْتِطَابَةِ فَقَالَ " بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ.

(41) हज़रत ख़ुज़ैमा बिन साबित (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस्तिंजा के बारे में पूछा गया तो आपने फ़र्माया, ''तीन ढेलों से (इस्तिंजा करे), उनमें गोबर न हो।'' इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू उसामा और इब्ने नुमैर ने भी हिशाम बिन उर्वा से ऐसे ही रिवायत किया है।

तख़रीज 41: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 315, मुस्लिमः 262

फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम सहीह हदीस में गोबर और हड्डी से इस्तिंजा की मुमानिअत साबित है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 262) ग़ालिबन इसीलिए शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सही कहा है।

बाब : 22
इस्तिंजा का बयान

﴿22﴾ باب فِي الاِسْتِبْرَاءِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى التَّوْأَمُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ التَّوْأَمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ " مَا هَذَا يَا عُمَرُ " . فَقَالَ هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ . قَالَ " مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً " .

(42) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पेशाब किया तो हज़रत उमर (रज़ि.) पानी का लोटा लिये आपके पीछे खड़े हो गए। (फ़राग़त के बाद) आपने पूछा, उमर! यह क्या है? उन्होंने कहा, यह पानी है कि आप इससे वुज़ू फ़र्मा लें। आपने फ़र्माया, ''मुझे यह हुक्म नहीं है कि जब भी पेशाब करूँ (तो साथ) वुज़ू भी करूँ। अगर मैंने ऐसे क्या तू (उम्मत के लिए) सुन्नत बन जाएगी।''

तख़रीज 42:(सनद ज़ईफ़) सुनने इब्ने माजा:327

फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम हर वक़्त बावुज़ू रहना, एक अच्छा अमल है। लेकिन वाजिब नहीं है।

बाब : 23
पानी से इस्तिंजा करना

﴿23﴾ باب فِي الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، - يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ - عَنْ خَالِدٍ، -يَعْنِي الْحَذَّاءَ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

(43) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बाग़ में दाख़िल हुए, एक ग़ुलाम आपके साथ था, उसके पास लोटा था और वह हममें से छोटी

مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطًا وَمَعَهُ غُلاَمٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ وَهُوَ أَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ .

उम्र का था तो उसने उस बर्तन को बेरी के पास रख दिया, आप जब हाजत से फ़ारिग़ हुए तो हमारे पास तशरीफ़ ले आए और (उस मौक़े पर) आपने पानी से इस्तिंजा किया था।

तख़रीज 43:सहीह बुख़ारी: 152 व मुस्लिम: 270

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ } فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا { قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ .

(44) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि यह आयते करीमा (फ़ीहि रिजालुंय- युहिब्बून अय्यततह्हरू) (तौबा: 108) ''इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं।'' अहले क़ुबा के बारे में नाज़िल हुई थी। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि वह लोग पानी से इस्तिंजा करते थे तो उनके बारे में यह आयत उतरी।

तख़रीज 44: (हसन) सुनन तिर्मिज़ी: 3100, इब्ने माजा: 357, इब्ने माजा: 355, वग़ैरुहू

फ़वाइद व मसाइल (1) पानी से इस्तिंजा करना अफ़ज़ल है। ढेले और पानी दोनों को जमा करना और ज़्यादा अफ़ज़ल है। **(2)** नो उम्र बच्चों से ख़िदमत ली जा सकती है **(3)** तहारत अल्लाह को बहुत पसंद है और ताहिर लोग अल्लाह के महबूब होते हैं **(4)** अल्लाह तआला की मुहब्बत हासिल करने के लिए ज़ाहिरी व बातिनी तहारत का इल्तिज़ाम करना चाहिए।

﴾24﴿ بَابُ الرَّجُلِ يُدَلِّكُ يَدَهُ بِالأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى

बाब : 24
इस्तिंजा के बाद आदमी अपना हाथ ज़मीन पर रगड़े

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَهَذَا، لَفْظُهُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي

(45) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि नबी (ﷺ) जब ख़ला (रफ़ओ हाजत) के लिए जाते तो मैं आपके लिए प्याले या छागल में पानी ले आता और आप उससे

الْمُخَرِّمِيُّ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ الأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ

इस्तिंजा कर लेते।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, वकीअ की ह़दीस में है फिर अपना हाथ ज़मीन पर रगड़ते, फिर मैं आपके पास (पानी का एक) और बर्तन लाता तो आप उससे वुज़ू करते।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अस्वद बिन आ़मिर की रिवायत (वकीअ की रिवायत के मुक़ाबले में) ज़्यादा कामिल है।

तख़रीज 45: (सनद ह़सन) सुनन नसाई: 50, इब्ने ह़िब्बान: 138.

फ़ायदा: कच्ची जगहों पर इस्तिंजा करने के बाद हाथ को ज़मीन पर रगड़कर मज़ीद (और ज़्यादा) स़ाफ़ कर लेना मुस्तह़ब है ताकि बू का शाइबा भी न रहे और जहाँ मिट्टी मयस्सर न हो वहाँ स़ाबुन उसका क़ायम मक़ाम होगा।

﴿25﴾ باب السِّوَاكِ

बाब : 25
मिस्वाक का बयान

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ قَالَ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " .

(46) ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की त़रफ़ निस्बत करते हुए बयान करते हैं कि आपने फ़र्माया, ''अगर अहले ईमान के लिए मशक़्क़त न होती तो मैं उन्हें नमाज़े इशा को ताख़ीर से पढ़ने और हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म देता।''

तख़रीज 46: स़ह़ीह़ मुस्लिम: 252, स़ह़ीह़ बुख़ारी: 887, 7240, नसाई: 7, व इब्ने माजा: 287

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ

(47) ह़ज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद जोहनी (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना आप फ़र्माते थे, ''अगर मेरी उम्मत

के लिए मशक़्क़त न होती तो मैं उन्हें हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक का हुक्म देता।'' अबू सलमा कहते हैं चुनाँचे मैंने देखा कि हज़रत ज़ेद (रज़ि.) मस्जिद में बैठे होते थे और मिस्वाक उनके कान पर रखी होती थी, जैसे किसी मुंशी का क़लम उसके कान पर होता है, तो जब नमाज़ के लिए उठते मिस्वाक कर लेते।

तख़रीज 47: सुनन तिर्मिज़ीः 23.

مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعُ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اسْتَاكَ .

(48) मुहम्मद बिन यहया कहते हैं कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह से कहा कि (तुम्हारे वालिद) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) वुज़ू से हो या बेवुज़ू, वह हर नमाज़ के लिए (पाबन्दी से) वुज़ू करते हैं, उसकी क्या वजह है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अस्मा बिन्ते ज़ेद बिन ख़त्ताब ने बताया कि अ़ब्दुल्लाह बिन हंज़ला बिन अबी आ़मिर ने उसे बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को (पहले पहल) हुक्म दिया गया था कि हर नमाज़ के लिए वुज़ू किया करें, ख़्वाह पहले वुज़ू से हों या बेवुज़ू। मगर जब उन्हें मशक़्क़त हुई, तो हुक्म दिया गया कि हर नमाज़ के लिए मिस्वाक किया करें। चुनाँचे इब्ने उ़मर (रज़ि.) समझते थे कि उनमें हिम्मत है लिहाज़ा वह हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू करते थे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَاكَ فَقَالَ حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى

أَنَّ بِهِ قُوَّةً فَكَانَ لاَ يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि इब्राहीम बिन सअ़द ने मुह़म्मद बिन इस्ह़ाक़ से रिवायत करते हुए (अ़ब्दुल्लाह की बजाए) उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह कहा है।

तख़रीज 48: (सनद हसन) अह़मद: 5/225, इब्ने ख़ुज़ैमा: 15, ह़ाकिम अ़ला शर्ते मुस्लिम: 1/156

फ़ायदा: ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का रसूल (ﷺ) की पैरवी और इ़बादत का शौक़ इंतिहाई दर्जे का था इसी बिना पर वह एहतिमाम से वुज़ू की तज्दीद किया करते थे जो बड़े सवाब और फ़ज़ीलत वाला अ़मल है।

﴾26﴿ باب كَيْفَ يَسْتَاكُ

बाब : 26 मिस्वाक कैसे की जाए?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْ وَضَعَ السِّوَاكَ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ -

(49) जनाब अबू बुर्दा (रह़.) अपने वालिद (ह़ज़रत अबू मूसा अशअ़री रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आपसे सवारी त़लब करने आए तो मैंने देखा कि आप अपनी ज़ुबान पर मिस्वाक कर रहे थे। यह मुसद्दद की रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं।

और सुलेमान की रिवायत में यह अल्फ़ाज़ हैं कि मैं नबी (ﷺ) के पास आया, आप मिस्वाक कर रहे थे और आपने अपनी मिस्वाक ज़ुबान के किनारे पर रखी हुई थी और आपसे 'इहइह' की आवाज़ निकल रही थी जैसे कि उब्काई आ रही हो।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि मुसद्दद ने

وَهُوَ يَقُولُ " إِهْ إِهْ " . يَعْنِي يَتَهَوَّعُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَكَانَ حَدِيثًا طَوِيلاً اخْتَصَرْتُهُ .

कहा कि हदीस लम्बी थी मगर मैंने उसे मुख़्तसर कर दिया है।

तख़रीज 49: सहीह बुख़ारी:244, मुस्लिम: 254, नसाई:3

फ़ायदा: इसमें बयान है कि नबी (ﷺ) मिस्वाक करने में मुबालग़े से काम लेते थे और आप सिर्फ़ दाँत ही नहीं बल्कि अपनी ज़ुबान, हलक़ के क़रीब तक मिस्वाक से साफ़ किया करते थे।

﴾27﴿ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

बाब : 27 इंसान किसी दूसरे की मिस्वाक इस्तेमाल करे...?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ " أَنْ كَبِّرْ " . أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا .

(50) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मिस्वाक कर रहे थे और आपके पास दो शख़्स थे। उनमें से एक बड़ा (और दूसरा छोटा) था। (उसी वक़्त में) आप पर मिस्वाक की फ़ज़ीलत के बारे में वही की गई और यह कि आप यह (मिस्वाक) बड़े को दे दीजिए।

तख़रीज 50: (सनद सहीह) अहमद: 2/138

फ़वाइद व मसाइल (1) मालूम हुआ कि जब किसी को कोई चीज़ देनी हो तो बड़ी उम्र वाले को फ़ौक़ियत दी जाए बशर्तेकि तर्तीब से न बैठे हों। अगर तर्तीब से बैठे हों तो दाएँ तरफ़ वाले का हक़ ऊपर (पहले) होगा, ख़्वाह छोटा ही हो। ऐसे ही बातचीत करने और राह चलने में भी बड़ी उम्र वाले को अव्वलियत दी जानी चाहिए। **(2)** कोई अपनी इस्तेमाल शुदा मिस्वाक दूसरे को दे तो उसके इस्तेमाल कर लेने में कोई हर्ज नहीं और ज़ाहिर है कि धोकर ही इस्तेमाल होगी। मगर नई तहज़ीब के दिलदादा (शौक़ीन) लोगों को उससे घिन आती है। और यह उनकी शरीअत से नावाक़फ़ियत की दलील है।

बाब : 28
मिस्वाक धोने का बयान

﴾28﴿ باب غَسْلِ السِّوَاكِ

(52) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि नबी (ﷺ) मिस्वाक कर रहे होते थे और मुझे इनायत करते कि मैं उसे धो दूँ, मगर मैं पहले उसे अपने मुँह में फेरती फिर उसे धोकर आपको वापिस कर देती।

तख़रीज 52: **(हसन)** सुनन बैहक़ी: 1/39, नववी: 1/283

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ الْحَاسِبُ، حَدَّثَنِي كَثِيرٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ .

फ़वाइद व मसाइल (1) इसमें तहारत व नज़ाफ़त की शरई अहमियत वाज़ेह है कि आप अपनी मिस्वाक को इस्तेमाल के बाद धो लिया करते थे **(2)** हज़रत आइशा (रज़ि.) का मक़्सद यह होता था कि आपके लुआबे दहन (मुँह के थूक) से तबर्रुक (बरकत) हासिल करें जिसकी आपने तौसीक़ फ़र्माई। ख़्याल रहे कि यह हुसूले तबर्रुक सिर्फ़ और सिर्फ़ नबी (ﷺ) ही की ज़ात से मख़सूस था।

बाब : 29
मिस्वाक आ'माले फ़ित्रत में से है

﴾29﴿ باب السِّوَاكِ مِنَ الْفِطْرَةِ

(53) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''दस बातें फ़ित्रत में से हैं, (यानी साबिक़ा अम्बिया (पहले नबियों) की मुतवातिर (हमेशा) सुन्नत हैं और वह यह हैं) मूँछें कतराना, दाढ़ी छोड़ना, मिस्वाक करना, नाक में पानी चढ़ाना (और साफ़ करना), नाख़ुन काटना, (हाथों, पैरों और दीगर)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ

وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ " . يَعْنِي الاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ . قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ .

जोड़ों का धोना, बग़लों के बाल उखेड़ना, ज़ेरे नाफ़ के बाल मूँडना और इस्तिंजा करना।'' यानी पानी से। ज़करिय्या की सनद में मुस्अब ने कहा कि मैं दसवीं बात भूल गया हूँ, शायद यह कुल्ली करना हो।

तख़रीज 49: सहीह मुस्लिमः 261, तिर्मिज़ीः 2757, नसाईः 5043, व इब्ने माजाः 293

फ़ायदाः मज़्कूरा बाला उमूर (ऊपर बताये गए मामलात) इंसान के पैदाइशी मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए इन्हें 'सुनने फ़ित्रत' कहा जाता है। यानी वह सुन्नतें जो जिस्मे इंसानी के ख़द्दो ख़ाल से ताल्लुक़ रखती हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि आयते करीमा (व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहू बि कलिमातिन फ़अतम्महुन्न) (बक़रहः 124) में अल्लाह तआ़ला ने इब्राहीम (अ़लैहि.) को दस बातों का हुक्म दिया। जब वह उन पर अ़मल पैरा हुए तो फ़र्माया (इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा) (बक़रहः 124) ''मैं तुझे लोगों का इमाम व मुक़्तदा बनाऊँगा।'' ताकि तेरी इक़्तिदा की जाए और लोग तेरे नक़्शे क़दम पर चलें। चुनाँचे यह उम्मते मुहम्मदिया ख़ुसूसी ऐतिबार से उनकी पैरवी की पाबन्द है जिसका आयते करीमा (सुम्म अवहैना इलैका अनित्तबिअ़ मिल्लत इब्राहीमा हनीफ़ा) (नहलः 123) में ज़िक्र है। ''फिर हमने आपकी तरफ़ वह्यी की कि दीने इब्राहीम की पैरवी करें जो कि दीगर तमाम दीनों से मुँह फेरे हुए थे।''

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، - وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ " . فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَزَادَ " وَالْخِتَانَ " . قَالَ " وَالاِنْتِضَاحَ " . وَلَمْ يَذْكُرِ "

(54) हज़रत अ़म्मार बिन यासिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''यह चीज़ें फ़ित्री उमूर में शामिल हैं यानी कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना।'' और मज़्कूरा बाला (ऊपर वाली) हदीस की मानिन्द ज़िक्र किया, मगर उसमें दाढ़ी छोड़ने का ज़िक्र नहीं, बल्कि ख़त्ने का ज़िक्र मज़ीद है। और इनकी रिवायत में (इंतिज़ाह) का लफ़्ज़ बयान किया गया है, (इंतिक़ाज़ुल माइ) का लफ़्ज़ नहीं कहा गया। (इंतिज़ाह) के मअ़नी हैं वुज़ू के बाद शर्मगाह के मक़ाम पर छींटे मारना और

انْتِقَاصَ الْمَاءِ " . يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ خَمْسٌ كُلُّهَا فِي الرَّأْسِ وَذَكَرَ فِيهَا الْفَرْقَ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ نَحْوُ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَوْلُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ .

وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ نَحْوُهُ وَذَكَرَ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَالْخِتَانَ .

(इंतिक़ासुन) के मअनी पानी के साथ इस्तिंजा करना हैं।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी इसी तरह रिवायत की गई है। उन्होंने कहा कि पाँच उमूरे (फ़ित्रत) सिर से मुतअल्लिक़ हैं। उन्होंने माँग निकालने का ज़िक्र किया और दाढ़ी छोड़ने का नहीं किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हम्माद की मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह तल्क़ बिन हबीब, मुजाहिद और बक्र बिन अब्दुल्लाह मुज़नी से उनके मौक़ूफ़ अक़्वाल मरवी हैं। उन्होंने भी दाढ़ी बढ़ाने का ज़िक्र नहीं किया।

और हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) की हदीस, जो वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं उसमें दाढ़ी बढ़ाने का ज़िक्र आया है। और इब्राहीम नख़ई से इसी तरह मरवी है और उसमें दाढ़ी बढ़ाने और ख़त्ने का ज़िक्र है।

तख़रीज 54: (सनद ज़ईफ़) सुनने इब्ने माजाः 294, ये हदीस बयान की जा चुकी हैः 52, व हदीस अब्दुर्रज़ाक़ः 116, हाकिमः 2/266

फ़ायदाः यह हदीस ज़ईफ़ है, ताहम हदीस 52 इसी मफ़्हूम की हामिल है। इसीलिए कुछ के नज़दीक यह सही है।

﴿30﴾ بَابُ السِّوَاكِ لِمَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

बाब : 30
रात को उठने वाले के लिए मिस्वाक का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ

(55) सय्यदना हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात को उठते तो मिस्वाक से अपना मुँह साफ़ किया करते थे।

حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

तख़रीज 55: सहीह बुख़ारीः 245, 889, मुस्लिमः 255, नसाईः 2, व इब्ने माजाः 286

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسِوَاكُهُ فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ

(56) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, (रात को) नबी (ﷺ) के लिए मिस्वाक और वुज़ू का पानी तैयार रखा जाता था, चुनाँचे जब आप रात को उठते तो (पहले) क़ज़ाए हाजत करते और फिर मिस्वाक किया करते थे।

तख़रीज 56: (सनद हसन) सुनन बैहक़ीः 1/39

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلاَّ تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .

(57) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) से मरवी है, नबी (ﷺ) दिन या रात में जब भी सोकर उठते तो वुज़ू से पहले मिस्वाक किया करते थे।

तख़रीज 57: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 6/121, 160, ये हदीस़ बयान की जा चुकी है:54

फ़वाइद व मसाइल : (1) यह रिवायत ज़ईफ़ है और कुछ के नज़दीक (वला नहार) के अल्फ़ाज़ साबित नहीं। (यानी सोकर उठने के बाद यह एहतिमाम सिर्फ़ रात को करते थे।) **(2)** मिस्वाक करने के बहुत से फ़ायदे हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मिस्वाक अल्लाह तआला की रज़ामंदी का ज़रिया है और उससे मुँह भी पाक व साफ़ हो जाता है, जैसाकि उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से मरवी रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़र्मान है कि ''मिस्वाक, मुँह को पाक साफ़ करने वाली और रब की रज़ामंदी का ज़रिया है।'' (सुनन नसाई, हदीस 5) **(3)** यह बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि अल्लाह तआला की पसंदीदा काम करने ही से उसकी रज़ामंदी हासिल होती है, लिहाज़ा मिस्वाक करते वक़्त यही निय्यत और इरादा हो कि उससे हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अतिब्बा और डॉक्टर हज़रात ने भी इसके बहुत से फ़ायदे ज़िक्र किये हैं। **(4)** मिस्वाक करने से मुँह और हलक़ की आलाइशें बकसरत ज़ाइल और ख़त्म हो जाती हैं। मिस्वाक सिर्फ़ दाँतों ही तक महदूद न रखी जाए बल्कि ज़ुबान और हलक़ के क़रीब तक की जाए, ख़ुसूसन सुबह सोकर उठने पर इसी तरह किया जाए क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का यही मामूल था, आप जब भी सोकर बेदार होते तो मिस्वाक करते, और

इसमें मुबालग़ा करते जिसकी वजह से आपके मुँह मुबारक से (अ़ा अ़ा, उअ़ उअ़ और इह इह की आवाज़ें निकलतीं। (5) हमारे पेशे नज़र यह बात होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुद मिस्वाक का एहतिमाम व इल्तिज़ाम किया है, नीज़ उम्मत को भी इसी क़द्र ताकीद की है और अगर उम्मत पर मशक़्क़त और बारे गिराँ का ख़तरा न होता तो आप (ﷺ) इसे हर वुज़ू और हर नमाज़ के वक़्त ज़रूरी क़रार देते। (6) रसूलुल्लाह (ﷺ) मुँह की ज़रा सी बू को भी पसंद न करते थे इसीलिए सोकर उठते तो फ़ौरन मिस्वाक करते।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَتَى طَهُورَهُ فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَاتِ } إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ { حَتَّى قَارَبَ أَنْ يَخْتِمَ السُّورَةَ أَوْ خَتَمَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ فَأَتَى مُصَلاَّهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ .

(58) सय्यदना अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने एक बार नबी (ﷺ) के यहाँ (उनके घर में) रात गुज़ारी। तो जब आप बेदार हुए तो उस जगह आए जहाँ पानी रखा हुआ था, आपने मिस्वाक ली और मिस्वाक करने लगे। उसके बाद आपने यह आयात तिलावत कीं (सूरह आले इमरान की आख़िरी आयात) (इन्न फ़ी ख़ल्क़ि स्समावाति..) यहाँ तक कि इख़्तितामे सूरत के क़रीब पहुँचे बल्कि सूरत ख़त्म ही कर दी। फिर आपने वुज़ू किया और अपनी जाये नमाज़ पर आ गए और दो रकअ़तें पढ़ीं। फिर आप अपने बिस्तर पर लौट आए और सो गये और जितना अल्लाह ने चाहा सोये रहे, फिर (दोबारा जागे और पहले की मानिन्द किया और फिर अपने बिस्तर पर लौट आए और जितना अल्लाह ने चाहा सोये रहे। फिर (तीसरी बार) जागे और पहले की मानिन्द किया। हर बार मिस्वाक करते और दो रकअ़त पढ़ते। फिर आपने वित्र पढ़े।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि इस ह़दीस को इब्ने फ़ुज़ैल ने ह़ुसैन के वास्ते से रिवायत

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ} إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ {حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ .

किया कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, ''आपने मिस्वाक की और वुज़ू किया और उस अस्ना (बीच) में आप आयाते करीमा (इन्न फ़ी ख़ल्क़िस्समावाति वल अर्ज़...) पढ़ रहे थे यहाँ तक कि सूरत ख़त्म कर दी।''

तख़रीज 58: सहीह मुस्लिमः 763/191.

फ़वाइद व मसाइल (1) इस क़िस्से में मिस्वाक के एहतिमाम का ज़िक्र है कि नबी (ﷺ) जब भी जागे मिस्वाक की। **(2)** हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) का यह वाक़िया उनकी कम उम्री का है। उसमें उनकी नजाबत व सआदत का वाज़ेह बयान है, बिल्ख़ुसूस रसूलुल्लाह (ﷺ) के मामूलात जानने का शौक़ और इस ग़र्ज़ के लिए रात की बेदारी की मुशक़्क़त। (रज़ि.)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ .

(51) मिक़्दाम अपने वालिद शुरैह से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब घर में तशरीफ़ लाते तो आपका पहला काम क्या होता था? फ़र्माया, ''मिस्वाक''

तख़रीज 51: सहीह मुस्लिमः 253, नसाईः 8, व इब्ने माजाः 290

फ़ायदाः राह चलते, घूमते फिरते मिस्वाक करना, नबी (ﷺ) के मामूलात में से न था जैसे कि आजकल लोगों में देखा जाता है।

(31) بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ

बाब : 31
वुज़ू की फ़र्ज़ियत

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ

(59) अबू मलीह अपने वालिद (हज़रत उसामा बिन उमैर हुज़ली रज़ि.) से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह तआला ख़यानत के माल से कोई सदक़ा

يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلاَ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ".

क़बूल नहीं करता और न कोई नमाज़ वुज़ू के बग़ैर क़बूल करता है।''

तख़रीज 59: (सनद सहीह) सुनन इब्ने माजाः 271, नसाईः 139

फ़वाइद व मसाइल (1) ख़यानत, चोरी, डाका, रिश्वत और भत्ता वग़ैरह के माल से दिया जाने वाला सदक़ा क़बूल नहीं होता। **(2)** नमाज़ के लिए वुज़ू करना फ़र्ज़ है बग़ैर वुज़ू के नमाज़ नहीं होती। अगर पानी इस्तेमाल न किया जा सकता हो या मुहैया न हो तो तयम्मुम करना फ़र्ज़ होगा।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" .

(60) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह तआला किसी बेवुज़ू इंसान की नमाज़ क़बूल नहीं करता यहाँ तक कि वह वुज़ू कर ले।''

तख़रीज 60: सहीह बुख़ारीः 135, व मुस्लिमः 225, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाकः 1/139.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " .

(61) सय्यदना अली (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''नमाज़ की कुँजी (चाबी) वुज़ू है, उसकी तहरीम अल्लाहु अकबर कहना और इसकी तहलील अस्सलामु अलयकुम कहना है।''

तख़रीज 61: (हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 3, व इब्ने माजाः 275, बग़वीः 558

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ के लिए वुज़ू लाज़मी और शर्त है। नमाज़ के बीच में अगर वुज़ू टूट जाए तो नमाज़ छोड़कर वुज़ू किया जाए। **(2)** अल्लाहु अकबर कहने ही से नमाज़ शुरू होती है और उस दौरान में बातें और दूसरे आमाल हराम हो जाते हैं, इसलिए उसे तक्बीरे तहरीमा कहा जाता है। और इसका इख़्तिमाम सलाम पर होता है और इस तरह यह पाबन्दी भी ख़त्म हो जाती है।

बाब : 32
जो इंसान बावुज़ू होते हुए नया वुज़ू करे

(62) अबू गुतैफ़ हुज़ली कहते हैं कि मैं ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के पास था कि ज़ुहर की अज़ान दी गई तो उन्होंने वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, फिर अ़स्र के लिए अज़ान हुई तो उन्होंने (दोबारा) वुज़ू किया, मैंने उन्हें कहा, (जब आप बेवुज़ू नहीं हुए तो नया वुज़ू करने की क्या ज़रूरत है?) तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माया करते थे, ''जो शख़्स बावुज़ू होते हुए वुज़ू करे उसके लिए दस नेकियाँ लिखी जाती हैं।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि यह रिवायत जनाब मुसद्दद की है, जो (मुह़म्मद बिन यह़या की रिवायत से) ज़्यादा कामिल है।

तख़रीज 62: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 512, तिर्मिज़ीः 59

﴿32﴾ بَابُ الرَّجُلِ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ يَحْيَى، أَتْقَنُ - عَنْ غُطَيْفٍ، -وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ، - قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمَّا نُودِيَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلَّى فَلَمَّا نُودِيَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ .

बाब : 33
पानी को क्या चीज़ नजिस (नापाक) करती है?

(63) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) से (ऐसे) पानी के बारे में पूछा

﴿33﴾ بَابُ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ

गया जिस पर जानवर और दरिन्दे वारिद होते हैं (जैसे तालाब में दाख़िल हो जाते या उससे पीते हैं, तो उसका क्या हुक्म है?) आपने फ़र्माया, ''जब पानी दो मटकों के बराबर हो तो नापाक नहीं होता।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि (मुह़म्मद) इब्नुल अ़ला की रिवायत में ''मुह़म्मद बिन जअ़फ़र बिन ज़ुबैर'' आया है जबकि उ़स्मान बिन अबी शैबा और ह़सन बिन अ़ली की रिवायत में ''मुह़म्मद बिन अ़ब्बाद बिन जअ़फ़र'' मंक़ूल हुआ है और यही (सानियुज़्ज़िक्र) सही है।

तख़रीज 63: (इस्नाद स़ह़ीह़) सुनन नसाईः 52, इब्ने ह़िब्बानः 118, ह़ाकिमः 1/132, 133

مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ " .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلاَءِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الصَّوَابُ .

(64) जनाब उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर अपने वालिद (ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस पानी के बारे में पूछा गया जो जंगल में होता है, तो उन्होंने गुज़िश्ता ह़दीस की मिस्ल रिवायत किया।

तख़रीज 64: (इस्नाद स़ह़ीह़) सुनन तिर्मिज़ीः 67, व इब्ने माजाः 517, इब्ने ख़ुज़ैमाः 92, व इब्नुल जारूदः 45

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ أَبُو كَامِلٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلاَةِ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

(65) जनाब उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर कहते हैं कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब पानी दो मटकों के बराबर हो तो नापाक नहीं होता।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि ह़म्माद बिन

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ " .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ عَنْ عَاصِمٍ

ज़ेद ने इसे आसिम से मौक़ूफ़न रिवायत किया है।
तख़रीज 65: (सनद हसन) सुनन इब्ने माजाः 518

फ़वाइद व मसाइलः (1) (क़ुल्लह) इलाक़ा हिज्र के मअरूफ़ बड़े मटके को कहा जाता है। दो मटकों में तक़रीबन दो सौ दस लीटर पानी समा जाता है। **(2)** नापाक न होने के मअनी यह हैं कि इस मिक़्दार (मात्रा) के पानी में कोई नजासत पड़ जाए और उसके तीन औसाफ़ (रंग, ज़ायक़ा और बू) में से कोई एक भी बदला न हो तो वह पाक ही होता है। लिहाज़ा ज़ाहिरी नजासत अगर कोई हो तो निकाल दी जाए और पानी इस्तेमाल कर लिया जाए। 'माए कसीर' (ज़्यादा पानी) की कम अज़्कम मिक़्दार यही दो क़ुल्ले है (यानी दो सौ दस लीटर) **(3)** इस्लाम क़बूल कर लेने के बाद अरब के उन बदूओं (देहातियों) की नफ़्सियात तहारत व नजासत के बारे में किस क़द्र हस्सास हो गई थी कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस क़िस्म के सवालात किये। (रज़ि.)

﴾34﴿
بَاب مَا جَاءَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " .

बाब : 34
बुज़ाआ के कुएँ का ज़िक्र

(66) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से मंक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया कि क्या हम बुज़ाआ के कुएँ से वुज़ू कर लिया करें, जबकि यह कुआँ ऐसा है कि इसमें हैज़ के चीथड़े, कुत्तों का गोश्त और गंदगी डाल दी जाती है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''पानी पाक है, उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कुछ ने रावी का नाम अब्दुल्लाह बिन राफ़ेअ की बजाए अब्दुर्रहमान बिन राफ़ेअ बयान किया है।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلاَبِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ "

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا قَالَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ . قُلْتُ فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لاَ . وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ

तख़रीज 66: (सनद हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 66, नसाईः 327

(67) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, और आपको बताया जा रहा था कि आपके लिए जो पानी लाया जाता है वह बुज़ाआ के कूएँ का होता है, हालाँकि उसमें कुत्तों का गोश्त, हैज़ के चीथड़े और इंसानों की ग़लाज़त तक डाल दी जाती है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''पानी पाक है उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने कुतैबा बिन सईद से सुना वह कहते थे कि मैंने उस कूएँ के मुहाफ़िज़ से उसकी गहराई के बारे में पूछा तो उसने कहा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पेट व (नाफ़ के निचले हिस्से) तक आता है। मैंने कहा और जब कम हो तो....? उसने कहा कि शर्मगाह से कम (यानी रानों तक।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने ज़ाती तौर पर ख़ुद अपनी चादर उस कूएँ पर फैलाकर उसे नापा तो उसका क़तर (चौड़ाई) छः हाथ था और मैंने उसके मुहाफ़िज़ से पूछा, जिसने मेरे लिए बाग़ का दरवाज़ा खोला और कुआँ दिखलाया था, कि आया उसकी बिना में दौरे नबवी से कोई तब्दीली की गई है? तो उसने कहा, नहीं और मैंने उसका पानी देखा तो उसका रंग बदला हुआ था।

तख़रीज 67: (सनद हसन) अहमदः 3/86

फ़वाइद व मसाइलः (1) बुज़ाआ बा के ज़म्मा (पेश) के साथ, मदीना मुनव्वरा के शिमाल (उत्तर) में दारे बनी साइदा में एक मशहूर कुआँ था जो उस जगह या अपने मालिक के नाम से मौसूम था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसमें अपना लुआब भी डाला था। मरीज़ों को उसके पानी से नहाने का कहा जाता, वह उससे गुस्ल करते और शिफ़ायाब होते थे, गोया किसी बंधन से खुल गए हों। (औनुल मअबूद) **(2)** हदीस में जो गंदगी डालने का ज़िक्र आया है वह उसमें अमदन नहीं डाली जाती थी बल्कि यह कुआँ ऐसी जगह पर वाक़ेअ था कि तेज़ हवा या बारिश के पानी वग़ैरह से बहकर यह सब कुछ उसमें चला जाता था। वरना ऐसे काम का कोई ग़ैर मुस्लिम भी रवादार नहीं होता। **(3)** कूएँ का पानी जारी पानी था और उसके औसाफ़े सेहगाना रंग, बू और ज़ायक़ा बदलते न थे। वरना अगर नजासत का असर नुमायाँ हो तो पानी बिला शुब्हा बिल्इज्माअ नापाक होगा। **(4)** मुहद्दिसीने किराम का ज़ोक़े तहक़ीक़ और उनकी फ़ुक़ाहत क़ाबिले दाद है कि इमाम अबू दाऊद के दौर यानी तीसरी सदी हिज्री तक यह कुआँ महफ़ूज़ था। उन्होंने ख़ुद जाकर उसे मुलाहिज़ा किया और ज़रूरी मालूमात हासिल कीं।

﴾35﴿ بَابُ الْمَاءِ لاَ يُجْنِبُ

बाब : 35 (जुंबी का इस्तेमाल किया हुआ) पानी ''जुंबी'' नहीं होता (बल्कि पाक ही रहता है)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا - أَوْ يَغْتَسِلَ - فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ ".

(68) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) की किसी अहलिया मुहतरमा ने लगन में से गुस्ल किया। नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाए, आप उससे वुज़ू या गुस्ल करना चाहते थे, तो अहलिया मुहतरमा ने आपको बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जनाबत से थी (और मैंने इसी पानी से गुस्ल किया है) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''(तो क्या हुआ?) पानी जुंबी नहीं होता। (पाक ही रहता है।'')

तख़रीज 68: (सनद ज़ईफ़) सुनन तिर्मिज़ीः 65, इब्ने माजाः 370, नसाईः 326, मुस्लिमः 323

फ़वाइद व मसाइल (1) यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम सहीह मुस्लिम की हदीस में यही बात बयान की गई है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत मैमूना (रज़ि.) के गुस्ल से) बचे हुए पानी से गुस्ल फ़र्मा लिया करते थे। (हदीसः 323) ग़ालिबन इसी वजह से शैख़ अल्बानी (रह.) ने हदीस 68 को सही कहा है। **(2)** इससे मालूम हुआ कि जुंबी का इस्तेमाल किया हुआ बाकी पानी पाक और क़ाबिले इस्तेमाल रहता है। **(3)** और वह हदीस जिसमें मर्द व औरत को एक दूसरे के बचे हुए पानी के इस्तेमाल से मना किया गया है, वह नही तंज़ीही है। (यानी इस मुमानिअत पर अमल करना बेहतर है।) (सुनन नसाई, हदीस 239)

﴾36﴿ باب الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

बाब : 36 ठहरे हुए पानी में पेशाब करना?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ " .

(69) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं, आपने फ़र्माया ''कोई शख़्स ठहरे हुए पानी में हर्गिज़ पेशाब न करे कि फिर उसी से गुस्ल करेगा।''

तख़रीज 69: सहीह मुस्लिमः 282

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ " .

(70) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तुममें से कोई शख़्स खड़े पानी में हर्गिज़ पेशाब न करे और न जनाबत से उसमें नहाए।''

तख़रीज 70: (इस्नाद हसन) सुनन इब्ने माजाः 344

फ़वाइद व मसाइल : (1) हौज़ और तालाब के पानी को पाक साफ़ रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह अवामुन्नास (जनता) की बुनियादी ज़रूरतों में से है। **(2)** इस्तेमाल किया हुआ पानी अगरचे पाक रहता है मगर गंदा तो ज़रूर हो जाता है। नहाने की ज़रूरत हो तो अलग होकर नहाना चाहिए। लोग उसमें अगर पेशाब करना शुरू कर दें तो यक़ीनन नापाक हो जाएगा।

बाब : 37
कुत्ते के झूठे पानी से वुज़ू करना...?

﴾37﴿
باب الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ

(71) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) से बयान करते हैं, आपने फ़र्माया ''जब तुम्हारे किसी के बर्तन में कुत्ता मुँह मार जाए तो उसकी पाकीज़गी (का तरीक़ा) यह है कि उसे सात बार धोया जाए, उनमें पहली बार मिट्टी से हो।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अय्यूब और हबीब बिन शहीद ने भी मुहम्मद (इब्ने सीरीन) से ऐसे ही ज़िक्र किया है। (यानी पहली बार मिट्टी से धोया जाए।)

तख़रीज 71: सहीह मुस्लिमः 279

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، - فِي حَدِيثِ هِشَامٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ أُولاَهُنَّ بِتُرَابٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ .

(72) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन ने हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मज़्कूरा हदीस के हम मअ़नी रिवायत किया है। और मरफ़ूअ़ नहीं रिवायत किया (बल्कि मौक़ूफ़ बयान किया) और उसमें इजाफा यह है ''जब बिल्ली मुँह मार जाए तो एक बार धोया जाए।''

तख़रीज 71: (सनद सहीह) सुनन बैहक़ीः 1/248, दारेकुत्नीः 1/64, : 180, तिर्मिज़ीः 91,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ زَادَ " وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً "

फ़वाइद व मसाइल (1) ''बर्तन में मुँह मारने'' से मुराद यह है कि कुत्ता जुबान से कुछ पिये या चाटे। **(2)** कुत्ते के लुआ़ब के नजिस होने पर सबका इत्तिफ़ाक़ है और उससे इमाम अबू दाऊद (रह.) ने यह इस्तिम्बात किया है कि उसके झूठे से वुज़ू नहीं हो सकता। **(3)** मालूम हुआ कि थोड़ा पानी (माअन क़लीलन) नजिस हो जाता है ख़्वाह ज़ाहिर में उसकी कोई सिफ़त तब्दील हुई हो या न हुई हो। **(4)** ''बिल्ली के मुँह मारने से एक बार धोने'' का जुम्ला इस रिवायत में दर्ज है और सही यह है कि उसका झूठा पाक है जैसे कि अगले बाब में ज़िक्र आ रहा है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ وَالأَعْرَجُ وَثَابِتٌ الأَحْنَفُ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَأَبُو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ .

(73) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''कुत्ता जब बर्तन में मुँह मार जाए तो उसे सात बार धोओ, सातवीं बार मिट्टी से हो।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि अबू स़ालेह़, अबू रज़ीन, अअ़रज, साबित अह़नफ़, हम्माम बिन मुनब्बिह और अबू सुद्दी अ़ब्दुर्रह़मान (रहि.) ने इसे ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत किया है और मिट्टी से माँजने का ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज 73: (सनद स़ह़ीह़) सुनन नसाई: 340 दारेकुत्नी: 1/64

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ " مَا لَهُمْ وَلَهَا " . فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ .

(74) ह़ज़रत (अ़ब्दुल्लाह) इब्ने मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक बार) कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म दिया मगर उसके बाद फ़र्माया, ''लोगों को उनके क़त्ल की ज़रूरत क्या है? और उन कुत्तों का क़सूर क्या है?'' फिर आपने शिकार और बकरियों (वग़ैरह) की ह़िफ़ाज़त के लिए उनके रखने की इजाज़त दे दी और फ़र्माया, ''जब कुत्ता बर्तन में मुँह मार जाए तो उसे सात बार धोओ और आठवीं बार मिट्टी से माँजो।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) ने ऐसे ही कहा।

तख़रीज 74: स़ह़ीह़ मुस्लिम: 280 नसाई: 67, 337, 338, व इब्ने माजा: 365

फ़वाइद व मसाइल (1) कुत्ता जिस बर्तन में मुँह मार जाए उसमें मौजूद चीज़ (बशक्ले खाना व पीना) को गिरा दिया जाए और बर्तन को सात या आठ बार धोया जाए और एक बार मिट्टी से माँजा जाऐ। **(2)** हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) के कुछ शागिर्दों ने मिट्टी से माँजने का ज़िक्र छोड़ दिया है तो उससे यह लाज़िम नहीं आता कि अस़ल रिवायत में यह है ही नहीं। एहतिमाल है कि उन्होंने इख़्तिस़ार से काम लिया हो। जबकि मुहम्मद बिन सीरीन, अबू अय्यूब सख़्तियानी, हसन बस़री और अबू राफ़ेअ (रहि.) ने मिट्टी से माँजने का ज़िक्र किया है। और 'सिक़ा की ज़ियादती मक़बूल हुआ करती है...'' इसी क़ाइदे के तहत हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) की रिवायत आठवीं बार की क़ाबिले क़बूल है। **(3)** जदीद तहक़ीक़ात मुईद (ताइद करने वाली) हैं कि कुत्ते के जरासीम के लिए मिट्टी ही कमा हक़्क़हू क़ातिल है। **(4)** कुत्ता ख़्वाह शिकारी हो उसका लुआ़ब नजिस है। शिकार के मामले में ख़ास़ इस्तिस्ना मालूम होता है। **(5)** कुत्तों को बिल्उमूम क़त्ल करना मंसूख़ है ताकि उनकी नस्ल कुल्ली तौर पर तबाह न हो जाए। **(6)** शिकार और हिफ़ाज़त के लिए कुत्ते का रखना जाइज़ है।

बाब : 38
बिल्ली के झूठे का बयान

(75) कब्शा बिन्ते कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है, यह (अ़ब्दुल्लाह) इब्ने अबी क़तादा के निकाह में थीं, बयान करती हैं कि (उनके ख़ुसर) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) (उनके घर) आए तो उसने उनके लिए वुज़ू की ख़ातिर पानी उँडेला तो एक बिल्ली आ गई और उस (बर्तन) से पानी पीने लगी। अबू क़तादा (रज़ि.) ने बिल्ली के लिए बर्तन को क़द्रे टेढ़ा कर दिया यहाँ तक कि उसने पानी पी लिया। कब्शा कहती हैं कि अबू क़तादा ने मुझे देखा कि मैं उनके इस अ़मल को हैरत से देख रही हूँ तो उन्होंने कहा, ऐ भतीजी! क्या तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? मैंने कहा कि हाँ! तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''बिल्ली

﴿39﴾ باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ

وَالطَّوَّافَاتِ " .

नजिस नहीं है, यह तुम पर घूमने फिरने वाले जानवरों में से है।''

तख़रीज 75: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिज़ीः 92, नसाईः 68, 341, व इब्ने माजाः 367, मौत्ताः 1/22, 23, क़अम्बीः 45, 46, व इब्ने ख़ुज़ैमाः 104, व इब्ने हिब्बानः 121, हाकिमः 1/160

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ التَّمَّارِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ مَوْلاَتَهَا، أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَىَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ " . وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا.

(76) दाऊद बिन सालेह बिन दीनारित्तम्मार अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं कि उनकी वालिदा की मालिका ने उसे (यानी उम्मे दाऊद को) हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ हरीसा (एक क़िस्म का खाना) देकर भेजा तो उसने उन्हे नमाज़ पढ़ते पाया। उन्होंने (अस्नाए नमाज़ ही में) इशारा किया कि रख दे। चुनाँचे (उसी दौरान में) एक बिल्ली आई और उसमें से कुछ खा गई, जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुईं तो उन्होंने वहीं से खाना शुरू कर दिया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''यह नजिस नहीं है, यह तो तुम पर घूमने वाले जानवरों में से है।'' और मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है कि वह उसके झूठे पानी से वुज़ू कर लिया करते थे।

तख़रीज 76: (इस्नाद ज़ईफ़) सुनन दारेक़ुत्नीः 1/69, : 214

फ़वाइद व मसाइल (1) यह रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही है। **(2)** ''तव्वाफ़ीना और तव्वाफ़ात'' के अल्फ़ाज़ से मालूम हुआ कि मक्खी, मच्छर, भिड़, कौआ, और मुर्ग़ी वग़ैरह जानवरों से तहफ़्फ़ुज़ मुम्किन नहीं है और उनका झूठा भी पाक है। इसका खा लेना और उससे वुज़ू कर लेना सब दुरुस्त है। **(3)** ख़ुसर, महरम रिश्तों में से है इससे पर्दा नहीं और ख़िदमत इसका हक़ है। **(4)** जानवरों से हुस्ने मामला हुस्ने अख़्लाक़ का हिस्सा और अज्र का बाइस है। **(5)** हमसायों और

दोस्तों को तहाइफ़ या हदये देना और खाना भिजवाना एक इस्लामी शेआर है। (6) नमाज़ में मजबूरी हो तो मुनासिब इशारा जाइज़ है।

बाब : 39
औरत के (इस्तेमाल से) बचे हुए पानी से वुज़ू करना

﴾39﴿ بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ .

(77) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, ''मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ही बर्तन से नहा लिया करते थे जबकि हम दोनों जुंबी होते थे।''

तख़रीज 77: सहीह बुख़ारीः 299, सहीह मुस्लिमः 686

फ़वाइद व मसाइलः (1) मियाँ बीवी शरई लिहाज़ से एक दूसरे का लिबास हैं इसलिए दोनों के इकट्ठे नहा लेने में शरअन कोई क़बाहत नहीं है। (2) जब हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बर्तन से पानी लिया तो वह औरत का इस्तेमाल किया हुआ हो गया। उसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) पानी लेते तो वह उनका इस्तेमाल किया हुआ होता। मालूम हुआ कि बक़िया पानी का इस्तेमाल जाइज़ है ख़्वाह औरत का हो या मर्द का। बिल्ख़ुसूस जबकि वह दाना और समझदार हों और नामअक़ूल तौर पर पानी में छींटे न डालते हों।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ خَرَّبُوذَ، عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ، قَالَتِ اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

(78) हज़रत उम्मे सुबय्या जुहनिय्या (ख़ौला बिन्ते क़ैस) (रज़ि.) कहती हैं कि एक बर्तन से वुज़ू करते हुए मेरा और रसूलुल्लाह (ﷺ) का हाथ बारी बारी बर्तन में पड़ता था।

तख़रीज 78: (सनद हसन) सुनन इब्ने माजाः 382, व अहमदः 6/366

तौज़ीः हज़रत ख़ौला (रज़ि.) का रसूलुल्लाह (ﷺ) से महरम होने का कोई रिश्ता साबित नहीं है। यह वाक़िया शायद 6 हिज्री आयाते हिजाब के नुज़ूल से पहले का हो।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ مُسَدَّدٌ - مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا .

(79) सय्यदना अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में मर्द और औ़रतें एक बर्तन से वुज़ू कर लिया करते थे। मुसद्दद की रिवायत है ''मर्द और औ़रतें इकट्ठे एक ही बर्तन से वुज़ू कर लिया करते थे।''

तख़रीज 79: स़ह़ीह़ बुख़ारीः 193, मौत़ाः 1/24, नसाईः 71, 343, व इब्ने माजाः 381

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ مُسَدَّدٌ - مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا .

(80) सय्यदना अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में हम (मर्द) और औ़रतें एक ही बर्तन से वुज़ू कर लिया करते थे और उसी (एक ही बर्तन) में अपने हाथ डालते थे।

तख़रीज 80: (सनद स़ह़ीह़) सुनन बैहक़ीः 1/190

फ़वाइद व मसाइलः (1) यह सूरत ह़िजाब से पहले की रही होगी और ह़िजाब के बाद यह मामला शौहरों और उनकी बीवियों के बीच या मह़ारिम के बीच मह़दूद हो गया। और मसला यह साबित हुआ कि औ़रत का इस्तेमाल किया हुआ (बचा हुआ) पानी, ख़्वाह औ़रत मह़रम हो या ग़ैर मह़रम, पाक है उससे वुज़ू और गुस्ल जाइज़ है। **(2)** जब ग़ैर मह़रम मर्द का इस्तेमाल (बचा हुआ) पानी औ़रत इस्तेमाल कर सकती है तो इससे यह भी साबित हो कि ग़ैर मह़रम मर्द का बचा हुआ खाना भी औ़रत खा सकती है। शरीअ़त में इससे मुमानिअ़त की कोई दलील नहीं है, वल्लाहु आ़लम!

बाब : 40
औरत के (इस्तेमाल शुदा पानी से) बचे हुए पानी से वुज़ू की मुमानिअत का ज़िक्र

﴿40﴾
باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ - زَادَ مُسَدَّدٌ - وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا .

(81) हुमैद हिम्यरी कहते हैं कि मैं एक ऐसे शख़्स से मिला जो चार साल तक नबी (ﷺ) की सोहबत में रहा जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) आपकी सोहबत में रहे थे। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना किया है, ''औरत मर्द के या मर्द औरत के बचे हुए पानी से गुस्ल करे।''

मुसद्दद ने यह इज़ाफ़ा बयान किया है ''चाहिए कि दोनों इकट्ठे ही (बारी बारी) चुल्लू लें।''

तख़रीज 81: (सनद सहीह) सुनन नसाई: 239.

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، - يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو، وَهُوَ الأَقْرَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

(82) हकम बिन अम्र, और यह अक़रअ हैं, से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने इस बात से मना किया है कि मर्द औरत के बचे हुए पानी से वुज़ू करे।

तख़रीज 82: (सनद हसन) सुनन तिर्मिज़ी: 64, इब्ने माजा: 374

फ़ायदा: यह नही या तो रुख़्सत से पहले की है। या एहतियात पर महमूल है। ताहम किताबुल एलल तिर्मिज़ी में है कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने हकम बिन अम्र व अक़रअ की हदीस को ज़ईफ़ क़रार दिया है। और सहीह तर वही है जो पिछले बाब में मज़्कूर हुआ कि औरत मर्द एक दूसरे के इस्तेमाल शुदा और बचे हुए पानी से वुज़ू और गुस्ल कर सकते हैं।

बाब : 41
समुन्द्र के पानी से वुज़ू

﴾41﴿
باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، - مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ - أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " .

(83) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि एक शख़्स ने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हम समुन्द्र में सफ़र करते हैं और अपने साथ (पानी के लिए) थोड़ा सा पानी ले जाते हैं। अगर हम उससे वुज़ू करने लगें, तो प्यासे रह जाएँ, तो क्या हम समुन्द्र के पानी से वुज़ू कर लिया करें? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''समुन्द्र का पानी पाक और उसका मुर्दा हलाल है।''

तख़रीज 83: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिज़ी: 69 मौत्ताः 1/22, नसाईः 59, इब्ने माजाः 386, 3246, इब्ने ख़ुज़ैमाः 111, व इब्ने हिब्बानः 119

फ़वाइद व मसाइल (1) समुन्द्र, दरिया और नहर का पानी ख़ुद पाक होता है और पाक करने वाला भी, तो उससे पीना, नहाना और धोना सब जाइज़ है। अगर कहीं नजासत पड़ी हो तो वह जगह छोड़ दी जाए। **(2)** मछली को ज़िब्ह करने की ज़रूरत नहीं होती, वह बग़ैर शिकार अपनी मौत मर गई हो तो भी हलाल है और पानी पाक रहता है और मछली की तमाम क़िस्म इसमें शामिल हैं।

बाब : 42
खजूर और मुनक़्क़ा के शरबत (नबीज़) से वुज़ू करना...?

﴾42﴿
باب الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي

(84) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने उनसे जिन्नों वाली रात पूछा कि तुम्हारे बर्तन में

زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ " مَا فِي إِدَاوَتِكَ " . قَالَ نَبِيذٌ . قَالَ " تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَوْ زَيْدٍ كَذَا قَالَ شَرِيكٌ وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ لَيْلَةَ الْجِنِّ .

क्या है? उन्होंने कहा, नबीज़ (यानी खजूर का शरबत) है। तो आपने फ़र्माया, ''खजूर पाकीज़ा फल है और पानी पाक है।''
सुलेमान बिन दाऊद की रिवायत में है कि शरीक को वहम हुआ और उन्होंने अबू ज़ेद या ज़ेद कहा, जबकि हन्नाद की रिवायत में लैलतुल जिन्न का ज़िक्र नहीं है और सुलेमान की रिवायत में मौजूद है।
तख़रीज 84: (सनद ज़ईफ़) सुनन तिर्मिज़ीः 88, इब्ने माजाः 384

वज़ाहतः यह ह़दीस ज़ईफ़ है। इसका रावी अबू ज़ेद मज्हूल है। इसलिए यह क़ाबिले अ़मल नहीं। नीज़ नीचे की सही ह़दीस इसकी तौज़ीह़ कर रही है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا أَحَدٌ .

(85) अ़ल्क़मा कहते हैं कि मैंने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से पूछा कि (रसूलुल्लाह स. की) जिन्नों से मुलाक़ात वाली रात आप लोगों में से कौन रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था? तो उन्होंने कहा कि हममें से कोई भी आपके साथ न था।
तख़रीज 85: स़ह़ीह़ मुस्लिमः 450, तिर्मिज़ीः 3258

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيذِ وَقَالَ إِنَّ التَّيَمُّمَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهُ .

(86) जनाब अ़ता बिन अबी रिबाह़ (रह.) से मंक़ूल है कि उन्होंने दूध और नबीज़ से वुज़ू को मकरूह कहा है और फ़र्माया कि मुझे इनसे वुज़ू करने की बजाए तयम्मुम करना ज़्यादा पसंद है।
तख़रीज 86: (सनद स़ह़ीह़) सुनन बैहक़ीः 1/9

फ़वाइद व मसाइलः (1) पानी में कोई पाक चीज़ मिल जाए तो उसके पाक रहने में कोई शुब्हा नहीं, मगर लाज़मी है कि उस इख़्तिलात से पानी पानी ही रहे। अगर वह मायेअ़ (मिलावटी) पानी की

बजाए शरबत, लस्सी या शोरबे वग़ैरह से मौसूम हो जाता है तो वह पानी न रहा और उससे वुज़ू या गुस्ल का कोई मअ़नी नहीं। (2) ''नबीज़'' अ़रब का ख़ास़ मशरूब है जो वह ख़ुश्क खजूर या मुनक़्क़ा को पानी में भिगोये रखने से तैयार करते थे जैसे हमारे यहाँ इमली और आलू बुख़ारे से शरबत बनाया जाता है। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) इंसानों की त़रह़ जिन्नों की त़रफ़ भी मब्ऊ़स किये गऐ थे, कई एक मौक़ों पर आपने उन्हें तब्लीग़ और वअ़ज़ भी किया था।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ، أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ أَيَغْتَسِلُ بِهِ قَالَ لاَ

(87) अबू ख़ल्दा कहते हैं कि मैंने जनाब अबुल आ़लिया (ताबेई) से पूछा कि एक शख़्स़ जिसे जनाबत लाह़िक़ हुई हो, उसके पास पानी न हो मगर नबीज़ (खजूर या किशमिश का पानी) मौजूद हो तो क्या वह इससे गुस्ल कर ले? उन्होंने फ़र्माया, नहीं!

<u>तख़रीज 87:</u> (सह़ीह़) सुनन बैहक़ीः 1/9

﴾43﴿ باب أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ

बाब : 43
पेशाब पाख़ाने की ह़ाजत होने की ह़ालत में नमाज़ पढ़ना कैसा है?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصَّلاَةَ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ وَذَهَبَ إِلَى الْخَلاَءِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ .

(88) सय्यदना अ़ब्दुल्लाह बिन अरक़म (रज़ि.) से रिवायत है कि वह ह़ज्ज व उ़मरे के लिए निकले। उनके साथ में कुछ लोग भी थे और वह उनके इमाम थे। एक दिन नमाज़े फ़ज्र की इक़ामत हुई तो उन्होंने कहा कि तुममें से कोई आगे हो। (और नमाज़ पढ़ाये) और ख़ुद क़ज़ाए ह़ाजत के लिए चल दिये और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है आप फ़र्माते थे, ''जब तुममें से किसी को बैतुलख़ला जाने की ह़ाजत हो और

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلاَءَ وَقَامَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاَءِ " .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو ضَمْرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ وَالأَكْثَرُ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ قَالُوا كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ .

नमाज़ भी खड़ी हो रही हो तो चाहिए कि वह पहले क़ज़ाए ह़ाजत के लिए जाए।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि वुहैब बिन ख़ालिद, शुऐब बिन इस्हाक़ और अबू ज़मरा ने यह ह़दीस हिशाम बिन उ़र्वा अ़न अबीहि ''अ़न रजुलिन'' ह़द्दसहु अ़न अ़ब्दिल्लाहिब्नि अरक़म की सनद से रिवायत की है (यानी इसमें अ़न रजुल का इज़ाफ़ा है।) मगर हिशाम के अक्सर शागिर्द इसी त़रह़ रिवायत करते हैं जैसे कि (मज़्कूरा अस्सदर रिवायत में) ज़ुहैर ने (अ़न रजुल के वास्ते के बग़ैर) रिवायत किया है।

तख़रीज 88: (सनद स़ह़ीह़) सुनन तिर्मिज़ीः 142, नसाईः 853, व इब्ने माजाः 616, इब्ने ख़ुज़ैमाः 932, 1652, व इब्ने ह़िब्बानः 194, ह़ाकिमः 1/168

फ़वाइद व मसाइल (1) नमाज़ की क़ुबूलियत में ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ (पूरे तौर पर अल्लाह की तरफ़ ध्यान लगाना) इंतिहाई बुनियादी अम्र है। इसके लिए पूरी पूरी मेह़नत और कोशिश करनी चाहिए और हर उस ह़ालत से बचना चाहिए, जो इसमें ख़लल अंदाज़ हो सकती है। लिहाज़ा बैतुलख़ला जाने की ज़रूरत मह़सूस हो रही हो तो पहले उससे फ़ारिग़ होना चाहिए। **(2)** ऐसे ही खाने का मसला है जब खाना तैयार हो और भूख भी लग रही हो तो पहले खाना खा लेना चाहिए। जैसे कि दर्जे ज़ेल (निचली) ह़दीस में आ रहा है। **(3)** लम्बे सफ़रों में मस्नून यह है कि इज्तिमाइयत क़ायम रखी जाए। एक शख़्स को अपना अमीर मुक़र्रर कर लिया जाए जैसे कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अरक़म (रज़ि.) के बारे में ऊपर बयान हुआ है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - الْمَعْنَى - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ،

(89) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन मुह़म्मद बिन अबीबक्र (क़ासिम बिन मुह़म्मद बिन अबीबक्र स़िद्दीक़ के भाई) से रिवायत है कि हम ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) के यहाँ थे कि उस अस्ना (बीच) में उनका खाना आ गया, तो

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، - قَالَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ - قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيءَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ " .

जनाब क़ासिम खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह कहते हुए सुना है ''जब खाना हाज़िर हो तो नमाज़ न पढ़ी जाए नीज़ ऐसी हालत में भी कि आदमी पेशाब पाख़ाने को रोक रहा हो।''

तख़रीज 89: सहीह मुस्लिमः 560, अहमदः 6/43, 54

फ़वाइद व मसाइल (1) इस रिवायत का एक पसे मंज़र है कि जनाब क़ासिम बिन मुहम्मद की वालिदा उम्मे वलद (लौण्डी) थीं और उसकी तर्बियत के असर से जनाब क़ासिम के अ़रबी तकल्लुम में क़द्रे लहन था। इस पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उन्हें तादीब की तो वह कुछ ख़फ़ा हो गए और खाना छोड़कर नमाज़ पढ़ने लगे। इस पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उन्हें यह हदीस सुनाई और अम्र बिल्मअरूफ़ का फ़रीज़ा अदा किया। **(2)** ख़्याल रहे कि भूख और क़ज़ाए हाजत ऐसे फ़ितरी उमूर हैं जो इंसान के अपने बस में नहीं होते। शरीअ़त ने ख़ुसूसी तौर पर उनसे फ़रागत हासिल कर लेने का हुक्म दिया है, मगर ऐसे आमाल जो इंसान के अपने बस में हों मस्लन कोई काम अधूरा रह रहा हो या वैसे ही ज़हन पर सवार हो तो दीनी तक़ाज़ा यह है कि इंसान उन उमूर (मामलात) से अपने आपको फ़ारिग़ करके नमाज़ की तरफ़ मुतवज्जह हो और अपने काम या तो नमाज़ से पहले निपटा ले या नमाज़ के बाद मुकम्मल करे, मस्लन सफ़र में जमा बैनस्सलातैन की (दो फ़र्ज़ नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ना) रुख़्सत मौजूद है। माँ को बच्चा परेशान कर रहा हो, तो इजाज़त है कि उसे उठाकर नमाज़ पढ़ ले।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَىٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثٌ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ لاَ يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ

(90) सय्यदना सौबान (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तीन काम किसी को रवा (मुनासिब) नहीं हैं। यानी (1) कोई ख़ास किसी क़ौम की इमामत कराये तो अहले जमाअ़त को छोड़कर ख़ास अपने लिए दुआ न करे। अगर ऐसा किया तो उनसे ख़यानत की। (2) इजाज़त मिलने से पहले ही किसी के घर के अंदर न झाँके। अगर ऐसा किया तो गोया (बग़ैर इजाज़त)

بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ " .

अंदर दाख़िल हुआ। (3) कोई शख़्स पेशाब पाख़ाना रोके हुए नमाज़ पढ़े यहाँ तक कि फ़राग़त हासिल कर ले।''

तख़रीज 90: (हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 357, इब्ने माजाः 619, 923

फ़ायदाः शैख़ अल्बानी (रह़.) के नज़दीक यह रिवायत ज़ईफ़ है। इसमें आख़िरी दो बातें तो दूसरी अह़ादीस से भी साबित हैं। लेकिन पहले इस बात का ज़िक्र महल्ले नज़र है, इसलिए कि नमाज़ के बाद दुआएँ ऐसी भी हैं जिनमें सेग़ा वाह़िद ही इस्तेमाल हुआ है और इमाम समेत हर शख़्स उन्हें सेग़ा वाह़िद ही के साथ पढ़ता है। इसलिए उसे इमाम की ख़यानत से ता'बीर करना क्यूँकर सही हो सकता है?

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ " . ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ قَالَ " وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ وَلاَ يَخْتَصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يَشْرَكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ .

(91) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया, ''जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता है उसके लिए ह़लाल नहीं कि पेशाब पाख़ाना रोके हुए नमाज़ पढ़े, यहाँ तक कि फ़ारिग़ हो जाए।'' फिर जनाब सौर ने मज़्कूरा बाला (ऊपर की) ह़दीस की त़रह़ बयान किया। और कहा कि (रसूलुल्लाह स. ने फ़र्माया) ''जो शख़्स अल्लाह तआला और आख़िरत पर ईमान रखता है उसे ह़लाल नहीं कि बग़ैर इजाज़त के किसी क़ौम की इमामत कराये और यह अहले जमाअत को छोड़कर ख़ास़ अपने ही लिए दुआ करे। अगर ऐसा करे तो उनसे ख़यानत की।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि यह सनद अहले शाम की असानीद में से है, उसमें उनका कोई शरीक नहीं। (सिवा ह़ज़रत अबू हुरैरा रज़ि. के।)

तख़रीज 91: (हसन) सुनन बैहक़ीः 3/129

फ़ायदा: यह रिवायत भी शैख़ अल्बानी (रह़.) के नज़दीक ज़ईफ़ है। इसमें भी दो बातों की मुमानिअ़त तो दूसरी अह़ादीस से साबित है। जैसे पेशाब पाख़ाना रोककर नमाज़ पढ़ना और बग़ैर इजाज़त किसी क़ौम की इमामत कराना, यह दोनों बातें मम्नूअ़ हैं। लेकिन यह तीसरी बात कि इमाम सिर्फ़ अपने ही लिए दुआ न करे, सही नहीं। इसलिए कि मुतअ़द्दिद (कई) दुआओं में नमाज़ में वाह़िद ही का सेग़ा इस्तेमाल होता है।

बाब : 44
वुज़ू के लिए किस क़द्र पानी काफ़ी है?

(44) باب مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ

(92) ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) एक स़ाअ़ पानी से ग़ुस्ल और एक मुद से वुज़ू कर लिया करते थे।
इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि जनाब अबान ने क़तादा से रिवायत किया तो (अ़न स़फ़िय्यता की बजाए) समिअ़तु स़फ़िय्यता कहा है। (यानी मैंने ह़ज़रत स़फ़िय्या से सुना।)
तख़रीज 92: (स़ह़ीह़) सुनने इब्ने माजाः 268, नसाईः 347, सुनन बैहक़ीः 1/195

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ

(93) सय्यदना जाबिर (रज़ि.) से मरवी है, कहते हैं कि नबी (ﷺ) एक स़ाअ़ पानी से ग़ुस्ल और एक मुद से वुज़ू कर लिया करते थे।
तख़रीज 93: (स़ह़ीह़) अह़मदः 3/303, इब्ने ख़ुज़ैमाः 117, बैहक़ीः 1/195, ह़ाकिमः 1/161

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، وَهِيَ

(94) सय्यदा उम्मे उ़मारा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने वुज़ू करना चाहा तो आपके लिए बर्तन लाया गया। उसमें एक मुद के दो तिहाई जितना पानी था।

أُمُّ عُمَارَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ .

तख़रीज 94: (सनद सहीह) सुनन नसाईः 74, बैहक़ीः 1/196

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ قَالَ عَنِ ابْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ . قَالَ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنِي جَبْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ سَمِعْتُ أَنَسًا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ رَطْلَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَهُوَ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(95) सय्यदना अनस (रज़ि.) कहते हैं कि नबी (ﷺ) ऐसे बर्तन से वुज़ू किया करते थे जिसमें दो रतल पानी आता था और आप एक साअ (पानी) से गुस्ल फ़र्मा लिया करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने (हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत करने वाले शागिर्दों के नाम और इस्नाद में इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र करते हुए) कहा कि शुअबा ने कहा, हद्दसनी अब्दुल्लाहिब्नि अब्दिल्लाहिब्नि जब्रिन क़ालः समिअतु अनसन मगर उसमें है कि आपको ''मक्कूक'' (एक मुद) से वुज़ू करते थे। उसमें दो रतल का ज़िक्र नहीं है।

अनिब्नि जब्रिब्नि अतीकिन जबकि सुफ़्यान की रिवायत में अन अब्दिल्लाहिब्नि ईसा क़ाल हद्दसनी जब्रुब्नु अब्दिल्लाह आया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने अहमद बिन हंबल (रज़ि.) को सुना वह कहते थे कि साअ पाँच रतल है।

अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यही साअ इब्ने अबी ज़िब का है और नबी (ﷺ) का साअ इसी तरह का था।

तख़रीज 95: (सहीह) अहमदः 3/179, सहीह बुख़ारीः 201, व मुस्लिमः 74, बैहक़ीः 1/196

फ़वाइद व मसाइल (1) पानी की मज़्कूरा मिक़्दार (मात्रा) महदूद के लिए नहीं बल्कि किफ़ायत व तर्ग़ीब के लिए है और इशारा है कि पानी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, बेजा इस्तेमाल और

ज़ाया नाजाइज़ है। (2) साअ और मुद चीज़ों के भरने के पैमाने हैं। एक सा अ में चार मुद होते हैं और मुख़्तलिफ़ (अलग अलग) अदवार (समय) में उनका पैमाना मुख़्तलिफ़ होता रहा है। मौजूदा पैमाने के मेअयार से मदनी साअ की मिक़्दार तीन लीटर दौ सो मिली लीटर और एक मुद की मिक़्दार आठ सौ मिली लीटर बनती है।

मल्हूज़ (नोट): दौरे नबवी का मुद, जिसका आख़िरी बाब में ज़िक्र आया है उसका एक नमूना राक़िम मुतर्जिम को अपने वालिदे गिरामी मौलाना अबू सईद अब्दुल अज़ीज़ (रह.) से विरासत में मिला है जिसकी सनद ता'दील व मुमासिलत हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह साहब देहलवी (रह.) से सत्तरह वास्तों से हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) तक पहुँचती है। यह दीने इस्लाम की हक़्क़ानियत की एक अदना दलील है कि इसके उसूल इस वक़्त तक महफ़ूज़ है। अल्हम्दु लिल्लाहि अला ज़ालिक शरई पैमानों में हरमैन के पैमाने ही मोतबर हैं जैसे कि सुनन अबी दाऊद की हदीस 3340 में है कि अल्वज़्नु अहलि मक्कति वल मिक्यालु मिक्यालु अहलिल मदीनति ''यानी वज़न अहले मक्का का मोतबर है और भरने का माप अहले मदीना का।''

बाब : 45
वुज़ू में इस्राफ़ मना है।

﴿45﴾
باب الإسراف في الوضوء

(96) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) ने (एक बार) अपने साहबज़ादे को दुआ करते सुना (जो यूँ कह रहा था) ''ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि जब मैं जन्नत में दाख़िल होऊँ तो मुझे उसकी दाएँ जानिब सफ़ेद महल इनायत हो।'' इस पर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़र्माया, ''बेटे! अल्लाह तआला से जन्नत का सवाल करो और दोज़ख़ से पनाह माँगो। बेशक मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، سَمِعَ ابْنَهُ، يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ، إِذَا دَخَلْتُهَا . فَقَالَ أَىْ بُنَىَّ سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ " .

फ़र्माते थे ''मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तहारत में और दुआ माँगने में हद से ज़्यादा मुबालग़ा करेंगे।''

तख़रीज 96: (सनद सहीह) सुनन इब्ने माजाः 3864, इब्ने हिब्बानः 171, 172, हाकिमः 1/540

फ़वाइद व मसाइलः (1) मालूम हुआ कि तहारत (इस्तिन्जा, वुज़ू और गुस्ल वग़ैरह) में हद से ज़्यादा पानी बहाना नाजाइज़ है, बिल्ख़ुसूस इस्तिंजा के सिलसिले में वहम में मुब्तला रहना शरीअत नहीं, बल्कि वुज़ू के बाद शर्मगाह वाली जगह पर छींटे मार लेने चाहिए। **(2)** दुआ भी जामेअ होनी चाहिए जैसे कि कुरआन मजीद और रसूलुल्लाह (ﷺ) से मासूर और मस्नून है।

﴾46﴿ باب فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

बाब : 46
वुज़ू मुकम्मल करने का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ " .

(97) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से मंक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ लोगों को देखा कि (वुज़ू में जल्दी के बाइस उनके पैर ख़ुश्क रह गए और) उनकी ऐड़ियाँ चमक रही थीं। तो आपने फ़र्माया ''(ऐसी) ऐड़ियों को आग का अज़ाब है। वुज़ू मुकम्मल किया करो।''

तख़रीज 97: सहीह मुस्लिमः 241, नसाईः 111, व इब्ने माजाः 450, सहीह बुख़ारीः 60

फ़ायदाः मालूम हुआ कि वुज़ू में कोई जगह भी सूखी नहीं रहनी चाहिए वरना इस हदीस में ज़िक्र की हुई सज़ा साबित और लागू होगी। ऐड़ियों का ज़िक्र बिल्ख़ुसूस इसलिए आया कि आदमी जल्दी में हो और उनका ख़याल न करे तो यह ख़ुश्क रह जाती हैं। ख़ास तौर पर टख़्नों के पीछे की गहरी जगह।

باب الْوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ

﴿47﴾

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنِي صَاحِبٌ، لِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَسَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ .

बाब : 47
पीतल के बर्तन से वुज़ू

(98) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बर्तन में गुस्ल करते थे जो पीतल का बना हुआ था।

तख़रीज 98: (सहीह) सुनन बैहक़ीः 1/31.

(99) जनाब मुहम्मद बिन अला की सनद से भी ऊपर वाली हदीस की मानिन्द मरवी है।

तख़रीज 99: (सहीह) पिछली हदीस देखें, सुनन बैहक़ीः 1/31, व हाकिमः 1/169

(100) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (रज़ि.) कहते हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो हमने आपके लिए पीतल के बर्तन में पानी पेश किया और आपने उससे वुज़ू किया।

तख़रीज 100: सहीह बुख़ारीः 197, व इब्ने माजाः 471, बुख़ारीः 191, व मुस्लिमः 235

फ़ायदाः चूँकि पीतल और काँसा के बर्तनों में सोने की रंगत होती है इसलिए इमाम साहब (रह.) ने इस शुब्हे को ज़ाइल करने के लिए यह रिवायत पेश की हैं। अल्बत्ता ख़ालिस सोने, चाँदी या उनसे मिलता जुलता बर्तन इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं हैं। सिर्फ़ टाँके की हद तक जाइज़ है।

बाब : 48
वुज़ू शुरू करते हुए ''बिस्मिल्लाह'' कहना

﴿48﴾
باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ".

(101) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिसका वुज़ू नहीं उसकी नमाज़ नहीं और जो शख़्स वुज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम न ले (बिस्मिल्लाह न पढ़े) उसका वुज़ू नहीं।

तख़रीज 101: (सनद हसन) सुनन इब्ने माजाः 399, 397.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، قَالَ وَذَكَرَ رَبِيعَةُ أَنَّ تَفْسِيرَ، حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ " . أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ وَلاَ يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلاَةِ وَلاَ غُسْلاً لِلْجَنَابَةِ .

(102) जनाब रबीआ (अर्राय एक ताबेई और मुफ़्ती मदीना) ने नबी (ﷺ) की ह़दीस ''जो शख़्स वुज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम न ले उसका वुज़ू नहीं।'' की शरह में कहा है कि इससे मुराद वह शख़्स है जो वुज़ू और ग़ुस्ल करता है और वुज़ू से नमाज़ की और ग़ुस्ल से त़हारत की निय्यत नहीं करता। (ऐसे शख़्स का वुज़ू और ग़ुस्ल दुरुस्त न होगा।)

तख़रीज 102: (सनद स़ह़ीह़) सुनन बैहक़ीः 1/41

फ़वाइद व मसाइल (1) वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) से फ़र्माया (बिस्मिल्लाह) कहते हुए वुज़ू करो। (सुनन नसाईः 78) इस ह़दीस से मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह के अ़लावा अल्फ़ाज़ से वुज़ू की इब्तिदा करना सही नहीं है। जो ह़ज़रात ''बिस्मिल्लाह'' के सिवा कोई दूसरे अल्फ़ाज़ कहने को दुरुस्त ख़्याल करते हैं तो यह बिला दलील और पिछली ह़दीस के ख़िलाफ़ है। (2) अगर बिस्मिल्लाह भूल गए और वुज़ू के दौरान में याद आये तो फ़ौरन पढ़ ले, ताहम वुज़ू दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भूल चूक माफ़ है। (3) वुज़ू और ग़ुस्ल में निय्यत भी लाज़िम है।

49

باب فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

बाब : 49
जो शख़्स अपने हाथ धोने से पहले बर्तन में डाल दे

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " .

(103) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब तुममें से कोई रात को जागे तो अपना हाथ धोये बग़ैर बर्तन में न डुबोए यहाँ तक कि तीन बार धो ले, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसका हाथ (सोते में) कहाँ कहाँ लगता रहा है।"
तख़रीज 103: सहीह मुस्लिम: 278

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينٍ .

(104) इमाम मुसद्दद से ईसा बिन यूनुस के वास्ते से भी मज़्कूरा बाला हदीस मरवी है मगर उसमें है कि दो बार धोये या तीन बार। इस सनद में अबू रज़ीन का ज़िक्र नहीं है।
तख़रीज 104: (सहीह) सुनन बैहक़ी: 1/45

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا اسْتَيْقَظَ

(105) अबू मरयम कहते हैं, मैंने हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से सुना वह कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आप फ़र्माते थे "जब तुममें से कोई नींद से जागे तो अपना हाथ बर्तन में न डाले यहाँ तक कि उसे तीन बार धो ले क्योंकि तुममें से किसी को ख़बर नहीं होती कि उसके हाथ ने रात कहाँ

أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ " .

गुज़ारी।'' या फ़र्माया ''उसका हाथ न मालूम कहाँ कहाँ फिरता रहा।''

तख़रीज 105: (सनद सहीह) सुनन दारेकुत्नीः 1/50: 127 इब्ने हिब्बानः 1058.

फ़वाइद व मसाइल (1) यह हुक्म हर क़िस्म के बर्तन के लिए है, अल्बत्ता नहर और बड़ा हौज़ व तालाब इस हुक्म से अलग हैं और उनमें हाथ दाख़िल करना जाइज़ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने भी फ़त्हुल बारी में यही राय बयान की है। जुम्हूर उलमा के नज़दीक यह हुक्म इस्तिहबाब पर मब्नी है, मगर इमाम अहमद (रह.) इसे वाजिब क़रार देते हैं, लेकिन जुम्हूर की राय अक़रबु इलस्सवाब (ज़्यादा ठीक मालूम) है, अल्बत्ता जब उसे यक़ीन हो जाए कि उसका हाथ नजासत व गंदगी से आलूदा हुआ है, तो हाथ बर्तन में दाख़िल करने से पहले धोना ज़रूरी है। **(2)** मज़्कूरा बाला हदीस में सिर्फ़ रात का तज़्किरा इसलिए किया गया है कि रात में नजासत लग जाने का ज़्यादा एहतिमाल होता है बनिस्बत दिन के, बहरहाल मज़्कूरा हुक्म दिन और रात दोनों के लिए एक जैसा है, लिहाज़ा दिन को सोकर जागे तो भी इस इर्शाद पर अमल करना चाहिए।

(51) باب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

बाब : 51
नबी (ﷺ) के वुज़ू का बयान

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ

(106) जनाब हुमरान बिन अबान, हज़रत उस्मान (रज़ि.) के आज़ादकर्दा गुलाम, कहते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) को वुज़ू करते हुए देखा, उन्होंने (पहले) अपने हाथों पर पानी डाला और उन्हें तीन बार धोया, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डालकर झाड़ा, फिर तीन बार अपना चेहरा धोया, फिर अपने सर का मसह किया, फिर अपना दायाँ पैर धोया तीन

غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

बार, फिर बायाँ उसी तरह। उसके बाद कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा था कि आपने मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू किया फिर फ़र्माया, ''जो कोई मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू करे, फिर दो रकअत नमाज़ पढ़े ऐसे कि इधर उधर के ख़्यालात में मशग़ूल न हो तो अल्लाह उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर देता है।''

तख़रीज 106: सहीह बुख़ारीः 1934, व मुस्लिमः 226, मुसन्नफ़ अब्दिर्रज़्ज़ाक़ः 139, नसाईः84, 85

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي حُمْرَانُ، قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ وَقَالَ فِيهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ هَكَذَا وَقَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هَذَا كَفَاهُ " . وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الصَّلاَةِ .

(107) अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने कहा कि जनाब हुमरान कहते हैं कि मैंने हज़रत उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) को देखा, उन्होंने वुज़ू किया और मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह ज़िक्र किया, उसमें कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाने का ज़िक्र नहीं किया, और (अबू सलमा ने) अपनी हदीस में कहा कि सिर का मसह तीन बार किया, फिर अपने दोनों पैर तीन तीन बार धोये फिर (हज़रत उ़स्मान रज़ि. ने) कहा मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आपने ऐसे ही वुज़ू किया और फ़र्माया, ''जो शख़्स अपने अअ़ज़ाए वुज़ू को इससे कम बार धोये तो (भी) काफ़ी है।'' और (अबू सलमा ने अपनी हदीस में) नमाज़ का ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज 107: (सनद हसन) दारेक़ुत्नीः 1/91, 299.

(108) उस्मान बिन अब्दुर्रहमान तैमी कहते हैं कि इब्ने अबी मुलैका से वुज़ू के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) को देखा, उनसे वुज़ू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पानी मँगवाया, चुनाँचे एक बर्तन लाया गया। उन्होंने उसे अपने दाएँ हाथ पर झुकाया, फिर अपना दायाँ हाथ पानी में डाला और तीन बार कुल्ली की, तीन बार नाक में पानी डालकर झाड़ा, तीन बार अपना चेहरा धोया, फिर अपना दायाँ हाथ धोया तीन बार और बायाँ हाथ तीन बार, फिर अपना हाथ (बर्तन में) डाला और पानी लिया और सिर और दोनों कानों का मसह किया, उनके अंदर और बाहर से एक बार, फिर अपने पैर धोये और फ़र्माया, कहाँ हैं वुज़ू के बारे में सवाल करने वाले? मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे वुज़ू करते हुए देखा था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) की तमाम सही रिवायात दलालत करती हैं कि उन्होंने सिर का मसह एक ही बार किया था। सब रावी वुज़ू को तीन तीन बार ज़िक्र करते हैं मगर (मसह के बारे में इतना ही) कहते कि ''उन्होंने अपने सिर का मसह किया।'' और इसमें अदद का ज़िक्र नहीं करते जैसे कि बाक़ी आज़ा में करते हैं।

तख़रीज 108: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ी: 1/64

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَذِّنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ سُئِلَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَقَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَى عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَحَادِيثُ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةً فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلاَثًا وَقَالُوا فِيهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ . وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ، دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ - قَالَ - ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَذَكَرَ الْوُضُوءَ ثَلاَثًا - قَالَ - وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُ . ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَأَتَمَّ .

(109) जनाब अबू अ़ल्क़मा से रिवायत है कि हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) ने पानी मँगवाया और वुज़ू किया। (पहले उन्होंने) अपने दाएँ हाथ से बाएँ हाथ पर पानी डाला और अपने दोनों हाथों को कलाईयों तक धोया। अ़ल्क़मा ने कहा, फिर कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया तीन बार। और पूरे वुज़ू में तीन तीन बार अअ़ज़ा को धोना बयान किया और कहा कि फिर अपने सिर का मसह किया, उसके बाद पैर धोये और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा था, उन्होंने ऐसे ही वुज़ू किया था जैसे कि तुमने मुझे वुज़ू करते देखा है। फिर ज़ोहरी की ह़दीस की मानिन्द बयान किया बल्कि उससे भी कामिल बयान किया। (यानी जिसमें ख़ुशूअ़, ख़ुज़ूअ़ से नमाज़ पढ़ने और उस पर अज्र का ज़िक्र आया है। साबिक़ा ह़दीस 106)

तख़रीज 109: (सनद ह़सन) दारेक़ुत्नीः 1/84, : 279

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ هَذَا . قَالَ أَبُو

(110) शक़ीक़ बिन सलमा कहते हैं कि मैंने हज़रत उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) को देखा, उन्होंने अपनी कलाइयाँ तीन तीन बार धोईं, और अपने सिर का मसह (भी) तीन बार किया। फिर फ़र्माया, ''मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा था आपने ऐसे ही किया था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं इस रिवायत में वकीअ़ ने इस्राईल से रिवायत किया तो उसमें सिर्फ़ इतना कहा कि ''वुज़ू

داوُدَ رَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا فَقَطْ .

किया तीन तीन बार।''

तख़रीज 110: (सनद हसन) दारेक़ुत्नीः 1/91, 298.

फ़ायदा: नबी (ﷺ) का अमल मसह में एक बार का है जैसे कि ज़्यादातर हदीसों से साबित होता है, मुम्किन है कुछ मौक़ों पर तीन बार भी किया हो, इज्मालन तीन बार का ज़िक्र करने से रावी ने सिर को भी शामिल समझ लिया हो।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ أَتَانَا عَلِيٌّ - رضى الله عنه - وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ إِلاَّ أَنْ يُعَلِّمَنَا فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ هَذَا .

(111) अब्दे ख़ैर कहते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और वह नमाज़ पढ़ चुके थे, उन्होंने वुज़ू के लिए पानी मँगवाया तो हमने कहा कि वह पानी का क्या करेंगे, हालाँकि नमाज़ पढ़ चुके हैं, यह शायद हमें सिखाना चाहते हैं। चुनाँचे एक बर्तन में पानी लाया गया और साथ एक तसला (खुला बर्तन) भी था। उन्होंने बर्तन से अपने दाएँ हाथ पर पानी डाला और हाथों को तीन बार धोया, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डालकर झाड़ा तीन बार, आपने उसी चुल्लू से कुल्ली की और नाक झाड़ी, जिसमें कि पानी लिया था, फिर अपना चेहरा धोया तीन बार और दायाँ बाज़ू तीन बार, फिर बायाँ बाज़ू तीन बार, फिर अपना हाथ बर्तन में डाला और अपने सिर का मसह किया एक बार। फिर अपना दायाँ पैर धोया तीन बार, फिर बायाँ तीन बार, फिर फ़र्माया जिसको पसंद आता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का वुज़ू मालूम करे तो वह यही है।

तख़रीज 111: (सनद सहीह) नसाईः 92

फ़ायदा: इस रिवायत से साबित हुआ कि एक ही चुल्लू से आधा पानी कुल्ली के लिए खींच लें और

आधा नाक में चढ़ा लें। पानी चढ़ाने के बाद नाक को बाएँ हाथ से झाड़ना चाहिए, जैसाकि सुनन नसाई और सुनन दारमी की रिवायात में स़राह़त से वारिद है कि आप (ﷺ) का नाक में पानी दाख़िल करना दाएँ हाथ से और उसका झाड़ना बाएँ हाथ से था। (सुनन नसाईः 91, सुनन दारमीः 704)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ صَلَّى عَلِيٌّ رضى الله عنه الْغَدَاةَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتَاهُ الْغُلاَمُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ - قَالَ - فَأَخَذَ الإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا . ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّةً . ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ .

(112) अ़ब्दे ख़ैर कहते हैं कि ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई और फिर रहबा में आ गए (कूफ़ा के मर्कज़ी महल्ले का नाम था) और पानी मँगवाया। एक गुलाम बर्तन लाया उसमें पानी था और उसके साथ तसला भी था, चुनाँचे आपने बर्तन को अपने दाएँ हाथ से पकड़ा और अपने बाएँ हाथ पर उँडेला और अपने दोनों हाथों को तीन बार धोया, फिर अपना हाथ बर्तन में डाला (पानी लिया) और तीन बार कुल्ली की और तीन बार नाक में पानी डाला, और फिर (ज़ाइदा बिन क़ुदामा ने साबिक़ा) ह़दीसे अबू अ़वाना के क़रीब क़रीब बयान की, फिर अपने सिर का मसह किया, उसके अगले और पिछले हिस़्से का और पहले की त़रह ह़दीस बयान की।

तख़रीज 112: (सनद स़ह़ीह़) नसाईः 91

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الاِسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

(113) अ़ब्दे ख़ैर कहते हैं कि मैंने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) को देखा कि एक कुर्सी लाई गई, आप उस पर बैठे, फिर पानी का एक कूज़ा (बर्तन) लाया गया। आपने अपना हाथ तीन बार धोया, फिर कुल्ली की साथ ही नाक में पानी भी चढ़ाया। दोनों एक चुल्लू के साथ। और ह़दीस बयान की।

तख़रीज 113: (सनद स़ह़ीह़) नसाईः 93, 94

फ़ायदा: इस हदीस से एक ही चुल्लू से कुल्ली और नाक में पानी डालना साबित होता है। मस्नून और मुस्तहब अमल यही है कि एक ही चुल्लू पानी लेकर कुल्ली की जाए और उसी से नाक में पानी भी दिया जाए क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का अपना अमल यही है, जैसाकि सहीह बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से इसकी सराहत मौजूद है। वल्लाहु आ'लम (सहीह बुख़ारी, अल्वुज़ू, हदीसः 140)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ الْكِنَانِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، رضى الله عنه وَسُئِلَ عَنْ وُضُوءِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى لَمَّا يَقْطُرْ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

114. जनाब ज़िर्र बिन हुबैश से रिवायत है, उन्होंने हज़रत अली (रज़ि.) को सुना, उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के वुज़ू के बारे में सवाल किया गया था। तो रावी ने हदीस बयान की और उसमें ज़िक्र किया कि उन्होंने अपने सिर का मसह किया मगर पानी के क़तरात न गिरे और अपने दोनों पैर तीन तीन बार धोए, फिर फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का वुज़ू ऐसे ही था।

तख़रीज 114: (सनद हसन) अहमदः 1/110

फ़ायदा: इस हदीस में इशारा है कि आपने मसह के लिए नया पानी लिया और हाथ ख़ूब गीले किये, मगर इतने नहीं कि सिर से पानी टपकने लगे।

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

115. अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि मैंने हज़रत अली (रज़ि.) को देखा, उन्होंने वुज़ू किया तो अपना चेहरा धोया तीन बार, और अपनी कलाइयाँ धोईं तीन बार और सिर का मसह किया एक बार, फिर फ़र्माया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे ही वुज़ू किया।

तख़रीज 115: (सनद हसन) हाफ़िज़ फ़ित्तल्ख़ीसिल हबीरः 1/80, 79.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو تَوْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - تَوَضَّأَ فَذَكَرَ وُضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا - قَالَ - ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

116. अबू हय्या कहते हैं कि मैंने हज़रत अ़ली (रज़ि.) को देखा कि उन्होंने वुज़ू किया और अबू हय्या ने बताया कि उन्होंने सारा वुज़ू तीन तीन बार किया और कहा फिर अपने सिर का मसह किया। उसके बाद अपने दोनों पैर धोए टख़नों तक। फिर फ़र्माया, मैंने चाहा कि तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) का वुज़ू दिखला दूँ।

तख़रीज 116: (सहीह) तिर्मिज़ीः 48, नसाईः 96, 115

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ - وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلاَ أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ بَلَى . قَالَ فَأَصْغَى الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى الأُخْرَى ثُمَّ

117. सय्यदना इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अ़ली यानी अ़ली बिन अबी तालिब (रज़ि.) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, आप इस्तिंजा कर चुके थे, आपने वुज़ू के लिए पानी मँगवाया, हम एक छोटे बर्तन में पानी लाए और आपके सामने रख दिया तो आपने फ़र्माया, ऐ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.)! क्या तुम्हें दिखलाऊँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कैसे वुज़ू किया करते थे? मैंने कहा, क्यूँ नहीं। चुनाँचे उन्होंने बर्तन को अपने हाथ पर टेढ़ा किया और हाथ धोया, फिर अपना दायाँ हाथ उसमें डाला और दूसरे हाथ पर पानी डाला और दोनों हाथ धोये, फिर कुल्ली की और नाक झाड़ी, फिर अपने दोनों हाथ इकट्ठे ही बर्तन में डाले और दोनों हाथों से एक लप पानी लिया और अपने चेहरे पर डाला, फिर अपने दोनों अंगूठों को कानों में डाला यानी जो हिस्सा चेहरे की

غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ جَمِيعًا فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى رِجْلِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا بِهَا ثُمَّ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ . قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ . قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَلِيٍّ لأَنَّهُ قَالَ فِيهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً . وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلاَثًا .

जानिब था (उसे भी धोया) फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार ऐसे ही किया। फिर दाएँ हाथ से एक चुल्लू पानी लिया और उसे पेशानी पर डाला और उसे अपने चेहरे पर बहने दिया, फिर अपनी दोनों कलाइयाँ कोहनियों तक धोईं तीन तीन बार, फिर अपने सिर का मसह किया और कानों के बाहर का (भी) फिर अपने दोनों हाथ बर्तन में डाले और पानी की एक लप लेकर अपने पैर पर डाली और उसमें (चप्पल का सा) जूता था, अपने पैर को उस पानी के साथ मला, फिर दूसरे पैर को भी ऐसे ही किया। (अ़ब्दुल्लाह ख़ौलानी) कहते हैं मैंने कहा, जूतों समेत? (इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने) कहा, कि जूता पहने पहने ही। मैंने फिर कहा, जूतों समेत? कहा कि (हाँ) जूतों समेत।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने जुरैज की शैबा (बिन नस़्साह़) से रिवायत ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) की ह़दीस के मुशाबेह है। इस रिवायत में ह़ज्जाज बिन मुह़म्मद ने इब्ने जुरैज से नक़्ल किया है ''और अपने सिर का एक बार मसह़ किया।'' और इब्ने वहब ने यही रिवायत इब्ने जुरैज से नक़्ल की तो कहा ''सिर का मसह़ तीन बार किया।''

तख़रीज 117: (सनद ह़सन) अह़मद: 1/82

फ़वाइद व मसाइल (1) यह वुज़ू है जो हमारे अइम्मा अहले बैत रिज़्वानुल्लाहि अ़लैहिम अज्मईन रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़्ल करते और ख़ुद उसके क़ाइल व फ़ाइल होते थे और हम भी उसी पर कारबन्द हैं। (अल्ह़म्दु लिल्लाहि अ़ला ज़ालिक) **(2)** इस रिवायत में तीन बार चेहरा धोकर मज़ीद

एक बार पानी बहाने का ज़िक्र आया है। यह बयाने जवाज़ के लिए है जो शायद कभी कभी किया गया। राजेह और अफ़ज़ल सिर्फ़ तीन बार ही है। नीज़ चेहरे के साथ कानों को भी अंदर की जानिब से साफ़ किया जा सकता है। (3) जब जूता खुली चप्पल की मानिन्द हो तो उसे उतारे बग़ैर भी पानी में वैसे ही मल लिया जाए तो पैर धुल जाते हैं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ . فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

118. अम्र बिन यहया माज़िनी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उनके वालिद (यहया माज़िनी) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन आसिम (रज़ि.) से कहा, और यह अम्र बिन यहया के दादा हैं , क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वुज़ू कैसे किया करते थे? अब्दुल्लाह बिन ज़ेद ने कहा हाँ! चुनाँचे उन्होंने वुज़ू का पानी मँगवाया और अपने दोनों हाथों पर डाला और हाथ धोए, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डालकर झाड़ा तीन बार, फिर चेहरा धोया तीन बार, फिर दोनों हाथ धोए कोहनियों तक दो दो बार। फिर दोनों हाथों से सिर का मसह किया और उन्हें आगे लाए और पीछे ले गए, सिर के अगले हिस्से से शुरू किया और गुद्दी तक ले गए, फिर उन्हें वापिस लाए और वहाँ तक ले आए जहाँ से शुरू किया था, फिर अपने दोनों पैर धोए।

तख़रीज 118: सहीह बुख़ारीः 185, व मुस्लिमः 235

फ़वाइद व मसाइल (1) ख़ैरुल क़ुरून (अल्लाह के रसूल, सहाबा ताबेईन के ज़माने) में लोग दीन की बातों को एहतिमाम से सीखते और सिखाते थे। **(2)** कुछ अअज़ाए वुज़ू (वुज़ू के पार्ट्स) को तीन बार और कुछ को दो बार धोना भी जाइज़ है। **(3)** मसह का आसान मस्नून तरीक़ा क़ाबिले तवज्जह है, सिर्फ़ अगले हिस्से का मसह या चँद बालों को छू लेना काफ़ी नहीं। बल्कि दोनों हाथों को सिर के

अगले हिस्से से शुरू करके पिछले हिस्से गुद्दी तक और फिर गुद्दी से सिर के अगले हिस्से तक वापिस ले आना चाहिए, जहाँ से शुरू किया था। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) फ़र्माते हैं कि गुद्दी के नीचे गर्दन के अलग मसह के बारे में क़तअन कोई सही हदीस नहीं है। गर्दन के मसह की रिवायत के बारे में इमाम नववी (रह.) फ़र्माते हैं, गर्दन के मसह की हदीस बिल्इत्तिफ़ाक़ ज़ईफ़ है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثًا . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

119. जनाब मुसद्दद की सनद से भी ऊपर वाली हदीस मरवी है कि कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया, एक ही चुल्लू से, ऐसा तीन बार किया, फिर रावी ने ऊपर वाली हदीस के मुताबिक़ रिवायत बयान की।

तख़रीज 119: सहीह बुख़ारी: 191 व मुस्लिम: 235

फ़ायदा: मस्नून और मुस्तहब यह है कि कुल्ली और नाक दोनों के लिए एक चुल्लू पानी लिया जाए, इस तरह कि चुल्लू का आधा पानी कुल्ली के लिए खींच ले और आधा नाक में चढ़ा दे। जैसाकि सही अहादीस से साबित है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ وُضُوءَهُ وَقَالَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا .

120. हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम (रज़ि.) ज़िक्र करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा और आपका वुज़ू बयान किया और कहा, "आपने सिर का मसह हाथों के बचे हुए पानी के अलावा (नये पानी) से किया और अपने पैर धोये यहाँ तक कि उन्हें ख़ूब साफ़ किया।

तख़रीज 120: सहीह मुस्लिम: 236, तिर्मिज़ी: 35

फ़वाइद व मसाइल (1) सिर के मसह के लिए नया पानी लेना चाहिए। **(2)** अअज़ाए वुज़ू को मलकर धोना और साफ़ करना चाहिए।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ

121. हज़रत मिक़्दाम बिन मअदी करिब अल्किन्दी (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास वुज़ू का पानी

بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ، سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيَّ، قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا .

लाया गया, आपने वुज़ू किया, अपनी दोनों हथेलियाँ धोईं तीन बार, फिर कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया तीन बार, चेहरा धोया तीन बार, कलाइयाँ धोईं तीन तीन बार, फिर सिर का मसह किया और साथ ही कानों के बाहर और अंदर का (भी)

तख़रीज 121: (सनद हसन) अहमद: 4/132

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ، - لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ . قَالَ مَحْمُودٌ قَالَ أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ .

122. हज़रत मिक़्दाम बिन मअदी करिब अल्किन्दी (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आपने वुज़ू किया, जब सिर के मसह तक पहुँचे तो आपने अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ सिर के अगले हिस्से पर रखीं और उन्हें सिर पर फेरा यहाँ तक कि गुद्दी तक ले गए। फिर अपने हाथों को उसी जगह वापिस ले आए, जहाँ से शुरू किया था।

महमूद की रिवायत में (अख़्बरनी हरीज़ुन) की तस्रीह है।

तख़रीज 122: (सनद हसन) बैहक़ी: 1/59, व इब्ने माजा: 442

फ़ायदा: गर्दन का मसह अलग से साबित नहीं है बल्कि सिर का मसह करते हुए हाथों को गुद्दी तक ले जाना ही साबित है और यही अ़मल मस्नून और माजूर (दुरुस्त) है। हाथों को एक बार पीछे ले जाना और फिर वापिस शुरू की जगह पर ले आना सब एक ही मसह है।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَهِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا

123. वलीद बिन मुस्लिम ने ऊपर वाली सनद से रिवायत किया है और कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने कानों के बाहर और अन्दर की तरफ़ मसह किया। हिशाम ने

وَبَاطِنِهِمَا . زَادَ هِشَامٌ وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاخِ أُذُنَيْهِ .

मज़ीद कहा कि आप (ﷺ) ने अपनी उँगलियाँ कानों के सूराख़ों में दाख़िल कीं।

तख़रीज 123: **(सनद हसन)** इब्ने माजाः 442

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ الْمُغِيرَةُ بْنُ فَرْوَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ .

124. सय्यदना मुआविया (रज़ि.) ने लोगों को वुज़ू करके दिखलाया जैसे कि ख़ुद उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को वुज़ू करते हुए देखा था। जब आप सिर के मसह को पहुँचे तो आपने एक चुल्लू लिया और बाएँ हाथ पर डाला और उस चुल्लू को सिर के बीच किया यहाँ तक कि पानी की बूँदें गिरे या गिरने के क़रीब थीं फिर सिर के अगले हिस्से से आख़िर तक और आख़िर से अगले हिस्से तक का मसह किया।

तख़रीज 124: **(सनद हसन)** अहमदः 4/94

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ فَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ .

125. जनाब महमूद बिन ख़ालिद ने वलीद से ऊपर वाली सनद के साथ यह कहा कि हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने वुज़ू किया (तो वुज़ू के अअज़ा) तीन तीन बार (धोये) और अपने पैर धोए बग़ैर शुमार किये।

तख़रीज 125: **(सनद हसन)** अहमदः 4/94

फ़ायदाः वुज़ू के हिस्से को धोने में तीन बार की बराबरी न भी हो तो वुज़ू कामिल होता है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ كَانَ

126. हज़रत रुबय्यि बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफ़रा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे, उनका बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक बार) फ़र्माया,

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينَا فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ " اسْكُبِي لِي وَضُوءًا " . فَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فِيهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ .

''मेरे लिए पानी उँडेल कर लाओ।'' तो उन्होंने नबी (ﷺ) का वुज़ू करना बयान किया। उसमें कहती हैं कि आपने अपने हाथ धोए तीन बार, चेहरा धोया तीन बार, कुल्ली की और नाक में पानी डाला एक बार और अपने दोनों हाथ धोए तीन तीन बार और सिर का मसह किया दो बार। सिर के आख़िर से शुरू किया, फिर अगले हिस़्से की जानिब से मसह किया और दोनों कानों का मसह किया, उनके बाहर से भी और अन्दर से भी। और अपने दोनों पैर धोए तीन तीन बार।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह रिवायत मुसद्दद की रिवायत के हम मअ़नी है।

तख़रीज 126: (सनद हसन) तिर्मिज़ीः 33, इब्ने माजाः 390, इब्ने ख़ुज़ैमाः 148, 152

फ़ायदाः इस रिवायत में सिर के मसह को दो बार कहा गया है। जो कि बयाने जवाज़ के लिए है। कुछ का क़ौल है कि यह रावी की ता'बीर है, रावी का मतलब है, एक बार हाथ पीछे से आगे को लाए और दूसरी बार आगे से पीछे को लेकिन पहली बात ज्यादा सही है, दूसरा उसमें मसह की इब्तिदा सिर के आख़िरी हिस़्से से बतलाई गई है जो दूसरी रिवायात के ख़िलाफ़ है। इसलिए यह रिवायत सही हदीस के मुआ़रिज़ (ख़िलाफ़) होने की वजह से ज़ईफ़ है लेकिन मज़्कूरा बाला दोनों एहतिमाल कमज़ोर हैं क्योंकि यह हदीस हसन दर्जे की है, इसमें और एक मसह वाली रिवायत में कोई तज़ाद नहीं बल्कि तत्बीक़ (हल) मुम्किन है और वह यूँ है कि इसको कभी कभार पर महमूल कर लिया जाए, वल्लाहु आ़लम!

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِي بِشْرٍ قَالَ فِيهِ وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا .

127. जनाब इस्हाक़ बिन इस्माईल के वास्ते से यह भी रिवायत मरवी है लेकिन इसमें ऊपर वाली रिवायत बिश्र (बिन मुफ़ज़्ज़ल) के कुछ मआ़नी में फ़र्क़ है। उसमें कहा है, ''कुल्ली की और नाक झाड़ी, तीन बार।''

तख़रीज 127: (सनद हसन) अहमदः 6/358

128. हज़रत रुबैय्यि बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफ़रा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके यहाँ वुज़ू किया तो पूरे सिर का मसह किया, ऊपर से सिर का मसह शुरू करते थे, हर जानिब से बालों की लटों के रुख़ पर हाथ फेरते थे। और आप बालों को उनकी हैयत से हरकत न देते थे।
तख़रीज 128: (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لاَ يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ .

फ़ायदा: हदीस में मज़्कूर सिर के मसह का यह तरीक़ा उन लोगों के लिए है जिनके बाल लम्बे हों (यानी पट्टे बाल) जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के थे। औरतों के बाल भी लम्बे होते हैं, वह भी इस तरीक़े से सिर का मसह कर सकती हैं।

129. हज़रत रुबय्यि बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफ़रा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को वुज़ू करते देखा। वह कहती हैं कि आपने अपने सिर का मसह किया, अगले हिस्से का, पिछले हिस्से का, कनपट्टियों का और दोनों कानों का एक बार।
तख़रीज 129:(सनद ज़ईफ़) देखिए हदीस नं. 128

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ - قَالَتْ - فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

130. हज़रत रुबय्यि बिन्ते मुअव्विज़ (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने सिर का मसह किया, और उसी पानी से किया जो उनके हाथों में (पहले से) बचा हुआ था।
तख़रीज 130: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ी: 1/237

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ .

फ़ायदा: कुछ उलमा के नज़दीक इस रावी की हदीस में इज़्तिराब है, क्योंकि यही रिवायत इब्ने माजा में है तो उसमें नया पानी लेने की सराहत है। और कुछ ने यह तौजीह की है कि नबी (ﷺ) ने नया पानी लिया और आधा गिरा दिया और फिर हाथों की तरी से सिर का मसह किया। (औनुल मअबूद) बहरहाल सही रिवायत से सिर के मसह के लिए नए पानी का लेना साबित है और वही सही है।

131. हज़रत रुबय्यि बिन्ते मुअव्विज़ (रज़ि.) कहती हैं कि नबी (ﷺ) ने वुज़ू किया तो अपनी दोनों उँगलियाँ अपने कानों के सूराख़ों में दाख़िल कीं।

तख़रीज 131: (सनद हसन) सुनन बैहक़ीः 1/65, इब्ने माजाः 441,135 में देखें

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَىْ أُذُنَيْهِ .

132. जनाब तलहा बिन मुसर्रिफ़ अपने वालिद से वह उनके दादा से बयान करते हैं, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप सिर का मसह एक बार करते थे यहाँ तक कि (हाथ) ''क़ज़ाल'' तक ले जाते थे। ''क़ज़ाल'' गुद्दी के शुरू को कहते हैं।

जनाब मुसद्दद (अपनी रिवायत में) कहते हैं कि आपने सिर का मसह किया (सिर के) शुरू से लेकर आख़िर तक, यहाँ तक कि अपने हाथ कानों के नीचे से निकाले।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुसद्दद ने कहा, मैंने यह रिवायत यह्या (बिन सईद क़त्तान) को बयान की तो उन्होंने इसको मुंकर कहा।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद को सुना, वह कहते थे कि इब्ने उयेयना इस हदीस का इंकार करते थे। वह कहते थे कि ''तलहा अन अबीहि अन जद्दिह' यह क्या और कैसी सनद है? (यानी ज़ईफ़ है।)

तख़रीज 132: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ीः 1/60

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ - وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا - وَقَالَ مُسَدَّدٌ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ . قَالَ مُسَدَّدٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ ابْنُ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ أَيْشِ هَذَا طَلْحَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

133. सय्यदना इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को वुज़ू करते हुए देखा, और सारी हदीस में (वुज़ू के

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً .

हिस्सों को धोने का) तीन तीन बार ज़िक्र किया। (मगर सिर के बारे में कहा) ''और अपने सिर और कानों का मसह एक बार किया।''

तख़रीज 133: (सनद ज़ईफ़) फ़ित्तम्हीदः 4/38, 39

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَذَكَرَ، وُضُوءَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ . قَالَ وَقَالَ " الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ " . قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُهَا أَبُو أُمَامَةَ . قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ لاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ . يَعْنِي قِصَّةَ الأُذُنَيْنِ . قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ كُنْيَتُهُ أَبُو رَبِيعَةَ .

134. सय्यदना अबू उमामा (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) के वुज़ू का ज़िक्र किया फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी आँखों के कोयों (वह गोशा जो नाक की तरफ़ हो) का मसह भी किया करते थे। और फ़र्माया, ''दोनों कान सिर का हिस्सा हैं।''

सुलेमान बिन हर्ब ने कहा कि यह बात अबू उमामा ज़िक्र करते थे। कुतैबा कहते हैं कि हम्माद ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि आया यह क़ौल ''कान सिर का हिस्सा हैं।'' नबी (ﷺ) का फ़र्मान है या अबू उमामा (रज़ि.) का क़ौल। कुतैबा ने अपनी रिवायत में (अन सिनानिन अबी रबीआ) कहा है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, सिनान ही इब्ने रबीआ है और इनकी कुन्नियत भी अबू रबीआ ही है।

तख़रीज 134: (सनद हसन) तिर्मिज़ीः 37, इब्ने माजाः 444

फ़ायदा: आँखों के किनारे जिल्दी तहों के बाइस ख़ुश्क रह सकते हैं इसलिए उनको मसलने का एहतिमाम करना चाहिए। यह रिवायत शैख़ अल्बानी के नज़दीक (मसहुल मअक़ैन) ''आँखों के कोयों'' के इज़ाफ़े के बग़ैर सही है।

बाब : 52
आज़ा (वुज़ू के हिस्से) को तीन तीन बार धोने का बयान

﴾52﴿
باب الْوُضُوءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ " . أَوْ " ظَلَمَ وَأَسَاءَ".

(135) जनाब अ़म्र बिन शुऐ़ब अपने वालिद (शुऐ़ब) से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! वुज़ू कैसे किया जाता है? तो आपने बर्तन में पानी मँगवाया, फिर अपने हाथ धोए तीन बार, फिर चेहरा तीन बार, फिर दोनों कलाइयाँ धोईं तीन बार, फिर सिर का मसह किया और अपनी शहादत की उँगलियाँ अपने कानों में डालीं और अंगूठों से कानों के ऊपर का मसह किया और शहादत की उँगलियों से उनके अंदर का, फिर अपने पैर धोए तीन तीन बार, फिर फ़र्माया, ''वुज़ू ऐसे होता है और जो कोई इससे ज़्यादा या कम करे तो उसने बुरा किया और ज़ुल्म किया।'' या यूँ फ़र्माया ''ज़ुल्म किया और बुरा किया।''

तख़रीज 135: (सनद हसन) सुनन नसाई: 140, व इब्ने माजा: 422, व इब्ने ख़ुज़ैमा: 174

फ़ायदा: नबी (ﷺ) के अंदाज़े तालीम व तर्बियत का एक पहलू अ़मली मुज़ाहिरा भी होता था और इस त़रह़ त़ालिबे इ़ल्म को जिस क़द्र फ़ायदा होता है, मह़ज़ ज़ुबानी तल्क़ीन से नहीं होता। यह ह़दीस सही है। सिर्फ़ एक जुम्ला (अव नक़स) ''जिसने कम किया'' शाज़ है। (शैख़ अल्बानी रह़.) यानी एक रावी का वहम है, क्योंकि अअ़ज़ाए वुज़ू का एक एक, दो दो बार भी धोना जाइज़ है। ताहम यहाँ अगर नक़स का मफ़्हूम यह ले लिया जाए कि जो शख़्स वुज़ू के ह़िस्सों को धोने में पूरा न धोए या वैसे ही छोड़ दे तो उसने ज़ुल्म किया। तो इस त़रह़ इसका मफ़्हूम दूसरी रिवायात के मुत़ाबिक़ ही रहता है। (औ़नुल मअ़बूद)

بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ (53)

बाब : 53 दो दो बार वुज़ू के हिस्सों को धोना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

(136) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि (एक बार) नबी (ﷺ) ने वुज़ू किया तो दो दो बार किया। (यानी वुज़ू के हिस्सों को दो दो बार धोया।)

तख़रीज 136: (सनद हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 43

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ

(137) जनाब अ़ता बिन यसार ने बयान किया कि हमसे ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, क्या तुम पसंद करते हो कि मैं तुम्हें दिखलाऊँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कैसे वुज़ू किया करते थे? चुनाँचे आपने बर्तन मँगवाया, उसमें पानी था। तो आपने अपने दाएँ हाथ से चुल्लू लिया और कुल्ली की और नाक में पानी लिया। फिर दूसरा चुल्लू लिया और अपने दोनों हाथों को जमा कर लिया और अपना चेहरा धोया। फिर और चुल्लू लिया और अपना दायाँ बाज़ू धोया, फिर और चुल्लू लिया और अपना बायाँ बाज़ू धोया। फिर एक मुट्ठी में पानी लिया और अपने हाथ को झाड़ा और उससे सिर

ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَدٍ فَوْقَ الْقَدَمِ وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ .

का और कानों का मसह किया। फिर मुट्ठी में और पानी लिया और उसे अपने दाएँ पैर पर छिड़का जबकि उसमें जूता भी था, और अपने दोनों हाथों से उसे मला, (इस तरह गोया कि उनको धोया) एक हाथ पैर के ऊपर से और एक हाथ जूते के नीचे से और फिर बाएँ पैर के साथ भी ऐसे ही किया।

तख़रीज 137: (सनद हसन) सुनन हाकिमः 1/147

नोट (मल्ख़ूज़): इस रिवायत में पैरों पर पानी छिड़ककर उन पर हाथों से मसह करने का ज़िक्र है, तो यह दूसरी रिवायात के मुख़ालिफ़ नहीं, क्योंकि फिर आपने हाथों से उन्हें इस तरह मला, जैसे धोने में किया जाता है, इस तरह उसमें (ग़सल) (धोने) का मफ़्हूम आ जाता है। सहीह बुख़ारी की रिवायत से इसकी वज़ाहत हो जाती है, उसमें है ''आपने एक चुल्लू पानी लिया और उसे दाएँ पैर पर छिड़का, यहाँ तक कि उसे धोया।'' (सहीह बुख़ारीः 140, औनुल मअबूद) अल्बत्ता उसमें आख़िरी हिस्सा, जिसमें पैर के ऊपर नीचे मसह करने का ज़िक्र है, शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक शाज़ है।

(54) بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

बाब : 54
वुज़ू के का एक एक बार धोना

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً .

(138) जनाब अताअ बिन यसार से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) का वुज़ू न बताऊँ? चुनाँचे उन्होंने वुज़ू के हिस्सों को एक एक बार धोया।

तख़रीज 138: सहीह बुख़ारीः 157, तिर्मिज़ीः 42, नसाईः 80, व इब्ने माजाः 411

बाब : 55
कुल्ली और नाक में पानी लेने में फ़र्क़ करना

﴿55﴾ باب فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا، يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ دَخَلْتُ - يَعْنِي - عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ

(139) जनाब अबू तलहा अपने वालिद से, वह उनके दादा से रिवायत करते हैं , वह कहते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, जबकि आप वुज़ू कर रहे थे और पानी आपके चेहरे और दाढ़ी से सीने पर गिर रहा था। मैंने आपको देखा कि आप कुल्ली करने और नाक में पानी लेने में फ़र्क़ करते थे। (यानी कुल्ली के लिए अलग से और नाक के लिए अलग से पानी लेते थे।)

तख़रीज 139: (सनद ज़ईफ़)

सुनन बैहक़ी: 1/51, 132

नोट-मल्हूज़: इस हदीस में कुल्ली और नाक में पानी डालने के लिए अलग अलग पानी लेने का ज़िक्र है, इसे इमाम नववी, हाफ़िज़ इब्ने हजर और मुहक़्क़िक़े ज़माना अ़ल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी (रह.) ने भी ज़ईफ़ क़रार दिया है। लिहाज़ा मस्नून और मुस्तहब अ़मल यही है कि एक ही चुल्लू पानी लेकर कुल्ली की जाए और उसी से नाक में पानी डाला जाए क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का अ़मल भी यही था। जैसाकि सही बुख़ारी में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से इसकी सराहत मौजूद है, अल्बत्ता कुछ उ़लमा इस तरफ़ भी गए हैं कि कुल्ली और नाक के लिए अलग अलग दो चुल्लू लेना भी जाइज़ है लेकिन एक चुल्लू से कुल्ली और नाक साफ़ करने वाली रिवायात सनद के लिहाज़ से ज़्यादा क़वी और मुस्तनद है, वल्लाहु आ'लम!

बाब : 56
नाक झाड़ने का बयान

﴿56﴾
بَابٌ فِي الاِسْتِنْثَارِ

(140) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) से मंक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब तुममें से कोई वुज़ू करे तो अपनी नाक में पानी ले, फिर उसे झाड़े (यानी साफ़ करे।'') सल्लल्लाहु

तख़रीज 140: सहीह बुख़ारीः 162, नसाईः 86, मौत्ताः 1/19, मुस्लिमः 237

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ".

मसलाः नाक में पानी डालना और उसे साफ़ करना वुज़ू के वाजिबात में से है।

(141) सय्यदना इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''नाक झाड़ो (और साफ़ करो) दो बार या तीन बार, ख़ूब अच्छी तरह।''

तख़रीज 141: (सनद हसन) इब्ने माजाः 408

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا" .

(142) हज़रत लक़ीत बिन सबरा (रज़ि.) कहते हैं कि क़बीला बनी मुन्तफ़िक़ का जो वफ़्द रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ था, मैं उसका सरदार था या एक फ़र्द। जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे तो हमने आपको घर में न पाया। हमने हज़रत आइशा उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) को पाया। उन्होंने हमारे लिए 'ख़ज़ीरा' बनाने का हुक्म दिया और वह हमारे लिए बना दिया

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ - أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ - إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ لَنَا قَالَ وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ - وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ الْقِنَاعَ وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ - ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ" هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا أَوْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَىْءٍ" . قَالَ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسٌ إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ فَقَالَ" مَا وَلَّدْتَ يَا فُلاَنُ " . قَالَ بَهْمَةً . قَالَ فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً . ثُمَّ قَالَ لاَ تَحْسِبَنَّ - وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ - أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لاَ نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ

गया। फिर हमारे सामने एक खजूरें भरा तबक़ लाया गया। क़ुतैबा ने लफ़्ज़ 'क़िनाअ' नहीं बोला। और क़िनाअ ऐसे तबक़ को कहते हैं जिसमें खजूरें हों। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) भी तशरीफ़ ले आए और पूछा ''क्या तुम्हें कुछ मिला है या तुम्हारे लिए कुछ कहा गया है?'' हमने अ़र्ज़ किया, हाँ! ऐ अल्लाह के रसूल! (हमने ख़ज़ीरा खा लिया है।) उस बीच में जबकि हम आपके पास बैठे थे, चरवाहे ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की बकरियाँ बाड़े की तरफ़ चलाईं और उसके पास बकरी का एक बच्चा भी था जो मिम्या रहा था। आपने पूछा ''अरे क्या जनवाया है?'' उसने कहा, एक बच्चा है। आपने फ़र्माया, ''अब हमारे लिए उसके बदले एक बकरी ज़िब्ह कर दो।'' फिर (हमसे) फ़र्माया, ''यह न समझना कि हम तुम्हारी ख़ातिर इसे ज़िब्ह कर रहे हैं। (जनाब लक़ीत कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यहाँ लफ़्ज़ तहसिबन्न (सीन के कसरा (ज़ेर) के साथ अदा किया, फ़त्हा (ज़बर) के साथ नहीं।) (दरअसल) हमारी सौ बकरियाँ हैं, हम नहीं चाहते कि उससे बढ़ जाएँ। तो यह चरवाहा जब भी किसी बकरी के बच्चा जनने की ख़बर लाता है तो हम उसके बदले एक बकरी ज़िब्ह कर लेते हैं।'' लक़ीत कहते हैं कि (उस मौक़े पर) मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बीवी है और उसकी ज़ुबान में कुछ है। यानी ज़ुबान दराज़ और बक बक

لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا يَعْنِي الْبَذَاءَ . قَالَ " فَطَلِّقْهَا إِذًا" . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ . قَالَ " فَمُرْهَا - يَقُولُ عِظْهَا - فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ" . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ . قَالَ" أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" .

करने वाली है। आपने फ़र्माया, ''उसे तलाक़ दे दो।'' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! उसका मेरे साथ एक वक़्त गुज़रा है और मेरी उससे औलाद भी है। आपने फ़र्माया, ''तो फिर उसे नसीहत करो। अगर उसमें ख़ैर हुई तो समझ जाएगी। और ऐसे मत मारना जैसे अपनी लौण्डी को मारते हो।'' फिर मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे वुज़ू के बारे में इर्शाद फ़र्माईए। आपने फ़र्माया, ''वुज़ू ख़ूब कामिल किया करो और उँगलियों के बीच ख़िलाल किया करो और नाक में ख़ूब पानी चढ़ाया करो मगर यह कि रोज़े से हो।''

तख़रीज 142: (सनद सहीह) इब्ने माजाः 448, नसाईः 114, तिर्मिज़ीः 788, इब्ने ख़ुज़ैमाः 150, 168 व इब्ने हिब्बानः 159, हाकिमः 1/147, 148

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَافِدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ، أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَالَ فَلَمْ يَنْشَبْ أَنْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ . وَقَالَ عَصِيدَةٍ . مَكَانَ خَزِيرَةٍ

(143) जनाब आसिम बिन लक़ीत बिन सबरा अपने वालिद (लक़ीत बिन सबरा रज़ि.) से रिवायत हैं, जो कि वफ़्द बनी मुन्तफ़िक़ के सरदार थे कि वह हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास आए और ऊपर वाली हदीस के हममअनी बयान किया। उस रिवायत में है ''हम बैठे ही थे कि इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ोर से क़दम उठाते हुए आगे को झुककर चलते हुए तशरीफ़ लाए और इस रिवायत में ख़ज़ीरा की बजाए असीदा ज़िक्र है।

तख़रीज 143: (सनद सहीह)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ."

(144) जनाब मुहम्मद बिन फ़ारिस की सनद से भी यह हदीस मरवी है। कहा कि ''जब तू वुज़ू करे तो कुल्ली कर।''

तख़रीज 144: (सनद सहीह)

सुनन बेहक़ी: 1/52

फ़वाइद व मसाइल (1) मेहमान की मेज़बानी उसका हक़ है और हस्बे इस्तिताअत उम्दा तौर पर की जाए। (2) रसूलुल्लाह (ﷺ) की गुज़रान बि हम्दिल्लाह बहुत अच्छी और आपका फ़क़्र इख़्तियारी था न कि इज़्तिरारी। और ग़िना तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं है। (3) नबी (ﷺ) की रफ़्तार बावक़ार और तेज़ होती थी। आप क़दम उठाकर चलते थे गोया आगे को झुके हों। (4) आप पसंद करते थे कि आपकी आमदनी एक हद तक रहे। (5) मेहमान या साथी के मुत्वक़्क़अ शुब्हात का अपने तौर पर ख़त्म कर देना मुस्तहब है। (6) बीवी अगर ज़ुबान दराज़ हो तो उस बिना पर वह तलाक़ की मुस्तहिक़ ठहरती है (7) अगर वह नसीहत क़बूल न करे तो एक हद तक जिस्मानी सज़ा भी दी जा सकती है, मगर शदीद न हो। (8) वुज़ू हमेशा मुकम्मल करना चाहिए, ख़िलाल करना मुस्तहब और नाक में पानी डालना ज़रूरी है (9) रसूलुल्लाह (ﷺ) बड़े फ़सीहुल्लिसान थे (10) ख़ज़ीरा तआम की वह क़िस्म है कि उसमें गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके उबाले जाते हैं, जब वह गल जाता है तो उस पर आटा डाल देते हैं। अगर गोश्त के बग़ैर पकाया जाए तो उसे असीदा कहते हैं। बहरहाल दोनों ही अहले अरब की ग़िज़ा हैं।

﴾57﴿ باب تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

बाब : 57
दाढ़ी में ख़िलाल करने का बयान

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، - يَعْنِي الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَوْرَانَ، عَنْ أَنَسٍ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ

(145) सय्यदना अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब वुज़ू करते तो पानी का एक चुल्लू लेकर अपनी ठोडी के नीचे दाख़िल करते और उससे दाढ़ी का ख़िलाल करते और फ़र्माते ''मुझे मेरे रब अज़्ज़ व जल्ल ने ऐसे ही हुक्म दिया है।''

لِحْيَتَهُ وَقَالَ " هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ زَوْرَانَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِّيُّ.

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि वलीद बिन ज़ौरान से हज्जाज बिन हज्जाज और अबू मलीह ने (भी) रिवायत किया है।

तख़रीज 145: (सनद ज़ईफ़) लीनुल हदीसः 7423, हाकिमः 1/149, 529

फ़ायदा: वुज़ू में दाढ़ी का ख़िलाल ताकीदी सुन्नत है, अल्बत्ता गुस्ले जनाबत में इसे धोना चाहिए, इसलिए कि हर हर बाल के नीचे जनाबत होती है।

﴾58﴿ باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

बाब : 58 पगड़ी पर मसह करने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ .

(146) हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक (जिहादी) मुहिम भेजी तो उन लोगों को सर्दी ने पकड़ लिया। जब यह लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि वह अपनी पगड़ी और मोज़ों पर मसह कर लिया करें।

तख़रीज 146: (सनद सहीह) सुनन बैहक़ीः 1/162, अहमदः 5/277, व हाकिमः 1/169,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ

(147) हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूल (ﷺ) को वुज़ू करते हुए देखा आपके सिर पर एक क़ितरी पगड़ी थी तो आपने अपने हाथ पगड़ी के नीचे किये और सिर के अगले हिस्से का मसह किया और पगड़ी को न खोला।

فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ .

तख़रीज 147:(सनद ज़ईफ़) इब्ने माजाः 564

नोटः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इसके अलावा इसमें पगड़ी पर मसह करने की सराहत भी नहीं है मगर हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) वग़ैरह की रिवायात में सराहत है कि आपने बाक़ी मसह पगड़ी पर पूरा किया। यहाँ अदमे ज़िक्र नफ़ी असल की बुनियाद नहीं बन सकता। पगड़ी पर मसह सही सुन्नत से साबित है। जैसे कि हदीस नं. 146 में इसकी इजाज़त गुज़री है और आगे हदीस नम्बर 150 में भी इसकी सराहत आ रही है।

﴿59﴾ بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

बाब : 59
पैर धोने का बयान

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ .

(148) हज़रत मुस्तौरदि बिन शद्दाद (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप जब वुज़ू करते तो अपने पैर की उँगलियों को अपनी छंगली से मलते थे।

तख़रीज 148: (सनद हसन) सही तिर्मिज़ीः 40, इब्ने माजाः 446, बैहक़ीः 1/76, 77

फ़ायदाः मालूम हुआ कि पैर की उँगलियों का ख़िलाल भी करना चाहिए ताकि किसी जगह के सूखे रहने का एहतिमाल न रहे।

﴿60﴾
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

बाब : 60
मोज़ो पर मसह करने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ

(149) हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) कहते हैं कि मैं ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था। नमाज़े फ़ज्र से पहले एक जगह पर आप रास्ते से एक जानिब को हो गए तो मैं भी आपके साथ

الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَاهُ الْمُغِيرَةَ، يَقُولُ عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ فِي الصَّلاَةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلاَةِ وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَتِهِ . فَفَزِعَ الْمُسْلِمُونَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ لأَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

मुड़ गया। नबी (ﷺ) ने अपना ऊँट बिठाया और क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए। वापिस आए तो मैंने लोटे से आपके हाथ पर पानी डाला। आपने पहले अपने हाथ और फिर चेहरा धोया। फिर आपने अपने हाथ को जुब्बे की आस्तीनों से निकालना चाहा मगर वह तंग थीं, तो आपने अपने हाथ वापिस आस्तीन में डाल लिये और उन्हें जुब्बे के नीचे से निकाला और उन्हें कोहनियों तक धोया फिर आपने अपने सिर का मसह किया, फिर अपने मोज़ों पर मसह किया, फिर आप सवार हो गए और चल दिये, यहाँ तक कि हमने लोगों को नमाज़ में पाया और वह ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) को (बतौर इमाम) आगे कर चुके थे। उनहोंने नमाज़ पढ़ाई जबकि नमाज़ का वक़्त हो गया था, हमने पाया कि ह़ज़रत अ़ब्दुर्रहमान उन्हें नमाज़े फ़ज्र की एक रकअ़त पढ़ा चुके थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) मुसलमानों के साथ स़फ़ में खड़े हो गए और अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) के पीछे दूसरी रकअ़त पढ़ी। ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान (रज़ि.) ने (नमाज़ मुकम्मल होने पर) सलाम फेरा तो नबी (ﷺ) अपनी नमाज़ पूरी करने के लिए खड़े हो गए। (यह देखकर) मुसलमान घबरा गए और बहुत ज़्यादा तस्बीह करने लगे, क्योंकि उन्होंने नमाज़ में नबी (ﷺ) से सब्क़त की थी। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलाम फेरा तो

بِالصَّلاَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ " قَدْ أَصَبْتُمْ " . أَوْ " قَدْ أَحْسَنْتُمْ " .

फ़र्माया, "तुम लोगें ने दुरुस्त किया।" या कहा "बहुत अच्छा किया।"

तख़रीज 149: सहीह मुस्लिम:274, बअ़द :421

फ़वाइद व मसाइल (1) सहाबा किराम (रिज़.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ुर्बत, ख़िदमत और हिफ़ाज़त को अपना लाज़मी फ़रीज़ा जानते थे। ताहम सुनन नसाई की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत मुग़ीरा (रज़ि.) को ख़ुद से रुकने का हुक्म दिया था। (सुनन नसाई: 125) **(2)** सहाबा किराम नबी (ﷺ) के तमाम आमाल और उनकी जुज़्इयात तक को शरीअ़त की नज़र से देखते थे, जैसे कि इस बाब की रिवायत में मौज़ों पर मसह मज़्कूर हुआ है। **(3)** सहाबा किराम पहले वक़्त में नमाज़ पढ़ने के आदी थे। **(4)** रसूलुल्लाह (ﷺ) की तबीयत में तवाज़ोअ़ (सादगी) थी कि आम मुसलमान के साथ सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और यही हुक्मे शरीअ़त है। **(5)** मालूम हुआ कि अफ़ज़ल मफ़्ज़ूल के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। **(6)** हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) का फ़ज़्ल व शर्फ़ है कि सहाबा ने उन्हें इमामत के लिए चुन लिया और फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी उनके पीछे नमाज़ पढ़ी।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، ح حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ . وَذَكَرَ فَوْقَ الْعِمَامَةِ - قَالَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ - سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ . قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ .

(150) हज़रत मुग़ीरा बिन शुअ़बा (रज़ि.) से रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक बार) वुज़ू किया (तो) अपने सिर के अगले हिस्से पर मसह किया। साथ ही यह कहा, पगड़ी पर भी।

जनाब मुअ़तमिर की रिवायत में हज़रत मुग़ीरा (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) मौज़ों पर, अपने सिर के अगले हिस्से और अपनी पगड़ी पर मसह किया करते थे। बक्र कहते हैं कि मैंने यह रिवायत मुग़ीरा के बेटे से बराहे रास्त सुनी है।

तख़रीज 150: सहीह मुस्लिम: 82/274

फ़ायदा: पगड़ी और अ़मामा पर मसह़ की सही रिवायात बकसरत (बहुत ज़्यादा) मरवी है जिनसे मालूम होता है कि आप सिर्फ़ सिर पर या सिर्फ़ पगड़ी पर या सिर या पगड़ी दोनों पर मसह़ किया करते थे। (औ़नुल मअ़बूद)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَكْبِهِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ مِنْ جِبَابِ الرُّومِ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَضَاقَتْ فَادَّرَعَهُمَا ادِّرَاعًا ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى الْخُفَّيْنِ لأَنْزِعَهُمَا فَقَالَ لِي " دَعِ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ " . فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . قَالَ أَبِي قَالَ الشَّعْبِيُّ شَهِدَ لِي عُرْوَةُ عَلَى أَبِيهِ وَشَهِدَ أَبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(151) ह़ज़रत उ़र्वा अपने वालिद ह़ज़रत मुग़ीरा बिन शुअ़बा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के हम रकाब थे, मेरे पास पानी का बर्तन था, आप क़ज़ाए ह़ाजत की ग़र्ज़ से निकले, फिर हमारी जानिब वापिस आए, तो मैं पानी लेकर आपकी त़रफ़ बढ़ा, मैंने आपके हाथों पर पानी डाला, आपने अपने हाथ धोए, फिर चेहरा धोया, फिर आपने अपने बाज़ू आस्तीनों से निकालना चाहे जबकि आपने जुब्बा पहना हुआ था, वह रूमी जुब्बा था और उसकी आस्तीनें तंग थीं इसलिए आपके बाज़ू न निकल सके, तो आपने जुब्बे के नीचे से अपने बाज़ू निकाले। फिर मैं झुका कि आपके मोज़े उतारूँ, तो आपने फ़र्माया, ''इन्हें छोड़ो, मैंने अपने पैर उनमें डाले तो यह दोनों त़ाहिर थे।'' फिर आपने मोज़ों पर मसह़ किया।

(ईसा बिन यूनुस ने) कहा कि मेरे वालिद (यूनुस बिन अबी इस्ह़ाक़) ने कहा कि शअ़बी ने कहा, मुझे उ़र्वा ने अपने वालिद (मुग़ीरा) के बारे में गवाही दी और उसके वालिद ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में गवाही दी। (इस तौज़ीह़ से मुराद ह़दीस की तौसीक़े मज़ीद है।)

तख़रीज 151: स़ह़ीह़ बुख़ारी: 206, स़ह़ीह़ मुस्लिम: 79/274

फ़वाइद व मसाइल (1) ग़ैर मुल्की लिबास पहनना जाइज़ है बशर्तेकि वह इस्लामी शआइर और सक़ाफ़त के ख़िलाफ़ न हो और ग़ैर मुस्लिमों की नक़्क़ाली का मज़्हर भी न हो। **(2)** मोज़ों पर मसह के लिए शर्त है कि पहले उन्हें वुज़ू करके पहना हो।

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ . قَالَ فَأَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ - قَالَ - فَصَلَّيْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ رَكْعَةً فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُونَ مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ .

(152) हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ाफ़िले के साथियों से पीछे हो गए ... और ऊपर वाला क़िस्सा बयान किया... उसमें है कि फिर हम लोगों के पास आए तो देखा कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) उन्हें नमाज़े फ़ज्र पढ़ा रहे हैं। जब उन्होंने नबी (ﷺ) को देखा तो पीछे हटना चाहा मगर आपने उनको इशारा फ़र्माया कि जारी रहें। चुनाँचे मैंने और नबी (ﷺ) ने उनके पीछे एक एक रकअत पढ़ी। जब उन्होंने सलाम फेरा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हो गए और फ़ौतशुदा रकअत पढ़ी और उस पर कोई और इज़ाफ़ा नहीं किया। (यानी सज्दा सह्व नहीं किया।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रात अबू सईद ख़ुदरी, इब्ने ज़ुबैर और इब्ने उमर (रज़ि.) कहा करते थे कि जिसे नमाज़ की एक रकअत मिली हो तो उस पर सह्व के दो सज्दे हैं।

तख़रीज 152: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ी: 2/352, हदीस़ बयान की जा चुकी है: 149.

फ़ायदा: जिस शख़्स की जमाअत से कोई रकअत या रकआत रह गई हों वह सिर्फ़ फ़ौतशुदा रकआत ही दोहराए, उस पर कोई सज्दा सह्व वग़ैरह नहीं है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने सहाबा की तरफ़ मंसूब इस क़ौल को ज़ईफ़ कहा है कि जो जमाअत के साथ सिर्फ़ एक रकआत पाए तो वह बक़िया रकअतें पूरी करने के बाद सज्दा सह्व भी करे, ऐसे हज़रात के नज़दीक इसकी वजह यह है कि मस्बूक़ शख़्स इमाम के साथ तशह्हुद बैठता है जबकि अभी उसकी सिर्फ़ एक रकअत ही हुई

होती है यानी अभी तशह्हुद बैठने की ह़ालत को नहीं पहुँचता होता, लेकिन उसे इमाम के साथ तशह्हुद बैठना पड़ जाता है। लेकिन यह मस्लक सही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे नहीं किया। इसके अ़लावा इसे तशह्हुद में इमाम की मुताबिअ़त (पैरवी/इक़्तिदा) की वजह से बैठना पड़ता है, न कि सह्व की वजह से।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، -يَعْنِي ابْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ - سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلاَلاً عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ ‏.‏

(153) जनाब अबू अ़ब्दुर्रहमान सुलमी रिवायत करते हैं कि वह अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) के पास हाज़िर थे और वह बिलाल (रज़ि.) से नबी (ﷺ) के वुज़ू के बारे में दरयाफ़्त कर रहे थे। बिलाल (रज़ि.) ने कहा कि जब आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो मैं आपके लिए पानी ले आता और आप वुज़ू करते और अपनी पगड़ी और मोज़ों पर मसह करते।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत करने वाला अबू अ़ब्दुल्लाह बनी तमीम बिन मुर्रा का मौला (आज़ादकर्दा गुलाम) है।

तख़रीज 153: (हसन) ह़ाकिमः 1/170

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، أَنَّ جَرِيرًا، بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ قَالُوا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ‏.‏ قَالَ مَا أَسْلَمْتُ إِلاَّ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ‏.‏

(154) ह़ज़रत जरीर (रज़ि.) ने (एक बार) पेशाब किया, फिर वुज़ू किया और मोज़ों पर मसह किया और कहा, मेरे लिए मसह से क्या चीज़ मानेअ़ (रुकावट) है? जबकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मसह करते हुए देखा है। कुछ लोगों ने कहा कि मसह का हुक्म सूरह माइदा के नुज़ूल से पहले का है। तो ह़ज़रत जरीर (रह.) ने कहा, मैं तो इस्लाम ही सूरह माइदा के नुज़ूल के बाद लाया हूँ।

तख़रीज 154: (स़ह़ीह़) ह़ाकिमः 1/169

फ़वाइद व मसाइल (1) हज़रत जरीर (रज़ि.) सन दस हिज्री के शुरू में मुसलमान हुए हैं और आयते वुज़ू (या अय्युहल्लज़ीना आमनू ....) (सूरह माइदा की छठी आयत) है। इसमें सिर के मसह का ज़िक्र है मोज़ों का नहीं बल्कि पैर धोने का हुक्म है। तो कुछ लोगों का ख़्याल था कि मोज़ों पर मसह करना मंसूख़ है। जरीर (रज़ि.) ने वाज़ेह किया कि मैं इस सूरत के नुज़ूल के बाद इस्लाम लाया हूँ और मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को वुज़ू करते हुए और मोज़ों पर मसह करते ख़ुद देखा है लिहाज़ा यह अमल बिला शुब्हा सही, जाइज़ और मस्नून है। मंसूख़ समझना दुरुस्त नहीं। शिया और ख़्वारिज के अलावा और कोई इसका मुंकिर नहीं है। **(2)** सहाबा (रज़ि.) के नज़दीक यह उसूल अटल था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कुरआन मजीद के मुफ़स्सिर और मुबीन हैं। अल्लाह तआला का इर्शाद है (व अंज़ल्ना इलैकज़्ज़िक्रि लि तुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम) (नह्लः 44) ''और हमने तुम्हारी तरफ़ यह ज़िक्र उतारा है ताकि आप लोगों को जो उनकी तरफ़ नाज़िल किया गया है बिल्वज़ाहत (खोल-खोल कर) बयान कर दें।''

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ، أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ

(155) हज़रत बुरैदा (बिन हसीब) (रज़ि.) रावी हैं कि नज्जाशी (वाली हब्शा) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिए स्याह रंग के दो सादा मोज़े हदिया भिजवाए तो आपने उन्हें पहना, फिर वुज़ू किया तो उन पर मसह किया।

जनाब मुसद्दद ने (अहमद बिन शुऐब की रिवायत के बिल्मुक़ाबिल 'हद्दसना' की बजाए 'अन' से रिवायत की और) 'अन दल्हमब्नि सालिहिन' कहा है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह रिवायत अहले बसरा के तफ़र्रुदात में से है।

तख़रीज 155ः (सनद ज़ईफ़) सुनन तिर्मिज़ीः 2820, इब्ने माजाः 549, 3620

फ़वाइद व मसाइल (1) हदिया क़बूल करना और क़बूल के बाद फ़ौरन इस्तेमाल में लाना भी जाइज़ है और यह क़बूल कर लिये जाने की अलामत होती है। **(2)** चमड़ा रँगने से पाक हो जाता है **(3)** इस रिवायत को अहले बसरा के तफ़र्रुदात में से शुमार करना इमाम अबू दाऊद (रह.) के

तसामुहात में से है। (औनुल मअबूद)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ حَيٍّ، - هُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ قَالَ " بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ " .

(156) हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (जब अपने) मौज़ों पर मसह किया तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! आप भूल रहे हैं? फ़र्माया, ''(नहीं!) बल्कि तुम भूल रहे हो। मुझे मेरे रब ने इसी बात का हुक्म दिया है।''

तख़रीज 156: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 4/246, 253, हाकिमः 1/170

फ़ायदाः यह रिवायत तो ज़ईफ़ है। ताहम दूसरी सही रिवायत से यह मसला यानी मोज़ों पर मसह करना साबित है।

61 باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ

बाब : 61 मसह के लिए मुद्दत का बयान

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنَادِهِ

(157) हज़रत ख़ुज़ैमा बिन साबित (रज़ि.) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़र्माया, ''मोज़ों पर मसह करने की मुद्दत मुसाफ़िर के लिए तीन दिन और मुक़ीम के लिए एक दिन और एक रात है।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि इस ह़दीस को मंसूर बिन मुअतमिर ने अपनी सनद से इब्राहीम तैमी से रिवायत किया है और इसमें है कि अगर हम मसह की मुद्दत में इज़ाफ़ा चाहते तो आप इज़ाफ़ा कर देते।

قَالَ فِيهِ وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا .

तख़रीज 157: (सनद सहीह) तिर्मिज़ीः 95, इब्ने माजाः 553, व इब्ने हिब्बानः 181

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ عِمَارَةَ، - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْقِبْلَتَيْنِ - أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ يَوْمًا قَالَ " يَوْمًا " . قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ " وَيَوْمَيْنِ " . قَالَ وَثَلاَثَةً قَالَ " نَعَمْ وَمَا شِئْتَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أُبَىِّ بْنِ عِمَارَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ وَمَا بَدَا لَكَ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ

(158) हज़रत उबय बिन इमारा (रज़ि.) जिनके बारे में यहया बिन अय्यूब का बयान है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के मइयत (साथ) में दोनों क़िब्लों की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ी है, इनसे रिवायत है कि इन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! क्या मैं मोज़ों पर मसह कर लिया करूँ? फ़र्माया, ''हाँ!'' इन्होंने कहा, (क्या) एक दिन? आपने फ़र्माया ''(हाँ) एक दिन।'' इन्होंने कहा, क्या दो दिन (भी?) फ़र्माया, ''हाँ! दो दिन (भी?)'' कहा, क्या तीन दिन (भी?) फ़र्माया, हाँ!... और जो तू चाहे।'' इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को इब्ने अबी मरयम मिस्री ने (बसनद) यहया बिन अय्यूब, अन अब्दुर्रहमान बिन रज़ीन, अन मुहम्मद बिन यज़ीद बिन अबी ज़ियाद, अन उबादा बिन नुसइ, अन उबय बिन इमारा से रिवायत किया है। इसमें है कि (दोनों इज़ाफ़ा) सात दिनों तक पहुँचा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कहा, ''जो तेरी समझ में आए।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इसकी इस्नाद में इख़्तिलाफ़ है और यहया बिन अय्यूब क़वी नहीं है। इस हदीस को इब्ने अबी मरयम और यहया बिन इस्हाक़ सीलहीनी और यहया बिन अय्यूब से रिवायत किया है और इसकी इस्नाद में इख़्तिलाफ़ किया गया है।

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ .

तख़रीज 158: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 1/279, इब्ने माजा: 557

फ़वाइद व मसाइल: (1) मुक़ीम अपने मोज़ों पर एक दिन रात और मुसाफ़िर तीन दिन तीन रात तक मसह कर सकता है जैसाकि हदीस 157 में है। **(2)** मसह की इब्तिदा हदस के बाद पहले मसह से शुमार की जाएगी। **(3)** उबय बिन इमारा (रज़ि.) वाली रिवायत जिसमें तीन दिन से ज़्यादा का ज़िक्र है, ज़ईफ़ है। इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ कहा है। (औनुल मअबूद) शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसकी तज़्ईफ़ की है।

﴿62﴾ بابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

बाब : 62 जुराबों पर मसह करना

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، - هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ - عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لاَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ .

(159) हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक बार) वुज़ू किया तो अपनी जुराबों और जूतों पर मसह किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन महदी इस हदीस को रिवायत नहीं किया करते थे क्योंकि हज़रत मुग़ीरा (रज़ि.) से मअरूफ़ रिवायत यह है कि नबी (ﷺ) ने मोज़ों पर मसह किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से भी मरवी है ''नबी (ﷺ) ने जुराबों पर मसह किया।'' मगर यह मुत्तसिल है न क़वी।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब, इब्ने मसऊद, बराअ बिन आज़िब, अनस बिन मालिक, अबू उमामा, सहल बिन सअद और अम्र बिन हुरैस (रज़ि.) ने भी

وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلاَ بِالْقَوِيِّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

जुराबों पर मसह़ किया है और यही बात ह़ज़रत ड़मर बिन ख़त्ताब और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से भी मरवी है।

तख़रीज 159: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ीः 99, व इब्ने माजाः 559, इब्ने कुदामाः 1/181, मसअलाः 426, इब्ने ह़ज़्मः 2/87

फ़वाइद व मसाइलः (1) पैर में पहना जाने वाला लिफ़ाफ़ा अगर सूती या ऊनी हो तो उसे (जौरब) उसके नीचे चमड़ा लगा हो तो (मुनअ़अल) ऊपर नीचे दोनों त़रफ़ चमड़ा हो तो (मुजल्लद) और अगर सारा ही चमड़े का हो तो उसे 'ख़ुफ़' कहते हैं। **(2)** बक़ौल शैख़ अल्बानी (रह़.) के यह रिवायत सनदन सही है। नीज़ दीगर सही रिवायात से भी जुराबों और नअ़लैन (मोज़ों और जूतों) पर मसह़ करना साबित है। (देखिए अल्मसह़ अ़लल जौरबैन (अ़रबी) अ़ज़अ़ल्लामतुश्शाम जमालुद्दीन क़ासमी (रह़.) और मस्नून नमाज़। अज़्ह़ाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़ रहि.) **(3)** अ़ल्लामा अह़मद मुह़म्मद शाकिर (रह़.) सुनन तिर्मिज़ी की शरह़ में फ़र्माते हैं कि ह़ज़रत मुग़ीरा बिन शुअ़बा (रज़ि.) से वुज़ू और मसह़ के बाब में कई अह़ादीस कई लोगों ने रिवायत की हैं। कुछ ने मोज़ों पर मसह़, कुछ ने पगड़ी पर मसह़ और कुछ ने जुराबों पर मसह़ करना नक़्ल किया है। और उनमें कोई तज़ाद व ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि यह मुतअ़द्दिद (कई) अह़ादीस हैं और मुख़्तलिफ़ मौक़ों के बयानात हैं। और इनकी मइयत रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ पाँच साल तक रही है और ऐन मअ़क़ूल है कि आपने वुज़ू के बारे में मुख़्तलिफ़ मौक़ों के मुशाहिदात पेश किये हों तो कुछ रावियों ने कुछ सुना और दूसरों ने कुछ और। **(4)** इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने इन स़ह़ाबा किराम (रिज़्वा.) के नाम शुमार कर दिये हैं जो जुराबों पर मसह़ किया करते थे और उनमें जुराबों का कोई वस़्फ़ यानी चमड़ा लगा होना या मोटा होना मज़्कूर नहीं है। ''और अस़ल यही है कि जुराब पर मसह़ सही है।'' अ़ल्लामा दौलाबी ने किताबुल अस्मा वल्कुना (1/181) में जनाब अज़्रक़ बिन क़ैस (ताबेई) से नक़्ल किया है, वह कहते हैं कि मैंने ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) को देखा कि उनका वुज़ू टूट गया तो उन्होंने (तज्दीदे वुज़ू में) अपना चेहरा धोया, हाथ धोये और अपनी ''ऊन की जुराबों'' पर मसह़ किया। मैंने कहा, आप इन पर भी मसह़ करते हैं? उन्होंने फ़र्माया, ''यह (ख़ुफ़्फ़ान) हैं यानी मोज़े ही हैं अगरचे ऊन के हैं।'' और इसकी सनद जय्यद है। इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) कहते हैं कि मैंने स़ालेह़ बिन मुह़म्मद तिर्मिज़ी से सुना, वह कहते थे कि मैंने अबू मुक़ातिल समरक़न्दी से सुना, वह कहते थे कि मैं इमाम

अबू ह़नीफ़ा (रह़.) के यहाँ ह़ाज़िर हुआ वह मर्ज़े वफ़ात में थे, उन्होंने पानी मँगवाया और वुज़ू किया, जुराबें पहन रखी थीं तो अपनी जुराबों पर मसह़ किया और कहा, मैंने आज ऐसा काम किया है जो पहले न करता था। मैंने ग़ैर मुनअ़अल जुराबों पर मसह़ किया है (यानी उन पर चमड़ा नहीं लगा हुआ था।) तफ़्सील के लिए देखिए तअलीक़ जामेअ़ तिर्मिज़ी अज़्अल्लामा अह़मद मुह़म्मद शाकिर, बाब मा जाअ फ़िल मसहि अ़लल जौरबैन वन्नअ़लैनः 1/167, 169) **(5)** ऐसी जुराबें और मोज़े जो पुराने हो जाएँ या फट जाएँ और उनमें सूराख़ हो जाएँ, जिन्हें पहनने में इंसान आ़म तौर पर (उ़र्फ़न व आ़दतन) ऐब मह़सूस नहीं करता उन पर मसह़ करना जाइज़ है। इमाम सुफ़्यान सौरी (रह़.) से मंक़ूल है कि मुहाजिरीन व अंसार के मोज़े फटने से मह़फ़ूज़ न रहते थे, अगर उसमें कोई रुकावट होती तो उसका ज़िक्र होता और मुमानिअ़त आ जाती। (फ़िक़्हुस्सुन्ना, सय्यद साबिक़)

باب...

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ عَبَّادٌ - قَالَ أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ . وَقَالَ عَبَّادٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ - يَعْنِي الْمِيضَأَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيضَأَةَ وَالْكِظَامَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا - فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ .

बाब ...

(160) ह़ज़रत औस बिन अबी औस सक़फ़ी (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वुज़ू किया तो अपने जूतों और क़दमों पर मसह़ किया। अ़ब्बाद बिन मूसा ने (अपनी रिवायत में) यह अल्फ़ाज़ बयान किये हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप एक क़ौम के किज़ामा पर आए... यानी मक़ामे वुज़ू पर... मगर जनाब मुसद्दद ने (अपनी रिवायत में) मीज़ात और किज़ामा का ज़िक्र नहीं किया। फिर दोनों मशाइख़ (मुसद्दद और अ़ब्बाद बिन मूसा ह़दीस के बाक़ी अल्फ़ाज़ बयान करने में) मुत्तफ़िक़ हैं, ''आपने वुज़ू किया तो अपने जूतों और क़दमों पर मसह़ किया।''

तख़रीज 160: (सनद ज़ईफ़) अह़मदः 4/8.

फ़ायदा: बशर्ते स़ेह़त (जैसाकि शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे सही कहा है) यह रिवायत साबिक़ा

रिवायत पर महमूल है। यानी नबी (ﷺ) ने जुराबों और जूतों पर मसह किया। और 'क़दमों पर मसह' से मुराद ऐसी सूरत है जिसमें जुराबें पहनी हुई थीं। इब्ने कुदामा (रह.) फ़र्माते हैं कि बज़ाहिर ऐसे मालूम होता है कि जूते चप्पल की पट्टी पर मसह किया जो कि पैर के ऊपर होती है।

बाब : 63
मसह कैसे हो?

﴾63﴿
باب كَيْفَ الْمَسْحُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ ذَكَرَهُ أَبِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ . وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ .

(161) हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मोज़ों पर मसह किया करते थे। मुहम्मद बिन सब्बाह के अलावा (दूसरे मशाइख़) ने कहा कि आपने मोज़ों की पुश्त (यानी पैर की ऊपर वाली जानिब) पर मसह किया।

तख़रीज 161: (इस्नाद हसन) तिर्मिज़ी: 98.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، -رضى الله عنه - قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

(162) सय्यदना अली (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया, ''अगर दीन राय और क़यास पर मब्नी होता तो मोज़ों के नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले की बनिस्बत मसह का ज़्यादा मुस्तहिक़ होता, मगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है कि आप अपने मोज़ों के ऊपर ही मसह किया करते थे।

तख़रीज 162: (सनद ज़ईफ़) दारेक़ुत्नी: 1/98, : 759 मुस्नद इमाम अहमद मअ ज़वाइद: 1/95, 114, 124, हुमैदी: 47

फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम जो बात इसमें बयान हुई है वह सही है, शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सही कहा है। इसी तरह अगली दोनों रिवायतें (163, 164) भी शैख़ अल्बानी (रह.)

के नज़दीक सही हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ كُنْتُ أُرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا . قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي الْخُفَّيْنِ . وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(163) जनाब अअ़्मश अपनी सनद से इस ह़दीस को रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, मैं पैर के नीचे वाले ह़िस्से ही को ज़्यादा लायक़ समझता था कि उसे धोया जाए यहाँ तक कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप अपने मोज़ों के ऊपर के ह़िस्से ही का मसह किया करते थे।

इस ह़दीस को वकीअ़ ने अअ़मश से अपनी सनद से रिवायत किया तो कहा, मैं समझता था कि पैर का नीचे वाला ह़िस्सा ही इस बात के ज़्यादा लायक़ होता है कि उनका मसह़ किया जाए यहाँ तक कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके ऊपर की जानिब मसह करते थे।

वकीअ़ ने कहा कि ''क़दमैन'' से मुराद 'मोज़े' हैं। इस ह़दीस को ईसा बिन यूनुस ने अअ़मश से वैसे ही रिवायत किया है जैसे वकीअ़ ने रिवायत किया है और उसे अबुस्सौदाअ ने इब्ने अ़ब्दे ख़ैर से, उन्होंने अपने वालिद से नक़्ल किया तो कहा कि मैंने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) को देखा कि उन्होंने वुज़ू किया तो अपने क़दमों के ऊपर के ह़िस्से को धोया और कहा कि अगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह करते हुए न देखा होता... (तो मैं यही समझे रहता कि इनका नीचे वाला ह़िस्सा ही धोने के लायक़ होता है।) और आख़िर तक ह़दीस इसी त़रह़ बयान की।

तख़रीज 163: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ी: 1/292, हुमैदी: 47, व अह़मद: 1/148

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ

(164) जनाब हफ़्स बिन ग़ियास ने अअ़मश से यह रिवायत बयान की तो कहा, अगर दीन राय और क़यास पर मब्नी होता तो क़दमों के तलवे उनके ऊपर वाले हिस्से की निस्बत मसह के ज़्यादा हक़दार होते, जबकि नबी (ﷺ) ने मोज़ों की पुश्त (ऊपर वाले हिस्से) पर मसह किया है।

तख़रीज 164: (सनद ज़ईफ़) 162 में देखें

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، - قَالَ مَحْمُودٌ - أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَاءٍ .

(165) हज़रत मुग़ीरा बिन शुअ़बा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने सफ़रे तबूक में नबी (ﷺ) को वुज़ू करवाया तो आपने (उस मौक़े पर) मोज़ों के ऊपर और नीचे मसह किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुझे यह बात पहुँची है कि जनाब सौर ने यह हदीस रजा से नहीं सुनी।

तख़रीज 165: (सनद ज़ईफ़) सुनन तिर्मिज़ी: 97, इब्ने माजा: 550, दारेक़ुत्नी: 1/195, : 742

फ़ायदा: मोज़ों पर मसह में शर्त यह है कि उनके ऊपर की जानिब गीला हाथ फेरा जाए। सही अहादीस की दलालत यही है और जिनमें यह आया है कि मोज़ों के नीचे भी मसह किया तो उनकी सनदों में कलाम है। इसलिए उनमें तआरुज़ है न तत्बीक़ की ज़रूरत, जैसाकि कुछ हज़रात ने जमा व तत्बीक़ से काम लिया है।

﴾64﴿ باب فِي الاِنْتِضَاحِ

बाब : 64
छींटे मारने का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - هُوَ

(166) हज़रत सुफ़्यान बिन हकम सक़फ़ी या हकम बिन सुफ़्यान सक़फ़ी (रज़ि.)

التَّوْرِيُّ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحَكَمُ أَوِ ابْنُ الْحَكَمِ .

कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब पेशाब करते और वुज़ू करते तो (उसके बाद शर्मगाह वाली जगह पर) छींटे मार लेते।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुहद्दिसीन की जमाअत ने इस सनद में रावी का नाम ''सुफ़्यान बिन हकम'' को राजेह क़रार दिया है। जबकि कुछ ने हकम या इब्ने हकम ज़िक्र किया है।

तख़रीज 166: (सनद हसन) इब्ने माजाः 461, नसाईः 134, 135, व सहीहुल हाकिम अला शर्तिश शैख़ेनः 1/171, तल्ख़ीसुल हबीरः 1/74

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ .

(167) मुजाहिद... बनू सक़ीफ़ के एक शख़्स से, वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उनके वालिद कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आपने पेशाब किया और फिर अपनी शर्मगाह पर छींटे मारे।

तख़रीज 167: (सनद हसन) पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَوِ ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ .

(168) मुजाहिद हकम या इब्ने हकम से, वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने पेशाब किया, फिर वुज़ू किया और अपनी शर्मगाह पर पानी के छींटे मारे।

तख़रीज 168: (सनद हसन) पिछली दोनों हदीस देखें

फ़ायदा: वुज़ू के बाद शर्मगाह वाली जगह पर छींटे मार लेना सुन्नत व मुस्तहब है। सुन्नत पर सवाब के अलावा यह फ़ायदा भी है कि मसाना की कमज़ोरी के बाइस कुछ औक़ात क़तरात आ जाने का जो अंदेशा होता है, उससे वस्वसे का दफ़इया (ख़ात्मा) हो जाता है।

बाब : 65
वुज़ू के बाद आदमी क्या पढ़े?

(169) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में होते थे और अपने काम ख़ुद ही सरअंजाम देते थे और बारी बारी ऊँट चराया करते थे। मेरी बारी आई तो सेह (तीसरी) पहर को मैं उन्हें वापिस लाया (और रसूलुल्लाह स. की मज्लिस में आ हाज़िर हुआ) मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस हालत में पाया कि आप लोगों से ख़िताब फ़र्मा रहे थे। मैंने आपको सुना आप कह रहे थे ''तुममें से कोई वुज़ू करे और अच्छी तरह (मुकम्मल) वुज़ू करे, फिर खड़ा होकर दो रकअतें पढ़े, अपने दिल और चेहरे से नमाज़ ही में मगन रहे तो उसने अपने लिए (जन्नत) वाजिब कर ली।'' मैंने कहा, बहुत ख़ूब! बहुत ख़ूब! किस क़द्र बेहतरीन अमल है। तो मेरे सामने से एक शख़्स बोला, ऐ उक़्बा! जो इससे पहले फ़र्माया है वह इससे भी ख़ूबतर है। मैंने नज़र उठाई तो वह उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.)थे। मैंने कहा, ऐ अबू हफ़्स! वह क्या है? कहा कि तुम्हारे आने से पहले अभी अभी यह इर्शाद फ़र्माया है ''तुममें से जो शख़्स वुज़ू करे और अच्छी तरह (मुकम्मल मस्नून) वुज़ू करे और वुज़ू के बाद यह कलिमात कहे, अश्हदु अल् ला इलाहा

﴿65﴾ باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ رِعَايَةَ إِبِلِنَا فَكَانَتْ عَلَىَّ رِعَايَةُ الإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ قَدْ أَوْجَبَ " . فَقُلْتُ بَخٍ بَخٍ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ الَّتِي قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا . فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ قَالَ

إِنَّهُ قَالَ آنِفًا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ " . قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .

इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अ़ब्दुहू व रसूलुहू'' ''मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं। वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।'' तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिये जाते हैं जिससे चाहे उसमें दाख़िल हो जाए।''

मुआविया बिन स़ालेह़ कहते हैं कि मुझे रबीअ़ा बिन यज़ीद ने अबू इदरीस से, उसने उ़क्बा बिन आ़मिर से रिवायत किया।

तख़रीज 169: स़ह़ीह़ मुस्लिमः 234, नसाईः 151

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، عَنْ حَيْوَةَ، - وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ - عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الرِّعَايَةِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ " فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ " . ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ . فَقَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ .

(170) अबू अ़क़ील ने अपने चचेरे भाई से उन्होंने उ़क्बा बिन आ़मिर (रज़ि.) से उन्होंने नबी (ﷺ) से ऊपर वाली हदीस की त़रह़ रिवायत की है और उसमें ऊँटों के चराने का ज़िक्र नहीं किया और ''अच्छी त़रह़ वुज़ू करने'' के मौक़े पर कहा कि फिर वह (वुज़ू करने वाला) अपनी नज़र आसमान की त़रफ़ उठाए (और यह दुआ पढ़े) और मुआविया बिन स़ालेह़ की रिवायत की मानिन्द बयान किया।

तख़रीज 170: (सनद ज़ईफ़) सुनन दारमीः 1/182, : 722,

फ़वाइद व मसाइल (1) यह रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए वुज़ू के बाद दुआ पढ़ते हुए आसमान की त़रफ़ नज़र उठाना या उँगली उठाना सही नहीं है। **(2)** और जन्नत के आठ दरवाज़े हैं जबकि दोज़ख़ के सात हैं।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

बाब ... एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ना?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ، - قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ أَبُو أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو - قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْوُضُوءِ، فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ .

(171) जनाब अम्र बिन आमिर बजली यानी अबू असद मुहम्मद बिन अम्र कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से वुज़ू के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नबी (ﷺ) हर नमाज़ के लिए वुज़ू किया करते थे, जबकि हम एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ लिया करते थे।

तख़रीज 171: सहीह बुख़ारीः 214, तिर्मिज़ीः 60, व इब्ने माजाः 509

तौज़ीहः इसमें नबी (ﷺ) का अमल यह बयान किया गया है कि आप हर नमाज़ के लिए ताज़ा वुज़ू किया करते थे, तो यह आपका ग़ालिब मअमूल था, वरना कुछ मौक़ों पर आपने भी एक ही वुज़ू से मुतअद्दिद (कई) नमाज़ें पढ़ी हैं, जैसाकि अगली रिवायत से भी वाज़ेह है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنِّي رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ . قَالَ " عَمْدًا صَنَعْتُهُ " .

(172) जनाब सुलेमान बिन बुरैदा (रज़ि.) अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का वाले दिन पाँचों नमाज़ें एक ही वुज़ू से अदा कीं, और आपने अपने मोज़ों पर मसह भी किया। उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, मैंने देखा है कि आज आपने एक ऐसा काम किया है जो पहले न करते थे। आपने फ़र्माया, ''मैंने जान बूझकर ऐसे किया है।''

तख़रीज 172: सहीह मुस्लिमः 277

तौज़ीहः ताकि कोई यह न समझे कि एक वुज़ू से मुतअद्दिद (कई) नमाज़ें नहीं पढ़ी जा सकतीं।

बाब: 66
वुज़ू में तसलसुल क़ायम न रहे तो...?

﴾66﴿
باب تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

(173) जनाब क़तादा बिन दिआमा हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान करते हैं कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया, वह वुज़ू कर चुका था, मगर उसने अपने पैर पर नाख़ुन भर जगह (ख़ुश्क) छोड़ दी थी (धोई न थी) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़र्माया, ''वापिस जाओ और अच्छी तरह वुज़ू करो।''

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمَيْهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ ابْنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ قَالَ " ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ " .

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह हदीस जरीर बिन हाज़िम से मअरूफ़ नहीं है। उसे अकेले इब्ने वहब ही ने बयन किया है और यह रिवायत बसनद मअक़िल बिन उबैदुल्लाह जज़री हज़रत उमर (रज़ि.) से भी ऊपर वाली की मानिन्द मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''वापिस जाओ और अच्छी तरह वुज़ू करो।''

तख़रीज 173: (सहीह) इब्ने माजा: 665, इब्ने ख़ुज़ैमा: 164.

(174) जनाब हसन बसरी ने भी नबी (ﷺ) से क़तादा की रिवायत के हम मअनी बयान किया है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى قَتَادَةَ

तख़रीज 174: (सहीह) सुनन बैहक़ी: 1/83

(175) ख़ालिद (इब्ने मअ़दान) एक स़हाबी से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने एक शख़्स़ को नमाज़ पढ़ते देखा जबकि उसके पैर में दिरहम बराबर जगह सूखी रह गई थी, उसे पानी नहीं पहुँचा था, तो नबी (ﷺ) ने उसे वुज़ू और नमाज़ के एआदा (लौटाने) का हुक्म दिया।

तख़रीज 175: (स़ह़ीह़) अह़मद: 3/424

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، - هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - عَنْ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ .

फ़वाइद व मसाइल (1) मालूम हुआ कि वुज़ू में तसलसुल लाज़िम है (2) अगर कोई शख़्स तसलसुल क़ायम न रखे और कुछ अअ़ज़ा (हिस्से) धोकर उठ जाए यहाँ तक कि पहले वाले अअ़ज़ा ख़ुश्क हो जाएँ तो उसे वुज़ू दोबारा करना चाहिए। (3) मामूली जगह भी सूखी रह जाए तो वुज़ू नहीं होता और फिर नमाज़ भी न होगी।

बाब: 67
अगर बेवुज़ू होने में शक हो तो...?

﴾67﴿
باب إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ

(176) जनाब अ़ब्बाद बिन तमीम अपने चचा (ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ेद रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकायत की गई कि एक शख़्स़ दौराने नमाज़ में (पेट में) कुछ (ह़रकत) मह़सूस करता है और उसे ख़याल आता है (कि शायद हवा निकली है) तो आपने फ़रमाया ''नमाज़ छोड़कर न जाए यहाँ तक कि (हवा निकलने की) आवाज़ सुने या बू मह़सूस करे।''

तख़रीज 176: स़ह़ीह़ बुख़ारी: 137, मुस्लिम:361

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ فَقَالَ " لاَ يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " .

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " .

(177) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बयान किया ''जब तुममें से कोई नमाज़ में हवा और अपनी दुबुर में कोई हरकत महसूस करे, आया हवा ख़ारिज हुई है या नहीं और उसे शुब्हा हो गया हो तो नमाज़ छोड़कर न जाए यहाँ तक कि आवाज़ सुने या बू महसूस करे।''

तख़रीज 177: सहीह मुस्लिमः 362

फ़ायदाः जब तहारत का यक़ीन हो और वुज़ू टूटने का सिर्फ़ शुब्हा हो तो नमाज़ी को चाहिए कि अपने यक़ीन पर अमल करे। और वैसे भी मुसलमान को शुब्हात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए बल्कि शुब्हात से बचना चाहिए। इसीलिए फ़ुक़हा का क़ायदा है कि यक़ीन शक से ज़ाइल नहीं होता। (अल्इश्बाह वन्नजाइर)

﴾68﴿
باب الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

बाबः 68
बोसा लेने से वुज़ू का मसला...?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَاتَ

(178) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि .) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने (एक बार) उनका बोसा लिया और वुज़ू नहीं किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह हदीस मुर्सल है (यानी इब्राहीम तैमी और हज़रत आइशा के माबेन (बीच) रावी महज़ूफ़ है) और इब्राहीम तैमी ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कुछ सुना नहीं है और फ़रयाबी वग़ैरह ने ऐसे ही (ग़ैर मौसूल) बयान किया है और इमाम अबू दाऊद (रह.)

إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَكَانَ يُكْنَى أَبَا أَسْمَاءَ .

कहते हैं कि इब्राहीम तैमी चालीस साल के नहीं हुए थे कि वफ़ात पा गए। उनकी कुन्नियत अबू अस्मा थी।

तख़रीज 178: (सनद हसन) सुनन नसाईः 170, नस्बुर्रायाः 1/71, 76, व सुनन दारेक़ुत्नीः 1/136

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِيَ إِلاَّ أَنْتِ فَضَحِكَتْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ .

(179) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने (एक बार) अपनी किसी बीवी का बोसा लिया और नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गए और वुज़ू नहीं किया। उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं (यह हज़रत आइशा रज़ि. के भांजे थे) मैंने कहा, यह आप ही होंगी, तो वह हँस दीं। इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, ज़ाइदा और अब्दुल हमीद हिम्मानी ने सुलेमान अअमश से ऐसे ही रिवायत किया है।

तख़रीज 179: (सनद हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 86, व इब्ने माजाः 502

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَغْرَاءَ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، أَخْبَرَنَا أَصْحَابٌ، لَنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلٍ احْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَيْنِ - يَعْنِي حَدِيثَ الأَعْمَشِ هَذَا عَنْ حَبِيبٍ وَحَدِيثَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ

(180) इब्राहीम बिन मख़्लद की सनद से अअमश से मंक़ूल है, वह कहते हैं कि हमारे साथियों ने उर्वा मुज़नी से रिवायत किया, वह हज़रत आइशा (रज़ि.) से यह हदीस रिवायत करते हैं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि यह्या बिन सईद क़त्तान ने एक शख़्स से कहा, मेरी तरफ़ से यह बात बयान करो कि अअमश की हबीब से यह रिवायत और इसी सनद से मसला इस्तिहाज़ा वाली रिवायत जिसमें है कि इस्तिहाज़ा वाली औरत हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे। यह्या ने

صَلاَةٍ - قَالَ يَحْيَى احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهُ لاَ شَيْءَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ مَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ إِلاَّ عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ يَعْنِي لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَى حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا صَحِيحًا .

कहा, मेरी तरफ़ से यह बयान करो कि यह दोनों हदीसें न होने के बराबर (यानी ज़ईफ़) हैं।
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सुफ़्यान सौरी से मरवी है, कहते हैं कि हमें हबीब ने जो रिवायात बयान की हैं वह सब उर्वा मुज़नी ही से रिवायत हुई हैं, उर्वा बिन ज़ुबैर से कुछ बयान नहीं किया।

तख़रीज 180: (सनद हसन) सुनन बैहक़ी: 1/126

फ़वाइद व मसाइल (1) शौहर अगर अपनी बीवी का बोसा ले तो उससे वुज़ू पर कोई असर नहीं पड़ता, बशर्तेकि उससे मज़ी (वीर्य) न निकला हो। सूरह निसाअ की आयत 43 और सूरह माइदा की आयत 6 में (अव लामस्तुमुन्निसाअ...) ''अगर तुमने औरतों को छूआ हो तो...'' से मुराद मुबाशिरत है। **(2)** इमाम अबू दाऊद (रह.) ने मुख़्तलिफ़ असानीद से इस इख़्तिलाफ़ की तरफ़ इशारा किया है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करने वाले और सराहत करवाने वाले उनके अपने भांजे उर्वा बिन ज़ुबैर ही हैं। दूसरे, रावी उर्वा मुज़नी उनसे यह सराहत करवाईं, अज़्हद महाल (बेहद मुश्किल) है। **(3)** इस क़िस्म के जुम्ले और बातें जो जनाब उर्वा और हज़रत आइशा (रज़ि.) के माबैन नक़्ल हुई हैं अज़ीज़ों में हद्दे अदब के अंदर मुबाह और जाइज़ हैं और चूँकि यह शरई मसाइल हैं इसलिए इनका नक़्ल किया जाना कोई बुरी बात नहीं।

﴾69﴿ بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

बाब: 69 शर्मगाह को छूने से वुज़ू

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ . فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ

(181) जनाब उर्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) कहते हैं कि मैं मरवान बिन हकम के पास गया, वहाँ यह मौज़ूअ छिड़ गया कि किस किस चीज़ से वुज़ू लाज़िम आता है? मरवान ने कहा कि शर्मगाह को छूने से भी... (वुज़ू लाज़िम आता है?) उर्वा कहते हैं, मैंने कहा

مَسَّ الذَّكَرِ ‏.‏ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ ‏.‏ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ‏"‏ ‏.‏

कि मुझे मालूम नहीं। मरवान ने कहा कि मुझे बुसरा बिन्ते स़फ़्वान (रज़ि.) ने बताया, वह कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, फ़र्माते थे ''जो कोई अपनी ज़कर (शर्मगाह) को हाथ लगाए उसे चाहिए कि वुज़ू करे।''

तख़रीज 181: (सनद स़ह़ीह़) नसाई: 163, मौत़ा: 1/42, (क़अम्बी: 50) तोह़फ़तुल मोह़ताज: 1/151, : 25

मसला: ज़ेरे नज़र मसला में शर्मगाह को हाथ लगाने से वुज़ू टूटने और न टूटने की दोनों अह़ादीस वारिद हैं और दोनों ही सही हैं। मुह़द्दिसीन इनके माबैन (बीच) तत़्बीक़ (हल) यह निकालते हैं कि अगर बराहे रास्त बग़ैर किसी ह़ाइल (आड़) के हाथ लगे तो वुज़ू टूट जाता है, लेकिन बीच में कपड़ा हो तो वुज़ू नहीं टूटता। या अगर शहवानी जज़्बात के तह़त हाथ लगाया हो तो वुज़ू टूट जाता है, उसके बग़ैर हो तो नहीं टूटता। कुछ मुह़द्दिसीन के नज़दीक ज़ेरे नज़र ह़दीस (बुसरा बिन्ते सफ़्वान) दूसरी ह़दीस (त़ल्क़) की नासिख़ है। ख़्याल रहे कि औरतों के लिए भी यही मसला है।

﴾70﴿
باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

बाब: 70
इसमें रुख़्स़त का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ ‏"‏ هَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ ‏"‏ ‏.‏ أَوْ قَالَ - ‏"‏ بَضْعَةٌ

(182) जनाब क़ैस बिन त़ल्क़ अपने वालिद (त़ल्क़ रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि हम अल्लाह के नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, तो एक आदमी आया वह बज़ाहिर देहाती था, कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! आप उस शख़्स़ के बारे में क्या फ़र्माते हैं जिसने वुज़ू के बाद अपने ज़कर (शर्मगाह) को हाथ लगा लिया हो? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''यह उसके जिस्म का एक टुकड़ा ही तो है!''

مِنْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को हिशाम बिन हस्सान, सुफ़्यान सौरी, शुअ़बा, इब्ने उ़येयना और जरीर राज़ी ने मुहम्मद बिन जाबिर से, उन्होंने क़ैस बिन त़ल्क़ से रिवायत किया है।

तख़रीज 182: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिज़ीः 85

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الصَّلاَةِ .

(183) जनाब मुहम्मद बिन जाबिर... क़ैस बिन त़ल्क़ से, वह अपने वालिद से इसी सनद से और ऊपर वाली हदीस के हम मअ़नी रिवायत करते हैं। इसमें है कि ''दौराने नमाज़ में'' (अगर कोई हाथ लगाए तो फ़र्माया कि यह उसके जिस्म का एक टुकड़ा ही है।)

तख़रीज 183:(सनद सहीह) सुनन इब्नेमाजा:483

﴾71﴿
بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

बाब: 71
ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَقَالَ " تَوَضَّئُوا

(184) सय्यदना बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया गया, आया ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू लाज़िम आता है? आपने फ़र्माया, ''उससे वुज़ू किया करो।'' सवाल किया गया कि बकरी के गोश्त से? आपने फ़र्माया, ''उससे वुज़ू न करो।'' और सवाल हुआ कि क्या ऊँटों के बाड़े में नमाज़ पढ़ें? फ़र्माया, ''ऊँटों के बाड़े में नमाज़ न पढ़ा

مِنْهَا " . وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ " لاَ تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا " . وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَقَالَ " لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ " . وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ " صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ".

करो। बेशक यह शैतानों में से हैं।'' और पूछा गया कि बकरियों के बाड़े में नमाज़ (पढ़ें या न?) आपने फ़र्माया, ''उसमें नमाज़ पढ़ लिया करो। बेशक यह मुबारक हैं।''

तख़रीज 184: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिज़ीः 81, व इब्ने माजाः 494, व लिल्हदीसि शाहिद इन्द मुस्लिमः 360

फ़वाइद व मसाइल (1) ऊँट हलाल जानवर है मगर इसका गोश्त खाने से वुज़ू करना रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़र्माने मुक़द्दस है। इसमें क्या हिक्मत या क्या इल्लत है? अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है। हमारे लिए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का इर्शाद है (वमा आताकुमुर्रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू) (अल्हशरः 7) ''रसूल जो तुम्हें दे, वह ले लो और जिससे रोक दे, उससे रुक जाओ।'' **(2)** बकरियाँ पालना बाइसे बरकत है।

(72) بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّيءِ وَغَسْلِهِ

बाब: 72
कच्चे गोश्त को हाथ लगाने से वुज़ू या हाथ धोने का मसला

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالُوا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ

(185) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) एक ग़ुलाम के पास से गुज़रे, वह एक बकरी की खाल उतार रहा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, ''एक तरफ़ हो जाओ मैं तुम्हें दिखलाऊँ।'' (सिखलाऊँ कि खाल कैसे उतारी जाती है) चुनाँचे आपने अपना हाथ खाल और गोश्त

اللَّيْثِيِّ، - قَالَ هِلاَلٌ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرٌو أُرَاهُ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِغُلاَمٍ وَهُوَ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبْطِ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ - يَعْنِي - لَمْ يَمَسَّ مَاءً . وَقَالَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً لَمْ يَذْكُرَا أَبَا سَعِيدٍ .

के बीच दाख़िल कर दिया और उसे धँसाया यहाँ तक कि बग़ल तक छुप गया, फिर आप तशरीफ़ ले गए और लोगों को नमाज़ पढ़ाई और वुज़ू नहीं किया। जनाब अ़म्र बिन उ़स्मान ने अपनी रिवायत में यह इज़ाफ़ा किया है यानी पानी को नहीं छूआ और (हिलाल बिन मैमून जोहनी के बजाय) हिलाल बिन मैमून ''रमली'' कहा।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा इस ह़दीस को अ़ब्दुल वाह़िद बिन ज़ियाद और अबू मुआ़विया ने हिलाल से, उसने अ़ता से, उसने नबी (ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया, उन दोनों (अ़ब्दुल वाह़िद और अबू मुआ़विया) ने अबू सईद का ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज 185: (सनद स़ह़ीह़) इब्ने माजा: 3179

फ़वाइद व मसाइल (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि मुझे ''मुअ़ल्लिम'' बनाकर भेजा गया है। आपकी तालीम का एक पहलू यह भी था, जो ऊपर मज़्कूर हुआ कि काम को उ़म्दा और ख़ूबसूरत अंदाज़ में सरअंजाम दिया जाए। **(2)** चर्बी की चिकनाहट और गोश्त की ख़ास़ महक और उसका ख़ून लगने से त़हारत में कोई फ़र्क़ नहीं आता। **(3)** इंसान को बहुत ज़्यादा नफ़ीस और नाज़ुक मिज़ाज भी नहीं बन जाना चाहिए कि इस क़िस्म के कामों से एहतिमामे गुस्ल या कपड़े बदलने पड़ें।

बाब: 73 मुरदार को हाथ लगाने से वुज़ू न करना

﴿73﴾ باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ " أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

(186) ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (एक बार) बाज़ार से गुज़रे, आप अ़वाली मदीना (मदीना के ऊपरी ह़िस्से) की जानिब से तशरीफ़ ला रहे थे और कुछ दूसरे लोग भी आपकी जल्व (जमात) में दाएँ बाएँ थे। आपका गुज़र बकरी के एक छोटे कान वाले मुर्दा बच्चे के पास से हुआ। आपने उसे उसके कान से पकड़ा और फ़र्माया, ''तुममें से किसका जी चाहता है कि यह क़बूल कर ले...'' और रावी ने ह़दीस बयान की।

तख़रीज 186: स़ह़ीह़ मुस्लिम: 2957

फ़वाइद व मसाइल (1) स़ह़ीह़ मुस्लिम में यह ह़दीस मुकम्मल इस त़रह़ है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तुममें से कौन चाहता है कि इसको एक दिरहम के बदले ले? स़ह़ाबा (रज़ि.) ने कहा, हम तो इसे नहीं लेना चाहते और इसका हम करेंगे भी क्या? फ़र्माया, क्या तुम इसे बिला क़ीमत लेना पसंद करते हो? कहने लगे, क़सम अल्लाह की! अगर यह ज़िन्दा भी होता, तो ऐ़बदार था, इसके कान ही छोटे छोटे हैं और अब तो यह वैसे ही मुरदार है। आपने फ़र्माया, क़सम अल्लाह की! दुनिया अल्लाह के यहाँ इससे भी ज़्यादा ह़क़ीर है, जितना तुम इसको ह़क़ीर जान रहे हो।'' (स़ह़ीह़ मुस्लिम: 2957) **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) मौक़ा बमौक़ा पेश आमदा ह़क़ीक़तों को मिसालों से समझाते थे और इस वाक़िया में दुनिया की ह़क़ीक़त को निखार दिया गया है। दाई ह़ज़रात और असातिज़ा को ज़िन्दगी में पेश आमदा उमूर से वाक़ियाती मिसालें पेशेनज़र करनी चाहिए। **(3)** मुरदार को हाथ लगाने से वुज़ू नहीं टूटता। (मुह़द्दिसीन की फ़ोक़ाहत क़ाबिले दाद है। रह़िमहुमुल्लाहु तआ़ला)

बाब: 74
आग पर पकी चीज़ के इस्तेमाल से वुज़ू न करने का बयान

﴿74﴾ باب فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

(187) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक बार) बकरी का गोश्त तनावुल फ़र्माया और वह दस्ती (शाने) का गोश्त था, फिर नमाज़ पढ़ी और वुज़ू नहीं किया।

तख़रीज 187: सहीह मुस्लिमः 354, सहीह बुख़ारीः 207, हदीसे मालिक, मौत्ताः 1/25.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

फ़ायदा: इस मसले का पसे मंज़र यह है कि इब्तिदाए इस्लाम में आग पर पकी चीज़ इस्तेमाल करने से वुज़ू करने का हुक्म था जो बाद में मंसूख (ख़त्म) हो गया, मगर कुछ लोगों को मंसूख होने का इल्म न हो सका और वह बदस्तूर वुज़ू करने के क़ाइल रहे।

(188) हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) कहते हैं कि मैं एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) का मेहमान हुआ, आपने (बकरी के) पहलू के बारे में फ़र्माया तो वह भूना गया। आपने छुरी ली और उससे मेरे लिए काटने लगे। (उस बीच में) बिलाल (रज़ि.) आए और आपको नमाज़ की ख़बर दी तो आपने छुरी रख दी और फ़र्माया, ''इसे क्या हुआ है ख़ाक आलूद हो इसके हाथ!'' और नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। अंबारी ने मज़ीद बयान किया और कहा कि मेरी (मुग़ीरा की) मूँछें लम्बी थीं तो आपने मिस्वाक रखकर ऊपर से काट दीं या यूँ कहा, ''मिस्वाक रखकर काटे देता हूँ।''

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ ضِفْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ - قَالَ - فَجَاءَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ - قَالَ - فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ " مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ ". وَقَامَ يُصَلِّي. زَادَ الأَنْبَارِيُّ وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِي عَلَى سِوَاكٍ . أَوْ قَالَ أَقُصُّهُ لَكَ

عَلَى سِوَاكٍ .

तख़रीज 188: **(सनद सहीह)** सुनन तिर्मिज़ी: 165

फ़वाइद व मसाइल (1) इस हदीस से साबित होता है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू लाज़िम नहीं आता बल्कि यह हुक्म मंसूख़ है। **(2)** इस वाक़िया में रसूलुल्लाह (ﷺ) की सहाबा किराम से उल्फ़त का बयान है। **(3)** हज़रत बिलाल (रज़ि.) के लिए आपने जो कलिमा इस्तेमाल किया वह आम सा जुम्ला था, बद्दुआ मक़्सूद न थी। **(4)** इमाम बुख़ारी (रह.) का इससे इस्तिदलाल यह है कि मुक़र्ररशुदा इमाम को खाने की बिना पर देर न करनी चाहिए। **(5)** मूँछें छोटी होनी चाहिए और बड़े को हक़ हासिल है कि अपने अज़ीज़ की बढ़ी हुई मूँछें कतर दे।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

(189) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने दस्ती का गोश्त तनावुल फ़र्माया और अपने हाथ नीचे बिछी दरी (या टाट) से साफ़ किये, फिर नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए।

तख़रीज 189: **(सनद ज़ईफ़)** सुनन इब्ने माजा: 488

फ़ायदा: शायद वह कपड़ा या दरी ही इस क़िस्म की होगी कि उससे हाथ साफ़ किया जा सकता था। नीज़ यह भी मालूम हुआ कि गोश्त वग़ैरह खाने के बाद कुल्ली करना और पानी से हाथ धोना भी ज़रूरी नहीं बल्कि सिर्फ़ कपड़े और तोलिए से साफ़ कर लेना भी दुरुस्त है। इसी तरह टिश्यू पेपर से हाथ साफ़ कर लेना भी काफ़ी है।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَشَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

(190) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मंक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने दस्ती का गोश्त दाँतों से नोचकर खाया, फिर नमाज़ पढ़ी और वुज़ू नहीं किया।

तख़रीज 190: **(सनद सहीह)** अहमद: 1/279, बुख़ारी: 3340, व मुस्लिम: 194

फ़ायदा: दाँतों से नोचकर खाना सुन्नत है और लज़्ज़त का बाइस भी।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا

(191) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह

حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

(रज़ि.) कहते थे कि मैंने नबी (ﷺ) की ख़िदमत में रोटी और गोश्त पेश किया तो आपने तनावुल फ़र्माया, फिर पानी मँगवाया और उससे वुज़ू किया, फिर ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, फिर बाक़ी बचा खाना मँगवाया और खाया और नमाज़ के लिए खड़े हो गए और वुज़ू नहीं किया।

तख़रीज 191: (सनद सहीह) अहमद: 3/322, इब्ने हिब्बान: 218

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا اخْتِصَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ .

(192) हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का आख़िरी अमल यह था कि आपने आग पर पकी चीज़ों के इस्तेमाल से वुज़ू करना छोड़ दिया था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह रिवायत पहली हदीस का इख़्तिसार है।

तख़रीज 192: (सनद सहीह) नसाई: 185, इब्ने ख़ुज़ैमा: 43

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ أَبِي كَرِيمَةَ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ - قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ ثُمَامَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ

(193) उबेदुल्लाह बिन सुमामा मुरादी ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़ा (रज़ि.) जो कि अस्हाबे रसूल में से थे, हमारे यहाँ मिस्र में तशरीफ़ लाए। मैंने उन्हें वहाँ मस्जिद में हदीस बयान करते सुना, कह रहे थे कि मुझे याद है कि मैं एक शख़्स के घर में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मज्लिस में सातवाँ फ़र्द था या छटा था कि बिलाल (रज़ि.) आये, उन्होंने नबी (ﷺ) को नमाज़ की ख़बर दी तो हम निकले और

قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَارِ رَجُلٍ فَمَرَّ بِلاَلٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلاَةِ فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ " . قَالَ نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي . فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً فَلَمْ يَزَلْ يَعْلِكُهَا حَتَّى أَحْرَمَ بِالصَّلاَةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ .

एक शख़्स के पास से गुज़रे, उसकी हँडिया आग पर रखी थी, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा, ''क्या तुम्हारी हँडिया तैयार हो गई है?'' उसने कहा, जी हाँ! मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान! तो आपने उससे गोश्त की एक बोटी ली और खाते हुए चले गए यहाँ तक कि नमाज़ के लिए तक्बीरे तहरीमा कही गई और मैं आपको देख रहा था।

तख़रीज 193: (सनद ज़ईफ़): 2/163

﴾75﴿ بَابُ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

बाब: 75 मज़्कूरा मसले में तश्दीद का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ "

(194) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जो चीज़ आग से पकी हो (उसके इस्तेमाल से) वुज़ू लाज़िम है।''

तख़रीज 194: (सनद सहीह) अहमद: 2/458

फ़ायदा: आग पर पकी चीज़ों से वुज़ू इब्तिदा-ए-इस्लाम का हुक्म था जो कि मंसूख़ (ख़त्म) हो गया जैसे कि ऊपर की हदीस में ज़िक्र है।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ

(195) जनाब अबू सुफ़्यान बिन सईद बिन मुग़ीरा बयान करते हैं कि वह (अपनी ख़ाला उम्मुल मोमिनीन) हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) के यहाँ आए, पस उन्होंने उनको सत्तू का एक प्याला पिलाया तो उन्होंने (यानी

الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيقٍ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي أَلاَ تَوَضَّأُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ " . أَوْ قَالَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ يَا ابْنَ أَخِي .

अबू सुफ़्यान ने) पानी माँगा और कुल्ली की तो हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) फ़र्माने लगीं भाँजे! क्या वुज़ू नहीं करोगे? बेशक नबी (ﷺ) ने फ़र्माया है, ''जिस चीज़ को आग ने बदल दिया हो उससे वुज़ू करो।'' या फ़र्माया ''जिस चीज़ को आग पहुँची हो।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि ज़ोहरी की रिवायत में (भाँजे की बजाय) भतीजे का लफ़्ज़ आया है।

तख़रीज 195: (सनद सहीह) सुनन नसाई: 180

﴾76﴿
بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

बाब: 76
दूध पीकर वुज़ू करने का मसला

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " .

(196) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) रावी हैं कि नबी (ﷺ) ने (एक बार) दूध नोश फ़र्माया, फिर पानी तलब किया और कुल्ली की और फ़र्माया, ''इसमें चिकनाई होती है।''

तख़रीज 196: सहीह बुख़ारी: 211, मुस्लिम: 358

फ़ायदा: इस क़िस्म के माकूलात व मशरूबात (खाने पीने की चीज़ों) से जिनमें चिक्नाई हो, कुल्ली कर लेना औला (बेटर) व अफ़ज़ल है ताकि नमाज़ के दौरान में मुँह ख़ूब साफ़ रहे। आने वाली हदीस में इसकी रुख़सत का बयान है।

बाब: 77
इससे कुल्ली न करने की रुख़सत

﴾77﴿
باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى . قَالَ زَيْدٌ دَلَّنِي شُعْبَةُ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ .

(197) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दूध पिया मगर (उसके बाद) कुल्ली की न वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ ली। ज़ेद (बिन हुबाब) कहते हैं कि शुअबा ने मुझे उस शैख़ (मुतीअ बिन राशिद) की रहनुमाई की थी (कि उससे हदीस हासिल करूँ)

तख़रीज 197: (सनद हसन) सुनन बैहक़ी: 1/160, सुनन अबी दाऊद: 1/313

फ़ायदा: दूध पीकर कुल्ली कर लेना मुस्तहब और अफ़ज़ल है, न भी करे तो जाइज़ है।

बाब: 78
ख़ून निकलने से वुज़ू का मसला....?

﴾78﴿
باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي فِي

(198) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले... यानी ग़ज़्वा ज़ातुर्रिक़ाअ़ में... तो किसी मुसलमान ने मुश्रिकीन में से किसी की बीवी को क़त्ल कर दिया, तो उस मुश्रिक ने क़सम खाई कि मैं अस्हाबे मुहम्मद में ख़ून बहाकर रहूँगा। चुनाचे वह नबी (ﷺ) के क़दमों के निशानात की पैरवी करने लगा। इधर नबी (ﷺ) ने एक मंज़िल पर

غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ - فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَحَلَفَ أَنْ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أُهَرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلاً فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ " كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ " . قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلاَنِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ لِلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلاَ أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى قَالَ كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَأُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا .

पड़ाव डाला और फ़र्माया, ''कौन हमारा पहरा देगा?'' तो उस काम के लिए एक मुहाजिर और एक अंसारी उठे। आपने उनसे फ़र्माया, ''तुम दोनों उस घाटी के दहाने पर खड़े रहो।'' जब वह दोनों उसके दहाने की तरफ़ निकले (तो उन्हों ने तै किया कि बारी बारी पहरा देंगे) चुनाँचे मुहाजिर लेट गया और अंसारी खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने लगा (और पहरा भी देता रहा।) उधर से वह मुश्रिक भी आ गया। जब उसने उनका सरापा देखा तो समझ गया कि यह इस क़ौम का पहरेदार है चुनाँचे उसने एक तीर मारा और उसके अंदर तोल दिया। उस (अंसारी) ने वह तीर (अपने जिस्म से) निकाल दिया (और नमाज़ में मशग़ूल रहा) यहाँ तक कि उसने तीन तीर मारे। फिर उसने रुकूअ और सज्दा किया। इधर उसका (मुहाजिर) साथी भी जाग गया। उस (मुश्रिक) को जब महसूस हुआ कि इन लोगों ने उसको जान लिया है, तो भाग निकला। मुहाजिर ने जब अंसारी को देखा कि वह लहूलुहान हो रहा है तो उसने कहा, सुब्हानल्लाह! तुमने मुझे पहले तीर ही पर क्यूँ न जगा दिया? उसने जवाब दिया ''मैं एक सूरत पढ़ रहा था, मेरा दिल न चाहा कि उसे अधूरी छोड़ूँ।''

तख़रीज 198: (सनद हसन) अहमदः 3/343, इब्ने ख़ुज़ैमाः 36, इब्ने हिब्बानः 1093, हाकिमः 1/156, बुख़ारीः 1/280.

फ़वाइद व मसाइल (1) इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़ख़्म से ख़ून बहे तो उससे वुज़ू नहीं टूटता और न नमाज़ फ़ासिद होती है। जो लोग ख़ून के बहने से वुज़ू के टूट जाने के क़ाइल हैं, वह एक तो हैज़ व इस्तिहाज़े के ख़ून से और नक्सीर की बाबत रिवायात से इस्तिदलाल करते हैं जिनमें नक्सीर फूटने को भी नाक़िसे वुज़ू बतलाया गया है। हालाँकि हैज़ या इस्तिहाज़े के ख़ून की हैसियत आम ज़ख़्म से बहने वाले ख़ून से बिलकुल मुख़्तलिफ़ (अलग) है। इसलिए कि उनके तो अहकाम ही मुख़्तलिफ़ हैं। इसके अलावा वह ख़ून, (सबीलैन) ''शर्मगाहों'' से निकलता है जो बिल्इत्तिफ़ाक़ नाक़िज़े वुज़ू है। जबकि ज़ख़्मों से निकलने वाले ख़ून की यह हैसियत नहीं। इसलिए सहाबा किराम (रज़ि) जंगों में ज़ख़्मी होते रहे और उसी हालत में वह नमाज़ें भी पढ़ते रहे, लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ख़्मी सहाबा को नमाज़ पढ़ने से मना नहीं किया। जो इस बात की दलील है कि आम ज़ख़्मों से निकलने वाला ख़ून नाक़िज़े वुज़ू नहीं है। इसके अलावा नक्सीर से वुज़ू करने वाली रिवायात से भी इस्तिदलाल किया जाता है, जो कि सबकी सब ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत हैं। (तफ़्सील के लिए देखें, औनुल मअबूद) **(2)** ग़ज़्वा ज़ातुर्रिक़ाक़ इमाम बुख़ारी (रह.) की तर्तीब के मुताबिक़ ख़ैबर के बाद हुआ था। **(3)** इसकी नाम रखने की वजह एक तो यह है कि उस मौक़े पर मुजाहिदीन ने अपने पैर ज़ख़्मी होने के बाइस पट्टियाँ बाँधी थीं। इसके अलावा भी कुछ वुजूह बयान की जाती हैं। **(4)** जिहाद में बिल्ख़ुसूस और दीगर मौक़ों पर बिल्उमूम पहरेदारी का इंतिज़ाम तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मस्नून और हिक्मते जंग का एक लाज़मी हिस्सा है। **(5)** मुजाहिदीने इस्लाम दौराने जिहाद में भी अपने वक़्त को क़ीमती आमाल में सर्फ़ करते थे जैसे कि उस अंसारी ने पहरेदारी के दौरान नमाज़ और तिलावते कुरआन शुरू कर दी और वह सूरह, जो यह मुजाहिद पढ़ रहा था, सूरह कहफ़ थी। **(6)** नमाज़ और कुरआन से मुहब्बत ही सहाबा किराम (रज़ि.) का इम्तियाज़ व शर्फ़ था।

बाब: 79
नींद से वुज़ू

﴾79﴿ باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

(199) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं कि एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी काम में मशग़ूल हो गए और नमाज़े (इशा) में बहुत देर कर दी यहाँ तक कि हम लोग मस्जिद में सो गए फिर जागे, फिर सो गए, फिर जागे, फिर सो गए, फिर कहीं आप तशरीफ़ लाए और फ़रमाया,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ

اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ " لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ " .

''तुम्हारे अलावा और कोई नमाज़ का इंतिज़ार नहीं कर रहा।''

तख़रीज 199: सहीह बुख़ारी: 570, मुस्लिम: 639, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाः 2115, अहमद: 2/88)

फ़वाइद व मसाइल: (1) सहाबा किराम (रज़ि.) का यह सोना बैठे बैठे था न कि लेटकर। जैसे कि दीगर अहादीस से साबित है। **(2)** नमाज़े इशा उम्मते मुस्लिमा का ख़ास्सा है, नीज़ इसको दूसरी नमाज़ों की बनिस्बत अव्वल वक़्त की बजाए देर से पढ़ना मुस्तहब है। जैसाकि आने वाली हदीस में इसकी सराहत है। **(3)** सिर्फ़ नींद से वुज़ू नहीं टूटता मगर यह कि लेटकर हो या किसी ऐसे सहारे से हो कि अअज़ा (जिस्म के जोड़) ढीले हो जाएँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसियत थी कि नींद में भी आपका वुज़ू क़ायम रहता था। दर्जे ज़ेल अहादीस इसकी वाज़ेह दलील हैं।

حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ فَيَّاضٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ .

(200) हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि अस्हाबे रसूल (ﷺ) नमाज़े इशा का इंतिज़ार करते रहते थे यहाँ तक कि उनके सिर (नींद की वजह से) झुक झुक जाते थे। फिर वह नमाज़ पढ़ लेते और (नया) वुज़ू न करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि शुअबा की क़तादा से रिवायत में यह इज़ाफ़ा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में हमारे सिर (नींद की वजह से) झुक जाया करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने अबी अरूबा ने क़तादा से दूसरे अल्फ़ाज़ से बयान किया है।

तख़रीज 200: सहीह मुस्लिम,: 125/376, दारेक़ुत्नी: 1/131

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدُ بْنُ

(201) हज़रत अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि नमाज़े इशा की इक़ामत कही जा

شَبِيبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي حَاجَةً . فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا .

चुकी थी कि एक शख़्स खड़ा हुआ और कहने लगा ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे आपसे काम है। चुनाँचे वह आपसे सरगोशियाँ करने लगा यहाँ तक कि क़ौम को या उनमें से कुछ को ऊँघ आने लगी। उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ाई और (हज़रत अनस रज़ि. ने) वुज़ू करने का ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज 201: सहीह मुस्लिमः 376

फ़ायदाः इक़ामत और तक्बीरे तहरीमा में कुछ फ़ासला हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, दोबारा इक़ामत कहने की ज़रूरत नहीं है, न इमाम पर वाजिब है कि तक्बीर के फ़ौरन बाद अल्लाहु अकबर कहकर नमाज़ शुरू कर दे, जैसाकि कुछ हज़रात का मौक़िफ़ (मानना) है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ، - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى - عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ . قَالَ فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ فَقَالَ " إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا " . زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادٌ " فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَوْلُهُ " الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا " . هُوَ

(202) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सज्दा करते और (कुछ औक़ात उसमें) सो जाते और ख़र्राटे लेने लगते, फिर खड़े होते और नमाज़ पढ़ने लगते और वुज़ू न करते। मैंने (एक बार) अर्ज़ किया कि आपने नमाज़ पढ़ ली और वुज़ू नहीं किया, हालाँकि आप सो गए थे, फ़र्माया, ''वुज़ू उसी पर है जो लेट जाता है तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत में यह टुकड़ा ''वुज़ू उस पर है जो लेटकर सोये।' मुंकर है। इसे सिर्फ़ यज़ीद अबू ख़ालिद दालानी ने क़तादा से रिवायत किया है। जबकि इस रिवायत का शुरुआती हिस्सा एक जमाअत ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से नक़्ल किया है मगर वह यह टुकड़ा बयान नहीं करते और (इक्रिमा)

حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ الدَّالاَنِيُّ عَنْ قَتَادَةَ وَرَوَى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَحْفُوظًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " تَنَامُ عَيْنَاىَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي " . وَقَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلاَةِ وَحَدِيثَ الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرْتُ حَدِيثَ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَانْتَهَرَنِي اسْتِعْظَامًا لَهُ وَقَالَ مَا لِيَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ يُدْخِلُ عَلَى أَصْحَابِ قَتَادَةَ وَلَمْ يَعْبَأْ بِالْحَدِيثِ .

कहते हैं कि नबी (ﷺ) (दिल की नींद से) महफ़ूज़ थे और हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी आँखें सोती हैं, मगर दिल नहीं सोता।''
शुअबा कहते हैं क़तादा ने अबुल आलिया से चार हदीसें सुनी हैं **(1)** हदीसे यूनुस बिन मत्ता **(2)** इब्ने उमर (रज़ि.) की हदीस जो नमाज़ के बारे में है **(3)** और वह हदीस कि क़ाज़ी तीन क़िस्म के होते हैं **(4)** और इब्ने अब्बास (रज़ि.) की हदीस कि मुझे मुअतमद (मोतबर) और पसंदीदा अफ़राद ने हदीस बयान की, उनमें से एक उमर (रज़ि.) हैं और उनमें सबसे ज़्यादा क़ाबिले एतिमाद और पसंदीदा मेरे नज़दीक उमर (रज़ि.) ही हैं।
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने यज़ीद दालानी की हदीस इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) के सामने पेश की तो उन्होंने मुझको इसकी (इंतिहाई) कमज़ोरी के बाइस डाँट दिया और कहा कि यज़ीद दालानी को क्या हुआ कि मशाइख़े क़तादा की रिवायात में (वह कुछ) दाख़िल कर देता है (जो उनमें नहीं होता।) और इस हदीस को उन्होंने कोई अहमियत न दी।
तख़रीज 202: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 77, दारेक़ुत्नी: 1/159, 160

फ़वाइद व मसाइल (1) ख़ुलास-ए-कलाम यह है कि हदीस ''वुज़ू उसी पर है जो लेटकर सोये।'' सनदन ज़ईफ़ है मगर मअनन व हुक्मन सही है। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसियत थी कि नींद में आपका दिल बेदार (जागा) रहता था, लिहाज़ा अगर आपका वुज़ू टूटता तो आपको इल्म हो जाता। **(3)** क़तादा ने जनाब अबुल आलिया से जो चार हदीसें सुनी हैं उनका ख़ुलासा दर्जे ज़ेल है (पहला) किसी बन्दे को लायक़ नहीं कि कहे कि मैं यानी (मुहम्मद स.) हज़रत यूनुस बिन मत्ता (रज़ि.) से ज़्यादा अफ़ज़ल हूँ। (सुनन अबी दाऊद: 4669) (दूसरा) हदीस इब्ने उमर, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना

किया है कि नमाज़े फ़ज्र के बाद कोई नमाज़ न पढ़ी जाए यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाए और ऐसे ही अ़सर के बाद यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। (सहीह बुख़ारीः 585) (तीसरा) क़ाज़ी तीन तरह के होते हैं, एक जन्नत में और दो जहन्नम में जाएँगे। जन्नती वह है जिसने हक़ को जाना और उसके मुताबिक़ फ़ैसला किया। दूसरा वह है जिसने हक़ को जाना मगर फ़ैसले में ज़ुल्म किया। यह जहन्नमी है और तीसरा वह जो बर बिनाय जिहालत फ़ैसले करता है, यह भी जहन्नमी है। (सुनन अबू दाऊदः 3573) (चौथा) हदीसे इब्ने अ़ब्बास, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े फ़ज्र के बाद नमाज़ से मना किया है यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाए और अ़सर के बाद भी यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। (सहीह बुख़ारीः 581) इन चारों हदीसों में इस बाब की मज़्कूरा हदीस नहीं है, लिहाज़ा इसका सिमाअ़ महल्ले नज़र (डाउटफुल) है।

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

(203) सय्यदना अ़ली (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''आँखें सुरीन का तस्मा हैं, तो जो सो जाए वह वुज़ू करे।''

तख़रीज 203: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजाः 477

﴾80﴿ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِهِ

बाबः 80
अगर कोई गन्दगी को रौंदकर आये तो...?

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي شَرِيكٌ، وَجَرِيرٌ، وَابْنُ، إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا لاَ نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ وَلاَ نَكُفُّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا .

(204) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हम गंदगी पर से चलकर आते थे और वुज़ू के बीच न करते थे और न (नमाज़ में) अपने बालों या कपड़ों को समेटते थे।

तख़रीज 204: (सनद ज़ईफ) इब्ने माजाः 1041

फ़ायदा: यह रिवायत भी शैख़ अल्बानी (रह़.) के नज़दीक सही है इसमें बयानकर्दा बातें दूसरी अहादीस से भी साबित हैं।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِيهِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنْ شَقِيقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ

(इस ह़दीस की सनद में) इब्राहीम बिन अबी मुआविया ने यूँ कहा है, अअ़मश अ़न शक़ीक़ अ़न मसरूक़ अ़न अ़ब्दिल्लाहि... (यानी मसरूक़ के इज़ाफ़ा के साथ) नीज़ यह भी कि यह सनद या तो अअ़मश अन शक़ीक़ क़ाल क़ाला अ़ब्दुल्लाहि (बि लफ़्ज़ि अ़न) है या अअ़मश ह़द्दस अ़न शक़ीक़(बि लफ़्ज़ि तसरीह़ुन तह़दीस)

फ़वाइद व मसाइल (1) इंसान अगर गंदगी और नजासत पर से गुज़रे और बाद में ख़ुश्क ज़मीन पर चले, इस त़रह़ कि सब कुछ उतर जाए तो जिस्म और कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन अगर उसका जर्म (वुजूद) बाक़ी रहे तो धोना ज़रूरी होगा। चमड़े के मोज़े और जूते को ज़मीन पर रगड़ना ही काफ़ी होता है। **(2)** नमाज़ के बीच में बालों और कपड़ों को उनकी हेयत से समेटना जाइज़ नहीं। ज़मीन पर लगते हैं तो लगने दें, अल्बत्ता सिर या कँधे के कपड़े को लटकाना (सदल करना) जाइज़ नहीं है। उसे लपेट लेना चाहिए।

﴿81﴾ باب مَنْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاَةِ

बाब: 81 जो शख़्स नमाज़ के दौरान में बेवुज़ू हो जाए...?

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ

(205) ह़ज़रत अ़ली बिन त़ल्क़ (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''नमाज़ के दौरान में जो कोई फुस्की मारे (यानी बग़ैर आवाज़ के उसके मक़अद से हवा ख़ारिज हो।) तो चाहिए कि वह (नमाज़ छोड़कर) चला जाए वुज़ू करे और नमाज़ दोहराए।''

فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ ".

तख़रीज 205: (सनद हसन) तिर्मिज़ीः 1164, 1166, इब्ने हिब्बानः 203, 204, 1301

﴾82﴿ باب فِي الْمَذْىِ

बाबः 82 मज़ी का मसला

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - أَوْ ذُكِرَ لَهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ".

(206) सय्यदना अ़ली (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी आती थी। मैंने (उससे) गुस्ल करना शुरू कर दिया यहाँ तक कि मेरी कमर (की खाल बवजह पानी) फटने लगी, तो मैंने यह मसला नबी (ﷺ) के सामने पेश किया, या आपको बताया गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब तू मज़ी को देखे तो गुस्ल न किया कर बल्कि सिर्फ़ अपनी शर्मगाह को धो और नमाज़ वाला वुज़ू कर लिया करो।'' और जब तू ज़ोर से पानी निकाले (यानी मनी निकले) तो गुस्ल कर।''

तख़रीज 206: (सनद हसन) नसाईः 193, इब्ने ख़ुज़ैमाः 20, व इब्ने हिब्बानः 241

फ़ायदा: मनी वह माद्दा होता है जो इंज़ाल के वक़्त (तेज़ी से और उछलकर) निकलता है। और मज़ी वह रतूबत होती है जो बोस व किनार या शिद्दते जज़्बात के असर से लेसदार शक्ल में निकलती है। वदी वह लेसदार पानी होता है जो पेशाब से पहले या बाद निकल आता है। गुस्ल सिर्फ़ मनी के निकलने से वाजिब है। अगर इंतिहाई कमज़ोरी के बाइस या कोई वज़न वग़ैरह उठाने से या किसी और वजह से मनी निकल आए और उसमें ''ज़ोर और उछलकर निकलने'' की केफ़ियत न हो, तो गुस्ल वाजिब न होगा।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ مَاذَا عَلَيْهِ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ . قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .

(207) ह़ज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद (रज़ि.) कहते हैं कि ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने उनसे कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से यह मसला पूछिए कि एक शख़्स जब अपनी अहलिया के क़रीब होता है तो उससे मज़ी निकलती है तो उस पर क्या लाज़िम है (वुज़ू या गुस्ल?) चूँकि मेरे घर में आप अलैहिस्सलाम की स़ाह़बज़ादी है इसलिए मैं आपसे पूछने में ह़िजाब (शर्म) महसूस करता हूँ। मिक़्दाद (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया, ''जब तुममें से कोई ऐसा मह़सूस करे तो अपनी शर्मगाह को धो ले और नमाज़ वाला वुज़ू करे।''

तख़रीज 207: (स़ह़ीह़) इब्ने माजाः 505, नसाईः 156, 441, मौत़ाः 1/40, मुस्लिमः 303

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لِلْمِقْدَادِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا قَالَ فَسَأَلَهُ الْمِقْدَادُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِ : " وَالأُنْثَيَيْنِ " .

(208) ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने मिक़्दाद (रज़ि.) से कहा और ऊपर वाली ह़दीस की मानिन्द ज़िक्र किया। कहते हैं कि चूँकि मिक़्दाद (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा तो आपने फ़र्माया, ''चाहिए कि वह अपने ज़कर और ख़ुस्यतैन को धो ले।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि इस ह़दीस को सौरी और एक जमाअ़त ने बसनद (हिशाम अ़न अबीहि (उ़र्वा) अ़न मिक़्दाद अ़न अ़ली अ़निन् नबी स.) से रिवायत किया है।

तख़रीज 208: (सनद ज़ईफ़) नसाईः 153

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِيثٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَجَمَاعَةٌ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرْ " أُنْثَيَيْهِ " .

(209) हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने मिक़्दाद (रज़ि.) से कहा और ऊपर वाली हदीस के हम मअ़नी बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, इसको मुफ़ज़्ज़ल बिन फ़ज़ाला सौरी और इब्ने उ़येयना ने हिशाम अन अबीहि अ़न अ़ली की सनद से रिवायत किया है।

और इब्ने इस्हाक़ ने अ़न हिशाम बिन उ़र्वा अ़न अबीहि अ़न मिक़्दाद अ़निन्नबी (ﷺ) की सनद से रिवायत किया है और इसमें ख़ुस्यतैन के धोने का ज़िक्र नहीं है।

तख़रीज 209: (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें 208

फ़वाइद व मसाइल (1) हदीस 208 और 209 ज़ईफ़ हैं। इसलिए ख़ुस्यतैन का धोना ज़रूरी नहीं। सिर्फ़ ज़कर का धो लेना काफ़ी है। ताहम बशर्ते सेहत (जैसाकि शैख़ अल्बानी रह. के नज़दीक सही हैं) ज़कर (शर्मगाह) के साथ ख़ुस्यतैन का भी धोना ज़रूरी होगा। **(2)** मनी जब ज़ोर से और उछलकर निकले तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है। मगर मज़ी, वदी और जिरयाने मनी से सिर्फ़ वुज़ू लाज़िम आता है। **(3)** वुज़ू का इत्लाक़ दो मआ़नी पर होता है। एक सिर्फ़ लग़वी ऐतिबार से यानी मुँह हाथ धो लेना। दूसरा इस्तिलाही वुज़ू यानी जो वुज़ू, नमाज़ के लिए किया जाता है, ऊपर वाली हदीस में इसी इस्तिलाही वुज़ू का ज़िक्र है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْىِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الاِغْتِسَالَ

(210) हज़रत सहल बिन हुनैफ़ (रज़ि.) कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी आती थी और इस बिना पर ग़ुस्ल भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, लिहाज़ा मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया, ''इसके लिए तुम्हें वुज़ू ही काफ़ी है।'' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के

فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ " يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ " .

रसूल (ﷺ)! और जो मेरे कपड़े को लग जाए? आपने फ़र्माया, ''जहाँ तू महसूस करे कि कपड़े को लगी है वहाँ पानी का एक चुल्लू लेकर छिड़क लिया कर, यही काफ़ी है।

तख़रीज 210: (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 115, इब्ने माजा: 506, इब्ने हिब्बान 240

फ़ायदा: इससे मालूम हुआ कि मज़ी के निकलने से वुज़ू तो टूट जाएगा, लेकिन कपड़े को धोना ज़रूरी नहीं बल्कि उस जगह पर छींटे मार लेना काफ़ी है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَالَ " ذَاكَ الْمَذْىُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ " .

(211) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअद अंसारी (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि ग़ुस्ल किस चीज़ से लाज़िम आता है? और वह पानी जो पानी के बाद निकलता है? (यानी पेशाब के बाद उसका क्या हुक्म है?) आपने फ़र्माया, ''यह मज़ी होती है और हर नर की मज़ी निकलती है। तू उससे अपनी शर्मगाह और ख़ुस्यतैन को धो लिया कर और वुज़ू कर जैसे कि नमाज़ के लिए किया जाता है।''

तख़रीज 211: (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 133, व इब्ने माजा: 651, 1378.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ

(212) जनाब हराम बिन हकीम अपने चचा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअद रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा था कि मेरी बीवी जब अय्याम (हैज़) में हो तो (उन दिनों) मेरे लिए उससे क्या कुछ हलाल है? आपने फ़र्माया,

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ " . وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

''तहबन्द से ऊपर ऊपर और (अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द रज़ि. ने) हाइज़ा औरत के साथ मिलकर खा पी लेने के बारे में पूछा... और ह़दीस बयान की।

तख़रीज 212: (सनद ह़सन) बैहक़ीः 1/312, तिर्मिज़ीः 133

मसलाः औरत जब मख़सूस अय्याम (पीरियड) में हो तो ज़ौजैन (मियाँ बीवी) के लिए ख़ास जिन्सी अ़मल ह़राम है। ताहम इकट्ठे खा पी, उठ बैठ और लेट सकते हैं। इसी को आपने (मा फ़ौक़ल इज़ारि) ''तहबंद से ऊपर ऊपर'' से ता'बीर किया है और ज़ाहिर है कि इससे मज़ी का इख़राज होगा तो गुस्ल वाजिब न होगा। हाँ! अगर मनी निकल आए तो गुस्ल करना पड़ेगा।

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعْدٍ الأَغْطَشِ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الأَزْدِيِّ، - قَالَ هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ حِمْصَ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَقَالَ " مَا فَوْقَ الإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ - يَعْنِي الْحَدِيثَ - بِالْقَوِيِّ .

(213) ह़ज़रत मुआ़ज़ बिन जबल (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि अय्यामे हैज़ में मर्द के लिए अपनी बीवी से क्या ह़लाल है? आपने फ़र्माया, ''तहबन्द से ऊपर ऊपर। (ह़लाल है) ताहम उससे बचना अफ़ज़ल है।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि यह ह़दीस क़वी नहीं।

तख़रीज 213: (सनद ज़ईफ़) त़ब्रानी फ़िल्कबीरः 20/100, : 194, जामेउत्तह़सील पेजः 223

वज़ाहतः अय्यामे मख़सूसा में जवान मियाँ बीवी को अज़्ह़द एह़तियात़ (बहुत ज़्यादा सतर्क रहना) चाहिए ऐन मुम्किन है कि ऐसी ह़द तक पहुँच जाएँ कि वापिस आना मुश्किल हो जाए। ताहम (जिमाअ़ के बग़ैर) मुबाशिरत जाइज़ है, क्योंकि मज़्कूरा ह़दीस ज़ईफ़ है।

﴾83﴿
باب فِي الإِكْسَالِ

बाब: 83
(मुबाशिरत के मौक़े पर) अगर जज़्बात ठण्डे हो जाएँ...? (और इंज़ाल न हो तो...?)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي بَعْضُ، مَنْ أَرْضَى أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي " الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ " .

(214) हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) ने इन (सहल बिन सअद) को ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अव्वले इस्लाम में इस बात की रुख़सत दी थी (कि इंज़ाल न होने पर ग़ुस्ल न किया जाए) क्योंकि लोगों के पास कपड़े कम होते थे, मगर उसके बाद ग़ुस्ल करने का हुक्म दे दिया था और उस (पहली रुख़सत) से मना कर दिया था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि, रावी की मुराद (इस्लाम का पहला हुक्म) है कि ''पानी से पानी लाज़िम आता है।''

तख़रीज 214: (सनद सहीह) बैहक़ी: 1/165, तिर्मिज़ी: 110, 111, व इब्ने माजा: 609, ख़ुज़ैमा: 226

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَزَّازُ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي، كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى

(215) हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) ने बयान किया कि वह फ़त्वा जो लोग दिया करते थे कि ''पानी' पानी से (लाज़िम आता) है'' एक रुख़सत थी जिसकी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस्लाम के शुरु में इजाज़त दी थी लेकिन उसके बाद ग़ुस्ल का हुक्म इर्शाद फ़र्माया।''

तख़रीज 215: तख़रीज (सनद सहीह)

الله عليه وسلم فِي بَدْءِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ .

दारमीः 766, इब्ने माजाः 609

फ़ायदाः तफ़्सील इस मसले की यह है कि इब्तिदा-ए-इस्लाम में ज़ौजैन (मियाँ बीवी) के लिए इजाज़त थी कि मुबाशिरत के मौक़े पर अगर इंज़ाल न हो तो ग़ुस्ल वाजिब नहीं। इस कैफ़ियत को एक बलीग़ अंदाज़ में बयान किया ''पानी पानी से (लाज़िम आता) है।'' यानी ग़ुस्ल का पानी मनी का पानी निकलने ही पर लाज़िम आता है, मगर यह हुक्म मंसूख़ हो गया और फ़र्माया ''ख़त्ना ख़त्ने से मिल जाए तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है। जैसे कि दर्जे ज़ेल अहादीस में ज़िक्र आ रहा है। इसलिए ऊपर वाले अल्फ़ाज़ और अहकाम अब एहतिलाम की सूरत के साथ मख़्सूस हो गए हैं। यानी अगर ख़्वाब में कुछ देखा हो और जिस्म या कपड़ों पर तरी और असर नुमायाँ हो या किसी और सूरत में मनी निकला हो तो ग़ुस्ल वाजिब होगा वरना नहीं। अल्बत्ता बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद हर सूरत में ग़ुस्ल वाजिब होगा।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " .

(216) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''(शौहर) जब उस (बीवी) की चार शाख़ों के बीच बैठे और ख़त्ने से ख़त्ना मिला दे तो ग़ुस्ल वाजिब हो गया।''

तख़रीज 216: सहीह बुख़ारीः 291, व मुस्लिम : 348

फ़वाइद व मसाइल (1): इस सूरत में ख़्वाह इंज़ाल हो या न हो ग़ुस्ल वाजिब होगा। **(2)** फ़ुक़्हाए मुहद्दिसीन इत्तिसाले ख़त्तान का मअनी यह मुराद लेते हैं कि हस्फ़ा ग़ाइब हो जाए। (इब्ने माजाः 611, तिर्मिज़ीः 108)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

(217) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''पानी पानी से है।'' और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान (हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. से रिवायत करने वाले) यही करते थे। (यानी

الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " . وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

इंज़ाल होने ही पर गुस्ल को वाजिब जानते थे।)

तख़रीज 217: सहीह मुस्लिम : 343

फ़ायदा: कुछ सहाबा व ताबेईन की यही राय रही है कि जब तक इंज़ाल न हो गुस्ल वाजिब नहीं होता, मगर अक्सर इसी बात के क़ाइल थे जिसका ऊपर बयान हुआ कि यह इस्लाम के शुरु में रुख़सत थी, उसके बाद इत्तिसाले ख़त्तान से गुस्ल वाजिब कर दिया गया, और अब यही बात सही है। सही मुस्लिम में इन रिवायात को जमा कर दिया गया है। (सहीह मुस्लिमः 343 वमा बअ़द)

﴾84﴿ بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَعُودُ

बाब: 84 जुंबी (अगर गुस्ल करने से पहले) अपनी बीवी के पास दोबारा आए तो...?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(218) हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बार अपनी (तमाम) बीवियों के पास आए और एक ही गुस्ल किया।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि (एक ही गुस्ल का ज़िक्र) दीगर सनदों से भी साबित है। यानी हिशाम बिन ज़ेद ने अनस से और मअ़मर ने बवास्ता क़तादा अनस (रज़ि.) से और सालेह़ बिन अबिल अख़ज़र ने बवास्ता ज़ोहरी अनस (रज़ि.) से और वह नबी (ﷺ) से बयान करते हैं।

तख़रीज 218: **(सनद सहीह)** सुनन नसाईः 264

फ़वाइद व मसाइलः (1) इंसान अपनी बीवी के पास दूसरी बार जाना चाहे या दीगर बीवियों के पास जाना चाहता हो तो उस दौरान में गुस्ल करना वाजिब नहीं है बल्कि सिर्फ़ वुज़ू काफ़ी है, जिसका इस रिवायत में बवजह इख़्तिसार ज़िक्र नहीं हुआ। (2) नबी (ﷺ) का मअ़मूल था कि

ज़ौजात(बीवियों) में बारी का एहतिमाम करते थे, मगर कुछ औक़ात सफ़र वग़ैरह से वापसी पर बाक़ायदा बारी शुरू करने से पहले एक बार सबके पास चले जाते थे या कोई और वजह भी होती होगी। **(3)** हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत के मुताबिक़ नबी (ﷺ) को तीस मर्दों की कुव्वत दी गई थी। (सहीह बुख़ारी 268)

﴾85﴿
بَابُ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

बाब: 85
जो दोबारा मुजामिअत करना चाहे तो वुज़ू कर ले!

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، سَلْمَى عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ . قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا قَالَ " هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا .

(219) हज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं कि नबी (ﷺ) (एक बार) अपनी बीवियों के पास आए और हर एक के यहाँ ग़ुस्ल किया। अबू राफ़ेअ कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! क्या आप (आख़िर में) एक ही ग़ुस्ल नहीं कर लेते? आपने फ़र्माया, ''यह ज़्यादा पाकीज़ा, उम्दा और तहारत का बाइस है।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत अनस (रज़ि.) की हदीस (जो ऊपर ज़िक्र हुई) इससे ज़्यादा सही है।

तख़रीज 219: (सनद हसन) इब्ने माजाः 590, वज़्ज़हबीः 2/311

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ

(220) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से मरवी है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तुममें से जो कोई अपनी बीवी के पास आए, फिर उसका ख़याल दोबारा आने का हो तो चाहिए कि उन दोनों (बारियों) के

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا " .

बीच वुज़ू कर ले।''

तख़रीज 220: सहीह मुस्लिमः 308, तिर्मिज़ीः 141

फ़वाइद व मसाइलः (1) ऊपर वाली हदीसों (218, 219) में किसी क़िस्म का तआरुज़ नहीं है बल्कि यह दो मुख़्तलिफ़ हालतों का बयान है। **(2)** दोबारा रग़बत हो तो उस दौरान में वुज़ू कर लेना जुम्हूर के नज़दीक मुस्तहब है। इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा इस वुज़ू से बाक़ायदा नमाज़ वाला वुज़ू मुराद लेते हैं, न कि महज़ इस्तिंजा या तंज़ीफ़ (सफ़ाई) जैसे कि इमाम तहावी का ख़्याल है और इसका फ़ायदा यह बताया गया है कि ''इससे तबीयत में ख़ूब निशात पैदा हो जाती है।'' और यही जुम्ला इस अम्र के लिए ''अम्रे इस्तिहबाब' होने का क़रीना है।

﴿86﴾ بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَنَامُ

बाबः 86 जुंबी अगर सोना चाहे तो...?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ " .

(221) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र किया कि मुझे रात को जनाबत लाहिक़ होती है (यानी नहाने की ज़रूरत पड़ती है) तो आपने फ़र्माया, ''वुज़ू करो, अपनी शर्मगाह धो और फिर सो जाया करो।''

तख़रीज 221: सहीह बुख़ारीः 290 व मुस्लिमः 306, अल्मौत्ताः 1/47, (रिवायतु क़अम्बीः पेज 58, 59)

फ़ायदाः ''वुज़ू करो, अपनी शर्मगाह धो'' से यह तर्तीब मुराद नहीं बल्कि पहले इस्तिंजा करना और शर्मगाह धोना और फिर वुज़ू करना मुराद है। और यह वुज़ू मुस्तहब और ताकीदी है। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर शौकानी और शैख़ अल्बानी (रह.) यही बयान करते हैं। जबकि अहले ज़ाहिर इसके वुजूब के क़ाइल हैं। अल्लामा इब्ने दक़ीकुल ईद भी इसी तरफ़ माइल हैं कि इसमें अम्र और शर्त के सेग़े

वारिद हुए हैं। बहरहाल गुस्ल मुअख़्ख़र (देरी, लेट) करना हो तो वुज़ू करने में ग़फ़लत नहीं करनी चाजिए और जुंबी रहने को आदत भी नहीं बनाना चाहिए और वुज़ू आधा गुस्ल समझा जाता है।

बाब: 87
जुंबी अगर कुछ खाना चाहे...?

﴾87﴿
باب الْجُنُبِ يَأْكُلُ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .

(222) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) को जब गुस्ल लाज़िम आता और आप सोना चाहते तो वुज़ू कर लेते, नमाज़ वाला वुज़ू।

तख़रीज 222: सहीह मुस्लिमः 305, नसाईः 258

फ़ायदा: यानी जुंबी अगर नहा न सके, तो सोने से पहले वुज़ू कर ले।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ " وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ

(223) मुहम्मद बिन सब्बाहिल बज़्ज़ार क़ाल हद्दसना इब्ने मुबारक अन यूनुस अन ज़ोहरी की सनद से इसके हम मअनी मरवी है और इसमें इज़ाफ़ा है कि और जब आप हालते जनाबत में होते हुए कुछ खाना चाहते तो अपने हाथ धो लेते।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने वहब ने बवास्ता यूनुस इसको रिवायत किया तो खाने के क़िस्से को उनका क़ौल बना दिया यानी हज़रत आइशा (रज़ि.) पर मौक़ूफ़न रिवायत किया है। जबकि सालेह बिन अबिल अख़्ज़र बवास्ता ज़ोहरी वही बयान करता है जो इब्ने मुबारक ने कहा। (यानी नींद और खाने दोनों का ज़िक्र

إلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

किया) मगर इस सनद में शक है कि ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करने वाला उ़र्वा है या अबी सलमा।
और औज़ाई ने बवास्ता यूनुस अ़न ज़ोहरी अ़निन्नबी (ﷺ) इसी त़रह़ रिवायत किया है जैसे कि इब्ने मुबारक ने।
तख़रीज 223: (सनद स़ह़ीह़) देखिए बग़वी शरहुस्सुन्नाः 2/34

फ़ायदाः सुनन नसाई में खाने के साथ पीने का भी ज़िक्र है। (सुनन नसाईः 258) इससे यह बात मालूम होती है कि जुंबी आदमी को खाने पीने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। ताहम आ़म ह़ालात में अगर हाथ साफ़ हों, तो खाने पीने से पहले हाथ धोने ज़रूरी नहीं हैं, ताहम मुस्तह़ब (पसंदीदा) ज़रूर है।

﴿88﴾
بَابُ مَنْ قَالَ يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ

बाबः 88
जो यह कहता है कि जुंबी वुज़ू करे!

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ . تَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ .

(224) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) अगर ह़ालते जनाबत में होते और कुछ खाना चाहते या सोना चाहते तो वुज़ू कर लिया करते थे।
तख़रीज 224: स़ह़ीह़ मुस्लिमः 305, नसाईः 256

حَدَّثَنَا مُوسَى، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله

(225) ह़ज़रत अ़म्मार बिन यासिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने जुंबी आदमी के लिए रुख़्सत दी है कि जब वह कुछ खाना पीना चाहे या सोना चाहे तो वुज़ू कर लिया करे।
इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि इस ह़दीस

عليه وسلم رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ .

की सनद में यह्या बिन यअ़मर और अ़म्मार बिन यासिर के माबैन (बीच) एक आदमी का वास्ता है (यानी ह़दीस मुंक़तअ़ है) और ह़ज़रत अ़ली बिन अबी त़ालिब, इब्ने उ़मर और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि जुंबी जब खाना चाहे तो वुज़ू करे।

तख़रीज 225: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ीः 613, और इस ह़दीस को 'ह़सनुन स़ह़ीहुन' कहा है।

फ़ायदा: यह रिवायत सनदन अगरचे मुंक़तअ़ है मगर मअ़नी साबित है जैसे कि गुज़िश्ता अह़ादीस से साबित है कि जुंबी अपना ग़ुस्ल मुअख़्ख़र (लेट) करना चाहे तो मुस्तह़ब व मुअक्कद यही है कि नमाज़ वाला वुज़ू कर ले। और जुंबी रहने और (कम अज़्कम) तर्के वुज़ू को अपनी आ़दत न बनाए, मगर खाने पीने के लिए सिर्फ़ हाथ धो लेना भी काफ़ी है। मज़ीद पेश आमदा अह़ादीस देखिए।

(89) بَابٌ فِي الْجُنُبِ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ

बाब: 89 जुंबी ग़ुस्ल मुअख़्ख़र (देरी से) कर सकता है!

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي

(226) जनाब ग़ुज़ैफ़ बिन ह़ारिस कहते हैं कि मैंने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से कहा कि इर्शाद फ़र्माईए! क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ुस्ले जनाबत रात के शुरु के ह़िस़्से में कर लेते थे या आख़िर रात में? उन्होंने जवाब दिया कि कुछ औक़ात शुरु रात में करते थे और कुछ औक़ात रात के आख़िरी ह़िस़्से में। मैंने कहा, अल्लाहु अकबर! ह़म्द है उस अल्लाह की जिसने इस मामले में वुस्अ़त दी। मैंने अ़र्ज़ किया, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) रात के शुरु के ह़िस़्से में वित्र पढ़ लेते थे या आख़िर

آخِرِهِ . قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً . قُلْتُ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ . قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً . قُلْتُ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَمْ يَخْفِتُ بِهِ قَالَتْ رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَفَتَ . قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

में? उन्होंने कहा, कभी रात के शुरु में और कभी आख़िर में पढ़ते थे। मैंने कहा, अल्लाहु अकबर! हम्द है उस अल्लाह की जिसने इस मामले में वुस्अत रखी। मैंने कहा, यह फ़र्माईए, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) कुरआन मजीद ऊँची आवाज़ से पढ़ते थे या ख़ामोशी से? फ़र्माया कि कभी ऊँची आवाज़ से पढ़ते थे और कभी धीमी आवाज़ और ख़ामोशी से। मैंने कहा, अल्लाहु अकबर! हम्द है उस अल्लाह की जिसने इस मामले में वुस्अत रखी।

तख़रीज 226: (सनद हसन) इब्ने माजा: 1354, नसाई: 223, 224, 405

फ़वाइद व मसाइल: (1) सालेहीने उम्मत के सवालात पर ग़ौर किया जाए कि उनकी बुनियाद अल्लाह की रज़ा की तलब, उसकी कुर्बत का शौक़ और रसूलुल्लाह (ﷺ) की सीरत का इत्तिबाअ होता था। **(2)** गुस्ले जनाबत को मुअख़्ख़र (लेट) करना मुबाह (जाइज़) है, मगर मुस्तह्ब व मुअक्कद यह है कि वुज़ू करके सोया जाए। **(3)** नमाज़े वित्र को रात के किसी भी वक़्त अदा करना मुबाह है, मगर तर्ग़ीब और तर्जीह यही है कि उसे रात के आख़िरी हिस्से में (नमाज़े तहज्जुद के बाद) अदा किया जाए। **(4)** रसूलुल्लाह (ﷺ) और इसी तरह सहाबा (रज़ि.) की तिलावते कुरआन का हक़ीक़ी वक़्त और मौक़ा रात में नमाज़े तहज्जुद हुआ करता था। **(5)** इस क़िराअत में अहले ख़ाना की रिआयत रखना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा ऊँची आवाज़ से दूसरों को तश्वीश (तक्लीफ़) न हो।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ،

(227) हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया "जिस घर में तस्वीर, कुत्ता और जुंबी मौजूद हों उसमें फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।"

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ " .

तख़रीज 227: (सनद हसन) नसाईः 262, इब्ने माजाः 3650, इब्ने हिब्बानः 1202, हाकिमः 1/171

फ़ायदा: इस हदीस में ''मलाइका के दाख़िल न होने से मुराद'' रहमत के फ़रिश्ते हैं। किरामन कातेबीन इंसान से जुदा नहीं होते। और तस्वीर से मुराद बुत और रूह वाली चीज़ों की तस्वीर है जबकि उसे ज़ीनत के लिए लटकाया गया हो। अगर उसकी एहानत होती हो तो एक हद तक रुख़सत है। और कुत्ते से मुराद आम कुत्ता है न कि शिकारी या हिफ़ाज़त वाला, क्योंकि यह जाइज़ हैं। यह रिवायत शैख़ अल्बानी के नज़दीक ज़ईफ़ है, इसलिए जुंबी आदमी की बाबत यह कहना सही नहीं कि उसकी वजह से फ़रिश्ते नहीं आते। ताहम बशर्ते सेहत, इसकी तौजीह यह मुम्किन है कि जुंबी शख़्स तसाहुल (सुस्ती) का मुज़ाहिरा करते हुए गुस्ल न करे और नमाज़ें भी ज़ाया कर दे। तो किसी घर में ऐसे जुंबी का वुजूद यक़ीनन रहमत के फ़रिश्तों के आने से मानेअ (रुकावट) हो सकता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثُ وَهَمٌ . يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ .

(228) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हालते जनाबत में सो जाया करते थे, बग़ैर उसके कि पानी को हाथ लगाएँ।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हमसे हसन बिन अली वासती ने बयान किया वह कहते हैं कि मैंने यज़ीद बिन हारून से सुना, वह कहते थे कि यह हदीस वहम है। यानी अबू इस्हाक़ की हदीस।

तख़रीज 228: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ीः 118, इब्ने माजाः 581, 583, तल्ख़ीसुल हबीरः 1/141, बैहक़ीः 1/201, 202

फ़ायदा: इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस हदीस का वहम होना नक़्ल किया है और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने भी यही इशारा दिया है, मगर यह भी फ़र्माया है कि अबू इस्हाक़ से यह रिवायत शुअबा, सौरी और दीगर कई एक ने रिवायत की है। हमारे दौरे हाज़िर के मुहक़्क़िक़ और मुहद्दिसीने किराम

अ़ल्लामा अह़मद मुह़म्मद शाकिर और शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस ह़दीस को सही कहा है। (देखिए सुनन तिर्मिज़ी, शरह़ अह़मद मुह़म्मद शाकिरः 1/202-206 और आदाबुज़्ज़फ़ाफ़ अज़्शैख़ अल्बानी रह़.) और बतौरे ख़ुलासा अ़ल्लामा इब्ने कुतैबा की ''तावील मुख़्तलिफ़ुल ह़दीस'' (306) से यह इक़्तिबास पेशे ख़िदमत हैः ''(ज़िक्र किये गए मसले में) यह सब उमूर जाइज़ हैं यानी जो चाहे जिमाअ़ के बाद नमाज़ वाला वुज़ू करके सो जाए और जो चाहे सिर्फ़ शर्मगाह और अपने हाथ धो ले और जो चाहे वैसे ही सो रहे। मगर वुज़ू करना अफ़ज़ल है और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कभी तो पहली सूरत पर अ़मल किया ताकि फ़ज़ीलत साबित हो और कभी दूसरी पर, ताकि रुख़्सत रहे और लोगों को अ़मल में आसानी हो। लिहाज़ा जो अफ़ज़ल पर अ़मल करना चाहे कर ले और जो रुख़्सत पर किफ़ायत करना चाहे कर ले।'' वल्लाहु आ़लम बिस्सवाब.

बाबः 90
जुंबी आदमी का क़ुरआन पढ़ना...?

(90)
باب فِي الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

(229) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन सलमा (रज़ि.) कहते हैं कि मैं और मेरे साथ दो आदमी और थे, हम ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) के पास आए। एक आदमी हमारी बिरादरी का था और दूसरा मेरा ख़्याल है, बनू असद से था। उन दोनों को ह़ज़रत अ़ली ने एक जानिब रवाना किया और कहा कि तुम दोनों तवाना और ताक़तवर हो, लिहाज़ा अपने दीन (का फ़र्ज़ अदा करने) में ख़ूब हिम्मत दिखाना। फिर खड़े हुए और बैतुल ख़ला में चले गऐ, फिर निकले और पानी मँगवाया, उससे एक चुल्लू लिया और उससे (अपना हाथ मुँह) धोया और क़ुरआन पढ़ने लग गए। ह़ाज़िरीन ने इस पर एतिराज़ किया तो उन्होंने कहा कि नबी (ﷺ) बैतुलख़ला से निकलते और हमें

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ - رضى الله عنه - أَنَا وَرَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ - أَحْسِبُ فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌّ - رضى الله عنه - وَجْهًا وَقَالَ إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا . ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ يَحْجُزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَىْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ

कुरआन पढ़ाते थे। और हमारे साथ गोश्त खाते थे और आपके लिए कोई चीज़ कुरआन पढ़ने से मानेअ न होती थी इल्ला यह कि जनाबत से हों।

तख़रीज 229: (सनद हसन) नसाई:266, इब्ने माजा: 594, तिर्मिज़ी:164, इब्ने ख़ुज़ैमा:208, इब्ने हिब्बान:192-193 व इब्नुल जारूद:94, वल्हाकिम: 4/107, (फ़त्हुल बारी:1/408,:305)

फ़ायदा: इस रिवायत से जुंबी के लिए कुरआने करीम की तिलावत मम्नूअ साबित होती है। लेकिन इसकी सेहत मुत्तफ़कुन अलैहि नहीं। दीगर मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक यह रिवायत ज़ईफ़ है। नीज़ दीगर वह अहादीस भी, जिनमें हालते जनाबत में कुरआन पढ़ने से रोका गया है, ज़ईफ़ हैं। चुनाँचे इमाम बुख़ारी (रह.) ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से नक़्ल किया है कि ''वह जुंबी के लिए क़िराअते कुरआन में कोई हर्ज न समझते थे।'' यानी उनके नज़दीक जुंबी का कुरआन पढ़ना जाइज़ है। इमाम बुख़ारी, इमाम इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम और इमाम इब्ने हज़्म (रह.) वग़ैरह का मौक़िफ़ भी यही है। तफ़्सील के लिए देखिए (नैलुल औतार शौकानी, बाब तहरीमुल क़िराअत अलल हाइज़ वल जुंबि व सहीह बुख़ारी, बाब तक़्ज़िल हाइज़ुल मनासिक कुल्लहा)

﴾91﴿ بَابٌ فِي الْجُنُبِ يُصَافِحُ

बाब: 91 जुंबी का मुसाफ़ा करना

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي جُنُبٌ . فَقَالَ " إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ " .

(230) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) उनसे मिले और (मुसाफ़ा के लिए) उनकी तरफ़ अपना हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि मैं जुंबी हूँ। आपने फ़रमाया, ''मुसलमान नापाक (पलीद) नहीं होता।''

तख़रीज 230: सहीह मुस्लिम: 372

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَبِشْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ فَاخْتَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ " أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " . قَالَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ . فَقَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ " . وَقَالَ فِي حَدِيثِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنِي بَكْرٌ .

(231) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझसे मदीने के एक रास्ते में मिले और मैं जुंबी था, लिहाज़ा मैं वहाँ से खिसक गया और जाकर गुस्ल किया, फिर वापिस आया। आपने पूछा, अबू हुरैरा (रज़ि.) तुम कहाँ थे? मैंने कहा, मैं जनाबत से था, मैंने मुनासिब न जाना कि तहारत के बग़ैर आपकी मज्लिस में बैठूँ। आपने फ़र्माया, सुब्हानल्लाह! मुसलमान नजिस नहीं होता।''

शैख़ ने बिश्र की ह़दीस में कहा, हुमैद क़ाला ह़द्दसनी बक्र...

तख़रीज 231: सह़ीह़ बुख़ारीः 283, व मुस्लिमः 371

फ़वाइद व मसाइलः (1) जुंबी से मसास (टच करना, छूना) व मुसाफ़ा बिला शुब्हा जाइज़ है। **(2)** उसका पसीना और लुआब भी पाक है। **(3)** मुसलमान का नापाक होना एक हुक्मी और आरज़ी कैफ़ियत होती है जिसे 'मुह़दिस' कहते हैं (मीम के ज़म्मा और दाल के कसरा के साथ) इसके बिल्मुक़ाबिल मुश्रिक मअनवी तौर पर नजिस होता है। अल्लाह तआला ने फ़र्माया है (इन्नमल् मुश्रिकूना नजस) (तौबाः 28) **(4)** गुस्ले जनाबत को मुअख़्ख़र (देरी से) किया जा सकता है मगर अफ़ज़ल व औला (बेहतर) यह है कि उस दौरान में वुज़ू कर ले। जैसे कि गुज़िश्ता बाबत 89 में बयान हुआ है। **(5)** सुब्ह़ानल्लाह! कलिमा बतौर ताज्जुब भी इस्तेमाल होता है।

बाब: 92
जुंबी का मस्जिद में दाख़िल होना

﴿92﴾
باب فِي الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رضى الله عنها تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ " وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ " . ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ " وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ .

(232) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए और (देखा कि) कुछ अस्हाब के घरों के दरवाज़े मस्जिद की जानिब खुलते हैं तो आपने फ़र्माया ''उन घरों के दरवाज़ों को मस्जिद के रुख़ से फेर दो।'' आप दोबारा तशरीफ़ लाए और उन लोगों ने कोई तब्दीली न की थी, इस बिना पर कि शायद कोई रुख़सत नाज़िल हो जाए। तो आप उनकी तरफ़ निकले और फ़र्माया, ''उन घरों के रुख़ मस्जिद की जानिब से फेर लो। बेशक मैं मस्जिद को हाइज़ा औरत और किसी जुंबी के लिए हलाल नहीं करता।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि रावी हदीस (अफ़्लत बिन ख़लीफ़ा का दूसरा नाम) फुलैत आमिरी (भी) है।

तख़रीज 232: (सनद हसन) बैहक़ीः 2/442, 443, व सहीहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 1327

फ़ायदाः यह हदीस बएतिबार सनद ज़ईफ़ है। कुरआन मजीद में इस तरह आया है कि जुंबी मस्जिद में से रास्ता पार करते गुज़र सकता है ठहर नहीं सकता और यही हुक्म हाइज़ा और निफ़ास वाली औरत का है, फ़र्माया (या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलूना वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू) (निसाअः 43) ''ऐ ईमानवालों! जब

तुम शराब की मदहोशी में हो तो नमाज़ के क़रीब मत जाओ यहाँ तक कि (तुम्हें होश आ जाए और) जानने बूझने लगो जो तुम कहते हो और नमाज़ के क़रीब न जाओ जबकि तुम हालते जनाबत में हो यहाँ तक कि गुस्ल कर लो, हाँ! मस्जिद में से गुज़र सकते हो।''

बाब: 93
जुंबी आदमी लोगों को भूले से नमाज़ पढ़ाए

﴿93﴾
بابٌ فِي الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

(233) हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि (एक दिन) रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ में दाख़िल हुए, फिर अपने हाथ से इशारा किया कि अपनी अपनी जगहों पर ठहरे रहो। फिर तशरीफ़ लाए तो (इस हाल में थे कि) आपके सिर से पानी की बूँदें टपक रही थीं और आपने उन्हें नमाज़ पढ़ाई।

तख़रीज 233: (सनद हसन) अहमदः 5/45, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 1629, व इब्ने हिब्बानः 2232, व इब्ने माजाः 1220 वग़ैरिही

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ ‏.‏

(234) हज़रत हम्माद बिन सलमा ने ऊपर वाली सनद से इसके हम मअ़नी बयान किया। और इस रिवायत के शुरू में है कि आपने तक्बीर कही और आख़िर में है कि जब नमाज़ पूरी की तो फ़र्माया, ''मैं महज़ इंसान हूँ और मैं जनाबत से था।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इसे ज़ोहरी से अबू सलमा ने, उन्होंने अबू हुरैरा (रज़ि.) से

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ فَكَبَّرَ ‏.‏ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ ‏"‏ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ

الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ " كَمَا أَنْتُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَوْمِ أَنِ اجْلِسُوا فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَبَّرَ.

रिवायत किया तो कहा, जब आप अपने मुसल्ले पर खड़े हो गए और हमें इंतिज़ार हुआ कि आप तक्बीर कहें तो आप वहाँ से चल दिये और फ़र्माया, ''जैसे हो (वैसे ही ठहरे रहो!'') और इसे अय्यूब और इब्ने औ़न और हिशाम (तीनों) ने मुह़म्मद यानी इब्ने सीरीन से (मुर्सल तौर पर) नबी (ﷺ) से रिवायत किया है कि आपने तक्बीर कही, फिर अपने हाथ से लोगों की त़रफ़ इशारा किया, ''बैठ जाओ''। और ख़ुद चले गए और ग़ुस्ल किया। और इसी त़रह़ मालिक ने इस्माईल बिन अबी ह़कीम से उन्होंने अ़त़ा बिन यसार से रिवायत किया और यह कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक नमाज़ में तक्बीर कही। इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं और ऐसे ही मुस्लिम बिन इब्राहीम ने हमें अपनी सनद से बयान किया कि हमसे अबान ने बयान किया, वह यह़्या से रिवायत करते हैं वह रबीअ़ बिन मुह़म्मद से वह नबी (ﷺ) से कि आपने तक्बीर कही।

तख़रीज 234: (सनद ह़सन) अह़मदः 5/41, तौह़फ़तुल मोह़ताजः 536, 537

फ़वाइद व मसाइलः यह वाक़िया दो त़रह़ से रिवायत हुआ है। पहला ह़दीसे अबूबक्रा (रज़ि.) में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ में दाख़िल हुए और तक्बीर कही, जैसे कि इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने चंद शवाहिद पेश किये हैं। दूसरा रिवायत अबू हुरैरा (रज़ि.) में है कि आपने तक्बीर कहने से पहले ही इशारा किया, उन दोनों में तत़्बीक़ मुम्किन है कि (दख़ला फ़ी स़लातिन) या (कब्बरा फ़ी स़लातिन) का मअ़नी काम का इरादा है यानी (अरादा अंय्यदख़ुला फ़ी स़लातिन) या (अरादा अंय्युकब्बिरा फ़ी स़लातिन) मुराद है। क़ाज़ी अ़याज़ और क़ुर्तुबी ने इन रिवायात के पेशेनज़र दो वाक़ियात का एह़तिमाल पेश किया है जबकि बुख़ारी व मुस्लिम में ह़दीसे अबू हुरैरा (रज़ि.) ही मंक़ूल है। (स़ह़ीह़ बुख़ारीः 275, स़ह़ीह़ मुस्लिमः 605)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الأَزْرَقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، - إِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ - حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ لِلنَّاسِ " مَكَانَكُمْ " . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ . وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ وَقَالَ عَيَّاشٌ فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ .

(235) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नमाज़ के लिए इक़ामत कही गई और लोगों ने सफ़ें बना लीं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए यहाँ तक कि जब अपनी जगह पर खड़े हो गए तो आपको याद आया कि आपने ग़ुस्ल नहीं किया है तो लोगों से फ़र्माया, "अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो।" फिर आप अपने घर गए, फिर हमारे पास वापिस आए तो आपके सिर से पानी की बूँदें टपक रहे थे और आपने ग़ुस्ल किया था (और उस बीच) हम सफ़ों में खड़े रहे। यह इब्ने हर्ब के लफ़्ज़ हैं जबकि अयाश के लफ़्ज़ हैं, हम बराबर खड़े रहे, आपका इंतिज़ार करते रहे यहाँ तक कि आप तशरीफ़ लाए और ग़ुस्ल करके आए।

तख़रीज 235: सहीह बुख़ारी: 639, 640, व मुस्लिम: 605

फ़वाइद व मसाइल: **(1)** मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) अहकामे शरीअत के इसी तरह पाबन्द थे जैसे कि बाक़ी अफ़राद, सिवा उन उमूर के जिनमें आपको ख़ुसूसियत दी गई थी। **(2)** जिसे मस्जिद में जनाबत लाहिक़ हो जाए (एहतिलाम हो जाए) उसके लिए ज़रूरी नहीं कि तयम्मुम करके बाहर निकले जैसे कि कुछ का ख़याल है। **(3)** इक़ामत और तक्बीर में किसी मअक़ूल सबब से फ़ासला हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, दोबारा इक़ामत कहने की ज़रूरत नहीं। **(4)** मुक़्तदियों को चाहिए कि अपने मुक़र्ररा इमाम का इंतिज़ार करें, अगर खड़े भी रहें तो जाइज़ है।

बाब: 94
नींद से बेदारी पर इंसान अपने जिस्म या कपड़ों में नमी महसूस करे तो...?

﴾94﴿
بابٌ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِي مَنَامِهِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا قَالَ " يَغْتَسِلُ " . وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ " لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ " . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ " نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " .

(236) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया गया कि इंसान (अपने जिस्म या कपड़ों पर (नमी महसूस करता है मगर उसे एहतिलाम (या ख़्वाब) याद नहीं आता। आपने फ़र्माया, 'ग़ुस्ल करे'' और उस आदमी के बारे में पूछा गया जो समझता है कि उसे एहतिलाम हुआ है मगर (जिस्म या कपड़ों पर) कोई नमी नहीं पाता? आपने फ़र्माया ''उस पर ग़ुस्ल नहीं।'' तो उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने कहा कि अगर औरत इसी तरह देखे तो क्या उस पर ग़ुस्ल है? आपने फ़र्माया, हाँ! औरतें (भी) बिला शुब्हा मर्दों ही की मानिन्द हैं।''

तख़रीज 236: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, अत्तहारत: 113, व इब्ने माजा: 612

फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम यह रिवायत और भी कई तुरुक़ (सनदों) से मरवी है, इस वजह से कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक यह रिवायत उन तुरुक़ (सनदों) की वजह से क़वी हो जाती है। (अल्मौसूअतुल हदीसिंया: 43/265, 266) शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसकी तहसीन की है। देखिए (मिश्कात लिल्अल्बानी: 441) इसके अलावा सहीह मुस्लिम की रिवायत से भी इसमें बयानकर्दा मसले का इस्बात होता है, वह रिवायत है कि हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और पूछा कि क्या एहतिलाम होने की सूरत में (जिस तरह मर्द ग़ुस्ल करता

है) औरत पर भी ग़ुस्ल है? आपने फ़र्माया हाँ! जब वह पानी देखे।'' (सहीह मुस्लिम, अल्हैज़: 313) इससे वाज़ेह है कि इस मामले में मर्द और औरत के बीच कोई फ़र्क़ नहीं। ख़्वाब (हालते नींद) में जिसको भी एहतिलाम हो जाए, उसे याद हो या न याद हो। लेकिन अगर उसके कपड़े गीले हों तो उस पर ग़ुस्ल वाजिब है। बशर्तेकि उसके कपड़े इस तरह गीले न हों जैसे पेशाब से गीले होते हैं, क्योंकि उस सूरत में उस पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं होगा। और अगर उसे ख़्वाब में एहतिलाम तो याद हो, लेकिन उसकी कोई अलामत (नमी) उसके कपड़ों पर न हो तो ग़ुस्ल वाजिब नहीं होगा।

﴿95﴾ باب فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيَّةَ، - وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ أَمْ لاَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَأَقْبَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " تَرِبَتْ يَمِينُكِ

बाब: 95
औरत (ख़्वाब में) वह कुछ देखे जो मर्द देखता है तो...?

(237) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि हज़रत उम्मे सुलेम अंसारिया (रज़ि.)... वालिदा हज़रत अनस (रज़ि.)... ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! बिला शुब्हा अल्लाह तआला हक़ बात से नहीं शर्माता। यह फ़र्माइए कि जब औरत ख़्वाब में वह कुछ देखे जो मर्द देखता है तो क्या वह ग़ुस्ल करे या नहीं? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''चाहिए कि ग़ुस्ल करे जब वह पानी (निकलने) का असर महसूस करे।'' हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि मैं उस (उम्मे सुलेम) की तरफ़ मुतवज्जह हुई और कहा, उफ़! भला औरत भी कोई ऐसे देखती है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया, ''तेरा दायाँ हाथ ख़ाक आलूदा हो (बच्चे में) मुशाबिहत कहाँ से आती है?''

يَا عَائِشَةُ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَى عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَيُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ مُسَافِعٌ الْحَجَبِيُّ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ . وَأَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा कि ज़ुबेदी, अ़क़ील, यूनुस और ज़ोहरी के भतीजे (मुह़म्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिम, चारों ने) ज़ोहरी से, और ऐसे ही इब्ने अबिल वज़ीर (इब्राहीम बिन उ़मर) ने बवास्ता मालिक, ज़ोहरी से इसी त़रह़ रिवायत किया है (यानी यह मुकालमा (बातचीत) ह़ज़रत आ़इशा और उम्मे सुलेम के माबेन (बीच) हुआ है) नीज़ मुसाफ़ेअ ह़जबी ने (भी) ज़ोहरी की मुवाफ़िक़त में बवास्ता उ़र्वा ह़ज़रत आ़इशा से यही रिवायत किया है, मगर हिशाम बिन उ़र्वा बवास्ता उ़र्वा अ़न ज़ेनब बिन्ते अबी सलमा की सनद से मरवी है कि ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने बयान किया कि उम्मे सुलेम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई थी।

तख़रीज 237: स़ह़ीह़ मुस्लिमः अल्ह़ैज़ः 314

फ़वाइद व मसाइलः (1) इमाम अबू दाऊद (रह़.) अपनी बह़स में ज़ोहरी और हिशाम बिन उ़र्वा के माबेन (बीच) इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र कर रहे हैं कि यह मुकालमा ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) का है या ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का, तो इमाम स़ाह़ब के नज़दीक तर्जीह़ ज़ोहरी की रिवायत को है यानी ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि) के मुकालमे को। उन्होंने उसी के शवाहिद ज़िक्र किये हैं, मगर क़ाज़ी अ़याज़ की तह़क़ीक़ में यह मकालमा ह़ज़रत उम्मे सलमा और उम्मे सुलेम के माबैन (बीच) हुआ है। इस त़रह़ तर्जीह़ हिशाम बिन उ़र्वा की रिवायत को होगी और इमाम बुख़ारी (रह़.) का मैलान भी इसी त़रफ़ है। (स़ह़ीह़ बुख़ारीः 130) ताहम अ़ल्लामा नववी (रह़) ने कहा कि ऐ़न मुम्किन है कि दोनों ही इस मौक़े पर मौजूद हों और दोनों ने ताज्जुब का इज़्हार किया हो, वल्लाहु आ़लम! (औ़नुल मअ़बूद) **(2)** ह़ज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) का यह जुम्ला जो उन्होंने अपने सवाल से पहले कहा कि ''अल्लाह तआ़ला ह़क़ से नहीं शर्माता'' उसके कमाल व ह़ुस्ने अदब पर दलील है, यानी जो बात उर्फ़न (आम त़ौर पर) ज़ुबान पर नहीं लाई जाती और मुझे उसकी शरअ़न ज़रूरत है, बताई जाए। **(3)** उम्महातुल मोमिनीन का इस सवाल पर इज़्हारे ताज्जुब दलील है कि यह ''कमाल दर्जे की त़य्यिबात व त़ाहिरात'' थीं, इस ह़द तक कि उन्हें ख़्वाब में भी कभी बुराई का ख़्याल न आया था। (मिन अफ़ादातुश्शैख़ सुल्त़ान मह़मूद रह़.)

﴿96﴾
بابٌ فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الْغُسْلِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ - هُوَ الْفَرَقُ - مِنَ الْجَنَابَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ . قَالَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ

बाब: 96
पानी की मिक़्दार (मात्रा), जो ग़ुस्ल के लिए काफ़ी हो सकती है

(238) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बर्तन फ़रक़ से ग़ुस्ले जनाबत कर लिया करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि मअमर ने बवास्ता ज़ोहरी इस हदीस में रिवायत किया है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बर्तन से ग़ुस्ल कर लिया करते थे जिसमें एक फ़रक़ के बराबर पानी आता था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि इब्ने उयेयना ने भी हदीसे मालिक की मानिन्द रिवायत किया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं मैंने इमाम अहमद बिन हंबल (रह) से सुना, वह कह रहे थे कि फ़रक़ (एक बर्तन है) इसमें बएतिबारे मिक़्दार सौलह रतल आते हैं और मैंने उनको सुना, कह रहे थे कि इब्ने अबी ज़िब का साअ (बएतिबारे वज़न) के पाँच रतल और तिहाई रतल के बराबर होता है। कहा गया कि जो लोग साअ को आठ रतल के बराबर बताते हैं? उन्होंने फ़र्माया कि उनका क़ौल (सही और) महफ़ूज़ नहीं है।

कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद को सुना, वह कह

أَوْفَى . قِيلَ الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ قَالَ الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ . قَالَ لاَ أَدْرِي .

रहे थे कि जो शख़्स हमारे इस रतल के मुताबिक़ पाँच रतल और एक तिहाई रतल (शरई एक साअ) सदक़ा फ़ित्रा अदा कर दे, तो उसने पूरा फ़ित्राना अदा कर दिया। कहा गया (मदीने की) सैहानी खजूर भारी होती है। कहा, सैहानी बेहतरीन खजूर है? कहा, मैं नहीं जानता।

तख़रीज 238: सहीह मुस्लिम, अल्हैज़ः 319, अल्मौत्ताः 1/44, 45, व रवाहुल बुख़ारीः 250

फ़वाइद व मसाइलः (1) (फ़रक़) तांबे का बर्तन होता था जिससे चीज़ें भरकर नापी जाती थीं। रतल के हिसाब से उसका वज़न सौलह रतल बनता था। सहीह मुस्लिम में सुफ़्यान बिन उ़येयना से उसकी कुमियत को तीन साअ बयान किया गया है। राक़िम मुतर्जिम ने अपने यहाँ मौजूद मुद्द से इसका हिसाब लगाया तो हमारे राइजुल वक़्त पैमाने से उसकी कुमियत नौ लीटर और छः मिलीलीटर बनती है। हदीसः 95 के फ़वाइद में इसकी वज़ाहत की गई है। **(2)** कुछ अहादीस में है कि पानी की यह मिक़्दार (मात्रा) सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस्तेमाल की और कुछ में है कि हज़रत आइशा और रसूलुल्लाह (ﷺ) दोनों ने। और यह भी साबित है कि आप एक साअ या सवा साअ से गुस्ल कर लिया करते थे, तो इनमें तत्बीक़ (हल) आसान है कि यह मुख़्तलिफ़ अहवाल और मवाक़ेअ का बयान है। इस बाब की अहादीस में यह बात ख़ास क़ाबिले मुलाहिज़ा है कि ''एक बर्तन से गुस्ल किया'' और ''हम गुस्ल कर लिया करते थे।'' यानी इससे मज़ीद पानी और दूसरा बर्तन तलब नहीं करते थे। बख़िलाफ़ हमारे आम मामूलात के जिसमें इसराफ़ होता है। मज़्कूरा रिवायात में बयान की गई मिक़्दार (मात्रा) अगरचे हत्मी नहीं है ताहम मुस्तहब ज़रूर है कि इंसान इसी क़द्र पानी पर किफ़ायत करे और इस्राफ़ से परहेज़ करे।

नोट-मल्हूज़ः इमाम अहमद का आख़िरी मकूला क़ाबिले हल है कि 'साअ' भरने का पैमाना है और रतल वज़न करने का। एक साअ में पाँच रतल और तिहाई रतल ग़ल्ला या खजूर वग़ैरह आती है, मगर साइल ने जब कहा कि ''मदीने की सैहानी खजूर भारी होती है'' तो फ़र्माया कि यक़ीनन उम्दा खजूर है। फिर आपने कहा कि ''मैं नहीं जानता'' ग़ालिबन इबारत मुख़्तसर रह गई है इसलिए समझा गया है कि आपका मक़्सद यह था कि इसका भारी होना पानी की काश्त की वजह से होता है या किसी और वजह से है? ''मैं नहीं जानता।'' जुम्ले की दूसरी तौजीह यह भी है जिसे साहिबे बज़्लुल मज्हूद ने ज़िक्र किया है कि सैहानी खजूर से सदक़-ए-फ़ित्र अदा करें तो वज़न में भारी होने की वजह से (पाँच रतल और

तिहाई रत्ल) स़ाअ भरने से कम रह जाती है, तो क्या इस वज़न से स़दक़ा दुरुस्त होगा? आपने कहा, खजूर तो उ़म्दा है, मगर मालूम नहीं कि स़दक़ा अदा हुआ या नहीं, वल्लाहु अ़ा'लम!

﴾97﴿ بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

बाब: 97 गुस्ले जनाबत का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا " . وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا .

(239) ह़ज़रत जुबैर बिन मुत्इम (रज़ि.) रावी हैं कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ गुस्ले जनाबत का ज़िक्र किया तो आपने फ़र्माया, ''मगर मैं तो अपने सिर पर पानी के तीन लप डालता हूँ।'' और साथ ही आपने अपने दोनों हाथों से इशारा किया।

तख़रीज 239: स़ह़ीह़ बुख़ारी, अल्गुस्लः 254, व मुस्लिम, अल्हैज़ : 327

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَىْءٍ نَحْوِ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ .

(240) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को गुस्ले जनाबत करना होता तो दूध के डोल की त़रह़ का बर्तन त़लब करते। फिर अपने दोनों हाथों से पानी लेते और अपने सिर की दाईं जानिब से शुरू करते फिर बाईं जानिब फिर अपने दोनों हाथों से पानी लेते और अपने सिर पर डालते थे।

तख़रीज 240: स़ह़ीह़ बुख़ारी, अल्गुस्लः 258, व मुस्लिम, अल्हैज़ः 318

मल्ह़ूज़ाः (ह़िलाब) का तर्जुमा 'दूध का बर्तन' ही राजेह़ है जैसे कि स़ाह़िबे औ़नुल मअ़बूद ने नक़्ल

किया है कि सहीह अबू अवाना में अबू आसिम से इसकी तफ़्सील यूँ वारिद है कि यह हर तरफ़ से बालिश्त से क़द्रे कम होता था। बैहक़ी की रिंवायत में इसको कूज़े के बराबर बताया गया है जिसमें आठ रतल पानी आ सकता है यानी डेढ़ साअ

(241) जनाब जुमेअ बिन उमेर... और यह बनी तैमुल्लाह बिन सअल्बा के ख़ानवादे से हैं... कहते हैं कि मैं अपनी वालिदा और ख़ाला के साथ हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ आया था। उन दोनों में से एक ने उनसे पूछा कि ग़ुस्ल में आप लोग कैसे करते थे? तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, नबी (ﷺ) (पहले) नमाज़ के वुज़ू की तरह का वुज़ू करते फिर अपने सिर पर तीन बार पानी डालते थे, मगर हम अपनी चोटियों की वजह से पाँच बार डालती थीं।

तख़रीज 241: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, अत्तहारतः 574

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ، - أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ - قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا إِحْدَاهُمَا كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الْغُسْلِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ .

फ़ायदाः यह रिवायत ज़ईफ़ है, आगे हदीस 251 आ रही है, इससे वाज़ेह है कि औरत भी मर्द की तरह सिर पर तीन बार ही पानी डाले।

(242) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ग़ुस्ले जनाबत करते... सुलेमान की रिवायत में है ... इब्तिदा करते तो अपने दाएँ हाथ से बाएँ पर पानी डालते। और मुसद्दद की रिवायत में है अपने दोनों हाथ धोते, बर्तन को अपने दाएँ हाथ पर ओंधा करते। उसके बाद दोनों मशाइख़ रिवायत करने में मुत्तफ़िक़ हैं कि फिर अपनी शर्मगाह धोते और बक़ौल मुसद्दद अपने बाएँ हाथ पर पानी डालते और

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاشِحِيُّ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ - قَالَ سُلَيْمَانُ يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ مِنْ يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ . وَقَالَ مُسَدَّدٌ

غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ . - قَالَ مُسَدَّدٌ - يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ وَرُبَّمَا كَنَتْ عَنِ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشَرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشَرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ .

बसा औक़ात वह (हज़रत आइशा) शर्मगाह का ज़िक्र किनाया से करतीं... फिर आप नमाज़ के वुज़ू की तरह का वुज़ू करते, फिर अपने हाथ पानी में डालते और अपने बालों का ख़िलाल करते, जब समझते कि जिल्द तर हो गई है या साफ़ हो गई है तो अपने सिर पर तीन लप पानी डालते (और आख़िर गुस्ल में) अगर कोई पानी बच रहता तो अपने जिस्म पर डाल लेते।

तख़रीज 242: सहीह बुख़ारी, अल्ग़ुस्लः 248, व मुस्लिम, अल्हैज़ः 316 व अहमदः 6/52

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ .

(243) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ग़ुस्ले जनाबत का इरादा करते तो अपने हाथों से शुरू करते, उन्हें धोते, फिर अपनी शर्मगाह के आसपास धोते (यानी शर्मगाह, चिड्डे, रानें और घुटनों के पीछे वाला हिस्सा धोते) और उस पर पानी बहाते फिर जब (शर्मगाह की सफ़ाई के बाद) अपने हाथों को साफ़ कर लेते तो (मज़ीद तहारत के लिए) उन हाथों को दीवार पर मारते (यानी मिट्टी से मलते) फिर वुज़ू शुरू करते और अपने सिर पर पानी डालते।

तख़रीज 243: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 6/171

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ

(244) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) ने कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) के दीवार पर हाथ मारने के निशान दिखा सकती हूँ जहाँ कि आप ग़ुस्ले

قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها لَئِنْ شِئْتُمْ لأُرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ .

जनाबत किया करते थे।

तख़रीज 244: **(सनद ज़ईफ़)** अहमद: 6/236, 237

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ، مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَغَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى نَاحِيَةً فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسًا وَلَكِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ فَقَالَ هَكَذَا هُوَ وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا .

(245) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिए ग़ुस्ल का पानी रखा। आप ग़ुस्ले जनाबत करना चाहते थे। आपने बर्तन को अपने दाएँ हाथ पर औंधा किया और उसे दो या तीन बार धोया। फिर अपनी शर्मगाह पर पानी डाला और बाएँ हाथ से उसे धोया। फिर अपना हाथ ज़मीन पर मारा और उसे धोया। फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला। अपना चेहरा और हाथ धोये, फिर अपने सिर और जिस्म पर पानी डाला। फिर आप एक तरफ़ हो गए और अपने पैर धोए। फिर मैंने आपको रूमाल दिया मगर आपने नहीं लिया और जिस्म से पानी झाड़ने लगे। (अअ़मश कहते हैं) मैंने यह बात इब्राहीम नख़ई से ज़िक्र की (कि ग़ुस्ल के बाद जिस्म पोंछा जाए या नहीं) तो उसने कहा सहाबा (रज़ि.) इसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे लेकिन आदत बना लेने को बुरा जानते थे।

तख़रीज 245: सहीह बुख़ारी, अल्ग़ुस्ल: 249, व मुस्लिम, अल्हैज़: 317

फ़वाइद व मसाइल (1): गुस्ले जनाबत हो या आम गुस्ल, मस्नून तरीक़ा यही है जो इन अहादीस में आया है कि पहले इस्तिंजा और जिस्म के नीचे के हिस्से को धोया जाए, उसके बाद वुज़ू करके बाक़ी जिस्म पर पानी बहाया जाए। इस वुज़ू में सिर पर मसह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नबी (ﷺ) के गुस्ले जनाबत से पहले वाले वुज़ू में सिर के मसह का ज़िक्र नहीं मिलता, सिर्फ़ तीन बार सिर पर पानी बहाने का ज़िक्र है। इसीलिए इमाम नसाई ने बाब बाँधा है ''गुस्ले जनाबत से पहले वुज़ू में सिर के मसह का छोड़ देना।'' इस बाब के तहत हदीस में वुज़ू का ज़िक्र करते हुए कहा गया है। ''यहाँ तक कि जब आप सिर पर पहुँचे तो उसका मसह नहीं किया, बल्कि उस पर पानी बहाया।'' (सुनन नसाई: 422) **(2)** मुख़्तलिफ़ अहादीस में वुज़ू का अंदाज़ मुख़्तलिफ़ नक़्ल हुआ है। कुछ में पैर धोने के मौक़े का बिलकुल ज़िक्र नहीं है। कुछ में सराहत है कि गुस्ल से फ़रागत के बाद धोए और कुछ में दो बार का ज़िक्र है। पहली बार में वुज़ू के साथ और दूसरी बार फ़रागत के बाद और ज़ाहिर है कि सब ही सूरतें जाइज़ हैं। **(3)** गुस्ल के बाद तौलिया का इस्तेमाल मुबाह है। न करे तो सुन्नते रसूल पर अमल के सवाब का उम्मीदवार होना चाहिए।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ فَسَأَلَنِي كَمْ أَفْرَغْتُ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي . فَقَالَ لاَ أُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَطَهَّرُ .

(246) जनाब शोअ़बा (अबू अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार मौला इब्ने अ़ब्बास) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) जब गुस्ले जनाबत करते तो अपने दाएँ हाथ से बाएँ पर सात बार पानी डालते। फिर अपनी शर्मगाह धोते। एक बार वह भूल गए कि कितनी बार पानी डाला है तो मुझसे पूछने लगे कि मैंने कितनी बार पानी डाला है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। कहा न रहे तेरी माँ! जानने से तुझे क्या मानेअ (रुकावट) हुआ? फिर वुज़ू किया जैसे कि नमाज़ के लिए होता है। फिर अपने जिस्म पर पानी डालते और कहते कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इसी तरह से तहारत हासिल किया करते थे।

तख़रीज 246: (सनद ज़ईफ़) अहमद: 1/307

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَتِ الصَّلاَةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاَةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً .

(247) सय्यदना अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) कहते हैं कि (शुरू शुरू में) नमाज़ें पचास और ग़ुस्ले जनाबत सात सात बार था। इसी त़रह वह कपड़ा जिसे पेशाब लग जाता उसका धोना भी सात बार था। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) इस बारे में (तख़फ़ीफ़ का) सवाल बराबर करते रहे यहाँ तक कि नमाज़ों को पाँच और ग़ुस्ले जनाबत और पेशाब लगे कपड़े का धोना एक बार कर दिया गया।

तख़रीज 247: (सनद ज़ईफ़) अहमद: 2/109

फ़ायदा: मसला इसी त़रह है कि ग़ुस्ले जनाबत में एक बार जिस्म पर पानी बहाना वाजिब है। ऐसे ही कपड़े का धोना भी एक ही बार है।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

(248) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''हर हर बाल के नीचे जनाबत है, लिहाज़ा अपने बालों को धोओ और जिस्म को ख़ूब साफ़ करो।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, ह़ारिस बिन वजीह की (मज़्कूरा/पिछली) ह़दीस मुंकर है और वह ज़ईफ़ है।

तख़रीज 248: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, अत्तहारत: 106, व इब्ने माजा: 597

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَرَكَ

(249) सय्यदना अ़ली (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिसने जनाबत में एक बाल की जगह भी छोड़ दी और उसे न धोया तो उसके साथ आग में ऐसे और ऐसे किया जाएगा।'' (यानी अ़ज़ाब दिया जाएगा)

مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ " . قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلاَثًا . وَكَانَ يَجِزُّ شَعْرَهُ .

हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैं इसी वजह से अपने सिर का दुश्मन बन गया हूँ, मैं इसी वजह से अपने सिर का दुश्मन बन गया हूँ, मैं इसी वजह से अपने सिर का दुश्मन बन गया हूँ। आप अपने बाल मुँडाए रखते थे।

तख़रीज 249: (सनद हसन) इब्ने माजा, अत्तहारतः 599, अत्तल्ख़ीसुल हबीरः 1/142)

फ़ायदा: मज़्कूरा (पिछली) रिवायात के मज्मूअे से वाज़ेह है कि इंसान गुस्ले जनाबत में एहतिमामन एहतियात से अपने पूरे जिस्म के तमाम हिस्सों तक पानी पहुँचाए। किसी बाल बराबर जगह का सूखा रह जाना भी बाइसे अज़ाब है अल्बत्ता औरतों को अपनी मेंढ़ियाँ न खोलने की शरअन रिआयत है, जैसे कि आगे आ रहा है।

﴿98﴾ بَابٌ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

बाब: 98 गुस्ल के बाद वुज़ू करना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ وَلاَ أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ .

(250) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) गुस्ल करते, दो रकअतें अदा करते और नमाज़े फ़ज्र पढ़ते और मैं नहीं समझती कि आप गुस्ल के बाद वुज़ू की तज्दीद करते थे। (यानी गुस्ल के बाद दोबारा वुज़ू करते थे)

तख़रीज 250: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 6/119, तिर्मिज़ीः 107, व इब्ने माजाः 579, व सहीहुल हाकिमः 1/153

फ़ायदा: गुस्ले मस्नून में पहले इस्तिंजा और वुज़ू है। लिहाज़ा गुस्ल के बाद वुज़ू के एआदे (लौटाने) की ज़रूरत नहीं बशर्तेकि शर्मगाह को हाथ न लगा हो। उरियाँ (बे कपड़ों की) हालत में वुज़ू बिलकुल सहीह होता है।

बाब: 99 क्या औरत गुस्ल में अपने सिर के बाल खोले?

﴿99﴾ باب فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنَ الْمُسْلِمِينَ - وَقَالَ زُهَيْرٌ إِنَّهَا - قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ قَالَ " إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ ثَلاَثًا " . وَقَالَ زُهَيْرٌ " تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ " .

(251) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मुसलमानों की एक ख़ातून ने पूछा... ज़ुहैर की रिवायत है कि.. ख़ुद हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मैं अपने सिर के बाल सख़्त करके बाँधती हूँ, तो क्या गुस्ले जनाबत के मौक़े पर उन्हें खोलूँ? आपने फ़र्माया, ''तेरे लिए यही काफ़ी है कि तू अपने सिर पर दोनों हाथ भरकर तीन बार पानी डाल ले। ज़ुहैर के अल्फ़ाज़ हैं (तहसी अलैहि सलास हसयातिम्मिम्माइन) (और मअनी एक ही है) और इसके बाद बाक़ी जिस्म पर पानी बहा लिया कर। इस तरह तू पाक हो जाएगी।

तख़रीज 251: सहीह मुस्लिम, अल्हैज़: 330

फ़ायदा: मर्द और औरत के गुस्ल में कोई फ़र्क़ नहीं है। यानी पहले जिस्म के नीचे हिस्से को धो लिया जाए और अगर कोई आलाइश (गन्दगी) लगी हो तो दूर कर ली जाए। उसके बाद नमाज़ वाला वुज़ू किया जाए और फिर बाक़ी जिस्म पर पानी बहाया जाए। ख़्वातीन को इजाज़त है कि गुस्ले जनाबत में उनके सिर के बाल बँधे हुए हों तो न खोलें। वैसे ही तीन लप पानी डाल लें और हर बार बालों को ख़ूब अच्छी तरह हिलाएँ और मलें ताकि पानी जड़ों तक चला जाए। इस तरह अपने तौर पर तसल्ली कर लेनी चाहिए। मगर गुस्ले हैज़ में बालों को पूरी तरह खोलना ज़रूरी है, क्योंकि रिवायात में हाइज़ा के लिए बाल खोलने का हुक्म मिलता है। (सुनन इब्ने माजा: 641)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، - يَعْنِي الصَّائِغَ - عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَتْ فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ " وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ " .

(252) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं कि एक औरत उनके पास आई और यही मसला पूछा। वह कहती हैं कि मैंने उसकी ख़ातिर रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा... और ऊपर की हदीस के हम मअनी बयान किया... इस रिवायत में है ''हर लप डालने के बाद अपने बालों की चोटियाँ निचोड़ डाल।''

तख़रीज 252: (सनद हसन) दारमीः 1161, बैहक़ीः 1/181

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا - تَعْنِي بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا - فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقِّ وَالأُخْرَى عَلَى الشِّقِّ الآخَرِ .

(253) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हममें से जब किसी को गुस्ले जनाबत की ज़रूरत होती तो वह इस तरह यानी दोनों हथेलियाँ इकट्ठी करके तीन लप पानी लिया करती और अपने सिर पर डालती। और (फिर बाक़ी जिस्म पर) एक चुल्लू लेकर उस जानिब डालती और दूसरा चुल्लू दूसरी जानिब।

तख़रीज 253: सहीह बुख़ारी, अल्गुस्लः 277

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحِلاَّتٌ وَمُحْرِمَاتٌ .

(254) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम गुस्ल किया करतीं और हमारे सिर पर लेप होता और हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ होती थीं। एहराम में और ग़ैर एहराम में भी।

तख़रीज 254: (इस्नाद सहीह) अहमदः 6/137, बैहक़ीः 1/181, 182

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ - قَالَ ابْنُ عَوْفٍ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ أَفْتَانِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الْغُسْلِ، مِنَ الْجَنَابَةِ أَنَّ ثَوْبَانَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ، اسْتَفْتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا " .

(255) जनाब शुरैह बिन उ़बेद कहते हैं कि मुझे जुबैर बिन नुफ़ैर ने ग़ुस्ले जनाबत के बारे में फ़त्वा दिया और कहा कि सौबान (रज़ि.) ने उनको बयान किया कि लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बारे में पूछा, तो आपने फ़र्माया, ''मर्द को अपने बाल पूरी तरह खोलने चाहिए और वह उन्हें अच्छी तरह धोए यहाँ तक कि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच जाए लेकिन औरत के लिए बालों को खोलना लाज़मी नहीं है। उसे सिर्फ़ अपने दोनों हाथों से तीन लप पानी डालना काफ़ी है।

तख़रीज 255: (सनद हसन)

फ़ायदा: ग़ुस्ले जनाबत में सिर पर पानी डालकर बालों को मलना भी चाहिए ताकि किसी जगह के सूखे रहने का एहतिमाल (शक बाक़ी) न रहे। ताहम ग़ुस्ले हैज़ में बालों का खोलना ज़रूरी है, जैसाकि पीछे तफ़्सील गुज़री।

﴾100﴿

باب فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ

बाब: 100
जुंबी आदमी का ग़ुस्ल करते हुए ख़िऱ्मी से सिर धोना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ

(256) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) नबी (ﷺ) के बारे में बयान करती हैं कि आप अपना सिर ख़िऱ्मी से धो लिया करते थे जबकि आप जुंबी होते और आप उसी पर किफ़ायत करते मज़ीद पानी न बहाते।

رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذَلِكَ وَلاَ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

तख़रीज 256: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 1/182

फ़ायदा: यह रिवायत ज़ईफ़ है इसलिए साबुन, शैम्पू वग़ैरह चीज़ों से सिर धोने में पानी का इस्तेमाल नागुज़ैर (जरूरी) है। पानी के बग़ैर तहारत का हुसूल मुम्किन नहीं।

﴾101﴿
باب فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

बाब: 101
वह पानी जो मर्द और औरत के बीच बहे...?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ، فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَيَّ الْمَاءَ ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ .

(257) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि जो पानी मर्द व औरत के बीच बहता है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पानी का एक चुल्लू लेते, (और) मुझ पर पानी डालते (या पानी, मज़ी या मनी पर डालते) फिर दूसरा चुल्लू लेते और उसको अपने ऊपर डाल लेते (या मज़ीद उसके ऊपर बहा देते।)

तख़रीज 257: (सनद ज़ईफ़) अहमद: 6/153,

तौज़ीह: यह रिवायत ज़ईफ़ है ताहम मफ़्हूम समझ लेना चाहिए। इसमें जुम्ला (यअख़ुज़ु कफ़्फ़म्मिम माइन यसुब्बु अलल माइ) के लफ़्ज़ (अलल माइ) को दो तरह पढ़ा गया है। **(अ)** (अलय्यल माअ) यानी अला हर्फ़े जर और य ज़मीर मुतकल्लिम मज्रूर और अल्माअ मंसूब, यसुब्बु से मफ़ऊल बिही। इस सूरत में पानी से मुराद, वह पानी है जो मर्द व औरत के बीच (ग़ुस्ल के दौरान में) बहता और टब में गिर जाता है, इससे रसूलुल्लाह (ﷺ) पानी का एक चुल्लू लेते और मुझ पर डालते, फिर दूसरा चुल्लू लेते, और अपने ऊपर डाल लेते। दूसरी सूरत **(ब)** (अलल माइ) है, हर्फ़े जर के साथ इस सूरत में अल्माइ से मुराद मज़ी या मनी है। यानी एक चुल्लू पानी लेकर पानी (यानी मज़ी या

मनी) पर डालते और फिर दूसरा चुल्लू लेते और मज़ीद नज़ाफ़त के लिए उस पर बहा देते। इससे मालूम होता है कि जुंबी के हाथ से आने वाला पानी पाक है, इसी तरह इससे अगर कोई छींटे वग़ैरह पड़ें तो कोई हर्ज नहीं।

﴾102﴿
باب فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتِهَا

बाब: 102
हाइज़ा (पीरियड वाली) औरत से मिलकर खाना और (घर में) उससे मेल जोल रखना

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْيَهُودَ، كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ " . فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ . فَجَاءَ أُسَيْدُ

(258) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि यहूदी अपनी औरतों को उनके हैज़ के दिनों में घरों से निकाल देते थे। उनके साथ इकट्ठे खाते थे, न पीते थे और न यक्जा (इकट्ठे) रहते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसके बारे में पूछा गया तो अल्लाह तआला ने यह इर्शाद नाज़िल किया (यस्अलूनक अनिल महीज..) आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं आप इनसे कह दीजिए कि यह गंदगी है। हैज़ में औरतों से अलग रहो।'' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अपनी बीवियों से घरों के अंदर इकट्ठे मिल जुलकर रहो। और तुम सबकुछ कर सकते हो सिवा निकाह (यानी जिमाअ/हमबिस्तरी) के।'' (यहूदियों को यह मालूम हुआ) तो यहूदी कहने लगे यह आदमी सब उमूर (मामलात) में हमारी मुख़ालिफ़त ही करता है। चुनाँचे हज़रत उसैद बिन हुज़ैर और अब्बाद बिन बिश्र (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत

بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا .

में आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! यहूदी ऐसे कहते हैं तो क्या हम उन हैज़ के दिनों में अमले निकाह (यानी हक़ीक़ी जिंसी अमल) भी न कर लिया करें? इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) का चेहरा बदल गया। यहाँ तक कि हमें यक़ीन था कि आप उन पर नाराज़ हुए हैं। फिर वह दोनों चले गए (उनके निकलते ही) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास दूध का हदिया आ गया तो आपने उनको पीछे से बुलवा भेजा और उन्हें दूध पिलाया। इस तरह हमें तसल्ली हुई कि आप गुस्सा नहीं हुए हैं।

तख़रीज 258: सहीह मुस्लिम, अल्हैज़: 302

फ़वाइद व मसाइल **(1)** नबी (ﷺ) क़ुरआन के शारेह (मतलब बताने वाले) और मुफ़स्सिर हैं। आपने ज़िक्र किये हुए फ़र्मान में (फ़अतज़िलुन्निसाअ फ़िल्महीज़) का सही शरई मअनी वाज़ेह फ़र्माया है और क़ुरआन को हदीस से अलग करके नहीं समझा जा सकता। **(2)** कुफ़्फ़ार, मुब्तदेईन और मुल्हिदीन (बेदीन) की मुख़ालिफ़त सिर्फ़ मत्लूब नहीं थी बल्कि क़ुरआनो सुन्नत की हुदूद में रहते हुए उनकी मुख़ालिफ़त करनी चाहिए। **(3)** रसूलुल्लाह (ﷺ) की नाराज़ी ज़ाती रंजिश की बिना पर न होती थी और उलमाए हक़ को भी इस तरह होना चाहिए।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُعْطِيهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ

(259) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं (खाना खाते हुए) हड्डी पर से गोश्त नोचती और मैं हैज़ से होती, फिर उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) को देती आप (उसे क़बूल कर लेते और) उसी जगह अपना मुँह रखते, जहाँ से मैंने खाया होता। और मैं पानी पीती फिर आपको देती, तो आप अपने लब वहीं लगाते, जहाँ से मैंने पिया होता।

فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ .

तख़रीज 259: सहीह मुस्लिम, अल्हैज़: 300

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ

(260) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बताती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपना सिर मुबारक मेरी गोद में रख देते और क़ुरआन पढ़ने लगते, जबकि मैं अय्याम (हैज़) से होती थी।

तख़रीज 260: सहीह बुख़ारीः 7549, व मुस्लिमः 301, बुख़ारीः 297)

फ़वाइद व मसाइल (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत आइशा (रज़ि.) की मुहब्बत अदीमुल मिसाल थी। **(2)** अय्यामे हैज़ और जनाबत की हालत में कोई भी मुसलमान हक़ीक़ी तौर पर नजिस नहीं होता। सिर्फ़ शरई आदाब के तहत उसे नमाज़ पढ़ने या मस्जिद में दाख़िल होने वग़ैरह से रोका गया है और इस मअ़नी में उसे 'ग़ैर ताहिर' (नापाक) कहा जाता है। **(3)** वैसे उसका लुआब और पसीना सब पाक होता है और उसके लम्स (छूने) से दूसरे ताहिर साथी पर कोई असर नहीं पड़ता। वह अपने ज़िक्रो अज़्कार और तिलावत में मशग़ूल रह सकता है, कोई हर्ज नहीं।

﴾103﴿ باب فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

बाब: 103
हाइज़ा औरत मस्जिद से कोई चीज़ उठाए (तो जाइज़ है!)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ " . فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ".

(261) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मुझे मस्जिद में से चटाई थमा दो।'' मैंने कहा, मैं हैज़ से हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया ''तेरा हैज़ तेरे हाथ में नहीं है।''

तख़रीज 261: सहीह मुस्लिम, अल्हैज़: 298

मुलाहिज़ाः इस हदीस के अल्फ़ाज़ में (मिनल मस्जिद) का ताल्लुक़ दो कलिमात से हो सकता है। (नाविलीनी) से, उस सूरत में तर्जुमा होगा, मुझे मस्जिद में से उठाकर ला दो।'' दूसरा 'क़ाल' से, तो तर्जुमा होगा ''आप (ﷺ) ने मस्जिद में से मुझे कहा कि मुझे चटाई पकड़ा दो।''

मसलाः हाइज़ा या जुंबी अगर हाथ लम्बा करके मस्जिद में से कोई चीज़ उठाए, या रखे तो जाइज़ है।

﴿104﴾ باب فِي الْحَائِضِ لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ

बाबः 104 हाइज़ा हैज़ के दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा न करे

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ نَقْضِي وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ .

(262) हज़रत मुआज़ा ने बयान किया कि एक औरत ने सय्यदा आइशा (रज़ि.) से सवाल किया कि आया हाइज़ा (अपने अय्यामे हैज़ की) नमाज़ों की क़ज़ा दे? तो उन्होंने कहा क्या तू हरूरी है? बिला शुब्हा हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के होते हुए हैज़ से होती थीं तो हम किसी नमाज़ की क़ज़ा नहीं देती थीं और न हमें उसका हुक्म ही दिया जाता था।

तख़रीज 262: सहीह मुस्लिम, अल्हैज़ः 335, व रवाहुल बुख़ारीः 321

फ़वाइद व मसाइलः ख़्वारिज को हरूरा मक़ाम की तरफ़ निस्बत करते हुए 'हरूरी' भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हज़रत अली (रज़ि.) के ख़िलाफ़ ख़ुरूज के बाद सबसे पहला इज्तिमाअ मक़ामे हरूरा में किया था जो कूफ़ा के क़रीब था। वह हाइज़ा के लिए हैज़ के दिनों की छुटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा करने के क़ाइल भी थे। उनका नज़रिया यह था कि जो कुछ क़ुरआन से साबित हो वही क़ाबिले अमल है और जो उमूरे ज़ाइदा अहादीस में आए हैं उनकी कोई शरई हैसियत नहीं है और मुर्तकिबे कबीरा काफ़िर है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ،

(263) हज़रत मुआज़ा अदविय्या ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से यही हदीस रिवायत की है। इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि उसमें यह इज़ाफ़ा है ''हमें रोज़े की क़ज़ा करने का हुक्म

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ فِيهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

दिया जाता था और नमाज़ों की क़ज़ा करने का हुक्म न दिया जाता था।''

तख़रीज 263: (सहीह) पिछली हदीस में देखें।

﴾105﴿
باب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ

बाब: 105
हाइज़ा से मुजामिअत (हमबिस्तरी) का मसला

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ " دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ " . وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ .

(264) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में जो अपनी बीवी से हालते हैज़ में मुजामिअत करता है रिवायत किया है कि आपने फ़र्माया ''एक दीनार सदक़ा करे या आधा दीनार।''

अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सही रिवायत ऐसे ही है कि ''एक दीनार या आधा दीनार।'' लेकिन शुअबा इस रिवायत को कुछ औक़ात मरफ़ूअ बयान न करते थे। (बल्कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) पर मौक़ूफ़ कर देते थे।)

तख़रीज 264: (सहीह) इब्ने माजा, बाब तहारतः 640, तिर्मिज़ीः 136, 137, रक़मः 266, व हदीसे अबी दाऊद सहहहुल हाकिमः 1/171, 172

फ़वाइद व मसाइलः (1) इमाम अबू दाऊद (रह.) यह कहना चाहते हैं कि हर्फ़ अव ही सही रिवायत है और इसमें इख़्तियार दिया गया है कि एक दीनार दे या आधा और उसके बिल्मुक़ाबिल दीगर रिवायात जिनमें कुछ तफ़्सील है या सिर्फ़ आधे दीनार का ज़िक्र है वह इस हदीस के पाये की नहीं हैं। मालूम रहे कि दीनार हमारे मौजूदा मेअयार के मुताबिक़ सवा चार ग्राम से कुछ ज़्यादा सोने का होता था। **(2)** उन मख़सूस अय्याम (दिनों) में जिंसी अमल हराम है। अगर हो जाए तो सदक़ा देना चाहिए क़ायदा है कि (इन्नल हसनाति युज़्हिब्नस्सय्यिआत) (हूदः 114) 'नेकियाँ गुनाहों को

इज़ाला (ख़त्म) कर देती है।''

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ .

(265) सय्यदना इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का इर्शाद है, अगर शौहर अपनी बीवी के पास ख़ूने हैज़ के इब्तिदाई (शुरुआती) दिनों में आए तो एक दीनार दे और अगर ख़ून रुक जाने के दिनों में आए तो आधा दीनार दे। इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि इब्ने जुरैज ने अ़ब्दुल करीम से और उन्होंने मिक़्सम से ऐसे ही रिवायत किया है।

तख़रीज 265: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 1/318

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً وَرَوَى الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَىْ دِينَارٍ " . وَهَذَا مُعْضَلٌ .

(266) ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अगर कोई आदमी अपनी बीवी के पास उसके अय्यामे हैज़ में आए, तो चाहिए कि आधा दीनार स़दक़ा दे।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, अ़ली बिन बज़ीमा ने मिक़्सम से, वह नबी (ﷺ) से मुर्सलन बयान करते हैं।

और औज़ाई ने यज़ीद बिन अबी मालिक से, उन्होंने अ़ब्दुल ह़मीद बिन अ़ब्दुर्रह़मान से, उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया, आपने उसे हुक्म दिया कि वह एक दीनार का 5/2 स़दक़ा दे। मगर यह सनद मुअ़ज़ल है (यानी इसमें दो रावी यके बाद दीगरे साक़ित हैं।)

तख़रीज 266: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, अत्तहारतः 136

फ़ायदा: यह दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। अल्बत्ता ह़दीस 264 सही है जिसमें दीनार या आधा दीनार स़दक़ा करने का हुक्म है, क़त्‌अ नज़र इससे कि उसने शुरुआती ह़ैज़ में स़ोह्‌बत की है या दरम्यान में या आख़िर में। अल्बत्ता तख़्यीर (अव) की वजह, कफ़्फ़ारा अदा करने वाले की माली इस्तित़ाअ़त हो सकती है, कम ह़ैसियत वाला आधा दीनार और ज़्यादा ह़ैसियत वाला पूरा दीनार स़दक़ा करे। एक दीनार का वज़न कमो बेश साढ़े चार मासा सोना है जो जदीद आ़शारी निज़ाम के मुत़ाबिक़ 4 ग्राम 374 मिलीग्राम है।

बाब: 106
शौहर अपनी बीवी से (अय्यामे ह़ैज़ में) जिमाअ़ (हमबिस्तरी) के अ़लावा सब कुछ कर सकता है

﴿106﴾
باب في الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ نُدْبَةَ، مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ .

(267) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) अपनी अज़्वाज में से किसी एक के साथ लेट जाया करते थे जबकि वह ह़ैज़ से होती और उस पर आधी रानों तक या घुटनों तक कपड़ा होता और वह उस कपड़े से अपने (ज़ेरीं) जिस्म को ढाँपे होती थी।

तख़रीज 267: **(सनद ह़सन)** नसाई, अत्तहारतः 288, बैहक़ीः 1/313, व स़ह्‌ह़हु इब्ने ह़िब्बानः 1362

मल्ह़ूज़ा: ज़ौजैन (मियाँ बीवी) के यह मसाइल किसी आ़म आ़लिम के लिए इस अंदाज़ में बयान करना बहुत मुश्किल है, मगर चूँकि यह दीन, त़हारत और अल्लाह की ह़ुदूद के मसाइल हैं, इसीलिए अज़्वाजे मुत़ह्‌हरात ने भी बयान किये हैं, वरना उनकी ह़या व शर्म बेमिस्ल व बेमिसाल थी (रज़ि.) और आप (ﷺ) की कसरते अज़्दवाज की ह़िक्मत भी यही थी कि ज़ौजैन के माबेन (बीच) के

मसाइल शरई लिहाज़ से उम्मत के सामने आ जाएँ।

मसला: अय्यामे हैज़ में बोस व किनार (बोसा/किस) यक़ीनन जाइज़ है मगर देखना यह है कि ऐसे जोड़े को अपने ऊपर किस हद तक ज़ब्त है। अगर अंदेशा हो कि ज़ब्त क़ायम न रहेगा तो अज़्हद (बहुत ज़्यादा) एहतियात करनी चाहिए कि कहीं हराम में वाक़ेअ न हो जाएँ। (नीज़ देखिए हदीस 258)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا وَقَالَ مَرَّةً يُبَاشِرُهَا .

(268) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हम औरतों को हुक्म करते कि जब हममें से कोई हैज़ से हो तो अपनी चादर अच्छी तरह बाँध लिया करे। फिर शौहर (को इजाज़त है कि) उसके साथ लेट जाए। और (शुअबा ने) एक बार (युज़ाजिउहा) की बजाए (युबाशिरुहा) का लफ़्ज़ रिवायत किया।

तख़रीज 268: सहीह बुख़ारी, अल्हैज़: 300, 2030, व मुस्लिम, अल्हैज़: 293

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، سَمِعْتُ خِلاَسًا الْهَجَرِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - تَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَإِنْ أَصَابَ - تَعْنِي ثَوْبَهُ - مِنْهُ شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.

(269) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) कहती थीं कि मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ही चादर में रात गुज़ारते और मैं हैज़ से होती। अगर आपको मुझसे कुछ लग जाता तो उतनी जगह धो लेते उससे आगे न बढ़ते और नमाज़ पढ़ लेते। और अगर कपड़े को कुछ लग जाता तो भी इसी क़द्र जगह धोते उससे आगे न बढ़ते और उसी में नमाज़ पढ़ लेते।

तख़रीज 269: (सनद हसन) नसाई, अत्तहारत: 285

फ़वाइद व मसाइलः (1) दीन व शरीअत और तहारत की हुदूद वाज़ेह करने के लिए ही यह मख़्फ़ी हक़ीक़तें बयान हुए हैं ताकि उम्मत के लिए दुनिया और आख़िरत में आसानी रहे। वरना आम मुसलमान मियाँ बीवी के लिए अपनी मख़्फ़ी उमूर (मामलात) का ज़िक्र करना दुरुस्त नहीं है। **(2)** ख़ूने हैज़ नजिस है। **(3)** जो हिस्सा जिस्म या कपड़े का आलूदा हो उसी क़द्र धोना वाजिब है, न कि सारा जिस्म या सारा कपड़ा।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ، أَنَّ عَمَّةً، لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِدٌ قَالَتْ أُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ لَيْلاً وَأَنَا حَائِضٌ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ - فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَقَالَ " ادْنِي مِنِّي " . فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ " وَإِنِ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ " . فَكَشَفْتُ فَخِذَىَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذَىَّ وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ وَنَامَ .

(270) जनाब उमारा बिन ग़ुराब कहते हैं कि उनकी फूफी ने उन्हें बताया कि उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से सवाल किया, कहा कि हममें से एक हाइज़ा होती है और उसके लिए और उसके शौहर के लिए सिर्फ़ एक ही बिस्तर होता है। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक बार की बात बताती हूँ कि आप (घर में) तशरीफ़ लाए और अपनी मस्जिद में चले गए.... इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा इससे मुराद घर में नमाज़ की जगह पर... फिर आप फ़ारिग़ न हुए यहाँ तक कि मेरी आखें बोझल हो गईं। (यानी नींद ने आ लिया) और आप (ﷺ) को सर्दी ने सताया तो फ़र्माया, ''मेरे क़रीब हो जाओ।'' मैंने कहा, मैं हैज़ से हूँ। आपने कहा, ''अपनी रानों से कपड़ा हटा दो।'' मैंने अपनी रानों से कपड़े हटा लिया तो आपने अपना रुख़सार और सीना मेरी रानों पर रख दिया और मैं भी आप पर झुक गई यहाँ तक कि आप गर्म हो गए और सो रहे।

तख़रीज 270: (सनद ज़ईफ़) अल्बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रदः 120

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ .

(271) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) रिवायत करती हैं, फ़र्माती हैं, जब मुझे हैज़ आता तो मैं बिस्तर से उतरकर चटाई पर आ जाती फिर हम (ज़ौजात) रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़रीब न होती थीं यहाँ तक कि पाक हो जातीं।

तख़रीज 271: (सनद ज़ईफ़)

मल्हूज़: मक़्सद यह है कि कभी यह सूरत होती और कभी इकट्ठे भी लेट जाते। पिछली दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। ताहम दीगर दलाइल से मालूम होता है कि इस मामले में वुस्अत है और दोनों सूरतें जाइज़ हैं, वल्लाहु आलम!

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا .

(272) जनाब इक्रिमा किसी ज़ोजए नबी (ﷺ) से रिवायत करते है, कहती हैं कि नबी (ﷺ) अगर अपनी किसी बीवी से कुछ ख़्वाहिश करते और वह हैज़ से होती तो उसकी शर्मगाह पर कपड़ा डाल देते।

तख़रीज 272: (सनद हसन) इब्ने हज़्म फ़िल्महल्ली: 2/182

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا فِي فَوْحِ حَيْضِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ .

(273) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे (यानी ज़ौजात (बीवियों) के) शिद्दते हैज़ के दिनों में हमें हुक्म देते कि हम अपनी चादर कस के बाँध लें और फिर हमारे साथ लेट जाते... और तुममें से कौन है जिसे अपने जज़्बात पर इस क़द्र ज़ब्त हो जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को था?

तख़रीज 273: सहीह बुख़ारी, अल्हैज़: 302, व मुस्लिम, अल्हैज़: 293

फ़ायदा: मालूम हुआ कि नौ ब्याहता और जवान जोड़ों को मख़्सूस दिनों में बेइंतिहा एहतियात वाजिब है मगर जब उम्र ढल जाए और जज़्बात में ठहराव आ जाए तो ये सब अमल जाइज़ है।

बाब: 107
मुस्तहाज़ा का बयान और यह कि (ग़ैर मुमय्यिज़ा) अपने हैज़ के दिनों के बराबर नमाज़ छोड़ दिया करे।

﴾107﴿
باب فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلاَةَ فِي عِدَّةِ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ

(274) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ज़ोजा नबी (ﷺ) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में एक औरत को बहुत ख़ून आता था तो उसके लिए उम्मे सलमा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा तो आपने फ़र्माया, ''उसे चाहिए कि यह आरज़ा लाहिक़ होने से पहले, महीने (में हैज़) के दिनों और रातों की गिनती का ख़्याल करे और इस्तिहाज़ा वाले महीने में उसी अंदाज़े से नमाज़ छोड़ दे। जब यह दिन गुज़र जाएँ तो गुस्ल कर ले और कपड़े का लंगोट बाँधे रहे और नमाज़ पढ़ती रहे।''

तख़रीज 274: (सनद ज़ईफ़) नसाइ : 209, मौत्ता: 1/62, हदीसे मुस्लिम: 333

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لْتُصَلِّ فِيهِ " .

नोट-मल्हूज़: हर बालिग़ औरत को माहाना निज़ाम के तहत जो ख़ून आता है उसे हैज़ कहते हैं। और यह अलामत होती है कि उसका रहम ख़ाली है। इब्तिदाए बुलूग़त ही से हर औरत को अपनी आदत का बिल्उमूम तजुर्बा हो जाता है। आम तौर पर यह ख़ून स्याही माइल होता है लेकिन अगर उस निज़ाम में ख़राबी आ जाए और ख़ून का आना आदत से बढ़ जाए तो उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं और

उसकी रंगत भी मुख़्तलिफ़ (अलग) सी होती है। बच्चे की विलादत पर आने वाले ख़ून को निफ़ास कहते हैं। हैज़ और निफ़ास के अय्याम (दिन) नापाकी के अय्याम शुमार होते हैं मगर इस्तिहाज़ा के अय्याम तहारत के शुमार किये जाते हैं, इस बिना पर कि यह एक मर्ज़ की कैफ़ियत होती है।

इस्तिहाज़ा का मसला यूँ है कि अगर औरत को अपने हैज़ की तारीख़ें मालूम और उसके अय्याम (दिन) मुतअय्यन हों और यह आरज़ा लाहक़ हो जाए तो वह उन मुतअय्यन दिनों की नमाज़ें छोड़ दे और शौहर भी उससे अलग रहे। अगर अय्याम (दिन) और तवारीख़ (तारीख़ों) में फ़र्क़ आता रहता हो तो स्याही माइल ख़ून के अय्याम (दिन) को हैज़ के अय्याम (दिन) शुमार किया जाए लेकिन अगर तवारीख़ और अय्याम ग़ैर मुतअय्यन और रंगत से भी इम्तियाज़ न हो रहा हो या इब्तिदा ही से इस्तिहाज़े का आरज़ा लाहिक़ हो गया हो तो छः, सात दिन या अपने अज़ीज़ो अक़ारिब की ख़्वातीन की आदात के मुताबिक़ हैज़ के दिन मुतअय्यन कर लिये जाएँ। उन दिनों में नमाज़, रोज़ा और मुजामिअत से परहेज़ किया जाए। उन दिनों के पूरे होने पर गुस्ल करके नमाज़, रोज़ा शुरू कर दे और उसके बाद हर नमाज़ के लिए वुज़ू करती रहे। अगर गुस्ल की हिम्मत हो तो बहुत अफ़ज़ल है। शौहर को मुबाशिरत की भी इजाज़त होगी। इस्तिहाज़ा की अहादीस का इस मुख़्तसर तम्हीद की रोशनी में मुतालआ किया जाए।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ " فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ " . بِمَعْنَاهُ .

(275) एक आदमी ने हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत किया कि एक औरत को बहुत ख़ून आता था। और ऊपर वाले हदीस की मानिन्द बयान किया... इस रिवायत में है कि जब यह दिन गुज़र जाएँ और नमाज़ का वक़्त आ जाए (यानी नमाज़ पढ़ने के दिन आ जाएँ) तो चाहिए कि गुस्ल करे। बाक़ी रिवायत साबिक़ा हदीस के हम मअनी है।

तख़रीज 275: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 1/333.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، - يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ،

(276) एक अंसारी से रिवायत है कि एक ख़ातून को बहुत ज़्यादा ख़ून आता था। और ऊपर वाली हदीस लैस के हम मअनी बयान किया। कहा कि जब यह अय्याम गुज़ार ले और नमाज़ का वक़्त आ जाए तो गुस्ल करे।

مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ " فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ .

और उसके हम मअनी ज़िक्र किया।

तख़रीज 276: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 1/333

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ " فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي " .

(277) सख़्र बिन जुवेरिया नाफ़ेअ से लैस की इस्नाद से और उसके हम मअनी रिवायत करते हैं। कहा ''हैज़ के दिनों की गिनती के मुताबिक़ नमाज़ छोड़ दे। फिर जब नमाज़ का वक़्त हो जाए (नमाज़ के अय्याम (दिन) आ जाएँ) तो ग़ुस्ल करे और कपड़े का लंगोट बाँधे और नमाज़ पढ़े।''

तख़रीज 277: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 1/333, 274, 276 में देखें।

फ़ायदा: हाइज़ा को हैज़ से पाक होते ही ग़ुस्ल करना वाजिब नहीं हो जाता बल्कि नमाज़ का वक़्त आने पर वाजिब होता है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ " تَدَعُ الصَّلاَةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمَّى الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتِ اسْتُحِيضَتْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ .

(278) सुलेमान बिन यसार, हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से यही क़िस्सा बयान करते हैं। उसमें है कि ''नमाज़ छोड़ दे और उसके अलावा में ग़ुस्ल करे और कपड़े का लंगोट बाँधे और नमाज़ पढ़े।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि हम्माद बिन ज़ेद ने बवास्ता अय्यूब यह रिवायत बयान की तो उसमें मुस्तहाज़ा ख़ातून का नाम फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश बताया।

तख़रीज 278: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 1/334, 274, 277 में देखें

फ़वाइद व मसाइल (1) .हदीस 274-278 सनदन ज़ईफ़ हैं। ताहम मसले की नोइयत वही है जो इनमें बयान की गई है। **(2)** अल्लामा अहमद शाकिर ने नक़्ल किया है कि दौरे नबवी में इस आरज़े में मुब्तला ख़्वातीन की तादाद दस तक शुमार की गई है। अल्लामा मुंज़िरी ने पाँच नाम गिनवाए हैं। हमना बिन्ते जहश, उनकी बहन उम्मे हबीबा, फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश अल्असदिया, सहला बिन्ते सुहैल क़ुर्शिया और उम्मुल मोमिनीन सौदा बिन्ते ज़म्आ (रज़ि.)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّمِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَرَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ أَضْعَافِ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِي آخِرِهَا وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالاَ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ .

(279) जनाब उर्वा, हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा, हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से ख़ून के बारे में पूछा, हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं मैंने उनकी लगन देखी थी कि ख़ून से भरी हुई थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, ''इस आरज़ा से पहले की आदत के मुताबिक़ नमाज़ से रुकी रहो जैसे कि बाक़ायदा तुम्हें हैज़ रोकता था, फिर गुस्ल कर लो।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, क़ुतैबा ने एक हदीस में बैनस्सुतूर (सुतरों के बीच में) इस रिवायत की सनद में जअफ़र का नसब ''जअफ़र बिन रबीआ'' दूसरी बार में वाज़ेह किया। (यानी उन्हें जअफ़र के इब्ने रबीआ होने में शक था) जबकि अली बिन अयाश और यूनुस बिन मुहम्मद ने लैस से रिवायत किया तो उन दोनों ने बसराहत (बग़ैर शक के) ''जअफ़र बिन रबीआ'' कहा।

तख़रीज 279: सहीह मुस्लिम : 334/65

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ

(280) जनाब उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (रज़ि.) ने उन्हें

يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ " .

बताया कि उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया और ख़ून की शिकायत की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, ''यह एक रग (का ख़ून) है। तुम ज़रा ग़ौर से देखो जब तुम्हारा हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दो और जब हैज़ गुज़र जाए तो तहारत हासिल करो और दूसरे हैज़ के अय्याम (दिन) आने तक नमाज़ पढ़ती रहो।''

तख़रीज 280: (सनद ज़ईफ़) नसाई: 212, उंज़ुर: 274, 278

फ़ायदा: मालूम हुआ कि अगर पहले से अय्याम व तारीख़ें मालूम व मुतअय्यन (फ़िक्स) हो तो उन ही दिनों को हैज़ के दिन शुमार किया जाए और अगर मालूम न हो तो ख़ून की रंगत से अंदाज़ा लगाया जाए।

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ - أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا، أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ - أَنْ تَسْأَلَ، رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ

(281) जनाब उर्वा बिन ज़ुबैर ने कहा कि मुझसे फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने अस्मा से कहा था या अस्मा ने मुझसे बयान किया कि उनसे फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश ने कहा था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछो। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि उन अय्याम (दिनों) में बैठी रहे (और नमाज़ न पढ़े) जिनमें (उस आरज़े से पहले) बैठा करती थी, फिर ग़ुस्ल करे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इसको क़तादा ने उर्वा बिन ज़ुबैर से वह ज़ेनब बिन्ते उम्मे सलमा से रिवायत करते हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जह्श

جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلاَّ مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ" تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا" . وَرَوَتْ قَمِيرُ بِنْتُ عَمْرٍو زَوْجُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا . وَرَوَى أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ

को इस्तिहाज़ा हो गया तो नबी (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि अपने हैज़ के अय्याम (दिनों) में नमाज़ छोड़ दे फिर गुस्ल करे और नमाज़ पढ़े।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, क़तादा ने उ़र्वा से कुछ नहीं सुना है। और इब्ने उ़येयना ने ज़ोहरी अ़न अ़म्रा अ़न आइशा की ह़दीस में यह इज़ाफ़ा किया है, कहा उम्मे ह़बीबा को इस्तिह़ाज़ा होता था तो उसने नबी (ﷺ) से पूछा, आपने उसे हुक्म दिया कि अपने हैज़ के अय्याम (दिनों) में नमाज़ छोड़े रहे।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, यह अल्फ़ाज़ इब्ने उ़येयना का वहम हैं। हुफ़्फ़ाज़ की ह़दीस में ज़ोहरी से वही मरवी है जो सुहैल बिन अबी स़ालेह़ ने ज़िक्र किया।

और हुमैदी ने यह ह़दीस इब्ने उ़येयना से रिवायत की तो उसमें तदउ़स्सलात अय्याम अक़्राइहा के अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये। और क़मीर बिन्ते अ़म्र ज़ोजा मसरूक़ ने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत किया है ''इस्तिह़ाज़ा वाली अपनी हैज़ के अय्याम की नमाज़ें छोड़े रहे, फिर गुस्ल करे।''

और अ़ब्दुर्रह़मान बिन क़ासिम ने अपने वालिद से बयान किया कि नबी (ﷺ) ने उसे (मुस्तह़ाज़ा को) हुक्म दिया था कि अपने हैज़ के अय्याम (दिनों) के बराबर नमाज़ें छोड़ दे।

और अबू बिश्र बिन अबी वह़शिया ने इक्रिमा से, वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि उम्मे ह़बीबा बिन्ते जह़श (रज़ि.) को इस्तिह़ाज़ा हो गया... और उसी के मिस्ल ज़िक्र किया।

और शुरीक ने अबुल यक़्ज़ान से, वह अ़दी बिन

عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" . وَرَوَى الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ سَوْدَةَ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ . وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ" الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ قُرْئِهَا" . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلٌ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا .

साबित से, वह अपने वालिद से, वह उस (अ़दी) के नाना से, वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं, ''इस्तिह़ाज़ा वाली अपने ह़ैज़ के अय्याम (दिनों) की नमाज़ें छोड़े रहे, फिर ग़ुस्ल करे और नमाज़ पढ़े।''

और अ़ला बिन मुसय्यिब ने ह़कम से, उन्होंने अबू जअ़फ़र से रिवायत किया, कहा सौदा (रज़ि.) को इस्तिह़ाज़ा हो गया तो नबी (ﷺ) ने उनको हुक्म दिया ''जब उनके अय्याम गुज़र जाएँ तो ग़ुस्ल करें और नमाज़ें पढ़ें।''

और सईद बिन जुबैर ने ह़ज़रत अ़ली और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया कि मुस्तह़ाज़ा अपने ह़ैज़ के दिनों में बैठी रहे। और ऐसे ही अ़म्मार मौला बनी हाशिम और त़ल्क़ बिन ह़बीब ने ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया। और ऐसे ही मअ़क़िल ख़स्अ़मी ने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से और शअ़बी ने क़मीर ज़ोजा मसरूक़ से, उन्होंने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से रिवायत किया है।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि ह़सन, सईद बिन मुसय्यिब, अ़त़ाअ, मक्ह़ूल, इब्राहीम, सालिम और क़ासिम का यही क़ौल है कि मुस्तह़ाज़ा अपने ह़ैज़ के दिनों की नमाज़ें छोड़े रहे।

तख़रीज 281: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 1/331, व उंज़ुर: 286, 296 व 304, नसाई: 1/116, : 201

फ़वाइद व मसाइल (1) यह अह़ादीस और अक़्वाल ऐसी औ़रतों के बारे में हैं जिनकी साबिक़ा आ़दत मालूम व मुतअ़य्यन हो। **(2)** ह़दीस 280, 281 भी सनदन ज़ईफ़ हैं, लेकिन उनमें बयानकर्दा मसला सह़ी अह़ादीस से साबित है।

﴿108﴾
باب مَنْ رَوَى أَنَّ الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ لاَ تَدَعُ الصَّلاَةَ

बाब: 108
जब हैज़ ख़त्म हो जाए तो फिर नमाज़ न छोड़े

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي " .

(282) जनाब उर्वा हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आईं और कहा कि मैं ऐसी औरत हूँ जिसे इस्तिहाज़ा होता है और पाक नहीं होती हूँ, तो क्या नमाज़ छोड़ दूँ? आपने फ़र्माया, ''यह एक रग (का ख़ून होता) है, हैज़ नहीं। जब हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दिया कर और जब ख़त्म हो जाए तो अपने से ख़ून धोओ और नमाज़ पढ़ो।''

तख़रीज 282: सहीह बुख़ारीः 306, व मुस्लिमः 333

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ " فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي " .

(283) क़अनबी ने मालिक के वास्ते से हिशाम से बसनद ज़ुहैर इसी के हम मअनी बयान किया, कहा ''जब हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दो। और जब इसके बक़द्र (बक़द्रे आदत साबिक़ दिन) गुज़र जाएँ तो ख़ून को धोओ और नमाज़ पढ़ो।''

तख़रीज 283: सहीह बुख़ारीः 306, मौत्ता 1/61, (वल्क़अनबी साद 79, 80)

बाब: 109
(मुस्तहाज़ा को) जब हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दे

﴾109﴿
باب مَنْ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ

(284) बुहय्या से रिवायत है, कहा कि मैंने एक औरत को सुना जो हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछ रही थी कि जिस औरत का निज़ामे हैज़ ख़राब हो गया हो और उसे बहुत ज़्यादा ख़ून आता हो (तो वह क्या करे) तो (उन्होंने कहा) मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हुक्म दिया है कि मैं उसे कहूँ कि इतने दिन इंतिज़ार करे जितने कि हर महीने उसे हैज़ आता था जबकि उसका हैज़ सही था तो उस क़द्र दिन शुमार करे और उनमें नमाज़ छोड़े रहे, फिर ग़ुस्ल करे। कपड़े से लंगोट बाँधे और नमाज़ पढ़े।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بُهَيَّةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً، تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ، فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهَرِيقَتْ دَمًا فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَيَّامِ ثُمَّ لْتَدَعِ الصَّلاَةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لْتُصَلِّي .

तख़रीज 284: (इस्नाद ज़ईफ़) बैहक़ी: 1/343

फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन मसला सही है।

(285) जनाब उर्वा बिन ज़ुबैर और अम्र, वह दोनों ही हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (रज़ि.) को जो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की साली और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.)

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ

أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ الأَوْزَاعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ - وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلاَمَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ الأَوْزَاعِيِّ وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ وَيُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلاَمَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَإِنَّمَا هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ

की ज़ोजियत में थीं, इस्तिहाज़ा शुरू हो गया और सात साल तक रहा, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया, ''यह हैज़ नहीं बल्कि एक रग (का ख़ून) है, तू ग़ुस्ल कर और नमाज़ पढ़।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, औज़ाई ने इस ह़दीस में बसनद ज़ोहरी अ़न उ़र्वा, व अ़म्र अ़न आइशा (रज़ि.) यह इज़ाफ़ा किया कि उम्मे ह़बीबा बिन्ते जह़श (रज़ि.) को इस्तिह़ाज़ा शुरू हो गया और यह अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) की ज़ोजियत में थी, उसे सात साल तक यह आरज़ा रहा तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे हुक्म दिया, ''जब हैज़ आ जाए तो नमाज़ छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाए तो ग़ुस्ल करो और नमाज़ पढ़ो।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा कि यह जुम्ला (इज़ा अक़्बलतिल हैज़तु फ़दइस्सलात, फ़इज़ा अदबरत फ़ग़्सिली व स़ल्ली) ज़ोहरी के शागिर्दों में से औज़ाई के अ़लावा किसी ने ज़िक्र नहीं किया है। इस रिवायत को ज़ोहरी से अ़म्र बिन ह़ारिस, लैस, यूनुस, इब्ने अबी ज़िब, मअ़मर, इब्राहीम बिन सअ़द, सुलेमान बिन कसीर, इब्ने इस्ह़ाक़ और सुफ़्यान बिन उ़येयना ने रिवायत किया है, मगर यह ह़ज़रात यह जुम्ला (बात) ज़िक्र नहीं करते।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा यह लफ़्ज़ सिर्फ़

ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ أَيْضًا أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا . وَهُوَ وَهَمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ شَيْءٌ يَقْرُبُ مِنَ الَّذِي زَادَ الأَوْزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ .

हिशाम बिन उ़र्वा ने बवास्ता अपने वालिद ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से रिवायत किये हैं।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा कि इब्ने उ़येयना ने यह इज़ाफ़ा भी किया है कि आपने उसे हुक्म दिया ''अपने ह़ैज़ के अय्याम (दिनों) में नमाज़ छोड़ दो।'' और यह इब्ने उ़येयना का वहम है। और मुह़म्मद बिन अ़म्र अ़न ज़ोहरी की रिवायत में भी कुछ (वहम) है (जो इसके बाद आ रही है) और यह इसी के क़रीब क़रीब है जो औज़ाई ने अपनी ह़दीस में इज़ाफ़ा किया है।

तख़रीज 285: स़ह़ीह़ मुस्लिमः 334/64, व बुख़ारीः 327, नसाईः 204

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " 1.

(286) जनाब उ़र्वा बिन ज़ुबेर, फ़ात़िमा बिन्ते अबी हुबैश से रावी हैं कहा कि उन्हें (फ़ात़िमा को) इस्तेह़ाज़ा आता था, तो नबी (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, ''जब ख़ून ह़ैज़ का हो जो कि स्याह रंग का होता है और पहचाना जाता है तो जब यह आए तू नमाज़ से रुकी रहो और जब दूसरा हो तो वुज़ू करो और नमाज़ पढ़ो। यह एक रग होती है।''

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा कि मुह़म्मद बिन मुसन्ना ने कहा कि इब्ने अबी अ़दी ने हमें अपनी किताब से ऐसे ही बयान किया (यानी उ़र्वा और फ़ात़िमा के माबैन (बीच) कोई वास्ता नहीं था) और बाद में जब अपने ह़िफ़्ज़ से रिवायत किया तो इस सनद में आ़इशा का ज़िक्र किया, कहा कि फ़ात़िमा को इस्तेह़ाज़ा आता था। फिर ऊपर वाली

حِفْظًا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

हदीस के हम मअ़नी बयान की।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلاَ تُصَلِّي وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي .2

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अनस बिन सीरीन ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मुस्तहाज़ा के बारे में बयान किया कि जब वह ख़ूब गहरा लाल ख़ून देखे तो नमाज़ न पढ़े और जब तोहर (पाकी) महसूस करे अगरचे एक घड़ी ही हो तो ग़ुस्ल करे और नमाज़ पढ़े।

وَقَالَ مَكْحُولٌ إِنَّ النِّسَاءَ لاَ تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي .3

मक्हूल ने कहा है कि औरतों के लिए हैज़ का मामला पोशीदा नही होता। यह ख़ून काला और गाढ़ा होता है। जब यह ख़त्म हो जाए, गाढ़ा न रहे और पीला रंग हो जाए, तो यह इस्तेहाज़ा होता है, तो चाहिए कि ग़ुस्ल करे और नमाज़ पढ़े।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ .2

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, हम्माद बिन ज़ेद ने बसनद यहया बिन सईद, सईद बिन मुसय्यिब से मुस्तहाज़ा के बारे में रिवायत किया है, जब उसे हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दे और जब ख़त्म हो जाए तो ग़ुस्ल करे और नमाज़ पढ़े।

وَرَوَى سُمَيٌّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا .2

सुमय्य और कुछ दूसरों ने सईद बिन मुसय्यिब से रिवायत किया है (मुस्तहाज़ा) अपने हैज़ के अय्याम (दिनों) में बैठी रहे।

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ

ऐसे ही हम्माद बिन सलमा ने यहया बिन सईद के वास्ता से सईद बिन मुसय्यिब से रिवायत किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि हैज़ वाली का ख़ून जब तूल पकड़ जाए तो हैज़ के बाद एक दो दिन तक देखे (अगर रुक जाए तो बेहतर) वरना यही इस्तेहाज़ा है।

سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ الْحَائِضُ إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ . وَقَالَ التَّيْمِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِذَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّي . قَالَ التَّيْمِيُّ فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا . وَسُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ

तैमी ने क़तादा से बयान किया कि जब उसके अय्यामे हैज़ पर पाँच दिन ज़्यादा हो जाएँ तो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। तैमी कहते हैं कि मैं दिनों को कम करते करते दो दिन तक पहुँचा तो कहा अगर (मअरूफ़ दिनों से) दो दिन ज़्यादा हो जाएँ तो यह हैज़ ही के होंगे। इब्ने सीरीन से इसके बारे में पूछा गया तो कहा कि औरतों को इसका बख़ूबी इल्म होता है।

तख़रीज 286: (सनद ज़ईफ़) नसाईः 216, इब्ने हिब्बानः 1345, हाकिमः 1/174, 281 में देखें।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَغَيْرُهُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ، حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ فَقَالَ " أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ

(287) इमरान बिन तलहा अपनी वालिदा हमना बिन्ते जहश (रज़ि.) से रिवायत करते हैं। हमना ने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा और बड़ा सख़्त इस्तेहाज़ा होता था। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आई कि आपसे मसला पूछूँ और आपको अपनी हालत बताऊँ तो मैंने आपको अपनी बहन ज़ेनब बिन्ते जहश (रज़ि.) के घर में पाया। मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मैं ऐसी औरत हूँ जिसे बहुत सख़्त शदीद इस्तेहाज़ा होता है, आपका इसके बारे में क्या इर्शाद है? उसने मुझे नमाज़ और रोज़े से भी रोक दिया है। आपने फ़र्माया, ''मेरा ख़याल है कि तुम रूई रख लिया करो, उससे ख़ून रुक जाएगा।'' उस (हमना) ने कहा, यह उससे ज़्यादा होता है। आपने फ़र्माया,

فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ " . قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " فَاتَّخِذِي ثَوْبًا " . فَقَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ " . فَقَالَ لَهَا " إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ من رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

''तो फिर कपड़ा बाँध लिया करो।'' मैंने कहा, यह उससे भी ज़्यादा होता है, मेरे तो तुलल्ली (धार) बहती है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया, ''मैं तुम्हें दो बातें बताता हूँ उनमें से जो भी इख़्तियार कर लो काफ़ी है। अगर दोनों की हिम्मत हो तो यह तुम्हें मालूम होगा।'' आपने उससे फ़र्माया, ''यह दरअस़ल शैत़ानी कचूका है। पस तुम (हर महीने) अल्लाह के इल्म के मुत़ाबिक़ छः या सात दिन हैज़ के शुमार करो, फिर ग़ुस्ल कर लो, हत्ताकि जब तुम अपने आपको पाक स़ाफ़ समझो तो तेइस या चौबीस दिन रात नमाज़ पढ़ती रहो और रोज़े रखो तुम्हें यह काफ़ी है और हर महीने वैसे ही किया करो जैसे कि ऩाम ऩौरतें अपने हैज़ और त़ोहर (पाकी) के दिनों में करती हैं।

(दूसरी स़ूरत) और अगर हिम्मत हो तो ज़ुहर को मुअख़्ख़र और अ़स्र को जल्दी करके इन दोनों को जमा कर लो और इनके लिए एक ग़ुस्ल करो। फिर मग़्रिब को मुअख़्ख़र और इशा को जल्दी करते हुए एक ग़ुस्ल कर लो और इन नमाज़ों को जमा करके पढ़ लो। और फ़ज्र की नमाज़ के लिए (भी) ग़ुस्ल कर लो। अगर तुम यह कर सकती हो तो कर लिया करो और रोज़े भी रखती जाओ।'' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''और यह (दूसरी) सूरत इन दोनों में से मेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है।''

وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ " .1
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ قَالَ فَقَالَتْ حَمْنَةُ فَقُلْتُ هَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ . 2لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَهُ كَلاَمَ حَمْنَةَ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيٌّ رَجُلُ سَوْءٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ صَدُوقًا فِي الْحَدِيثِ وَثَابِتُ بْنُ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ ثِقَةٌ وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ حَدِيثُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा इस रिवायत को अ़म्र बिन साबित ने इब्ने अ़क़ील से नक़्ल किया और कहा, ह़म्ना ने कहा, ''यह सूरत मेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है।'' इस क़ौल को उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़र्मान नहीं बताया, बल्कि ह़म्ना का क़ौल कहा।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, अ़म्र बिन साबित राफ़्ज़ी था और यह क़ौल यह़या बिन मईन से ज़िक्र किया। (लेकिन वह ह़दीस में स़दूक़ (सच्चा) था।)

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, मैंने इमाम अह़मद (रह़.) से सुना कहते थे कि इब्ने अ़क़ील की ह़दीस के बारे में मेरे दिल में कुछ (तरद्दुद) है।

तख़रीज 287: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी : 128, इब्ने माजाः 622, 627 शरहुस्सुन्नाः 326,: 126 में देखें

फ़ायदाः ह़दीस 286, 287 भी सनदन ज़ईफ़ हैं। अ़ल्लामा शौकानी अस्सैलुल जर्रार (जिल्द 1, पेज 149) में कहते हैं, ''इस्तेह़ाज़ा के लिए ग़ुस्ल के मसले में कई ह़दीसें आई हैं और अक्सर सुनन अबी दाऊद में हैं, मगर ह़ुफ़्फ़ाज़े मुह़द्दिसीन की एक जमाअ़त ने उन्हें बस़राह़त नाक़ाबिले ह़ुज्जत क़रार दिया है। अगर बर बिनाय क़ायदा 'अह़ादीस कुछ कुछ के लिए तक़्वियत का बाइ़स होती हैं।'' उन्हें सही भी तस्लीम किया जाए तो स़ह़ीह़ैन वग़ैरह में वारिद सही तरीन और क़वी तरीन अह़ादीस के मुक़ाबले में उनको पेश नहीं किया जा सकता। स़ह़ीह़ैन की रिवायात में ह़ैज़ के ख़त्म होने पर सिर्फ़ एक ग़ुस्ल का हुक्म दिया है और ज़रूरी है कि इस क़िस्म के पुर मशक़्क़त हुक्म के लिए ऐसी दलील हो जो चमकते सूरज की त़रह़ रोशन हो, कुजा यह कि ज़ईफ़ और नाक़ाबिले ह़ुज्जत रिवायात से साबित करने की कोशिश की जाए।'' (मुतर्जिम अ़र्ज़ करता है कि इस्तिह़बाब व फ़ज़ीलत में तो शुब्हा नहीं है जैसे कि ह़ज़रत उम्मे ह़बीबा (रज़ि.) के अ़मल से साबित है। मज़ीद अगले बाब की अह़ादीस मुलाह़िज़ा हों।)

बाब: 110
वह रिवायात जिनमें है कि मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के लिए गुस्ल करे

﴾110﴿
باب مَنْ رَوَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ .

(288) जनाब उ़र्वा बिन ज़ुबैर और अ़म्रा बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान, ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ज़ोजा नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं, ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) कहती हैं कि उम्मे ह़बीबा बिन्ते जह़श (रज़ि.) जो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की साली और अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) की अहलिया थीं, उनको सात साल तक इस्तेह़ाज़ा रहा। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बारे में मसला पूछा तो आपने फ़र्माया, ''यह ह़ैज़ नहीं बल्कि एक रग (का ख़ून) है, लिहाज़ा गुस्ल करो और नमाज़ पढ़ो।'' ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि वह अपनी बहन ज़ेनब बिन्ते जह़श (रज़ि.) के ह़ुजरे में एक लगन में गुस्ल करतीं, तो ख़ून की सुर्ख़ी पानी पर छा जाती थी।

तख़रीज 288: (सनद सह़ीह) : 285 में देखें।

फ़ायदा: 'गुस्ल करो और नमाज़ पढ़ो' का मत़लब है, अय्यामे ह़ैज़ के ख़त्म होने के बाद गुस्ल करो और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो। इससे मक़्सूद हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का हुक्म देना था, न इससे इसका इस्बात ही होता है। इससे अगर किसी ने हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का हुक्म समझा है, तो यह उसका अपना फ़हम है, इसके अ़लावा किसी भी सही ह़दीस में हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का हुक्म नहीं है।

(289) अ़म्रा बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान, उम्मे हबीबा (रज़ि.) से यही हदीस रिवायत करती हैं। हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने कहा, चुनाँचे वह हर नमाज़ के लिए ग़ुस्ल किया करती थीं।

तख़रीज 289: (सनद सहीह) : 285 में देखें।

(290) उ़र्वा, सय्यदा आ़इशा (रज़ि.) से यही हदीस रिवायत करते हैं। इसमें कहा, चुनाँचे वह हर नमाज़ के लिए ग़ुस्ल किया करती थीं।

(इख़्तिलाफ़े असानीद का बयान) इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, यह हदीस क़ासिम बिन मबरूर ने यूनुस से, वह इब्ने शिहाब से, वह अ़म्रा से, वह आ़इशा से उन्होंने उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (रज़ि.) से रिवायत की है। और ऐसे ही मअ़मर ने ज़ोहरी से उसने अ़म्रा से उसने आ़इशा से रिवायत की है लेकिन मअ़मर ने कभी अ़न अ़म्रा अ़न उम्मे हबीबा कहा है और ऐसे ही इब्राहीम बिन सअ़द और इब्ने उ़येयना (दोनों) ने ज़ोहरी से वह अ़म्रा से उसने आ़इशा (रज़ि.) से रिवायत की है। इब्ने उ़येयना ने अपनी रिवायत में कहा कि (ज़ोहरी ने) यह नहीं कहा कि नबी (ﷺ) ने उसे ग़ुस्ल करने का हुक्म दिया था।

तख़रीज 290: सहीह मुस्लिम : 334

(291) जनाब उ़र्वा और अ़म्रा बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान (दोनों) हज़रत आ़इशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि उम्मे हबीबा (रज़ि.)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِمَعْنَاهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا قَالَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

को सात साल तक इस्तेहाज़ा रहा, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि गुस्ल करें, चुनाँचे वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल किया करती थीं।

ओज़ाई ने भी ऐसे ही रिवायत किया है कि आइशा (रज़ि.) ने कहा, वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल किया करती थीं।

तख़रीज 291: सहीह बुख़ारी : 327, व मुस्लिम : 334

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ " تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمٌ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ .

(292) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में इस्तेहाज़ा आता रहा, तो आपने उन्हें हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का हुक्म दिया और हदीस बयान की। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, उसे अबुल वलीद तयालिसी ने रिवायत किया है, मगर मैंने उनसे सुना नहीं है (बल्कि बिल्वास्ता सुना है।) (तयालिसी ने) सुलेमान बिन कसीर से वह ज़ोहरी से वह उर्वा से वह हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, कहा ज़ेनब बिन्ते जहश को इस्तेहाज़ा हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, ''हर नमाज़ के लिए गुस्ल किया करो।'' और हदीस बयान की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इसे अब्दुस्समद ने सुलेमान बिन कसीर से रिवायत किया तो कहा, 'हर नमाज़ के लिए वुज़ू किया करो।'' मगर यह अब्दुस्समद का वहम है। इस बारे में अबुल वलीद का क़ौल सही है।

तख़रीज 292: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 6/237, : 290 में देखें।

तौज़ीहहः शैख़ अल्बानी (रह.) का बयान है कि अबुल वलीद तयालिसी की रिवायत में सहीतर यह है कि यह ख़ातून उम्मे हबीबा बिन्ते जहश थीं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ - وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّيَ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ " إِنَّمَا هِيَ - أَوْ قَالَ إِنَّمَا هُوَ - عِرْقٌ أَوْ قَالَ عُرُوقٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ الأَمْرَانِ جَمِيعًا وَقَالَ " إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَإِلاَّ فَاجْمَعِي " . كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِي حَدِيثِهِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما .

(293) जनाब अबू सलमा कहते हैं कि मुझसे ज़ेनब बिन्ते अबी सलमा (रज़ि.) ने बयान किया कि एक औरत को बहुत ज़्यादा ख़ून आता था और वह अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) की ज़ोजियत में थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि ''हर नमाज़ के वक़्त गुस्ल करे और नमाज़ पढ़ा करे।''

(यहया बिन अबी कसीर ने कहा कि मुझे अबू सलमा ने बताया कि) उम्मे बक्र ने मुझे ख़बर दी कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस औरत के बारे में फ़र्माया, जिसे कि तोहर शुरू होने के बाद कोई शक वाली केफ़ियत दरपेश हो। ''बेशक यह रग (का ख़ून) है।'' (अल्फ़ाज़ में शक है) इन्नमा हिय इर्कुन या इन्नमा हुव इर्कुन या उरूकुन

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इब्ने अक़ील की रिवायत में दोनों बातें जमा हैं, आपने फ़र्माया, ''अगर ताक़त रखती हो तो हर नमाज़ के लिए गुस्ल कर लिया करो वरना जमा कर लो।'' जैसे कि क़ासिम ने अपनी रिवायत में बयान किया। और यही क़ौल सईद बिन जुबैर ने हज़रत अली और अब्बास (रज़ि.) से नक़्ल किया है।

तख़रीज 293: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 1/351, इब्नुल जारूदः 115, इब्ने माजाः 646

फ़ायदाः रिवायत 292 और 293 दोनों ज़ईफ़ हैं। इसलिए हर नमाज़ के लिए गुस्ल करना ज़रूरी नही है। हैज़ से पाक होने के बाद एक ही बार गुस्ल काफ़ी है। हदीस 290 और 291 में हज़रत उम्मे हबीबा का हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का जो अमल बयान किया गया है, इसकी बाबत इमाम शाफ़ेई (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) का हर नमाज़ के लिए गुस्ल करना अपनी पसंद से था, उन्हें उसका हुक्म नहीं दिया गया था। तफ़्सील के लिए देखिए (नैलुल औतारः 1/84, 283) लेकिन शैख़ अल्बानी और दीगर कुछ हज़रात ने हदीस 292, 293 को सही क़रार दिया है। देखिए (सहीह सुनन अबी दाऊद, तअलीक़ात अस्सैलुल जर्रारः 1/347, 348) उसमें तत्बीक़ की सूरत यह हो सकती है कि एक बार गुस्ल ज़रूरी है ताहम हर नमाज़ के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है, वल्लाहु आ'लम

﴾111﴿

باب مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلاً

बाबः 111

उन हज़रात की दलीलें जो क़ाइल हैं कि मुस्तहाज़ा नमाज़ें जमा करे और हर दो नमाज़ों के लिए एक गुस्ल करे।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً . وَأَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَتَغْتَسِلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ غُسْلاً . فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله

(294) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में एक औरत को इस्तहाज़ा आने लगा तो उसे हुक्म दिया गया कि नमाज़े अस्र को जल्दी और ज़ुहर को मुअख़्ख़र करे। और इन दोनों (नमाज़ों) के लिए एक गुस्ल करे। और मग़रिब को मुअख़्ख़र और इशा को जल्दी करे और इन दोनों के लिए एक गुस्ल करे और फ़ज्र की नमाज़ के लिए एक गुस्ल करे। मैंने (यानी शुअबा ने) अब्दुर्रहमान से कहा, क्या यह नबी (ﷺ) से मरवी है? उन्होंने कहा, मैं तुझे जो भी बयान

عليه وسلم فَقَالَ لاَ أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ .

करता हूँ वह नबी (ﷺ) ही की हदीस होती है।

तख़रीज 294: (सनद सहीह) नसाई, अत्तहारतः 214

फ़वाइद व मसाइलः यह औरत सहला बिन्ते सुहैल (रज़ि.) थीं जैसे कि आइन्दा हदीस में आ रहा है। और यह गुस्ल मुस्तहब है। वरना एक ही गुस्ल काफ़ी है जैसे कि अगले बाब की अहादीस में आ रहा है। इससे यह भी मालूम हुआ कि साहिबे उज़्र और मरीज़, नमाज़ों को जमा करके भी पढ़ सकता है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ، اسْتُحِيضَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا بِمَعْنَاهُ.

(295) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि सहला बिन्ते सुहैल (रज़ि.) को इस्तेहाज़े का आरज़ा हो गया तो वह नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आईं। आपने उन्हें हुक्म दिया कि हर नमाज़ के लिए गुस्ल किया करें, मगर जब वह उससे मशक़्क़त में पड़ गईं तो उन्हें हुक्म दिया कि ज़ोहर व असर की नमाज़ एक गुस्ल के साथ जमा करें और मग़रिब व इशा को एक गुस्ल के साथ और सुबह के लिए एक गुस्ल किया करें।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा इस रिवायत को इब्ने उयेयना ने अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम से, उन्होंने अपने वालिद से रिवायत किया है। कहा, एक औरत को इस्तेहाज़ा हो गया, उसने नबी (ﷺ) से पूछा तो आपने उसको हुक्म दिया। और ऊपर वाली हदीस के हम मअनी बयान किया।

तख़रीज 295: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 1/352, 353,

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ.

(296) सय्यदा अस्मा बिन्ते उ़मैस (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (रज़ि.) को इतनी मुद्दत से इस्तेहाज़ा हो रहा है और वह नमाज़ नहीं पढ़ सकी। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''सुब्हानल्लाह! यह शैतानी असर है। उसे चाहिए कि टब में बैठे, अगर पानी पर ज़र्दी ग़ालिब हो तो चाहिए कि ज़ुहर और अ़स्र के लिए एक ग़ुस्ल करे और मग़्रिब और इशा के लिए एक ग़ुस्ल करे और फ़ज्र के लिए एक ग़ुस्ल करे और उनके बीच वुज़ू करे।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा इस ह़दीस को मुजाहिद ने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया कि जब उस पर (हर नमाज़ के लिए) ग़ुस्ल मुश्किल हो गया तो उसे हुक्म दिया कि दो नमाज़ों को जमा कर लिया करे।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, और उसे इब्राहीम नख़ई ने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से नक़्ल किया है और इब्राहीम नख़ई और ऐसे ही अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद का भी यही क़ौल है।

तख़रीज 296: (सनद ज़ईफ़) दारक़ुत्नीः 1/215, 216, : 828, ह़ाकिमः 1/174

बाब: 112
उन हज़रात की दलीलें जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा तोहर से तोहर (पाकी) तक एक ही गुस्ल करे

﴿112﴾ باب مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ح، وَأَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْتَحَاضَةِ " تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ عُثْمَانُ " وَتَصُومُ وَتُصَلِّي " .

(297) जनाब अदी बिन साबित अपने वालिद से, वह उस (अदी) के नाना से वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने मुस्तहाज़ा के बारे में फ़र्माया, ''अपने हैज़ के अय्याम (दिनों) की नमाज़ छोड़ दे फिर गुस्ल करे और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे और हर नमाज़ के लिए वुज़ू किया करे।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, उस्मान ने ज़्यादा किया, ''रोज़े रखे और नमाज़ पढ़े।''

तख़रीज 297: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 126, व इब्ने माजा: 625

फ़ायदा: और यही बात दलीलों के एतिबार से क़वी (मजबूत) है और जुम्हूर इसी के क़ाइल हैं और दीगर अहादीस कि हर नमाज़ के लिए गुस्ल या दो नमाज़ों के लिए गुस्ल, यह सब इस्तिहबाब के मअनी में है। यानी इस अमल को नफ़्ल, मुस्तहब और बाइसे अज्रो सवाब समझा जाना चाहिए।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى

(298) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, वह कहती हैं कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (रज़ि.) नबी (ﷺ) के पास आईं और (रावी ने) इनका वाक़िया ज़िक्र किया। आपने फ़र्माया, ''फिर गुस्ल करो और फिर हर

الله عليه وسلم فَذَكَرَ خَبَرَهَا وَقَالَ " ثُمَّ اغْتَسِلِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَصَلِّي " .

नमाज़ के लिए वुज़ू करो और नमाज़ पढ़ती रहो।''

तख़रीज 298: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा : 624

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ - تَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً - ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا .

(299) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) से मुस्तहाज़ा के बारे में मरवी है कि वह ग़ुस्ल करे यानी एक ही बार। फिर अय्यामे हैज़ आने तक वुज़ू ही करती रहे।

तख़रीज 299: (सहीह) बैहक़ी: 1/346

फ़ायदा: रिवायत 297, 298 सनदन ज़ईफ़ है। ताहम इनमें बयानकर्दा बात सही अहादीस से साबित है। ग़ालिबन इसी वजह से शैख़ अल्बानी (रह.) ने इन दोनों रिवायात की तस्हीह की है। अल्बत्ता हदीस 300 की उन्होंने तज़्ईफ़ की है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ امْرَأَةِ، مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَالأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لاَ تَصِحُّ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ وَأَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ

(300) जनाब मसरूक़ की अहलिया हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करती हैं, उन्होंने नबी(ﷺ) से ऊपर वाली हदीस के मानिन्द बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मज़्कूरतुस्सदर रिवायतें अदी बिन साबित, अअमश हबीब और अय्यूब अबुल अलाअ सब ज़ईफ़ हैं, सही नहीं हैं। अअमश बवास्ता हबीब की हदीस (मज़्कूरा 298) ज़ईफ़ होने की दलील यह है कि हफ़्स बिन ग़यास, अअमश से मौक़ूफ़ बयान करते हैं और हफ़्स बिन ग़यास ने हबीब की हदीस के मरफ़ूअ होने का इंकार किया है, नीज़ अस्बात ने अअमश से आइशा (रज़ि.) पर मौक़ूफ़ ज़िक्र किया है।

مَرْفُوعًا وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاطُ عَنِ الأَعْمَشِ مَوْقُوفٌ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلُهُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ . فِي حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَرَوَى أَبُو الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَانٌ وَالْمُغِيرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ حَدِيثِ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ " تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ " . وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ " تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً " . وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ . وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إِلاَّ حَدِيثَ قَمِيرَ وَحَدِيثَ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَحَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَالْمَعْرُوفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि इब्ने दाऊद (रह.) ने अअमश से सिर्फ़ पहला हिस्सा मरफ़ूअ रिवायत किया है और इस बात का इंकार किया है कि इसमें हर नमाज़ के लिए वुज़ू का बयान हो।

हबीब की इस हदीस के ज़ईफ़ होने की (दूसरी) दलील यह भी है कि ज़ोहरी अन उर्वा अन आइशा की मुस्तहाज़ा वाली रिवायत में है उन्होंने कहा कि वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल किया करती थीं।

जबकि अबुल यक़्ज़ान ने बसनद अदी बिन साबित अन अबीही अन अली और अम्मार मौला बनी हाशिम ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से और अब्दुल मलिक बिन मैसरा, बयान बिन बिश्र, मुग़ीरा, फ़रास और मुजालिद ने शअबी से हदीसे क़मीर में हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान किया है कि वह हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे।

दाऊद और आसिम की रिवायत में जो शअबी अन क़मीर अन आइशा से मरवी है कि हर दिन एक गुस्ल करे। जबकि हिशाम बिन उर्वा अन अबीही की रिवायत है कि मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के लिए गुस्ल करे।

और यह सब अहादीस ज़ईफ़ हैं, सिवा (इन तीन अहादीस के, यानी) हदीसे क़मीर (ज़ोजा मसरूक़), हदीसे अम्मार मौला बनी हाशिम और हदीसे हिशाम बिन उर्वा अन अबीही। और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मअरूफ़ क़ौल गुस्ल का है।

तख़रीज 300: (सनद सहीह) बैहक़ी: 488, वस्सुननुल कुब्रा लिल्बैहक़ी: 1/346, 347

फ़ायदाः हदीसे क़मीर, हदीसे अम्मार और हदीसे हिशाम, तीनों में हर नमाज़ के लिए सिर्फ़ वुज़ू करने का हुक्म है, गुस्ल करने का या दो नमाज़ों के लिए एक गुस्ल करने का नहीं। इसलिए मुस्तहाज़ा औरत सिर्फ़ तुहर के वक़्त गुस्ल करेगी, उसके बाद हर नमाज़ के लिए सिर्फ़ वुज़ू करना उसके लिए काफ़ी होगा।

باب...
مَنْ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

बाबः ...
उन हज़रात की दलीलें जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा ज़ुहर से ज़ुहर तक एक ही गुस्ल करे

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْقَعْقَاعَ، وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، أَرْسَلاَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ . وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ إِلاَّ أَنَّ دَاوُدَ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ . وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ عِنْدَ الظُّهْرِ . وَهُوَ

(301) सुमय्य मौला अबीबक्र से मरवी है कि क़अक़ाअ और ज़ेद बिन असलम ने मुझे सईद बिन मुसय्यिब के पास भेजा कि उनसे मुस्तहाज़ा के गुस्ल के बारे में सवाल करूँ। तो उन्होंने कहा कि ज़ुहर से ज़ुहर तक के लिए गुस्ल करे और (उसके माबैन) बाक़ी हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे और अगर उस पर ख़ून ग़ालिब हो तो कपड़े का लंगोट बाँध लिया करे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि इब्ने उमर और अनस बिन मालिक (रज़ि.) से (भी यही) मरवी है कि ज़ुहर से ज़ुहर तक के लिए वुज़ू करे और ऐसे ही दाऊद और आसिम ने शअबी से वह अपनी ज़ोजा से वह क़मीर (जोजा मस्रूक़) से उसने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत किया है, मगर दाऊद ने कहा कि ''हर रोज़ गुस्ल करे।'' और आसिम की रिवायत में है कि ''ज़ुहर के वक़्त गुस्ल करे'' और यही क़ौल है सालिम बिन

قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ إِنِّي لأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ . فَقَلَبَهَا النَّاسُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ وَلَكِنَّ الْوَهَمَ دَخَلَ فِيهِ وَرَوَاهُ الْمِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ قَالَ فِيهِ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ . فَقَلَبَهَا النَّاسُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ .

अ़ब्दुल्लाह, ह़सन और अ़ता का।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, मालिक कहते हैं कि इब्ने मुसय्यिब की ह़दीस 'ज़ुहर से ज़ुहर तक' के बारे में मेरा गुमान है कि यह दरअस़ल 'तुहर से तुहर तक' है लेकिन किसी को वहम हुआ तो उसने उसे 'ज़ुहर से ज़ुहर तक' बना दिया। जबकि मिस्वर बिन अ़ब्दुल मलिक ने इस रिवायत को 'तुहर से तुहर तक' ही बयान किया है, मगर लोगों ने उसे 'ज़ुहर से ज़ुहर तक' बना दिया है।

तख़रीज 301: (सनद स़ह़ीह़) दारमीः 1/205, : 815, मौत्ता 1/63, व रवाहुल बैहक़ी : 486

फ़वाइद व मसाइल (1): यह रिवायत सनदन सही है, लेकिन इसमें स़ह़ाबा के आसार ही का बयान है, जबकि स़ह़ीह़ ह़दीस त़हारत ह़ास़िल होने के बाद सिर्फ़ एक ही बार ग़ुस्ल का इस्बात होता है, जैसाकि इससे पहले स़राह़त की जा चुकी है। **(2)** अल्फ़ाज़ का मअ़नी व मफ़्हूम वाज़ेह़ है कि ''ज़ुहर के वक़्त ग़ुस्ल करे।'' यानी रोज़ाना। मगर 'तुहर से तुहर तक' का मअ़नी यह है कि अय्यामे तुहर शुरू होने पर एक ग़ुस्ल करे जो वाजिब है। और मरफ़ूअ़ अह़ादीसे स़ह़ीह़ा से यही बात साबित है। अबूबक्र बिन अ़रबी ने कहा कि जब हर नमाज़ के लिए ग़ुस्ल इंतिहाई मुश्किल हो तो हर रोज़ एक वक़्त ग़ुस्ल कर लिया करे जबकि दिन ख़ूब गर्म हो और उससे मत़्लूब मज़ीद नज़ाफ़त है।

﴾113﴿
بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ الظُّهْرِ

बाब: 113
उन ह़ज़रात की दलील जो कहते हैं कि (मुस्तह़ाज़ा) हर रोज़ एक बार ग़ुस्ल करे और ज़ुहर के वक़्त की तअ़यीन नहीं करते।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

(302) सय्यदना अ़ली (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुस्तह़ाज़ा का ह़ैज़ जब ख़त्म हो

نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، - وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ - عَنْ مَعْقِلٍ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى حَيْضُهَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ وَاتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ .

जाए तो वह हर रोज़ ग़ुस्ल किया करे और थोड़ी सी ऊन घी या ज़ेतून के तेल में तर करके हमूल कर लिया करे। (यानी फ़र्ज (शर्मगाह) में रख लिया करे।)

तख़रीज 302: (सनद ज़ईफ़)

वज़ाहतः कुछ उलमा इसके क़ाइल हैं। और यह हज़रत अली (रज़ि.) का क़ौल है मगर मरफ़ूअ हदीस नहीं है और वह भी सनदन ज़ईफ़ है। और ज़ाहिर है कि यह सूरत वाजिब नहीं बतौर नज़ाफ़त मुस्तहब व मंदूब है और अल्लामा मुंज़िरी ने इसे 'ग़रीब' कहा है।

﴾114﴿

باب مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

बाब: 114
उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा उन अय्याम (दिनों) में (मौक़ा ब मौक़ा) ग़ुस्ल करती रहे

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّي ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الأَيَّامِ .

(303) मुहम्मद बिन उस्मान ने क़ासिम बिन मुहम्मद से मुस्तहाज़ा के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अपने हैज़ के दिनों में नमाज़ छोड़े रहे, फिर (उनके ख़त्म होने पर) ग़ुस्ल करे और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे और फिर उन दिनों के बीच (मौक़ा बमौक़ा) ग़ुस्ल करती रहे।

तख़रीज 303: (सनद सहीह)

फ़ायदाः यह हुक्म शरई नहीं बल्कि मअमूल का ग़ुस्ल है जो इंसान हस्बे ख़्वाहिश या हस्बे ज़रूरत नज़ाफ़त और पाकीज़गी के लिए करता रहता है।

बाब: 115
उन हज़रात के दलाइल जो कहते हैं कि (मुस्तहाज़ा) हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे

﴾115﴿
باب مَنْ قَالَ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حِفْظًا فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ الْعَلاَءُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

(304) सय्यदा फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्हें इस्तेहाज़ा होता था तो नबी (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, ''जब हैज़ का ख़ून आए और यह स्याह रंग का होता है और पहचाना जाता है, तो जब यह शुरू हो तो नमाज़ से रुक जाओ और जब दूसरा हो तो वुज़ू करो और नमाज़ पढ़ो।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने बयान किया कि इब्ने मुसन्ना ने कहा कि हमें यह ह़दीस इब्ने अबी अ़दी ने अपने ह़िफ़्ज़ से बयान की तो उसकी सनद में अ़ाइशा का इज़ाफ़ा किया (यानी उ़र्वा अ़न अ़ाइशा अ़न फ़ातिमा)।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, अ़लाअ बिन मुसय्यिब और शुअ़बा से मरवी है (दोनों) ह़कम से वह अबू जअ़फ़र से रिवायत करते हैं। अ़लाअ ने मरफ़ूअ़न नबी (ﷺ) से और शुअ़बा ने अबू जअ़फ़र से **मौक़ूफ़न** बयान किया ''वह हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे।''

तख़रीज 304: (सनद ज़ईफ़) 286 में देखें।

मल्हूज़ा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है जो पीछे तफ़्सील से गुज़र चुकी है। देखिए ह़दीस 286। ताहम इसमें बयानकर्दा बात दीगर स़ह़ीह़ अह़ादीस से साबित है। अल्बत्ता इसमें इख़्तिसार है और त़हारत

ह़ासिल होने के बाद गुस्ल का ज़िक्र नहीं है। शैख़ अल्बानी (रह़) ने इसकी तह़सीन की है। यह और इसी क़िस्म की दीगर अह़ादीस से इस्तिदलाल किया गया है कि मुस्तह़ाज़ा एक वुज़ू से दो नमाज़ें नहीं पढ़ सकती, बल्कि हर नमाज़ के लिए उसे वुज़ू करना चाहिए।

बाब: 116
उन लोगों की दलील जो (मुस्तह़ाज़ा को अलावा ख़ून के) किसी ह़दस के लाह़िक़ होने ही पर वुज़ू के क़ाइल हैं

﴿116﴾
بَاب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلاَّ عِنْدَ الْحَدَثِ

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ .

(305) जनाब इक्रिमा बयान करते हैं कि ह़ज़रत उम्मे ह़बीबा बिन्ते जह़श (रज़ि) को इस्तेह़ाज़ा शुरू हो गया तो नबी (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया, ''अपने अय्यामे हैज़ (के ख़त्म होने) का इंतिज़ार करे। फिर गुस्ल करे और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। अगर (ख़ून के अलावा) कोई ह़दस मह़सूस करे तो वुज़ू करे और नमाज़ पढ़े।''

तख़रीज 305: (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इसलिए राजेह़ बात यही है कि मुस्तह़ाज़ा हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे, चाहे उसका पहले वाला वुज़ू बरक़रार भी हो।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ

(306) रबीआ (बिन अब्दुर्रह़मान, अल्मअरूफ़ रबीआ अर्राय ताबेई) से मंक़ूल है कि वह मुस्तह़ाज़ा पर हर नमाज़ के लिए तज्दीद (नया) वुज़ू के क़ाइल न थे मगर यह कि इसे ख़ून के अलावा कोई और ह़दस लाह़िक़ हो तो वुज़ू करे।

الدَّمِ فَتَوَضَّأْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि जनाब मालिक बिन अनस (रह.) का भी यही क़ौल है।

तख़रीज 306: (सनद सहीह)

(117) بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

बाब: 117 औरत अगर तुहर के बाद पीला (ज़र्द) या मेला पानी महसूस करे?

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، وَكَانَتْ، بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا .

(307) उम्मे अतिया (रज़ि.) से रिवायत है, और उन्होंने नबी (ﷺ) से बेअत की थी, बयान करती हैं कि हम तुहर शुरू हो जाने के बाद मेले या पीले से पानी आने को कुछ न समझती थीं।

तख़रीज 307: (सनद सहीह) बैहक़ी: 1/337, व सहहुल हाकिम: 1/174, 175, इब्ने माजा: 647

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِمِثْلِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أُمُّ الْهُذَيْلِ هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ كَانَ ابْنُهَا اسْمُهُ هُذَيْلٌ وَاسْمُ زَوْجِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ .

(308) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन ने हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) से इसी के मिस्ल रिवायत किया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, उम्मे हुज़ैल से मुराद हफ़्सा बिन्ते सीरीन हैं। उनके बेटे का नाम हुज़ैल और शौहर का नाम अब्दुर्रहमान था।

तख़रीज 308: सहीह बुख़ारी : 326

मसला: अय्यामे तोहर (पाकी के दिनों) में अगर ख़ातून कोई पीला या मेला पानी महसूस करे तो यह कैफ़ियत तहारत के ख़िलाफ़ नहीं है।

बाब: 118 मुस्तहाज़ा से उसका शौहर मुजामिअत कर सकता है

﴾118﴿ باب الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ مُعَلَّى ثِقَةٌ . وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لاَ يَرْوِي عَنْهُ لأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ .

(309) जनाब इक्रिमा ने बयान किया कि उम्मे हबीबा (रज़ि.) को इस्तेहाज़ा होता था और उनका शौहर उनसे मुजामिअत किया करता था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, यहया बिन मईन ने मुअल्ला को सिक़ा कहा है। जबकि इमाम अहमद बिन हंबल उससे कुछ रिवायत न करते थे क्यों कि वह राय और क़यास की तरफ़ माइल थे।

तख़रीज 309: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 1/329, 305 में देखें।

तौज़ीह: मुक़द्दमा फ़त्हुल बारी में है कि यह वही अहादीस बयान करते थे जो राय और क़यास के मुवाफ़िक़ होती थीं और ग़ल्तियाँ भी करते थे।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا .

(310) जनाब इक्रिमा, हम्ना बिन्ते जहश (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि उन्हें इस्तेहाज़ा आता था और उनके शौहर उनसे मुबाशिरत करते थे।

तख़रीज 310: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 1/329, 305 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल (1) इस्तेहाज़ा चूँकि एक मर्ज़ है और यह आरज़ा किसी ख़ातून के लिए इबादात या मअरूफ़ मअमूलात से रुकावट का बाइस नहीं। **(2)** हदीस 309, 310 ज़ईफ़ हैं। ताहम दूसरी दलीलों से साबित है कि मुस्तहाज़ा से सोहबत करना जाइज़ है, ग़ालिबन इसी वजह से शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह दोनों रिवायात सही हैं।

बाब: 119
निफ़ास के दिनों के अहकाम व मसाइल

(311) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि निफ़ास वाली औरतें रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में ज़चगी के बाद चालीस दिन या चालीस रातें बैठी रहती थीं और चेहरे की रंगत बदल जाने (या झाइयाँ पड़ने) की वजह से हम अपने चेहरों पर वर्स मलती थीं। (यह ज़र्द रंग की एक बूटी होती है जो बतौर उब्टन इस्तेमाल की जाती है।)

तख़रीज 311: (हसन) तिर्मिज़ी : 139, व इब्ने माजा: 648, हाकिम: 1/175

(312) कसीर बिन ज़ियाद कहते हैं कि मुझसे अज़्दिया यानी मुस्सा ने बयान किया, वह कहती हैं कि मैं हज्ज को गई तो हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के पास गई। मैंने कहा, ऐ उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.)! समुरा बिन जुंदुब (सहाबी रसूल) औरतों को हुक्म देते हैं कि अय्यामे हैज़ की नमाज़ों की क़ज़ा किया करें। उन्होंने कहा, कोई क़ज़ा न करें। नबी (ﷺ) की औरतों में से कोई निफ़ास से होती तो चालीस रात बैठी रहती। नबी (ﷺ) उसे उन दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा करने का हुक्म न देते थे।

मुहम्मद बिन हातिम ने कहा कि उस ख़ातून

﴿119﴾
باب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ يَعْنِي مِنَ الْكَلَفِ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، - يَعْنِي حِبِّي - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي الأَزْدِيَّةُ، - يَعْنِي مُسَّةَ - قَالَتْ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلاَةَ الْمَحِيضِ . فَقَالَتْ لاَ يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ

لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ . قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ حَاتِمٍ وَاسْمُهَا مُسَّةُ تُكْنَى أُمَّ بُسَّةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنْيَتُهُ أَبُو سَهْلٍ .

राविया का नाम मुस्सा (मीम के ज़म्मा (पेश) और सीन की तशदीद के साथ) है। और उसकी कुन्नियत उम्मे बुस्सा है। (ब के ज़म्मा (पेश) और सीन की तशदीद के साथ) इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, कसीर बिन ज़ियाद की कुन्नियत अबू सहल है।

तख़रीज 312: (सनद ह़सन) पिछली ह़दीस देखें

तौज़ीह: जब निफ़ास के इस क़द्र लम्बी मुद्दत की नमाज़ों की क़ज़ा नहीं दी जाती तो ऐसे ही ह़ैज़ का मसला भी है।

﴾120﴿
باب الاِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

बाब: 120
ग़ुस्ले ह़ैज़ के अह़काम व मसाइल

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهَا لِي قَالَتْ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ - قَالَتْ - فَوَاللَّهِ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصُّبْحِ فَأَنَاخَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ فَإِذَا

(313) उमय्या बिन्ते अबी स़ुल्त क़बीला बनी ग़िफ़ार की एक ख़ातून से रिवायत करती हैं (सलमा ने कहा) मेरे शैख़ ने मुझसे उनका नाम ज़िक्र किया था (मगर मैं भूल गया) वह बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अपनी सवारी पर पालान के पिछले हिस्से पर बिठा लिया और क़सम अल्लाह की! रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह़ के वक़्त ही ऊँटनी से उतरे। आपने सवारी को बिठाया और मैं भी पालान के पीछे से उतरी तो उस पर मेरे ख़ून का निशान था और यह मेरा पहला ह़ैज़ था। कहती हैं कि मुझे ह़या आई और मैं ऊँटनी से लग गई। चुनाँचे

بِهَا دَمٌ مِنِّي فَكَانَتْ أَوَّلَ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا - قَالَتْ - فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ " مَا لَكِ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ " . قَالَتْ فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَىْءِ - قَالَتْ - وَكَانَتْ لاَ تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلاَّ جَعَلَتْ فِي طَهُورِهَا مِلْحًا وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ .

जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मेरी केफ़ियत देखी और ख़ून भी (तो समझ गये) और फ़र्माया, ''क्या हुआ? शायद कि तुझे हैज़ आ गया है?'' मैंने कहा, हाँ! आपने फ़र्माया, 'अपने आपको दुरुस्त कर लो और पानी का एक बर्तन लेकर उस पर कुछ नमक मिला लो और पालान को जो ख़ून लगा है उसे धो डालो और फिर अपनी जगह सवार हो जाओ।'' वह बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ख़ैबर फ़तह कर लिया तो हमें माले फ़ै (ग़नीमत) में से कुछ इनायत किया। वह कहती हैं कि वह जब भी हैज़ से पाक होतीं तो पानी में नमक मिला लिया करती थीं, हत्ताकि उन्होंने मौत के वक़्त वसिय्यत की कि उनके गुस्ल के पानी में नमक मिलाया जाए।

तख़रीज 313: (सनद ज़ईफ़) अहमद: 6/380

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَتْ أَسْمَاءُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ " تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأُ ثُمَّ تَغْسِلُ

(314) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा(रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत अस्मा (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ आईं और कहने लगीं, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! जब हममें से कोई हैज़ से पाक हो, तो कैसे गुस्ल करे? आपने फ़र्माया, ''बेरी के पत्ते मिला पानी ले और वुज़ू करे, फिर अपना सिर धोये और ख़ूब मले हत्ता (यहाँ तक) कि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच जाए, फिर बाक़ी जिस्म पर पानी

رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَّهَّرُ بِهَا " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِي يَكْنِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهَا تَتَّبِعِينَ بِهَا آثَارَ الدَّمِ .

बहाए, फिर रूई की पोटली ले और उससे तहारत हासिल करे।'' कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! इससे कैसे तहारत हासिल करूँ? हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं समझ गई कि रसूलुल्लाह(ﷺ) क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने उसे बताया कि उसे ख़ून के मक़ाम पर रखो।

तख़रीज 314: सहीह मुस्लिम : 332, व रवाहुल बुख़ारीः 314

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا وَقَالَتْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " فِرْصَةً مُمَسَّكَةً " . قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ أَبُو عَوَانَةَ يَقُولُ فِرْصَةً وَكَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يَقُولُ قَرْصَةً .

(315) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा(रज़ि.) से रिवायत है उन्होंने (हज़रत आइशा ने) ख़्वातीने अंसार का ज़िक्र किया और उनकी मदह (तारीफ़) की और ज़िक्रे ख़ैर किया। कहा कि उनमें से एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आई... और ऊपर वाली हदीस के हम मअ़नी बयान किया, मगर इस रिवायत में है ''कस्तूरी का फाहा (वह कपड़ा जिस पर मरहम रखकर ज़ख़्म पर लगाते हैं) ले।'' मुसद्दद ने कहा कि अबू अवाना फ़िर्सतन का लफ़्ज़ बयान करते थे और अबुल अह्वस क़ुर्सतुन

तख़रीज 315: (सनद सहीह) पिछली हदीस देखें

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، - يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ - عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله

(316) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि हज़रत अस्मा ने नबी(ﷺ) से सवाल किया और ऊपर वाली हदीस के हम मअ़नी रिवायत किया। उसमें है कि कस्तूरी का फाहा ले। वह कहने लगी कि इससे किस तरह तहारत हासिल करूँ?

عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ " فِرْصَةً مُمَسَّكَةً " . قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا وَاسْتَتِرِي بِثَوْبٍ " . وَزَادَ وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ " تَأْخُذِينَ مَاءَكِ فَتَطَهَّرِينَ أَحْسَنَ الطُّهُورِ وَأَبْلَغَهُ ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى رَأْسِكِ الْمَاءَ ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِكِ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ " . قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّينِ وَيَتَفَقَّهْنَ فِيهِ .

आपने फ़र्माया 'सुब्हानल्लाह! इससे पाकीज़गी हासिल कर।'' और आपने कपड़े से अपना मुँह छुपा लिया और उसमें इज़ाफ़ा है कि उसने गुस्ले जनाबत के बारे में पूछा, आपने फ़र्माया, 'अपना पानी लो और उससे ख़ूब अच्छी तरह मुकम्मल वुज़ू करो, फिर अपने सिर पर पानी डालो, फिर उसे मलो, यहाँ तक कि बालों की जड़ों तक पहुँच जाए। फिर बाक़ी जिस्म पर पानी बहाओ।'' हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, अंसार की औरतें बहुत खूब हैं, उन्हें दीन के मसाइल पूछने और समझने में हया रुकावट न होती।

तख़रीज 316: (सनद सहीह) बैहक़ी: 1/180, मिन हदीसे अबी दाऊद बिही

फ़वाइद व मसाइल: (1) औरतों और मर्दों के गुस्ल का एक ही तरीक़ा है मगर यह कि औरतों को गुस्ले जनाबत में बँधे बाल न खोलने की इजाज़त है, मगर गुस्ले हैज़ में उनको खोलने का हुक्म है। इसी तरह उनके लिए ख़ून की जगह पर कस्तूरी या ख़ुश्बू का इस्तेमाल करना भी मुस्तहब है। बेरी का पानी, ख़त्मी, साबुन या शेम्पू का इस्तेमाल भी मुबाहात में से है और औरतों के लिए ज़्यादा अफ़ज़ल है। **(2)** मर्द हो या औरत हर एक के लिए लाज़िम है कि अहले इल्म (इल्म रखने वालों) से मख़सूस मख़फ़ी मसाइल भी पूछा या पुछवाया करें। इन मसाइल में ख़ामोशी कभी कभी इंसान को हराम में डाल सकती है और अहले इल्म पर भी लाज़िम है कि इशारे किनाये की अहसन ज़ुबान में हक़ाइक़ बयान करने से गुरेज़ न किया करें।

﴿121﴾ باب التَّيَمُّمِ

बाब: 121
तयम्मुम के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي

(317) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) और कुछ

شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلاَدَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَرْحَمُكِ اللَّهُ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا .

लोगों को वह हार ढूँढने भेजा जो मुझसे गुम हो गया था, (उस बीच में) नमाज़ का वक़्त हो गया तो उन्होंने बग़ैर वुज़ू के नमाज़ पढ़ ली। फिर नबी(ﷺ) के पास आए और अपनी बात बताई, तो तयम्मुम की आयत नाज़िल हुई। इब्ने नुफ़ैल ने इस क़द्र मज़ीद बयान किया कि उसैद ने उन (हज़रत आइशा रज़ि.) से कहा, अल्लाह आप पर रहम करे। आपको जब भी कोई परेशानी लाहिक़ हुई जो आपको नागवार हुई मगर अल्लाह ने उसे मुसलमानों के लिए मुफ़ीद बना दिया और आपके लिए भी उसमें से कोई राह निकाल दी।

तख़रीज 317: सहीह बुख़ारी:336, व मुस्लिम :367

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّعِيدِ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ .

(318) सय्यदना अम्मार बिन यासिर (रज़ि.) से रिवायत है वह बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की मइयत (साथ) में नमाज़े फ़ज्र के लिए तयम्मुम किया तो (उसकी सूरत यह रही कि) उन्होंने अपने हाथ मिट्टी पर मारे और अपने चेहरों पर फेरे, फिर दूसरी बार मारे और अपने पूरे बाज़ूओं पर फेरे, कँधों तक और अंदर की तरफ़ से बग़लों तक।

तख़रीज 318: (सनद सहीह) इब्ने माजा: 571

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، وَعَبْدُ

(319) सुलेमान बिन दाऊद महरी और

अ़ब्दुल मलिक बिन शुऐ़ब ने इब्ने वहब के वास्ते से पिछली ह़दीस के मिस्ल बयान किया, कहा कि मुसलमान उठे और अपने हाथ मिट्टी पर मारे लेकिन मिट्टी से कुछ न पकड़ा। मज़्कूरा ह़दीस के क़रीब क़रीब ज़िक्र किया और उसमें कँधों और बग़लों का ज़िक्र नहीं किया। इब्ने लेस ने कहा, कोहनियों से ऊपर तक (मसह़ किया)।

तख़रीज 319: (सनद सह़ीह़) देखिए पिछली ह़दीस

الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالآبَاطَ ‏.‏ قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ.

(320) जनाब उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से वह अ़म्मार बिन यासिर (रज़ि.) से रिवायत करते है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक़ामे 'ऊलातुल जैश' में आख़िर रात में पड़ाव डाला। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) आपके साथ थीं। तो उनका हार जो कि ज़फ़ार के मुँगों का था, टूटकर गिर गया। उस हार की तलाश ने लोगों को (आगे चलने से) रोक लिया, यहाँ तक कि सुबह़ रोशन हो गई और उनके पास पानी भी न था, उस पर अबूबक्र (रज़ि.) को (ह़ज़रत आइशा रज़ि. पर) गुस्सा आ गया और कहा, तूने लोगों को रोक रखा है और उनके पास पानी भी नहीं है। तो उस मौक़े पर अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल पर पाक मिट्टी से त़हारत ह़ासिल करने की रुख़्सत नाज़िल की। चुनाँचे मुसलमान रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ उठे और अपने हाथ ज़मीन पर मारे और उठा लिये, हाथों मे

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرَّسَ بِأُولاَتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءُ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ

بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ . زَادَ ابْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ وَلاَ يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ يُونُسُ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَشَكَّ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَرَّةً قَالَ عَنْ أَبِيهِ وَمَرَّةً قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اضْطَرَبَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ وَفِي سَمَاعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ إِلاَّ مَنْ سَمَّيْتُ .

कोई मिट्टी न उठाई और फिर उन्हें अपने चेहरों और बाज़ुओं पर कँधों तक और अंदर की तरफ़ से बग़लों तक फेर लिया। इब्ने यह्या ने अपनी रिवायत में मज़ीद कहा कि इब्ने शिहाब ने अपनी ह़दीस में कहा कि मगर लोग इस ह़दीस का एतिबार नहीं करते। इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, इब्ने इस्ह़ाक़ (रह़.) ने रिवायत किया है, उसमें ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है और दो बार हाथ मारना बयान किया, जैसे कि यूनुस ने ज़िक्र किया है। और इस रिवायत में मअ़मर ने ज़ोहरी से रिवायत किया तो उसमें भी 'दो बार मारना' है। इमाम मालिक (रह़.) की सनद यूँ है अ़न ज़ोहरी अ़न उ़बेदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह अ़न अबीही अ़न अ़म्मार और ऐसे ही अबू उवेस ने ज़ोहरी से रिवायत किया। और इब्ने उ़येयना को इस सनद में शक हुआ तो एक बार यूँ बयान की, अ़न उ़बेदुल्लाह अ़न अबीही या अ़न उबेदुल्लाह अ़न इब्ने अ़ब्बास और एक बार अ़न अबीही कहा और एक बार अ़न इब्ने अ़ब्बास कहा। इब्ने उ़येयना को उसमें ज़ोहरी से सिमाअ़ में इज़्तिराब हुआ है मगर उनमें से किसी एक ने भी इस ह़दीस में 'दो बार हाथ मारने' का ज़िक्र नहीं किया, सिवा उनके जिनका मैंने नाम लिया।

तख़रीज 320: (सनद सह़ीह़) नसाइ : 315

तौज़ीह: अ़ल्लामा मुंज़िरी (रह़.) ने कहा है कि ह़दीसे अ़म्मार (रज़ि.) में दो बातें हैं कि स़ह़ाबा का अ़मल या तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़र्मान की रोशनी में था या उनका अपना इज्तिहाद था। अगर इनका यह फ़ेअ़ल (अ़मल) अपने इज्तिहाद से था तो नबी (ﷺ) का फ़ेअ़ल (अ़मल) उनके बरख़िलाफ़

साबित हुआ है और रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़र्मान के मुक़ाबले में किसी का क़ौलो फ़ेअल (अमल) कोई हैसियत नहीं रखता। हक़ ही इस लायक़ होता है कि इसकी इत्तिबाअ की जाए। अगर बिल्फ़र्ज़ इन हज़रात का अमल रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़र्मान के तहत था तो साबित होता है कि इसे मंसूख़ (ख़त्म) कर दिया गया है और इसके लिए नासिख़ (ख़त्म करने वाला) भी। इन ही हज़रात अम्मार (रह.) की एक और हदीस है, अल्ख़

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا . أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ فَقَالَ لاَ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ } فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا { فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ . فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِهَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ

(321) शक़ीक़ कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) के बीच बैठा हुआ था कि अबू मूसा ने कहा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! फ़र्माईए अगर कोई आदमी जुंबी हो जाए और एक महीने तक पानी न मिले तो क्या वह तयम्मुम नहीं करेगा? (अब्दुल्लाह ने कहा) नहीं! अगरचे वह एक महीने तक पानी न पाए। अबू मूसा ने कहा, तो आप सूरह माइदा की इस आयत के बारे में क्या कहेंगे (फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन) ''अगर पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो।'' हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा, अगर उन्हें उसकी रुख़सत दे दी जाए तो ऐन मुम्किन है कि जब भी पानी ठण्डा हुआ तो यह मिट्टी से तयम्मुम करने लगेंगे। अबू मूसा (रह.) ने उनसे कहा, अच्छा तो आप इसी वजह से इसे मकरूह (नापसन्द) जानते हैं? कहा कि हाँ! अबू मूसा ने कहा, क्या आपने अम्मार की वह बात नहीं सुनी जो उन्होंने उमर से कही थी? कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे किसी काम से भेजा और मैं जुंबी हो गया और पानी न मिला तो मैं मिट्टी में लोट पोट हो गया जैसे

فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا " . فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ فَنَفَضَهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ

कि जानवर लोट पोट होता है, फिर मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और अपनी बात बताई तो आपने फ़र्माया, ''तुम्हें तो बस यही काफ़ी था कि इस तरह कर लेते।'' फिर आपने अपना हाथ ज़मीन पर मारा, फिर उसे झाड़ा, फिर अपने बाएँ को दाएँ पर और दाएँ को बाएँ हथेलियों पर फेरा , फिर अपने चेहरे का मसह किया। तो अ़ब्दुल्लाह (इब्ने मसऊ़द) ने उनसे कहा, तो क्या आपने नहीं देखा कि उ़मर ने अ़म्मार की बात पर क़नाअ़त नहीं की।

तख़रीज 321: सह़ीह़ मुस्लिम : 368, सह़ीह़ बुख़ारी, : 345, 346

फ़वाइद व मसाइलः (1) कोई भी मुसलमान दीनी उमूर (मामलात) में किसी फ़ाज़िल साहिबे इल्म के मिलने तक इज्तिहाद कर सकता है, फिर उससे अपने अ़मल की तौसीक़ व तस्ह़ीह़ करा ले जैसे कि ह़ज़रत अ़म्मार ने किया। **(2)** तयम्मुम की सहीतर रिवायात में ज़मीन पर एक ही बार हाथ मारना है और फिर हाथों और चेहरे का मसह़ करना है। और यह अ़मल पानी मिलने तक ह़दसे अस़ग़र और ह़दसे अकबर (जनाबत या ह़ैज़ से त़हारत) दोनों के लिए काफ़ी है। **(3)** ह़ज़रत अ़म्मार (रज़ि.) के इस वाक़िया में ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) भी उनके साथ थे मगर उन्हें निस्यान हो गया और याद नहीं रहा और कुछ औक़ात (समय) ऐसे हो जाता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ . فَقَالَ عُمَرُ أَمَّا

(322) जनाब अ़ब्दुर्रह़मान बिन अब्ज़ा कहते हैं कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के पास था कि एक आदमी उनके पास आया और कहा, हम कुछ औक़ात महीना दो महीना ऐसे मक़ामात पर होते हैं (जहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता) तो उ़मर ने कहा, मैं तो ऐसी सूरत में नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, यहाँ तक कि पानी पा लूँ। अ़म्मार (रज़ि.) ने कहा, ऐ

أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ . قَالَ فَقَالَ عَمَّارٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الإِبِلِ فَأَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا " . وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ . فَقَالَ عُمَرُ يَا عَمَّارُ اتَّقِ اللَّهَ . فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ وَاللَّهِ لَمْ أَذْكُرْهُ أَبَدًا . فَقَالَ عُمَرُ كَلاَّ وَاللَّهِ لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

अमीरुल मोमिनीन! क्या आपको याद नहीं कि जब मैं और आप ऊँट चराने गए थे और हम जुंबी हो गए थे तो मैं (मिट्टी में) लोट पोट हो गया था, फिर हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आए और यह क़िस्सा ज़िक्र किया तो आपने फ़र्माया था, ''तुम्हें यही काफ़ी था कि ऐसे कर लेते और आपने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर उन दोनों में फूँक मारी और उन्हें अपने चेहरे पर फेरा और हाथों पर भी आधी कलाई तक।'' तो उमर (रज़ि.) ने कहा, ऐ अम्मार! अल्लाह से डरो (ऐसी बात क्यूँ कहते हो) तो अम्मार ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! अगर आप कहें तो क़सम अल्लाह की इस वाक़िया का कभी ज़िक्र नहीं करूँगा। तो उमर (रज़ि.) ने कहा, हर्गिज़ नहीं, क़सम अल्लाह की! इसमें हम तुम्हें ही तुम्हारी बात का ज़िम्मेदार बनाते हैं।

तख़रीज 322: (सनद सहीह) बैहक़ी: 1/210

फ़ायदाः इसमें 'कलाई तक' के अल्फ़ाज़, शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक शाज़ (ग़ैर सही) हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ " يَا عَمَّارُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا " . ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ثُمَّ ضَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ

(323) जनाब सलमा बिन कुहैल, इब्ने अब्ज़ा से वह हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ि) से, इस हदीस में है, कहा कि ऐ अम्मार (रज़ि.)! तुम्हें तो बस इस तरह काफ़ी था। फिर अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे। फिर एक को दूसरे पर मारा और फिर अपने चेहरे और आधी कलाइयों तक फेर लिए, कोहनियों तक नहीं ले गए और हाथ

وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاعِدَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ.

ज़मीन पर एक ही बार मारे।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, इस ह़दीस को वुकीअ़ ने अअ़मश से उन्होंने सलमा बिन कुहैल से उन्होंने अ़ब्दुर्रह़मान बिन अब्ज़ा से रिवायत किया। और जरीर ने अअ़मश से उन्होंने सलमा से उन्होंने सईद बिन अ़ब्दुर्रह़मान बिन अब्ज़ा यानी उन्होंने अपने वालिद से।

तख़रीज 323: (सनद स़ह़ीह़) पिछली ह़दीस देखें

फ़ायदा: इसमें भी ज़िराऔनि 'कलाइयों' और मिर्फ़क़ैन 'कोहनियों' का ज़िक्र सही नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ -أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ " . وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ شَكَّ سَلَمَةُ وَقَالَ لاَ أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ . يَعْنِي أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ .

(324) जनाब इब्ने अ़ब्दुर्रह़मान बिन अब्ज़ा अपने वालिद से वह अ़म्मार (रज़ि.) से यही क़िस्सा बयान करते हैं। इसमें कहा, 'तुम्हें यही काफ़ी था।' और नबी (ﷺ) ने अपना हाथ ज़मीन पर मारा, फिर उसमें फूँक मारी और उससे अपने चेहरे और दोनों हाथों का मसह़ किया। सलमा को शक हुआ है, कहा, मुझे मालूम नहीं कि इस रिवायत में 'कोहनियों तक है' या 'हथेलियों तक।'

तख़रीज 324: स़ह़ीह़ बुख़ारी338, मुस्लिम : 368

मल्ह़ूज़ा: इस रिवायत में (कफ़्फ़ैन) यानी हाथों का ज़िक्र ही सही तौर पर 'मह़फ़ूज़' है। न कि 'कोहनियों तक' का (शैख़ अल्बानी रह़.) जैसे कि ह़दीस (326) में आ रहा है।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، - يَعْنِي الأَعْوَرَ - حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا

(325) जनाब शुअ़बा ने अपनी सनद से यह ह़दीस बयान की और कहा, फिर उसमें फूँक मारी और उससे अपने चेहरे और हाथों का कोहनियों तक या कलाइयों तक मसह़ किया। शुअ़बा ने कहा, सलमा दोनों हाथ,

وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الذِّرَاعَيْنِ . قَالَ شُعْبَةُ كَانَ سَلَمَةُ يَقُولُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَنْصُورٌ ذَاتَ يَوْمٍ انْظُرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّهُ لاَ يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ .

चेहरा और दोनों कलाइयाँ बयान किया करते थे। तो एक दिन मंसूर ने उनसे कहा कि जो आप कहते हैं उसमें ग़ौर कर लीजिए। 'कलाइयों' का ज़िक्र आपके अलावा और कोई नहीं करता।

तख़रीज 325: (सनद सहीह)
बैहक़ीः 1/210 और देखें पिछली हदीस

मल्हूज़ा : इस रिवायत में भी 'कलाइयों' का ज़िक्र महफ़ूज़ न हीं है। (सहीह सुनन अबी दाऊद)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ إِلَى الأَرْضِ فَتَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَنْفُخْ . وَذَكَرَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ وَنَفَخَ .

(326) जनाब इब्ने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा, अपने वालिद से वह अम्मार (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, इस हदीस में कहा कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम्हें यही काफ़ी था कि अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारते और अपने चेहरे और हाथों का मसह कर लेते।' और हदीस बयान की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इसको शुअबा ने हुसैन से उन्होंने अबू मालिक से रिवायत किया, कहा कि मैंने अम्मार को ख़ुत्बे में ऐसे ही बयान करते सुना, मगर उन्होंने कहा, फूँक नहीं मारी।' और हुसैन बिन मुहम्मद ने शुअबा से उन्होंने हकम से रिवायत किया तो कहा, 'अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे और फूँक मारी।''

तख़रीज 326: (सनद सहीह)
दारक़ुत्नीः 1/183, 184

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ،

(327) जनाब सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा अपने वालिद से बयान करते हैं वह हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ि .) से, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से तयम्मुम

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .

के बारे में पूछा तो आपने मुझे हुक्म दिया कि चेहरे और हाथों के लिए एक ही बार हाथ मारूँ।

तख़रीज 327: (सनद हसन) तिर्मिज़ीः 144, व सहहहु दारमीः 1/156, व इब्ने ख़ुज़ैमाः 267, व इब्ने हिब्बानः 1300, व इब्नुल जारूदः 126

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ، فِي السَّفَرِ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ " .

(328) जनाब अबान कहते हैं कि क़तादा (रह.) से सफ़र में तयम्मुम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझसे एक बयान करने वाले ने शअबी से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से, उन्होंने हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ि.) से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कोहनियों तक।'

तख़रीज 328: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 1/210

फ़ायदाः यह रिवायत ज़ईफ़ है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी सराहत की है कि ''कोहनियों तक'' के अल्फ़ाज़ मुंकर यानी सही रिवायतों के ख़िलाफ़ हैं। बहरहाल मज़्कूरा (पिछली) तमाम रिवायात का ख़ुलासा यह है कि तयम्मुम के बारे में जो सहीतरीन रिवायत है, उसमें तयम्मुम का तरीक़ा यह बयान किया गया है कि ज़मीन पर सिर्फ़ एक ही बार हाथ मारने हैं, फिर उन पर फूँक मारकर और उन्हें मलकर मुँह पर फेर लेना है।

﴾122﴿
باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

बाबः 122
मुक़ीम के लिए तयम्मुम का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

(329) उमैर मौला इब्ने अब्बास ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना, वह कहते थे कि मैं और उम्मुल मोमिनीन मैमूना (रज़ि.)

رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ السَّلاَمَ حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ .

के गुलाम अ़ब्दुल्लाह बिन यसार आए और अबुल जुहैम ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बिअरे जमल (मक़ाम) की जानिब से तशरीफ़ ला रहे थे। आपको एक आदमी मिला और उसने आपको सलाम किया मगर आपने उसके सलाम का जवाब न दिया, यहाँ तक कि आप दीवार के पास आए और अपने चेहरे और हाथों का मसह किया और फिर उसके सलाम का जवाब दिया।

तख़रीज 329: सह़ीह़ बुख़ारी:337, व मुस्लिम369

फ़ायदा: अल्लाह का ज़िक्र अगरचे हर ह़ाल में हो सकता है मगर बावुज़ू होकर हो तो बहुत ही अफ़ज़ल है। आपने उस मौक़े पर तयम्मुम पर इक्तिफ़ा किया जो कि इस्तेह़बाब की दलील है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ

(330) जनाब नाफ़ेअ़ बयान करते हैं कि मैं ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) के साथ एक काम के लिए ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि) के यहाँ गया, तो इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने अपना काम पूरा कर लिया। उस दिन उनकी बातों में से एक यह थी कि एक गली में एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से गुज़रा जबकि आप पेशाब या पाख़ाने से फ़ारिग़ होकर आए थे, तो उसने आपको सलाम कहा, मगर आपने जवाब न दिया, यहाँ तक कि जब वह गली में आँखों से ओझल होने के क़रीब हुआ, तो आपने अपने दोनों हाथ दीवार पर मारे और अपने चेहरे पर फेरे, फिर

ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ وَقَالَ " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا فِي التَّيَمُّمِ . قَالَ ابْنُ دَاسَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ.

दूसरी बार मारे और अपनी कलाइयों पर फेरे तब उसके सलाम का जवाब दिया, और फ़र्माया 'तेरे सलाम का जवाब न देने की वजह सिर्फ़ यह थी कि मैं ताहिर न था।''
इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि मैंने अह़मद बिन ह़ंबल (रह़.) को सुना, वह कहते थे कि मुह़म्मद बिन साबित ने तयम्मुम के बारे में एक 'मुंकर' ह़दीस रिवायत की है। इब्ने दासा कहते हैं कि इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, मुह़म्मद बिन साबित की इस क़िस्से में किसी ने मुताबिअ़त (ताईद) नहीं की कि ''नबी (ﷺ) ने दो बार हाथ मारे।' बल्कि उसे ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) का फ़ेअ़ल (अ़मल) बयान किया गया है।
तख़रीज 330: दारक़ुत्नीः 1/176, : 665

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ .

(331) जनाब नाफ़ेअ़ ने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से यह ह़दीस बयान की कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पाख़ाने से फ़ारिग़ होकर आए तो आपको एक आदमी मिला। उस वक़्त आप (ﷺ) बिअरे जमल के पास थे। उसने आपको सलाम किया मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको जवाब न दिया, यहाँ तक कि दीवार के पास आए और दीवार पर अपना हाथ रखा, फिर अपने चेहरे और दोनों हाथों का मसह किया, फिर आपने उसके सलाम का जवाब दिया।
तख़रीज 331: (सनद ह़सन) दारक़ुत्नीः 1/176, : 666, व रवाहुल बैहक़ीः 1/206

फ़ायदाः अल्लाह का ज़िक्र अगरचे हर ह़ाल में हो सकता है मगर बावुज़ू होकर हो तो बहुत ही

अफ़ज़ल है। आपने उस मौक़े पर तयम्मुम पर इक्तिफ़ा किया जो कि इस्तेहबाब की दलील है।

﴾123﴿
باب الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَّ - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ ابْدُ فِيهَا " . فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَبُو ذَرٍّ " . فَسَكَتُّ فَقَالَ " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرٍّ لأُمِّكَ الْوَيْلُ " . فَدَعَا لِي بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيهِ مَاءٌ فَسَتَرَتْنِي بِثَوْبٍ وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ وَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنِّي أَلْقَيْتُ عَنِّي جَبَلاً فَقَالَ " الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ

बाब: 123
जुंबी के लिए तयम्मुम का बयान

(332) हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ कुछ बकरियाँ जमा हो गईं तो आपने फ़र्माया, ''ऐ अबू ज़र्र! इन्हें लेकर बाहर जंगल में चले जाओ।'' चुनाचे मैं रब्ज़ा के बादिये में चला गया। पस मैं जुंबी हो गया तो पाँच छः दिन वहाँ रहा फिर नबी (ﷺ) के पास आ गया। आपने कहा, ''अबू ज़र्र! तो मैं ख़ामोश रहा। आपने फ़र्माया, 'तुझे तेरी माँ गुम करे, अबू ज़र्र! तेरी माँ के लिए अफ़सोस।'' आपने मेरी ख़ातिर एक काली सी लौण्डी को बुलवाया तो वह एक बड़ा प्याला ले आई, उसमें पानी था। उसने मुझे कपड़े से पर्दा कर दिया और (दूसरी तरफ़ से) मैं अपनी सवारी की ओट में हो गया और ग़ुस्ल किया तो (इस तरह) मेरे सिर से गोया एक पहाड़ उतर गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पाक मिट्टी मुसलमान के लिए तहारत का ज़रिया है अगरचे दस साल तक (पानी न पाए) फिर जब तुम्हें पानी मिले तो उसे अपने जिस्म पर डालो। यक़ीनन यह बेहतर है।'' मुसद्दद ने बयान किया कि यह बकरियाँ सदक़े की थीं और अम्र की हदीस ज़्यादा कामिल है।

جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ " . وَقَالَ مُسَدَّدٌ غُنَيْمَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ عَمْرٍو أَتَمُّ .

तख़रीज 332: (सनद हसन) तिर्मिज़ी : 124, इब्ने ख़ुज़ैमा: 2292, व इब्ने हिब्बान: 1308, 1309, हाकिम: 1/176, 177

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ دَخَلْتُ فِي الإِسْلاَمِ فَأَهَمَّنِي دِينِي فَأَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ إِنِّي اجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ وَبِغَنَمٍ فَقَالَ لِي " اشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا " . قَالَ حَمَّادٌ وَأَشُكُّ فِي " أَبْوَالِهَا " . هَذَا قَوْلُ حَمَّادٍ . فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ فَكُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ فَقَالَ " أَبُو ذَرٍّ " . فَقُلْتُ نَعَمْ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " وَمَا أَهْلَكَكَ " . قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَجَاءَتْ بِهِ

(333) जनाब अबू क़िलाबा बनी आमिर के एक शख़्स से रिवायत करते हैं, उस शख़्स का बयान है कि मैंने इस्लाम क़बूल कर लिया मगर मेरे दीन ने मुझे फ़िक्र में डाल दिया। चुनाँचे मैं हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) के पास आया, तो अबू ज़र्र (रज़ि.) ने बताया कि मैंने मदीना की आबो हवा को अपने लिए नामुवाफ़िक़ पाया। पस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे लिए चंद ऊँटों और बकरियों का हुक्म दिया (कि उसे दे दी जाएँ) और मुझे फ़र्माया, ''इनका दूध पियो।'' हम्माद की रिवायत में है 'मुझे शक है कि इसमें पेशाब का बयान है या नहीं।' हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) का बयान है कि मैं पानी से दूर होता था और मेरे साथ मेरी बीवी भी होती थी और मुझे जनाबत पहुँचती थी तो मैं पानी के बग़ैर ही नमाज़ पढ़ लेता था। फिर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया, दोपहर का वक़्त था और आप सहाबा किराम की मइयत (साथ) में मस्जिद के साये में तशरीफ़ फ़र्मा थे। आप (ﷺ) ने (मुझे देखकर) फ़र्माया, 'अबू ज़र्र!' मैंने कहा, जी! मैं तो हलाक हो गया, ऐ अल्लाह के रसूल! फ़र्माया, 'किस चीज़ ने तुझे

جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعُسٍّ يَتَخَضْخَضُ مَا هُوَ بِمَلآنَ فَتَسَتَّرْتُ إِلَى بَعِيرِي فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ " أَبْوَالَهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ فِي أَبْوَالِهَا إِلاَّ حَدِيثُ أَنَسٍ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ .

हलाक कर दिया?'' मैंने कहा, मैं पानी से दूर होता था, बीवी मेरे साथ थी और मुझे जनाबत पहुँचती थी तो मैं बग़ैर ग़ुस्ल किये नमाज़ पढ़ता रहा। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे लिए पानी लाने का हुक्म फ़र्माया। एक स्याह रंग की लौण्डी एक बड़ा प्याला ले आई, पानी उसमें छलक रहा था और वह पूरी तरह भरा हुआ भी न था, तो मैंने अपने ऊँट की ओट में होकर ग़ुस्ल किया और हाज़िरे ख़िदमत हो गया। तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अबू ज़र्र! पाक मिट्टी पाक करने वाली है अगरचे तुझे दस साल तक पानी न मिले और जब पानी मिल जाए तो उसे अपनी जिल्द पर डालो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस को हम्माद बिन ज़ेद ने अय्यूब से रिवायत क्या तो उसमें 'ऊँटों के पेशाब' का ज़िक्र नहीं किया और यह सही (भी) नहीं है। हाँ! इनके पेशाब के बारे में सिर्फ़ हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत है (यानी हदीसे उरनिय्यीन) जिसकी रिवायत में अहले बसरा मुतफ़र्रिद (अकेले) हैं।

तख़रीज 333: (सहीह) बैहक़ी: 1/217

बाब: 124 क्या जुंबी को सर्दी का डर हो तो तयम्मुम कर ले?

(334) अब्दुर्रहमान बिन जुबैर हज़रत अम्र बिन आस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि ग़ज़्वा ज़ाते सलासिल में मुझे एक ठण्डी रात एहतिलाम हो गया, मुझे अंदेशा हुआ कि अगर मैंने गुस्ल किया तो हलाक हो जाऊँगा, चुनाँचे मैंने तयम्मुम कर लिया और अपने साथियों को सुबह की नमाज़ पढ़ाई। उन्होंने यह वाक़िया रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ज़िक्र किया तो आपने पूछा, ''ऐ अम्र! क्या तूने जुंबी होते हुए अपने साथियों की जमाअत कराई थी?'' मैंने बताया कि किस वजह से मैंने गुस्ल नहीं किया था और मैंने यह भी कहा कि मैंने अल्लाह का फ़र्मान सुना है (वला तक़्तुलु...) ''अपने आपको क़त्ल न करो, अल्लाह तुम पर बहुत ही मेहरबान है।'' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) हँस दिये और कुछ न कहा।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन जुबैर मिस्री है, ख़ारजा बिन हुज़ाफ़ा का गुलाम है। और यह इब्ने जुबेर बिन नुफ़ैर नहीं है।

तख़रीज 334: (सनद सहीह) अहमद: 4/203,बुख़ारी: 345, इब्ने हिब्बान: 202, हाकिम: 1/177

﴿124﴾ باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ " . فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ { وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ مِصْرِيٌّ مَوْلَى خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ وَلَيْسَ هُوَ ابْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ . قَالَ فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ فِيهِ فَتَيَمَّمَ .

(335) जनाब अबू क़ैस मौला अम्र बिन आस (रज़ि.) से मंक़ूल है कि हज़रत अम्र बिन आस (रज़ि.) एक फ़ौजी मुहिम पर थे। और पहले की तरह हदीस बयान की। कहा कि उन्होंने अपने ज़ेरीं जिस्म (शर्मगाह और अत्राफ़) धोये और नमाज़ वाला वुज़ू किया और उन्हें नमाज़ पढ़ाई। और ऊपर वाली हदीस की तरह बयान किया और तयम्मुम का ज़िक्र नहीं किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह क़िस्सा औज़ाई से, उन्होंने हस्सान बिन अतिया से रिवायत किया है तो उसमें है कि 'उन्होंने तयम्मुम किया।'

तख़रीज 335: (सनद सहीह) अहमदः 4/203, हाकिम : 1/177

﴾125﴿ بَابٌ فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

बाब: 125 चेचकज़दा (या ज़ख़्मी) के लिए तयम्मुम का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا

(336) हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि हम एक सफ़र में निकले तो हममें से एक शख़्स को पत्थर लग गया और उसके सिर में ज़ख़्म हो गया, फिर उसे एहतिलाम (भी) हो गया। उसने अपने साथियों से पूछा, क्या मेरे लिए कोई इजाज़त है कि मैं तयम्मुम कर लूँ? उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए कोई रुख़्सत नहीं पाते जबकि तुमको पानी की क़ुदरत हासिल है। चुनाँचे उसने ग़ुस्ल कर

نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ " . أَوْ " يَعْصِبَ " . شَكَّ مُوسَى " عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ " .

लिया और मर गया। जब हम नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे, आपको उसकी ख़बर दी गई, तो आपने फ़र्माया, ''इन्होंने उसको क़त्ल कर डाला। अल्लाह इन्हें हलाक करे, इन्होंने पूछ क्यूँ न लिया, जबकि इन्हें इल्म न था, बेशक आजिज़ (जाहिल) की शिफ़ा सवाल कर लेने में है। उस शख़्स के लिए यही काफ़ी था कि तयम्मुम कर लेता और अपने ज़ख़्म पर पट्टी बाँधे रहता। मूसा को शक हुआ कि यअसिर का लफ़्ज़ बोला या यअसिब का, (मअनी दोनों का पट्टी बाँधना है) फिर उस पर मसह करता और बाक़ी सारा जिस्म धो लेता।''

तख़रीज 336: (सनद ज़ईफ़) दारक़ुत्नीः 1/190, : 719

फ़ायदाः शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक उसका आख़िरी हिस्सा 'उस शख़्स के लिए.... से ता आख़िर' ज़ईफ़ है, बाक़ी रिवायत हसन है। अगली रिवायत से इसकी ताईद होती है।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ أَصَابَ رَجُلاً جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(337) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक शख़्स को ज़ख़्म लग गया, फिर उसे एहतिलाम हो गया, तो उसे ग़ुस्ल करने का हुक्म दिया गया। चुनाँचे उसने ग़ुस्ल किया और मर गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसकी ख़बर पहुँची तो आपने फ़र्माया, ''इन्होंने उसको मार डाला, अल्लाह इन्हें हलाक करे। क्या जाहिल की शिफ़ा सवाल कर लेना नहीं है?''

فَقَالَ " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ " .

तख़रीज 337: (सनद सहीह) इब्ने माजाः 572, अहमदः 1/330, हाकिमः 1/178, बैहक़ीः (1/226, 227)

फ़वाइद व मसाइलः (1) बाब का उनवान हमारे इस नुस्ख़े में (अल्मज्दूर) है यानी 'चेचकज़दा' चूँकि इस मर्ज़ में जिस्म पर छोटे छोटे ज़ख़्म और दाने निकल आते हैं तो कुछ औक़ात पानी का इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। और कुछ नुस्ख़ों में (अल्मज्रूह) का लफ़्ज़ है, इससे हदीस और बाब में कोई उलझन नहीं रहती। **(2)** बग़ैर इल्म के फ़त्वा देना बहुत बड़ी जिहालत है। चाहिए कि अस्हाबे इल्म से मुराजआ किया जाए। सहाबा किराम (रज़ि.) के भी इस एतिबार से कई मरातिब थे। **(3)** हदीस में ज़िक्रशुदा क़िस्म के ज़ख़्म पर पट्टी बाँधकर मसह किया जाए और उस मसह के लिए मोज़ों वाली कोई शर्त नहीं है कि पहले वुज़ू किया हो या वक़्ते मुतअय्यन हो। (4) अगर जिस्म के थोड़े हिस्से पर ज़ख़्म आया हो तो मसला इसी तरह है जैसे कि हदीस में ज़िक्र हुआ और अगर जिस्म का ज़्यादा हिस्सा मज्रूह और थोड़ा सही हो तो पट्टियों और सही हिस्से पर मसह ही काफ़ी होगा, वल्लाहु आलम!

(126)
بَاب فِي الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ

बाब: 126
तयम्मुम वाले को नमाज़ पढ़ लेने के बाद पानी मिल जाए और नमाज़ का वक़्त अभी बाक़ी हो तो...?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا

(338) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से मरवी है वह कहते हैं कि दो आदमी सफ़र पर निकले और नमाज़ का वक़्त हो गया। उनके पास पानी नहीं था। उन्होंने पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली, मगर अभी नमाज़ का वक़्त बाक़ी था कि पानी मिल गया तो उनमें से एक ने वुज़ू करके नमाज़

مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ " أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ " . وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ " لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ .

दोहरा ली और दूसरे ने न दोहराई। फिर वह दोनों रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आए और आपको अपना वाक़िया बताया, तो आपने उससे, जिसने नमाज़ नहीं दोहराई थी, फ़र्माया, ''तुमने सुन्नत पर अमल किया और तुम्हारे लिए तुम्हारी नमाज़ काफ़ी हो गई।'' और जिसने वुज़ू करके नमाज़ दोहराई थी, उसे फ़र्माया, ''तुम्हारे लिए दोहरा अज्र है।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, इब्ने नाफ़ेअ के अलावा एक दूसरे साहब ने उसे लेस से उन्होंने उमेरा बिन अबी नाजिया से, उन्होंने बक्र बिन सवादा से, उन्होंने अता बिन यसार से उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस में अबू सईद का ज़िक्र महफ़ूज़ नहीं है और यह हदीस मुर्सल है।

तख़रीज 338: (सनद हसन) नसाई: 433, हाकिम: 1/178

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ .

(339) जनाब अता बिन यसार से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा में से दो आदमी (सफ़र पर निकले) और ऊपर वाली हदीस के हम मअनी रिवायत किया।

तख़रीज 339: (सनद हसन) बैहक़ी: 1/231

मसला: नमाज़ अव्वल वक़्त ही में पढ़ना अफ़ज़ल है ख़्वाह तयम्मुम से हो और फिर पानी मिलने पर दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोहराये तो माजूर (अलग से सवाब का हक़दार) है।

बाब: 127
जुम्अे के लिए ग़ुस्ल का बयान

﴿127﴾
باب فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ أَتَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ . فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا أَوَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " .

(340) जनाब अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान का बयान है कि हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने उनको ख़बर दी कि हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) एक मौक़े पर ख़ुत्बए जुम्आ इर्शाद फ़र्मा रहे थे कि एक आदमी आया तो हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, क्या तुम लोग नमाज़ से रुके रहते हो? (और देर से आते हो?) उस आदमी ने जवाब दिया, उसके सिवा कुछ नहीं हुआ कि मैंने अज़ान सुनी, फ़ौरन वुज़ू किया (और हाज़िर हो गया) तो उ़मर (रज़ि.) ने कहा और सिर्फ़ वुज़ू किया? क्या तुम लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) का यह इर्शाद नहीं सुना ''जब तुममें से कोई जुम्आ के लिए आए तो ग़ुस्ल करे।''

तख़रीज 340: सहीह बुख़ारी : 882, व मुस्लिम : 4/845

फ़ायदाः दौराने ख़ुत्बा ताख़ीर से आने वाले हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) थे और हज़रत उ़मर (रज़ि.) का हज़रत उ़स्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) जैसी अज़ीम शख़्सियत को बरसरे मिम्बर अजिल्ल-ए-सहाबा (बड़े बड़े सहाबा) की मौजूदगी में इस तरह तम्बीह करना दलील है कि वह लोग बिल्उमूम जुम्अे के ग़ुस्ल को वाजिब समझते थे। अगर यह महज़ मुस्तहब होता तो इस अंदाज़ में हर्गिज़ तंबीह न की जाती।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ

(341) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया,

مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " .

''जुम्अे के दिन गुस्ल करना हर बालिग़ पर वाजिब है।''

तख़रीज 341: सहीह बुख़ारी : 895, व मुस्लिम, : 846, मौत्ताः 1/102

फ़ायदाः औरतें भी इसकी पाबंद हैं। किसी भी मुसलमान मर्द औरत को बग़ैर मअ़कूल उ़ज्र के इस बारे में ग़फ़्लत नहीं करनी चाहिए।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ، - يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ - عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ .

(342) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ह़फ़्सा (रज़ि.) नबी (ﷺ) से रिवायत करती हैं कि आपने फ़र्माया, ''हर बालिग़ पर जुम्अे के लिए जाना (लाज़िम) है। और हर वह शख़्स जिस पर जुम्आ के लिए जाना (लाज़िम) है, उस पर गुस्ल है।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, अगर किसी ने तुलूअे फ़ज्र के बाद गुस्ल कर लिया, ख़्वाह जनाबत ही से हो तो यह उसके लिए गुस्ले जुम्आ से काफ़ी है।

तख़रीज 342: **(इस्नाद सह़ीह़)** नसाईः 1372, इब्ने ख़ुज़ैमाः 1721, व इब्ने ह़िब्बानः 1217

फ़ायदाः हर बालिग़ के लिए जुम्आ वाजिब है बशर्ते कि मअ़ज़ूर न हो और बतसरीह ह़दीसे नबवी बच्चा, औरत, गुलाम और मुसाफ़िर मुस्तस्ना (अलग) हैं मुसाफ़िर के लिए भी यह है कि वह अपने सफ़र में रवाँ हो, और अगर किसी मंज़िल पर ठहरा हुआ हो और क़रीब में जुम्आ हो रहा हो और कोई मअ़कूल उ़ज़्रे शरई न हो तो ऐसी सूरत में जुम्आ में ह़ाज़िरी ज़रूरी है।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا

(343) ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी और ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिसने जुम्आ के दिन गुस्ल किया और बेहतरीन कपड़े

مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ يَزِيدُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ - إِنْ كَانَ عِنْدَهُ - ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا " . قَالَ وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ " وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ " . وَيَقُولُ " إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ كَلاَمَ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ज़ेबतन किये और ख़ुश्बू भी लगाई अगर मयस्सर हो तो, फिर जुम्आ के लिए आया और लोगों की गर्दनें न फलाँगी, फिर (नफ़्ली) नमाज़ पढ़ी जो उसके लिए मुक़द्दर की गई, फिर ख़ामोश रहा जब इमाम (ख़ुत्बे के लिए) निकला, यहाँ तक कि अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ तो यह उसके लिए उस जुम्अे और पिछले जुम्अे के बीच (स़ादिर होने वाले गुनाहों) का कफ़्फ़ारा है।''

(अबू सलमा ने) कहा, ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते थे कि बल्कि मज़ीद तीन दिन और भी। (यानी सिर्फ़ जुम्आ से जुम्आ तक, आठ दिनों का कफ़्फ़ारा ही नहीं, बल्कि तीन दिन मज़ीद भी, यूँ ग्यारह दिन हुए और कसर छोड़ दें तो 10 दिन क्योंकि) वह कहा करते थे कि हर नेकी दस गुना अज्र की ह़ामिल होती है।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, अबू सलमा की रिवायत ज़्यादा कामिल है और ह़म्माद ने अपनी रिवायत में ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) का कलाम नक़्ल नहीं किया।

तख़रीज 343: (सनद हसन) अह़मदः 3/81, इब्ने ख़ुज़ैमाः 1762, व इब्ने ह़िब्बानः 562, मुस्लिमः 1/283

फ़वाइद व मसाइलः (1) शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस ह़दीस को सही अबू दाऊद (ह़दीसः 331) में 'ह़सन' कहा है। और यह फ़ज़ाइल व आदाबे जुम्आ की जामेअ़ है। **(2)** जुम्अे की नमाज़ से पहले नवाफ़िल की कोई ता'दाद मुक़र्रर नहीं है। ह़स्बे तौफ़ीक़ जिस क़द्र पढ़ सकता है पढ़े। **(3)** सफ़बंदी का

एहतिमाम हो और पहले से बैठे लोगों की गर्दनें न फलाँगी जाएँ मगर यह कि उन्होंने ख़ुद जगह छोड़ दी हो और अगली सफ़ें मुकम्मल न की हों। (4) लग़्वियात, लग़्व फ़ेअल से एहतिराज़ (परहेज़) हो और ख़ुत्बा ग़ौर से सुना जाए। नींद से भी अपने आपको होशियार रखना चाहिए। मज़ीद भी कुछ उमूर हैं जो अगली अहादीस में आ रहे हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ، وَبُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ " . إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطِّيبِ " وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ " .

(344) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू सईद ख़ुदरी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया, ''जुम्अ़े के दिन ग़ुस्ल हर बालिग़ पर (लाज़िम) है और मिस्वाक और ख़ुश्बू (भी) जो उसे मयस्सर हो।'' बुकैर ने अ़ब्दुर्रहमान का ज़िक्र नहीं किया और ख़ुश्बू के बारे में कहा, ''ख़्वाह बीवी ही की हो।'' (यानी ज़रूर इस्तेमाल करे।)

तख़रीज 344: सहीह मुस्लिम, : 846.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ، حِبِّي حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ

(345) हज़रत औस बिन औस सक़फ़ी (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (स) को सुना, फ़र्माते थे ''जिसने जुम्अ़े के दिन ग़ुस्ल किया और ख़ूब अच्छी तरह किया और जल्दी आया और (ख़ुत्बा में) पहले वक़्त पहुँचा, पैदल चल के आया और सवार न हुआ। इमाम से क़रीब होकर बैठा और ग़ौर से सुना और लग़्व से बचा, तो उसके लिए हर क़दम पर एक साल के रोज़े

الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ".

और क़याम के अमल का सवाब है।''

तख़रीज 345: (सनद सहीह) इब्ने माजाः 1087, इब्ने ख़ुज़ैमाः 1767, व इब्ने हिब्बानः 559, हाकिमः 1/381, 382, तिर्मिजीः 496

तौज़ीहः यह हदीस जामेअ तिर्मिज़ी (496) सुनन नसाई (1382) और सुनन इब्ने माजा (1087) में भी वारिद है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे हसन कहा है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने 'सहीह' कहा है। (सहीह अबूदाऊद, हदीसः 333) शुरूहे हदीस में वारिद है कि इस हदीस के अल्फ़ाज़ (ग़सल वग़तसल) में (ग़सल) को हर्फ़ 'सीन' की तख़फ़ीफ़ और तशदीद दोनों से पढ़ा गया है। और उसके कई मआनी ज़िक्र किये गए हैं। एक तो यही ताकीदी मअनी है जो राक़िम ने इख़्तियार किया है। दूसरा यह है कि आदमी ने पहले ख़त्मी, साबुन या शेम्पू वग़ैरह इस्तेमाल किया हो, उसके बाद पानी बहाया हो। तीसरा यह कि जिसने अपनी ज़ोजा से मुबाशिरत की और उस पर भी ग़ुस्ल लाज़िम कर दिया हो। और इसमें हिक्मत यह है कि इस तरह इंसान नफ़्सयाती और जज़्बाती तौर पर बहुत पुरसुकून हो जाता है और ज़हन परागंदा नहीं होता और इबादत में यक्सू रहता है, वल्लाहु आलम

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ " . ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ.

(346) हज़रत औस सक़फ़ी (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया, ''जिसने जुम्आ के दिन अपना सिर धोया और ग़ुस्ल किया।'' और पहले की तरह रिवायत बयान की।

तख़रीज 346: (सनद सहीह) पिछली हदीस देखें

फ़ायदाः यह रिवायत पिछली वाली हदीस का मअनी वाज़ेह करती है और 'सिर धोने' की ख़ुसूसियत यह है कि अरब लोग लम्बे बाल रखते थे और उन्हें धोने में मेहनत होती थी और वक़्त लगता था।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، - قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ - أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، - يَعْنِي

(347) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया, ''जिसने जुम्आ के दिन ग़ुस्ल किया और अपनी बीवी की

ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا " .

ख़ुश्बू इस्तेमाल की। अगर उसके पास हो, और अपने उ़म्दा कपड़े पहने, फिर लोगों की गर्दनें न फलाँगें और अस्नाए वअ़ज़ में (ख़ुत्बे के दौरान में) कोई लग़्व अ़मल न किया, तो यह (नमाज़) उन दोनों (जुम्ओं) के माबेन के लिए कफ़्फ़ारा होगी और जिसने कोई लग़्व काम किया और लोगों की गर्दनें फलाँगीं तो उसके लिए यह ज़ुहर ही होगी (यानी ज़ुहर की नमाज़ का सवाब होगा न कि जुम्अ़े का।'')

तख़रीज 347: (सनद हसन) बैहक़ी: 3/231, इब्ने ख़ुज़ैमा: 1810

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ .

(348) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) से रिवायत है कि सय्यदा आइशा (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि नबी (ﷺ) चार कामों (की वजह) से ग़ुस्ल किया करते थे। जनाबत से, जुम्अ़े के दिन, सींगी लगवाने से और मय्यित को ग़ुस्ल देने से।''

तख़रीज 348: (सनद हसन) अह़मद: 6/152, इब्ने ख़ुज़ैमा: 256

तौज़ीह: इमाम बुख़ारी (रह़.) ने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) की इस रिवायत के बारे में कहा है कि (लैस बिज़ाक) यानी ग़ैर मेअ़यारी है। इमाम अह़मद बिन ह़ंबल और अ़ली बिन मदीनी (रह़ि.) कहते हैं कि ग़ुस्ले मय्यित से ग़ुस्ल के बारे में कोई ह़दीस सही नहीं। (मुंज़िरी) मगर ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह़.) ने 'अत्तल्ख़ीसुल ह़बीर' में कहा है कि कसरते तुरुक़ की बिना पर यह 'दर्जा ह़सन' से कम नहीं और जुम्हूर इसके इस्तेह़बाब के क़ाइल हैं। (अरौज़तुन्नदिया) और ज़ाहिर है कि ग़ुस्ले जनाबत वाजिब है। जुम्अ़े का ग़ुस्ल वाजिब या बहुत ज़्यादा ताकीदी है। सींगी और मय्यित को ग़ुस्ल देने से ग़ुस्ल बतौर नज़ाफ़त मुस्तह़ब है।

(349) जनाब अली बिन हौशब कहते हैं कि मैंने मक्हूल (शामी ताबेई) से हदीस 'ग़स्सल वग़तसल' के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इससे मुराद यह है कि जिसने अपना सिर धोया और फिर ग़ुस्ल किया।

तख़रीज 349: (सनद सहीह) बैहक़ी : 2989

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ سَأَلْتُ مَكْحُولاً عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، " غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " . فَقَالَ غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ .

(350) जनाब सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ (तनूख़ी, तबेअ ताबेई) ने (ग़स्सल वग़तसल) की शरह में कहा कि जिसने अपना सिर धोया और ग़ुस्ल किया।

तख़रीज 350: (सनद हसन) अहमद: 6/152, इब्ने ख़ुज़ैमा: 256

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي " غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " . قَالَ قَالَ سَعِيدٌ غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ .

(351) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिसने जुम्अे के दिन ग़ुस्ले जनाबत (या जनाबत जैसा ग़ुस्ल) किया, फिर जुम्आ के लिए आया तो उसने गोया एक ऊँट क़ुर्बान किया। और जो दूसरी साअत में आया उसने गोया गाय क़ुर्बान की और जो तीसरी साअत में पहुँचा उसने गोया सींगों वाला मेंढ़ा क़ुर्बान किया। जो चौथी साअत में आया उसने गोया मुर्ग़ी तक़र्रुब के लिए पेश की और जो पाँचवीं साअत में आया उसने गोया अण्डा तक़र्रुब के लिए पेश किया। फिर जब इमाम निकल आता है तो फ़रिश्ते भी ज़िक्र सुनने के लिए हाज़िर होते हैं।''

तख़रीज 351: सहीह बुख़ारी : 881, व मुस्लिम : 850, मौत्ता: 1/101, फ़त्हुल बारी:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" .

2/366, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ः 5565

फ़वाइद व मसाइलः (1) देरी से आने वाले का जुम्आ तो यक़ीनन हो जाता है मगर वह मज़्कूरा फ़ज़ीलत से बिलकुल महरूम रहता है और मलाइका (फ़रिश्तों) के मख़्सूस सहीफ़ों में उसका इन्द्राज नहीं होता। ख़्याल रहे कि इस हदीस से मुर्ग़ी और अण्डे की क़ुर्बानी का जवाज़ निकालना किसी तरह सही नहीं है। इसमें सिर्फ़ तक़र्रुब और सवाब के लिए अल्लाह की राह में बतौर सदक़ा व ख़ैरात ख़र्च करना मुराद है। **(2)** वअ़ज़ व नसीहत की मज्लिस जुम्आ में हो या आम उसमें फ़रिश्ते भी हाज़िर होते हैं।

बाब: 128
जुम्अे के दिन ग़ुस्ल न करने की रुख़्सत का बयान

﴿128﴾ باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ فَيَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ .

(352) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि लोग अपने काम काज ख़ुद ही सरअंजाम दिया करते थे और अपनी उसी हालत में जुम्आ को चले आते थे, तो उन्हें कहा गया कि अगर तुम ग़ुस्ल कर लिया करो (तो बहुत ही बेहतर है।)

तख़रीज 352: सहीह बुख़ारी, किताबुल जुम्आः 903, व मुस्लिम किताबुल जुम्आ 847

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُنَاسًا، مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لاَ

(353) जनाब इक्रिमा बयान करते हैं कि इराक़ की जानिब से कुछ लोग आए और कहने लगे, ऐ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.)! क्या आप जुम्आ के ग़ुस्ल को वाजिब कहते हैं? उन्होंने कहा, नहीं लेकिन यह ज़्यादा तहारत का बाइस है और जो ग़ुस्ल कर ले उसके लिए बहुत बेहतर है और जो ग़ुस्ल न करे उस पर वाजिब नहीं है। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि ग़ुस्ल कैसे शुरू हुआ? लोग मेहनत व

وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ آذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ .

मशक़्क़त किया करते थे, लिबास ऊन का होता था, अपनी पीठों पर सामान ढोते थे और उनकी मस्जिद भी तंग और नीची छत वाली थी, गोया छप्पर सा था, तो एक बार रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाए, दिन गर्म था और लोगों को उनके ऊनी लिबासों में पसीना आया, यहाँ तक कि उनसे नामुनासिब बूएँ निकलीं और उन्हें एक दूसरे से बहुत अज़िय्यत (तक़लीफ़) हुई। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जब यह बू महसूस की तो फ़र्माया, ''लोगों! जब यह (जुम्अे का) दिन हुआ करे तो ग़ुस्ल किया करो और जिसे जो उम्दा तेल और ख़ुश्बू मुहैया हो इस्तेमाल किया करे।'' इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, फिर अल्लाह तआला ने हालात में बेहतरी पैदा कर दी। लोग ऊनी लिबास छोड़कर दूसरे लिबास पहनने लगे और मेहनत मशक़्क़त के कामों से भी किफ़ायत हो गई, मस्जिद भी बड़ी हो गई और वह पसीना जो एक दूसरे के लिए अज़िय्यत (तक्लीफ़) का बाइस था, ख़त्म हो गया।

तख़रीज 353: (सनद हसन) अहमद: 1/268, बैहक़ी: 1/295, इब्ने ख़ुज़ैमा: 1755, हाकिम: 1/280, 281, फ़त: 2/362

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ

(354) सय्यदना समुरा (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिसने वुज़ू किया उसने सुन्नत पर अमल किया और

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ".

यह बहुत उम्दा सुन्नत है और जिसने गुस्ल किया तो यह अफ़ज़ल है।''

तख़रीज 354: (सनद हसन) तिर्मिज़ीः 497, नसाईः 1381.

तौज़ीहः इन अहादीस से यह इस्तिदलाल किया जाता है कि गुस्ले जुम्आ वाजिब नहीं है। बिला शुब्हा इब्तिदाअन हुक्म की बुनियादी वजह यही थी जो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की हदीस में बयान हुई है, मगर मुसलमान जब उसके क़ाइल व फ़ाइल हो गए तो उन्हें उसका शरई एतिबार से पाबन्द कर दिया गया, जैसाकि गुज़िश्ता बाब में सही अहादीस से साबित हुआ है। अब अगरचे वह बुनियादी सबब तो मौजूद नहीं मगर हुक्मे वुजूब बाक़ी है जैसे कि मसला हज्ज में तवाफ़े कुदूम में रमल करना (आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने) का बुनियादी कारण मौजूद नहीं है, मगर हुक्मे वुजूब बाक़ी है। इसलिए राजेह यही है कि गुस्ले जुम्आ वाजिब है। इसका एहतिमाम करना चाहिए और इसमें ग़फ़लत बहुत बड़ी महरूमी है।

﴿129﴾ باب فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

बाबः 129
नो मुस्लिम के लिए गुस्ल का हुक्म

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَغَرُّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ الإِسْلاَمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .

(355) जनाब ख़लीफ़ा बिन हुसैन अपने दादा हज़रत क़ैस बिन आसिम (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया, मैं इस्लाम क़बूल करना चाहता था। तो आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं गुस्ल करूँ और पानी में बेरी के पत्ते मिले हुए हों।

तख़रीज 355: (सनद सहीह) तिर्मिज़ीः 205, नसाईः 188, इब्ने ख़ुज़ैमाः 254, 255, व इब्ने हिब्बानः 231, व इब्नुल जारूदः 14

फ़ायदाः इस्लाम क़बूल करने वाले नौ मुस्लिम के लिए गुस्ल वाजिब है। (औनुल मअबूद)

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ " . يَقُولُ احْلِقْ . قَالَ وَأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لآخَرَ مَعَهُ " أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ".

(356) जनाब इब्ने जुरैज कहते हैं कि मुझे उ़सैम बिन (कसीर बिन) कुलैब से ख़बर दी गई वह अपने वालिद से वह उनके दादा से रिवायत करते हैं कि वह नबी (ﷺ) के पास आए और कहा कि मैंने इस्लाम क़बूल कर लिया है आपने फ़र्माया, ''अपने कुफ़्र वाले बाल उतार दो।'' यानी सिर मुँडवाओ। और (कुलैब कहते हैं कि) मुझे एक दूसरे सहाबी ने ख़बर दी कि नबी (ﷺ) ने एक दूसरे शख़्स से फ़र्माया जो उनके साथ था, ''अपने कुफ़्र के बाल दूर करो और ख़त्ना कराओ।''

तख़रीज 356: (सनद ज़ईफ़) अहमद: 3/415, मुसन्नफ़: 6/10, : 9835, तल्ख़ीसुल ह़बीर: 4/82

फ़वाइद व मसाइल: (1) ऐसा लिबास और ह़जामत जो कुफ़्फ़ार की ख़ास मज़हबी अलामत या उनका शिआर (पहचान) हो इस्लाम क़बूल कर लेने पर उसे तर्क कर देने का हुक्म है, वरना काफ़िरों से मुशाबिहत बाक़ी रहेगी और यह किसी त़रह क़ाबिले कुबूल नहीं। **(2)** हुक्म है कि (उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा) 'इस्लाम में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ।'' और ख़त्ना शआइरे इस्लाम और उमूरे फ़ित्रत में से है।

(130) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا

बाब: 130 औरत अपने ह़ैज़ के दिनों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े को धोए

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَتْنِي أُمُّ

(357) मुआज़ा कहती हैं कि मैंने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि हाइज़ा के कपड़ों को ख़ून लग जाता है (तो क्या

الْحَسَنِ، - يَعْنِي جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ الْعَدَوِيِّ - عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ . قَالَتْ تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَىْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ . قَالَتْ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ حِيَضٍ جَمِيعًا لاَ أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا .

करे?) उन्होंने कहा कि उसे धोए। अगर इसका निशान बाक़ी रहे तो कुछ ज़र्दी (वर्स बूटी और ज़ाफ़रान) से इसे तब्दील कर दे। कहती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ तीन तीन हैज़ आते थे, मगर मैं अपना कोई कपड़ा न धोती थी।

तख़रीज 357: (सनद हसन) अहमदः 6/250

तौज़ीहः वह इसलिए न धोती थीं कि तहबंद या चादर किसी तरह आलूदा न होती होगी। मालूम हुआ कि अगर कपड़ा किसी तरह आलूदा न हो तो वह पाक है। नीज़ हाइज़ा का पसीना और लुआब पाक है। इस तरह बाक़ी कपड़ों के धोने की वैसे ही ज़रूरत नहीं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِنْ أَصَابَهُ شَىْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا .

(358) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम अज़्वाजे रसूल के लिए महज़ एक एक ही कपड़ा होता था, उसी में हैज़ गुज़रते थे। अगर कहीं कोई ख़ून का धब्बा लग जाता तो वह उसे अपने लुआब से गीला करती और फिर उसे मल देती थी।

तख़रीज 357: (सनद सहीह) बैहक़ीः 2/405, व रवाहुल बुख़ारीः 312

मसलाः यह उस सूरत में है कि जब कोई मामूली दाग़ धब्बा या क़तरा लगा हो। अगर ज़्यादा लगा हो तो उसे पानी से बिल्एहतिमाम धोना लाज़िम है जैसेकि आइन्दा अहादीस में आ रहा है।

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، قَالَتْ دَخَلْتُ

(359) जनाब बक्कार बिन यहया कहते हैं कि मुझसे मेरी दादी ने बयान किया कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के यहाँ गई, वहाँ उनसे एक क़ुरैशी औरत ने

عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقْلِبُ فِيهِ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ فَإِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا .

पूछा कि हैज़ वाले कपड़ों में नमाज़ का क्या हुक्म है? तो उम्मे सलमा (रज़ि.) ने जवाब दिया कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में हैज़ आता था, हम यह दिन गुज़ारतीं और फिर पाक होतीं और अपने कपड़े को देखतीं जिसमें यह दिन गुज़ारे होते। अगर उसे ख़ून लगा होता तो उसे धो लेतीं और फिर उसमें नमाज़ पढ़तीं और अगर उसे कुछ न लगा होता तो उसे उसी तरह रहने देतीं और उसमें नमाज़ पढ़ने से हमारे लिए कुछ मानेअ (रुकावट) न होता था। और जिसके बाल गुँधे हुए होते तो जब किसी को गुस्ले (जनाबत) करना होता तो अपने बाल न खोला करती बल्कि अपने सिर पर तीन लप पानी डालती। जब देखती कि बालों की जड़ें तर हो गई हैं तो उन्हें मलती फिर बाक़ी जिस्म पर पानी बहा लेती।

तख़रीज 359: (सनद ज़ईफ़), बक्कार मज्हूलुल हाल

फ़ायदा: यह रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है। ताहम यही बात दीगर तमाम रिवायात में भी बयान की गई है, जो सही हैं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً، تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ تَصْنَعُ

(360) सय्यदा अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने एक औरत को सुना वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछ रही थी कि जब हममें से कोई पाक हो तो अपने कपड़े का क्या करे? क्या उसमें नमाज़ पढ़ लिया करे? आपने फ़र्माया, ''उसे देखे अगर उसमें ख़ून लगा हो तो उसे पानी लगाकर

إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ أَتُصَلِّي فِيهِ قَالَ " تَنْظُرُ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ وَلْتُصَلِّ فِيهِ " .

खुर्चे और जिस जगह कुछ नज़र न आता हो (मगर शुब्हा हो तो) वहाँ छींटे मार ले और उसमें नमाज़ पढ़ ले।''

तख़रीज 360: (सनद हसन) दारमीः 778, इब्ने ख़ुज़ैमाः 276

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ " إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَقْرِصْهُ ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لْتُصَلِّي " .

(361) सय्यदा अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक औरत ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा, उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! फ़र्माईए कि जब हममें से किसी के कपड़े को हैज़ का ख़ून लग जाए तो कैसे करे? आपने फ़र्माया, ''जब तुममें से किसी के कपड़े को हैज़ का ख़ून लग जाए, तो चाहिए कि उसे खुर्चे, (चुटकियों से रगड़े) फिर उस पर पानी डाले। और उसमें नमाज़ पढ़ ले।''

तख़रीज 361: सहीह बुख़ारी : 307, व मुस्लिम : 291, मौत्ताः 480 यह्याः 1/60, 61, तम्हीदः 22/229.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ " حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيهِ " .

(362) ईसा बिन यूनुस और हम्माद बिन सलमा दोनों ने ऊपर वाली हदीस के हम मअनी बयान किया और कहा, ''उसे उखेड़ो, पानी डालकर चुटकियों से रगड़ो फिर (मज़ीद) पानी बहाओ।''

तख़रीज 362: (सनद सहीह) नसाईः 394, तिर्मिज़ीः 138.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ - عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ

(363) हज़रत उम्मे क़ैस बिन्ते मिहसन (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से हैज़ के ख़ून के बारे में पूछा जो कि कपड़े

الْحَدَّادُ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، تَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ " حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ " .

से लग जाता है। आपने फ़र्माया, उसे किसी लकड़ी से उखेड़ो फिर बेरी के पत्ते मिले पानी से धो डालो।''

तख़रीज 363: (सनद सहीह) इब्ने माजाः 628, नसाईः 395, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 277, व इब्ने हिब्बानः 235

फ़ायदा: ख़ूने हैज़ नजिस (नापाक) है, इसको एहतिमाम से साफ़ करना चाहिए कि कोई ज़रा सा असर भी बाक़ी न रहे। सादा पानी से धोना भी काफ़ी है, मगर बेरी के पत्ते मिला पानी मज़ीद नज़ाफ़त के लिए है। जैसे कि आंजकल साबुन सोड़े से यह काम लिया जाता है। कपड़े पर दाग़ बाक़ी रह जाने का कोई हर्ज नहीं।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَدْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا .

(364) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम अज़्वाजे रसूल में से हर एक के पास एक कुर्ता ही हुआ करता था। उसी में अय्यामे हैज़ गुज़रते, उसी में जनाबत होती, फिर अगर उसमें ख़ून का क़तरा देखती तो उसे लुआब लगाकर मलती (और उसका इज़ाला कर देती।)

तख़रीज 364: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 1/14,

फ़ायदा: यह रिवायत भी सनदन ज़ईफ़ है, मगर मअनन सही है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ " إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ " .

(365) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि ख़ौला बिन्ते यसार (रज़ि.) नबी (ﷺ) के यहाँ आईं और कहने लगीं, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! मेरे पास सिर्फ़ एक ही कपड़ा है और मुझे उसमें हैज़ आता है, तो कैसे क्या करूँ? आपने फ़र्माया, ''जब तुम पाक हो लो तो उसे धो लिया करो और उसमें नमाज़ पढ़ा करो।'' वह कहने लगीं कि अगर उससे ख़ून (का निशान) न निकले तो? फ़र्माया, ''तुम्हें ख़ून का धो डालना काफ़ी है। उसके

فَقَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ قَالَ " يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ".

दाग़ और निशान का कोई हर्ज नहीं।''

तख़रीज 365: (सनद हसन) अहमदः 2/380, बैहक़ीः 2/408, अहमदः 2/364

﴿131﴾ باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

बाबः 131 जिस कपड़े में इंसान अपनी बीवी से स़ोहबत करे उसमें नमाज़ पढ़ना...?

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ فَقَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى .

(366) ह़ज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान (रज़ि.) ने अपनी हमशीरा उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत उम्मे ह़बीबा (रज़ि.) से पूछा कि क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) उस कपड़े में नमाज़ पढ़ लिया करते थे जिसमें वह स़ोहबत करते थे? उन्होंने कहा, हाँ! अगर उसमें कोई नजासत न होती।

तख़रीज 366: (सनद स़ह़ीह़) नसाईः 295, इब्ने माजाः 540, व स़ह़ह़हु इब्ने ख़ुज़ैमाः 776, व इब्ने ह़िब्बानः 237

﴿132﴾ باب الصَّلاَةِ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ

बाबः 132 औरतों के कपड़ों में नमाज़

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي

(367) उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, वह बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारे कपड़ों या लिहाफ़ों में नमाज़ न पढ़ा करते थे। (यानी आम तौर पर) उबैदुल्लाह ने कहा, ''शुउरिना अव लुहुफ़िना'' के

فِي شُعُرِنَا أَوْ فِي لُحُفِنَا . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ شَكَّ أَبِي .

अल्फ़ाज़ में मेरे वालिद को शक हुआ है।

तख़रीज 367:(सनद सहीह) तिर्मिज़ी:600, नसाई: 5368, हाकिम: 1/252, व वाफ़िक़हुज़्ज़हबी: 645

फ़ायदा: (शिआर) वह कपड़ा होता है जो बिल्ख़ुसूस जिस्म से मुत्तसिल हो। और नमाज़ के सही होने के लिए कपड़े और जगह का पाक होना शर्त है। अगर चादर, कंबल, लिहाफ़ वग़ैरह नापाक हो तो नमाज़ सही नहीं होगी। हाँ! अगर ऐतिमाद हो कि कपड़ा पाक है तो कोई हर्ज नहीं। इमाम साहब ने 'औरत के कपड़ों' का ज़िक्र इसलिए किया है कि महज़ जिस्म से मुलामसत (लगने) की वजह से कपड़ा नजिस (नापाक) नहीं होता।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يُصَلِّي فِي مَلاَحِفِنَا . قَالَ حَمَّادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وَقَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَلاَ أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلاَ أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبَتٍ أَوْ لاَ فَسَلُوا عَنْهُ .

(368) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) हमारे लिहाफ़ों में नमाज़ नहीं पढ़ा करते थे। हम्माद ने कहा, मैंने सईद बिन अबी सदक़ा से सुना, वह कहते थे कि मैंने मुहम्मद बिन सीरीन से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे यह हदीस बयान नहीं की। और कहा कि मैंने इसे एक मुद्दत पहले सुना था, मालूम नहीं किससे सुना था, वह सिक़ा था या नहीं। तुम दीगर उलमा से इसकी तहक़ीक़ कर लो।

तख़रीज 368: (सनद सहीह) बैहक़ी: 2/410.

﴾133﴿
بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

बाब: 133
इसमें रुख़सत का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَهُ

(369) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी, आप एक कंबल ओढ़े हुए थे जिसका

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ .

कुछ हिस्सा आप पर और कुछ आपकी बीवी पर था और वह हैज़ से थीं आप उस हालत में नमाज़ पढ़ते रहे कि वह आप पर था।

तख़रीज 369: (सनद सहीह) इब्ने माजाः 653, इब्ने ख़ुज़ैमाः 768, व इब्ने हिब्बानः 350, बुख़ारीः 333, व मुस्लिमः 513, 656

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ.

(370) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को नमाज़ पढ़ते और मैं आपके पास बाज़ू (पहलू) में होती और हैज़ से होती, मुझ पर जो चादर या कंबल होता उसका कुछ हिस्सा आप भी लिये हुए होते थे।

तख़रीज 370: सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलातः 514

फ़वाइद व मसाइलः (1) इस बाब और पिछले बाब की अहादीस में तआरुज़ (डिस्प्यूट) नहीं है बल्कि यह मअनी है कि आप अक्सर ज़ौजात (बीवियों) के कपड़ों में नमाज़ न पढ़ते थे, मगर कभी कभी पढ़ लिया करते थे जबकि यक़ीन होता था कि कपड़ा पाक है। **(2)** बीवी अगर मुसल्ले के क़रीब बैठी हो, लेटी हो या आगे सोई हुई हो तो कोई हर्ज नहीं, नमाज़ ज़ाइज़ और सही है। **(3)** यह और दीगर अहादीस इशारा करती हैं कि ख़ैरुल क़ुरून में मुसलमान माद्दी एअतिबार से कुशादा दस्त (ख़ुशहाल) न होते थे। मियाँ बीवी के पास एक ही कंबल होता था मगर दीनी और अमली ऐतिबार से वह इस क़द्र मुमताज़ हैं कि पूरी उम्मत के मुक़्तदा हैं।

(134) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

बाब: 134 कपड़े को अगर मनी लग जाए तो...?

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ

(371) हम्माम बिन हारिस कहते हैं कि वह हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ (बतौर

मेहमान) आए हुए थे कि उन्हें एह़तिलाम हो गया। वह कपड़े से एह़तिलाम का निशान धो रहे थे या कपड़ा धो रहे थे कि ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) की लौण्डी ने उन्हें देख लिया। उसने जाकर ह़ज़रत आ़इशा को बताया तो उनहोंने कहा, मुझे ख़ूब याद है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के कपड़े से उसे खुरच डाला करती थी।

इस रिवायत को आ़मश ने भी रिवायत किया जैसे कि ह़कम ने रिवायत किया है।

तख़रीज 371: स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुत्तहारतः 288, त़ह़ावीः 1/51

الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَاحْتَلَمَ فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ .

(372) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के कपड़े से मनी को खुरच डाला करती थी और फिर आप उसी में नमाज़ पढ़ लिया करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि मुग़ीरा, अबू मअ़शर और वास़िल ने ह़म्माद बिन अबी सुलेमान की मुवाफ़िक़त की है।

तख़रीज 372: (सनद स़ह़ीह़) अह़मदः 6/125, 136, 213, व मुस्लिमः 288

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّي فِيهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَوَاصِلٌ

(373) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के कपड़े से मनी को धो दिया करती थीं। वह कहती हैं कि फिर मैं देखती कि कपड़े पर (धोने के) निशान नुमायाँ होते।

तख़रीज 373: स़ह़ीह़ बुख़ारी : 229, व

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ الْمَعْنَى وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ

मुस्लिम : 289

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ
مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
قَالَتْ ثُمَّ أَرَى فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا .

फ़वाइद व मसाइलः (1) मर्द की मनी अगर गाढ़ी हो तो उसको खुरचकर हटा देना लाज़मी है। गीला हो तो किसी तिनके वग़ैरह से, ख़ुश्क हो तो मसलने या उखेड़ने से दूर कर दिया जाए या उसे धोया भी जा सकता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) से दोनों अमल साबित हैं। लेकिन अगर रक़ीक़ (बारीक) हो तो धो लेना ज़्यादा बेहतर और अफ़ज़ल है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसके बारे में कहीं कोई वैसा हुक्म नहीं दिया जैसे कि औरतों को ख़ूने हैज़ के बारे में हिदायात दीं। **(2)** हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि मनी बलग़म की मानिन्द है, इसे दूर करो, ख़्वाह घास के तिनके से हो। **(3)** यह भी साबित हुआ कि सिर्फ़ आलूदा हिस्से को धो लेना ही काफ़ी होता है। बाक़ी कपड़ा पाक रहता है।

बाब: 135
बच्चा अगर कपड़े पर पेशाब कर दे तो...?

﴿135﴾ باب بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

(374) हज़रत उम्मे क़ैस बिन्ते मिहसन (रज़ि.) से रिवायत है कि वह अपने एक छोटे बच्चे को रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में लाईं। उसने अभी खाना खाना शुरू नहीं किया था। आपने उसे अपनी गोद में बिठा लिया, पस उसने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया तो आपने पानी मंगवाया और उस पर छिड़क दिया और उसे धोया नहीं।

तख़रीज 374: सहीह बुख़ारी : 223, मौत्ता 1/64, (वल्क़अनबीः 98, 99) व रवाहु मुस्लिमः 287

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ

(375) सय्यदा लुबाबा बिन्ते हारिस (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत हुसैन

أَبُو تَوْبَةَ، -الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ قَالَ " إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ " .

बिन अली (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की गोद में थे कि पेशाब कर दिया तो मैंने कहा कि आप दूसरा कपड़ा पहन लें और यह चादर मुझे दे दें कि इसे धो दूँ। आपने फ़र्माया, ''सिर्फ़ लड़की का पेशाब ही धोया जाता है और लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाते हैं।''

तख़रीज 375: (सनद हसन) इब्ने माजा : 522, इब्ने ख़ुज़ैमाः 282, हाकिमः 1/166, बैहक़ीः 2/415

फ़ायदा: इन अहादीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुस्ने अख़लाक़ और तवाज़ोअ (सादगी) का बयान है। आप बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। और दूध पीते बच्चे के पेशाब पर सिर्फ़ छींटे मार देने काफ़ी हैं। ताहम लड़की के पेशाब को धोना ज़रूरी है।

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، قَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ " وَلِّنِي قَفَاكَ " . فَأُوَلِّيهِ قَفَاىَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ - رضى الله عنهما - فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ " يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ " . قَالَ عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

(376) ह़ज़रत अबू सम्ह़ (रज़ि.) कहते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत किया करता था। आप जब गुस्ल करना चाहते तो मुझे फ़र्माते, ''मेरी तरफ़ अपनी गुद्दी (पुश्त) कर लो।'' तो मैं आपकी तरफ़ गुद्दी करके खड़ा हो जाता और आपको इस तरह पर्दा करता। (एक बार) ह़ज़रत ह़सन या हुसैन (रज़ि.) को लाया गया तो उन्होंने आपके सीने पर पेशाब कर दिया। मैं उसे धोने आया तो आपने फ़र्माया, ''लड़की का पेशाब धोया जाता है और लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाते हैं।''

अ़ब्बास (बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीम) ने अपनी सनद में (ह़द्दसनी मुफ़रद के सेग़े के बजाय) ह़द्दसना यह़्या बिन अबुल वलीद ज़िक्र किया।

الْوَلِيدِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو الزَّعْرَاءِ . قَالَ هَارُونُ بْنُ تَمِيمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الأَبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं और वह अबुज़्ज़अरा है और हारून बिन तमीम ने जनाब हसन बसरी से नक़्ल किया है कि पेशाब सब बराबर हैं।

तख़रीज 376: (सनद सहीह) नसाई: 225, व इब्ने माजा: 526, इब्ने ख़ुज़ैमा: 283, वल्हाकिम: 1/166

फ़ायदा: रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबितशुदा फ़र्मान के मुक़ाबले में किसी भी उम्मती का क़ौल व फ़त्वा क़ाबिले क़बूल नहीं हो सकता लिहाज़ा लड़की का पेशाब धोया जाएगा और लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाएँगे।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ .

(377) सय्यदना अली (रज़ि.) से मंक़ूल है कि लड़की का पेशाब धोया जाए और लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाएँ जब तक कि खाना न खाता हो।

तख़रीज 377: (सनद सहीह) बैहक़ी: 2/415, तिर्मिज़ी: 610, व इब्ने माजा: 525

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ " مَا لَمْ يَطْعَمْ " . زَادَ قَالَ قَتَادَةُ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ فَإِذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيعًا .

(378) सय्यदना अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया। फिर ऊपर वाली हदीस के हम मअ़नी रिवायत किया है, मगर उसमें ''जब तक कि खाना न खाता हो।'' का बयान नहीं है, मगर यह इज़ाफ़ा किया है कि क़तादा ने कहा, यह हुक्म उस वक़्त तक है जबकि वह दोनों (लड़का, लड़की) खाना न खाते हों। जब खाना खाने लग जाएँ तो दोनों का पेशाब धोया जाए।

तख़रीज 378: (सनद सहीह) तिर्मिज़ी :

610, इब्ने माजाः 525, इब्ने ख़ुज़ैमाः 284, व इब्ने हिब्बानः 247, हाकिमः 1/165

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ .

(379) जनाब हसन बसरी (रह.) अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं वह बयान करती हैं कि उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) को देखा कि वह लड़के के पेशाब पर छींटे मारतीं जब तक कि वह खाना न खाता, जब खाना खाने लगता तो उसको धोती थीं और लड़की के पेशाब को धोती थीं

तख़रीज 379ः (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 2/416, हाफ़िज़ फ़ित्तल्ख़ीसिल हबीरः 1/38

फ़ायदाः यह रिवायत मअनन सही है। क्योंकि सहीह रिवायतों से यह मसला साबित है।

﴾136﴿ بَابُ الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

बाबः 136
ज़मीन पर पेशाब पड़े तो...?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَابْنُ، عَبْدَةَ - فِي آخَرِينَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ عَبْدَةَ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَصَلَّى - قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ

(380) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक देहाती मस्जिद में आया, रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ फ़र्मा थे, उसने आकर नमाज़ पढ़ी। इब्ने अब्दा ने कहा कि दो रकअतें पढ़ीं। फिर यह दुआ की (अल्लाहुम्मर्हम्नी...) ''ऐ अल्लाह! मुझ पर और मुहम्मद पर रहम कर और हमारे साथ किसी पर रहम न कर।'' उस पर नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तूने तो वसीअ और कुशादा को तंग कर दिया।'' (यानी अल्लाह की रहमत को) फिर ज़्यादा देर न गुज़री कि वह मस्जिद

مَعَنَا أَحَدًا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا " . ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ " . أَوْ قَالَ " ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ".

के कोने में पेशाब करने लगा, लोग जल्दी से उसकी तरफ़ बढ़े, मगर आपने उनको रोक दिया और फ़र्माया, ''तुम लोग आसानी करने वाले बनाकर भेजे गए हो, दुश्वारी वाले नहीं। उस (पेशाब) पर पानी का एक डोल डाल दो।'' रावी को शक है कि (सज्लम् मिम्माइन) के लफ़्ज़ अदा किये या (ज़नूबम्मिम् माइन) के। (मअ़नी दोनों का एक ही मतलब है।)

तख़रीज 380: (सनद सहीह) तिर्मिज़ी : 147, हुमैदी: 944 इब्नुल जारूद: 141, व इब्ने ख़ुज़ैमा: 298, व रवाहुल बुख़ारी: 601, रक़म: 882

फ़वाइद व मसाइल: (1) ज़मीन और दीगर जमादात (पत्थर, शीशा और लकड़ी वग़ैरह) पर नजासत लग जाए तो उसका ऐन दूर कर देना और पेशाब की सूरत में पानी बहा देना काफ़ी होता है। मिट्टी खुरचने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। **(2)** सहाबा किराम में तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ने का मामूल था। **(3)** दुआ हमेशा जामेअ़ और वुस्अत की हामिल होनी चाहिए। **(4)** जाहिल लोगों के साथ मामला बिल्उ़मूम और बिल्ख़ुसूस दीन की ता'लीम में हमदर्दी का होना चाहिए।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ - يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً " . قَالَ

(381) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन मअ़क़िल बिन मुक़र्रिन (रह.) (ताबेई) बयान करते हैं कि एक देहाती ने नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी और ऊपर वाला क़िस्सा बयान किया। इस रिवायत में है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया ''जिस जगह उसने पेशाब किया है उसे खुरच दो और पानी बहा दो।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह हदीस मुर्सल है (यानी ताबेई ने नबी (ﷺ) से रिवायत की है।) और अ़ब्दुल्लाह बिन मअ़क़िल ने नबी (ﷺ) को नहीं पाया है।

أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .

तख़रीज 381: (सनद ज़ईफ़) दारक़ुत्नीः 1/132, : 473, बैहक़ीः 2/428, अबी दाऊदः 3, तल्ख़ीसुल हबीरः 1/37, : 32

﴿137﴾ باب فِي طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ

बाबः 137 यह बयान कि ज़मीन का ख़ुश्क हो जाना उसकी पाकी है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .

(382) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में मैं मस्जिद में सोया करता था। मेरी भरपूर जवानी के दिन थे और अभी शादी नहीं हुई थी। कुत्ते मस्जिद में आते जाते और पेशाब भी कर देते थे फिर वह लोग (यानी सहाबा किराम) इस पर कोई पानी न छिड़कते थे।

तख़रीज 382: सहीह बुख़ारी : 174

फ़वाइद व मसाइलः (1) मस्जिद इबादतगाह है उसका मुसलमानों के रेफ़ाही उमूर (मामलात) में इस्तेमाल जाइज़ है, मगर लाज़िम है कि उसके आदाब का ख़ास ख़्याल और एहतिमाम किया जाए। (2) जब ज़मीन ख़ुश्क हो जाए और नजासत (गन्दगी) ज़ाहिर न हो तो ज़मीन पाक शुमार होती है। (3) नौजवानों को मस्जिद में सोने से इस वजह से रोकना कि उन्हें एहतिलाम हो जाता है, शरअन इसका कोई ऐतिबार नहीं।

بَاب...
فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ، لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ " .

बाबः...
(अगर राह चलते हुए) पल्लू में नजासत लग जाए तो...?

(383) इब्राहीम बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ की एक उम्मे वलद ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) उम्मुल मोमिनीन से रिवायत करती हैं कि उन्होंने पूछा कि मैं ऐसी औ़रत हूँ कि अपनी चादर को लम्बा रखती हूँ और (कभी) राह चलते हुए नजिस जगह से भी गुज़र होता है (और चादर का पल्लू उस पर से होकर गुज़रता है) तो उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया,''बाद वाली जगह उसे पाक कर देती है।''

तख़रीज 383: (सनद ह़सन) तिर्मिज़ी : 143, व इब्ने माजाः 531, मौत्ताः 1/24 (क़अम्बीः 47, 48) इब्नुल जारूदः 142

फ़वाइद व मसाइलः (1) अगर नजासते ग़लीज़ा का असर पाक मिट्टी से घिसटने से ज़ाइल (ख़त्म) हो जाए तो यह कपड़ा पाक शुमार होगा। अगर ज़ाइल न हो तो धो लिया जाए। **(2)** ख़ैरुल क़ुरून में ख़्वातीन के पर्दे का यह ह़ाल था कि वह अपने पैर ढाँपने का भी एहतिमाम करती थीं, नीज़ उन्हें त़हारत का बेह़द ख़्याल रहता था कि इस त़रह़ के मसाइल तफ़्सील से पूछा करती थीं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(384) मूसा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद बनू अ़ब्दुल अश्हल की एक ख़ातून से रिवायत करते हैं वह बयान करती हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हमारा मस्जिद में जाने का रास्ता गंदा है, जब

بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ " أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا " . قَالَتْ قُلْتُ بَلَى . قَالَ " فَهَذِهِ بِهَذِهِ " .

बारिश हो जाए तो हम क्या करें? आपने फ़र्माया, ''क्या इस (नजिस) जगह के बाद पाक जगह नहीं आती?'' मैंने कहा कि हाँ (आती है।) आपने फ़र्माया, ''तो यह उसके बदले है।''

तख़रीज 384: (सनद सहीह) इब्ने माजा : 533, अहमद: 6/435

फ़ायदा: किसी नजिस जगह से गुज़रते हुए पैर, जूता या कपड़ा उस पर से गुज़र जाए और उसके बाद सूखी मिट्टी पर से गुज़र हो तो उसे पाक समझा जाए। लेकिन अगर नजासते साइला यानी बहने वाली (पेशाब) के छींटे पड़ें हों तो धोना होगा। अल्बत्ता जूता रगड़ने से पाक हो जाता है। (नीचे का बाब मुलाहिज़ा हो)

باب... فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

बाब:... जूते को नजासत लग जाए तो...?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، - الْمَعْنَى - قَالَ أُنْبِئْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ، حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ الأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ " .

(385) जनाब सईद बिन अबी सईद मक़्बुरी ने अपने वालिद से बयान किया, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब तुममें से कोई अपने जूते से नजासत को रौंदे तो मिट्टी उसे पाक करने वाली है।''

तख़रीज 385: (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 1/166

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

(386) जनाब सईद बिन अबी सईद अपने

كَثِيرٍ، -يَعْنِي الصَّنْعَانِيَّ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ " إِذَا وَطِئَ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ

वालिद से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से, ऊपर वाली हदीस के हम मअ़नी रिवायत किया। इस रिवायत में है ''जब कोई अपने मोज़ों से नजासत को रौंदे तो मिट्टी उसे पाक करने वाली है।

तख़रीज 386: (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 1/166, इब्ने ख़ुज़ैमा: 292, व इब्ने हिब्बान: 248

फ़ायदा: जूते और चमड़े के मोज़े को ग़लाज़त (गन्दगी) लग जाए ख़्वाह वह सय्याल भी हो तो पाक मिट्टी पर उसे रगड़ना उसके लिए पाकीज़गी है, बशर्ते कि बज़ाहिर उस पर कोई असर बाक़ी न हो।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَائِذٍ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَيْضًا، سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ .

(387) जनाब सईद बिन अबी सईद, क़अ़क़ाअ़ बिन हकीम से वह हज़रत आइशा (रज़ि.) से उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऊपर वाली हदीस के हम मअ़नी रिवायत किया।

तख़रीज 387: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/430, अबू दाऊद: 650

फ़ायदा: 385, 386 और 387 तीनों रिवायात सनद के ऐतिबार से ज़ईफ़ हैं। लेकिन मअ़नन सही हैं। जैसाकि इससे पहले हदीस के फ़वाइद में बयान किया गया है। ग़ालिबन इन ही शवाहिद की बिना पर शैख़ अल्बानी (रह़.) ने पिछली तीनों रिवायात की तस्ह़ीह़ की है।

﴿138﴾ بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْبِ

बाब: 138 नजासत लगे कपड़े की वजह से नमाज़ के एआदा (लौटाने) का मसला

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا

(388) उम्मे यूनुस बिन्ते शद्दाद कहती हैं कि मुझसे मेरी ननद उम्मे जहदर आमिर ने यह

أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ، قَالَتْ حَدَّثَتْنِي حَمَاتِي أُمُّ جَحْدَرٍ الْعَامِرِيَّةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا وَقَدْ أَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لُمْعَةٌ مِنْ دَمٍ . فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا يَلِيهَا فَبَعَثَ بِهَا إِلَىَّ مَصْرُورَةً فِي يَدِ الْغُلاَمِ فَقَالَ " اغْسِلِي هَذِهِ وَأَجِفِّيهَا ثُمَّ أَرْسِلِي بِهَا إِلَىَّ " . فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي فَغَسَلْتُهَا ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا فَأَحَرْتُهَا إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ .

बयान किया कि उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से हैज़ के ख़ून के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाता है तो उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थी, हम पर हमारा कपड़ा था, उसके ऊपर हमने एक ऊनी चादर डाली हुई थी, जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऊपर वाली चादर ओढ़ ली और नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गए और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी, फिर बैठे रहे। एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! यह ख़ून का दाग़ है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चादर के उस हिस्से को जिस पर दाग़ था पकड़ लिया, और एक गुलाम को देकर मेरे पास भेजा और फ़र्माया, 'इसे धोकर ख़ुश्क करो और मेरे पास वापिस भेज दो।' चुनाँचे मैं ने अपना प्याला मँगवाया, उस चादर को धोया और ख़ुश्क करके आपके पास वापिस भेज दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) दोपहर के वक़्त तशरीफ़ लाए तो आप वह चादर ओढ़े हुए थे।

तख़रीज 388: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/404

फ़ायदा: यह रिवायत भी सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन मअनन सही है। यानी इंसान ने ला इल्मी में नजिस कपड़े में नमाज़ पढ़ ली हो तो माफ़ है। एआदा (लौटाने) की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि दूसरी हदीस में आता है कि आपने नमाज़ के दौरान में अपने जूते उतार दिये और अपनी बाएँ जानिब रख लिये। सहाबा किराम (रज़ि.) ने भी आपकी इक़्तिदा में इसी तरह किया। नमाज़ के बाद आपने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने अपने जूते क्यूँ उतार दिये? उन्होंने कहा कि हमने आपको देखा कि आपने ऐसे ही किया है तो हमने भी उतार दिये। आपने फ़र्माया, ''मुझे जिब्राईल (अ.) ने बताया कि इसमें नजासत है।'' (सहीह अबू दाऊद: 605) मालूम हुआ कि नजिस कपड़े या जूते के साथ नमाज़ नहीं होती, मगर ला इल्मी में जो पढ़ ली गई हो वह दुरुस्त है। इसका एआदा (लौटाना) ज़रूरी नहीं!

बाब : 139
कपड़े को थूक लग जाए तो...?

﴾139﴿
باب الْبُصَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ بَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ .

(389) जनाब अबू नज़रा (रह.) (ताबेई) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने कपड़े में थूका और फिर उसे उसमें मसल दिया। (यह रिवायत मुर्सल है।)

तख़रीज 389: (सनद सहीह) हदीस मुर्सल, अहमद: 3/43

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(390) हुमैद ने हज़रत अनस (रज़ि.) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से इसी के मिस्ल रिवायत किया है।

तख़रीज 390: सहीह बुख़ारी : 241

फ़ायदा: इंसान का थूक पाक है। इसी तरह बलग़मी माद्दा और नाक की आलाइश भी पाक है। लेकिन कपड़े पर ज़ाहिर (साफ़) लगी नज़र आती हो तो बुरी लगती है। इसलिए नज़ाफ़त के तौर पर साफ़ कर लेनी चाहिए। हालते नमाज़ में थूकने की ज़रूरत महसूस हो या नाक साफ़ करने की ज़रूरत हो तो इसका मस्नून तरीक़ा यह है कि इंसान अपने कपड़े (रूमाल वग़ैरह) में थूककर उस कपड़े को मसल दे। थूक और बलग़म वग़ैरह को मुँह के अंदर ही रखकर नमाज़ ख़त्म होने का इंतिज़ार न करता रहे कि इस तरह नमाज़ के ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में ख़लल वाक़ेअ होता है, वल्लाहु आलम

كتاب الصلاة

नमाज़ की अहमियत और फ़ज़ीलत

(सलात) 'नमाज़' मुसलमानों के यहाँ अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की इबादत का एक मख़्सूस अंदाज़ है। इसमें क़याम, रुकूअ़, सुजूद और तशह्हुद में मुतअ़य्यन ज़िक्र और दुआएँ पढ़ी जाती हैं। इसकी इब्तिदा कलिमा 'अल्लाहु अकबर' से और इंतिहा 'अस्सलामु अलयकुम व रह़मतुल्लाह' से होती है। तमाम उम्मतों में अल्लाह की इबादत के जो तौर तरीक़े राइज थे या अभी तक मौजूद हैं, उन सब में से हम मुसलमानों की नमाज़, इंतिहाई उ़म्दा, ख़ूबसूरत और कामिल इबादत है। बन्दे की बंदगी का इजज़ और रब्बे ज़ुल्जलाल की अ़ज़्मत का जो इज़्हार इस तरीक़े इबादत में है, किसी और में दिखाई नहीं देता। इस्लाम में भी इसके मुक़ाबले की और कोई इबादत नहीं है। यह एक ऐसा सतून है जिस पर दीन की पूरी इमारत खड़ी होती है, अगर यह गिर जाए तो पूरी इमारत गिर जाती है। सबसे पहले इसी इबादत का हुक्म दिया गया और शबे मेअ़राज में अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने अपने रसूल को बिला वास्ता बराहे रास्त ख़िताब से इसका हुक्म दिया, और फिर जिब्रील अमीन ने नबी करीम (ﷺ) की दोबारा इमामत कराई और उसकी तमाम तर जुज़्इयात (पार्ट्स) से आपको अ़मलन आगाह किया और आपने भी जिस तफ़्सील से नमाज़ के अह़काम व आदाब बयान किये हैं किसी और इबादत के इस तरह़ बयान नहीं किये। क़ियामत के दिन भी सबसे पहले नमाज़ ही का ह़िसाब होगा। जिसकी नमाज़ सही और दुरुस्त निकली, उसके बाक़ी आ़माल भी सही हो जाएँगे और अगर यही ख़राब निकली तो बाक़ी आ़माल भी बर्बाद हो जाएँगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी सारी ज़िन्दगी नमाज़ की ता'लीम व ताकीद फ़र्माते रहे। यहाँ तक कि दुनिया से कूच के आख़िरी लम्ह़ात में भी 'नमाज़' 'नमाज़' की वसिय्यत आपकी ज़ुबाने मुबारक पर थी। आपने उम्मत को मुतनब्बा फ़र्माया कि इस्लाम एक एक कड़ी करके टूटता और खुलता चला जाएगा, जब एक कड़ी टूटेगी तो लोग दूसरी में मुब्तला हो जाएँगे और सबसे आख़िर में नमाज़ भी छूट जाएगी। (मवारिदुज़्ज़मआनः 1/401, ह़दीसः 257, इला ज़वाइद इब्ने ह़िब्बान)

क़ुरआन मजीद की सैंकड़ों आयतें इसकी फ़र्ज़ियत और अहमियत बयान करती हैं। सफ़र, ह़ज़र, सेह़त, मर्ज़, अम्न और ख़ौफ़, हर ह़ाल में नमाज़ फ़र्ज़ है और इसके आदाब बयान किये गए हैं। नमाज़ में कोताही करने वालों के बारे में क़ुरआन मजीद और अह़ादीस में बड़ी सख़्त वईदें सुनाई गई हैं।

इमाम अबू दाऊद (रह़) ने इस किताब में नमाज़ के मसाइल बड़ी तफ़्सील से बयान किये हैं।

كتاب الصلاة

नमाज़ के अहकाम व मसाइल

बाब : 1
नमाज़ की फ़र्ज़ियत का बयान

باب (1)
الصَّلاَةِ مِنَ الإِسْلاَمِ

(391) हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, अहले नजद में से एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया। उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे। उसकी आवाज़ की गुनगुनाहट सुनी जा रही थी मगर समझ में न आता था कि क्या कह रहा है, यहाँ तक कि (नबी स. के) क़रीब आ गया तो वह इस्लाम के बारे में पूछ रहा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''दिन और रात में पाँच नमाज़ें हैं।'' कहने लगा, क्या इनके अलावा भी मुझ पर कुछ है? आपने फ़र्माया, ''नहीं मगर यह कि तू नफ़्ल पढ़ना चाहे।'' रावी ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे रमज़ान के रोज़ों का ज़िक्र किया तो उसने कहा, क्या मुझ पर इसके अलावा भी हैं? आपने फ़र्माया, नहीं! मगर यह कि तू नफ़्ल रखना चाहे।'' रावी ने कहा, और आपने उसको सदक़ा (ज़कात) का भी

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " . قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ " لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " . قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ " لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " . قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

الصَّدَقَةَ . قَالَ فَهَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ " لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " . فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ " .

बताया तो उसने कहा, क्या मुझ पर इसके अलावा भी है? आपने फ़र्माया, 'नहीं! हाँ! अगर तू नफ़्ल करना चाहे।'' चुनाँचे वह आदमी वापिस हुआ और कह रहा था, अल्लाह की क़सम! मैं इससे ज़्यादा करूँगा न कम। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''कामयाब हुआ अगर साबित क़दम रहा।''

तख़रीज 391: सहीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमानः 46, सहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमानः 11, मौत्ताः 1/175, (वल्क़अनबीः 108, 109)

फ़ायदाः इस्लाम हिजाज़ के माह़ौल में शुरू हुआ तो अजनबी और नामानूस था, मगर जब इसकी ह़क़्क़ानियत का चर्चा हो गया तो दश्त व जबल के बासियों के अफ़्कार (फ़िक्रें) भी तब्दील हो गए। उन पर दुनिया के माल व मनाल की बजाय अल्लाह के साथ ता'ल्लुक़, दीन की इस्तवारी और आख़िरत का फ़िक्र ग़ालिब आ गया। इस साइल की फ़ित्री सादगी ने उसे समझाया कि ह़क़ का रास्ता साफ़ और मुख़्तसर है। इस सवाल व जवाब से मालूम हुआ कि सुन्नतें, वित्र, तह़िय्यतुल मस्जिद और नमाज़े ईद वग़ैरह बुनियादी तौर पर नवाफ़िल ही हैं, मगर बक़ौले अ़ल्लामा सिन्धी सुन्नतों के तर्क को अपनी आ़दत बना लेना दीन में बहुत बड़ा नुक़्स और ख़सारा है। यह लोग चूँकि जदीदुल इस्लाम थे, इसलिए अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने इनसे इसी क़द्र पर किफ़ायत की ताकि दीन उनके लिए बोझ न बने और यह बद दिल न हो जाएँ, मगर जब उनके सीने खुल गए तो अज्रो सवाब के बेहद ह़रीस़ बन गए और नवाफ़िल पर अ़मल उनके लिए बहुत ही आसान हो गया। इसलिए एक मुसलमान को फ़राइज़ के साथ नवाफ़िल से हर्गिज़ दिल नहीं चुराना चाहिए।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ " .

(392) जनाब अबू सहल नाफ़ेअ़ बिन मालिक बिन अबी आ़मिर की सनद से यही ह़दीस मरवी है। इसमें है कि आपने फ़र्माया, 'कामयाब हुआ, क़सम उसके बाप की! अगर सच्चा हुआ और जन्नत में दाख़िल हुआ, क़सम उसके बाप की अगर सच्चा हुआ।''

तख़रीज 392: सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौमः 1891, व सहीह मुस्लिमः 11

फ़ायदाः इसमें नबी (ﷺ) ने ग़ैरुल्लाह की क़सम खाई, हालाँकि आपने ग़ैरुल्लाह की क़सम खाने से मना किया है, इसकी बाबत उलमा ने कहा है कि यह वाक़िया मुमानिअत से पहले का है या फिर इसकी हैसियत यमीने लग़्व (बग़ैर क़सद के आदत के तौर पर क़सम खाने) की है जो कुरआने करीम की आयत (ला युआख़िज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम) (बक़रहः 2/225) ''अल्लाह तआला तुमसे तुम्हारी लग़्व क़समों पर मुवाख़िज़ा (पकड़) नहीं करेगा।'' की रू से माफ़ है। ताहम यह आदत अच्छी नहीं है, इसलिए इससे इज्तिनाब (परहेज) करना ज़रूरी है। इसके अलावा मुसलमानों मे जिहालत और मुश्रिकाना अक़ीदे आम हैं, ऐसे माहौल में ग़ैरुल्लाह की क़सम खाने से सख़्ती से रुकने और दूसरों को रोकने की शदीद ज़रूरत है ताकि लोग शिर्क से बच सकें। वैसे शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत में अल्फ़ाज़ (व अबीही) क़सम है उसके बाप की।'' को शाज़ क़रार दिया है।

बाब : 2
औक़ाते नमाज़ के अहकाम व मसाइल

﴿2﴾
باب فِي الْمَوَاقِيتِ

(393) जनाब नाफ़ेअ बिन जुबैर बिन मुत्इम हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिब्रील (अ.) ने बैतुल्लाह के पास मेरी दो बार इमामत कराई। (पहली बार) मुझे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई उस वक़्त जबकि सूरज ढल गया और साया तस्मे के बराबर था और अस्र की नमाज़ पढ़ाई जब उसका साया उसके बराबर हो गया और मग़्रिब की नमाज़ पढ़ाई जिस वक़्त कि रोज़ेदार रोज़ा खोलता है और इशा की नमाज़ पढ़ाई जबकि शफ़क़ (सुर्ख़ी) उफ़ुक़

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فُلاَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ

الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ - يَعْنِي الْمَغْرِبَ - حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " .

में ग़ायब हो गई और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई जबकि रोज़ेदार पर खाना पीना ह़राम हो जाता है। जब दूसरा दिन हुआ तो मुझे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई जबकि उसका साया उसके मिस्ल था और अ़स्र की नमाज़ पढ़ाई जबकि उसका साया दो मिस्ल था और मग़्रिब की नमाज़ पढ़ाई जबकि रोज़ेदार रोज़ा खोलता है और इशा की नमाज़ पढ़ाई रात का तिहाई हिस्सा गुज़र गया और मुझे फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई और ख़ूब सफ़ेदी की। फिर (जिब्रील अ़.) मेरी त़रफ़ मुतवज्जा हुए और कहा, ऐ मुह़म्मद (ﷺ)! आपसे पहले अम्बिया के यही औक़ात हैं और (नमाज़ के) औक़ात इन दोनों (वक़्तों) के माबेन (बीच) हैं।''

तख़रीज 393: (इस्नाद ह़सन) तिर्मिज़ी, किताबुस्सलातः 149, वक़ाल 'ह़सनुन सह़ीहुन' व स़ह़्ह़ह़ु इब्ने ख़ुज़ैमाः 325, व इब्नुल जारूदः 149, 150, वल्ह़ाकिमः 1/193

फ़वाइद व मसाइलः (1) नमाज़ उन इ़बादात में से है कि जिब्राईल (अ़.) ने सिर्फ़ ज़ुबानी इल्क़ाअ करने की बजाय अ़मली तर्बियत से आपको तमाम जुज़्इयात (तफ़्सीलात) से आगाह फ़र्माया। **(2)** ज़ुहर के वक़्त में साया 'तस्मे के बराबर था।'' इससे अस़ली साया का एतिबार करने की दलील मिलती है। **(3)** अ़स्र का वक़्त एक मिस्ल के बाद से शुरू होता और दो मिस्ल पर ख़त्म हो जाता है। **(4)** इस ह़दीस में मग़्रिब का वक़्त एक ही बयान हुआ है। दूसरी अह़ादीस की रोशनी में इसमें ग़ुरूबे शफ़क़ तक तवस्सोअ़ (कुशादा) है। **(5)** इन औक़ात को फ़िक़्ही इस्तिलाह़ में 'औक़ाते अदा' कहा जाता है। बाक़ी 'औक़ाते क़ज़ा' कहलाते हैं। **(6)** 'आपसे पहले अम्बिया के यही औक़ात हैं।' का मफ़्हूम यह बयान किया गया है कि उनके लिए भी इसी त़रह़ औक़ात मुतअ़य्यन किये गए थे न कि उन पर पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ थी, वल्लाहु आ़लम! इससे नमाज़ के अव्वल वक़्त और आख़िरी वक़्त की तह़दीद व तअ़यीन हो जाती

है। जिसका मतलब है कि इन दोनों औक़ात में अदा की गई नमाज़ सही है और इसी तरह दोनों औक़ात के बीच का वक़्त भी नमाज़ का वक़्त है, यूँ हर नमाज़ के लिए तीन औक़ात का इस्बात हुआ। लेकिन उनमें अफ़ज़ल वक़्त कौनसा है? वह दूसरी अहादीस से साबित है कि वह अव्वल वक़्त है सिवा नमाज़े इशा के, कि इसको ताख़ीर से पढ़ना अफ़ज़ल है, नबी (ﷺ) का अपना अमल भी यह था।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ . فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " نَزَلَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ " . يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ

(394) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मिम्बर पर बैठे हुए थे और नमाज़े असर में उन्होंने कुछ ताख़ीर कर दी तो उर्वा बिन ज़ुबेर ने उनसे कहा, याद रहे कि जिब्रील (अ.) ने हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को नमाज़ों के औक़ात की ख़बर दी है। तो उमर (बिन अब्दुल अज़ीज़) ने उनसे कहा, अपनी बात पर ज़रा ग़ौर कीजिए! तो उर्वा ने कहा कि मैंने बशीर बिन अबी मसऊद से सुना है, वह कह रहे थे मैंने अबू मसऊद अंसारी (रज़ि.) से सुना, वह कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़र्माते थे, 'जिब्रील (अ.) तशरीफ़ लाए और मुझे नमाज़ के औक़ात की ख़बर दी और मैंने आपके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी। आप यह बयान करते हुए अपनी उँगलियों पर पाँच नमाज़ों को शुमार भी कर रहे थे। तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप नमाज़े जुहर पढ़ते थे जबकि सूरज ढल जाता था और सख़्त गर्मी के वक़्त कभी देरी भी कर लेते थे। और मैंने आपको देखा कि आप असर की नमाज़ पढ़ते थे जबकि सूरज ऊँचा और सफ़ेद होता था, ज़र्दी आने से पहले पहले। आदमी नमाज़ पढ़कर निकलता और

وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلاَةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلاَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُفَسِّرُوهُ وَكَذَلِكَ أَيْضًا

رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ إِلاَّ أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيرًا

وَرَوَى وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الْمَغْرِبِ قَالَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ -

गुरूब से पहले पहले ज़ुल्हुलैफ़ा मक़ाम तक पहुँच जाता था। और मग़्रिब की नमाज़ पढ़ते जिस वक़्त को सूरज ग़ुरूब हो जाता और इशा पढ़ते जबकि उफ़ुक़े मग़्रिब स्याह हो जाता और कभी मुअख़्ख़र (देर) भी कर देते यहाँ तक कि लोग जमा हो जाते और फ़ज्र की नमाज़ आपने एक बार अंधेरे में पढ़ी और एक बार पढ़ी तो रोशन कर दी मगर उसके बाद आपकी नमाज़ अंधेरे ही में हुआ करती थी यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई और कभी रोशन न की।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि इस ह़दीस को ज़ोहरी से मअ़मर, मालिक, इब्ने उ़येयना, शुऐब बिन अबी ह़मज़ा और लैस बिन सअ़द वग़ैरह ने रिवायत किया है मगर उसमें वह वक़्त ज़िक्र नहीं किया जिसमें कि आपने नमाज़ पढ़ी और न उन लोगों ने इस त़रह़ तफ़्सील बयान की है। और ऐसे ही हिशाम बिन उ़र्वा और ह़बीब बिन अबी मरज़ूक़ ने उ़र्वा से मअ़मर और उसके साथियों की मानिन्द रिवायत किया है मगर ह़बीब ने बशीर का वास्ता ज़िक्र नहीं किया।

और वहब बिन कैसान ने जाबिर (रज़ि.) से उन्होंने नबी (ﷺ) से मग़्रिब का वक़्त रिवायत किया है। कहा कि फिर दूसरे दिन (जिब्रील) मग़्रिब के लिए आए जबकि सूरज ग़ुरूब हो गया। एक ही वक़्त में (यानी पहले और दूसरे दिन का वक़्त एक ही था।)

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, ह़ज़रत अबू

يَعْنِي مِنَ الْغَدِ - وَقْتًا وَاحِدًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ يَعْنِي مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ حَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

हुरैरा (रज़ि.) ने भी नबी (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत किया है यानी ''फिर मुझे अगले दिन नमाज़े मग़रिब पढ़ाई। एक ही वक़्त में।'' और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से बसनद हस्सान बिन अतिया अन अम्र बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दिहि अनिन्नबी (ﷺ) मरवी है।

तख़रीज 394: (इस्नाद हसन) दारे कुत्नीः 1/251, 252, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 352, व इब्ने हिब्बानः 279, वल्हाकिमः 1/192, 193, व सहहहुल हाकिमः 190

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ سَائِلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ لِلْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لاَ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَوْ إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ . وَهُوَ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ وَأَمَرَ بِلاَلاً

(395) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक साइल ने नबी (ﷺ) से (औक़ाते नमाज़ के बारे में) सवाल किया, मगर आपने उसे कोई जवाब न दिया यहाँ तक कि बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने फ़ज्र की (अज़ान व) इक़ामत कही जिस वक़्त फ़ज्र तुलूअ हुई। पस आपने नमाज़ पढ़ाई जबकि आदमी (अंधेरे के बाइस) अपने साथी का चेहरा न पहचान सकता था या यह कि आदमी यह न पहचान सकता था कि इसके पहलू में कौन है, फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने ज़ुहर की (अज़ान व) इक़ामत कही उस वक़्त जब सूरज ढल गया यहाँ तक कि कहने वाला कहता कि क्या निस्फ़ुन्नहार हो गया है? और आप वक़्त को ख़ूब जानने वाले थे (यानी सूरज ढलने ही पर नमाज़ पढ़ी, मगर लोगों को शुब्हा हो सकता

فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ فَقُلْنَا أَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ - أَوْ قَالَ أَمْسَى - وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ هَذَا قَالَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى شَطْرِهِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

था) फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने अ़सर के लिए (अज़ान व) इक़ामत कही जबकि सूरज सफ़ेद और ऊँचा था, फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने मग़रिब के लिए (अज़ान व) इक़ामत कही जबकि सूरज डूब गया, फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने इशा के लिए (अज़ान व) इक़ामत कही जबकि शफ़क़ (सुर्ख़ी/लाली) ग़ायब हो गई और जब अगला दिन हुआ तो आपने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी और तशरीफ़ ले गए और हम कह रहे थे कि क्या सूरज निकल आया है? फिर अ़सर के वक़्त में ज़ुहर की इक़ामत कही (यानी कल गुज़िश्ता के वक़्त में) और अ़सर पढ़ी जबकि सूरज ज़र्द हो गया था या कहा कि जब शाम हो गई और मग़रिब पढ़ी इससे पहले कि शफ़क़ (लाली) ग़ायब हो और इशा पढ़ी तिहाई रात के क़रीब फिर फ़र्माया, 'कहाँ है नमाज़ के औक़ात पूछने वाला? (नमाज़ का) वक़्त इन दो औक़ात के बीच है।''

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, सुलेमान बिन मूसा ने अ़ता से उन्होंने जाबिर से उन्होंने नबी (ﷺ) से मग़रिब के बारे में इसी के मानिन्द बयान किया। कहा, फिर नमाज़े इशा पढ़ी, कुछ ने कहा, तिहाई रात के वक़्त और कुछ ने कहा, आधी रात के वक़्त। और इब्ने बुरैदा ने अपने वालिद से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत किया।

तख़रीज 395: सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 614, नसाई: 1/251, 252, ह़: 505

(396) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं, आपने फ़र्माया, ''ज़ुहर का वक़्त उस वक़्त तक है जब तक कि अस्र शुरू न हो और अस्र का वक्त उस वक़्त तक है जब तक कि सूरज ज़र्द (पीला) न हो और मग़रिब का वक़्त उस वक़्त तक है जब तक कि शफ़क़ की शदीद सुर्ख़ी ग़ायब न हो और इशा का वक़्त आधी रात तक है और फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त जब तक कि सूरज न निकले।''

तख़रीज 396: सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 612

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ "

बाब : 3
नबी (ﷺ) की नमाज़ों के औक़ात और आपका तरीक़-ए-नमाज़

﴿3﴾ باب فِي وَقْتِ صَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهَا

नोट : पिछले बाब में नमाज़ों के अव्वल व आख़िर औक़ात (वक़्तों) का बयान हुआ है और अब्वाबे ज़ेल (नीचे के बाबों) में अफ़ज़ल और मुस्तहब और रसूलुल्लाह (ﷺ) के मामूलात का ज़िक्र है।

(397) जनाब मुहम्मद बिन अम्र (बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब) कहते हैं कि हमने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ों के औक़ात पूछे तो उन्होंने कहा कि आप ज़ुहर की नमाज़ सख़्त गर्मी के वक़्त में पढ़ा करते थे (यानी ज़वाल के बाद अव्वल वक़्त में पढ़ते थे)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، - وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ - سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ، صَلاَةِ النَّبِيِّ

صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ .

और अस्र उस वक़्त अदा करते थे जबकि सूरज ज़िन्दा होता (यानी उसमें चमक और तपिश बाक़ी होती।) और मग़्रिब उस वक़्त पढ़ते जब सूरज गुरूब हो जाता और इशा में जब लोग पहले जमा हो जाते तो जल्दी करते और जब कम होते तो ताख़ीर कर लेते और फ़ज्र की नमाज़ अंधेरे में पढ़ा करते थे।

तख़रीज 397: सहीह बुख़ारी, मवाक़ीतुस्सलातः 560, व सहीह मुस्लिमः 646

फ़ायदाः अहले बैते नबवी हम तमाम मुसलमानों के महबूब व मुकर्रम अफ़राद हैं। उन पर अल्लाह की बेहद व बेशुमार रहमतें हों। उनका ख़ानदान कुर्रा अरज़ी (इस ज़मीन) पर बेमिस्ल व बेमिसाल ख़ानदान है। उनका इम्तियाज़ यह है कि वह उस्व-ए-रसूल के हामिल और मुबल्लिग़ थे जैसे कि यह हदीस हज़रत अली (रज़ि.) के पड़पोते जनाब मुहम्मद बिन अम्र (रह.) ने नक़्ल की है।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ الْمَغْرِبَ وَكَانَ لاَ يُبَالِي تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ . قَالَ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ . قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا

(398) हज़रत अबू बरज़ा (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता था और अस्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे कि हममें से एक शख़्स मदीना से बाहर की आबादी में जाकर वापिस आ जाता और सूरज अभी ज़िन्दा होता (यानी साफ़ और नुमायाँ होता) (अबुल मिन्हाल ने कहा) और मग़्रिब का वक़्त मैं भूल गया हूँ और इशा की नमाज़ में आप तिहाई रात तक ताख़ीर की परवाह न करते थे ... फिर कहा... आधी रात तक। और कहा कि आप इशा से पहले सो जाने और उसके बाद बातें करने को नापसंद करते थे और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते तो हममें से एक अपने हमनशीन को जिसे वह जानता होता

مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

पहचान सकता था। और आप उसमें साठ से सौ आयात तक क़िरअत करते थे।

तख़रीज 398: सह़ीह़ बुख़ारी, मवाक़ीतुस्सलातः 541, व सह़ीह़ मुस्लिमः 647

फ़वाइद व मसाइल (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) की पूरी ज़िन्दगी का मामूल रहा है कि आप पहले वक़्त में नमाज़ पढ़ते थे मगर नमाज़े इशा में अफ़ज़ल यह है कि ताख़ीर की जाए। **(2)** इशा से पहले सोना और उसके बाद बेकार बातों और कामों में लगे रहना ठीक नहीं है, मगर यह कि कोई अहम मक़्सद पेशेनज़र हो जैसे कि कुछ औक़ात रसूलुल्लाह (ﷺ) और ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बातचीत में मशग़ूल रहते थे, मगर शर्त़ यह है कि फ़ज्र की नमाज़ बरवक़्त अदा हो। दीनी व तब्लीग़ी इज्तिमाआ़त जो रात गए तक जारी रहते हैं उनमें इस मसले को पेशेनज़र रखना चाहिए कि फ़ज्र की नमाज़ ज़ाया न हो। **(3)** फ़ज्र की नमाज़ के बारे में स़ह़ीह़ अह़ादीस में वज़ाह़त आई है कि फ़राग़त के बाद हमारा एक आदमी अपने साथी को पहचान सकता था न कि नमाज़ शुरू करते वक़्त। **(4)** फ़ज्र की नमाज़ में क़िराअत मुनासिब ह़द तक लम्बी होनी चाहिए।

﴾4﴿ بَابٌ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

बाब : 4 ज़ुहर की नमाज़ का वक़्त

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ .

(399) सईद बिन ह़ारिस अंस़ारी ह़ज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है वह कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ा करता था तो अपनी मुट्ठी में कंकरियाँ उठा लेता ताकि ठण्डी हो जाएँ और उन्हें अपनी पेशानी के नीचे रखकर सज्दा कर सकूँ और यह सख़्त गर्मी की वजह से होता था।

तख़रीज 399: (सनद हसन) नसाईः 1082, इब्ने ह़िब्बानः 267

फ़वाइद व मसाइलः (1) मालूम हुआ कि ज़ुहर की नमाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) अव्वल वक़्त में गर्मी के वक़्त अदा करते थे और आपके बाद ख़ुलफ़ाए राशेदीन का भी यही मामूल रहा। (2) शरई ज़रूरत के तहत इस क़िस्म का अमल जैसे कि हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने किया, जाइज़ है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَتْ قَدْرُ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّيْفِ ثَلاَثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ .

(400) जनाब अस्वद से रिवायत है उनका बयान है कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ अंदाज़न गर्मियों में तीन क़दम से पाँच क़दम (साया) तक और सर्दियों में पाँच से सात क़दम तक होती थी।

तख़रीज 400: (इस्नाद हसन) नसाईः 504

तौज़ीहः अल्लामा सिन्धी ने सुनन नसाई के हाशिया में ज़िक्र किया है कि इस हदीस का मअ़नी यह है कि आप ज़वाल के बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा ताख़ीर करते वह इसी क़द्र होती थी कि गर्मियों में साया तीन से पाँच क़दम और सर्दियों में पाँच से सात क़दम तक होता था। और इस साये में असल और ज़ाइद दोनों साये शुमार हुए हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ، -قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ - قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرَ فَقَالَ " أَبْرِدْ " . ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ " أَبْرِدْ " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا حَتَّى رَأَيْنَا فَىْءَ التُّلُولِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ

(401) जनाब ज़ेद बिन वहब कहते थे मैंने हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) से सुना वह कहते थे कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे कि मुअज़्ज़िन ने ज़ुहर की अज़ान कहना चाही तो आपने फ़र्माया, ''ठण्डक होने दो।'' उसने फिर अज़ान कहना चाही तो आपने फ़र्माया, ''ठण्डक होने दो।'' दो बार या तीन बार यही हुआ यहाँ तक कि हमने टीलों के साये देख लिए। फिर फ़र्माया, ''गर्मी की शिद्दत जहन्नम की लपट से है। जब गर्मी शदीद हो तो नमाज़ को ठण्डे वक़्त में पढ़ो।

तख़रीज 401: सहीह बुख़ारी, मवाक़ीतुस्सलातः 535, व मुस्लिमः 616

مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ " .

(402) जनाब सईद बिन मुसय्यिब और अबू सलमा हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब गर्मी शदीद हो तो नमाज़ ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो। इब्ने मौहब (यानी यज़ीद बिन ख़ालिद) के अल्फ़ाज़ (अनिस्सलात की बजाय बिस्सलात) थे। तहक़ीक़ गर्मी की शिद्दत जहन्नम की लपट से है।

तख़रीज 402: सहीह मुस्लिम, अल्मसाजिदः 615, व रवाहुल बुख़ारीः 536

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ " . قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ " بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " .

(403) हज़रत जाबिर बिन समुरा (रज़ि.) से रिवायत है कि जब सूरज ढल जाता था तो बिलाल (रज़ि.) ज़ुहर की अज़ान कहते थे।"

तख़रीज 403: सहीह मुस्लिम, अल्मसाजिदः 618

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ بِلاَلاً، كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .

फ़वाइद व मसाइलः (1) (इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम) यानी 'गर्मी की शिद्दत जहन्नम की लपट से है या उसकी जिंस से है।' चूँकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने इस फ़र्मान की **तौज़ीह** नहीं की इसलिए हमारे नज़दीक उसे ज़ाहिर ही पर महमूल करना ज़्यादा बेहतर है जबकि कुछ उलमा ने उसे तश्बीह व इस्तिआरा क़रार दिया है। ज़ाहिर और हक़ीक़त पर महमूल करने की दलील वह हदीस है जिसमें है कि "आग ने अपने रब से शिकायत की तो उसको दो साँसों की इजाज़त दी। एक सर्दी में और एक गर्मी में।" (सहीह मुस्लिमः 217) **(2)** (अब्रिदू बिस्सलाति) यानी 'नमाज़ को ठण्डे वक़्त में पढ़ो।' इससे वह वक़्त मुराद है जब सूरज ढलने के बाद हवाएँ चलना और गर्मी की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाती है और उसी वक़्त जहन्नम कुछ ठण्डी हो जाती है। अगर बिलकुल ही ठण्डक का वक़्त मुराद लिया जाए तो कुछ औक़ात अस्र के वक़्त और कभी उसके बाद भी ठण्डक नहीं होती है।

नबी (अ.) और सहाबा किराम (रज़ि.) के मामूलात से इस हदीस का यही मफ़्हूम वाज़ेह होता है। (देखिए नैलुल अवतार) और यह अम्र जुम्हूर के नज़दीक इस्तिहबाब व इर्शाद पर महमूल है और कुछ ने इसको वुजूब के लिए भी समझा है, वल्लाहु आ'लम।

तअजील व इब्राद में रफ़अे तआरुज़ और जमा में मज़्कूरतुस्सद्र मफ़्हूम की वाज़ेह दलील यह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जिहाद के मौक़े पर अगर पहले पहर क़िताल शुरू न करते तो ज़वाल का इंतिज़ार करते थे। और उस वक़्त को आपने हवाओं के चलने, नुसरत के उतरने और क़िताल के लिए मुनासिब होने से ता'बीर फ़र्माया है। नस़ यह है (काना इज़ा लम युक़ातिल फ़ी अव्वलिन्नहारिन्तज़र हत्ता तहुब्बल अरवाहु व तहज़ुरस्सलवात) (सहीह बुख़ारीः 3160, क़ाल फ़िल्फ़तहः 6/365, फ़ी रवायते इब्ने अबी शैबा 'व तज़ूलुश्शम्स' वहुव बिल्मअनी, व ज़ाद फ़ी रवायतित्तब्री 'व यतीबुल क़िताल' व फ़ी रिवायते इब्ने अबी शैबा 'व युनज़िलुन्नसर'

बाब : 5
अस्र की नमाज़ का वक़्त

﴾5﴿
باب فِي وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

(404) इब्ने शिहाब हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अस्र की नमाज़ पढ़ा करते जबकि सूरज सफ़ेद, ऊँचा और ज़िन्दा होता था। और जाने वाला बालाए मदीना (की आबादी) की तरफ़ जाता और सूरज ऊँचा होता था।

तख़रीज 404: सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिदः 621

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ

(405) ज़ोहरी (रह.) बयान करते हैं कि बालाए मदीना की आबादियाँ दो या तीन मील तक होती थीं। और कहा मेरा ख़्याल है कि यह भी कहा कि या चार मील तक होती है।

وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ . قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ أَوْ أَرْبَعَةٍ .

तख़रीज 405: (इस्नाद सहीह) अहमदः 3/161, मुसन्नफ़अब्दुर्रज़ाक़ : 2069

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ، حَرَّهَا .

(406) जनाब ख़ैसमा (रह.) कहते हैं कि ''सूरज ज़िन्दा होने' का मफ़्हूम यह है कि आप उसकी गर्मी व हरारत महसूस करें।

तख़रीज 406: (सनद हसन) बैहक़ीः 1/440, 441

फ़वाइद व मसाइलः (1) यह दलील है कि नबी (ﷺ) अव्वल वक़्त में अस्र पढ़ लिया करते थे जिसकी तफ़्सील गुज़र चुकी है कि एक मिस्ल साया से अस्र का वक़्त शुरू हो जाता है। (2) मदीना के जुनूब मश्रिक़ की जानिब की आबादियों को 'अवाली' (बालाई/ऊपरी इलाक़े) और शिमाल की जानिब के इलाक़े को 'साफ़िला' (नशीबी/निचला इलाक़ा) कहते थे।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ .

(407) जनाब उर्वा ने कहा मुझसे सय्यदा आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अस्र की नमाज़ पढ़ते तो धूप उनके हुज्रे में होती और दीवार पर न चढ़ी होती थी।

तख़रीज 407: सहीह बुख़ारी, मवाक़ीतुस्सलातः 522, मुस्लिमः 611, मौत्ताः 1/4, क़अनबीः 27)

फ़ायदाः 'हुज्रा' अरबी जुबान में घर के साथ घिरे हुए आँगन को कहते हैं। हज़रत आइशा (रज़ि.) के सेहन की दीवारें छोटी ही थीं इसलिए धूप अभी आँगन ही में होती थी। मश्रिक़ी दीवार पर चढ़ती न थी कि अस्र का वक़्त हो जाता था और नबी (ﷺ) नमाज़ पढ़ लेते थे। मालूम हुआ कि आप पहले वक़्त में नमाज़े अस्र पढ़ते थे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ

(408) जनाब यज़ीद बिन अब्दुर्रहमान बिन अली बिन शैबान अपने वालिद से वह उसके दादा अली बिन शैबान (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हम मदीना में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आए तो

الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.

(देखा कि) आप अ़स्र को मुअख़्ख़र (देर) करते थे जब तक कि सूरज सफ़ेद और साफ़ होता।

तख़रीज 408: (सनद ज़ईफ़) इब्ने अ़ब्दुल बर फ़ित्तम्हीद: 1/298, 299, मिन ह़दीसे अबी दाऊद बिही

फ़ायदा: सह़ीह़ रिवायात से ताख़ीर का नहीं, अव्वले वक़्त में पढ़ने का इस्बात (सुबूत) होता है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ " حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مَلأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا " .

(409) जनाब मुह़म्मद बिन सीरीन से रिवायत है, वह उ़बेदा से और वह ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ंदक़ वाले दिन कहा, ''उन लोगों ने हमें दरम्यानी (या अफ़ज़ल) नमाज़, नमाज़े अ़स्र से रोके रखा, अल्लाह उनके घरों और क़ब्रों को आग से भर दे।''

तख़रीज 409: स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद: 2931, व मुस्लिम: 627

फ़वाइद व मसाइल: (1) यह ह़दीस आयते करीमा (ह़ाफ़िज़ू अ़लस्स़लवाति वस्स़लातिल वुस्त़ा वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन) (बक़रह: 238) ''नमाज़ों की मुह़ाफ़िज़त और पाबन्दी करो और दरम्यानी (या अफ़ज़ल) नमाज़ की, और अल्लाह के लिए बाअदब होकर खड़े होओ।'' की तफ़्सीर करती है कि इसमें स़लाते वुस्त़ा से मुराद अ़स्र की नमाज़ है। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) जैसी रह़ीम व शफ़ीक़ शख़्सियत की ज़ुबान से इस क़िस्म की शदीद बद्दुआ का जारी होना वाज़ेह़ करता है कि किसी एक नमाज़ का वक़्त पर अदा न होना भी दीन में बहुत बड़ा ख़सारा है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي

(410) जनाब अबू यूनुस ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) के आज़ादकर्दा ग़ुलाम बयान करते हैं कि मुझे ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने हुक्म

يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهُ قَالَ أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي } حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى {فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

दिया कि उन्हें क़ुरआन मजीद लिख दूँ और फ़र्माया कि जब तुम आयते करीमा (हाफ़िज़ू अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ता) पर पहुँचो तो मुझे बतलाना। चुनाँचे जब मैं इस आयते करीमा पर पहुँचा तो उन्हें ख़बर दी। तो उन्होंने मुझे यह आयत इस तरह लिखवाई (हाफ़िज़ू अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ता... व सलातिल असरि... वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन) 'नमाज़ों की पाबन्दी करो और दरम्यानी नमाज़ (या अफ़ज़ल) नमाज़ अस्र की, और अल्लाह के लिए बाअदब होकर खड़े होओ।'' फिर उन्होंने कहा कि मैंने यह (आयत इन अल्फ़ाज़ के साथ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है।

तख़रीज 410: सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 629, मौत्ता: 1/138, 139

तौज़ीह: **(1)** इस क़िराअत से मालूम होता है कि सलाते वुस्ता से मुराद अस्र की नमाज़ नहीं कोई और नमाज़ है क्योंकि अत्फ़ मुग़ाइरत का मुक़्तज़ा है। लेकिन उलमा ने इस हदीस की तीन तौजीहात की हैं। इस हदीस में वारिद शुदा आयते करीमा के अल्फ़ाज़ इस्तिलाही तौर पर 'शाज़ क़िरअत' कहलाते हैं जो हुज्जत नहीं। क़ुरआन करीम के लिए 'तवातुर' शर्त है। इस क़िस्म की क़िराअत तफ़्सीर व तौज़ीह में मुमिद्द व मुआविन होती है। अल्लामा बाजी ने कहा है एहतिमाल है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना हो मगर बाद में इसे मंसूख़ कर दिया गया हो जिसका उन्हें इल्म न हो सका हो। या उन (हज़रत आइशा रज़ि.) का ख़्याल होगा कि इस आयत के अल्फ़ाज़ यानी किरात बाक़ी और हुक्म मंसूख़ हुआ है या यह भी हो सकता है कि नबी (अ.) ने बतौर फ़ज़ीलत इसका ज़िक्र किया मगर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इसे अल्फ़ाज़े क़ुरआन समझ लिया। और इसी बुनियाद पर अपने मुस्हफ़ में दर्ज करा लिया। **(2)** या यह अत्फ़ तफ़्सीरी हो (यानी तौज़ीह के लिए) **(3)** या वाव ज़ाइद हो, इसकी ताईद हज़रत उबय बिन कअब की क़िराअत से भी होती है जिसमें सलाते अस्र के अल्फ़ाज़

बग़ैर वाव के हैं। वल्लाहु आ'लम (औनुल मअबूद) लफ़्ज़ (वुस्ता) मुज्मल है। एक मअनी तो आम हैं यानी दरम्यानी। लेकिन दूसरे मअनी 'अफ़ज़ल व आ'ला' हैं जैसे कि आयते करीमा (कज़ालिका जअल्नाकुम उम्मतंव्वसतल् लि तकूनू शुहदाअ अलन्नासि) (बक़रहः 143) 'और ऐसे ही हमने तुम्हें अफ़ज़ल और आला उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो।'' में उम्मते वसत से मुराद 'अफ़ज़ल व आला उम्मत' है। इस तरह (सलातिल वुस्ता) के मअनी 'अफ़ज़ल व आ'ला' बनते हैं और अहादीस की कसीर ता'दाद इससे नमाज़े अस्र ही मुराद होने का फ़ायदा देती है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ سَمِعْتُ الزِّبْرِقَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلاَةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا فَنَزَلَتْ } حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى { وَقَالَ " إِنَّ قَبْلَهَا صَلاَتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلاَتَيْنِ".

(411) जनाब उर्वा बिन ज़ुबेर से रिवायत है, वह हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ दोपहर के वक़्त में पढ़ा करते थे और अस्हाबे रसूल के लिए इस नमाज़ से बढ़कर और कोई नमाज़ सख़्त न होती थी। चुनाँचे यह आयत नाज़िल हुई, (हाफ़िज़ू अलस्सलवाति वस्सलातिल्वुस्ता) ''नमाज़ों की पाबन्दी करो और दरम्यानी नमाज़ की।'' (ज़ेद बिन साबित ने) कहा, इससे पहले दो नमाज़ें हैं (यानी इशा और फ़ज्र, रात की) और उसके बाद भी दो नमाज़ें हैं (यानी अस्र और मग़्रिब, दिन की)

तख़रीज 411: (सनद सहीह) नसाई फ़िल्कुब्राः 357, अहमदः 5/183, सहीहु इब्ने ख़ुज़ैमः 4/250

तौज़ीहः यह तौजीह हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) का अपना इज्तिहाद है कि इससे नमाज़े ज़ुहर मुराद है। दीगर सही अहादीस से नमाज़े अस्र साबित होती है। हो सकता है कि वह अहादीस इनके इल्म में न हों।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ

(412) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिसने सूरज ग़ुरूब होने से पहले अस्र की एक रकअत पा ली, उसने नमाज़ पा ली। और

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ " .

जिसने सूरज तुलूअ होने से पहले फ़ज्र की एक रकअत पा ली उसने नमाज़ पा ली।''
तख़रीज 412: सहीह मुस्लिमः 608(165)

फ़वाइद व मसाइलः ऊपर वाली हदीस साहिबे उज़्र के लिए है मस्लन जब कोई सोता रह गया हो या भूल गया हो और बिलकुल आख़िर वक़्त में जागा हो या आख़िर वक़्त में नमाज़ याद आई हो तो उसके लिए यही वक़्त है। मगर जो बग़ैर किसी उज़्र के देरी करे तो उसके लिए इंतिहाई मकरूह है जैसे कि दर्जे ज़ेल हदीस में आ रहा है। नमाज़े अस्र के वक्त के सिलसिले में इमाम नववी (रह़.) का दर्जे ज़ेल बयान जो उन्होंने शरह सहीह मुस्लिम में ज़िक्र किया है बहुत अहम है, ''हमारे अस्हाब (शवाफ़ेअ) कहते हैं कि नमाज़े अस्र के पाँच वक़्त हैं (1) वक़्ते फ़ज़ीलत (2) वक़्ते इख़्तियार (3) वक़्ते जवाज़ बिला कराहत (4) वक़्ते जवाज़ बिल्कराहत (5) वक़्ते उज़्र। वक़्ते फ़ज़ीलत इसका अव्वल वक़्त है और वक़्ते इख़्तियार हर चीज़ का साया दो मिस्ल होने तक है और वक़्ते जवाज़ सूरज ज़र्द होने तक है और वक़्ते जवाज़ मकरूह सूरज ग़ुरूब होने तक है और वक़्ते उज़्र, ज़ुहर का वक़्त है यानी जब कोई शख़्स सफ़र या बारिश वग़ैरह के उज़्र की बिना पर ज़ुहर और अस्र को जमा कर ले। और जब सूरज ग़ुरूब हो जाए तो यह नमाज़ क़ज़ा होगी।'' (इंतिहा)

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاَةِ أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ

(413) जनाब अ़ला बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि हम नमाज़े ज़ुहर के बाद हज़रत अनस (रज़ि.) के यहाँ गये, तो वह उठकर नमाज़े अ़स्र पढ़ने लग गए। जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो हमने उनसे उनके नमाज़े अ़स्र जल्दी पढ़ने का ज़िक्र किया या ख़ुद उन्होंने ज़िक्र किया तो कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना है, फ़र्माते थे, ''यह मुनाफ़िक़ों की नमाज़ है, यह मुनाफ़िक़ों की नमाज़ है यह मुनाफ़िक़ों की नमाज़ है कि उनमें से एक बैठा रहता है यहाँ तक कि जब सूरज ज़र्द हो जाता है और

فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً " .

शैतान के दो सींगों के बीच या उन सींगों के ऊपर होता है, तो उठकर चार ठोंगे मारता है और अल्लाह का ज़िक्र उसमें बस बराए नाम ही करता है।''

तख़रीज 413: सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 622

फ़वाइद व मसाइल: (1) यह हदीस गोया पहली हदीस की शरह है कि अगर किसी से उज़्रे शरई की बिना पर देरी हुई हो और उसने सूरज गुरूब होने से पहले पहले एक रकअत पा ली हो तो उसने गोया वक़्त में नमाज़ पा ली और यह अल्लाह तआला की अपने बन्दों के लिए ख़ास रहमत है। और अगर बग़ैर उज़्र के देरी करे तो यह मुनाफ़िक़त की अलामत है। **(2)** ''सूरज का शैतान के दो सींगों के बीच होना' के मफ़्हूम में इख़्तिलाफ़ है। अल्लामा नववी (रह.) लिखते हैं ''कहा जाता है कि यह हक़ीक़त है और सूरज के तुलूअ व गुरूब के वक़्त शैतान सूरज के सामने आ जाता है और ऐसे लगता है कि गोया सूरज उसके सिर के बीच से निकल रहा है या गुरूब हो रहा है। और सूरज के पुजारी भी उन औक़ात में उसके सामने सज्दा करते हैं तो यह समझता है कि उसे ही सज्दा किया जा रहा है। और यह भी कहा जाता है कि 'दो सींगों' से मुराद मिजाज़न शैतान का बुलंद होना और शैतानी कुव्वतों का ग़ल्बा है और कुफ़्फ़ार तुलूअ और गुरूब के औक़ात में सूरज को सज्दा करते हैं...' इंतिहा (वल्लाहु आ'लम) **(3)** इस्तिस्नाई सूरतों को क़ायदा या कुल्लिया नहीं बनाना चाहिए।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ " أُتِرَ " . وَاخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ وَقَالَ

(414) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिसकी नमाज़े अस्र फ़ौत हो जाए तो गोया उससे उसके घर वाले और माल छीन लिए गए।''

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि उबेदुल्लाह बिन उमर ने हदीस के लफ़्ज़ (वुतिर) को (उतिर) हमज़ा के साथ बयान किया और अय्यूब के तलामिज़ा में (इस लफ़्ज़ के बारे में) इख़्तिलाफ़ है (यानी कोई वाव से बयान करता है और कोई हमज़ा से। मअनी दोनों का एक ही है।) और

الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وُتِرَ " .

ज़ोहरी ने सालिम अन अबीही अनिन्नबी (ﷺ) से (वुतिर) बयान किया है।

तख़रीज 414: सहीह बुख़ारी, मवाक़ीतुस्सलातः 552, व मुस्लिमः 626, मौत्ताः 1/21, 12 (वल्क़अनबीः 37)

फ़वाइद व मसाइलः (1) लफ़्ज़ (वुतिर) का माख़ज़ 'वतर' वाव के ज़बर के साथ) हो तो मअनी हैं 'नक़स' और इसका मा बअद मंसूब या मरफ़ूअ दोनों तरह पढ़ा जा सकता है और अगर 'वतर' (वाव की ज़ेर के साथ) समझा जाए तो 'जुर्म और तअद्दी' के मअनी में भी आता है। (अन्निहाया इब्ने असीर) इमाम ख़त्ताबी ने कहा है (वुतिर) के मअनी हैं, कम कर दिया गया या छीन लिया गया, पस वह शख़्स बग़ैर अहल और माल के तंहा रह गया, इसलिए एक मुसलमान को नमाज़े अस्र को फ़ौत करने से इसी तरह बचना चाहिए जैसे वह घरवालों से और माल के फ़ौत होने से डरता है। **(2)** इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस हदीस को (बाब मा जाअ फ़िस्सहव अन वक़्ते सलातिल अस्र' के ज़ेल में दर्ज फ़र्माया है। इससे इनकी मुराद यह है कि इंसान अस्र की नमाज़ में भूलकर भी देरी करे तो बेहद व बेशुमार घाटे और ख़सारे में है, कुजा यह कि अमदन तग़ाफ़ुल (सुस्ती) का शिकार हो।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ قَالَ أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ وَذَلِكَ أَنْ تَرَى، مَا عَلَى الأَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ .

(415) अबू अम्र यानी औज़ाई ने बयान किया कि नमाज़े अस्र फ़ौत होने से मुराद इतनी ताख़ीर है कि ज़मीन पर पड़ी चीज़ें धूप की वजह से पीली नज़र आने लगें।

तख़रीज 415:(ज़ईफ़)वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लिस

(6) بَابٌ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ

बाब 6 : नमाज़े मग़रिब का वक़्त

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَرْمِي فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ .

(416) जनाब साबित बुनानी ने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत किया वह बयान करते हैं कि हम मग़रिब की नमाज़ नबी (ﷺ) के साथ पढ़ते थे फिर तीर फेंकते तो हममें से एक उसके गिरने की जगह को देख रहा होता था।

तख़रीज 416: (सनद सहीह) इब्ने ख़ुज़ैमा फ़ी सहीहिही: 338

फ़ायदा: यानी गुरूब के बाद फ़ौरन ही नमाज़ पढ़ ली जाती थी कि नमाज़ से फ़राग़त के बाद फ़िज़ा में इस क़द्र रोशनी बाक़ी होती थी कि कमान से फेंका गया तीर अपने गिरने की जगह पर नज़र आता था।

(417) हज़रत सलमा बिन अक्वा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) सूरज गुरूब होते ही नमाज़ पढ़ लिया करते थे यानी जब उसकी टिकिया ग़ायब हो जाती थी।

तख़रीज 417: सहीह बुख़ारी, मवाक़ीतुस्सलात: 561, व मुस्लिम, अल्मसाजिद: 636

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا .

फ़ायदा: सूरज की टिकिया का उफ़ुक़ में ग़ायब हो जाना ही 'गुरूब' होता है। इसके बाद एहतियात के कोई मअनी नहीं।

(418) जनाब यज़ीद बिन अबी हबीब, मर्सद बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करते हुए कहते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। वह सफ़रे जिहाद में थे और हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) उन दिनों मिस्र के हाकिम थे। तो (जनाब उक़्बा ने) नमाज़े मग़रिब में कुछ देरी कर दी। हज़रत अबू अय्यूब खड़े हुए और कहा, ऐ उक़्बा! यह क्या नमाज़ है? कहा कि हम काम में थे। कहा, क्या आपने नहीं सुना, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है, ''मेरी उम्मत उस वक़्त तक ख़ैर में रहेगी'' या फ़र्माया, ''फ़ित्रत पर रहेगी जब तक कि मग़रिब को मुअख़्ख़र (देर) न करेगी कि सितारे निकल आएँ।''

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ لَهُ مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ يَا عُقْبَةُ فَقَالَ شُغِلْنَا . قَالَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ - مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ " .

तख़रीज 418: (सनद हसन) अहमदः 4/147, व सह्हहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 339, हाकिम अला शर्ते मुस्लिमः 1/190, 191

फ़वाइद व मसाइलः (1) सहाबा किराम (रज़ि.) को नमाज़ के मामले में ज़रा सी सुस्ती भी बहुत ज़्यादा नागवार गुज़रती थी और वह इस सिलसिले में अपने रऊसा व हुक्काम पर तंक़ीद से भी बाज़ न आते थे और वह हुक्काम भी ऐसी ता'मीरी और शरई तंक़ीदात को खंदा पेशानी से क़बूल करते थे। **(2)** नमाज़ को बरवक़्त अदा करना बिल्ख़ुसूस मग़्रिब की... उम्मत के फ़ित्रत और ख़ैर पर होने की अलामत है और इसमें ताख़ीर इसके बरअक्स की। **(3)** अगर कोई उज़्र हो तो मग़्रिब का वक़्त गुरूबे शफ़क़ (सुर्ख़ी) से पहले तक बाक़ी रहता है।

बाब : 7
नमाज़े इशा का वक़्त

﴾7﴿
باب فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ .

(419) हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैं सब लोगों से बढ़कर इस नमाज़ यानी इशा के वक़्त से बाख़बर हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) तीसरी रात का चाँद डूबने के वक़्त पढ़ा करते थे।

तख़रीज 419: (सनद सहीह) तिर्मिज़ी, अस्सलातः 165, नसाईः 530

फ़वाइद व मसाइल (1) नेअमते इल्म के इज़्हार के लिए कुछ औक़ात यह अंदाज़ इख़्तियार करना मुबाह है कि "मैं सबसे बढ़कर जानता हूँ।" और यह उस्लूब सामेईन (सुनने वाले) के लिए मुअस्सिर भी होता है और मुम्किन है कि हज़रत नोअमान (रज़ि) ने यह बात उन दिनों में कही हो जब सहाबा (रज़ि.) की ग़ालिब तादाद मौजूद न रही हो। **(2)** तीसरी रात के चाँद डूबने का वक़्त क़तई तौर पर मुंज़बित नहीं है। यह गुरूबे आफ़ताब के बाद तक़रीबन सवा दो घण्टे से लेकर ढाई घण्टे तक होता है।

(420) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है, बयान करते हैं कि एक रात हम नमाज़े इशा के लिए रसूलुल्लाह (ﷺ) का इंतिज़ार करते रहे। आप उस वक़्त तशरीफ़ लाए जब रात का तिहाई हिस्सा गुज़र चुका था या इससे भी ज़्यादा। न मालूम आप किसी काम में मशग़ूल हो गए थे या कोई और बात थी। आप जब तशरीफ़ लाए तो फ़र्माया, ''क्या तुम इस नमाज़ का इंतिज़ार कर रहे हो? अगर मेरी उम्मत पर गिराँ (भारी) न होता तो मैं उनको यह नमाज़ इसी वक़्त पढ़ाता।'' फिर आपने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया तो उसने इक़ामत कही।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلاَ نَدْرِي أَشَىْءٌ شَغَلَهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ " أَتَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلاَةَ لَوْلاَ أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ " . ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ .

तख़रीज 420: सहीह मुस्लिम, अल्मसाजिद: 639

फ़ायदा: इंतिज़ार कराने का मक़्सद यह भी हो सकता है कि यह लोग इबादत के 'इंतिज़ार का सवाब' हासिल कर लें और इनको ताख़ीर की फ़ज़ीलत भी बता दी जाए। बहरहाल इससे इशा की नमाज़ ताख़ीर से पढ़ने का फ़ज़ीलत का सुबूत मिलता है।

(421) जनाब आसिम बिन हुमैद सकूनी से रिवायत है उन्होंने हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) से सुना, वह बयान करते थे कि (एक बार) हम नबी (ﷺ) का नमाज़े इशा के लिए इंतिज़ार करते रहे मगर आपने ताख़ीर कर दी यहाँ तक कि कुछ ने यह भी गुमान किया कि शायद आप नहीं आएँगे और कुछ कहने लगे कि आपने नमाज़ पढ़ ली है। बहरहाल हम इसी हालत में थे कि आप तशरीफ़ ले आए तो अस्हाबे किराम

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، يَقُولُ ارْتَقَبْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الْعَتَمَةِ فَأَخَّرَ حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ صَلَّى فَإِنَّا لَكَذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا فَقَالَ لَهُمْ " أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلاَةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ " .

(रज़ि.) ने आपसे वही कुछ कहा जो पहले कह रहे थे। आपने फ़र्माया, ''इस नमाज़ को ख़ूब अंधेरे में पढ़ो, बिला शुब्हा तुम्हें तमाम उम्मतों पर इसके ज़रिये से फ़ज़ीलत दी गई है और तुमसे पहले किसी उम्मत ने यह नमाज़ नहीं पढ़ी है।''

तख़रीज 421: (सनद सहीह) अहमद: 5/237

फ़वाइद व मसाइल: (1) गुज़िश्ता हदीस इमामते जिब्रईल (हदीस नम्बर 393) में गुज़रा है कि ''यह आपसे पहले अम्बिया का वक़्त है'' और इस हदीस में आया है कि, ''तुमसे पहले किसी उम्मत ने यह नमाज़ नहीं पढ़ी।'' तो उन दोनों में तत्बीक़ (हल) यह है कि साबिक़ा (पहले) अम्बिया-ए-किराम (अ.) की नमाज़ों के औक़ात में इसी तरह की वुस्अत हुआ करती थी और इन औक़ात के पहले व आख़िर हुआ करते थे या यह कि वह लोग इतनी ताख़ीर से न पढ़ते थे जैसे कि उस दिन आपने पढ़ाई। (वल्लाहु आ'लम) **(2)** नमाज़े इशा को देरी से पढ़ना यक़ीनन अफ़ज़ल है लेकिन इस फ़ज़ीलत को हासिल करने के लिए जमाअत की नमाज़ छोड़ना हर्गिज़ जाइज़ नहीं है। **(3)** दीन व शरीअत की असल ग़र्ज़ व ग़ायत अल्लाह तआला का तक़र्रुब और हुसूले अज्र है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रामीन में यह वस्फ़ बहुत नुमायाँ है और सहाबा किराम (रज़ि.) भी इसके हरीस (हिर्स रखने वाले) बन गए थे लिहाज़ा दाई हज़रात को चाहिए कि अपनी दअवत में इसी पहलू को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया करें। (वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ " خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ " .

(422) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि (एक बार) हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ना चाही मगर (उस दिन) आप तशरीफ़ न लाए यहाँ तक कि तक़रीबन आधी रात गुज़र गई। (आख़िर जब आप आए) तो फ़र्माया, ''अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहो।'' तो हम अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे। आपने फ़र्माया, ''लोगों ने नमाज़ पढ़ ली और अपने अपने बिस्तरों में जा सोये हैं

فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ " إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ وَلَوْلاَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلاَةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ".

लेकिन तुम जिस वक़्त से इंतिज़ार कर रहे हो नमाज़ ही में हो। अगर कमज़ोरों की कमज़ोरी और बीमारों की बीमारी का ख़्याल न होता तो मैं इस नमाज़ को आधी रात तक मुअख़्ख़र (देर) करता।''

तख़रीज 422: (सनद सहीह) नसाई, मवाक़ीतुस्सलातः 539, इब्ने माजाः 693 व सह्हहू इब्ने ख़ुज़ैमाः 345

﴾8﴿ باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

बाब : 8 नमाज़े फ़ज्र का वक़्त

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ .

(423) उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, वह बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते (और उसके बाद) औरतें अपनी चादरों में लिपटी लौटतीं तो अंधेरे की वजह से पहचानी न जाती थीं।

तख़रीज 423: सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ानः 867, व सहीह मुस्लिमः 645, मौत्ताः 1/5 (वल्क़अनबीः 28, 29)

फ़वाइद व मसाइल (1) इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस हद तक अव्वल वक़्त में नमाज़ अदा करते थे कि नमाज़ के बाद भी अंधेरा बाक़ी होता था और दूर से मालूम न होता था कि कोई औरत आ जा रही है या मर्द? वरना पर्देदार ख़ातून के पहचाने जाने के कोई मअनी नहीं। **(2)** ख़िलाफ़ते राशिदा के दौर में भी अस्हाबे किराम (रज़ि.) का यह मामूल था कि वह फ़ज्र की नमाज़ 'ग़लस' यानी अंधेरे में पढ़ा करते थे। **(3)** औरतों को भी नमाज़ के लिए मसाजिद में हाज़िर होने की इजाज़त है और वह अंधेरे के औक़ात में भी नमाज़ के लिए आ सकती हैं मगर उन पर फ़र्ज़ है कि शरई आदाब के तहत इजाज़त लेकर आएँ, बापर्दा होकर निकलें। ख़ुश्बू लगाकर और आवाज़ वाले ज़ेवर

पहनकर न निकलें।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُورِكُمْ " . أَوْ " أَعْظَمُ لِلأَجْرِ "

(424) जनाब महमूद बिन लबीद, हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''सुबह तुलूअ होने पर (ही) सुबह की नमाज़ पढ़ा करो। बिला शुब्हा यह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस है।''

तख़रीज 424: (सनद सहीह) इब्ने माजा, किताबुस्सलातः 672, नसाईः 549, तिर्मिज़ीः 154, व सहीहु इब्ने हिब्बानः 263

तौज़ीहः कुछ लोग इस हदीस का तर्जुमा यूँ करते हैं कि 'सफ़ेदी और रोशनी होने पर फ़ज्र की नमाज़ पढ़ा करो।'' मगर यह सही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके बाद खैरुल कुरून में सहाबा किराम (रज़ि.) का मामूल साबित है कि वह सब फ़ज्र की नमाज़ (ग़लस) यानी सुबह के अंधेरे ही में पढ़ते थे। हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत मुआविया (रज़ि.) पर सुबह के अंधेरे ही में क़ातिलाना हमले हुए थे। नीज़ लग़वी तौर पर (अस्बहर्रजुलु) का मअनी है (दख़ल फ़िस्सुब्ह) 'यानी सुबह के वक़्त में दाख़िल हुआ।'' यह भी कहा गया है कि इस इर्शाद का पसे मंज़र यह है कि शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हुए वक़्त से पहले नमाज़ पढ़ लेते थे तो इस हुक्म से इनकी इस्लाह की गई। और इस मफ़्हूम की दूसरी रिवायत (अस्फ़िरू बिस्सुब्ह) बिल्मअनी रिवायत हुई है। और एक तौजीह यह भी है कि यह इर्शाद चाँदनी रातों से मुतअल्लिक़ है क्योंकि इन रातों में सुबह सादिक़ के नुमायाँ होने में क़द्रे इश्तिबाह सा होता है और अल्लामा तहावी ने यह कहा है कि इससे मुराद है, ''फ़ज्र की नमाज़ में क़िराअत इतनी तवील करो कि फ़िज़ा सफ़ेद हो जाए।'' बहरहाल अफ़ज़ल यही है कि फ़ज्र सादिक़ के बाद जल्दी ही उसे अदा किया जाए। और उसके बाद उसका वक़्त तुलूअे आफ़ताब से पहले तक रहता है। (औनुल मअबूद, ख़त्ताबी)

बाब : 9
नमाज़ों (के वक़्त) की पाबन्दी का बयान

﴿9﴾ باب فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى وَقْتِ الصَّلَوَاتِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصُّنَابِحِيِّ، قَالَ زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِتْرَ، وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ " .

(425) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन सुनाबिही से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अबू मुहम्मद (अंसारी सहाबी) का ख़्याल है कि वित्र वाजिब है। हज़रत उ़बादा बिन सामित (रज़ि.) ने (सुना तो) कहा अबू मुहम्मद ने ग़लत कहा है। मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है आप फ़र्माते थे ''पाँच नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, जो उनका वुज़ू उ़म्दा बनाए और उन्हें उनके औक़ात पर अदा करे, उनके रुकूअ और ख़ुशूअ कामिल रखे, तो ऐसे शख़्स के लिए अल्लाह का वादा है कि वह उसे बख़्श देगा और जो यह न करे तो उसके लिए अल्लाह का वादा नहीं है अगर चाहे तो माफ़ कर दे और अगर चाहे तो अ़ज़ाब दे।''

तख़रीज 425: (सनद सहीह) अहमद: 5/317

फ़वाइद व मसाइल (1) 'अबू मुहम्मद' सहाबी हैं। उनके नाम की तअ़यीन में इख़्तिलाफ़ है। मसऊद बिन औस बिन ज़ेद बिन असरम या मसऊद बिन ज़ेद बिन सबीअ या क़ैस बिन आमिर ख़ौलानी या मसऊद बिन यज़ीद या सअ़द बिन औस या कै बिन उ़बाया वग़ैरह कई नाम बयान हुए हैं। (अल्इसाबा लि इब्ने हजर) **(2)** हज़रत उ़बादा (रज़ि.) के कहने का मक़सद यह है कि 'वित्र पाँच नमाज़ों की तरह फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है।'' मगर मस्नून व मुअक्कद (ताकीदी) होने में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं जैसे साबित है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र में भी वित्र न छोड़ा करते थे। **(3)** कामिल व मक़्बूल नमाज़ के लिए तमाम मसुनन व वाजिबात को जानना और उन पर अ़मल करना चाहिए यानी मस्नून कामिल वुज़ू, मशरूअ अफ़ज़ल वक़्त, एतिदाले अरकान और हुज़ूरे क़ल्ब वग़ैरह। **(4)**

अल्लाह के वादे, जो उसकी शरीअत में बयान किये गए हैं, आमाले हस्ना ही पर मौकूफ़ हैं। (5) उनके बग़ैर भी अल्लाह जिसे चाहे माफ़ कर दे या अज़ाब दे उसे कोई नहीं पूछ सकता। (ला युस्अलु अम्मा यफ़अलु वहुम युस्अलून) (अम्बियाः 23)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ، أُمَّهَاتِهِ عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " الصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا " .
قَالَ الْخُزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ .

(426) क़ासिम बिन ग़न्नाम अपनी माँ से बयान करते हैं, वह हज़रत उम्मे फ़र्वा (रज़ि.) से रिवायत करती हैं वह कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया गया, आमाल में से कौन सा अमल अफ़ज़ल है? आपने फ़र्माया, ''नमाज़, अव्वले वक़्त में अदा करना।

ख़ुज़ाई (रह.) ने अपनी रिवायत में कहा (कि क़ासिम बिन ग़न्नाम ने) अपनी फूफी से रिवायत किया जिसका नाम उम्मे फ़र्वा था और उसने नबी (ﷺ) से बेअत की थी। (फ़र्माती हैं कि) नबी (ﷺ) से सवाल किया गया। (यह ख़ुज़ाई की रिवायत है जबकि अब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने 'बअज़ि उम्महातिही' का लफ़्ज़ रिवायत किया है।)

तख़रीज 426: (सनद सहीह) तिर्मिज़ी, किताबुस्सलातः 170, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 327, व इब्ने हिब्बानः 280, व सह्हहु इब्ने हाकिमः 1/188, 189

फ़ायदाः हज़रत उम्मे फ़र्वा (रज़ि.) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की पेद्री बहन (बाप जाय बहन) और अश्अस बिन क़ैस की ज़ोजियत में थीं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ

(427) जनाब अबूबक्र बिन उमारा बिन रुवेबा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अहले बसरा के किसी शख़्स ने उनसे कहा कि आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से जो कुछ सुना है इसमें से कुछ मुझे भी बयान कीजिए। तो

الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ " . قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . قَالَ نَعَمْ . كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي . فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَنَا سَمِعْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ .

उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़र्माते थे ''दोज़ख़ में नहीं जाएगा वह आदमी जिसने सूरज तुलूअ होने और उसके ग़ुरूब होने से पहले की नमाज़ें पढ़ीं।'' कहा क्या यह आपने उनसे ख़ुद सुना है? तीन बार कहा। जवाब दिया कि हाँ! और हर बार कहते कि मैंने इसे अपने कानों से सुना है और मेरे दिल ने इसे याद रखा है। तो उस आदमी ने कहा, मैंने भी आप (ﷺ) को यही फ़र्माते हुए सुना है।

तख़रीज 427: सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 634

फ़ायदा: इस हदीस में नमाज़े फ़ज्र और अस्र की ख़ास अहमियत का बयान है और कहा जा सकता है कि जो इनकी पाबन्दी करेगा वह बाक़ी नमाज़ों की भी पाबन्दी करेगा या उसे तौफ़ीक़ मिल जाएगी।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي " وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ " . قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي فَقَالَ " حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ " . وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ فَقَالَ " صَلاَةٌ قَبْلَ

(428) जनाब अब्दुल्लाह बिन फ़ज़ाला अपने वालिद से रिवायत करते हैं वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे सिखाया और जो सिखाया उनमें यह बात भी थी, ''पाँच नमाज़ों की पाबन्दी करना।'' मैंने अर्ज़ किया कि मुझे उन औक़ात में काम होते हैं तो आप मुझे कोई जामेअ बात इर्शाद फ़र्माएँ जिस पर अमल मेरे लिए काफ़ी रहे। आपने फ़र्माया, 'अस्रैन की पाबन्दी करना।'' और यह लफ़्ज़ हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल न होता था। मैंने कहा कि 'अस्रैन' से क्या मुराद है? आपने फ़र्माया, ''सूरज के तुलूअ और ग़ुरूब होने से पहले की नमाज़ें।''

तख़रीज 428: (सनद सहीह) व सहहहु इब्ने हिब्बान:

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا " .

282, वल्हाकिमः 1/20, 3/628, अहमदः 4/344

तौज़ीहः काम वाले को सुबह और अ़सर की नमाज़ों की पाबन्दी काफ़ी हो, किस तरह सही हो सकता है? शैख़ वलियुद्दीन इराक़ी ने लिखा है कि इस इश्काल का जवाब यह है कि दरअसल नबी (ﷺ) का फ़र्मान ''नमाज़ों के पहले औक़ात से मुतअल्लिक़ था।'' तो उसने मअ़ज़िरत की कि मैं पाँचों नमाज़ें अव्वल वक़्त में नहीं पढ़ सकता। तब आपने इन दो नमाज़ों के औक़ात की बिल्ख़ुसूस ताकीद की। (वल्लाहु आ'लम बिस्सवाब) इमाम अबू दाऊद (रह.) का इस हदीस को इस बाब में बयान करना इसका मुईद (ताईद करने वाला) है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، وَأَبَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصَرِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الأَمَانَةَ " . قَالُوا يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(429) जनाब ख़ुलैद अ़सरी हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''पाँच चीज़ें हैं जिसने उन पर ईमान के साथ अ़मल किया वह जन्नत में दाख़िल हुआ, जिसने पाँच नमाज़ों की उनके वुज़ू, रुकूअ, सुजूद और औक़ात समेत हिफ़ाज़त और पाबन्दी की, रमज़ान के रोज़े रखे, बैतुल्लाह का हज्ज किया, अगर उस तक पहुँचने की इस्तिताअ़त (ताक़त) हो, ज़कात दी ख़ुशी के साथ और अमानत अदा की।'' लोगों ने कहा, ऐ अबुद्दर्दा! ''अदायगी, अमानत'' से क्या मुराद है? कहा, गुस्ले जनाबत।

तख़रीज 429: (सनद ज़ईफ़) तबरानी फ़िस्सग़ीरः 2/5, व क़तादा मुदल्लस कमा तक़द्दमः 29

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

(430) जनाब सईद बिन मुसय्यिब ने कहा कि हज़रत अबू क़तादा बिन रिबई (रज़ि.) ने उनको ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

سَلِيكٍ الأَلْهَانِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِي " .

फ़र्माया, अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का इर्शाद है कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और अपने लिए यह अ़हद किया है कि जो शख़्स इस हाल में (मेरे पास) आया कि उनके औक़ात की मुहाफ़िज़त व पाबन्दी करता रहा, मैं उसे जन्नत में दाख़िल करूँगा और जो उनकी मुहाफ़िज़त न करता रहा उसके लिए मेरे यहाँ कोई अ़हद और वादा नहीं है।''

तख़रीज 430: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, बाब इक़ामतिस्सलवातः 1403, अहमदः 4/244, दारमीः 1229

फ़वाइद व मसाइलः (1) ऐसी अहादीस (हदीसें) जिनमें से ऐसे अल्फ़ाज़ आते हैं कि ''अल्लाह तआला का इर्शाद है'' इनको ''हदीसे क़ुदसी'' कहते हैं। क़ुरआने मजीद और हदीसे क़ुदसी में फ़र्क़ यह है कि क़ुरआन वह़ी मतलू होती है (यानी जिसकी तिलावत होती है) और दूसरी वह़ी ग़ैर मतलू। यानी क़ुरआन की तिलावत की जाती है और हदीसे क़ुदसी या दीगर अहादीस की तिलावत नहीं होती। क़ुरआन मजीद कलामे मुअजिज़ है और अहादीस इस पाये की नहीं हैं। क़ुरआन मजीद मुतवातिर है और अहादीस सब इस दर्जे की नहीं हैं। दीगर फ़र्क़ और मबाहिस 'उ़लूमुल क़ुरआन' की कुतुब में मुलाहिज़ा हों। **(2)** नमाज़ों के औक़ात की मुहाफ़िज़त के साथ साथ दीगर आदाब (तहारत, ख़ुशूअ और एतिदाल वग़ैरह) सब ज़रूरी हैं। **(3)** अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल पर कोई वाजिब करने वाला नहीं है। उसने सिर्फ़ अपने फ़ज़्लो करम से बन्दों के लिए इस क़िस्म के वादे अपने ऊपर लाज़िम किये हैं और वह अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। (इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मीआ़द) (आले इमरानः 9)

﴾10﴿ بَابُ إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلاَةَ عَنِ الْوَقْتِ

बाब : 10 जब इमाम नमाज़ को वक़्त से मुअख़्ख़र (देरी) करे

मल्हूज़ाः यहाँ 'इमाम' से मुराद शरई हाकिम या उसका मुक़र्ररकर्दा नुमाइन्दा है। नमाज़ की इक़ामत और इमामत उनके फ़राइज़ में शामिल है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، - يَعْنِي الْجَوْنِيَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ " . أَوْ قَالَ " يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ " صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ " .

(431) हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ऐ अबू ज़र्र! उस वक़्त तेरा क्या हाल होगा जब तुझ पर ऐसे हुक्काम (हुक्मरान) होंगे जो नमाज़ों को मार डालेंगे।'' या यह फ़र्माया.... ''उनमें ताख़ीर करेंगे।'' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आपने फ़र्माया, ''तुम नमाज़ को उसके वक़्त में पढ़ लिया करना और अगर तुम उसे उनके साथ पाओ तो उनके साथ भी पढ़ लिया करना और यह तेरे लिए नफ़्ल होगी।''

तख़रीज 431:सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद:648

फ़वाइद व मसाइल (1) इस हदीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ित्ने के दिनों की ख़बर दी है जो तारीख़ के मुख़्तलिफ़ दौर में हुक्कामे वक़्त पर साबित हो चुकी है और अब हुक्काम और अवाम सब ही इसमें मुब्तला हैं। (इल्ला मन रहिमा रब्बी) **(2)** नमाज़ को बेवक़्त करके पढ़ना, 'इसकी रूह निकाल देने' के मुतरादिफ़ (बराबर) है, गोया उसे मार डाला गया हो और ऐसी नमाज़ अल्लाह के यहाँ कोई वज़न नहीं रखती। **(3)** ऐसी सूरत में जब हाकिम या अहले मस्जिद 'अफ़ज़ल और मुख़्तार वक़्त' के अलावा में नमाज़ अदा करते हो तो सुन्नत की इत्तिबाअ (पैरवी) करने वाले को सही और मुख़्तार वक़्त में अकेले ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। **(4)** अगर इंसान मस्जिद में या उनकी मज्लिस में मौजूद हो तो उनके साथ मिलकर भी पढ़ ले ताकि फ़ित्ना न हो और वहदत क़ायम रहे। **(5)** अच्छे कामों में हुक्कामे वक़्त की इताअत वाजिब है। **(6)** ऊपर वाली हदीस की रोशनी में मालूम हुआ कि कोई शरई सबब मौजूद हो तो 'अस्र और फ़ज्र' के बाद भी नमाज़ जाइज़ है। **(7)** इसकी पहली नमाज़ फ़र्ज़ होगी और दूसरी नफ़्ल, ख़्वाह बाजमाअत ही क्यूँ न पढ़ी हो।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ، - يَعْنِي ابْنَ عَطِيَّةَ - عَنْ

(432) जनाब अम्र बिन मैमून औदी से रिवायत है, वह कहते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) हमारे यहाँ यमन में तशरीफ़ लाए। वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से आमिल (मिनिस्टर)बनकर आए

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا - قَالَ - فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ - قَالَ - فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا " . قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " صَلِّ الصَّلاَةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلْ صَلاَتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً" .

थे। (अम्र) कहते हैं कि नमाज़े फ़ज्र में, मैंने उनकी तक्बीर सुनी। वह भारी आवाज़ वाले थे। उनको मुझसे मुहब्बत हो गई तो मैंने उन्हें मरते दम तक नहीं छोड़ा यहाँ तक कि शाम में उन्हें (अपने हाथों से) दफ़न किया। उनके बाद मैंने लोगों में सबसे ज़्यादा फ़क़ीह आदमी पर नज़र दौड़ाई तो मैं ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के पास आ गया और उनके साथ रहा, यहाँ तक कि वह भी फ़ौत हो गए, तो उन्हों ने मुझसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया था, ''तुम्हारा क्या होगा जब तुम पर ऐसे हुक्काम (हुक्मरान) मुसल्लत होंगे जो नमाज़ों को बेवक़्त करके पढ़ेंगे?'' मैंने कहा, आप मुझे क्या हुक्म देते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मुझे उन हालात का सामना हो? आपने फ़र्माया, ''नमाज़ को अपने वक़्त पर पढ़ लिया करना और उनके साथ की नमाज़ को नफ़्ल समझना।''

तखरीज 432: (सनद हसन) बैहक़ी: 3/124, 125 व सह़ीहु इब्ने हिब्बान: 376

फ़ायदा: पिछली दोनों ह़दीसों में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ित्ने के दिनों की जो ख़ास़ अहम बात ज़िक्र की वह ''नमाज़ को बेवक़्त करके पढ़ना है।' सिरे से छोड़ देना तो और ज़्यादा ज़ुल्म है। नबी (अ.) ने हुक्काम के दीगर ज़ुल्म व जोर को जिनका तअ़ल्लुक़ माल व आबरू से हो सकता है ज़िक्र नहीं किया। इससे मालूम हुआ कि एक मुसलमान के लिए अल्लाह के दीन में नमाज़ के मुक़ाबले में किसी और चीज़ की ऐसी अहमियत नहीं है। अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को दीने ह़क़ की मअ़रिफ़त और उसके हुक़ूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत करे, आमीन!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،

(433) सय्यदना उ़बादा बिन सामित

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ أُخْتِ، عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، - الْمَعْنَى - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي أُبَىٍّ ابْنِ امْرَأَةِ، عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ " نَعَمْ إِنْ شِئْتَ " . وَقَالَ سُفْيَانُ إِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ أَأُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ " نَعَمْ إِنْ شِئْتَ " .

(रज़ि.) से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मेरे बाद एक वक़्त आएगा कि तुम पर ऐसे हुक्काम (हुक्मरान) मुसल्लत होंगे जिन्हें उनके दीगर उमूर (मामलात) नमाज़ से मशग़ूल रखेंगे और वह उन्हें बेवक़्त करके पढ़ेंगे, लिहाज़ा तुम नमाज़ को वक़्त पर अदा करना।'' एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं उनके साथ नमाज़ पढ़ूँ? आपने फ़र्माया, ''हाँ अगर तुम चाहो।'' और सुफ़्यान के अल्फ़ाज़ हैं, अगर मैं वह नमाज़ उनके साथ पाऊँ तो उनके साथ मिलकर पढ़ूँ? आपने फ़र्माया, हाँ! अगर तुम चाहो।''

तखरीज 433: (सहीह) इब्ने माजा, किताब इक़ामतिस्सलवातः 1257

फ़वाइद व मसाइलः (1) यानी अगर कोई सुन्नत की इत्तिबाअ करने वाला अपनी इंफ़िरादियत क़ायम रख सकता हो और ऐसे लोगों पर हुज्जत क़ायम करते हुए उनके साथ शरीक न होता हो, तो जाइज़ है और अगर मिलकर दोबारा पढ़े तो भी कोई हर्ज नहीं। यह नफ़्ल होगी जैसे कि ऊपर की अहादीस में गुज़रा है। **(2)** इस हदीस की पहली सनद में एक रावी है, ''इब्ने उख़्त (भांजा) उबादा बिन सामित (रज़ि.)।'' जबकि सही यह है कि यह उसकी बीवी का बेटा है जैसे कि दूसरी सनद में मज़्कूर है।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، - يَعْنِي الزَّعْفَرَانِيَّ - حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ

(434) हज़रत क़बीसा बिन वक़्क़ास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मेरे बाद तुम पर ऐसे हुक्काम (हुक्मरान) आएँगे जो नमाज़ों में ताख़ीर करेंगे। तो ऐसी नमाज़ें तुम्हारे लिए बाइसे अज्र होंगी जबकि उनके लिए वबाल होंगी। पस तुम उनके साथ मिलकर पढ़ लिया करना

فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلَّوُا الْقِبْلَةَ " .

जब तक कि वह क़िब्ला रुख़ होकर नमाज़ें पढ़ते रहें।''

तखरीज 434: (सनद हसन) तब्रानी फ़िल्कबीरः 18/375, हः 959, व लहू शवाहिद इन्दल बुख़ारी (फ़तहः 2/187)

तौज़ीहः तफ़्सील ऊपर बयान हुई है और ऐसी नमाज़ें तुम्हारे लिए बाइसे सवाब इसलिए होंगी कि इस ताख़ीर में तुम्हारा अपना क़सूर नहीं होगा जबकि उन हुक्काम के जोरो जबर की वजह से तुम उनकी मुख़ालिफ़त की भी जुर्अत न कर सकोगे। लिहाज़ा उनकी वजह से नमाज़ में ताख़ीर पर तुम गुनहगार नहीं होगे बल्कि उसका सारा वबाल उन ही पर होगा, वल्लाहु आलम!

﴿11﴾ باب فِي مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ نَسِيَهَا

बाब : 11 जो शख़्स नमाज़ के वक़्त में सोता रह जाए या नमाज़ (पढ़ना) भूल जाए?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَنَا الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلاَلٍ " اكْلأْ لَنَا اللَّيْلَ " . قَالَ فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(435) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ग़ज़्व-ए-ख़ैबर से वापिस लौट रहे थे तो एक रात, रात भर चलते रहे, यहाँ तक कि जब हमको नींद आने लगी तो आप आराम के लिए उतर गए और बिलाल (रज़ि.) से फ़र्माया, ''आज रात हमारा पहरा देना।'' बयान करते हैं कि फिर बिलाल की आँखें भी उन पर ग़ालिब आ गईं (यानी सो गए) और वह अपने ऊँट से टेक लगाए हुए थे, चुनाँचे नबी (ﷺ) जागे, न बिलाल ही और न कोई और सहाबी। यहाँ तक कि जब उन्हें धूप लगी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) सबसे पहले जागने

وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا بِلاَلُ " . فَقَالَ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ لَهُمُ الصَّلاَةَ وَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ { أَقِمِ الصَّلاَةَ لِلذِّكْرَى} " . قَالَ يُونُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ . قَالَ أَحْمَدُ قَالَ عَنْبَسَةُ - يَعْنِي عَنْ يُونُسَ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِذِكْرِي . وَقَالَ أَحْمَدُ الْكَرَى النُّعَاسُ .

वाले थे आप घबराए और फ़र्माया, 'ऐ बिलाल!' उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे भी उसी चीज़ ने पकड़ लिया जिसने आपको पकड़ा। मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान! फिर (नबी अ. और सहाबा रज़ि .) वहाँ से चल दिये (और कुछ दूर जाकर उतरे) तब आपने वुज़ू किया और बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने नमाज़ के लिए इक़ामत कही और आपने उन्हें फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई। आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया, ''जो शख़्स नमाज़ को भूल जाए तो जब याद आए उसी वक़्त पढ़ लिया करे। बेशक अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि (अक़िमिस्सलात लिज़िक्रा) 'नमाज़ क़ायम करो जब याद आए।''

यूनुस कहते हैं कि इब्ने शिहाब इसी तरह (लिज़िक्रा) (अलिफ़ मक़्सूरा के साथ) पढ़ा करते थे। अहमद ने बवास्ता अम्बसा, यूनुस से (लि ज़िक्री (याए मुतकल्लिम के साथ) रिवायत किया है। (यानी मेरी याद के लिए या मेरी याद आने के वक़्त)। अहमद कहते हैं कि (मतने हदीस में वारिद लफ़्ज़) (अल्करा) का मअनी ' ऊँघ' है।

तख़रीज 435: सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 680

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

(436) अबू हुरैरा (रज़ि.) से पिछले क़िस्से में बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इस जगह से निकल चलो जहाँ तुम पर ग़फ़्लत तारी हुई है।' उसके बाद

आपने बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने अज़ान और फिर इक़ामत कही और नमाज़ पढ़ी।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को मालिक, सुफ़्यान बिन उ़येयना, औज़ाई और अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने मअ़मर और इब्ने इस्हाक़ से नक़्ल किया है। मगर किसी ने भी जोहरी की इस रिवायत में अज़ान का ज़िक्र नहीं किया। और मअ़मर से औज़ाई और अबान अत्तार के सिवा किसी ने भी इसको बयान नहीं किया है।

तखरीज 436: (सनद सहीह) बैहक़ी: 2/218, व सहीहु अबू अवाना: 2/253, 254

(437) सय्यदना अबू क़तादा (रज़ि.) का बयान है कि नबी (ﷺ) अपने एक सफ़र में थे तो आप राह से एक तरफ़ को हो गए तो मैं भी आपके साथ एक तरफ़ को हो गया। आपने फ़र्माया, 'ज़रा देखो।' तो मैंने कहा, यह एक सवार (आ रहा) है। यह दो हैं और वह तीन हैं यहाँ तक कि हम सात अफ़राद हो गए। तब आपने फ़र्माया, 'हमारी नमाज़ का ख़्याल करना' यानी नमाज़े फ़ज्र का। लेकिन उनके कान बन्द कर दिये गए (यानी सोते रह गए) पस उनको सूरज की किरणों ही ने जगाया। वह उठे और कुछ वक़्त चले, फिर उतरे वुज़ू किया और बिलाल ने अज़ान कही। सबने फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ीं फिर फ़ज्र की नमाज़ अदा की और सवार हो गए। तो लोग एक दूसरे से कहने लगे हमने अपनी नमाज़ में बहुत तक़्सीर की है। तो नबी (ﷺ)

الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ " . قَالَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الأَذَانَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ هَذَا وَلَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُمْ إِلاَّ الأَوْزَاعِيُّ وَأَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ مَعْمَرٍ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمِلْتُ مَعَهُ فَقَالَ " انْظُرْ " . فَقُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ هَذَانِ رَاكِبَانِ هَؤُلاَءِ ثَلاَثَةٌ حَتَّى صِرْنَا سَبْعَةً . فَقَالَ " احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا " . يَعْنِي صَلاَةَ الْفَجْرِ فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَسَارُوا

هُنَيَّةً ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا وَأَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجْرَ وَرَكِبُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلاَتِنَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُ لاَ تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ " .

ने फ़र्माया, 'सो जाने में कोई तक़्सीर (कोताही) नहीं है, तक़्सीर (कोताही) तब होती है जब इंसान जागता हो। लिहाज़ा जब तुममें से कोई नमाज़ (पढ़ना) भूल जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले और फिर (आइन्दा के लिए) अगले दिन उसे बरवक़्त ही अदा करे।'

तखरीज 437: (सनद सहीह) अहमद: 5/295, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमा: 410, इब्ने माजा: 698, तिर्मिज़ी: 177, व मुस्लिम: 441

फ़वाइद व मसाइल: (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) इंसानी तक़ाज़ों से ऊपर न थे। इसलिए सफ़री थकान की वजह से आराम के लिए उतरे। **(2)** इसके बावजूद नमाज़ बरवक़्त अदा करने की फ़िक्र दामनगीर रही और बिलाल (रज़ि.) को उस काम के लिए पाबन्द किया। और इस क़िस्म के अवारिज (जरूरतों) के मौक़े पर नमाज़ के लिए जागने का एहतिमाम करके सोना चाहिए। **(3)** इंसान को किसी तक़्सीर पर मअज़िरत करनी पड़े तो ख़ूबसूरत अंदाज़ में करे। **(4)** मज़्कूरा अस्बाब की वजह से किसी जगह को मंहूस और बेबरकत समझना जाइज़ है जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस जगह को छोड़ दिया था। **(5)** क़ज़ा नमाज़ों के लिए जमाअत की सूरत में अज़ान कहना भी मुस्तहब है। फिर तक्बीर कही जाए और जमाअत कराई जाए। लेकिन अज़ान का यह इस्तिहबाब सिर्फ़ सफ़र और बेआबाद इलाक़ों ही के लिए है। आम मस्जिदों में (जो आबादियों में हों) वहाँ बेवक़्त अज़ान देना अवाम के लिए इज़्तिराब और तशवीश का बाइस होगा। हाँ! अगर वहाँ आहिस्तगी से मस्जिद की चार दीवारी के अंदर इस तरह अज़ान दे ली जाए कि बाहर आवाज़ न जाए, तो वहाँ भी इस पर अमल किया जा सकता है। **(6)** सोते रह जाने या भूल जाने का क़सूर माफ़ है। और ऐसी नमाज़ों के लिए वक़्त वही है जब जागे या याद आए और जब वक़्त निकल ही गया तो शरई ज़रूरत के तहत क़द्रे ताख़ीर कर लेना भी जाइज़ है जैसे कि नबी करीम (ﷺ) ने अगली वादी में जाकर नमाज़ पढ़ी। **(7)** फ़ज्र की सुन्नतें दीगर सुन्नतों के मुक़ाबले में ज़्यादा अहम हैं कि सफ़र में भी नहीं छोड़ी गईं।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ

(438) जनाब ख़ालिद बिन सुमैर रावी हैं कि मदीना से अब्दुल्लाह बिन रबाह अंसारी (रह.) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और अंसार

سُمَيْرٍ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ - فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَيْشَ الأُمَرَاءِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ . قَالَ فَلَمْ تُوقِظْنَا إِلاَّ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلاَتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " رُوَيْدًا رُوَيْدًا " . حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا " . فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنَادَى بِالصَّلاَةِ فَنُودِيَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " أَلاَ إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ أَنَّا لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ صَلاَتِنَا وَلَكِنَّ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلاَةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا".

उन्हें फ़क़ीह गर्दानते थे। उन्होंने हमसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के शहसवार अबू क़तादा अंसारी (रज़ि.) ने मुझे बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने "जेशुल उमरा' रवाना किया। और यह क़िस्सा बयान किया। कहा कि हमें सूरज ही ने तुलूअ होकर जगाया। और हम घबराकर नमाज़ के लिए उठे तो नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, "ख़्याल से, संभलकर। यहाँ तक कि जब सूरज ऊँचा आ गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो तुममें से सुन्नतें पढ़ना चाहता है पढ़ ले।" तो जो पहले पढ़ा करता था उसने पढ़ीं और जो न पढ़ता था उसने भी पढ़ीं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि नमाज़ के लिए अज़ान कही जाए तो अज़ान कही गई और आप खड़े हुए और हमें नमाज़ पढ़ाई। जब फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया, 'हम अल्लाह की हम्द करते हैं कि हम दुनिया के किसी काम में मशग़ूल न थे कि नमाज़ हमसे रह गई बल्कि हमारी रूहें अल्लाह के हाथ में थीं तो उसने जब चाहा उन्हें छोड़ दिया, लिहाज़ा जो तुममें से कल को स़ेहत व सलामती के साथ नमाज़े फ़ज्र पाये उसके साथ उस नमाज़ की क़ज़ा भी दे।"

तखरीज 438: (सनद स़हीह) सुनन बैहक़ी: 2/216, 217

फ़वाइद व मसाइल: (1) यह रिवायत सनदन तो सही है इसके अलावा दीगर सही रिवायात में भी

यह वाक़िया बयान हुआ है। लेकिन इस रिवायत में इसके रावी ख़ालिद बिन सुमैर को बयाने वाक़िया में तीन मक़ामात पर वहम हुआ है। **(अ)** कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जेशुल उमरा रवाना किया। **(ब)** जो तुममें से सुन्नतें पढ़ना चाहता हो, पढ़ ले। **(स)** उसके साथ इस नमाज़ की क़ज़ा भी दे। गोया उस लश्कर को 'जेशुल उमरा' क़रार देना, सुबह की सुन्नतों के बारे में इख़्तियार देना और इसी तरह दूसरे दिन फ़ज्र की नमाज़ के साथ उस फ़ज्र की नमाज़ की क़ज़ा देने का हुक्म, यह तीनों बातें सही नहीं हैं। इन औहाम से क़तअ नज़र यह रिवायत सही है। उन ही औहाम की वजह से ग़ालिबन शैख़ अल्बानी (रह.) ने उसे शाज़ क़रार दिया है। इसलिए फ़ौतशुदा नमाज़ जाग आने या याद आने ही पर अदा की जानी चाहिए जैसाकि सही अहादीस में बयान हुआ है। उसे अगले दिन की उसी नमाज़ तक मुअख़्ख़र करना सही नहीं है। **(2)** (जैशुल उमरा) से बिल्उमूम ग़ज़्वा मौता मुराद लिया गया है जबकि मौलाना ख़लील अहमद सहारनपूरी का ख़्याल है कि ग़ज़्वा ख़ैबर भी (जैशुल उमरा) हो सकता है। **(3)** दुनिया के किसी काम में मशग़ूलियत की वजह से नमाज़ में ताख़ीर कर देना बहुत बड़ी नहूसत है और अपनी जान पर एक भारी ज़ुल्म, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) उस मौक़े पर दर्दे शक़ीक़ा के आरज़ा में मुब्तला थे तो पहले हज़रत अबूबक्र फिर हज़रत उमर (रज़ि.) और उनके बाद हज़रत अली (रज़ि.) को झण्डा दिया गया था, वल्लाहु आ'लम।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حَيْثُ شَاءَ وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلاَةِ " . فَقَامُوا فَتَطَهَّرُوا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ .

(439) जनाब इब्ने अबी क़तादा (अपने वालिद) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से रावी है, उन्होंने उस ख़बर में बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह ने जब चाहा तुम्हारी रूहें क़ब्ज़ कर लीं और जब चाहा लौटा दीं, लिहाज़ा उठो और नमाज़ के लिए अज़ान कहो।'' चुनाँचे वह उठे और वुज़ू किया यहाँ तक कि जब सूरज बुलंद हो गया तो नबी (ﷺ) खड़े हुए और लोगों को नमाज़ पढ़ाई।

तख़रीज 439: सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद: 7471

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ

(440) जनाब अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अपने वालिद हज़रत अबू क़तादा

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ فَتَوَضَّأَ حِينَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ .

(रज़ि.) से वह नबी (ﷺ) से उसी के हम मअ़नी रिवायत करते हैं। कहा कि आपने वुज़ू किया जबकि सूरज ऊँचा आ गया फिर उन्हें नमाज़ पढ़ाई।

तखरीज 440: (सनद सहीह)

फ़वाइद व मसाइलः (1) नींद में रूह क़ब्ज़ कर ली जाती है मगर जिस्म के साथ इसका तअ़ल्लुक़ क़ायम रहता है। इर्शादे बारी तआ़ला है (अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अन्फुस...) (ज़ुमरः 42) 'अल्लाह तआ़ला लोगों के मरने के वक़्त उनकी रूहें क़ब्ज़ कर लेता है और जो नहीं मरे (उनकी रूहें) सोते में (क़ब्ज़ कर लेता है) फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है, उनको रोक लेता है और बाक़ी रूहों को एक वक़्ते मुक़र्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग फ़िक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियाँ हैं।'' **(2)** जब जागने वाला ऐसे तंग वक़्त में जागा कि सूरज तुलूअ़ (उगने) या गुरूब (डूबने) होने वाला है, तो उस हालत में अगर वह तुलूअ़ व गुरूब होने का इंतिज़ार कर ले, तो जाइज़ है।

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، -وَهُوَ الطَّيَالِسِيُّ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلاَةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى " .

(441) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन रबाह हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया 'नींद में क़सूर नहीं। क़सूर जागने की हालत में होता है। (वह इस तरह) कि तुम किसी नमाज़ को उस हद तक मुअख़्ख़र (देर) कर दो कि दूसरी नमाज़ का वक़्त आ जाए।''

तखरीज 441: सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिदः 681

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ "

(442) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जो शख़्स नमाज़ को भूल जाए तो वह उसे उसी वक़्त अदा करे जब याद आ जाए। उसके अ़लावा उसका कोई कफ़्फ़ारा नहीं है।''

तख़रीज 442: सहीह बुख़ारी, मवाक़ीतुस्सलातः 597, मुस्लिम, किताबुल मसाजिदः 684

फ़ायदा: रोज़े और हज्ज की तरह नमाज़ का कोई माली या बदनी कफ़्फ़ारा नहीं है। कोई दूसरा किसी की जानिब से नमाज़ अदा नहीं कर सकता।

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوا قَلِيلاً حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ .

(443) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने एक सफ़र में थे कि लोग सुबह की नमाज़ के वक़्त सोये रहे और सूरज की गर्मी से जागे। फिर कुछ चले यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो गया। फिर आपने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया तो उसने अज़ान कही और फ़र्ज़ों से पहले दो रकअतें पढ़ीं। फिर इक़ामत हुई और नमाज़े फ़ज्र पढ़ाई।

तख़रीज 443: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 4/431, व सहीहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 994, व इब्ने हिब्बानः 1459, हाकिमः 1/274

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، - وَهَذَا لَفْظُ عَبَّاسٍ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ - يَعْنِي الْقِتْبَانِيَّ - أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ صُبْحٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الزِّبْرِقَانَ حَدَّثَهُ عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَنِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " تَنَحَّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ " . قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ

(444) जनाब ज़िब्रिक़ान ने अपने चचा हज़रत अम्र बिन उमय्या (रज़ि.) से रिवायत करते हुए बयान किया कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे। आप सुबह के वक़्त में सोये रहे यहाँ तक कि सूरज निकल आया। जब आप जागे तो फ़र्माया, ''इस जगह से दूर हो चलो।'' फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने अज़ान कही। फिर सबने वुज़ू किया और फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ीं। फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने इक़ामत कही और (आपने) उन्हें सुबह की नमाज़ पढ़ाई।

تَوَضَّئُوا وَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الصُّبْحِ " .

तखरीज 444: (सनद सहीह) अहमदः 4/139, व सह्हहु इब्नुल मुल्किन फ़ी तोहफ़तिल मोहताजः 474

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، - يَعْنِي الْحَلَبِيَّ - حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ذِي، مِخْبَرٍ الْحَبَشِيِّ وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَتَوَضَّأَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - وُضُوءًا لَمْ يَلُثَّ مِنْهُ التُّرَابُ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ عَجِلٍ ثُمَّ قَالَ لِبِلاَلٍ " أَقِمِ الصَّلاَةَ " . ثُمَّ صَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ . قَالَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ صُلَيْحٍ حَدَّثَنِي ذُو مِخْبَرٍ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ وَقَالَ عُبَيْدٌ يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ .

(445) यज़ीद बिन सालेह ने, हज़रत मिख़्बर हब्शी (रज़ि.) से, और यह नबी (ﷺ) के ख़ादिम थे। इस क़िस्से में बयान किया कि नबी (ﷺ) ने वुज़ू किया, और मुख़्तसर वुज़ू कि उससे मिट्टी भी अच्छी तरह गीली न हुई। फिर बिलाल को हुक्म दिया उन्होंने अज़ान कही। फिर नबी (ﷺ) उठे और सुकून से दो रकअतें पढ़ीं। फिर बिलाल से फ़र्माया, 'इक़ामत कहो' तब आपने नमाज़ पढ़ाई और आप जल्दी में न थे।

(इब्राहीम ने अपनी सनद में) कहा हज्जाज अन यज़ीद इब्ने सुलैह हद्दसनी ज़ू मिख़्बर ... यह एक हब्शी फ़र्द था... और उबेद ने सनद में (रावी का नाम) यज़ीद बिन सालेह बयान किया है।

तखरीज 445: (सनद ज़ईफ़) व सह्हहु इब्नुल मुल्किन फ़ी तौहफ़तिल मोहताजः 1/420, हः 475

फ़ायदाः क़ज़ा नमाज़ भी इंसान को सुकून, इत्मिनान और एतिदाल से अदा करनी चाहिए।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَرِيزٍ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ذِي، مِخْبَرِ بْنِ أَخِي النَّجَاشِيِّ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَأَذَّنَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ.

(446) जनाब यज़ीद बिन सुलैह ने हज़रत ज़ी मिख़्बर यानी नजाशी के भतीजे से इस ख़बर में बयान किया। कहा, तो उसने अज़ान कही और वह जल्दी में न थे।

तखरीज 446: (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يَكْلَؤُنَا " . فَقَالَ بِلاَلٌ أَنَا . فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ " . قَالَ فَفَعَلْنَا . قَالَ " فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ " .

(447) सय्यदना अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने कहा कि हुदेबिया के दिनों में हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आए तो आपने फ़र्माया, ''हमारा पहरा कौन देगा?'' बिलाल (रज़ि.) ने कहा, मैं। चुनाँचे बाक़ी सब सो गए यहाँ तक कि सूरज निकल आया। पस नबी (ﷺ) जागे और फ़र्माया, ''उसी त़रह़ करो जिस त़रह़ कि (इससे पहले) किया करते थे चुनाँचे हमने उसी त़रह़ किया। आपने फ़र्माया, जो सो जाए या भूल जाए तो ऐसे ही किया करे।

तखरीज 447ः (सनद स़ह़ीह़) सुनन नसाईः 8853, व अह़मदः 1/464

फ़ायदाः हंगामी ह़ालात में क़ाइद (लीडर) और उसके साथियों को चाहिए कि पुरसुकून और एतिमाद से रहा करें।

﴾12﴿ باب فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

बाब : 12
तअ़मीरे मसाजिद का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

(448) सय्यदना इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मुझे यह हुक्म नहीं दिया गया कि मसाजिद को बहुत ज़्यादा पुख़्ता ता'मीर करूँ।''

ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा तुम उन्हें ज़रूर मुज़य्यन करोगे जैसे कि यहूदो नस़ारा ने (अपने इ़बादत ख़ाने) मुज़य्यन किये।

तखरीज 448ः (सनद ज़ईफ़) मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाः ह़दीस 5127, व स़ह़ीह़ु इब्ने ह़िब्बानः 305, व अ़ल्लक़ल बुख़ारी फ़ी सह़ीह़िही (2/539, फ़तह़)

फ़वाइद व मसाइलः (1) यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इसमें जो बात कही गई है, वह सही है क्योंकि वह दीगर अहादीस से साबित है। ग़ालिबन इन ही शवाहिद की बिना पर शैख़ अल्बानी ने इसे सही कहा है। (2) अल्लाह की हिक्मत कि हमें ऐसे हालात का सामना है कि इस बिदअत को अपनी खुली आँखों से देख रहे हैं और कुछ मसाजिद को इस हद तक बुलंद व बाला और मुज़य्यन किया जाता है कि एक आम आदमी उनमें आकर उनके फ़न्ने ता'मीर और दीगर आराइशों ही में खो जाता है गोया किसी शाही महल में आया हो और कुछ लोग तो उनकी ज़ियारत ही बतौर सय्याह (सैरो तफ़रीह) के करते हैं। (ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह) ताहम वाक़ेई शरई ज़रूरत के तहत मस्जिद को मज़बूत बनाना, वसीअ करना और मौसम की मुनासिबत से नमाज़ियों के लिए ज़रूरी सहूलतों का मुहैया करना यक़ीनन मुबाह है और जगह की तंगी के बाइस उसे ऊँचा करना शरअन मतलूब है। सूरह नूर में इर्शादे इलाही है (फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु...) तर्जुमाः "उन घरों में जिन्हें बुलंद किये जाने और वहाँ अल्लाह तआला का नाम लिये जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनमें सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं।" मगर ऐसी तमाम तामीरी ज़ीनतों से बचना ज़रूरी है जो नमाज़ियों को अल्लाह के ज़िक्र और इबादत से फेर देने वाली हों।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ "

(449) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, "क़ियामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक कि लोग मसाजिद में बाहम फ़ख़्र नहीं करने लगेंगे।"

तख़रीज 449ः (सनद सहीह) तबरानी फ़िस्सग़ीरः 2/114, व सह्हहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 2/28, व रवाहू इब्ने माजाः 739, वन्नसाईः 690, व सह्हहु इब्ने हिब्बानः 308

फ़ायदाः 'मसाजिद में फ़ख़्र' यानी मसाजिद के बारे में लोग एक दूसरे पर फ़ख़्रिया बातें करेंगे मस्लन हमारी मस्जिद बड़ी है और ऊँची है, ख़ूबसूरत है वग़ैरह। और यह मअनी भी हो सकते हैं कि मसाजिद में बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करने की बजाय फ़ख़्रिया क़िस्म की बातें किया करेंगे और दोनों ही सूरतें बहुत बुरी हैं।

حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلاَّلُ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ

(450) जनाब मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन इयाज़ हज़रत उस्मान बिन अबुल आस (रज़ि) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने

السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ .

उन्हें हुक्म दिया था कि ताइफ़ की मस्जिद उस जगह बनाई जाए जहाँ उनके बुत होते थे।
तखरीज 450: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, अल्मसाजिद: 743

फ़ायदा: यह रिवायत तो सनदन ज़ईफ़ है लेकिन इसमें बयानकर्दा बात दूसरे दलाइल की रू से सही है। ताइफ़ की यह मस्जिद भी वहीं तामीर हुई थी जहाँ लात बुत का बुतख़ाना और आसताना था। उस बुतख़ाने की जगह मस्जिद का बायाँ मिनारा पड़ता था। मालूम हुआ कि हुकूमते इस्लामिया में कुफ़्फ़ार के मअबद को मसाजिद में तब्दील करना जाइज़ है, बिल्ख़ुसूस इस सूरत में जबकि किसी मुल्क को फ़तह किया जाए।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، - وَهُوَ أَتَمُّ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ - قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَمَدُهُ مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ - فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عَمَدَهُ - قَالَ مُجَاهِدٌ عُمُدَهُ خَشَبًا - وَغَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عَمَدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ

(451) जनाब नाफ़ेअ बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने उनको ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में मस्जिदे नबवी कच्ची ईंटों और खजूर की शाख़ों से बनी हुई थी और उसके सतून खजूरों की लकड़ी के थे। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उसमें कुछ इज़ाफ़ा न किया जबकि हज़रत उमर (रज़ि.) ने इसमें इज़ाफ़ा किया मगर उसे वैसे ही बनाया जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में कच्ची ईंटों और खजूर की शाख़ों से बनाई गई थी मगर उसके सतून बदल दिये और लकड़ी के लगाए और हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने उस (तामीर) को बदल दिया और बहुत ज़्यादा इज़ाफा किया। और उसकी दीवारें और सतून मुनक़्क़श पत्थरों और चूने से बनाए और छत सागवान की लकड़ी की बनाई।

मुजाहिद के लफ़्ज़ हैं: (व सक़्क़फ़हुस्साज) और

مَنْقُوشَةٍ وَسَقَّفَهُ بِالسَّاجِ . قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَقْفُهُ السَّاجُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْقَصَّةُ الْجِصُّ .

सागवान उनसे उसकी छत बनाई।''
इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने फ़र्माया कि लफ़्ज़ ह़दीस (अल्क़स्सहू) का मअ़नी (अल्जस्सु) यानी 'गच है।'

तखरीज 451: स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुस्सलातः 446

फ़ायदाः अ़ल्लामा इब्ने बत्ताल वग़ैरह ने फ़र्माया है कि यह रिवायत दलील है कि तामीरे मसाजिद और उनकी आराइश हमेशा म्यानारवी से होनी चाहिए। बावजूद यह कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि) के दौर में फ़ुतूहात के बाइस माल की बहतात थी मगर उन्होंने मस्जिद को तब्दील नहीं किया। सिर्फ़ छत की शाख़ें और बोसीदा सतून तब्दील किये। उनके बाद ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि.) ने उसकी तंग दामानी के बाइस उसे वसीअ़ और ख़ूबसूरत बनाया मगर उसमें कोई ग़ुलू न था, उसके बावजूद कुछ स़ह़ाबा (रज़ि.) ने उन पर तंक़ीद की। तारीख़ी तौर पर साबित है कि वलीद बिन अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान पहला शख़्स है जिसने मसाजिद को आरास्ता किया और यह स़ह़ाबा का बिलकुल आख़िरी दौर है, मगर अक्सर अहले इल्म फ़ित्ने के ख़ौफ़ से ख़ामोश रहे। (औ़नुल मअ़बूद) कुछ ने तन्कीद भी की।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم كَانَتْ سَوَارِيهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ أَعْلاَهُ مُظَلَّلٌ بِجَرِيدِ النَّخْلِ ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ فَبَنَاهَا بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ فَبَنَاهَا بِالآجُرِّ فَلَمْ تَزَلْ ثَابِتَةً حَتَّى الآنَ.

(452) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में मस्जिदे नबवी के सतून खजूरों के तनों के थे, जिन पर खजूरों की शाख़ों से छत डाली गई थी। फिर जब यह बोसीदा हो गईं तो ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के दौर में तनों और शाख़ों को बदल दिया गया (और इसकी साबिक़ा बनावट में कोई तब्दीली न की गई।) यह फिर बोसीदा हो गईं तो ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि.) के दौर में उन्होंने उसे पुख़्ता ईंटों से बनवाया और यह ता ह़ाल उस पर क़ायम है। (यानी इब्ने उ़मर ने जब यह रिवायत बयान की तो उस वक़्त तक वही ता'मीर बाक़ी थी।)

तखरीज 452: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी फ़ी दलाइलुन्नबुव्वाः 2/541

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ - فَقَالَ أَنَسٌ - فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ " يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا " . فَقَالُوا وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ أَنَسٌ وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ

(453) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना में तशरीफ़ लाए और (पहले) उसकी बालाई जानिब क़बीला बनू अम्र बिन औफ़ में क़याम किया। उनके यहाँ चौदह रातें (दो हफ़्ते) मुक़ीम रहे। फिर आपने बनू नज्जार को पैग़ाम भिजवाया तो वह (अपनी रिवायात के मुताबिक़ इस्तिक़्बाल के लिए तैयार होकर) तलवारें अपने गलों में हमाइल किये हुए आए। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं गोया (वह मंज़र मेरी नज़रों के सामने है) मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को देख रहा हूँ कि आप (ﷺ) अपनी सवारी पर हैं और हज़रत अबूबक्र (रज़ि .) आपके पीछे बैठे हैं और बनू नज्जार के मुअज़्ज़िजीन आपके आसपास हैं , हत्ताकि आपने अबू अय्यूब (रज़ि.) के एहाते में नुज़ूल किया। और रसूलुल्लाह (ﷺ) को जहाँ भी नमाज़ का वक़्त हो जाता, पढ़ लिया करते थे। आप बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ते थे, फिर आप (ﷺ) ने मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया और बनू नज्जार को बुलवाया और कहा, 'तुम मुझसे अपने इस बाग़ का सौदा कर लो।' उन्होंने कहा, क़सम अल्लाह की! हम इसकी क़ीमत सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही से लेंगे। हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा और उसमें वह कुछ था जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यानी मुश्रिकीन की क़ब्रें, खण्डर और खजूरों के दरख़्त।

الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुश्रिकीन की क़ब्रों के बारे में हुक्म दिया और उन्हें उखेड़ दिया गया, खण्डर बराबर कर दिये गए और खजूरें काट दी गईं और उनके तनों को क़िब्ला रुख़ क़तार से रख दिया गया। और दरवाज़े के दोनों किनारे पत्थरों से चुने गए और (सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाह अलयहिम अज्मईन) जो तामीर में शरीक थे।) पत्थर ढोते थे और मिलकर अश्आर पढ़ते थे और नबी (ﷺ) भी उनके साथ थे (अल्लाहुम्म ला ख़ैर इल्ला ख़ैरुल आख़िरा. फ़ंसुरिल अंसार वल मुहाजिरा) तर्जुमाः ''ऐ अल्लह! ख़ैर तो बस वही है जो आख़िरत में मिले, पस तू अंसार व मुहाजिरीन की मदद फ़र्मा।''

तखरीज 453: सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलातः 428 व मुस्लिमः 524

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ مَوْضِعُ الْمَسْجِدِ حَائِطًا لِبَنِي النَّجَّارِ فِيهِ حَرْثٌ وَنَخْلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَامِنُونِي بِهِ " . فَقَالُوا لاَ نَبْغِي بِهِ ثَمَنًا . فَقُطِعَ النَّخْلُ وَسُوِّيَ الْحَرْثُ وَنُبِشَ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ "

(454) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि मस्जिदे नबवी का एहाता दरअसल बनी नजार का बाग़ था और उसमें कुछ खेती, खजूरें और मुश्रिकीन की क़ब्रें थीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मुझसे इसकी क़ीमत ले लो।'' तो उन्होंने कहा कि हम इसकी क़ीमत नहीं लेंगे। चुनाँचे खजूरें काट दी गईं, खेती को बराबर कर दिया गया और मुश्रिकीन की क़ब्रों को उखेड़ दिया गया... और पूरी हदीस बयान की। (मज़्कूरा शेअर में) (फ़ंसुर) की जगह (फ़ग़्फ़िर) का लफ़्ज़ बयान किया है। यानी 'बख़्श दे।'

فَاغْفِرْ " . مَكَانَ " فَانْصُرْ " .

قَالَ مُوسَى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بِنَحْوِهِ وَكَانَ عَبْدُ الْوَارِثِ يَقُولُ خِرَبُ وَزَعَمَ عَبْدُ الْوَارِثِ أَنَّهُ أَفَادَ حَمَّادًا هَذَا الْحَدِيثَ .

मूसा (बिन इस्माईल) कहते हैं कि अ़ब्दुल वारिस ने हमसे उसकी मानिन्द बयान किया और अ़ब्दुल वारिस (ख़रिबुन) 'ख़ण्डर' बयान करते थे (न कि (ह़र्स) और कहते थे कि मैंने ही ह़म्माद को यह ह़दीस बयान की है।

तखरीज 454: (सनद स़ह़ीह़) इब्ने माजा, किताबुल मसाजिदः 742

फ़वाइद व मसाइलः (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बावजूद अंसार के मह़बूब होने के, उनके क़त़आ ज़मीन पर जबरन या बग़ैर इजाज़त कोई तस़र्रुफ़ नहीं किया। इसीलिए मअ़रूफ़ मसला है कि 'ग़स़बकर्दा ज़मीन में नमाज़ जाइज़ नहीं।'' **(2)** क़ब्र पर या क़ब्रिस्तान में नमाज़ जाइज़ नहीं, इसीलिए नबी (ﷺ) ने क़ब्रें खुदवा डालीं।

﴾13﴿ باب اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

बाब : 13
मुह़ल्लों में मसाजिद बनाने का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ .

(455) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़इशा (रज़ि.) से रिवायत है फ़र्माती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि मुह़ल्लों में मस्जिदें बनाई जाएँ और उन्हें पाकीज़ा, स़ाफ़ सुथरा और मुअ़त्तर रखा जाए।

तखरीज 455: (सनद स़ह़ीह़) तिर्मिज़ी, किताबुस़्स़लातः 594, व इब्ने माजाः 758, व स़ह़ीह़ु इब्ने ह़िब्बानः 306

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ

(456) जनाब सुलेमान बिन समुरा अपने वालिद ह़ज़रत समुरा (बिन जुंदुब) (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि ह़ज़रत समुरा ने अपने बेटों की त़रफ़ लिखा था कि

سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ، سَمُرَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا .

रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें ता'मीरे मसाजिद का हुक्म दिया करते थे कि मुहल्ले में उनकी तामीर करें और उनकी इमारत उम्दा बनाएँ और उन्हें पाकीज़ा रखें।

तखरीज 456: (सनद ज़ईफ़) तब्रानी फ़िल्कबीर: 7/252, ह: 7026

फ़वाइद व मसाइल: (1) इन अहादीस में लफ़्ज़ (दूर) से मुराद 'मुहल्ले' हैं जो कि (दार) की जमा है। जैसे कि क़ुरआने मजीद में आया है (सउरीकुम दारल फ़ासिक़ीन) (आराफ़: 145) 'मैं अन्क़रीब तुम्हें फ़ासिक़ों के घर (मनाज़िल) दिखाऊँगा।'' और जिस जगह मे क़बीले के कई घर आबाद हों उसे (दार) कहते हैं। चुनाँचे एक रिवायत में आया है कि इस हुक्म के बाद (मा बक़ीयत दारून इल्ला बुनिया फ़ीहा मस्जिदुन) ''हर हर मुहल्ले में मस्जिदें बन गईं।'' और ज़ाहिर है कि मर्कज़ी मस्जिद फ़ासले पर हो तो आम काम काज वालों के लिए उसमें पहुँचना मुश्किल होगा। लिहाज़ा मुहल्ले की क़रीबी मस्जिद में पहुँचकर जमाअत की फ़ज़ीलत हासिल कर सकते हैं। इसी लफ़्ज़ (दूरून) के दूसरे मअनी 'हर हर घर' भी हो सकते हैं। यानी हर घर में नमाज़ के लिए जगह ख़ास होनी चाहिए और उसे पाक साफ़ रखा जाए ताकि घर के अफ़राद वहाँ नमाज़ पढ़ सकें, मगर मुहद्दिसीन के यहाँ पहले मअनी ही राजेह हैं। **(2)** मसाजिद का अदब यह है कि उनकी ता'मीर ग़ुलू से पाक, ख़ुश मंज़र, वसीअ और रोशन हो और उसे ज़ाहिर और बातिन हर लिहाज से पाक साफ़ रखा जाए। बख़िलाफ़े दीगर मज़ाहिब के मअबद के कि उनमें यह एहतिमाम कम ही होता है।

﴾14﴿ بَابٌ فِي السُّرُجِ فِي الْمَسَاجِدِ

बाब : 14 मसाजिद में रोशनी का एहतिमाम

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه

(457) हज़रत मैमूना (बिन्ते सअद रज़ि.) नबी (ﷺ) की ख़ादिमा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हमें बैतुल मक़्दिस के बारे में इर्शाद फ़र्माईए, आपने फ़र्माया, ''वहाँ

وسلم أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ " ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ " . - وَكَانَتِ الْبِلاَدُ إِذْ ذَاكَ حَرْبًا - فَإِنْ لَمْ تَأْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِي قَنَادِيلِهِ " .

जाओ, तो वहाँ नमाज़ पढ़ो...'' और उस ज़माने में यह इलाक़ा दारुल हर्ब था... (फ़र्माया) 'अगर वहाँ न जा सको और नमाज़ न पढ़ सको तो वहाँ के लिए तेल ही भेज दो कि उसके चराग़ों में डाला जाए।''

तख़रीज 457: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, इक़ामतिस्सलात: 1407

﴿15﴾ باب فِي حَصَى الْمَسْجِدِ

बाब : 15 मस्जिद में कंकरियाँ बिछाना

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَصَى الَّذِي، فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ مُبْتَلَّةً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْحَصَى فِي ثَوْبِهِ فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ قَالَ " مَا أَحْسَنَ هَذَا " .

(458) जनाब अबुल वलीद कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मस्जिद में कंकरियों के बारे में पूछा (कि बिछाई जाएँ या नहीं?) तो उन्होंने कहा कि हमें एक रात बारिश हो गई और ज़मीन गीली हो गई तो हर आदमी अपने कपड़े में कंकरियाँ ले आता और अपने नीचे बिछा लेता। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया, ''किस क़द्र अच्छा काम है यह।''

तख़रीज 458: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/440, व सह्हहु इब्ने ख़ुज़ैमा: 1298

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا

(459) जनाब अबू सालेह का बयान है कि कहा जाता था जब कोई आदमी मस्जिद से कंकरियाँ बाहर निकालता है तो यह उसे अल्लाह का वास्ता देती हैं (कि हमें मत निकालो।)

أَخْرَجَ الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ .

तखरीज 459: (सनद ज़ईफ़)

मल्हूजाः यह अबू सालेह ताबेई का क़ौल (मक़्तूअ) है, न कि मरफ़ूअ हदीस।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ، - يَعْنِي الصَّاغَانِيَّ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، -قَالَ أَبُو بَدْرٍ - أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ " .

(460) जनाब अबू सालेह हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, अबू बद्र (सनद के एक रावी) ने कहा, मेरा ख़्याल है कि उन्होंने नबी (ﷺ) से मरफ़ूअ बयान किया कि आपने फ़र्माया, ''जो आदमी कंकरियों को मस्जिद से निकालता है तो वह उसे अल्लाह का वास्ता देती हैं।'' सल्लल्लाहु

तखरीज 460: (सनद ज़ईफ़) बग़वी फ़ी शरहस्सुन्नाः 478

《16》 بَابٌ فِي كَنْسِ الْمَسْجِدِ

बाब : 16 मस्जिद में झाड़ू देने का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْخَزَّازُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عُرِضَتْ عَلَىَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا " .

(461) सय्यदना अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मुझे मेरी उम्मत के सवाब (और नेकियाँ) दिखाई गईं, यहाँ तक कि एक तिनका भी जो कोई मस्जिद से निकालता है। (यह भी नेकियों में शामिल था) और मुझे मेरी उम्मत के गुनाह दिखाये गए तो मैंने देखा कि उससे बढ़कर और कोई गुनाह नहीं कि एक आदमी को क़ुरआन मजीद की कोई सूरत या आयत याद हुआ और वह उसे भुला दे।''

तखरीज 461: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, फ़ज़ाइलुल्क़ुरआनः 2916, मुदल्लिस कमा

तक़द्दमः 19, सह़ीह़ इब्ने ख़ुज़ैमाः 1297,

फ़वाइद व मसाइलः (1) इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) ने इस रिवायत को 'ग़रीब' मगर इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा ने सही कहा है। अ़ल्लामा ख़त्ताबी नक़ल करते हैं कि इमाम बुख़ारी और दीगर कहते हैं कि मुत्तलिब बिन अ़ब्दुल्लाह को किसी स़ह़ाबी से सिमाअ़ ह़ासिल नहीं है। नीज़ अ़ब्दुल मजीद बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ पर भी कलाम है, बहरह़ाल दूसरी सही रिवायात से मस्जिद की सफ़ाई सुथराई की फ़ज़ीलत साबित है। जैसे कि एक स़ह़ाबिया ने मस्जिद की सफ़ाई को अपना मअ़मूल बनाया हुआ था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी क़ब्र पर जाकर उसका जनाज़ा पढ़ा था। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, ह़दीसः 458) **(2)** इसी त़रह़ कुरआन मजीद याद करके भुला देना भी महजूरी की ज़ेल में आ सकता है इसलिए यह भी क़ाबिले गिरफ़्त हो सकता है।

बाब : 17
मस्जिद में औ़रतों का मर्दों से अ़लैह़दा (अलग) रहना

﴾17﴿

باب فِي اعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ

(462) सय्यदना इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर हम यह दरवाज़ा औ़रतों के लिए छोड़ दें... '' (और मर्द उससे दाख़िल न हों तो बहुत बेहतर हो।)

नाफ़ेअ़ कहते हैं कि (यह इर्शाद सुनने के बाद) इब्ने उ़मर (रज़ि.) मरते दम तक कभी उस दरवाज़े से मस्जिद में नहीं आए। अ़ब्दुल वारिस के अ़लावा दीगर राவियों ने उसे ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) का क़ौल बयान किया है और यह ज़्यादा सही है।

तख़रीज 462: (सनद स़ह़ीह़) इब्ने अ़ब्दुल बर्र फ़ित्तम्हीदः 2/397, ह़ः 571 में देखें

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ " . قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ . وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ أَصَحُّ .

फ़वाइद व मसाइलः (1) ज़ाहिर है कि जब मस्जिद जैसे पाकीज़ा मकाम व माहौल में भी औरतों, मर्दों के इख़्तिलात़ की इजाज़त नहीं है तो दीगर मक़ामात और मौक़ों पर और ज़्यादा एहतियात़ की ज़रूरत है। (2) स़ाह़िबे औ़नुल मअ़बूद लिखते हैं कि यह ह़दीस मरफ़ूअ़ और मौक़ूफ़ दोनों त़रह़ हो सकती है। अ़ब्दुल वारिस सिक़ा हैं और उनकी ज़्यादती क़ाबिले क़बूल है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ أَصَحُّ .

(463) जनाब नाफ़ेअ़ ने कहा कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, और ऊपर वाली ह़दीस के हम मअ़नी बयान किया.... और यह (ज़्यादती यानी ह़ज़रत उ़मर का क़ौल होना) ज़्यादा सही है।

तखरीज 463: (सनद ज़ईफ़), ह़ः 462 में देखें।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَنْهَى أَنْ يُدْخَلَ، مِنْ بَابِ النِّسَاءِ .

(464) जनाब नाफ़ेअ़ से रिवायत है वह बयान करते हैं कि ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त़्त़ाब (रज़ि.) औ़रतों वाले दरवाज़े से दाख़िल होने से मना किया करते थे।

तखरीज 464: (सनद ज़ईफ़) इब्ने ह़ज़म फ़िल मह़ल्लीः 3/131, 132

﴾18﴿ باب فِيمَا يَقُولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ

बाब : 18 मस्जिद में दाख़िल होने की दुआ़

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

(465) जनाब अ़ब्दुल मलिक बिन सईद बिन सुवैद, अबू हुमैद (रज़ि.) से या अबू उसैद (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब तुममें से

سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ، أَوْ أَبَا أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ " .

कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो नबी (ﷺ) पर सलाम पढ़े फिर कहे (अल्लाहुम्मफ़्तह़ ली अब्वाबा रह़मतिक) ''ऐ अल्लाह! मेरे लिए अपनी रह़मत के दरवाज़े खोल दे।'' और जब बाहर निकले तो कहे (अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़्लिका) ''ऐ अल्लाह! मैं तुझसे तेरे फ़ज़्ल व इनायत का सवाल करता हूँ।''

तखरीज 465: स़ह़ीह़ मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन: 713

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ لَقِيتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ " أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " . قَالَ أَقَطُّ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ .

(466) जनाब ह़ैवा बिन शुरैह कहते हैं कि मैं उ़क़्बा बिन मुस्लिम से मिला और उनसे कहा कि मुझे यह बात पहुँची है कि आप ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ (रज़ि.) की सनद से नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आप जब मस्जिद में दाख़िल होते तो कहा करते थे (अऊ़ज़ुबिल्लाहिल अ़ज़ीमि वबि वज्हिहिल करीमि व सुल्त़ानिहिल क़दीमि मिनश्शैत़ानिर्रजीमि) 'मैं शैत़ान मर्दूद के शर्र से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो इंतिहाई अ़ज़्मत वाला है, मैं उसके इंतिहाई मोह़तरम चेहरे की पनाह लेता हूँ और उसके सुल्त़ाने क़दीम की पनाह लेता हूँ।'' कहा बस इतना ही? मैं ने कहा, हाँ... कहा कि इंसान जब यह कह लेता है तो इब्लीस कहता है कि आज सारे दिन के लिए यह मुझसे मह़फ़ूज़ हो गया।

तखरीज 466: (सनद स़ह़ीह़)

बाब : 19
मस्जिद में दाख़िल होने पर नमाज़ का बयान

﴿19﴾
باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ ".

(467) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब तुममें से कोई मस्जिद में आए तो बैठने से पहले दो रकअतें पढ़े।''

तखरीज 467: सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलातः 444, व मुस्लिमः 714, मौत्ता (यहया): 1/162, (वल्क़अनबी पेजः 110)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ زَادَ " ثُمَّ لْيَقْعُدْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ أَوْ لِيَذْهَبْ لِحَاجَتِهِ " .

(468) जनाब आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर बनी ज़ुरैक़ के एक आदमी से, वह हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से, वह नबी (ﷺ) से इसी की मानिन्द रिवायत करते हैं। उसमें यह इज़ाफ़ा है कि ''फिर उसके बाद बैठा रहे या चाहे तो अपने काम के लिए चला जाए।''

तखरीज 468: (सनद सहीह) पिछली हदीस देखें

फ़वाइद व मसाइलः तहिय्यतुल मस्जिद के हुक्म में उलमा का इख़्तिलाफ़ रहा है। अस्हाबे ज़वाहिर और कुछ अस्हाबुल हदीस इसके वुजूब के क़ाइल हैं जबकि जुम्हूर के नज़दीक यह हुक्म इस्तिहबाब है और औक़ाते ग़ैर मकरूहा से ख़ास है। हमारे मशाइख़ का मैलान भी इसी तरफ़ है। जैसे कि इमाम नसाई (रह.) की तबवीब व इस्तिदलाल से ज़ाहिर है (बाबुर्रुख़सति फ़िल जुलूसि फ़ीहि वल ख़ुरूजि मिन्हु बिग़ैरि सलात, हः 732) इस ज़िम्न में वह हज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) की यह हदीस लाए हैं (हत्ता जिअतु फ़लम्मा सल्लम्तु तबस्सम तबस्सुमल मुग़ज़बि सुम्म क़ाल तआल फ़जिअतु हत्ता जलस्तु

बैन यदैहि) और आख़िर हदीस में है (अम्मा हाज़ा फ़क़द सदक़ फ़कुम् हत्ता यक़्ज़ियल्लाहु फ़ीक फ़कुम्तु फ़मज़ैतु) (सुनन नसाई हः 732) इस हदीस में बज़ाहिर यही है कि इन्होंने तहिय्यतुल मस्जिद के नफ़्ल नहीं पढ़े थे। दूसरे उलमा (इज़ा) 'जब भी मस्जिद में दाख़िल हो' के उमूम से औक़ाते मकरूहा में भी तहिय्यतुल मस्जिद की दो रकअतें पढ़ने को मुस्तहब और कुछ वाजिब क़रार देते हैं। बहरहाल तहिय्यतुल मस्जिद का हुक्म बिला शुब्हा ताकीदी है, यहाँ तक कि आपने ख़ुत्ब-ए-जुम्आ के बीच में भी इनके पढ़ने का हुक्म दिया है। इसलिए ग़फ़लत नहीं करनी चाहिए।

बाब : 20
मस्जिद में बैठने की फ़ज़ीलत

﴾20﴿ باب فِي فَضْلِ الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ

(469) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''फ़रिश्ते तुममें से एक के लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं जब तक कि वह उस जगह पर बैठा रहे जहाँ उसने नमाज़ पढ़ी हो जब तक कि बेवुज़ू न हो या वहाँ से उठ न जाए। (उनकी दुआ होती है) (अल्लाहुम्मग़्फ़िर लहू अल्लाहुम्मर्रहम्हू) 'ऐ अल्लाह! इसकी बख़्शिश फ़र्मा, ऐ अल्लाह! इस पर रहम फ़र्मा।'

तख़रीज 469: सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलातः 445, मौत्ता (यह्या): 1/160, (वल्क़अनबीः 106)

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ" .

(470) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब तक बन्दे को नमाज़ (मस्जिद में) रोके रखे वह (गोया) नमाज़ में होता है (बशर्तेकि उसे अपने अहल में लौटने से रोकने वाली सिर्फ़ नमाज़ ही हो।''

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ

تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ " .

तखरीज 470: सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ानः 659, व मुस्लिम, किताबुल मसाजिदः 649/275, बअ़द, हः 661, मौत्ता (यहया) 1/160, (वल्क़अनबी पेजः 106)

फ़ायदाः यानी मस्जिद में रुकना सिर्फ़ नमाज़ और ज़िक्रो अज़्कार के लिए हो न कि किसी और ग़र्ज़ से।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ تَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ " . فَقِيلَ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ .

(471) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''बन्दा उस वक़्त तक नमाज़ ही में होता है जब तक कि अपने मुसल्ले पर बैठा (दूसरी) नमाज़ का इंतिज़ार कर रहा हो। फ़रिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह! इसको बख़्श दे। ऐ अल्लाह! इस पर रहम फ़र्मा। यहाँ तक कि वह उठ जाए या बेवुज़ू हो जाए।'' कहा गया बेवुज़ू कैसे हो? कहा ''फुसकी मारे या गोज़ (पाद) मारे।''

तखरीज 471: सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिदः 649, बअ़द, हः 661

फ़वाइद व मसाइलः (1) नमाज़ के बाद बैठने की अहादीस और उनकी फ़ज़ीलत को उमूम पर महमूल किया जा सकता है कि इंसान सुन्नतों के बाद फ़र्ज़ों का इंतिज़ार कर रहा हो या फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतों के लिए बैठा हो या दूसरी नमाज़ का इंतिज़ार कर रहा हो या ज़िक्र अज़्कार कर रहा हो। इंशाअल्लाह! इस फ़ज़ीलत से महरूम नहीं रहेगा। चाहिए कि मुसलमान ला यानी और बेफ़ायदा मजालिस व मशाग़िल को छोड़कर मस्जिद की मज्लिस इख़्तियार करे। **(2)** (फुसाअ) बग़ैर आवाज़ के हवा ख़ारिज होना है और (ज़ुरात़) कहते हैं, आवाज़ के साथ हवा ख़ारिज होने को। उर्दू में इसे फुसकी और गोज़ या पाद मारना कहते हैं।

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ الأَزْدِيُّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

(472) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो शख़्स जिस नियत से मस्जिद में आया हो, उसका वही नसीबा है।'

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَىْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ".

तखरीज 472: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ीः 2/447, 3/66, तंक़ीहुर्रुवातः 1/131, हः 730 में देखें।

फ़ायदाः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन मअ़नन सही है, क्योंकि यह हदीस (इन्नमल अअ़मालु बिन्नियात) (सहीह बुख़ारीः 1) के हम मअ़नी है। यह हदीस इंतिहाई अहम है कि इंसान को ख़्याल रखना चाहिए और अपने नफ़्स का मुहासिबा करते रहना चाहिए कि वह किस नियत से अपने आमाल सरअंजाम दे रहा है। जो नियत होगी उसी के मुताबिक़ अज्र मिलेगा। चाहिए कि हमेशा अल्लाह की रज़ा पेशेनज़र रहे।

﴾21﴿ باب فِي كَرَاهِيَةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

बाब : 21
मस्जिद में गुमशुदा चीज़ों के ऐलान की कराहत (मनाही)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، - يَعْنِي ابْنَ شُرَيْحٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الأَسْوَدِ، - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ - يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا "

(473) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते थे कि मैं ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़र्माते थे, 'जो किसी को सुने कि गुमशुदा चीज़ का मस्जिद में ऐलान कर रहा है तो उसे कहे, अल्लाह करे तुझे यह न मिले। मस्जिदें इस काम के लिए नहीं बनाई गईं।''

तखरीज 473: सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिदः 568

फ़ायदाः मस्जिद से बाहर दरवाज़े के क़रीब ऐलान किया जा सकता है। 'ज़ाल्लतन' गुमशुदा जानवर को कहते हैं। गुमशुदा चीज़ को 'ज़ायेअ' कहते हैं। इसका भी यही हुक्म है। मसाजिद में गुमशुदा बच्चों का ऐलान करने की बाबत अहले इल्म के बीच इख़्तिलाफ़ है। कुछ इसके जवाज़ और कुछ अदमे जवाज़ के क़ाइल हैं। इंसानी हुर्मत और इंसानी हमदर्दी के पेशेनज़र इस मसला में बहरहाल ऐलान करने के जवाज़ की गुंजाइश है। गो अकसर उलमा इसकी इजाज़त नहीं देते।

बाब : 22
मस्जिद में थूकने की कराहत

﴾22﴿ باب فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، وَأَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ تُوَارِيَهُ".

(474) सय्यदना अनस बिन मालिक (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मस्जिद में थूकना ग़लती है और इसका कफ़्फ़ारा यह है कि उसे छुपा दे।''

तखरीज 474: सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलातः 415, व मुस्लिमः 552

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا " .

(475) सय्यदना अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मस्जिद में थूकना ख़ता है और इसका कफ़्फ़ारा उसे दफ़न कर देना है।''

तखरीज 475: सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिदः 552

फ़ायदा: ज़ाहिर है कि यह हुक्म उन मसाजिद के बारे में है जिनका फ़र्श कच्चा हो। अगर पुख़्ता फ़र्श पर यह गंदगी हो तो ज़रूरी है कि उसे अच्छी तरह से पोंछ दिया जाए या धो दिया जाए।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ " . فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(476) सय्यदना अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ' खंकार मस्जिद में (डालना गुनाह है।'') और पिछली हदीस के मानिन्द बयान किया।

तखरीज 476: (सहीह) अहमदः 3/109, अहमदः 3/277, व अब्दुर्रज़्ज़ाः 1697

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ، عَنْ عَبْدِ

(477) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया,

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لْيَخْرُجْ بِهِ " .

'जो शख़्स इस मस्जिद में दाख़िल हो और इसमें थूक दे या बलग़म गिराये तो चाहिए कि जगह खोदकर उसे दफ़न कर दे। अगर ऐसे न करे तो अपने कपड़े में थूके और फिर उसे बाहर ले जाए।''

तखरीज 477: (सनद हसन) अहमदः 2/260, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 1310

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاَةِ - أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْزُقْ أَمَامَهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ لْيَقُلْ بِهِ " .

(478) हज़रत तारिक़ बिन अब्दुल्लाह मुहारिबी (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब आदमी नमाज़ के लिए खड़ा हो.. या फ़र्माया... तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो अपने आगे दाएँ जानिब हर्गिज़ न थूके। लेकिन बाएँ जानिब अगर ख़ाली हो तो थूक सकता है या अपने बाएँ पैर के नीचे थूक ले और फिर उसे मसल डाले।''

तखरीज 478: (सनद सहीह) तिर्मिज़ी, किताबुस्सलातः 571, नसाईः 727, व इब्ने माजाः 1021, और तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे 'हसनुन सहीहुन' कहा है

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا قَالَ

(479) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्मा रहे थे कि आपने क़िब्ला रुख़ की दीवार पर देखा कि उस पर बलग़म लगा हुआ है तो आप लोगों पर नाराज़ हुए। फिर उसे खुरच डाला। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, मेरा ख़्याल है कि फिर आपने ज़अफ़रान मंगवाया और उस पर लगाया

وَأَحْسِبُهُ قَالَ فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ وَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ " .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَمَالِكٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ حَمَّادٍ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُوا الزَّعْفَرَانَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَأَثْبَتَ الزَّعْفَرَانَ فِيهِ وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ الْخَلُوقَ.

और फ़र्माने लगे, 'जब तुम नमाज़ पढ़ते हो तो अल्लाह तआला तुम्हारे सामने होता है, लिहाज़ा कोई शख़्स अपने सामने न थूके।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस को इस्माईल और अब्दुल वारिस ने अय्यूब से उन्होंने नाफ़ेअ से और मालिक, उबेदुल्लाह और मूसा बिन उक़्बा (तीनों) ने नाफ़ेअ से हम्माद की मानिन्द रिवायत किया है मगर उन्होंने 'ज़अफ़रान' का ज़िक्र नहीं किया। लेकिन इसको मअमर ने अय्यूब से रिवायत किया तो 'ज़अफ़रान' का ज़िक्र किया है। और यहया बिन सुलैम ने उबेदुल्लाह से उन्होंने नाफ़ेअ से रिवायत किया तो उसने (ख़लूक़) यानी 'ख़ुश्बू' का ज़िक्र किया।

तख़रीज 479: सहीह बुख़ारी,: 1213, व मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 547

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ وَلاَ يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى

(480) जनाब इयाज़ बिन अब्दुल्लाह हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) को खजूर के ख़ोशे की शाख़ पसंद थी और हमेशा कोई न कोई शाख़ आपके दस्ते मुबारक में रहती थी। (एक बार) आप मस्जिद में दाख़िल हुए और क़िब्ला की दीवार पर देखा कि उस पर बलग़म लगा हुआ है तो आपने उसे खुरच डाला और फिर लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुए। आप ग़ुस्से में थे। फ़र्माया, 'क्या तुममें से कोई पसंद करता है कि उसके चेहरे पर थूका जाए? तुममें से जब कोई शख़्स

النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ " أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَزَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ فِي قِبْلَتِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا " . وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ ذَلِكَ أَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ .

क़िब्ला रुख़ होता है तो अपने रब अ़ज़्ज़ व जल्ल की तरफ़ रुख़ करता है और फ़रिश्ता उसकी दाएँ जानिब होता है, लिहाज़ा कोई अपने दाएँ जानिब या क़िब्ला रुख़ न थूके। अगर थूकना ही हो तो अपनी बाएँ जानिब या पैर के नीचे थूके। अगर जल्दी हो तो ऐसा कर ले।'' फिर इब्ने अ़ज्लान ने करके दिखलाया कि अपने कपड़े में थूक ले और उसको आपस में मसल दे।

तख़रीज 480: अह़मदः 3/9, 24, व स़ह़्ह़ हु इब्ने ह़िब्बान (अल्एह़सान): 2267, 2268, ह़ाकिम अ़ला शर्ते मुस्लिमः 1/257

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ، - قَالَ أَحْمَدُ - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ " لاَ يُصَلِّي لَكُمْ " . فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى

(481) ह़ज़रत अबू सहला साइब बिन ख़ल्लाद से रिवायत है, अह़मद (बिन स़ालेह़, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद) कहते हैं कि वह (साइब) एक स़ह़ाबी हैं। इनसे रिवायत है कि एक शख़्स़ ने अपनी क़ौम की इमामत कराई और उसने क़िब्ले की जानिब थूक दिया जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) देख रहे थे। जब वह फ़ारिग़ हुआ तो आपने (उसकी क़ौम से) फ़र्माया, '(आइन्दा) यह तुम्हें नमाज़ पढ़ाए।' उसके बाद उसने उन्हें नमाज़ पढ़ाना चाही तो उन्होंने उसको रोक दिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़र्मान सुनाया। तो उसने यह बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र की तो आपने फ़र्माया, 'हाँ!' और मेरा ख़याल है कि आपने फ़र्माया, 'तुमने अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा दी है।'

الله عليه وسلم فَقَالَ " نَعَمْ " . وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " .

तखरीज 481: (सनद हसन) अह़मद: 4/56, व स़ह़्ह़ु इब्ने ह़िब्बान: 334

फ़ायदा: इस तौबीख़ पर क़यास करते हुए कहा जा सकता है कि शरीअ़त में बयानकर्दा आदाब व हुदूद की ख़िलाफ़वर्ज़ी अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) को तक़लीफ़ देना है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

(482) जनाब मुत़र्रिफ़ अपने वालिद (ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन शुख़ैर रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे तो आपने अपने बाएँ क़दम के नीचे थूका।

तखरीज 482: पिछली ह़दीस देखें

फ़ायदा: थूक, बलग़म और नाक आने से नमाज़ बात़िल नहीं होती और कच्ची ज़मीन में आदमी अपने बाएँ पैर से मसल दे।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ دَلَكَهُ بِنَعْلِهِ .

(483) जनाब अबुल अ़लाअ ने अपने वालिद से ऊपर वाली ह़दीस के हम मअ़नी रिवायत किया और इज़ाफ़ा किया कि फिर उसे अपने जूते से मसल दिया।

तखरीज 483: स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 554

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبُورِيِّ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

(484) जनाब अबू सईद कहते हैं कि मैंने ह़ज़रत वासिला बिन अस्क़अ़ (रज़ि.) को दमिश्क़ की मस्जिद में देखा कि उन्होंने चटाई पर थूका और फिर उसे पैर से मसल दिया, तो उन्हें कहा गया कि आपने ऐसे क्यूँ किया? उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे ही करते हुए देखा था।

عليه وسلم يَفْعَلُهُ .

तख़रीज 484: (सनद ज़ईफ़) अहमद: 3/490

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيَّانِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ - وَهَذَا لَفْظُ يَحْيَى بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيِّ - قَالُوا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَتَيْنَا جَابِرًا - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ فَنَظَرَ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ قَالَ " أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا " . وَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ ثُمَّ دَلَكَهُ ثُمَّ قَالَ " أَرُونِي عَبِيرًا " . فَقَامَ فَتًى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ

(485) जनाब उ़बादा बिन वलीद बिन उ़बादा बिन स़ामित ने कहा हम ह़ज़रत जाबिर यानी जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) के यहाँ आए और वह अपनी मस्जिद में थे। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारी इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए और आपके हाथ में इब्ने त़ाब खजूर की शाख़ थी। आपने देखा तो आपकी नज़र क़िब्ले की दीवार पर लगे बलग़म पर पड़ी। आप उसकी त़रफ़ गए और शाख़ से उसे खुरच डाला, फिर फ़र्माया, 'तुममें से कौन पसंद करता है कि अल्लाह उससे मुँह फेर ले?'' फिर फ़र्माया, ''तुम जब नमाज़ के लिए खड़े होते हो तो अल्लाह तआला तुम्हारे सामने होता है, तो कोई शख़्स अपने क़िब्ला रुख़ या दाएँ त़रफ़ हर्गिज़ न थूके बल्कि अपने बाएँ जानिब या बाएँ क़दम के नीचे थूके। अगर जल्दी हो तो अपने कपड़े में ऐसे ऐसे कर लिया करे।'' आपने कपड़ा अपने चेहरे पर रखा फिर उसे मसल दिया, फिर फ़र्माया, ''ख़ुश्बू लाओ।'' तो क़बीले का एक नौजवान उठा और दौड़ता हुआ अपने घर गया और अपनी हथेली में ख़ुश्बू ले आया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे शाख़ के सिरे पर लगाकर बलग़म वाली जगह पर लगा दिया। जाबिर (रज़ि.) ने कहा, बस यहीं से तुम

عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ . قَالَ جَابِرٌ فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ .

लोग अपनी मसाजिद में ख़ुश्बू लगाते हो।

तखरीज 485: सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़ुहदः 3008

फ़ायदाः थूक, बलग़म या नाक की आलाइश नजिस (नापाक) नहीं हैं, कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक रहता है मगर नज़ाफ़त (सफ़ाई) के बिलकुल ख़िलाफ़ है। मस्जिद और दीगर मोहतरम मक़ामात और अश्या (चीज़ों) का इंतिहाई अदब व एज़ाज़ रखना वाजिब है।

﴿23﴾ باب مَا جَاءَ فِي الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

बाब : 23 किसी मुश्रिक का मस्जिद में दाख़िल होना

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا لَهُ هَذَا الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ . فَقَالَ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قَدْ أَجَبْتُكَ " . فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(486) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि एक शख़्स आया, वह ऊँट पर था, उसने ऊँट को मस्जिद (के एहाते) में बिठाया, फिर उसे बाँधा, फिर कहा, तुममें से 'मुहम्मद' कौन है? जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) सहाबा के बीच टेक लगाए बैठे थे, हमने कहा कि यह जो गोरा चिट्टा शख़्स टेक लगाए हुए है (यही मुहम्मद स. हैं) तो उस आदमी ने आपसे कहा, ऐ इब्ने अ़ब्दुल मुत्तलिब! आपने उसे फ़र्माया, 'जवाब दे रहा हूँ।' उसने कहा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! मैं आपसे पूछना चाहता हूँ... और हदीस बयान की।

तखरीज 486: सहीह बुख़ारी, किताबुल इल्मः 63

तौज़ीह व फ़वाइदः (1) सहीह बुख़ारी में यह रिवायत मुफ़स्सल आई है। उसने कहा, मेरे पूछने में कुछ नागवार सी बात हो तो महसूस न कीजिएगा। आपने फ़र्माया, 'पूछो क्या पूछते हो?' उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे और तुमसे पहलों के रब का वास्ता देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको तमाम लोगों की तरफ़ रसूल बनाकर भेजा है? आपने फ़र्माया, ''हाँ! बिलाशुब्हा।'' कहने लगा, मैं तुम्हें अल्लाह की

क़सम देता हूँ क्या अल्लाह ने तुम्हें दिन और रात में पाँच नमाज़ों का हुक्म दिया है? आपने फ़र्माया, ''हाँ बिला शुब्हा!'' कहने लगा मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देता हूँ क्या अल्लाह ने तुम्हें हर साल उस महीने के रोज़े रखने का हुक्म दिया है? आपने फ़र्माया, ''हाँ बिला शुब्हा।'' कहने लगा, मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देता हूँ क्या अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि हमारे अग्निया (मालदारों) से आप यह सदक़ात लें और हमारे फ़ुक़रा में बाँट दें? आपने फ़र्माया, ''हाँ बिला शुब्हा।'' तो उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ उन बातों पर जो आप लेकर आए हैं और मैं अपने पीछे अपनी क़ौम का नुमाइन्दा हूँ। मेरा नाम जिमाम बिन सालबा है और क़बीला बनी सअद बिन बक्र से ताल्लुक रखता हूँ। सहीह बुख़ारी हदीस नं. 63 **(2)** इस हदीस से और दीगर दर्जे ज़ेल अहादीस से साबित होता है कि ग़ैर मुस्लिम यहूद, नसारा, हिन्दू या मजूसी वग़ैरह कोई भी हों किसी भी मअक़ूल ज़रूरत से मस्जिदों में आ सकते हैं। अल्बत्ता क़ुरआन मजीद की आयते करीमा (इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हरामा बअद आमिहिम हाज़ा) (तौबा 28) ''मुश्रिकीन नजिस हैं, तो इस साल के बाद मस्जिदे हराम के क़रीब न आने पाएँ।'' इससे मुराद उनकी मअनवी नजासत है यानी उनका अक़ीदा नजिस हैं और इस आयत में मुसलमानों को ता'लीम है कि अब तक बैतुल्लाह पर कुफ़्फ़ार का जो तसल्लुत था उसे तोड़ दिया गया है, तो आइन्दा के लिए यह लोग अपने कुफ़्रिया शआइर (तरीक़ों) के साथ या उनके इज़्हार के लिए यहाँ न आने पाएँ। तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि बैतुल्लाह की ज़ाहिरी व मअनवी तहारत व हिफ़ाज़त का एहतिमाम करें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَعَثَ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فَقَالَ أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " . قَالَ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(487) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि क़बीला बनू सअद बिन बक्र ने ज़िमाम बिन सअलबा को रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ भेजा, तो वह आपके पास आया। उसने आकर अपना ऊँट दरवाज़े के पास बिठाया, फिर उसे बाँधा और मस्जिद के अंदर आ गया। और ऊपर वाली हदीस की मानिन्द बयान किया। उसने कहा, तुममें से इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कौन है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ।'' उसने कहा, ऐ इब्ने अब्दुल मुत्तलिब! और हदीस बयान की।

तखरीज 487: (सनद हसन) दारमी: 658, व सहहहुल हाकिम: 3/54, 55

(488) क़बीला मुज़ैना के एक आदमी ने, जबकि हम सईद बिन मुसय्यिब के पास बैठे हुए थे, हमें हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत बयान की कि (कुछ) यहूदी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आए जबकि आप मस्जिद में अपने अस्हाब के साथ तशरीफ़ फ़र्मा थे, उन्होंने आकर कहा, ऐ अबुल क़ासिम! और उनके एक मर्द और एक औरत ने ज़िना किया था, उसके बारे में मसला पूछा।

तखरीज 488: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 2/444, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाः 13330, उंज़ुर तफ़्सीर इब्ने कसीरः 2/60)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ الْيَهُودُ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ .

फ़ायदाः अगरचे यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है ताहम असल वाक़िया सहीहैन में मौजूद है। और यह हदीस किताबुल हुदूद में भी मुफ़स्सल आई है। (सुनन अबी दाऊदः 4450) इससे मालूम हुआ कि अहम ज़रूरत के तहत यहूदी मस्जिद में दाख़िल हो सकते हैं।

बाब : 24
वह मक़ामात जहाँ नमाज़ जाइज़ नहीं

﴿24﴾ باب فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لاَ تَجُوزُ فِيهَا الصَّلاَةُ

(489) हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ज़मीन मेरे लिए पाक करने वाली बनाई गई है और जाये सज्दा भी।''

तखरीज 489: (सनद सहीह) अहमदः 5/145, व सह्हहु इब्ने हिब्बानः 200, व लहू शवाहिद इन्दल बुख़ारीः 1/436, व मुस्लिमः 521

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا "

फ़वाइद व मसाइलः (1) यह उम्मते मुहम्मदिया की ख़ुसूसियत है कि हम बिलउमूम हर जगह नमाज़

पढ़ सकते हैं, सिवा चंद मख़्सूस मक़ामात के जिनका ज़िक्र आगे आ रहा है जबकि दीगर उम्मतों के लिए पाबन्दी थी कि अपने मख़्सूस इबादतख़ानों में ही नमाज़ अदा करें। **(2)** पाक मिट्टी और उसकी तमाम जिंसों से तयम्मुम जाइज़ है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُرَادِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّ حَبِيبِي صلى الله عليه وسلم نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبُرَةِ وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِلَ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ ‏.

(490) जनाब अबू सालेह ग़िफ़ारी बयान करते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) बाबिल से गुज़रकर जा रहे थे तो मुअज़्ज़िन उनके पास आया और उन्हें नमाज़े अस्र की ख़बर दी मगर जब वह उससे बाहर निकल गए तो उन्होंने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया और उसने नमाज़ की इक़ामत कही, जब फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माने लगे, मेरे हबीब (अ.) ने मुझे क़ब्रिस्तान और सरज़मीने बाबिल में नमाज़ पढ़ने से मना किया है क्योंकि यह मल्ऊन है।

तखरीज 490: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ी: 2/451

मल्हूज़ा (नोट): यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इमाम ख़त्ताबी (रह.) फ़र्माते हैं कि मैं नहीं जानता कि किसी भी आलिम ने बाबिल की ज़मीन में नमाज़ को हराम कहा हो जबकि सहीह हदीस में है ''तमाम रूए ज़मीन मेरे लिए मस्जिद और मुतह्हिर बना दी गई है।'' अल्बत्ता इमाम बुख़ारी (रह) ने हज़रत अली (रज़ि.) की तरफ़ मंसूब क़ौल तालीक़न (बग़ैर सनद के) नक़्ल किया है कि हज़रत अली (रज़ि.) ने बाबिल की ज़मीन में नमाज़ पढ़ने को नापसंद किया है। (सहीह बुख़ारी, बाब 53, बाबुस्सलात फ़ी मवाज़िइल ख़स्फ़ वल अज़ाब) इस बाब में यह मरफ़ूअ हदीस इमाम बुख़ारी ने नक़्ल की है। ''तुम उन अज़ाब याफ़्ता लोगों पर दाख़िल न हो, मगर यह कि रोते हुए, अगर तुम रोने वाले न हो तो फिर उन पर दाख़िल न हो...'' उससे यह इशारा निकलता है कि इस क़िस्म की जगहों पर नमाज़ पढ़ने से परहेज़ करना चाहिए।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ، وَابْنُ، لَهِيعَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(491) अबू सालेह ग़िफ़ारी हज़रत अली (रज़ि.) के वास्ते से रिवायत करते हैं। सुलेमान बिन दाऊद की हदीस के हम मअनी मरवी है (जो ऊपर ज़िक्र हुई है) मगर उसमें (फ़लम्मा बरज़) की बजाय (फ़लम्मा

الْغِفَارِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ . مَكَانَ فَلَمَّا بَرَزَ .

ख़रज) के लफ़्ज़ बयान किये हैं। (मअ़नी दोनों के एक ही हैं।)

तखरीज 491: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ी: 2/451

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرٌو - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبُرَةَ "

(492) हज़रत अबू सईद (ख़ुदरी) रज़ि. कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया... अबू मूसा (बिन इस्माईल) ने अपनी रिवायत में कहा... अ़म्र (बिन यह्या) का ख़याल है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ज़मीन सारी की सारी मस्जिद है सिवा ह़म्माम और मक़्बरा के।''

तखरीज 492: (सनद सहीह) इब्ने माजा, किताबुल मसाजिद: 745, तिर्मिज़ी: 317, व सह़ीह़ इब्ने ख़ुज़ैमा: 791, व इब्ने ह़िब्बान: 338, 339, वल ह़ाकिम अ़ला शर्तिश शैख़ैन 5 1/251

फ़वाइद व मसाइल: (1) पिछली सनदों में से रिवायते मुसद्दद, यक़ीनी तौर' पर मरफ़ूअ़ है मगर अ़म्र बिन यह़्या की रिवायत में 'गुमान' है यक़ीन नहीं। मुह़द्दिसीने किराम फ़रामीने रसूल के नक़्ल करने में बहुत ही ह़स्सास और मोह़तात़ वाक़ेअ़ हुए थे (रहि.) (2) क़ाज़ी अबूबक्र इब्नुल अ़रबी फ़र्माते हैं कि वह मक़ामात जहाँ नमाज़ नहीं पढ़ी जाती तेरह हैं (अ) कूड़े करकट का ढेर (ब) ज़िब्ह़ख़ाना (स) मक़बरा (द) रास्ते के बीच (य) ह़म्माम (र) ऊँटों का बाड़ा (ल) बैतुल्लाह की छत (व) क़ब्रिस्तान के रुख़ पर (ह) बैतुलख़ला की दीवार की त़रफ़, जबकि उस पर नजासत लगी हो (न) यहूदियों और ईसाइयों के इबादतख़ाने (प) बुतों और तस्वीरों की त़रफ़ रुख़ करके (ज) मक़ामे अ़ज़ाब और इराक़ी ने मज़ीद इज़ाफ़ा किया कि (ट) ग़सबशुदा ज़मीन पर (म) मस्जिदे ज़िरार (ठ) और वह जगह जहाँ तन्नूर सामने हो। तफ़्सील के लिए देखिए (नैलुल अवत़ार, बाब अल्मवाज़िइल मन्ही अन्हा वल माज़ून फ़ीहा लिस्सलात: 2/55)

﴿25﴾ باب النَّهْىِ عَنِ الصَّلاَةِ، فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَقَالَ " لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ " . وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ " صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ".

बाब : 25
ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने की मनाही

(493) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऊटों के बाड़ों में नमाज़ के बारे में पूछा गया तो आपने फ़र्माया, ''उनमें नमाज़ न पढ़ा करो, बिला शुब्हा यह शयातीन में से हैं।'' और बकरियों के बाड़ों के बारे में पूछा गया तो फ़र्माया, ''उनमें नमाज़ पढ़ लिया करो, बिला शुब्हा यह बाबरकत होती है।''

तखरीज 493: (सनद सहीह) ह.: 184 में देखें।, सुनन बैहक़ी: 2/449

फ़ायदा: यह हुक्म ऊँटों के बाड़े के बारे में है जहाँ उन्हें रात को बाँधा जाता है। उसके अलावा जगह में जहाँ एक दो ऊँट हों वहाँ जाइज़ है बल्कि उसे सुतरा भी बनाया जा सकता है।

﴿26﴾ باب مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلاَمُ بِالصَّلاَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ

बाब : 26
बच्चे को किस उम्र में नमाज़ का हुक्म दिया जाए?

(494) अब्दुल मलिक बिन रबीअ बिन सबरा अन अबीहि अन जद्दिही (हज़रत सबरा बिन मअबद जोहनी रज़ि.) कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''बच्चा जब सात साल का हो जाए तो उसे नमाज़ का हुक्म दो

أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا " .

और जब दस साल का हो जाए (और न पढ़े) तो उसे मारो।''

तखरीज 494: (सनद हसन) तिर्मिज़ी, किताबुस्सलातः 407, वक़ाल 'ह़सनुन स़ह़ीह़ुन' व स़ह़्ह़हु इब्ने ख़ुज़ैमाः 1002, वल ह़ाकिम अ़ला शर्ते मुस्लिमः 1/201

फ़वाइद व मसाइलः (1) इस हुक्म का तअ़ल्लुक़ बच्चे और बच्ची दोनों से है और मक़्सद यह है कि शऊर की उ़म्र को पहुँचते ही शरीअ़त के अवामिर व नवाही और दीगर आदाब की तल्क़ीन व मश्क़ का अ़मल शुरू हो जाना चाहिए ताकि बुलूग़त को पहुँचते पहुँचते उसके ख़ूब आ़दी हो जाएँ। **(2)** इस्लाम में जिस्मानी सज़ा का तस़व्वुर मौजूद है मगर बेतुका नहीं है। पहले तीन साल तक तो एक त़रह़ से वालिदेन का इम्तिह़ान है कि जुबानी तल्क़ीन से काम लें और ख़ुद अ़मली नमूना पेश करें। उसके बाद सज़ा भी दें मगर ऐसी जो ज़ख़्मी न करे और चेहरे पर भी न मारा जाए। क्योंकि चेहरे पर मारने से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना किया है। (सुनन अबी दाऊदः 4493)

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " .

(495) जनाब अ़म्र बिन शुऐ़ब अपने वालिद (शुऐ़ब) से और वह (शुऐ़ब) अपने दादा (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि.) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अपने बच्चों को जब वह सात साल के हो जाएँ तो नमाज़ का हुक्म दो और जब दस साल के हो जाएँ (और न पढ़ें) तो उन्हें उस पर मारो और उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो।''

तखरीज 495: (स़ह़ीह़) अह़मदः 2/180, 182, व सनदुहू ह़सन

फ़वाइद व मसाइलः इस ह़दीस से कई अहम मसाइल मालूम होते हैं। जैसे यह कि जब बच्चे दस साल की उ़म्र को पहुँच जाएँ तो उनके बिस्तर अलग अलग कर दिये जाएँ। चाहे वह ह़क़ीक़ी भाई हों या बहनें

या भाई बहन मिले जुले। इस हुक्मे शरीअत की ह़िक्मत.... वल्लाहु आ'लम... यह हो सकती है कि शऊर की इब्तिदाई उम्र ही से बच्चों को ऐसी मज्लिस व महफ़िल से दूर कर दिया जाए, जिससे उनके ख़्यालात और आदात व अतवार के बिगड़ने और परागंदा होने का ख़तरा हो। गोया कि यह नबवी हुक्म मुंकरात (गलत कामों) के असरात से बचने और औलाद को बचाने का बेहतरीन ज़रिया है। नीज़ इस ह़दीस से नमाज़ की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। नमाज़ के सिवा दूसरा कोई शरई अमल ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में यह हुक्म हो कि सात साल की उम्र के छोटे छोटे बच्चों को इसके करने की तल्क़ीन व ताकीद की जाए और दस साल की उम्र को पहुँचकर न करने की सूरत में मारा पीटा जाए। नमाज़ न पढ़ने वाले शख़्स के बारे में मुतक़द्दिमीन अस्लाफ़ अहले इल्म के अक़्वाल दर्ज ज़ेल हैं, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई (रह.) कहते हैं कि (युक़्तलु तारिकुस्सलात) यानी तारिके सलात को क़त्ल कर दिया जाए। मक्हूल, ह़म्माद बिन यज़ीद और वकीअ बिन जर्राह़ कहते हैं, 'उससे तौबा कराई जाए, अगर वह तौबा कर ले तो दुरुस्त वरना क़त्ल कर दिया जाए।'' इमाम ज़ोहरी कहते हैं ''वह फ़ासिक़ है, उसको सख़्त सज़ा देकर जेल में डाल दिया जाए।'' इब्राहीम नखई, अय्यूब सख़्तयानी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम अह़मद बिन ह़ंबल, इस्हाक़ बिन राहवे (रहि.) और उलमा की एक जमाअत का क़ौल यह है, ''जो शख़्स शरई उज़्र के बग़ैर नमाज़ नहीं पढ़ता, यहाँ तक कि नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो जाता है तो ऐसा शख़्स काफ़िर है।'' (औनुल मअबूदः 2/115, तबअ जदीद)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيُّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ " وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهِمَ وَكِيعٌ فِي اسْمِهِ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِيُّ .

(496) दाऊद बिन सव्वार मुज़नी ने पिछली सनद से इसी के हम मअनी बयान किया और उसमें इज़ाफ़ा किया ''और जब तुममें से कोई अपनी किसी लौण्डी की अपने गुलाम से या नौकर से शादी कर दे तो (अब) उसकी नाफ़ से घुटनों के माबेन (बीच) की तरफ़ न देखे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं वकीअ को शैख़ के नाम में वहम हुआ है (दरह़क़ीक़त सव्वार बिन दाऊद है) अबू दाऊद तयालिसी ने यह ह़दीस रिवायत की है तो उसका नाम अबू ह़मज़ा सव्वार सैरफ़ी ज़िक्र किया है।

तखरीज 496: (सनद सहीह) अह़मदः 2/180

फ़ायदा: बच्चों को बिस्तरों में इख़्तिलात से बचाने का एहतिमाम करने के अलावा बड़ों को भी सिन्फ़ी मामलात में इंतिहाई मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लौण्डी बिला शुब्हा अपनी ज़रख़रीद और मिल्कियत है मगर जब उसकी अस्मत अक़्दे शरई से दूसरे के हवाले कर दी तो अब मालिक को भी उसकी तरफ़ ऐसी नज़र उठानी मना है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلاَةِ " .

(497) मुआज़ बिन अब्दुल्लाह बिन ख़ुबैब जोहनी से मरवी है (हिशाम बिन सअद ने कहा कि) हम मुआज़ बिन अब्दुल्लाह के यहाँ गए तो उन्होंने अपनी अहलिया से पूछा कि बच्चा कब नमाज़ पढ़े? तो उसने बताया कि हमारे यहाँ एक साहब थे, वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते थे कि आप (ﷺ) से इस बारे में पूछा गया तो आपने फ़र्माया, ''जब वह दाएँ बाएँ का फ़र्क़ समझने लगे तो उसे नमाज़ का हुक्म दो।''

तखरीज 497: **(सनद ज़ईफ़)** बैहक़ी: 3/84, तब्रानी फ़िस्सग़ीर: 1/99

फ़ायदा: सात साल की उम्र में बच्चे के शऊर में मुनासिब पुख़्तगी आ जाती है। नमाज़ के मामले में उस पर उससे पहले ही मेहनत शुरू कर देनी चाहिए।

﴾27﴿ باب بَدْءِ الأَذَانِ

बाब : 27
अज़ान की शुरुआत (इब्तिदा)

फ़ायदा: अज़ान बमअनी इत्तिलाअ व ऐलान। यानी मख़्सूस कलिमात के साथ लोगों को नमाज़ के वक़्त की इत्तिलाअ देना। बुलंद आवाज़ से अज़ान कहना इस्लाम के ख़ास शआइर (अलामात) में से है। फ़ुक़्हा ने उसे वाजिब कहा है और कुछ मुस्तहब होने के क़ाइल हैं। उसके अल्फ़ाज़ में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तौहीद व किब्रियाई, रसूल की रिसालत के इज़्हार व ऐलान के साथ साथ रब्बे तआला की इज्तिमाई बंदगी की दअवत होती है और यह कि दुनिया व आख़िरत की फ़लाह का यही एक हक़ीक़ी रास्ता है। अज़ान के अल्फ़ाज़, मआनी और आहंग मुसलमानों को दुनिया की तमाम

मिल्लतों से हर एतिबार से मुमताज़ करते हैं।

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، - وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ - قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، - قَالَ زِيَادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، - عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ، لَهُ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ اهْتَمَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلاَةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاَةِ فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ - يَعْنِي الشَّبُّورَ - وَقَالَ زِيَادٌ شَبُّورَ الْيَهُودِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ " هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ " . قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ " هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى " . فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُرِيَ الأَذَانَ فِي مَنَامِهِ - قَالَ - فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ إِذْ أَتَانِي آتٍ

(498) जनाब अबू उमेर बिन अनस अपने एक अंसारी चचा से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) फ़िक्रमंद हुए कि किस तरह लोगों को नमाज़ के लिए (बरवक़्त) जमा किया जाए, तो आपसे कहा गया कि नमाज़ के वक़्त झण्डा बुलंद कर दिया करें। लोग जब उसे देखेंगे तो एक दूसरे को ख़बर कर दिया करेंगे मगर आपको यह राय पसंद न आई। फिर नरसिंघे का ज़िक्र किया गया जैसे कि यहूद का होता है। यह राय भी आपको पसंद न आई और फ़र्माया, ''यह यहूदियों का अमल है।'' फिर आपसे नाक़ूस का ज़िक्र किया गया तो आपने फ़र्माया, ''यह नसारा का अमल है।'' चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन अब्दे रब्बिही मज्लिस से लौटे तो वह इसी फ़िक्र में लगे हुए थे जिसमें कि रसूलुल्लाह (ﷺ) थे, तो उन्हें ख़्वाब में अज़ान बताई गई। चुनाँचे वह सुबह को रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे और आपको ख़बर दी और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मैं सोने जागने की कैफ़ियत में था कि मेरे पास एक आने वाला आया और मुझे अज़ान बता गया। (रावी ने कहा कि) हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) भी उनसे पहले यह अज़ान ख़्वाब में देख चुके थे मगर

فَأَرَانِي الأَذَانَ ‏.‏ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا - قَالَ - ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ ‏"‏ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ سَبَقَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ يَا بِلاَلُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ ‏.‏ قَالَ أَبُو بِشْرٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ الأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنًا ‏.‏

बीस दिन तक ख़ामोश रहे। फिर उन्होंने नबी (ﷺ) को बताया तो आपने फ़र्माया, ''हमें ख़बर देने से तुम्हें किस चीज़ ने रोका था?'' तो उन्होंने कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ेद मुझसे सब्क़त ले गए थे, इसलिए मुझे हया आई। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ऐ बिलाल (रज़ि.)! खड़े हो जाओ, देखो जो अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ेद (रज़ि.) तुम्हें बताएँ वह करो।'' चुनाँचे बिलाल ने अज़ान दी। अबू बिश्र कहते हैं कि अबू उ़मेर ने मुझे बताया कि अंसारियों का ख़्याल था कि अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ेद अगर उन दिनों बीमार न होते तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उन ही को मुअज़्ज़िन मुक़र्रर करते।

तखरीज 498: (सनद सहीह) सुनन बैहक़ी: 1/390, फ़त्हुल बारी: 2/81

﴾28﴿ باب كَيْفَ الأَذَانُ

बाब : 28
अज़ान कैसे दी जाए?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(499) जनाब मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन अ़ब्दे रब्बिही कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ेद (रज़ि.) ने बताया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नाक़ूस बनाने का हुक्म दिया ताकि उसे बजाकर लोगों को नमाज़ के लिए जमा

بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلاَةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى . قَالَ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ

किया जाए तो मैंने ख़्वाब में देखा कि मेरे पास से एक आदमी गुज़र रहा है, हाथ में नाक़ूस लिये हुए है। मैंने उससे कहा, ऐ अल्लाह के बन्दे! क्या तू नाक़ूस बेचेगा? उसने कहा, तुम इसका क्या करोगे? मैं ने कहा, हम इससे लोगों को नमाज़ के लिए बुलाएँगे। वह कहने लगा, क्या मैं तुम्हें वह चीज़ न बता दूँ जो इससे ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा, क्यूँ नहीं। उसने कहा, तुम यूँ कहा करो, (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर् रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर् रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फ़लाह, हय्य अलल फ़लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह) 'अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं, आओ नमाज़ की तरफ़, आओ नमाज़ की तरफ़, आओ कामयाबी की तरफ़, आओ कामयाबी की तरफ़, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह

اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلاَةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ " إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ " . فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ - قَالَ - فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ

सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा और कोई मअ़बूद नहीं।'' फिर वह मुझसे कुछ पीछे हट गया और कहा जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हो तो यूँ कहो (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर् रसूलुल्लाह, हय्या अ़लस्सलाह, हय्या अ़लल फ़लाह, क़द क़ामतिस्सलाह, क़द क़ामतिस्सलाह (नमाज़ खड़ी हो गई है, नमाज़ खड़ी हो गई है) अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह) जब सुबह हुई तो मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और जो कुछ ख़्वाब में देखा था आपको बतलाया। तो आपने फ़र्माया, ''यह इंशाअल्लाह सच्चा ख़्वाब है। तुम बिलाल के साथ खड़े हो जाओ और उसे वह कलिमात बताते जाओ जो तुमने देखे हैं। वह अज़ान कहेगा क्योंकि वह तुमसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ वाला है। चुनाँचे मैं बिलाल (रज़ि.) के साथ खड़ा हो गया और उन्हें वह अल्फ़ाज़ बताता गया और वह अज़ान कहते गए। हज़रत उमर (रज़ि.) अपने घर में थे, उन्होंने इसे सुना तो (जल्दी से) चादर घसीटते हुए आए, कहने लगे, क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मैंने भी यही ख़्वाब देखा है जैसे कि उसे दिखाया गया है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ता'रीफ़

مِثْلَ مَا رَأَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَلِلَّهِ الْحَمْدُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ " . وَقَالَ مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ " . لَمْ يُثَنِّيَا .

अल्लाह ही के लिए है।'' इमाम अबू दाऊद (रह) कहते हैं कि ज़ोहरी की सईद बिन मुसय्यिब से और उनकी अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ेद से रिवायत ऐसे ही है। उसमें इब्ने इस्हाक़ ने जोहरी से यही अल्फ़ाज़ नक़्ल किये हैं (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) जबकि मअ़मर और यूनुस ज़ोहरी से (सिर्फ़) अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) रिवायत किया है। उन्होंने दोहराकर ज़िक्र नहीं किया।

तखरीज 499ः (सनद हसन) इब्ने माजाः 706, व सह़ीहुत्तिर्मिज़ीः 189, व इब्ने ख़ुज़ैमाः 371, व इब्ने हिब्बानः 287

फ़वाइद व मसाइलः (1) सच्चे ख़्वाबों के बारे में अह़ादीस में आता है कि यह नबुव्वत का छियालीसवाँ हिस्सा होते हैं और बिल्उ़मूम इंसान के आ़माल व अफ़्कार और ख़्वाबों में मुताबिक़त हुआ करती है और यह ख़्वाब ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ेद और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) की फ़ित्री सआ़दत की दलील है। **(2)** चाहिए कि मुअज़्ज़िन बुलंद व शीरीं आवाज़ और उ़मदा लहजे वाला हो। **(3)** बेहतर है कि अज़ान और इक़ामत की जगहें मुख़्तलिफ़ हों। **(4)** ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) की अज़ान में अज़ान दोहरी और इक़ामत इकहरी ज़िक्र हुई है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الأَذَانِ . قَالَ

(500) जनाब मुह़म्मद बिन अ़ब्दुल मलिक बिन अबी मह़ज़ूरा अपने वालिद (अ़ब्दुल मलिक) से वह उनके (यानी मुह़म्मद के) दादा (ह़ज़रत अबू मह़ज़ूरा रज़ि.) से रिवायत करते हैं, (अबू मह़ज़ूरा) कहते हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मुझे अज़ान का त़रीक़ा सिखा दीजिए। चुनाँचे आपने मेरे सिर के अगले हिस़्से पर हाथ फेरा और

فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وَقَالَ " تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَإِنْ كَانَ صَلاَةَ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ".

फ़र्माया, ''यूँ कहा करो (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) इसमें तुम्हारी आवाज़ ख़ूब बुलंद होनी चाहिए फिर कहो (अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह) इन कलिमात में तुम्हारी आवाज़ क़द्रे पस्त हो। फिर ऊँची आवाज़ से कलिमाते शहादत (दोबारा) कहो (अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह हय्य अलल फ़लाह हय्य अलल फ़लाह) अगर फ़ज्र की नमाज़ हो तो कहो (अस्सलातु ख़ैरुम् मिनन्नौम, अस्सलातु ख़ैरुम् मिनन्नौम) 'नमाज़ नींद से बेहतर है। नमाज़ नींद से बेहतर है'' (अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह).

तखरीज 500: (सनद सहीह) तब्रानी फ़िल्कबीर: 7/174, 502 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल: (1) हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के दूसरे मुअज़्ज़िन हैं, जिनकी दरख़्वास्त पर आपने उन्हें अज़ान सिखाई। और यह वाक़िया ग़ज़्वा हुनैन से वापसी का है। **(2)** उस अज़ान में कलिमाते शहादत को दोहराकर कहा जाता है तो उसे तरजीअ वाली अज़ान कहते हैं। **(3)** तर्जीअ वाली अज़ान मस्नून है और हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) को मक्का में मुअज़्ज़िन मुक़र्रर किया गया था। उनके बाद उनकी औलाद भी इस मंसब पर फ़ाइज़ रही और वह इसी तरह अज़ान कहते रहे। कुछ लोगों का यह शुब्हा बेमअनी और बेदलील है कि हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) ने नौ मुस्लिम होने की बिना पर शहादत के कलिमात पर अपनी आवाज़ पस्त रखी थी, तो आपने

बुलंद आवाज़ से दोबारा दोहराने का हुक्म दिया था। **(4)** फ़ज्र की अज़ान में (अस्सलातु ख़ैरुम मिनन्नौम) कहना मस्नून और रसूलुल्लाह (ﷺ) की तालीम है। **(5)** हज़रत बिलाल और हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) दोनों की अज़ानों से साबित होता है कि अज़ान से पहले कोई कलिमात नहीं हैं। हत्ता कि (अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम) या (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) भी नहीं। इसी तरह आख़िर में (ला इलाहा इल्लल्लाह) के बाद मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह) भी नहीं है जैसाकि कुछ सादा लोह मुअज़्ज़िन करते हैं। मुब्तदेईन (बिदअतियों) और रवाफ़िज़ ने कलिमाते अज़ान में बहुत कुछ इज़ाफ़ा कर दिया है जिनकी शरीअत में कोई असल नहीं है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ، أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ وَفِيهِ " الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الأُولَى مِنَ الصُّبْحِ " .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَبْيَنُ قَالَ فِيهِ قَالَ وَعَلَّمَنِي الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى

(501) जनाब उस्मान बिन साइब अपने वालिद (साइब) से, वह और उम्मे अब्दुल मलिक बिन अबी महज़ूरा (यानी ज़ोजा अबू महज़ूरा) दोनों हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) से, वह नबी (ﷺ) से इस ख़बर की मानिन्द रिवायत करते हैं। इसमें है कि (अस्सलातु ख़ैरुम मिनन्नौम, अस्सलातु ख़ैरुम मिनन्नौम) पहली यानी सुबह की अज़ान में है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुसद्दद की हदीस ज़्यादा वाज़ेह है। इसमें है कि आपने मुझे इक़ामत सिखाई उसके कलिमात दो दो बार थे। (अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह हय्य अलल फ़लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह)

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने कहा, जब तू नमाज़ की इक़ामत कहे तो (क़द

الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ " وَإِذَا أَقَمْتَ الصَّلاَةَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ أَسَمِعْتَ " . قَالَ فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لاَ يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلاَ يَفْرِقُهَا لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَيْهَا .

क़ामतिस्सलात, क़द क़ामतिस्सलात दो बार कह। (रसूलुल्लाहस. ने जनाब अबू महज़ूरा रज़ि. से फ़र्माया) ''क्या तुमने सुन लिया?'' (यानी अज़ान व इक़ामत को समझ लिया है?) (साइब ने) कहा कि हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) अपने माथे के बाल काटा करते थे न माँग निकाला करते थे, इसी सबब से कि नबी (ﷺ) ने उन पर हाथ फेरा था।

तखरीज 501 (हसन) नसईः 634, व सह़हु इब्ने ख़ुज़ैमाः 1/201, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ (हः 1779)

फ़वाइद व मसाइलः (1) हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) की तर्जीअ़ वाली अज़ान हो तो तक्बीर दोहरी होगी जैसे कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) की अज़ान है। अज़ान हज़रत बिलाल वाली यानी बग़ैर तर्जीअ़ के हो तो तक्बीर इकहरी, जैसा कि पहले गुज़रा है। (2) ज़ेरे नज़र हदीस में सहीतरीन रिवायात में (अल्लाहु अकबर) के कलिमात चार बार हैं। (3) शैख़ अल्बानी (रह.) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) का यह अ़मल कि वह अपने माथे के बाल न काटते थे या उनमें माँग न निकालते थे, सही और साबित नहीं है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَجَّاجٌ، - وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الأَذَانُ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

(502) जनाब इब्ने मुहैरीज़ से रिवायत है कि हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें अज़ान के उन्नीस (19) और इक़ामत के सतरह (17) कलिमात सिखाए थे। अज़ान के कलिमात यह थे (अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना

اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَالإِقَامَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . كَذَا فِي كِتَابِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ .

मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह हय्य अलल फ़लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह) और इक़ामत के लिए यह कलिमात थे (अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह हय्य अलल फ़लाह क़द क़ामतिस्सलात क़द क़ामतिस्सलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह) (हम्माम बिन यहया की) किताब में ऐसे ही है।

तखरीज 502: सहीह मुस्लिम: 379

फ़ाइदा: रिवायत का आख़िरी जुम्ला इस वज़ाहत के लिए है कि हम्माम बिन यहया के हिफ़्ज़ के बारे में क़द्रे इख़्तिलाफ़ है, मगर यह हदीस इनकी किताब 'जुज़-ए-हदीस अबी महज़ूरा' में भी ऐसे ही है, लिहाज़ा मुअतमद है और यूँ कोई एतराज बाक़ी न रहा।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، -يَعْنِي عَبْدَ الْعَزِيزِ - عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ أَلْقَى

(503) जनाब इब्ने मुहैरीज़ हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बज़ाते ख़ुद मुझे अज़ान सिखाई आपने फ़र्माया कि कहो (अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला

عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ " قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ - قَالَ ثُمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " .

इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह) दो दो बार.... आपने फ़र्माया, ''इन्हें दो बार कहो और ऊँची आवाज़ से कहो, (अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सला, हय्य अलस्सला, हय्य अलल फ़लाह हय्य अलल फ़लाह क़द क़ामतिस्सलात क़द क़ामतिस्सलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह)

तखरीज 503: (सहीह) नसाई: 633, व इब्ने माजा: 708

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَحْذُورَةَ، يَقُولُ أَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

(504) जनाब इब्ने मुहैरीज़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अज़ान का एक एक हर्फ़ सिखाया (अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " . قَالَ وَكَانَ يَقُولُ فِي الْفَجْرِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ .

मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह ह़य्या अलस्सलाह ह़य्या अलस्सलाह ह़य्य अलल फ़लाह ह़य्या अलल फ़लाह) बयान किया कि और वह फ़ज्र की अज़ान में (अस्सलातु ख़ैरुम मिनन्नौम) कहा करते थे।

तखरीज 504: (सहीह) पिछली हदीसें देखें

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، - يَعْنِي الْجُمَحِيَّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيِّ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأَذَانَ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ أَذَانِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ قُلْتُ حَدِّثْنِي عَنْ أَذَانِ أَبِيكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ

(505) जनाब अब्दुल्लाह बिन मुहैरीज़ जुमही ह़ज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें अज़ान सिखाई कि यूँ कहें (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह...) फिर इब्ने जुरैज अन अब्दुल अज़ीज़ बिन अबदुल मलिक की ह़दीस में मरवी अज़ान की मानिन्द और उसी के हम मअ़नी बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, मालिक बिन दीनार की ह़दीस में है, मैंने इब्ने अबी महज़ूरा से कहा कि मुझे अपने वालिद की अज़ान सुनाओ जो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते थे, तो उन्होंने सुनाई और सिर्फ़ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) कहा और ऐसे ही जअ़फ़र बिन सुलेमान की रिवायत में है जो वह इब्ने अबी महज़ूरा से वह अपने चचा से और वह उसके दादा से बयान करते हैं। मगर उसमें है कि फिर आपने फ़र्माया, "दोबारा दोहराई और अपनी आवाज़ ऊँची करो (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर)

तखरीज 505: (सनद ज़ईफ़) हाज़ा

فَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ " . قَطُّ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " ثُمَّ تَرَجَّعْ فَتَرَفَّعْ صَوْتَكَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ " .

मुख़्तसरु, तिर्मिज़ीः 191, व मुहम्मद बिन अ़ब्दुल मलिक इब्ने अबी महज़ूरा (हः 500 में देखें।) और तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे 'ह़दीसुन सह़ीहुन' कहा है

मल्हूज़ा (नोट): सहीतर रिवायात में (अल्लाहु अकबर) चार बार है और तर्जीअ़ (दूसरी मर्तबा दोहराना) सिर्फ़ शहादतैन के कलिमात में है।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ أُحِيلَتِ الصَّلاَةُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ - قَالَ - وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلاَةُ الْمُسْلِمِينَ - أَوْ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ - وَاحِدَةً حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَّ رِجَالاً

(506) जनाब इब्ने अबी लैला (रह.) कहते हैं कि नमाज़ तीन हालतों से गुज़री है। हमारे अस्हाब ने हमसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मुझे यह बात पसंद है कि मुसलमानों।'' या फ़र्माया, 'मोमिनों की नमाज़ एक हो (यानी जमाअ़त से अदा करें) यहाँ तक कि मेरा दिल चाहा कि कुछ लोगों के मह़ल्लों में भेजूँ जो वहाँ जाकर ऐलान करें कि नमाज़ का वक़्त हो गया है। मैंने यहाँ तक चाहा कि वह ऊँचे मकानों या क़िलों के ऊपर खड़े होकर मुसलमानों में ऐलान करें कि नमाज़ का वक़्त हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने नाक़ूस बजाए या नाक़ूस बजाने का इरादा किया।'' इस (इब्ने अबी लैला) ने बयान कि एक अंसारी आए (अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अ़ब्दे रब्बिही) और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! जब मैं (आपके यहाँ से) वापिस गया था तो मुझे आपकी फ़िक्रमंदी का ख़याल था। चुनाँचे मैंने (ख़्वाब में) देखा कि एक आदमी है जिस पर सब्ज़ रंग

فِي الدُّورِ يُنَادُونَ النَّاسَ بِحِينِ الصَّلاَةِ وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالاً يَقُومُونَ عَلَى الآطَامِ يُنَادُونَ الْمُسْلِمِينَ بِحِينِ الصَّلاَةِ حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا أَنْ يَنْقُسُوا " . قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ - لِمَا رَأَيْتُ مِنَ اهْتِمَامِكَ - رَأَيْتُ رَجُلاً كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ وَلَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى أَنْ تَقُولُوا - لَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ يَقْظَانًا غَيْرَ نَائِمٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى " لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا " . وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو "

के दो कपड़े हैं। वह मस्जिद के पास खड़ा हुआ और अज़ान कही। फिर थोड़ी देर के लिए बैठ गया और फिर खड़ा हुआ और उसी तरह कहा और (क़द क़ामतिस्सलात) का इज़ाफ़ा किया। अगर मुझे लोगों की कानाफूसी का ख़्याल न होता..... इब्ने मुसन्ना ने कहा ... अगर मुझे तुम लोगों की कानाफूसी का ख़्याल न होता तो मैं कहता कि मैं जाग रहा था, सोया हुआ न था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, इब्ने मुसन्ना के लफ़्ज़ हैं 'तहक़ीक़ अल्लाह ने तुम्हें ख़ैर दिखलाई है।' अम्र ने यह लफ़्ज़ बयान नहीं किये (यानी लक़द अराकल्लाहु ख़ैरन) 'बिलाल को बतलाओ कि वह अज़ान कहे।'.. इब्ने अबी लैला रिवायत करते हैं कि ... (बाद में) हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, मैंने भी यही कुछ देखा है जैसे कि उसने देखा है। लेकिन चूँकि यह सब्क़त ले गया है, लिहाज़ा मुझे हया आई... (दूसरी हालत) उस (इब्ने अबी लैला) ने कहा, हमसे हमारे अस्हाब ने बयान किया कि .... जब कोई आदमी आता (और जमाअत हो रही होती) तो (वह अपने साथी से) पूछ लिया करता था और उसे बता दिया जाता था कि कितनी नमाज़ गुज़र चुकी है। और (बाद में आने वाले अक्सर लोग जमाअत में शामिल होकर पहले फ़ौतशुदा रकअतें अदा करते और फिर नबी (ﷺ) के साथ बक़िया नमाज़ अदा करते, चुनाँचे आपके

لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَمُرْ بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ " . قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنِّي لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ . قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلاَتِهِ وَإِنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي بِهَا حُصَيْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ . قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ فَقَالَ لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلَى قَوْلِهِ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ

साथ) खड़े होते हुए कोई क़याम में होता, कोई रुकूअ में और कोई जुलूस में और कोई (शुरू ही में) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ में मिल जाता।

इब्ने मुसन्ना ने कहा अ़म्र ने कहा कि मुझसे हुसैन ने इब्ने अबी लैला से बयान किया कि... यहाँ तक कि मुआ़ज़ आए... शुअ़बा ने कहा कि मैंने यह रिवायत हुसैन से सुनी, उसमें है कि... (मुआ़ज़ ने) कहा.... मैं आप (ﷺ) को जिस हाल में पाऊँगा (वही करूँगा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया) 'तुम भी वैसे ही किया करो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि फिर मैंने अ़म्र बिन मरज़ूक़ की हदीस की तरफ़ मुराजिअ़त की। (उसमें है कि) मुआ़ज़ (रज़ि.) आए तो लोगों ने उनकी तरफ़ (पढ़ी गई नमाज़ के बारे में) इशारा किया। शुअ़बा ने कहा, यह जुम्ला मैंने हुसैन से सुना है कि.. इस (इब्ने अबी लैला) ने कहा कि मुआ़ज़ (रज़ि.) ने जवाब दिया कि मैं तो आप (ﷺ) को (नमाज़ की) जिस हालत में पाऊँगा वही करूँगा (यानी सफ़ में मिलकर पहले फ़ौतशुदा रकअ़तें अदा नहीं करूँगा बल्कि उनको सलाम फ़ेरने के बाद अदा करूँगा।) चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मुआ़ज़ ने तुम्हारे लिए एक उ़म्दा तरीक़ा इख़्तियार किया है तो तुम भी ऐसे ही किया करो।'' (यानी इमाम के साथ उस हाल में मिल जाया करो जिसमें उसे पाओ।

फَجَاءَ مُعَاذٌ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ - قَالَ شُعْبَةُ وَهَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ - قَالَ فَقَالَ مُعَاذٌ لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا . قَالَ فَقَالَ إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً كَذَلِكَ فَافْعَلُوا . قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ فَأُمِرُوا بِالصِّيَامِ . قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ

तीसरी हालत तहवीले क़िब्ला की है जिसका ज़िक्र इस रिवायत की बजाए अगली रिवायत में है। अब उसके बाद रोज़ों की तीन हालतों का बयान है। पहली हालत) इब्ने अबी लैला ने कहा कि हमारे अस्हाब ने हमसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मदीने में आए तो अहले मदीना को (हर माह) तीन रोज़े रखने का हुक्म दिया। फिर रमज़ान का हुक्म नाज़िल हुआ। लोग रोज़ों के आदी न थे और यह अमल उनके लिए बेहद मुश्किल था तो जो रोज़ा न रखता एक मिस्कीन को खाना खिला देता था (यह पहली हालत थी।) यहाँ तक कि यह आयते करीमा नाज़िल हुई (फ़मन शहिद मिन्कुमुश्शहर फ़ल्यसुम्ह) 'तुममें से जो कोई इस महीने को पाए तो बिज़रूर इसके रोज़े रखे।' इस तरह रुख़्सत सिर्फ़ मरीज़ और मुसाफ़िर के लिए रह गई और (दूसरों को) रोज़े रखने का हुक्म दिया गया। (यह रोज़े की दूसरी हालत बयान हुई। आगे तीसरी हालत का बयान है।)

(इब्ने अबी लैला ने) कहा कि हमारे अस्हाब ने हमसे बयान किया कि (इब्तिदा में) जब आदमी इफ़्तार कर लेता था और खाना खाने से पहले सो जाता तो फिर सुबह तक कुछ न खा सकता था। बयान किया कि (फिर ऐसे हुआ कि) हज़रत उमर (रज़ि.) (घर) आए और अपनी बीवी (से सोहबत) का क़सद किया। उसने जवाब दिया कि मैं

يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ . قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ نِمْتُ فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ فَأَتَاهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ فَقَالُوا حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا فَنَامَ فَلَمَّا أَصْبَحُوا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ } أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ { .

एक बार सो चुकी हूँ। मगर उन्होंने समझा कि शायद बहाना बना रही है लिहाज़ा वह उसके पास आए। (यानी इससे हमबिस्तरी की। इसी तरह) एक दूसरा अंसारी (घर) आया और खाना तलब किया। उन्होंने कहा कि (ज़रा इंतिज़ार करें) हम आपके लिए कुछ गर्म कर देते हैं, मगर उस बीच में वह ख़ुद सो गया, तो जब सुबह हुई तो यह आयत उतरी (उहिल्ल लकुम लैलतस् सियामिर्रफ़सु इला निसाइकुम) 'तुम्हारे लिए (रमज़ानुल मुबारक में) रोज़े की रात में अपनी औरतों (बीवियों) के साथ हम बिस्तरी (और सोहबत) करना हलाल कर दिया गया है।' (और आगे चलकर इसी आयत में सारी रात तुलूअे फ़ज्र तक, खाने पीने की इजाज़त दी गई।)

तखरीज 506: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ी: 3/93, 94, व सहहहू इब्ने ख़ुज़ैमा: 383

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ أُحِيلَتِ الصَّلاَةُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ وَأُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ

(507) इब्ने अबी लैला हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) से बयान करते हैं कि नमाज़ और रोज़े के अहवाल में तीन तीन तब्दीलियाँ आई हैं। नस्र ने तफ़सील से हदीस बयान की। और इब्ने मुसन्ना ने इसमें से सिर्फ़ नमाज़ के बारे में बयान किया कि लोग पहले बैतुल मक़्दिस की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ते थे (इस) तीसरे हाल की तफ़्सील इस तरह बयान की कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीने में आए और तेरह महीने तक बैतुल मक़्दिस की तरफ़ चेहरा

وَسَاقَ نَصْرٌ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَاقْتَصَّ ابْنُ الْمُثَنَّى مِنْهُ قِصَّةَ صَلاَتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَطُّ قَالَ الْحَالُ الثَّالِثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى - يَعْنِي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ - ثَلاَثَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ } قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ { فَوَجَّهَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْكَعْبَةِ . وَتَمَّ حَدِيثُهُ وَسَمَّى نَصْرٌ صَاحِبَ الرُّؤْيَا قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَقَالَ فِيهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

करके नमाज़ पढ़ते रहे, तब अल्लाह तआला ने आयते करीमा (क़द नरा तक़ल्लुब वज्हिक...) 'बेशक हम आपका आसमान की तरफ़ बार बार चेहरा उठाना देखते हैं तो हम बिज़रूर आपका रुख़ आपके पसंदीदा क़िब्ले की तरफ़ कर देंगे तो आप अपना चेहरा मस्जिदे हराम की जानिब कर लीजिए और तुम लोग जहाँ कहीं भी हो अपना रुख़ उसी की तरफ़ करो।' नाज़िल की। अल्ग़र्ज़ अल्लाह तआला ने आपका रुख़ कअबा की तरफ़ फेर दिया। और (इब्ने मुसन्ना की) हदीस (यहाँ) मुकम्मल हो गई। और नस्र बिन मुहाजिद ने साहिबे ख़्वाब का नाम ज़िक्र किया और कहा कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद के पास एक आदमी आया जो कि अंसार में से था, उस (नस्र) की रिवायत में है... चुनाँचे वह आदमी (ख़्वाब में) क़िब्ला रुख़ हुआ और कहा (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अश्हुद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह) दो बार (हय्या अलल फ़लाह) दो बार (अल्लाहु अकबर. ला इलाहा इल्लल्लाह) फिर कुछ देर ठहरा, फिर खड़ा हुआ और इसी तरह कहा, मगर (हय्या अलल फ़लाह) के बाद (क़द क़ामतिस्सलात) कहा। तो

رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ أَمْهَلَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ زَادَ بَعْدَ مَا قَالَ " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " . قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقِّنْهَا بِلاَلاً " . فَأَذَّنَ بِهَا بِلاَلٌ وَقَالَ فِي الصَّوْمِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ { إِلَى قَوْلِهِ { طَعَامُ مِسْكِينٍ } فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَهَذَا حَوْلٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى } شَهْرُ

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह सब बिलाल को बताओ।' चुनाँचे बिलाल (रज़ि.) ने अज़ान कही।

और रोज़े के बारे में बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर महीने तीन रोज़े और आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। तब अल्लाह तआला ने हुक्म नाज़िल किया (कुतिबा अलयकुमुस्सियामु कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम.) 'तुम पर रोज़े रखने फ़र्ज़ किये गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किये गए थे ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। गिनती के अय्याम (दिन) हैं, तो जो तुममें से बीमार हो या सफ़र में तो दूसरे दिनों में उनकी गिनती पूरी करे और जो उसकी ताक़त रखते हैं (और रोज़ा नहीं रखना चाहते) तो उन पर एक मिस्कीन का खाना है।'' चुनाँचे जो चाहता रोज़ा रख लेता और जो चाहता छोड़ देता और हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला देता और यह उसके लिए काफ़ी होता था... यह एक हाल हुआ। फिर अल्लाह तआला ने यह हुक्म नाज़िल किया, (शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन...) 'रमज़ान का महीना ऐसा है कि इसमें क़ुरआन नाज़िल किया गया। लोगों के लिए हिदायत है (जिसमें) हिदायत की रोशन दलीलें हैं और (हक़ व बातिल में) फ़र्क़ करने वाला है। सो तुममें से जो इस महीने को पाये तो वह इसके रोज़े रखे

رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ { إِلَى { أَيَّامٍ أُخَرَ } فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ وَعَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ وَثَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ اللَّذَيْنِ لاَ يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ وَجَاءَ صِرْمَةُ وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

और जो बीमार हो या मुसाफ़िर तो दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी करे।' इससे लाज़िम आया कि जो इस महीने को पाये और मुक़ीम हो रोज़ा रखे और मुसाफ़िर क़ज़ा करे। बूढ़ा खूसट और बुढ़िया जो रोज़े की ताक़त नहीं रखते उनके ज़िम्मे खाना खिलाना हुआ... चुनाँचे हज़रत सिर्मा (रज़ि.) आए और वह सारा दिन काम करते रहे थे... और (नस्र बिन मुहाजिर ने) हदीस बयान की।

तखरीज 507ः (सनद ज़ईफ़) अहमदः 5/246, 247 अबू दाऊद तयालिसीः 566

फ़ायदाः हज़रत सिर्मा (रज़ि.) का क़िस्सा मुस्नद अहमद 5/246, 247 में यूँ है, 'एक सहाबी जिनका नाम सिर्मा था, सारा दिन रोज़े की हालत में काम करते रहे, जब शाम हुई तो अपने घर वालों के पास आए और कुछ खाये पिये बग़ैर नमाज़े इशा पढ़कर सो गये। यहाँ तक कि सुबह हो गई और रोज़ा रख लिया। नबी (ﷺ) ने उन्हें देखा कि वह बेहद निढाल थे। आपने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है कि इस क़द्र निढाल हो रहे हो?' उन्होंने बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मैं कल सारा दिन काम करता रहा, जब वापिस आया तो बस अपने आपको डाल दिया और सो गया और सुबह हो गई तो इसी तरह रोज़ा रख लिया। रावी ने बयान किया कि हज़रत उमर (रज़ि.) भी कुछ देर सो लेने के बाद अपनी किसी बीवी या लौण्डी के पास आए... और फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपना क़िस्सा बताया, तो अल्लाह तआला ने आयत नाज़िल की (उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिर्रफ़सु इला निसाइकुम... अल्आयत) 'तुम्हारे लिए हलाल है कि रोज़े की रात में अपनी बीवियों से हमबिस्तर हो सकते हो। वह तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जानों की ख़यानत करते थे तो उसने तुमको माफ़ कर दिया और दरगुज़र किया। सो मुबाशिरत करो अपनी औरतों से और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उसे तलब करो। और खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी स्याह धारी से नुमायाँ नज़र आने लगे, फिर रात तक रोज़ा पूरा करो।' (औनुल मअबूद)

नोट-मल्हूज़ः हदीस 506 और 507 को हमारे फ़ाज़िल शैख़ अली ज़ई (रह.) ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है। लेकिन इनके बाज शवाहिद सही अहादीस में मौजूद हैं। ग़ालिबन उन ही शवाहिद की वजह से

शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इन दोनों ह़दीसों की तस्ह़ीह़ की है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिए (अल्मौसूअतुल ह़दीसिया: 36/436, 442)

बाब : 29
इक़ामत का बयान

﴿29﴾ باب فِي الإِقَامَةِ

(508) ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) को हुक्म दिया गया कि अज़ान के कलिमात दो दो बार और इक़ामत के एक एक बार कहे। ह़म्माद ने अपनी ह़दीस में इज़ाफ़ा किया कि मगर इक़ामत। (यानी क़द क़ामतिस्सलात दो बार कहे।)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ . زَادَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ إِلاَّ الإِقَامَةَ .

तखरीज 508: सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अज़ान: 605, व मुस्लिम: 378

(509) जनाब ख़ालिद ह़ज्ज़ाअ ने अबू क़िलाबा से, उन्होंने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से... (ऊपर वाली) रिवायत वुहैब की तरह बयान की। इस्माईल (रावी) ने कहा, मैंने यह ह़दीस अय्यूब को बयान की तो कहा 'मगर इक़ामत' (यानी क़द क़ामतिस्सलात)

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ . قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَحَدَّثْتُ بِهِ، أَيُّوبَ فَقَالَ إِلاَّ الإِقَامَةَ .

तखरीज 509: सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अज़ान: 607, व मुस्लिम: 378

(510) ह़ज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में अज़ान के कलिमात दो दो बार कहे जाते थे और इक़ामत (तक्बीर) के एक एक बार। सिवा उसके कि मुअज़्ज़िन (क़द

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ، قَالَ إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ .

क़ामतिस्सलात. क़द क़ामतिस्सलात) कहा करता था (यानी दो बार) तो जब हम इक़ामत सुनते तो वुज़ू करके नमाज़ के लिए निकल पड़ते।

शुअबा (रह.) कहते हैं कि मैंने अबू जअफ़र से सिर्फ़ यही हदीस सुनी है।

तखरीज 510: (सनद सहीह) नसाई, किताबुल अज़ानः 629, व सहीहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 374, व इब्ने हिब्बानः 290, 291, हाकिमः 1/197, 198, इन्द अबी अवानाः 1/329, दारे कुत्नीः 1/239

फ़ायदाः सहाबा किराम (रज़ि.) उमूमन इक़ामत से पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाकर नमाज़ का इंतिज़ार करते थे, मगर इत्तिफ़ाक़ से कभी कोई चूक जाता तो इक़ामत सुनते ही झट वुज़ू करके नमाज़ के लिए आ जाता।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، - يَعْنِي الْعَقَدِيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى، مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الأَكْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ

(511) जनाब शुअबा, अबू जअफ़र मस्जिदे उर्यान के मुअज़्ज़िन से और वह अबू मुसन्ना मस्जिदे अकबर के मुअज़्ज़िन से रिवायत करते हुए कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से सुना और हदीस बयान की।

तखरीज 511: (सनद सहीह) पहली वाली हदीस देखें

फ़ायदाः मस्जिदे उर्यान और मस्जिदे अकबर ग़ालिबन कूफ़ा की दो मस्जिदों के नाम हैं।

बाब : 30
यह मसला कि एक शख़्स अज़ान कहे और दूसरा इक़ामत (तक्बीर कहे)

﴾30﴿ باب فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ آخَرُ

(512) जनाब मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह अपने चचा हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ेद (रज़ि.) से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने (शुरू में) अज़ान के बारे में कुछ चीज़ों का इरादा किया मगर उन पर अ़मल न किया। चुनाँचे अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ेद (रज़ि.) को ख़्वाब में अज़ान दिखलाई गई: तो वह नबी (ﷺ) के पास आए और आपको ख़बर दी। आपने फ़र्माया 'यह कलिमात बिलाल (रज़ि.) को बतलाओ।' चुनाँचे उन्होंने बतलाए और बिलाल (रज़ि.) ने अज़ान कही। अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा मैंने यह ख़्वाब देखा और मैं इसका ख़्वाहिशमंद था। फ़र्माया, 'तुम इक़ामत कह लो।'

तख़रीज 512: (सनद ज़ईफ़) अहमद: 4/42, बैहक़ी: 1/399, और बैहक़ी (रह.) ने इसकी सनद को सहीह कहा है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الأَذَانِ أَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَأُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ " أَلْقِهِ عَلَى بِلاَلٍ " . فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ " فَأَقِمْ أَنْتَ "

(513) जनाब मुहम्मद बिन अ़म्र अंसारे मदीना के मशाइख़ में से हैं। कहते हैं कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद को सुना, कहते थे कि मेरे दादा अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ेद (रज़ि.) यह हदीस बयान किया करते थे।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ

الأَنْصَارِ - قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَأَقَامَ جَدِّي .

(अ़ब्दुल्लाह बिन मुह़म्मद ने) कहा, चुनाँचे मेरे दादा ने इक़ामत (तक्बीर) कही।

तखरीज 513: (सनद ज़ईफ़) दारे क़ुत्नीः 1/245, : 951

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، - يَعْنِي الإِفْرِيقِيَّ - أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، قَالَ لَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - فَأَذَّنْتُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أُقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ " لاَ " . حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ وَقَدْ تَلاَحَقَ أَصْحَابُهُ - يَعْنِي فَتَوَضَّأَ - فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ هُوَ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ " . قَالَ فَأَقَمْتُ .

(514) ह़ज़रत ज़ियाद बिन ह़ारिस स़ुदाई (रज़ि.) का बयान है कि जब सुबह की पहली अज़ान का वक़्त हुआ तो नबी (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने अज़ान कही। फिर मैं कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! इक़ामत कहूँ? मगर आप मश्रिक़ की जानिब फ़ज्र को देखते और फ़र्माते 'नहीं!' यहाँ तक कि जब फ़ज्र (अच्छी त़रह) तुलूअ हो गई तो आप अपनी सवारी से उतरे और वुज़ू किया, फिर आप मेरी त़रफ़ आए और उस बीच में आपके स़ह़ाबा (रज़ि.) भी आपको आ मिले (बरज़ से मुराद है) आपने वुज़ू किया। ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) ने इक़ामत कहने का इरादा किया। तो नबी (ﷺ) ने बिलाल से फ़र्माया, 'इस स़ुदाई ने अज़ान कही है और जो अज़ान कहे वही इक़ामत कहे।' चुनाँचे मैंने इक़ामत कही।

तखरीज 514: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, किताबुस्स़लातः 199, व इब्ने माजाः 717

फ़ायदाः इस बाब की मज़्कूरा तीनों रिवायतें ज़ईफ़ हैं, इसलिए इनसे किसी मसले का इस्बात नहीं होता। लेकिन कुछ शवाहिद से साबित होता है कि मुअज़्ज़िन ही इक़ामत कहे तो मुनासिब है, ताहम अगर दूसरा इक़ामत कहे तो कोई ह़र्ज नहीं। (औनुल मअ़बूद, नैलुल अवत़ार)

﴾31﴿

باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

बाब : 31
बुलंद आवाज़ से अज़ान कहना

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلاَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا " .

(515) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मुअज़्ज़िन को जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है बख़्श दिया जाता है। और हर ख़ुश्क व तर चीज़ उसके लिए गवाही देती है। और जो जमाअत में हाज़िर होता है उसके लिये पच्चीस नमाज़ों का सवाब लिखा जाता और (दूसरी नमाज़ तक के) बीच के गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।''

तख़रीज 515: (सनद हसन) इब्ने माजाः 724, नसाईः 646, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 390, व इब्ने हिब्बानः 292

फ़वाइद व मसाइलः (1) मुअज़्ज़िन का यह शर्फ़ है कि इस क़द्र तवील व अरीज़ और वसीअ मग़्फ़िरत का मुस्तहिक़ बनता है। या यह एक तश्बीह व तम्सील है कि बिल्फ़र्ज़ उसके गुनाह इस क़द्र भी हों जो उतनी जगह में आए तो भी माफ़ कर दिये जाते हैं और जिस क़द्र बुलंद आवाज़ से अज़ान कहेगा उसी क़द्र मग़्फ़िरत का मुस्तहिक़ बनेगा। लिहाज़ा बुलंद आवाज़ से अज़ान कहना मुस्तहब और ताकीदी है। **(2)** अज़ान से और जमाअत में शिर्कत से सग़ीरा (छोटे-छोटे) गुनाह माफ़ होते हैं। कबाइर (बड़े-बड़े) गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा और हुक़ूक़ुल इबाद की अदायगी ज़रूरी है। वैसे अल्लाह की रहमत वसीअ है चाहे तो माफ़ कर दे।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

(516) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया 'जब नमाज़ के लिए अज़ान कही जाती है तो शैतान पीठ फेरकर पाद मारता हुआ पलट

" رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ وَيَقُولَ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَضِلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى" .

जाता है। (और इतनी दूर चला जाता है।) यहाँ तक कि अज़ान नहीं सुनता। जब अज़ान पूरी हो जाती है तो लौट आता है। फिर जब इक़ामत कही जाती है तो पीठ फेरकर चला जाता है। और जब इक़ामत हो जाती है तो लौट आता है और नमाज़ी के दिल में तरह तरह के ख़्यालात डालता है और कहता है यह याद कर, यह याद कर। ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो उसे याद न आती हों। यहाँ तक कि आदमी को ख़्याल ही नहीं रहता कि कितनी रकअतें पढ़ी हैं।''

तखरीज 516: सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ानः 608, मिन हदीसे मालिक बिही वहुवा फ़िल्मौत्ता (यहया): 1/69, 70, वल्क़अनबीः 88, व रवाहु मुस्लिमः 389/19

फ़वाइद व मसाइलः (1) बज़ाहिर शैतान से मुराद 'इब्लीस' ही है और मुम्किन है कि शयातीनुल जिन्न मुराद हों। **(2)** ज़ोर से और आवाज़ से शैतान से रीह का ख़ारिज होना दलील है कि अज़ान के मुबारक कलिमात में वज़न है। **(3)** अज़ान के वक़्त शोर करना शैतानी अमल के साथ मुशाबिहत है। **(4)** शैतान मुसलमान नमाज़ियों पर बार बार हमले करता है और नबी (ﷺ) ने भी इलाज बयान किया है कि ऐसी सूरत में तअव्वुज़ पढ़ा जाए और बाएँ तरफ़ फूँक मारी जाए। ख़्याल किया जाए कि बेनमाज़ी लोगों पर उसके हमले कितने सख़्त होंगे। **(5)** अज़ान में आवाज़ ख़ूब बुलंद करनी चाहिए, यह इस्लाम और मुसलमानों का शिआर (पहचान) है लेकिन आवाज़ की यह बुलंदी इस तरह और इस हद तक हो कि उसमें कराहत और भद्दापन पैदा न हो, क्योकि ऊँची आवाज़ के साथ अच्छी आवाज़ भी मतलूब और पसंदीदा है।

बाब : 32 मुअज़्ज़िन के लिए वाजिब है कि वक़्त की पाबन्दी करे।

﴿32﴾ باب مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ " .

(517) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''इमाम ज़ामिन और ज़िम्मेदार है और मुअज़्ज़िन अमीन और क़ाबिले ऐतिमाद है। ऐ अल्लाह! इमामों को (सही इल्म व अमल की) तौफ़ीक़ दे और मुअज़्ज़िनों को बख़्श दे।'

तख़रीज 517: (सनद हसन) तिर्मिज़ी, किताबुस्सलातः 207, अह्मदः 6/65, और इसकी सनद ह़सन है, व सह़्ह़हु इब्ने ख़ुज़ैमाः 3/16, व इब्ने हिब्बानः 362

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، - قَالَ وَلاَ أُرَانِي إِلاَّ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

(518) जनाब अबू सालेह़ कहते हैं मैं नहीं समझता मगर यह कि मैंने उसे हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ही से सुना है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया। और मज़्कूरा बाला हदीस की तरह रिवायत किया।

तख़रीज 518: (सनद हसन) अह्मदः 2/382, देखिए पहली वाली ह़दीस

फ़वाइद व मसाइलः (1) इमाम की ज़िम्मेदारी यह है कि सही सुन्नत के मुताबिक़ नमाज़ पढ़ाए। दुआओं में अपने मुक़्तदियों को शामिल रखे और सिर्फ़ अपने आप ही को मख़्सूस न कर ले वग़ैरह। (2) मुअज़्ज़िन का अज़ान देना ऐलाने आ़म होता है कि नमाज़, सेहर या इफ़्तार का वक़्त हो गया है। इसलिए उस पर ऐतिमाद किया जाना चाहिए और उस पर भी वाजिब है कि अपनी ज़िम्मेदार का ख़ूब एह्सास करे। (3) नमाज़ की इमामत और मुअज़्ज़िन बनना इस्लामी मुआ़शरे के इंतिहाई बावक़ार मनासिब हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इनकी फ़ज़ीलत बयान की है। इसलिए इन्हें कामिल इ़ज़्ज़त व एह्तिराम दिया जाए और बिला वजह इनकी तह़क़ीर और ऐबचीनी से बचा जाए दरअसल यह है कि यह मनासिब देख भालकर लायक़ फायक़ लोगों को दिये जाएँ।

बाब : 33
मीनार पर अज़ान कहना

﴿33﴾
باب الأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ قَالَتْ ثُمَّ يُؤَذِّنُ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً تَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ .

(519) बनू नज्जार की एक ख़ातून से रिवायत है उन्होंने कहा कि मेरा घर मस्जिद के अत्राफ़ (आसपास) के घरों में सबसे ऊँचा था। हज़रत बिलाल (रज़ि.) फ़ज्र की अज़ान उसी पर आकर दिया करते थे। वह सेहर के वक़्त आकर उस पर बैठ जाते और सुबह सादिक़ को देखते रहते जब सुबह को तुलूअ होता देखते तो अंगड़ाई लेते और कहते, ऐ अल्लाह! मैं तेरी ता'रीफ़ करता हूँ और क़ुरैश पर तुझ ही से मदद चाहता हूँ कि वह तेरे दीन को क़ायम करें। वह बयान करती हैं कि फिर अज़ान कहते। क़सम अल्लाह की! मुझे नहीं मालूम कि बिलाल ने किसी रात भी यह कलिमात छोड़े हों।

तखरीज 518: (सनद हसन) सुनन बैहक़ीः 1/425, इब्ने हिशामः 2/156 (बि तहक़ीक़ी) वक़ालल हाफ़िज़ः (1/120) इस्नाद हसन

फ़वाइद व मसाइल (1) ऊँची आवाज़ और ऊँची जगह से अज़ान कहना मुस्तहब है मगर आजकल के लाउड स्पीकरों ने यह कमी पूरी कर दी है। **(2)** हज़रत बिलाल (रज़ि.) के अज़ान से पहले दुआइया कलिमात किसी तरह भी अज़ान का हिस्सा न थे, बल्कि यह आम तरह की दुआ थी जिसमें कि वह काफ़ी देर से मशग़ूल होते और सुबह सादिक़ का इंतिज़ार कर रहे होते थे। क़ुरैश की हिदायत के लिए दुआ करने की वजह यह थी कि उस क़बीले को अरबों में बड़ी अहमियत हासिल थी उसकी मुख़ालिफ़त की वजह से आम अरब भी इस्लाम क़बूल करने से गुरैज़ कर रहे थे, जब अल्लाह ने इस क़बीले को क़बूले इस्लाम की तौफ़ीक़ से नवाज़ा तो फिर फ़ौज दर फ़ौज लोग इस्लाम में दाख़िल होने लगे।

﴾34﴿

بَابٌ فِي الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيرُ فِي أَذَانِهِ

बाब : 34
मुअज़्ज़िन अज़ान कहते हुए घूमे

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيعِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلاَلٌ فَأَذَّنَ فَكُنْتُ أَتَتَبَّعُ فَمَهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا . قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ بُرُودٌ يَمَانِيَةٌ قِطْرِيٌّ . وَقَالَ مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ بِلاَلاً خَرَجَ إِلَى الأَبْطَحِ فَأَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ . لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ وَسَاقَ حَدِيثَهُ .

(520) जनाब औ़न बिन अबी जुहैफ़ा अपने वालिद से रिवायत करते हैं वह कहते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचा जबकि आप मक्का में थे और एक ख़ेमे में ठहरे हुए थे जो कि लाल चमड़े का था। चुनाँचे ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) निकले और अज़ान कही और मैं उनका चेहरा देख रहा था कि दाएँ बाएँ फेरते थे। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) निकले और आप लाल रंग का हुल्ला (जोड़ा) ज़ेबतन (पहने) हुए थे और यह यमन की क़ित़री चादरें थीं। मूसा (दूसरी सनद के रावी और इमाम अबू दाऊद के उस्ताद) ने कहा, अबू जुहैफ़ा ने कहा मैंने बिलाल को देखा कि वह वादी अब्त़ह की त़रफ़ निकले और अज़ान कही। जब (ह़य्य अ़लस्स़लाह) और (ह़य्य अ़लल फ़लाह़) पर पहुँचे तो अपनी गर्दन को दाएँ बाएँ फेरा और ख़ुद पूरे नहीं घूमे। फिर अंदर आए और अपना भाला निकाला और (मूसा ने बाक़ी) ह़दीस बयान की।

तखरीज 520: स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुस्स़लातः 503

फ़वाइद व मसाइल (1) मुअज़्ज़िन का क़िब्ला रुख़ होना मुस्तहब है और जब वह (हय्य अलस्सलाह) और (हय्य अलल फ़लाह) कहे तो दाएँ बाएँ जानिब चेहरा करके यह कलिमात कहे। (2) हुल्ला उस लिबास को कहते हैं जिसमें चादर और तहबंद दोनो कपड़े एक ही जिंस के हों। (3) लाल रंग के लिबास की उमूमी तौर पर नही वारिद है और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो पहना है तो शारेहीन इसकी बाबत यह फ़र्माते हैं कि उसमें सुर्ख़ धारियाँ थीं। (वल्लाहु आ'लम) (4) अब्तह मक्का में सफ़ा मरवा की तरफ़ आने वाले रास्ते को कहते हैं। (5) शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत के अल्फ़ाज़, और ख़ुद पूरे नहीं घूमे' को शाज़ बल्कि मुंकर क़रार दिया है। (मुफ़स्सल सहीह सुनन अबू दाऊद लिल्अल्बानी हदीसः 533) इससे यह साबित हुई कि गर्दन के घूमने के साथ अगर जिस्म भी घूम जाए तो उसमें शरअन कोई क़बाहत (ख़राबी) नहीं।

बाब : 35
अज़ान और इक़ामत के दरम्यान दुआ की अहमियत

﴿35﴾ باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ " .

(521) सय्यदना अनस बिन मालिक (रज़ि.)से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, **''अज़ान और इक़ामत के बीच दुआ रद्द नहीं की जाती।''**

तख़रीज 521: (सनद सहीह) तिर्मिज़ी, अस्सलातः 212, वक़ाल 'हसनुन सहीहुन' व सनदुहू ज़ईफ़ुन, अहमदः 3/225, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 426, 427, व इब्ने हिब्बानः 296

फ़वाइद व मसाइल (1) मालूम हुआ कि यह वक़्त इंतिहाई क़ीमती होता है। नमाज़, दुआ, ज़िक्र और तिलावत में मशग़ूल रहकर इससे फ़ायदा उठाना चाहिए जबकि देखा गया है कि लोग यहाँ तक कि मसाजिद के ख़ादेमीन तक इस वक़्त को ज़ाया कर देते हैं। (2) इस वक़्त में दुआ क़बूल होती है बशर्तेकि दीगर आदाब व शराइत का लिहाज़ भी रखा गया हो, बिल्ख़ुसूस सेहत अक़ीदा, रिज़्के हलाल, सिद्के मक़ाल और इख़्लास व यक़ीने कामिल वग़ैरह।

बाब : 36
मुअज़्ज़िन को सुने तो क्या कहे?

﴿36﴾ باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " .

(522) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तुम अज़ान सुनो तो उसी तरह कहो जैसे मुअज़्ज़िन कहता है।'

तखरीज 522: सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ानः 611, व मुस्लिमः 383, व मौत्ताः 1/67 (वल्क़ुअनबी पेज 84, 85)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَحَيْوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ " .

(523) हज़रत अब्दुल्ललाह बिन अम्र बिन आस़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि उन्होंने नबी (ﷺ) को सुना, आप फ़र्माते थे, 'जब तुम मुअज़्ज़िन को सुनो तो उसी तरह कहो जैसे वह कहता है। फिर मुझ पर दुरूद भेजा। तहक़ीक़ जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें नाज़िल करता है। फिर मेरे लिए अल्लाह से वसीला तलब करो। बिला शुब्हा यह (वसीला) जन्नत में एक मंज़िल का नाम है जो अल्लाह के किसी एक बंदे को मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि वह मैं ही होऊँगा। सो जिसने मेरे लिए अल्लाह से वसीला तलब किया उसके लिए शफ़ाअत हलाल हो गई।

तखरीज 523: सहीह मुस्लिमः 384

फ़वाइद व मसाइल (1) जवाबे अज़ान का हुक्म इस्तिहबाब पर महमूल है और शरई उज्र के अलावा तमाम कैफ़ियतों में उसका जवाब देना चाहिए। हदस, जनाबत और हैज़ उससे मानेअ (रुकावट) नहीं हैं। नीज़ इक़ामत का जवाब भी उससे माख़ूज़ है। (इमाम नववी) (2) जवाब हर कलिमा पर देना चाहिए न कि अज़ान मुकम्मल होने पर। ताहम साथ साथ जवाब देने में कोई मअक़ूल रुकावट हो तो आख़िर में अज़ान का मुकम्मल जवाब देकर दुआएँ पढ़ ले। (3) दअवते अमल में तर्ग़ीब व तश्वीक़ का पहलू पेशेनज़र रखना चाहिए। नबी (ﷺ) ने दुरूद पढ़ने का अज्र उसी पहलू से इर्शाद फ़र्माया है। (4) आमाल में इख़्लास शर्त है।

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حُيَىٍّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي الْحُبُلِيَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ " .

(524) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत है कि एक शख़्स ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ! मुअज़्ज़िन हमसे फ़ज़ीलत ले जाएँगे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम भी वैसे ही कहा करो जैसे कि वह कहते हैं। जब तुम उससे फ़ारिग़ हो तो सवाल करो और दुआ माँगो, दिये जाओगे।'

तखरीज 524: (सनद हसन) अहमद: 2/172, व सहीह इब्ने हिब्बान: 295

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ

(525) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़र्माया, 'जिसने मुअज़्ज़िन को सुनकर यह कहा (व अना अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वह दहू ला शरीक लहू व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह. रज़ीतु बिल्लाहि रब्बंव्वबि मुहम्मदिन रसूलन वबिल्इस्लामि दीनन) 'और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा और कोई मअबूद नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक और साझी नहीं और मुहम्मद (ﷺ) उसके

बन्दे और रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने, मुहम्मद के रसूल होने और इस्लाम पर बहैसियत दीन के राज़ी हूँ।' तो वह बख़्शा गया।''

لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا غُفِرَ لَهُ " .

तख़रीज 525: सहीह मुस्लिमः 386

(526) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मुअज़्ज़िन को सुनते और वह शहादत के कलिमात कहता, तो आप फ़र्माते 'और मैं भी और मैं भी। (यानी शहादत देता हूँ।'')

तख़रीज 523: (सनद हसन) बैहक़ीः 1/409, व सहीहु इब्ने हिब्बान (अल्एहसान): 181, वल्हाकिमः 1/204, इब्ने अबी शैबाः 1/227

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ " وَأَنَا وَأَنَا".

फ़ायदाः मुहम्मद (ﷺ) बावजूद यह कि रिसालत के जलीलुल क़द्र मंसब पर फ़ाइज़ थे, अल्लाह की तौहीद और अपने रसूल होने के अव्वलीन मोमिन व मुसद्दिक़ थे। क़ुरआन मजीद में है (आमनर्रसूलु बिमा उंज़िला इलैहि मिर्रब्बिही वल्मोमिनून) (बक़रः 285) 'ईमान लाए रसूल उन सब पर जो उन पर उनके रब की तरफ़ से उतारा गया और मोमिनीन भी।'

(527) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया 'जब मुअज़्ज़िन कहे (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) तो तुम्हारा सुनने वाला भी कहे (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) और जब वह कहे (अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह) तो सुनने वाला भी कहे (अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह) फिर वह कहे (अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह) और यह भी कहे (अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

फिर वह कहे (ह़य्य अ़लस्सलात) और यह कहे (ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह) फिर वह कहे (ह़य्य अ़लल फ़लाह़) फिर वह कहे (ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह) फिर वह कहे (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) और यह कहे (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) फिर वह कहे (ला इलाहा इल्लल्लाह) और यह कहे (ला इलाहा इल्लल्लाह) यह सब कुछ दिल की गहराई से कहे, तो जन्नत में जाएगा।'

तखरीज 527: स़ह़ीह़ मुस्लिमः 385

फ़वाइद व मसाइल (1) जन्नत का दाख़िला तौह़ीद व रिसालत और शरीअ़त की क़ौल व अ़मल से तस्दीक़ ही पर मब्नी (Depanded) है और अज़ान उन सबकी जामेअ़ है। **(2)** ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का मअ़नी है कि 'किसी बुराई और शर से बचना और किसी नेकी या ख़ैर व सलाह़ की तौफ़ीक़ अल्लाह के बग़ैर मुम्किन नहीं।' **(3)** इस ह़दीस से अज़ान का जवाब देने की फ़ज़ीलत वाज़ेह़ है। अल्बत्ता ह़य्य अ़लस्सलाह और ह़य्य अ़लल फ़लाह़ के जवाब में ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहना है।

بَاب... مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

बाब : ... इक़ामत सुने तो क्या कहे?

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي

(528) अहले शाम के एक फ़र्द ने शहर बिन हुवेशिब से रिवायत किया उन्होंने अबू उमामा या नबी (ﷺ) के किसी दूसरे स़ह़ाबी से रिवायत किया कि ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) ने इक़ामत कहना शुरू की तो जब (क़द

أُمَامَةَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ بِلاَلاً أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا " . وَقَالَ فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ - رضى الله عنه - فِي الأَذَانِ .

क़ामतिस्सलात) कहा तो नबी (ﷺ) ने कहा (अक़ामहल्लाहु व अदामहा) 'अल्लाह इसे क़ायम व दायम रखे।' और दीगर कलिमात के जवाब में उसी तरह कहा जैसे कि मज़्कूरा बाला हज़रत उमर (रज़ि.) की हदीस में गुज़रा है।

तखरीज 528: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ी: 1/411, मिन हदीसे अबी दाऊद बिही

मल्हूज़ (नोट): यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम पिछले बाब की अहादीस से इस्तिदलाल किया जाता है कि इक़ामत का जवाब भी दिया जाए और (क़द क़ामतिस्सलात) के जवाब में भी यही अल्फ़ाज़ दोहराये जाएँ। तफ़्सील के लिए देखें (फ़त्हुल बारी 2/92)

﴿37﴾ باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

बाब : 37
अज़ान के बाद की दुआ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلاَّ حَلَّتْ

(529) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो शख़्स अज़ान सुनकर यह (दर्जे ज़ेल) दुआ पढ़े तो क़ियामत के रोज़ उसके लिए शफ़ाअत लाज़िम हो गई। (अल्लाहुम्म रब्ब हाज़िहिद्दअवतित् ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वब्अस्हु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी व अत्तहु) 'ऐ अल्लाह! इस कामिल पुकार और क़ायम रहने वाली नमाज़ के रब! मुहम्मद (ﷺ) को मंज़िले वसीला और

لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

फ़ज़ीलत से सरफ़राज़ फ़र्मा और उन्हें उस मक़ामे महमूद पर खड़ा कर जिसका तूने उनसे वादा किया है।'

तखरीज 529: सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ानः 614, अह्मदः 3/354

तौज़ीह (1) (दअ़वते ताम्मा) 'कामिल पुकार' से मुराद तौहीद व रिसालत की पुकार है। (सलाते क़ाइमा) 'क़ायम रहने वाली नमाज़' से मुराद यह है कि कोई मिल्लत इससे ख़ाली नहीं रही है और न किसी शरीअ़त ने इसे मंसूख़ ही किया है और ज़मीन व आसमान के बाक़ी रहने तक यह भी बाक़ी रहेगी। (वसीला) जन्नत की एक मंज़िल का नाम है। (मक़ामे महमूद) से मुराद वह मक़ाम है जहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) मैदाने हश्र मे मख़्लूक़ात के लिए शफ़ाअ़त की ख़ातिर सज्दा रेज़ होंगे और यह सज्दा सात दिन रात तक लम्बा होगा। आप फ़र्माते हैं कि इस सज्दे में मैं अल्लाह की ह़म्दो सना करूँगा जो उस वक़्त मुझे इल्हाम करेगा। तब मुझे हुक्म होगा कि सर उठाओ सिफ़ारिश करो क़बूल की जाएगी। (सहीह बुख़ारी, अत्तौहीदः 7440) (फ़ज़ीलत) से मुराद तमाम मख़्लूक़ात से बढ़कर आली मर्तबा। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) की शफ़ाअ़त का मुस्तह़िक़ बन जाना बहुत बड़ी फ़ज़ीलत और शर्फ़ का मक़ाम होगा, इसलिए हर मुसलमान को इसका ह़रीस होना चाहिए। जो महज़ तमन्नाओं और उम्मीदों से मुम्किन नहीं, उसे पाने के लिए क़ौल, तस्दीक़ और अ़मल ज़रूरी है।

﴿38﴾ باب مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

बाब : 38 मग़िब की अज़ान के वक़्त की दुआ

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ

(530) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे ता'लीम दी कि मग़िब की अज़ान के वक़्त यह (दर्जे ज़ेल) दुआ पढ़ा करूँ (अल्लाहुम्म इन्न हाज़ा इक़्बालु लैलिक व इदबारु नहारिक, व असवातु दुआतिक फ़ग़्फ़िर-ली) 'ऐ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ " اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي " .

अल्लाह! बेशक यह वक़्त है कि तेरी रात आ रही है, तेरा दिन जा रहा है और तेरी तरफ़ पुकारने वालों की सदाएँ हैं, लिहाज़ा तू मुझे बख़्श दे।''

तखरीज 530: (सनद हसन) तिर्मिज़ी, अद्दअवातः 3589, वक़ाल 'ग़रीबुन' व सह्हहुल हाकिमः 1/199

﴿39﴾ باب أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

बाब : 39 अज़ान पर उज्रत (मेहनताना) लेना?

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي . قَالَ " أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا" .

(531) हज़रत उस्मान बिन अबिल आस (रज़ि) कहते हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ! मुझे अपनी क़ौम का इमाम बना दीजिए। आपने फ़र्माया, ''तुम उनके इमाम हो और उनके ज़ईफ़ तरीन की इक़्तिदा (रिआयत) करना और मुअज़्ज़िन ऐसा मुक़र्रर करना जो अपनी अज़ान पर उज्रत न ले।'

तखरीज 531: (सनद सहीह) सुनन नसाईः 673, व सहीह हाकिमः 1/199, 201

मल्हूज़ (नोट): इस रिवायत का आख़िरी हिस्सा 'और मुअज़्ज़िन ऐसा मुक़र्रर करना जो अपनी अज़ान पर उज्रत न ले।' औला की तरफ़ इशारा है। यानी अफ़ज़ल व आला यही है कि यह मंसब किसी ऐसे शख़्स के सुपुर्द किया जाए जो अल्लाह की रज़ा के लिए यह काम करे। अगर ऐसा कोई शख़्स मयस्सर न हो तो तंख़्वाह पर मुअज़्ज़िन रखा जा सकता है क्योंकि इस अमल में एक अहम दीनी मस्लिहत है।

बाब : 40
वक़्त से पहले अज़ान कह दी जाए तो?

﴿40﴾ باب فِي الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ بِلاَلاً، أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ " أَلاَ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ أَلاَ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ " . زَادَ مُوسَى فَرَجَعَ فَنَادَى أَلاَ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

(532) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने (एक बार) तुलूअ़े फ़ज्र से पहले अज़ान कह दी, तो नबी (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ और ऐ़लान करो कि ख़बरदार! बेशक बंदा सो गया था। ख़बरदार! बेशक बंदा सो गया था। मूसा ने इज़ाफ़ा किया, चुनाँचे उन्होंने जाकर ऐ़लान किया, ख़बरदार! बेशक बन्दा सो गया था।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि इस ह़दीस को अय्यूब से सिवा ह़म्माद बिन सलमा के किसी ने रिवायत नहीं किया।

तखरीज 532: (सनद ह़सन) अब्द बिन हुमैदः 782, व अ़ल्लक़हुत्तिर्मिज़ीः 203, बैहक़ीः 1/383, आसारुस्सुननः 261

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ مُؤَذِّنٍ، لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ

(533) जनाब नाफ़ेअ़ (रह.) हज़रत उ़मर (रज़ि.) के मुअज़्ज़िन से रिवायत करते हैं, जिसका नाम मसरूह़ था कि उन्होंने (एक बार) फ़ज्र (स़ादिक़) से पहले ही अज़ान कह दी तो हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उन्हें हुक्म दिया, और पिछली वाली ह़दीस की त़रह रिवायत किया।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा कि ह़म्माद बिन ज़ेद ने उसे उ़बेदुल्लाह बिन उ़मर से, उन्होंने

اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَوْ غَيْرُهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ

नाफ़ेअ से या किसी दूसरे से नक़्ल किया है कि हज़रत उमर (रज़ि.) का एक मुअज़्ज़िन था जिसका नाम मसरूह या कुछ और था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, और दरावर्दी ने इसे उबेदुल्लाह से वह नाफ़ेअ से वह इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कहा कि हज़रत उमर (रज़ि.) के मुअज़्ज़िन का नाम मसऊद था। और इसके मिस्ल बयान किया और यह उससे ज़्यादा सही है।

तखरीज 533: (सनद हसन) इब्ने अबी शैबाः 1/222, तिर्मिज़ीः 203

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ، مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ بِلاَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ " لاَ تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا " . وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَدَّادٌ مَوْلَى عِيَاضٍ لَمْ يُدْرِكْ بِلاَلاً .

(534) शद्दाद मौला एयाज़ बिन आमिर हज़रत बिलाल (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें फ़र्माया, 'जब तक फ़ज्र इस तरह नुमायाँ न हो जाया करे, अज़ान न कहा करो।' और आपने अतराफ़ अर्ज़ में अपने दोनों हाथों को फैलाकर इशारा किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि शद्दाद मौला एयाज़ ने हज़रत बिलाल को नहीं पाया।

तखरीज 534: (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शैबाः 1/214, बैहक़ीः 1/384

फ़वाइद व मसाइल (1) फ़ज्र दो तरह से होती है। पहली को फ़ज्रे काज़िब और दूसरी को फ़ज्रे सादिक़ कहते हैं। सही इब्ने ख़ुज़ैमा और मुस्तदरक हाकिम में है कि हज़रत इब्ने अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फ़ज्र की दो क़िस्में हैं। एक फ़ज्र जिसमें खाना हराम और नमाज़ (नमाज़े फ़ज्र) हलाल होती है। और दूसरी वह है जिसमें नमाज़ (नमाज़े फ़ज्र) हराम और खाना (सेहरी का) हलाल होता है। मुस्तदरक हाकिम में है कि वह (फ़ज्रे सादिक़) जिसमें खाना हराम होता है उफ़ुक़ में तवील होती है और दूसरी (फ़ज्रे काज़िब) यह भेड़िये की दुम की तरफ़ फ़िज़ा में बुलंद होती है। (सही इब्ने ख़ुज़ैमाः 356, मुस्तदरक हाकिमः 1/191) **(2)** नमाज़ का

वक़्त होने से पहले अज़ान सही नहीं है। हाँ! अगर ग़लती से थोड़ा फ़र्क़ हो तो अज़ान के एआदा (लौटाने) की ज़रूरत नहीं। लेकिन वक़्फ़ा अगर बहुत ज़्यादा हो तो अज़ान दोहराई जाए और पहली के मुतअल्लिक़ ऐलान कर दिया जाए कि यह ग़लती से हुई है। ख़्याल रहे कि नमाज़े फ़ज्र की अज़ान के बारे में कुछ अस्हाबुल ह़दीस का मैलान यह है कि यह फ़ज्रे काज़िब में कही जाए ताकि सुबह़ सादिक़ होते ही नमाज़ खड़ी की जा सके और वह अंधेरे में पढ़ी जाए। इनकी दलील ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से मरवी वह ह़दीस है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया 'तुम्हें बिलाल की अज़ान सेहरी खाने से हर्गिज़ न रोके, बेशक वह रात में अज़ान कहते हैं ताकि तुम्हारा क़ियाम करने वाला मुतनब्बा हो जाए और सोने वाला जाग जाए।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, अल्अज़ान, बाब अल्अज़ानु क़ब्लल फ़ज्रः 621) इसके क़ाइल इमाम मालिक, औज़ाई, शाफ़ेई, अह़मद और इस्ह़ाक़ (रह़ि.) हैं। (ख़त्ताबी) मगर बुख़ारी मुस्लिम की यह रिवायत ह़क़ीक़त को निखारती है कि ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) और ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बिलाल रात में अज़ान कहते हैं तो खाओ पियो, यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) अज़ान दें। और (यह नाबीना थे) और उस वक़्त तक अज़ान न कहते थे जब तक उन्हें बता न दिया जाता कि सुबह़ हो गई! सुबह हो गई।'' (सह़ीह़ बुख़ारीः 617, सह़ीह़ मुस्लिमः 380, 381) मक़्सद यह है कि फ़ज्र तुलूअ होने ही पर फ़ज्र की अज़ान कहना राजेह़ है।

बाब : 41
नाबीने शख़्स का अज़ान कहना

﴿41﴾ باب الأذانِ لِلأَعْمَى

(535) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि ह़ज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुअज़्ज़िन थे और नाबीना थे।

तखरीज 535: सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुस्सलातः 381

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَعْمَى .

फ़ायदाः नाबीने शख़्स का अज़ान देना या इमामत का अहल होने की सूरत में इमामत कराना बिलकुल सही और जाइज़ है और अज़ान के बारे में ज़ाहिर है कि कोई दूसरा ही उसकी रहनुमाई करेगा और अजाकल तो ऐसी घड़ियाँ भी ईजाद हो चुकी हैं जिनसे ऐसे लोगों को वक़्त मालूम करने में कोई दिक़्क़त नहीं होती।

बाब : 42
अज़ान के बाद मस्जिद से निकलना

﴾42﴿ بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

(536) जनाब अबुश् शअसा बयान करते हैं कि हम हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) के साथ एक मस्जिद में बैठे थे कि मुअज़्ज़िन ने अस्र की अज़ान कही तो उसके बाद एक शख़्स मस्जिद से निकल गया। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने कहा, उसने हज़रत अबुल क़ासिम (रज़ि.) की नाफ़र्मानी की है।

तखरीज 536: सहीह मुस्लिम, अल्मसाजिद: 655

फ़ायदा: अज़ान हो जाने के बाद मअक़ूल शरई वजह के बग़ैर मस्जिद से निकलना जाइज़ नहीं है।

बाब : 43
मुअज़्ज़िन इमाम का इंतिज़ार करे

﴾43﴿ بَابٌ فِي الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ.

(537) हज़रत जाबिर नि समुरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) अज़ान कहते, फिर ज़रा देर रुकते, जब देखते कि नबी (ﷺ) तशरीफ़ ला रहे हैं तो इक़ामत कहते।

तखरीज 537: सहीह मुस्लिम, अल्मसाजिद: 606

फ़ायदा: इक़ामत कहने के लिए ज़रूरी नहीं कि पहले इमाम अपने मुसल्ले पर खड़ा हो तब ही इक़ामत कही जाए बल्कि इसे आता देखकर भी तक्बीर कहना जाइज़ है।

बाब : 44
तस्वीब का मसला

﴿44﴾ باب في التَّثْوِيبِ

(538) जनाब मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि मैं (एक बार) हज़रत इब्ने ज़मर (रज़ि.) के साथ था कि एक शख़्स ने ज़ुहर या अस्र में तस्वीब की (यानी अज़ान के बाद दोबारा ऐलान किया) तो उन्होंने फर्माया, मुझे यहाँ से ले चलो, बेशक यह बिदअ़त है।

तखरीज 538: (सनद हसन) बैहक़ी: 1/424, तिर्मिज़ी: 198, अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 1832

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ قَالَ اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ .

ताज़ी: तस्वीब से मुराद एक तो वह कलिमा है जो फज्र की अजान में कहा जाता है यानी (अस्सलातु ख़ैरुम मिनन्नौम) यह हक़ और मस्नून है, मगर यहाँ इससे मुराद वह ऐलानात वग़ैरह हैं जो अजान हो जाने के बाद लोगों को मस्जिद में बुलाने के लिए किये जाते हैं। इस मक़्सद के लिए कुछ हीला भी किया जाता है। मस्लन कहीं दुरूद शरीफ़ पढ़ा जाता है और कहीं तिलावते कुरआन की जाती है और कहीं साफ़ सीधा ऐलान भी किया जाता है कि जमाअ़त में इतने मिनट बाक़ी हैं तो ऐसी कोई सूरत भी जाइज़ नहीं। मुसलमानों पर वाजिब है कि नमाज़ का वक़्त हो जाने के बाद बरवक़्त नमाज़ के लिए हाज़िर हों। हाँ! मस्जिद की तरफ़ राह चलते हुए किसी सोये हुए को जगाना या ग़ाफ़िल और सुस्त लोगों को मुतनब्बा कर देना कि उठो! नमाज़ के लिए चलो, बिला शुब्हा जाइज़ और मत्लूब है। यह मम्नूआ तस्वीब में शुमार नहीं।

फ़वाइद व मसाइल: (1) हज़रत इब्ने ज़मर (रज़ि.) आख़िर में नाबीना हो गए थे इसलिए उन्होंने अपने क़ाइद (खिदमतगार) से कहा कि 'मुझे यहाँ से ले चलो।' (2) सहाबा किराम (रज़ि.) बिदअ़त और बिदअ़तियों से इंतिहाई नफ़रत करते थे और हज़रत इब्ने ज़मर (रज़ि.) का इत्तिबाओ सुन्नत का शौक़ मिसाली था।

बाब : 45
अगर इक़ामत के बाद इमाम न पहुँचा हो तो मुक़्तदी हज़रात बैठकर उसका इंतिज़ार करें (खड़े न रहें)

﴾45﴿
باب فِي الصَّلاَةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

(539) जनाब अब्दुल्लह बिन अबी क़तादा अपने वालिद से वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया, 'जब इक़ामत कह दी जाए तो जब तक मुझे (आता) न देख लो खड़े न हुआ करो।' इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, अय्यूब और हज्जाजुस्सवाफ़ ने यहया से ऐसे ही रिवायत किया है। (यानी सेग़ा 'अन' के साथ) और हिशाम दस्तवाई ने कहा, यहया ने मुझे लिखा। और इसे मुआविया बिन सल्लाम और अली बिन मुबारक ने यहया से रिवायत किया। इन दोनों ने इस रिवायत में कहा, '(उस वक़्त तक खड़े न हो) जब तक कि मुझे देख न लो और आराम व सुकून इख़्तियार करो।'

तख़रीज 539: सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ानः 637, व मुस्लिमः 604

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى . وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ يَحْيَى . وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى وَقَالاَ فِيهِ " حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ " .

फ़ायदाः मालूम हुआ कि कुछ औक़ात आप (ﷺ) की आमद से पहले भी इक़ामत कह दी जाती थी जबकि आपको पहले जमाअत का वक़्त होने की ख़बर दी जाती थी।

(540) यहया ने अपनी सनद से पिछली वाली हदीस के मिस्ल रिवायत किया। कहा '(उस वक़्त तक खड़े न हो) यहाँ तक कि मुझे देख लो कि मैं घर में से निकल आया हूँ।'
इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा कि (क़द ख़रज्तु) के लफ़्ज़ सिर्फ़ मअ़मर ने रिवायत किये हैं। इब्ने उ़येयना ने मअ़मर से रिवायत किया तो उसमें (क़द खरज्तु) के लफ़्ज़ बयान नहीं किये।
तखरीज 540: मुत्तफ़क़ुन अ़लैहि, पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ " حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ " قَدْ خَرَجْتُ " . إِلاَّ مَعْمَرٌ . وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ " قَدْ خَرَجْتُ " .

(541) ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिए नमाज़ की इक़ामत कही जाती और लोग नबी (ﷺ) के मुसल्ले पर तशरीफ़ लाने से पहले ही अपनी जगहें ले चुके होते थे। (यानी स़फ़ें बराबर कर चुके होते थे।)
तखरीज 541: स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अज़ानः 640, व मुस्लिम, अल्मसाजिदः 605,: 235 में देखें।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ قَالَ أَبُو عَمْرٍو ح وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الصَّلاَةَ، كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .

फ़ायदाः क़ाज़ी एयाज़ (रह़. का बयान है कि ऐसा शायद एक दो बार ही हुआ है। ग़र्ज़ इससे बयाने जवाज़ था या कोई और उ़ज़्र। और ग़ालिबन पहले ऐसा ही होता होगा और बाद में किसी वक़्त आपके आने में देर हो गई तो आपने फ़र्माया होगा 'जब तक मुझे देख न लो खड़े न हुआ करो।' (औ़नुल मअ़बूद)

(542) जनाब हुमैद कहते हैं कि मैंने साबित बुनानी से पूछा कि कोई आदमी इक़ामत हो जाने के बाद किसी से कोई बात करे (तो कैसा है?) तो उन्हों ने मुझे ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से यह ह़दीस सुनाई कि (एक बार) नमाज़ की इक़ामत कही गई और रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने एक आदमी आ

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ، يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاَةُ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ

فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ.

गया और उसने आपको (कुछ देर के लिए) रोके रखा जबकि इक़ामत कही जा चुकी थी।

तखरीज 542: सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ानः 643, 544 में देखें

फ़वाइद व मसाइलः (1) इक़ामत और तक्बीरे तह़रीमा में फ़ासला हो जाए तो कोई ह़र्ज नहीं और मुनासिब बात कर लेना भी जाइज़ है। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) इंतिहाई मुत्वाज़ेअ (सादा लोह) इंसान थे और सह़ाबा किराम (रज़ि.) की बेह़द दिलजोई फ़र्माया करते थे।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، كَهْمَسٍ قَالَ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ بِمِنًى وَالإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ فَقَعَدَ بَعْضُنَا فَقَالَ لِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَا يُقْعِدُكَ قُلْتُ ابْنُ بُرَيْدَةَ . قَالَ هَذَا السُّمُودُ . فَقَالَ لِي الشَّيْخُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِي الصُّفُوفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَوِيلاً قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ قَالَ وَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا ".

(543) कहमस कहते हैं कि वादी मिना में हम नमाज़ के लिए खड़े हुए और इमाम नहीं पहुँचा था, तो हममें से कुछ बैठ गए। मुझसे कूफ़ा के एक शैख़ ने कहा, तुम क्यूँ बैठ गए हो? मैं ने कहा, इब्ने बुरैदा कहते हैं कि यह कैफ़ियत (खड़े मुँह उठाए देखना) सुमूद है। (और यह कोई अच्छी बात नहीं) तो उस शैख़ ने मुझसे कहा, मुझसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन औसजा ने ह़ज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) से बयान किया कि हम रसूल (ﷺ) के ज़माने में तक्बीरे तह़रीमा कहे जाने से पहले लम्बी देर तक खड़े रहा करते थे। और बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो लोग पहली स़फ़ों से मिले हुए होते हैं, अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उन पर रह़मत नाज़िल करता और फ़रिश्ते उनके लिए दुआएँ करते हैं और अल्लाह के यहाँ उस क़दम से बढ़कर और कोई क़दम मह़बूब नहीं जिससे वह चलकर आता और स़फ़ को मिलाता है।''

तखरीज 543: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 2/20, व ह़दीसः (664)

(544) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नमाज़ के लिए इक़ामत कह दी गई और रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद की एक जानिब में (किसी के साथ) सरगोशी में मशग़ूल रहे औ आप नमाज़ के लिए आए तो लोगों को नींद आ रही थी।

तखरीज 544: सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ानः 642, व मुस्लिम, किताबुल हैज़ः 376 : 542 में देखें।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَجِيٌّ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ .

फ़ायदाः इस क़द्र तवील (लांग) इंतिज़ार रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसियत है। ताहम इससे यह बात साबित होती है कि तक्बीर के बाद इमाम किसी से ज़रूरी बात में मशग़ूल हो जाए तो अदबो एहतिराम का तक़ाज़ा है कि इमाम का इंतिज़ार किया जाए और उस पर इमाम को मत्ऊन (ताने) न किया जाए।

(545) सालिम अबुन्नज़्र (रह.) (ताबेई) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इक़ामत कहे जाने के बाद मस्जिद में हाज़िरीन को कम महसूस करते तो बैठ जाते और नमाज़ न पढ़ाते और जब देखते कि जमा हो गए हैं, तो नमाज़ पढ़ा देते।

तखरीज 545: (सनद सहीह) बैहक़ीः 2/20, वल्हदीसुल आती शाहिद लहू

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَآهُمْ قَلِيلاً جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ وَإِذَا رَآهُمْ جَمَاعَةً صَلَّى .

नोट मल्हूज़ः हदीस मुर्सल है यानी ताबेई (अबुन्नज़्र) बिला वास्ता नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं। शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह रिवायत ज़ईफ़ है, क्योंकि सहीह रिवायात की रू से सहाबा किराम (रज़ि.) नबी (ﷺ) का इंतिज़ार अज़ान के बाद करते थे, न कि तक्बीर के बाद।

(546) नाफ़ेअ बिन जुबैर, अबू मसऊद ज़ुरक़ी से वह हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से इसी के मिस्ल रिवायत करते हैं।

तखरीज 546: (सनद सहीह) बैहक़ीः 2/20, व इब्ने जुरैज सरह बिस्सिमाअ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - مِثْلَ ذَلِكَ .

बाब : 46 जमाअत छोड़ने पर इंकारे शदीद

﴿46﴾ باب فِي التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ " . قَالَ زَائِدَةُ قَالَ السَّائِبُ يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ الصَّلاَةَ فِي الْجَمَاعَةِ.

(547) हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, फ़रमाते थे 'जिस किसी गाँव या बस्ती में तीन फ़र्द भी हों और उनमें नमाज़ बाजमाअत का एहतिमाम न हो, तो शैतान उन पर मुसल्लत हो जाता है लिहाज़ा तुम जमाअत को लाज़िम पकड़ो। भेड़िया हमेशा दूर रहने वाली अकेली बकरी ही को खाता है।'

जनाब ज़ाइदा बयान करते हैं कि साइब ने कहा कि 'जमाअत' से मुराद बाजमाअत नमाज़ है।

तखरीज 547: सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ानः 637, व मुस्लिमः 604

फ़ायदाः (अलैक बिल्जमाअत) 'जमाअत को लाज़िम पकड़ो'। की ताकीद से मालूम हुआ कि मुसलमानों के लिए ज़ाहिरी व बातिनी फ़ित्नों से महफ़ूज़ रहने का बेहतरीन तरीक़ा 'नमाज़ बजमाअत' का एहतिमाम है। इस जुम्ले का दूसरा मफ़्हूम यह भी है कि इज्तिमाइयत का इल्तिज़ाम रखो और कोई अक़ीदा या अमल ऐसा इख़्तियार न करो जो जमाअते सहाबा के अक़ीदा व अमल के ख़िलाफ़ हो। जमाअत और इज्तिमाइयत में अदद और गिनती की अहमियत नहीं है क्योकि दीने इस्लाम की बुनियाद किताबुल्लाह और सुन्नते सहीहा पर है। इसके इख़्तियार करने ही में इज्तिमाइयत है ख़्वाह अफ़राद कितने ही कम हों और इस असल को छोड़ने में इफ़्तिराक़ है ख्वाह उनकी तादाद कितनी ही ज़्यादा क्यूँ न हो। देखिए हज़रत इब्राहीम (अ.) को अकेले होते हुए भी 'उम्मत' क़रार दिया गया है। (इन्ना इब्राहीमा कान उम्मतन क़ानितल लिल्लाहि हनीफ़....) (नहलः 120) 'बिला शुब्हा इब्राहीम (अ.) एक उम्मत थे अल्लाह के मुतीअ, यक्सू, और वह मुश्रिकीन में से न थे।'

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ " .

(548) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मेरा जी चाहता है कि नमाज़ की इक़ामत का हुक्म दूँ, फिर एक आदमी को कहूँ कि लोगों को नमाज़ पढ़ाए और ख़ुद ऐसे लोगों की तरफ़ जाऊँ जो नमाज़ (की जमाअत) में हाज़िर नहीं होते और मेरे साथ कुछ लोग हों जिनके पास लकड़ियों के गट्ठे हों फिर मैं उनके घरों को आग लगा दूँ।'

तखरीज 548: सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 651, सहीह बुख़ारी: 657

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ " . قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ يَا أَبَا عَوْفٍ الْجُمُعَةَ عَنَى أَوْ غَيْرَهَا قَالَ صُمَّتَا أُذُنَاىَ إِنْ لَمْ

(549) जनाब यज़ीद बिन असम कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) को सुना, वह कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मेरा जी चाहता है कि अपने जवानों को हुक्म दूँ कि लकड़ियों के गट्ठे (बंडल) इकट्ठे करें, फिर मैं उन लोगों की तरफ़ जाऊँ जो अपने घरों में नमाज़ें पढ़ते हैं, हालाँकि उन्हें कोई उज़्र नहीं है और उनके घरों को आग लगा दूँ।' (यज़ीद बिन यज़ीद ने कहा) मैंने (अपने शैख़) यज़ीद बिन असम से कहा, ऐ अबू औफ़! इससे आपकी मुराद जुम्आ (की नमाज़) थी या कुछ और? उन्होंने कहा, मेरे कान बहरे हो जाएँ अगर मैंने अबू हुरैरा (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीस

أَكُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْثِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلاَ غَيْرَهَا.

बयान करते हुए न सुना हो। उन्होंने जुम्आ या दूसरी नमाज़ का ज़िक्र नहीं किया। (यानी कोई तख़्सीस नहीं, जुम्आ समेत तमाम नमाज़ों की जमाअत का मसला है।)

तखरीज 549: सहीह मुस्लिम, मिन हदीसे यज़ीद बिन आसिम बिही व उंजुरुल हदीसस्साबिक़

फ़वाइद व मसाइल (1) मुंदर्जा बाला दोनों अहादीस के अल्फ़ाज़ तो ऐसे हैं जो नमाज़ के लिए 'जमाअत' के फ़र्ज़े ऐन होने का इशारा देते हैं। अगर यह आम सी सुन्नत होती तो उसके तर्क पर उन लोगों के घरों को आग लगाए जाने की शदीदतरीन वईद न सुनाई जाती। नमाज़ बाजमाअत अइम्मा उम्मत अता, औज़ाई, अहमद, अबू दाऊद, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने मुंज़िर और इब्ने हिब्बानः (रहि.) के नज़दीक 'फ़र्ज़े ऐन' है। दाऊद ज़ाहिरी ने जमाअत को सेहते सलात के लिए शर्त कहा है। तमाम तरह के दलाइल की रोशनी में इमाम बुख़ारी (रह.) इस हदीस को 'बाब वुजूबिल जमाअत' के ज़ेल में लाए हैं, और शैख़ शौकानी (रह.) ने इसे 'सुन्नते मुअक्कदा' लिखा है। **(2)** जब सिर्फ़ जमाअत छोड़ने पर इस क़द्र सख़्त वईद है तो जो लोग नमाज़ ही नहीं पढ़ते, वह कितनी बड़ी सज़ा का मुस्तहिक़ होंगे। बिला शुब्हा उनका दीने इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। **(3)** मिल्ली और इज्तिमाई उमूर में रख़्ना अंदाज़ी या उनसे पीछे रहना बहुत बड़ा जुर्म है, जैसाकि नबी (ﷺ) के इस इरादे के इज़्हार से वाज़ेह है कि 'मैं उनके घरों को आग लगा दूँ।'

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ حَافِظُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا

(550) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि इन पाँचों नमाज़ों की हिफ़ाज़त और पाबन्दी इख़्तियार करो जहाँ कहीं इनके लिए अज़ान कही जाए। क्योंकि नमाज़ों की (बा-जमाअत) पाबन्दी 'सुनने हुदा' में से है। (यानी हक़ व हिदायत की राह है।) और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने नबी के लिए हिदायत की सुन्नतें मशरूअ की हैं। और मैंने सहाबा किराम (रज़ि.) को देखा है कि वाज़ेह और खुले मुनाफ़िक़ के अलावा कोई भी जमाअत से पीछे न रहता था। और

وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم لَكَفَرْتُمْ .

मैंने सहाबा (रज़ि.) को देखा है कि एक आदमी को दो दो अफ़राद सहारा देकर लाते थे और उसे सफ़ में खड़ा कर दिया जाता था और तुम हो कि हर एक ने अपने घर ही में मस्जिद बना रखी है। अगर तुम अपने घरों में नमाज़ें पढ़ने लगो और मस्जिदों को छोड़ दो, तो अपने नबी (ﷺ) की सुन्नत को छोड़ बैठोगे। और अगर तुमने अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया तो काफ़िर हो जाओगे।

तखरीज 550: सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 654

फ़वाइद व मसाइल (1) जमाअत से पीछे रहना मुनाफ़िक़ीन की अलामात में से बताया गया है और यह उसके 'कबीरा गुनाह' होने से भी बढ़कर है। **(2)** नबी (ﷺ) की सुन्नतों से ऐराज़ का नतीजा बिल्आख़िर कुफ़्र तक पहुँचा सकता है। अआजनल्लाहु मिन्ह

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ مَغْرَاءٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ " . قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ " لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ مَغْرَاءٍ أَبُو إِسْحَاقَ .

(551) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिसने मुअज़्ज़िन को सुना और उसकी इत्तिबाअ करने में (यानी मस्जिद में आने से) उसे कोई उज़्र मानेअ (रुकावट) न हुआ... सुनने वालों ने पूछा... उज़्र से क्या मुराद है? फ़र्माया, 'कोई ख़ौफ़ या बीमारी। तो ऐसे आदमी की नमाज़ जो वह पढ़ेगा मक़्बूल न होगी।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मग़राअ से अबू इस्हाक़ ने रिवायत किया है।

तखरीज 551: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 793

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لاَ يُلاَئِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي قَالَ " هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً".

(552) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) से मरवी है कि मैंने नबी (ﷺ) से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ! मैं नाबीना आदमी हूँ, घर दूर है और मेरा क़ाइद (हाथ पकड़कर लाने वाला) मेरी मदद नहीं करता, तो क्या मेरे लिए रुख़्सत है कि अपने घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ? आपने फ़र्माया, 'क्या अज़ान सुनते हो?' उन्होंने कहा, हाँ! आपने फ़र्माया, 'मैं तेरे लिए रुख़्सत नहीं पाता।'

तख़रीज 552: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, किताबुल मसाजिदः 792, व हदीसे मुस्लिमः 653, व अहमदः 3/423

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَتَسْمَعُ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَحَىَّ هَلاً " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ " حَىَّ هَلاً " .

(553) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ! मदीने में कीड़े और दरिन्दे बहुत ज़्यादा हैं (क्या मेरे लिए रुख़्सत है कि घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ?) तो नबी (ﷺ) ने फ़र्माया (हय्या अलस्सलात) और (हय्या अलल फ़लाह) (की आवाज़) सुनते हो तो ज़रूर आओ।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, क़ासिम जरमी ने भी सुफ़्यान से ऐसे ही रिवायत किया है और इसकी रिवायत में (हय्या हला) 'ज़रूर आओ' के लफ़्ज़ नहीं हैं।

तख़रीज 553: (सनद सहीह) नसाई, अल्इमामतः 852, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 1478, अहमदः 3/423, सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 1479, वल्हाकिमः 1/247

फ़ायदा: यह और दीगर अहादीस वाज़ेह दलील हैं कि नमाज़ बाजमाअत वाजिब है। सब जानते हैं कि ख़ौफ़ के मौक़े पर भी सलाते ख़ौफ़ बाजमाअत ही मशरूअ है। और अस्हाबे ऐज़ार (माज़ूर लोगों) के लिए दलाइल से साबित है कि जमाअत से पीछे रहने की इजाज़त ज़रूर है मगर उस फ़ज़ीलत से महरूम रहेंगे। शाह वलिउल्लाह (रह.) ने हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में लिखा है कि जनाब अ़ब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) को रुख़सत न देने की वजह यह थी कि शायद उनका सवाल 'अ़ज़ीमत' के बारे में था जबकि नबी (ﷺ) ने हज़रत उत्बान बिन मालिक (रज़ि.) के घर में जाकर उनकी जाये नमाज़ का इफ़्तिताह किया था और मज़्कूरा बाला हदीस हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) में भी शरई उज़्र ख़ौफ़ या मर्ज़ का इस्तिस्ना मौजूद है।

बाब : 47
बाजमाअ़त नमाज़ अदा करने की फ़ज़ीलत

﴿47﴾
باب فِي فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ " أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ

(554) हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से मरवी है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें सुबह की नमाज़ पढ़ाई उसके बाद फ़र्माया, 'क्या फ़लाँ हाज़िर है?' लोगों ने कहा, नहीं! आपने पूछा 'क्या फ़लाँ हाज़िर है?' लोगों ने कहा नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बिला शुब्हा यह दो नमाज़ें मुनाफ़िक़ों पर सब नमाज़ों से भारी हैं (यानी इशा और फ़ज्र) और अगर तुम्हें मालूम हो कि इनमें क्या कुछ अज्रो सवाब है तो तुम इनमें ज़रूर आओ, अगरचे घुटनों के बल ही आना पड़े। और पहली सफ़ (अज्रो सवाब में) फ़रिश्तों की सफ़ की तरह है। अगर तुम्हें उसकी फ़ज़ीलत मालूम हो तो उसके लिए ज़रूर सब्क़त करो। इंसान की नमाज़ एक आदमी के साथ ज़्यादा अज्रो सवाब वाली है बनिस्बत उसके कि वह अकेला पढ़े। और उसकी नमाज़ दो

وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى " .

आदमियों के साथ ज़्यादा फ़ज़ीलत वाली है बनिस्बत उसके कि वह एक आदमी के साथ मिलकर पढ़े। जिस क़द्र अहले जमाअत की तादाद ज़्यादा होगी वह ज़्यादा पाकीज़ा और अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है।'

तखरीज 554: (सनद सहीह) अहमदः 4/140, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 1477, व इब्ने हिब्बानः 429, व रवाहू इब्ने माजाः 790, वन्नसाईः 844, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 1476 व इब्ने हिब्बानः 430

फ़वाइद व मसाइलः (1) तर्बियत और तज़्कीर के लिए नमाज़ियों की हाज़िरी लगाई जा सकती है। **(2)** इंसानी कमज़ोरी है कि वह दुनियावी और फ़ौरी फ़वाइद के लिए हर तरह की मशक़्क़त बर्दाश्त कर लेता है मुसलमान को चाहिए कि अपनी नज़र आख़िरत पर रखे। नौ ख़ैज़ बच्चों को तर्ग़ीब व शौक़ दिलाने की ख़ातिर अगर इन्आमात दिये जाएँ तो भी जाइज़ है। इसी तरह तब्लीग़ी इज्तिमाआत में दअवत वग़ैरह का एहतिमाम लोगों की रग़बत को बढ़ा सकता है। **(3)** बड़ी मस्जिद में हाज़िरीन की कसरत के लिहाज़ से अगरचे सवाब ज़्यादा है लेकिन अगर क़रीबी मस्जिद को आबाद करने की निय्यत से तर्जीह दी जाए तो इंशाअल्लाह! इसमें भी बहुत फ़ज़ीलत होगी।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، - يَعْنِي عُثْمَانَ بْنَ حَكِيمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ".

(555) सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिसने इशा की नमाज़ जमाअत से पढ़ी तो यह आधी रात के क़ियाम की तरह है और जिसने इशा और फ़ज्र की नमाज़ें बाजमाअत पढ़ीं तो यह पूरी रात के क़ियाम की तरह है।

तखरीज 555: सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिदः 656, अहमदः 1/68

फ़ायदाः और जो शख़्स यह नमाज़ें बाजमाअत पढ़ने के बाद रात को क़ियाम भी करे तो उसका मक़ाम बहुत ही ऊँचा होगा। वफ़्फ़क़नल्लाह

बाब : 48
नमाज़ के लिए पैदल चलकर जाने की फ़ज़ीलत

﴿48﴾ باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا "

(556) अ़ब्दुर्रहमान बिन सअ़द सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि, नबी (स.) ने फ़र्माया 'जो शख़्स जितना मस्जिद से दूर रहता है उतना ही ज़्यादा सवाब का हक़दार होता है।''

तखरीज 556: (सनद स़ह़ीह़) इब्ने माजा, अल्मसाजिदः 782, व स़ह़्ह़ुल ह़ाकिमः 1/208, व तोह़फ़तुल मोहताजः 1/432, : 489, 499, अह़मदः 1/68, व लहू शाहिद फ़ी स़ह़ीह़ मुस्लिमः 662

फ़ायदाः जो शख़्स जिस क़द्र ज़्यादा क़दम चलकर जाएगा और मशक़्क़त बर्दाश्त करेगा उसको उसी क़द्र सवाब भी ज़्यादा होगा।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ، حَدَّثَهُ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ . فَقَالَ مَا

(557) ह़ज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स था, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अहले मदीना में क़िब्ला रू होकर नमाज़ पढ़ने वालों में उसका घर सबसे दूर था और मस्जिद में कोई नमाज़ भी उससे न चूकती थी। मैंने उससे कहा, अगर आप एक गधा ख़रीद लें, गर्मी और अंधेरे में उस पर सवार हों, (तो सहूलत रहे।) उसने कहा, मैं यह पसंद नहीं करता कि मेरा घर मस्जिद के क़रीब हो। उसकी यह बात रसूलुल्लाह (ﷺ) को बताई गई। आपने उससे

أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي إِذَا رَجَعْتُ . فَقَالَ " أَعْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَنْطَاكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مَا احْتَسَبْتَ كُلَّهُ أَجْمَعَ

पूछा तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ! मेरी निय्यत यह है कि मेरा मस्जिद में आना और यहाँ से वापिस घर जाना सब ही लिखा जाए। तो आपने फ़र्माया, 'अल्लाह ने तुम्हें यह सब अ़ता फ़र्मा दिया। जिस अज्रो सवाब की तूने उम्मीद की है अल्लाह ने वह सब इनायत फ़र्मा दिया।'

तख़रीज 557: सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 663

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ" .

(558) ह़ज़रत अबू उमामा (रज़ि.) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो आदमी अपने घर से वुज़ू करके फ़र्ज नमाज़ के लिए निकलता है तो उसका अज्रो सवाब ऐसे है जैसे कि ह़ाजी एह़राम बाँधे हुए आए और जो शख़्स चाश्त की नमाज़ के लिए निकले और उस मशक़्क़त या उठ खड़े होने की ग़र्ज़ सिर्फ़ यही नमाज़ हो तो ऐसे आदमी का सवाब उमरा करने वाले की त़रह़ है। और एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ कि उन दोनों के बीच कोई लग़्व न हो। इल्लिय्यीन में इंद्राज का बाइस है।'

तख़रीज 558: (सनद ह़सन) अह़मद: 5/268

फ़वाइद व मसाइल: (1) नवाफ़िल घर में पढ़ना अफ़ज़ल है और मस्जिद में भी जाइज़ है। वैसे अल्फ़ाज़े ह़दीस में नमाज़े चाश्त के लिए मस्जिद में जाने की स़राह़त नहीं बल्कि सिर्फ़ नमाज़ के लिए उठने का बयान है। **(2)** इल्लिय्यीन उस दीवान का नाम है जिसमें अबरार (नेको) के आ'माल दर्ज किये जाते हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ وَلاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ أَوْ يُحْدِثْ فِيهِ " .

(559) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बाजमाअत नमाज़ घर या बाज़ार में अकेले नमाज़ (पढ़ने) की बनिस्बत 25 दर्जे ज़्यादा होती है। वह यूँ कि जब तुममें से कोई वुज़ू करे और कामिल और अच्छी तरह वुज़ू करे और मस्जिद में आए और उसकी निय्यत सिर्फ़ नमाज़ ही हो और नमाज़ ही ने उसे उठाया हो तो वह जो क़दम भी उठाएगा उससे उसका एक दर्जा बुलंद होगा और एक ग़लती माफ़ होगी यहाँ तक कि मस्जिद में दाख़िल हो जाए। और जब मस्जिद में दाख़िल हो जाए तो वह नमाज़ में शुमार होता है जब तक कि नमाज़ उसे रोके रखे। और जब तक कोई अपनी उस जगह पर बैठा रहे जहाँ उसने नमाज़ पढ़ी हो तो फ़रिश्ते उसके लिए दुआएँ करते हैं, 'ऐ अल्लाह! इसकी मग़्फ़िरत फ़र्मा। ऐ अल्लाह! इस पर रहम फ़र्मा। ऐ अल्लाह! इसकी तौबा क़बूल फ़र्मा।' और उनकी यह दुआ (उस वक़्त तक) जारी रहती है जब तक कि वह वहाँ किसी को ईज़ा (तक्लीफ़) न दे या बेवुज़ू न हो जाए।'

तखरीज 559: सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलातः 477, व मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 649

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ،

(560) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जमाअत के साथ नमाज़ 25 नमाज़ों के बराबर होती है। और जब कोई शख़्स

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاَةً فَإِذَا صَلاَّهَا فِي فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاَةً " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي الْحَدِيثِ " صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلاَةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

बयाबान में नमाज़ पढ़ता है और उसके रुकूअ और सुजूद को कामिल करता है तो उसका सवाब पचास नमाज़ों तक पहुँच जाता है।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने इस हदीस में कहा, 'बयाबान में नमाज़ (शहर और आबादी के अंदर) जमाअत की नमाज़ से दो गुना होती है।' और (अब्दुल वाहिद ने मुकम्मल) हदीस बयान की।
तखरीज 560: (सनद सहीह) इब्ने माजा, किताबुल मसाजिद: 788, व सहहहु इब्ने हिब्बान: 431, वल्हाकिम अला शर्तिश्शैख़ैन: 1/208

नोट मल्हूज़: यानी बयाबान में नमाज़ की फ़ज़ीलत दो चंद होती है। यह भी मालूम हुआ कि बयाबान में इंसान अकेला होते हुए भी अज़ान व इक़ामत कहकर नमाज़ पढ़े तो वह जमाअत है।

﴿49﴾ باب مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ فِي الظُّلَمِ

बाब : 49 अंधेरे में नमाज़ के लिए पैदल जाने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْكَحَّالُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(561) हज़रत बुरैदा (रज़ि.) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं आपने फ़र्माया, 'ख़ुशख़बरी दो, क़ियामत के दिन कामिल नूर की, उन लोगों को जो अंधेरों में मस्जिदों की तरफ़ चल चलकर आते हैं।'
तखरीज 561: (सनद सहीह) तिर्मिज़ी, किताबुस्सलात: 223, और कहा 'ग़रीब' है, इब्ने माजा: 780 व इब्ने ख़ुज़ैमा: 1499

फ़ायदा: इसमें आयते करीमा की तरफ़ इशारा है (नूरूहुम यस्आ बैना...) (तहरीम: 8) 'इनका नूर इनके आगे और दाएँ दौड़ता होगा। कहेंगे, 'ऐ हमारे रब! हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे और हमें बख़्श दे।'

बाब : 50
नमाज़ के लिए जाने का अदब

﴿50﴾ باب مَا جَاءَ فِي الْهَدْيِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو، حَدَّثَهُمْ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَىَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ " .

(562) जनाब अबू सुमामा हन्नात़ बयान करते हैं कि उन्हें ह़ज़रत कअ़ब बिन उ़जरा (रज़ि.) मिले जबकि वह मस्जिद को जा रहे थे। दोनों में से एक ने दूसरे को पाया। कहते हैं कि ह़ज़रत कअ़ब ने मुझे पाया कि मैं अपने हाथों की उँगलियों को एक दूसरी में दिये हुए था, तो उन्होंने मुझे उससे मना किया और कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है 'जब तुममें से कोई वुज़ू करे और अच्छी त़रह़ वुज़ू करे फिर मस्जिद का क़स्द करे तो अपने हाथों की उँगलियों को एक दूसरी में हर्गिज़ न दे। क्योंकि वह नमाज़ में है।'

तखरीज 562: (सनद ह़सन) अह़मदः 4/241, व स़ह़ीह़ु इब्ने ख़ुज़ैमाः 441, व इब्ने ह़िब्बानः 316 तिर्मिज़ीः 386

फ़वाइद व मसाइलः (1) इमाम बुख़ारी (रह़.) ने सही बुख़ारी की किताबुस़्सलात बाब तश्बीकुल असाबिअ़ फ़िलमस्जिद वग़ैरिही' में अह़ादीस पेश की हैं जिनसे इस अ़मल की रुख़्स़त साबित होती है और मज़्कूरा बाला ह़दीस भी सहीह है (शैख़ अल्बानी रह़.) इनमें जमा व तत़्बीक़ यह है कि नमाज़ के बीच में या नमाज़ की त़रफ़ जाते हुए ख़ास़ त़ौर पर यह अ़मल मना है और नही तंज़ीही है। इसके अ़लावा में नहीं। **(2)** मस्जिद को आते हुए उँगलियों को एक दूसरी में देना, उन्हें चिटख़ाना या इस त़रह़ के दूसरे ला यानी अ़मल मस्लन दौड़ना, इधर उधर ताक झाँक करना, फ़िज़ूलगोई और क़हक़हे लगाना वग़ैरह किसी त़रह़ मुनासिब नहीं है क्योंकि आदमी हुक्मन नमाज़ में होता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ حَضَرَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلاَّ احْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ كَانَ كَذَلِكَ " .

(563) जनाब सईद बिन मुसय्यिब बयान करते हैं कि एक अंसारी (रज़ि.) की मौत का वक़्त आ गया तो उसने कहा, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ और सिर्फ़ अज्र के लिए सुनाता हूँ। मैं ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़र्माते सुना है, 'जब तुममें से कोई वुज़ू करता है और अच्छी तरह करता है फिर नमाज़ के लिए निकलता है तो जब वह अपना दायाँ क़दम उठाता है तो अल्लाह तआला उसके लिए एक नेकी लिख देता है और वह बायाँ क़दम नहीं टिकाता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसकी एक ग़लती माफ़ कर देता है। तो जो चाहे (मस्जिद के) क़रीब रहे या दूर। (तुम्हारी मर्ज़ी है।) अगर वह मस्जिद में आकर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ता है तो उसकी मग़्फ़िरत कर दी जाती है। अगर वह मस्जिद में आया और लोग कुछ नमाज़ पढ़ चुके थे और कुछ बाक़ी थी तो जो उसे मिल गई उसने उनके साथ पढ़ी और बाक़ी को पूरा कर लिया तो ऐसे ही होगा। (यानी उसकी भी मग़्फ़िरत होगी।) और अगर वह मस्जिद में आया और लोग नमाज़ पढ़ चुके थे फिर उसने (अकेले ही) नमाज़ पूरी की तो भी ऐसे ही होगा। (यानी बख़्शा जाएगा।')

तख़रीज 563: (सनद हसन) बैहक़ी: 3/69, मिन हदीसे अबी दाऊद बिही

फ़ायदा: इस तरह की कई अहादीस हैं कि सहाबा किराम (रज़ि.) ने उन्हें अपने आख़िरी औक़ात में बयान किया है और वाज़ेह किया है कि कहीं हमें इल्म छुपाने का गुनाह न हो। दरअसल इन अहादीस

में अल्लाह तआला की रहमते आम्मा और आमाले ख़ैर पर इंतिहाई अज्रे अज़ीम का ज़िक्र आया है जिससे आम लोगों के लिए यह अंदेशा होता है कि चंद एक बार के अमल पर भरोसा कर बैठेंगे और फिर बेअमल हो जाएँगे। इसलिए उन सहाबा किराम (रज़ि) ने उनको खुले आम बयान नहीं किया बल्कि अपने आख़िरी औक़ात में कित्माने इल्म (इल्म छुपाने) के गुनाह के ख़ौफ़ से बयान किया, लिहाज़ा उलमा और वअ्आज़ (मुक़र्रिरों) को भी ऐसी अहादीस ख़ास इल्मी हल्क़ात और दाना (अक़्लमंद) लोगों की मजालिस ही में बयान करनी चाहिए।

बाब : 51
जो शख़्स नमाज़ की ग़र्ज़ से आया मगर देखा कि नमाज़ हो चुकी है?

﴾51﴿ باب فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلاَةَ فَسُبِقَ بِهَا

(564) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बायन करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिसने वुज़ू किया और अच्छी तरह से वुज़ू किया (यानी सुन्नत के मुताबिक़ कामिल वुज़ू) फिर (मस्जिद की तरफ़) गया मगर लोगों को पाया कि वह नमाज़ से फ़ारिग़ हो चुके हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ऐसे बन्दे को भी उतना ही अज्र इनायत फ़र्माता है जितना कि उसको जिसने जमाअत में हाज़िर होकर नमाज़ पढ़ी हो। और यह उनके अज्रों में किसी कमी का बाइस नहीं होता।'

तखरीज 564: (सनद हसन) सुनन नसाईः 856, व सह्हहुल हाकिमः 1/208, 209

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ طَحْلاَءَ - عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا " .

फ़ायदाः यह फ़ज़्ले अज़ीम उस शख़्स की हुस्ने निय्यत और जोहदे कामिल की बिना पर होता है।

बाब : 52
औरतों का मसाजिद में जाना

﴾52﴿ باب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ " .

(565) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिदों से मत रोको, लेकिन उन्हें चाहिए कि ज़ेबो ज़ीनत के बग़ैर निकलें।' (यानी सादा कैफ़ियत में आएँ।)

तख़रीज 566: (सनद हसन) अहमद: 2/438, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1679, व इब्ने हिब्बान: 327, इन्दल बुख़ारी फ़ित्तारिख़िल कबीर: 4/79

फ़ायदा: यह अमल औरतों के अपने शौक़ पर मब्नी है। अगर वह इजाज़त लेकर मस्जिद में आना चाहें तो रोका न जाए, सहाबियात आया करती थीं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वह बापर्दा और सादा लिबास में आएँ। ताहम अफ़ज़ल यही है कि औरतें घर में बापर्दा होकर नमाज़ पढ़ें। जैसाकि आइन्दा की मज़ीद अहादीस से वाज़ेह है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " .

(566) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मसाजिद से मना न करो।'

तख़रीज 566: सहीह बुख़ारी, किताबुल जुम्आ, बाब: 13, : 900, व मुस्लिम: 442

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ

(567) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अपनी औरतों को मसाजिद से मत रोको, मगर उनके घर उनके लिए बेहतर हैं।'

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ".

तखरीज 567: (सनद हसन) अह़मदः 2/76, व स़ह़ीह़ इब्ने ख़ुज़ैमाः 1684, ह़ाकिमः 1/209, व बैहक़ीः 3/131

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ " . فَقَالَ ابْنٌ لَهُ وَاللَّهِ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً وَاللَّهِ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ . قَالَ فَسَبَّهُ وَغَضِبَ وَقَالَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ائْذَنُوا لَهُنَّ " . وَتَقُولُ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ

(568) जनाब मुजाहिद (रह.) ने कहा कि हजरत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'औ़रतों को रात के वक़्त मसाजिद में जाने की ख़ातिर इजाज़त दे दिया करो।' इस पर उनके एक स़ाह़बज़दे ने उनसे कहा, क़सम अल्लाह की! हम उन्हें इजाज़त नहीं देंगे। वह उसे (बाहर निकलने का) एक बहाना बना लेंगी। क़सम अल्लाह की! हम उन्हें इजाज़त नहीं देंगे। तो ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने उसे बहुत सख़्त सुस्त कहा और नाराज़ हो गए। कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है 'उनको इजाज़त दो।' और तुम कहते हो कि हम उन्हें इजाज़त नहीं देंगे।

तखरीज 568: स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुस्स़लातः 442 व अ़ल्लक़हुल बुख़ारीः 865

फ़वाइद व मसाइलः (1) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने एक अहम मसला वाज़ेह़ किया है कि किसी मुसलमान के लिए जाइज़ नहीं कि रसूलुल्लह (ﷺ) के फ़र्मान के मुक़ाबले में अपनी सोच और फ़हम और इस्तिदलाल को अहमियत दे। इस पर इस़रार में कुफ़्र का अंदेशा है। क़ुरआन मजीद में है (मा काना लिमूमिनिन...) (अह़ज़ाबः 36) 'किसी भी मोमिन मर्द या औ़रत को ह़क़ नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फ़ैसला कर दें तो उन्हें अपने मामले का इख़्तियार है।' अफ़सोस है ऐसे मुसलमान कहलाने वालों पर जो अपने ज़ोक़ व मिज़ाज, आ़दात, रस्मो रिवाज और अपने इमाम के क़ौल पर ऐसे सख़्त होते हैं कि आयाते क़ुरआनिया की तावील और अह़ादीसे स़ह़ीह़ा का इंकार करते चले जाते हैं, ह़ालाँकि बड़े बड़े इमामों की अपनी सीरतें और उनके क़ौल इस मामले में

इंतिहाई साफ़ और बेमैल हैं। बतौर मिसाल इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का क़ौल है (इज़ा सह्हल हदीसु फ़हुव मज़्हबी) (हाशिया इब्ने आबेदीनः 1/68) 'सहीह हदीस मेरा मज़हब है।' (ला यहिल्लु लि अहदिन अंय्यअख़ुज़ा बिक़ौलिना मालम यअलम मिन ....) (अल्इंतिक़ाउ फ़ी फ़ज़ाइलिस्सलासतिल अइम्मत मिनल फ़ुक़्हाइ, लि इब्ने अब्दुल बर्र) 'किसी को रवा नहीं कि हमारा क़ौल इख़्तियार करे जब तक कि उसे यह मालूम न हो कि हमने उसे कहाँ से लिया है।' एक क़ौल के अल्फ़ाज़ यूँ हैं (हरामुन अला मल्लम यअरिफ़ दलीली अन युफ़्तिया बि कलामी) 'जिस शख़्स को मेरी दलील मालूम न हो, उसे मेरे क़ौल पर फ़त्वा देना हराम है।' ऐसे ही दीगर अइम्मा किराम (रह.) के क़ौल भी इस मफ़्हूम में साबित हैं। (रहि महुमुल्लाहु तआला) **(2)** इन अहादीस की रू से औरतों को मस्जिदों में जाने की इजाज़त है, मगर शर्त यह है कि बापर्दा हों, ख़ुश्बू और दीगर ज़ेबो ज़ीनत से मुबर्रा हों मगर अल्लाह तआला इस्लाहे हाल फ़र्माए, सूरतेहाल वाक़िअतन बहुत ख़तरनाक है। **(3)** इन अहादीस से यह इस्तिदलाल भी किया गया है कि शौहर अपनी बीवी को हज्ज या उमरा के सफ़र से नहीं रोक सकता क्योंकि यह सफ़र (मस्जिदे हराम) की तरफ़ होता है और यह तमाम मसाजिद से अफ़ज़ल है और हज्ज व उमरा शरई फ़राइज़ में से हैं। इसलिए इस्तिताअत की सूरत में शौहर को बीवी का यह जाइज़ और शरई मुतालबा अव्वलीन फ़ुर्सत में पूरा करने का एहतिमाम करना चाहिए।

बाब : 53
इस मसले में तश्दीद का बयान

﴾53﴿
باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

(569) अम्रा बिन्ते अब्दुर्रहमान से मरवी है उन्होंने बतलाया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) यह सूरते हाल देख लेते जो औरतों ने अपनाई है तो उन्हें मस्जिदों में आने से मना फ़र्मा देते जैसे कि बनी इस्राईल की औरतों को रोक दिया गया था। यहया (रह.) कहते हैं कि मैंने अम्रा से कहा कि क्या बनी इस्राईल की औरतों को उससे रोक दिया गया था? उन्होंने कहा, हाँ!

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ . قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي

إِسْرَائِيلَ قَالَتْ نَعَمْ .

तख़रीज 569: सहीह बुख़ारीः 869, मौत्ताः 1/198, क़अनबीः 115, 116) मुस्लिमः 445

फ़ायदाः अगरचे हक़ीक़ते वाक़िया हमारे इस दौर में बेहद ख़राब है लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़र्मान और अल्लाह की शरीअत ही राजेह है। अगर औरतों को उनकी ग़लत रवैयों की बिना पर मस्जिदों से रोकना जाइज़ हो तो बाज़ार या दीगर मक़ामात से रोकना और ज़्यादा औला होगा। मगर सहीह यही है कि बापर्दा होकर निकलें, ख़ुश्बू न लगाई हो, चलते हुए पैर न पटकें और आवाज़दार ज़ेवर न पहने हों वग़ैरह।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا " .

(570) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है, वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया, 'औरत की नमाज़ उसके अपने घर में सेहन की बजाय कमरे के अंदर ज़्यादा अफ़ज़ल है बल्कि कमरे की बजाय (अंदरूनी) कोठरी में और ज़्यादा अफ़ज़ल है।

तख़रीज 570: (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमाः 1688, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 329, 330, वल्हाकिमः 1/209, तिर्मिज़ीः 1173, वक़ाल हसनुन सहीहुन ग़रीबुन

फ़ायदाः ग़र्ज़ यह है कि औरत जिस क़द्र हो सके, पर्दे का एहतिमाम करे।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ " . قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ

(571) जनाब नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर हम यह दरवाज़ा औरतों के लिए छोड़ दें (उन ही के लिए ख़ास कर दें तो बहुत बेहतर हो।)।' नाफ़ेअ (रह.) कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) मरते दम तक उस दरवाज़े से मस्जिद में नहीं आए।

يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَهَذَا أَصَحُّ .

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, इस रिवायत को इस्माईल बिन इब्राहीम ने अय्यूब से, उन्होंने नाफ़ेअ़ से रिवायत किया है, लेकिन उन्होंने उसे ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) का क़ौल बताया है और यही बात सही है।

तखरीज 571: (सनद स़ह़ीह़): 462 में देखें।

फ़ायदा: चाहिए कि मसाजिद में ऐसा एहतिमाम हो कि औरतों और मर्दों का इख़्तिलात़ (मिलाप) न हो। (यह ह़दीस पीछे गुज़र चुकी है: 462)

﴾54﴿
باب السَّعْيِ إِلَى الصَّلاَةِ

बाब : 54
नमाज़ के लिए दौड़कर आना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ " وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " . وَقَالَ ابْنُ

(572) ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आपने फ़र्माया, 'जब नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो तुम उसके लिए दौड़ते हुए न आया करो बल्कि चलते हुए आओ और इत्मिनान व सुकून इख़्तियार करो। तो जो मिल जाए पढ़ लो, और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लो।'
इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, जुबेदी, इब्ने अबी ज़ैब, इब्राहीम बिन सअ़द, मअ़मर और शुऐब बिन अबी ह़मज़ा ने ज़ोहरी से (वमा फ़ातकुम फ़अतिम्मू) 'जो तुमसे रह जाए उसे मुकम्मल कर लो।' के लफ़्ज़ रिवायत किये हैं मगर अकेले इब्ने उ़येयना ने ज़ोहरी से (फ़क़्ज़ू) 'क़ज़ा दो' बयान किया है। और मुह़म्मद बिन अ़म्र ने अबू सलमा से, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से और जअ़फ़र बिन रबीआ़ ने आ़रज से,

عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ " فَاقْضُوا " . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " فَأَتِمُّوا " . وَابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ قَالُوا " فَأَتِمُّوا " .

उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से (फ़अतिम्मू) रिवायत किया है और इब्ने मसऊद, अबू क़तादा और अनस (रज़ि.) सभी ने नबी (ﷺ) से (फ़अतिम्मू) का लफ़्ज़ बयान किया है।

तखरीज 572: सहीह बुख़ारीः 636, मुस्लिमः 602

फ़वाइद व मसाइल (1) लफ़्ज़ (अतिम्मू) 'मुकम्मल करो' से इस्तिदलाल यह है कि मस्बूक़ (जिसे पूरी जमाअत न मिली हो) जहाँ से अपनी नमाज़ शुरू करता है वह उसकी इब्तिदा होती है और जमाअत के बाद की नमाज़ उसका आख़िर। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने दलाइल दिये हैं कि अक्सर रूवात (फ़अतिम्मू) का लफ़्ज़ बयान करते हैं मगर कुछ हज़रात कहते हैं कि (फ़क़्ज़ू) 'क़ज़ा दो' का मफ़्हूम यह है कि मस्बूक़ इमाम के साथ जो पढ़ता है वह उसकी नमाज़ का आख़िरी हिस्सा होता है जैसे कि इमाम की नमाज़ का, लिहाज़ा उठकर उसे फ़ौतशुदा नमाज़ की क़ज़ा की निय्यत करनी चाहिए। लेकिन यह लफ़्ज़ शाज़ है जैसाकि इसकी बाबत शैख़ अल्बानी (रह.) की सराहत आगे आ रही है। इसलिए राजेह यह है कि जहाँ से शुरू करेगा वह उसकी इब्तिदा ही होगी और लफ़्ज़ (फ़क़्ज़ू) में क़ज़ा हमेशा फ़ौतशुदा के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि 'अदा करने और पूरा करने' के मअनी में भी आता है। मस्लन (फ़ इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु...) 'जब नमाज़ पूरी हो जाए...' (फ़ इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम..) 'जब तुम अपने मनासिके हज्ज पूरे कर लो... इस तरह फ़ अतिम्मू) और (फ़क़्ज़ू) में तआरुज़ नहीं रहता। (औनुल मअबूद) **(2)** सूरह जुम्आ की आयते करीमा में बज़ाहिर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ 'दौड़कर' आने का हुक्म है (इज़ा नुदियलिस्सलाति मिंय्यौमिल जुम्अति फ़स्अव इला ज़िक्रिल्लाह) और हदीसे मज़्कूरा बाला में सअय (दौड़ना) मना है, तो उसमें तआरुज़ का हल यह है कि दरअसल आयते करीमा में हुक्म यह है कि अपने मशाग़िले दुनियावी या ग़फ़्लत और कस्लमंदी और सुस्ती को तर्क (छोड़)करके जुम्आ के लिए जल्दी करो। गोया आयत में सअय (दौड़करआने) का मतलब फ़ौरन दुनियावी मशाग़िल तर्क करके मस्जिद में पहुँचना है। और हदीस में मस्जिद की तरफ़ आने का अदब बताया गया है कि (दौड़ने) की बजाय 'बा वक़ार चाल' से चलकर आओ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ائْتُوا الصَّلاَةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " وَلْيَقْضِ " . وَكَذَا أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو ذَرٍّ رُوِيَ عَنْهُ " فَأَتِمُّوا وَاقْضُوا " . وَاخْتُلِفَ عَنْهُ .

(573) अबू सलमा, हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया, 'नमाज़ के लिए आओ तो इत्मिनान व सुकून से आओ। जो पा लो पढ़ लो और जो पढ़ी जा चुकी हो उसकी क़ज़ा दो।' (यानी पूरा कर लो।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इसी तरह इब्ने सीरीन ने हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से (वल्यक़्ज़ि) रिवायत किया है ऐसे ही अबू राफ़ेअ ने भी (हज़रत अबू हुरैरा रज़ि. से) रिवायत किया है और हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) से (फ़ अतिम्मू और इक़्ज़ू) मरवी है। और इसमें इख़्तिलाफ़ किया गया है। (यानी कुछ उनसे अतिम्मू का लफ़्ज़ बयान करते हैं और कुछ इक़्ज़ू का।)

तखरीज 573: (सनद सहीह) अहमदः 2/382, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 1505, 1772

﴾55﴿ باب فِي الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ

बाब : 55
मस्जिद में दो बार जमाअत का होना

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ " أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ".

(574) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से मंक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने देखा, एक आदमी अकेले ही नमाज़ पढ़ रहा है तो आपने फ़र्माया, 'क्या कोई आदमी इस पर सदक़ा नहीं कर सकता कि इसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़े?'

तखरीज 574: (सनद सहीह) तिर्मिज़ीः 220, वक़ाल 'हसन', सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 1632, व इब्ने हिब्बानः 436, 438, हाकिमः 1/209

फ़वाइद व मसाइल (1) जामेअ तिर्मिज़ी में दर्जे ज़ेल हदीस का उनवान है (बाब मा जाअ फ़िल्जमाअति फ़ी मस्जिदिन क़द सल्ल फ़ीहि मर्रतन) 'जिस मस्जिद में एक बार (बाजमाअत) नमाज़ हो चुकी हो उसमें जमाअत का बयान।' सहाबा व ताबेईन के अलावा इमाम अहमद और इस्हाक़ बिन राहवे इसके क़ाइल हैं। मगर कुछ अहले इल्म कहते हैं कि देर से आने वाले अपनी नमाज़ अकेले ही पढ़ें। मस्लन इमाम सुफ़्यान, इब्ने मुबारक, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई (रहि.) ग़ालिबन इनकी नज़र इस पहलू पर है कि लोगों में पहली जमाअत की अहमियत क़ायम रहे और वह उससे ग़ाफ़िल न हों। बहरहाल नीचे ज़िक्र हुई सहीह हदीस से दूसरी जमाअत का जवाज़ साबित होता है। **(2)** चुनाँचे हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) उसके साथ नमाज़ में शरीक हो गए। (इब्ने अबी शैबा ब हवाला नैलुल औतारः 3/171) **(3)** अकेले नमाज़ पढ़ने वाले को अपना इमाम बना लेना जाइज़ है अगरचे दूसरे ने अपनी नमाज़ पढ़ ली हो और पहले ने शुरू में इमाम बनने की निय्यत न की हो।

बाब : 56
जो शख़्स अपनी मंज़िल में नमाज़ पढ़कर आया हो फिर जमाअत को पाये तो उनके साथ मिलकर नमाज़ पढ़े

﴾56﴿
باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

(575) जनाब जाबिर बिन यज़ीद बिन अस्वद अपने वालिद से बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की मइयत (साथ) में नमाज़ पढ़ी जबकि वह नौजवान थे। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो देखा कि दो आदमी मस्जिद की एक जानिब में मौजूद हैं और उन्होंने (जमाअत के साथ) नमाज़ नहीं पढ़ी। आपने उन्हें बुलवाया। उन्हें आपके सामने पेश किया गया तो उनकी यह हालत थी कि उनके पुट्ठे काँप रहे थे। आपने पूछा, 'तुम्हें क्या रुकावट थी कि हमारे साथ नमाज़

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِأَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلاَنِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَدَعَا بِهِمَا

नहीं पढ़ी?' उन्होंने कहा, हम अपनी मंज़िल में नमाज़ पढ़ आये थे। आपने फ़र्माया, 'ऐसे न किया करो। जब तुममें से कोई अपनी मंज़िल में नमाज़ पढ़ चुका हो फिर इमाम को पाये कि उसने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी है तो उसके साथ भी मिलकर पढ़े, यह उसके लिए नफ़्ल होगी।

तखरीज 575: (सनद स़हीह़) तिर्मिज़ीः 219, वक़ाल 'ह़सनुन स़ह़ीहुन', स़ह़ीह़ इब्ने ख़ुज़ैमाः 1279, व इब्ने हिब्बानः 434, 435, नसाईः 859

فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا " . قَالاَ قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا . فَقَالَ " لاَ تَفْعَلُوا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ "

फ़वाइद व मसाइल (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) बावजूद यह कि बेहद मुत्वाजेअ़ (सादगी पसंद) थे, इंतिहाई रौब व बाहैबत भी थे और इसकी वाहिद वजह अल्लाह तबारक व तआ़ला का तक़्वा और उसकी ख़शिय्यत थी। **(2)** जिसने अकेले नमाज़ पढ़ी हो फिर उसको जमाअ़त मिल जाए तो वह इमाम के साथ मिलकर दोबारा नमाज़ पढ़े। **(3)** ख़्वाह नमाज़ कोई सी हो, ज़ाहिर अल्फ़ाज़े ह़दीस से इसकी इजाज़त मालूम होती है। **(4)** मालूम हुआ कि शरई सबब के बाइस फ़ज्र और अ़स्र के बाद नमाज़ पढ़ी जा सकती है। **(5)** उसमें यह भी है कि अकेले की नमाज़ हो जाती है अगरचे जमाअ़त से पढ़ना ज़रूरी है। **(6)** यह भी साबित हुआ कि पहली नमाज़ फ़र्ज और दूसरी नफ़्ल होगी।

(576) जनाब जाबिर बिन यज़ीद अपने वालिद से रिवायत करते हैं वह कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) के साथ मिना में फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी। और ऊपर वाली ह़दीस के हम मअ़नी बयान किया।

तखरीज 576: (सनद स़ह़ीह़) पिछली ह़दीस देखें

حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِمِنًى بِمَعْنَاهُ .

(577) ह़ज़रत यज़ीद बिन आ़मिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं आया और नबी (ﷺ) नमाज़ में थे। मैं बैठ गया, उनके साथ नमाज़ में शरीक न हुआ। फिर आप फ़ारिग़ हुए तो

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ،

عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ جِئْتُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلاَةِ - قَالَ - فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا فَقَالَ " أَلَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ " . قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَسْلَمْتُ . قَالَ " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلاَتِهِمْ " . قَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَأَنَا أَحْسِبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ . فَقَالَ " إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ " .

हमारी तरफ़ रुख़ किया और मुझे बैठे देखा तो पूछा, 'यज़ीद! क्या तुम मुसलमान नहीं हुए हो?' मैंने कहा, क्यूँ नहीं ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ! मैंने इस्लाम क़बूल कर लिया है। आपने फ़र्माया, 'तो तुम्हें क्या हुआ कि तुम लोगों के साथ नमाज़ में शरीक नहीं हुए?' मैंने अ़र्ज़ किया कि मैं अपने घर में नमाज़ पढ़कर आया हूँ और मेरा ख़याल था कि शायद आप नमाज़ पढ़ चुके होंगे। आपने फ़र्माया, 'जब तुम नमाज़ के लिए आओ और लोगों को नमाज़ में पाओ तो उनके साथ मिलकर पढ़ो अगरचे अकेले पढ़ चुके हो। यह तुम्हारे लिए नफ़्ल हो जाएगी और वह (पहली नमाज़) फ़र्ज़।'

तख़रीज 577: (सनद ज़ईफ़) दारे क़ुत्नी: 1/276, त़ब्रानी: 22/238

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَفِيفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ فَقَالَ يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلاَةَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلاَةُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا . فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ

(578) जनाब अ़फ़ीफ़ बिन अ़म्र बिन मुसय्यिब कहते हैं कि मुझे बनी असद बिन ख़ुज़ैमा के एक शख़्स ने बताया कि उसने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) से सवाल किया था कि हममें से एक अपने घर में नमाज़ पढ़ लेता है और फिर मस्जिद में आता है और नमाज़ की इक़ामत हो जाती है तो मैं उनके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ लेता हूँ मगर उससे मेरे दिल में कुछ खटक सी है। हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) ने कहा, हमने इस बारे में नबी (ﷺ) से पूछा था तो आपने फ़र्माया, 'यह उसके लिए जमाअ़त का एक

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " ذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ " .

हिस्सा है।' (यानी उसमें कोई हर्ज नहीं बल्कि बाइसे सवाब है।)

तखरीज 578: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/300, मौत्ताः 1/133

﴿57﴾

باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً أَيُعِيدُ

बाब : 57
जब किसी आदमी ने जमाअत से नमाज़ पढ़ ली हो फिर दूसरी जमाअत पाये तो दोबारा पढ़ सकता है?

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، - يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ - قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلاَطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقُلْتُ أَلاَ تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ " .

(579) सुलेमान यानी मौला मैमूना कहते हैं कि मैं हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के पास उनकी बैठक पर आया, वहाँ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे (और इब्ने उमर रज़ि. नमाज़ में शरीक न थे) मैंने उनसे कहा, क्या आप इनके साथ नमाज़ नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा कि मैं पढ़ चुका हूँ। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुन चुका हूँ आप फ़र्माते थे 'एक नमाज़ को एक दिन में दो बार मत पढ़ो।'

तखरीज 579: (सनद सहीह) नसाईः 861, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 1641, व इब्ने हिब्बानः 432, मौत्ताः 1/133

फ़ायदा: इसका मतलब है कि अपने तौर पर बग़ैर किसी सबब के एक नमाज़ को दो बार न पढ़ो। ताहम कोई सबब हो तो दो बार पढ़ना जाइज़ है। जैसे किसी ने पहले अकेले नमाज़ पढ़ी हो फिर जमाअत पाये या किसी अकेले के साथ बतौर सदक़ा नमाज़ में शरीक हो तो जाइज़ है। (हदीस 574) या किसी की इमामत कराये तो भी जाइज़ है। (हदीस 599) इन सूरतों में दूसरी बार पढ़ी गई नमाज़ उसके लिए नफ़्ली नमाज़ होगी।

बाब : 58
इमामत की फ़ज़ीलत और अह्काम का बयान

﴿58﴾ باب فِي جِمَاعِ الإِمَامَةِ وَفَضْلِهَا

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ " .

(580) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना फ़रमाते थे, 'जो शख़्स लोगों की इमामत कराये और बरवक़्त कराये तो ये उसके लिए, और नमाज़ियों के लिए बाइसे अज्र है और जिसने उसमें कोई कमी की तो उसका गुनाह इमाम पर है, नमाज़ियों पर नहीं।'

तख़रीज 580: (सनद सहीह) इब्ने माजाः 983, इब्ने ख़ुज़ैमाः 1513, इब्ने हिब्बानः 374, हाकिमः 1/210

फ़ायदाः इमाम की ज़िम्मेदारी इंतिहाई अहम है। उसे अल्लाह और रसूल (ﷺ) का मुत्तबेअ होते हुए लोगों का मुक़्तदा (पेशवा) बनना चाहिए न कि उनकी मंशा पर चलने वाला। और यह उसी सूरत में मुम्किन है जब वह साहिबे इल्म व फ़रासत हो, सिर्फ़ अल्लाह से डरने वाला हो, लिल्लाहियत और दाइयाना जज़्बात से भरा हो। गोया इमाम को साहिबे अज़ीमत भी होना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी को सही तरीक़े से अदा करने वाला भी।

बाब : 59
इमामत का भार एक दूसरे पर डालने की कराहियत

﴿59﴾ باب فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَافُعِ عَلَى الإِمَامَةِ

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَتْنِي طَلْحَةُ أُمُّ غُرَابٍ، عَنْ

(581) तलहा उम्मे ग़ुराब, अक़ीला से, जो कि बनी फ़ज़ारा की एक ख़ातून थी और उनकी आज़ादकर्दा लौण्डी थी, वह सलामा बिन्ते हुर्र से जो ख़र्शा बिन हुर्रफ़ज़ारी की

عَقِيلَةَ، - امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مَوْلاَةٌ لَهُمْ - عَنْ سَلاَمَةَ بِنْتِ الْحُرِّ، أُخْتِ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لاَ يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ " .

बहन थी, बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़र्मा रहे थे '(क़ुर्बे) क़ियामत की अलामात में से (यह भी) है कि अहले मस्जिद इमामत को एक दूसरे पर टालेंगे और किसी को नहीं पाएँगे जो उनकी इमामत कराए।'

तखरीज 581: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 982

तौजीह: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है ताहम मअनवी तौर पर इसलिए सही है कि क़ियामत के क़रीब शरई इल्म की नाक़द्री हो जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि हर एक दूसरे को कहेगा कि तुम इमामत कराओ, मैं इसका अहल नहीं हूँ क्योंकि वह सब इल्मे शरीअत से बे बहरा होंगे। इसलिए जो साहिबे सलाहियत हो यानी इल्म व फ़ज़्ल से बहरावर हो तो बिला वजह इस अमल से इंकार न करे। नीज़ मुसलमानों को ऐसे अफ़राद तैयार करते रहने चाहिए जो उनके दीनी उमूर (मामलात) के कफ़ील बन सकें।

﴾60﴿ باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

बाब : 60 इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है?

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ، سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي

(582) हज़रत अबू मसऊद बद्री (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क़ौम का वह शख़्स इमामत कराये जो क़ुरआने करीम का बड़ा और पुराना क़ारी हो। अगर वह क़िराअत में बराबर हों तो वह शख़्स इमामत कराये जो हिज्रत करने में अव्वल हो। अगर हिज्रत में बराबर हों तो बड़ी उम्र वाला इमामत कराये। और कोई शख़्स किसी दूसरे के घर में इमामत कराये, न उसकी हुकूमत की जगह में और न उसकी

الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " . قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ مَا تَكْرِمَتُهُ قَالَ فِرَاشُهُ.

ख़ास मस्नद ही पर बैठे (जो उसकी इज़्ज़त की जगह हो) मगर यह कि वह इजाज़त दे।'
शुअबा ने बयान किया कि मैंने इस्माईल से पूछा, (तक्रिमतुहू) का क्या मफ़्हूम है? उन्होंने कहा, 'उसका बिस्तर।'

तखरीज 582: सहीह मुस्लिमः 673

फ़वाइद व मसाइलः (1) हमारे इस दौर में 'हाफ़िज़, क़ारी और आलिम' होने के ख़ास मेअयार मुतआरफ़ हो गए हैं हालाँकि सलफ़ के यहाँ यह फ़र्क़ मअरूफ़ न थे। हाफ़िज़ हज़रात एक हद तक मुजव्विद और साहिबे इल्म भी होते थे और उनका लक़ब 'क़ारी' होता था चूँकि नमाज़ का ताल्लुक़ क़ुरआने मजीद के साथ साथ दीगर अहम मसाइल से भी है इसलिए ऐसा शख़्स अफ़ज़ल है जो हाफ़िज़ और आलिम हो। सिर्फ़ हाफ़िज़ होना फ़ज़ीलत है अफ़ज़लियत नहीं। **(2)** इस हदीस की दूसरी रिवायत में क़ारी के बाद 'सुन्नत के आलिम' का दर्जा बयान हुआ है। **(3)** हिज्रत की फ़ज़ीलत सहाबा किराम (रज़ि.) ही के साथ मख़सूस थी। **(4)** किसी दूसरे शख़्स के हल्क़ाए अमल में बिला इजाज़त इमामत कराना (और ज़िम्नन फ़त्वे देने शुरू कर देना) शरअन मम्नूअ है। ऐसे ही इसकी ख़ास मस्नद (नशिस्त या बिस्तर) पर बिला इजाज़त बैठना भी मना है।

حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ " وَلاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ " أَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً " .

(583) जनाब इब्ने मुआज़ रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद ने शुअबा से यह हदीस बयान की उसमें उन्होंने कहा, 'कोई आदमी दूसरे की हुकूमत (सरबराही) की जगह में इमामत न कराए।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, और इसी तरह यहया अल्क़त्तान ने शुअबा से (अक़्दमुहुम क़िराअतन) रिवायत किया है। (यानी क़िराअत में पुराना हो।)

तखरीज 583: (सनद सहीह) उंज़ुरुल हदीसस्साबिक़

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

(584) औस बिन ज़म्अज हज़रमी हज़रत अबू मसऊद बद्री (रज़ि.) से वह नबी (ﷺ) से यही हदीस बयान करते हैं। कहा 'अगर

رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً " . وَلَمْ يَقُلْ " فَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ " وَلاَ تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَةِ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " .

क़िराअते क़ुरआन में बराबर हों तो सुन्नत का ज़्यादा आलिम इमामत कराए। अगर सुन्नत में बराबर हों तो वह इमाम बने जो हिज्रत में अव्वल हो।' इस रिवायत में (अक़्दमुहुम क़िराअतन) बयान नहीं किया। (यानी क़िराअत में पुराना होने का ज़िक्र नहीं है।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, हज्जाज बिन अरतात ने इस्माईल से रिवायत किया, 'किसी की मस्नद (इज़्ज़त की जगह) पर बग़ैर उसकी इजाज़त के मत बैठो।'

तखरीज 584: (इसकी सनद सही है) देखिए पिछली दोनों हदीसें

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلاَمًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلاَةَ فَقَالَ " يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ " . وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَىَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ

(585) हज़रत अम्र बिन सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम एक ऐसी जगह पर पड़ाव किये हुए थे कि लोग जब नबी (ﷺ) के पास आते तो हमारे यहाँ से गुज़रकर आते और वापसी पर भी हमारे पास से होकर जाते और हमें बताया करते कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे ऐसे कहा है। और मैं एक ज़हीन लड़का था। इस तरह मैंने काफ़ी सारा क़ुरआन हिफ़्ज़ कर लिया। आख़िरकार मेरे वालिद अपनी क़ौम का एक वफ़्द लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आप (ﷺ) ने उन्हें नमाज़ की ता'लीम दी और फ़र्माया, 'तुम्हारा वह आदमी इमामत कराए जो क़ुरआन सबसे ज़्यादा पढ़ा हो।' चुनाँचे मैं ही क़ौम में ज़्यादा पढ़ा हुआ था क्योंकि मैं (बहुत दिनों से) क़ुरआन याद करता रहा था। तो उन्होंने मुझे इमामत के लिए आगे कर

تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ . فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الإِسْلاَمِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ .

दिया और मैं उनकी इमामत कराने लगा। और मुझ पर ज़र्द रंग की एक छोटी सी चादर हुआ करती थी। जब मैं सज्दे में जाता तो कुछ बे पर्दा हो जाता। हमारी औरतों में से एक ने कहा, हमसे अपने क़ारी का सतर तो ढाँप दो। चुनाँचे उन लोगों ने मुझे एक ओमानी क़मीस़ ख़रीदकर दी। उससे मुझे ऐसी खुशी हुई कि इस्लाम लाने के बाद किसी और चीज़ से नहीं हुई थी। चुनाँचे मैं उनकी इमामत कराया करता था और मेरी उम्र उस वक़्त सात या आठ साल थी।

तखरीज 585:स़हीह बुख़ारी: बाब 54, ह़दीस: 4302

फ़वाइद व मसाइल: (1) हस्बे ज़रूरत छोटी उम्र का नौ उम्र बच्चा जब कुरआन का क़ारी और नमाज़ के मसाइल को समझता हो तो उसे इमाम बनाया जा सकता है। **(2)** इमाम अगर नफ़्ल पढ़ रहा हो तो उसके पीछे फ़र्ज़ की निय्यत की जा सकती है क्योंकि बच्चे की नमाज़ उसके ह़क़ में नफ़्ल होती है।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوصَلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتِ اسْتِي .

(586) जनाब आ़सिम अहवल ह़ज़रत अ़म्र बिन सलमा (रज़ि. से यही ह़दीस रिवायत करते हैं उसमें है कि मैं उनकी इमामत कराता और मुझ पर एक पेवन्द लगी चादर होती थी जिसमें एक सूराख़ था। जब मैं सज्दे में जाता तो मेरी मक़्अद उससे नंगी हो जाती थी।

तखरीज 586: (सनद स़ह़ीह़) नसाई: 768, देखिए पहली वाली ह़दीस

फ़ायदा: नमाज़ में सतर ढाँपना वाजिब है। चुनाँचे उन लोगों ने इमाम के लिए ओमानी क़मीस़ खरीदी। (मज़्कूरा बाला ह़दीस: 585)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ، عَنْ

(587) जनाब मिस्अर बिन ह़बीब जर्मी ने ह़ज़रत अ़म्र बिन सलमा (रज़ि. से, उन्होंने अपने वालिद से बयान किया कि वह

नबी (ﷺ) के पास अपना वफ़्द लेकर गए। उन लोगों ने जब वापसी का इरादा किया तो कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ! हमारी इमामत कौन कराए? आपने फ़र्माया, 'जिसने क़ुरआन ज़्यादा याद किया हो।' चुनाँचे बिरादरी में कोई ऐसा न था जिसे इस क़द्र क़ुरआन आता हो जितना कि मुझे आता था। तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया और मैं नौ उम्र लड़का था और मुझ पर चादर (शमला) होती थी। मैं अपनी क़ौम बनी जर्म के जिस इज्तिमाअ में भी होता मैं ही उनकी इमामत कराया करता और उनके जनाज़े भी पढ़ाता और आज तक पढ़ा रहा हूँ।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यज़ीद बिन हारून ने मिस्अर बिन हबीब से। उन्होंने अम्र बिन सलमा से रिवायत किया कि जब मेरी क़ौम अपना वफ़्द नबी (ﷺ) की ख़िदमत में लेकर आई। इस सनद में (अन अबीही) का वास्ता नहीं है।

तखरीज 587: (सनद सहीह) अहमद: 5/29

أَبِيهِ، أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَؤُمُّنَا قَالَ " أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ " . أَوْ " أَخْذًا لِلْقُرْآنِ " . قَالَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُهُ - قَالَ - فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلاَمٌ وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ لِي فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلاَّ كُنْتُ إِمَامَهُمْ وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ لَمَّا وَفَدَ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ .

(588) जनाब नाफ़ेअ, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि जब मुहाजिरीने अव्वलीन रसूलुल्लाह (ﷺ) से पहले हिज्रत करके आए तो उन्होंने मक़ामे अस्बा पर (क़ुबा के क़रीब) पड़ाव किया, तो सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा (रज़ि.) उनकी इमामत कराया करते थे। उन लोगों में उन्हें ही क़ुरआन सबसे ज़्यादा याद था। हैसम

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ نَزَلُوا الْعُصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ

يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا . زَادَ الْهَيْثَمُ وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ .

ने इज़ाफ़ा किया कि इस जमाअत में हज़रत ज़मर बिन ख़त्ताब और अबू सलमा बिन अब्दुल असद (रज़ि.) भी होते थे।

तखरीज 588: सहीह बुख़ारीः 692

फ़ायदाः यह हिफ़्ज़े कुरआन की बरकत थी कि कुरैश के अशराफ़ के मुक़ाबले में एक नौ उम्र लड़का उनका इमाम था।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ أَوْ لِصَاحِبٍ لَهُ " إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا " . وَفِي حَدِيثِ مَسْلَمَةَ قَالَ وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْعِلْمِ . وَقَالَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ فَأَيْنَ الْقُرْآنُ قَالَ إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ .

(589) जनाब अबू क़िलाबा, हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने उनसे या उनके साथी से फ़र्माया, 'जब नमाज़ का वक़्त हो जाए तो अज़ान कहो, फिर इक़ामत कहो और इमामत वह कराए जो तुममें उम्र में बड़ा हो।'

और मस्लमा की रिवायत में है कि उन दिनों हम इल्म में बराबर बराबर थे।

और इस्माईल (इब्ने उलय्या)की रिवायत में है कि ख़ालिद हज़्ज़ा ने कहा, मैंने अबू क़िलाबा से पूछा, क़िराअते कुरआन का मसला क्या हुआ? उन्होंने कहा, यह दोनों उसमें क़रीब क़रीब थे।

तखरीज 589: सहीह बुख़ारीः 630, व मुस्लिमः 674

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ " .

(590) जनाब इक्रिमा ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'चाहिए कि तुम्हारे भले और उम्दा लोग अज़ान कहें और तुम्हारे कुर्राअ (हाफ़िज़, आलिम) इमामत कराएँ।

तखरीज 590: इस्नाद ज़ईफ़) इब्ने माजाः 726

फ़ायदाः हाफ़िज़ व आलिम और वजीह लोगों का इमाम होना अम्र बिल्मअरूफ़ और नही अनिल मुंकर के मसले में इंतिहाई मुअस्सिर होता है लोग उनकी बात बख़ुशी क़बूल कर लेते हैं।

﴿61﴾

باب إِمَامَةِ النِّسَاءِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلاَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً . قَالَ " قِرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ " . قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ . قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلاَمًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى

बाब : 61
औरतों की इमामत का मसला

(591) हज़रत उम्मे वरक़ा बिन्ते नौफ़िल (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) जब ग़ज़्वा बद्र के लिए गए तो मैंने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ! मुझे अपने साथ जाने की इजाज़त दीजिए। मैं आपके मरीज़ों का इलाज मुआलजा और ख़िदमत करूँगी और शायद अल्लाह तआला मुझे शहादत नसीब कर दे। नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम अपने घर ही में ठहरो, अल्लाह तआला तुम्हें शहादत की मौत देगा।' चुनाचे यह 'शहीदा' के लक़ब से पुकारी जाने लगी और उसने कुरआन पाक पढ़ा था और नबी (ﷺ) से अपने घर में मुअज़्ज़िन रखने की इजाज़त तलब की तो आप (ﷺ) ने इजाज़त दे दी। उसने एक गुलाम और लौण्डी को मुदब्बिर बनाया था। (यानी उसकी मौत के बाद आज़ाद होंगे।) यह दोनों एक रात उसकी तरफ़ उठे और एक चादर से उसका चेहरा बन्द कर दिया, यहाँ तक कि वह मर गई और ख़ुद भाग गए। सुबह को हज़रत उमर (रज़ि.) ने लोगों में ऐलान किया कि जिसे उनके बारे में कुछ इल्म हो या उन्हें देखा हो तो उन्हें ले आए। चुनाँचे उनके बारे में हुक्म दिया और

مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ.

वह दोनों सूली पर चढ़ा दिये गए और यह मदीना में पहले आदमी थे जिनको सूली दी गई।

तखरीज 591: (सनद हसन) अहमद: 6/405, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1676, व इब्ने जारूद: 333

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا .

(592) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन ख़ल्लाद से रिवायत है उन्होंने हज़रत उम्मे वरक़ा बिन्ते अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस (रज़ि.) से यही हदीस बयान की है। और पहली रिवायत ज़्यादा कामिल है। उसमें है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उसके यहाँ उसके घर में मिलने के लिए आया करते थे और उसके लिए एक मुअज़्ज़िन मुक़र्रर किया था जो उसके लिए अज़ान देता था और आपने उसे (उम्मे वरक़ा को) हुक्म दिया था कि अपने घरवालों की इमामत कराया करे। अ़ब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने उसके मुअज़्ज़िन को देखा था जो बहुत बूढ़ा था।

तखरीज 592: (सनद हसन) बैहक़ी और देखिए पहली वाली हदीस

फ़वाइद व मसाइल: (1) यह हदीस दलील है कि अगर औ़रत अहलियत रखती हो तो वह औ़रतों की इमामत करा सकती है। हज़रत उम्मे वरक़ा (रज़ि.) के अ़लावा हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने भी फ़र्ज़ और तरावीह में औ़रतों की इमामत कराई है। (तल्ख़ीसुल हबीर) कुछ लोग इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं कि औ़रत मर्दों की इमामत करा सकती है, क्योंकि वह बूढ़ा मुअज़्ज़िन भी उनके पीछे ही नमाज़ पढ़ता होगा, लेकिन यह सिर्फ़ एक एहतिमाल ही है। हदीस में मुअज़्ज़िन के नमाज़ पढ़ने का क़त्अन ज़िक्र नहीं है। इसलिए ग़ालिब एहतिमाल यही है कि वह मुअज़्ज़िन अज़ान देकर नमाज़ मस्जिदे

नबवी ही में पढ़ता होगा। इस्लाम के मिज़ाज और सहबा किराम (रज़ि.) का उमूमी तर्ज़े अमल इसी बात का मुईद (ताईद करने वाला) है न कि पहले एहतिमाल का। दूसरा इस्तिदलाल लफ़्ज़े 'दार' से करते हैं कि उसमें 'बैत' से ज़्यादा वुस्अत है और यह मुहल्ले के मफ़्हूम में है यानी नबी (ﷺ) ने उनको अहले मुहल्ला की इमामत का हुक्म दिया था जिनमें औरतों के साथ मर्द भी होते होंगे। लेकिन यह इस्तिदलाल भी एहतिमालात ही पर मब्नी है। यह ठीक है कि 'दार' का लफ़्ज़ हवेली के लिए, ख़ानदान और क़बीले के लिए और घर के लिए, सब ही मअनों में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ यह घर ही के मअनी में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सुनन दारे क़ुत्नी के अल्फ़ाज़ हैं (व तउम्म निसाअहा) 'वह अपने घर की औरतों की इमामत करे।' (सुनन दारे क़ुत्नी बाब फ़ी ज़िक्रिल जमाअत..., हदीस 1069) के इन अल्फ़ाज़ से (अन तउम्म अहल दारिहा) का मफ़्हूम मुतअय्यन हो जाता है कि इससे मुराद न मुहल्ले या हवेली के लोग हैं और न इसमें मर्दों के शामिल होने का कोई एहतिमाल है। बल्कि इससे मुराद सिर्फ़ अपने घर की औरतें हैं। और औरत का, औरतों की इमामत कराना बिलकुल जाइज़ है। और हज़रत उम्मे वरक़ा की इस हदीस से भी यही साबित होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। **(2)** जिहाद और दीगर अहम ज़रूरत के मौक़ों पर औरतें मर्दों का इलाज मुआलजा कर सकती है मगर इस्लामी सतर व हिजाब की पाबन्दी ज़रूरी है। **(3)** हुकूमते इस्लामिया अपनी रइयत (जनता) के जानो माल और इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ हुआ करती है। चुनाँचे मुज्रिमीन को पकड़ना और क़ानून के मुताबिक़ फ़ौरी सज़ा देना ज़रूरी है। इससे मुआशरे में अम्न और अल्लाह की रहमत उतरती है।

बाब : 62
उस आदमी का इमामत कराना जिसे लोग नापसंद करते हों

﴿62﴾ باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

(593) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माया करते थे, 'तीन शख़्सों की नमाज़ अल्लाह के यहाँ मक़्बूल नहीं होती (1) वह शख़्स जो किसी क़ौम के आगे हुआ और वह उसे नापसंद करते हों, (2) वह शख़्स जो नमाज़ के लिए जमाअत निकल जाने के बाद देर से आता हो। और (3) वह शख़्स जिसने

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلاَةً

مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاَةَ دِبَارًا " . وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ " وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ".

किसी आज़ाद शख़्स को अपना गुलाम बना लिया हो।'

तख़रीज 593: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजाः 970, अल्अफ़्रीक़ी ज़ईफ़: 62, 514 में देखें

फ़वाइद व मसाइलः (1) शैख़ अल्बानी (रह़.) के नज़दीक इसका पहला हिस़्सा सही है, यानी जिस इमाम पर उसकी क़ौम राज़ी न हो उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होती और इमाम की नापसंदीदगी की वजह अगर वाक़ेई शरई हो तो यह वईद होगी। मस्लन उस मंसब पर जबरन मुसल्लत़ होना, नमाज़ बेवक़्त और ख़िलाफ़े सुन्नत पढ़ाना या क़िराअत में लह़्ने फ़ाह़िश करना वग़ैरह, लेकिन अगर नाराज़गी के अस्बाब ज़ाती क़िस्म के हों या फ़िल्वाक़ेअ शरई न हों तो उस वईद से बरी होगा। नीज़ मुत्तदीन (दीनदार) अफ़राद और उनकी कसीर तादाद का लिह़ाज़ भी ज़रूरी है। चंद एक अफ़राद की नाराज़ी मोअ़तबर नहीं है। बहरह़ाल इमाम को चूँकि मुख़्तलिफ़ क़िस्म के लोगों से वास्ता रहता है जिनकी त़बायेअ़ (तबीयत) और ज़ौक़ में बहुत फ़र्क़ होता है इसलिए उसे इल्म, ह़िल्म और ह़िक्मत से काम लेते रहना चाहिए जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की सिफ़त का बयान क़ुरआने करीम में आया है (वलौ कुन्त...) (आले इमरानः 159) 'अगर आप तुंद ख़ू और सख़्त दिल होते तो यह लोग आपसे बिखर जाते।' **(2)** दूसरे दो उमूर अगरचे सनदन कमज़ोर हैं मगर इंतिहाई अहम हैं, यानी जो शख़्स आ़दतन जमाअ़त से पीछे रहता हो या बुर्दाफ़रोशी (धोखाधड़ी) का काम करता हो, यह कबीरा गुनाह हैं।

﴾63﴿
باب إِمَامَةِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

बाब : 63
स़ालेह़ और फ़ाजिर की इमामत

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ " .

(594) ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फ़र्ज़ नमाज़ हर मुसलमान के पीछे वाजिब है ख़्वाह नेक हो या बद, अगरचे वह कबाइर का मुर्तकिब (बड़े बड़े गुनाह के काम करता) हो।

तख़रीज 594: (सनद ज़ईफ़) इंफ़रद अबू दाऊद, : 2533 में देखें

तौज़ीह: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, अल्बत्ता कभी इत्तिफ़ाक़न इस क़िस्म के लोगों के पीछे नमाज़ पढ़नी पड़ जाए तो नमाज़ हो जाएगी। बशर्तेकि मुवहि्हद मुसलमान हो। क़ायदा यह है कि जिसकी अपनी नमाज़ सही है उसकी इमामत भी सही है। तारीख़े बुख़ारी में है अ़ब्दुल करीम कहते हैं कि मैंने दस अस्हाबे मुह़म्मद (ﷺ) को पाया जो ज़ालिम हुक्काम के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। किताबुस्सलात ही के गुज़िश्ता बाब इज़ा अख्खरल इमामुस्सलात अ़निल वक़्ति' में बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तेरा क्या ह़ाल होगा जब तुम पर ऐसे हुक्मरान होंगे जो नमाज़ को बेवक़्त करके पढ़ेंगे या फ़र्माया, नमाज़ों को उनके औक़ात से मार देंगे।' कहा, तो आप क्या फ़र्माते हैं? आपने फ़र्माया, 'नमाज़ अपने वक़्त पर पढ़ना, अगर उनके साथ पाओ तो उनके साथ मिलकर भी अदा कर लेना यह तुम्हारे लिए नफ़्ल होगी।' इस ह़दीस में आपने उन ज़ालिमों के पीछे नमाज़ की इजाज़त दी है और बताया कि यह नफ़्ल होगी। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, : 648, सुनन अबी दाऊद: 431) रहा किसी इंसान का बद अक़ीदा होना, अगर कोई इमाम ऐसा हो जो ऐ़लानिया शिर्के अकबर का मुर्तकिब होता हो यानी गैरुल्लाह की निदा और गैरुल्लाह से इस्तिग़ासा वग़ैरह को मुबाह़ जानता हो तो उसके पीछे नमाज़ के कोई मअ़नी नहीं हैं। अगर कहीं कोई इज़्तिरारी सूरत पेश आ जाए तो एआदा (लौटाना) ज़रूरी होगा लेकिन अगर कोई पोशीदा तौर पर ऐसे अ़क़ाइद रखता हो तो हम उसकी कुरेद के मुकल्लफ़ नहीं हैं। उनके पीछे नमाज़ दुरुस्त है। फ़िक़्ही इख़्तिलाफ़ात व तर्जीह़ात क़ाबिले बर्दाश्त हैं। अगर कोई 'अ़दमे एतिदाल' का मुर्तकिब हो और जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ाता हो कि अरकान की अदायगी मुश्किल होती हो तो उससे भी परहेज़ करना चाहिए। इसकी मिसाल ज़ालिम हुक्काम की सी है और उसका ह़ल ज़िक्र हो चुका है।

बाब : 64
नाबीने की इमामत

﴾64﴿ باب إِمَامَةِ الأَعْمَى

(595) सय्यदना अनस (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने (अपने सफ़रे ग़ज़्वा के मौक़े पर) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) को अपना जानशीन बनाया था और यही लोगों की इमामत कराते थे और यह नाबीना थे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى .

तख़रीज (सनद स़ह़ीह़) अह़मद: 3/132, इब्ने ह़िब्बान 370, 553, 535 में देखें।,वर्रक़मुल आती: 2931

फ़ायदा: नाबीने शख़्स की इमामत बिला कराहत जाइज़ है बशर्तेकि उसमें स़लाह़ियत हो।

बाब : 65
ज़ाइर (मेहमान) की इमामत

«65»
باب إِمَامَةِ الزَّائِرِ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ بُدَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةَ، مَوْلًى مِنَّا قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلاَّنَا هَذَا فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّهْ . فَقَالَ لَنَا قَدِّمُوا رَجُلاً مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لاَ أُصَلِّي بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ " .

(596) जनाब अबू अ़तिया ने बयान किया कि ह़ज़रत मालिक बिन हुवेरिस (रज़ि.) हमारे यहाँ उसी जगह, जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, आया करते थे। चुनाँचे नमाज़ की इक़ामत कही गई तो हमने उनसे कहा, आगे बढ़ें और नमाज़ पढ़ाएँ। उन्होंने कहा, कोई अपना आदमी आगे करो जो तुम्हें नमाज़ पढ़ाए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इस वक़्त क्यूँ नमाज़ नहीं पढ़ाता? मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है आप फ़र्मा रहे थे 'जो शख़्स किसी क़ौम से मिलने के लिए जाए तो उनकी इमामत न कराए बल्कि उन ही में का कोई शख़्स इमामत कराए।'

तखरीज 596: (सनद ह़सन) तिर्मिज़ीः 356, वक़ाल 'ह़सनुन स़ह़ीहुन': 91 में देखें।

फ़ायदाः अस़ल मसला यूँ ही है और उसकी ह़िक्मत वाज़ेह़ है कि मक़ामी इमाम और मुक़्तदियों को एक दूसरे की आ़दात व अह़वाल का बख़ूबी इ़ल्म होता है जबकि ज़ाइर (मेहमान) को बिल्उ़मूम इ़ल्म नहीं होता और उससे मुक़्तदियों को मुश्किल हो सकती है। ताहम अगर वह उसकी ख़्वाहिश करें और इमाम इजाज़त दे तो बिलाशुब्हा जाइज़ है।

बाब : 66
इमाम का मुक़्तदियों से बुलंद मक़ाम पर खड़े होना

﴿66﴾ باب الإِمَامِ يَقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ

(597) जनाब हम्माम से रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) मदाइन में एक चबूतरे पर खड़े होकर लोगों की इमामत करा रहे थे कि हज़रत अबू मसऊद (रज़ि.) ने उनको क़मीस से पकड़कर खींच लिया। जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि लोगों को इससे मना किया जाता था। उन्होंने जवाब दिया, क्यूँ नहीं! जब आपने मुझे खींचा तो मुझे भी याद आ गया।

तखरीज 597: (सनद ज़ईफ़) शाफ़ेई फ़िल्उम्मः 1/172, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 1523, व इब्ने हिब्बानः 373, व इब्नुल जारूदः 313, हाकिमः 1/210, कमाः 14 में देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، -الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ، بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي .

(598) जनाब अदी बिन साबित अंसारी (रज़ि.) कहते हैं कि मुझसे एक आदमी ने बयान किया कि वह मदाइन में हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ि.) के साथ था कि नमाज़ की इक़ामत कही गई तो अम्मार आगे बढ़े और एक चबूतरे पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाने लगे जबकि दूसरे लोग उनसे नीचे थे। हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) आगे बढ़े और उनके दोनों हाथ पकड़ लिये। हज़रत अम्मार (रज़ि.) भी उनके साथ पीछे हटते आए, यहाँ तक कि हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने उनको नीचे उतार दिया।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ

عَمَّارٌ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلاَ يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ " . أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ عَمَّارٌ لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَىَّ.

जब अम्मार(रज़ि.) अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने उनसे कहा, क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नहीं सुना आप फ़र्माया करते थे 'जब कोई इमामत कराए तो दूसरे लोगों से ऊँचा खड़ा न हो।' या कुछ ऐसे ही फ़र्माया। अम्मार (रज़ि.) ने जवाब दिया, इसीलिए तो मैं आपके साथ पीछे हट आया था जब आपने मेरे हाथ पकड़े थे।

तख़रीज 598: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 3/109, मिन हदीसेअबी दाऊद बिही

फ़वाइद व मसाइलः (1) इमाम और मुक़्तदियों को एक ही सतह पर होना चाहिए और वह जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक बार मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई थी, तो उसमें मक़्सद ता'लीम था। गोया अगर किसी मक़्सद या ज़रूरत के पेशेनज़र इमाम को बुलंद मक़ाम पर या इम्तियाज़ी जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ना पड़े तो बिला कराहत जाइज़ है। तफ़्सील के लिए देखिए (सहीह बुख़ारीः 377) **(2)** नमाज़ में कोई वाज़ेह ग़लती हो रही हो और उसकी मौक़े पर इस्लाह मुम्किन हो तो कर देनी चाहिए और वह इस्लाह क़बूल भी कर लेनी चाहिए।

﴿67﴾ بَابُ إِمَامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاَةَ

बाब : 67 जो कोई किसी क़ौम को नमाज़ पढ़ाए हालाँकि वह ख़ुद नमाज़ पढ़ चुका हो

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ

(599) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ा करते थे। फिर अपनी क़ौम में आते और उन्हें वही नमाज़ पढ़ाते।

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ .

तखरीज 599: (सनद हसन) अहमदः 3/302, सहीह इब्ने खुज़ैमाः 1633

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ .

(600) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत मुआज़ (रज़ि.) नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते और फिर वापिस जाकर अपनी क़ौम को इमामत कराते।

तखरीज 600: सहीह मुस्लिमः 465, सहीह बुख़ारी (: 700, 701)

फ़वाइद व मसाइलः (1) जब कोई मअ़क़ूल सबब मौजूद हो तो नमाज़ को दोहराया जा सकता है मगर दूसरी नमाज़ नफ़्ल होगी, जैसे कि हज़रत मुआज़ (रज़ि.) की पहली नमाज़ फ़र्ज़ और दूसरी नफ़्ल होती थी। और एक बार हज़रत अबूबक्र (रज़ि .) ने भी एक पीछे रह जाने वाले के साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी थी। (देखिए सुनन अबी दाऊद हदीस 574) **(2)** इमाम नफ़्ल पढ़ रहा हो तो मुक़्तदी फ़र्ज़ की निय्यत कर सकता है। यह सूरत बिल्उमूम रमज़ान में नमाज़े तरावीह में पेश आ सकती है और जाइज़ है कि देर से आने वाला इमाम के पीछे फ़र्ज़ की निय्यत कर ले। इमाम दो रकअ़त पर सलाम फेर दे तो वह खड़े होकर अपनी बाक़ी नमाज़ पूरी कर ले।

बाब : 68
इमाम अगर बैठकर नमाज़ पढ़ाए

﴾68﴿
بَابُ الإِمَامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ

(601) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) घोड़े पर सवार हुए और उससे गिर पड़े। उससे आपका दायाँ पहलू छिल गया तो आपने एक नमाज़ बैठकर पढ़ी। हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज़ पढ़ी। जब आप फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया, 'इमाम

الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ" .

इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक़्तिदा की जाए। वह जब खड़ा होकर नमाज़ पढ़े तो खड़े होकर पढ़ो। जब वह रुकूअ करे तो रुकूअ करो और जब (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) 'सुन लिया अल्लाह ने उसको जिसने उसकी ता'रीफ़ की।' कहे तो कहो (रब्बना लकल हम्द) 'ऐ हमारे रब! और तेरी ही ता'रीफ़ है।' और जब वह बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम सब बैठकर नमाज़ पढ़ो।'

तखरीज 601: सहीह बुख़ारीः 689, मुस्लिमः 411, मौत्ताः 1/135

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرَبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا قَالَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا . قَالَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلاَ

(602) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीने में एक घोड़े पर सवार हुए, उसने आपको खजूर के एक तने पर गिरा दिया। उससे आपके पैर में मोच आ गई (या अपने जोड़ से निकल गया) हम आपकी एयादत के लिए हाज़िर हुए तो आपको हज़रत आइशा (रज़ि.) के कमरे में पाया। आप बैठकर नफ़्ल पढ़ रहे थे। चुनाँचे हम आपके पीछे खड़े हो गए। आप हमारी बाबत ख़ामोश रहे। हम फिर दोबारा एयादत के लिए आए तो आपने फ़र्ज़ नमाज़ बैठकर पढ़ी और हम आपके पीछे खड़े हो गए। आपने हमें इशारा किया तो हम बैठ गए। रावी ने कहा, जब आपने नमाज़ पूरी की तो फ़र्माया, 'जब इमाम बैठकर नमाज़ पढ़े तो बैठकर पढ़ा करो और जब वह खड़े होकर पढ़े तो खड़े होकर पढ़ो और इस तरह न करो जैसे अहले फ़ारिस अपने बड़ों के साथ करते हैं।'

تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا " .

तखरीज 602: (सहीह) इब्ने ख़ुज़ैमाः 1615, व सहीह इब्ने हिब्बानः 365, : 606 में देखें

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلاَ تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلاَ تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " . قَالَ مُسْلِمٌ " وَلَكَ الْحَمْدُ " . " وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " . أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ.

(603) जनाब अबू सालेह हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इमाम इसलिए होता है कि उसकी पैरवी की जाए। वह जब तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो। और जब तक वह तक्बीर न कह ले तुम तक्बीर न कहो। और जब वह रुकूअ में जाए तो तुम भी रुकूअ में जाओ। और उस वक़्त तक रुकूअ में न जाओ जब तक कि वह रुकूअ के लिए झुक न जाए और जब वह (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहे, तो तुम कहो (अल्लाहुम्म रब्बना लकल हम्द) मुस्लिम (बिन इब्राहीम) के लफ़्ज़ हैं (वलकल हम्द) वह जब सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और उस वक़्त तक सज्दे के लिए न झुको जब तक कि वह सज्दे में चला न जाए, और जब वह खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो और जब बैठकर पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़र्माते हैं (अल्लाहुम्म रब्बना लकल हम्द) के अल्फ़ाज़ हमारे कुछ साथियों ने (उस्ताद) सुलेमान बिन हर्ब से मुझे समझाए।

तखरीज : (सनद सहीह) अहमदः 2/341,: 8483

फ़वाइद व मसाइलः (1) इस्लाम के शुरुआती दौर में हुक्म ऐसे ही था कि इमाम और मुक़्तदी दोनों एक ही हालत में हों। लेकिन अब यह हुक्म नहीं है, बल्कि इमाम किसी वजह से बैठकर पढ़ाए तो मुक़्तदी खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि नबी (ﷺ) का आख़िरी अमल यही था। (2) मुक़्तदी के लिए वाजिब है कि इंतिक़ाले अरकान में इमाम से पीछे रहे, उससे सब्क़त (पहल) न करे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمَصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ " . بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ الْوَهَمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ .

(604) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़र्माया, 'इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी पैरवी की जाए।' और इस रिवायत में इज़ाफ़ा किया 'और जब वह क़िराअत करे तो तुम ख़ामोश रहो।' इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह इज़ाफ़ा (व इज़ा क़रअ फ़ अन्सितू) यानी जब इमाम क़िराअत करे तो तुम ख़ामोश रहो। महफ़ूज़ नहीं है और हमारे नज़दीक यह अबू ख़ालिद का वहम है।

तखरीज 604: (सनद सहीह) नसाई: 922, व इब्ने माजा: 846, हदीस: 973 में देखें, हुमैदी: (980, बितहक़ीक़ी) सहीह मुस्लिम कमा यअती: 821

फ़ायदा: और दीगर सहीह रिवायात से साबित है कि जहरी नमाज़ों में मुक़्तदी को ख़ामोश रहने का यह हुक्म फ़ातिहा के अलावा की क़िराअत के लिए है। और मुक़्तदी को हर सूरत में ख़ामोशी के साथ इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا " .

(605) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने घर में नमाज़ पढ़ी और आप बैठे हुए थे और लोगों ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ी तो आपने इशारा किया कि बैठ जाओ। जब आप फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया, 'इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी पैरवी की जाए, चुनाँचे जब वह रुकूअ करे तो रुकूअ करो और जब सिर उठाए तो तुम भी उठाओ और जब वह बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो।'

तखरीज 605: सहीह बुख़ारी: 688, मौत्ता (यहया): 1/135, मुस्लिम: 412

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، - الْمَعْنَى - أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ اشْتَكَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ لِيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ .

(606) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) बीमार हो गए तो हमने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी जबकि आप बैठे हुए थे और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) तक्बीर कह रहे थे ताकि लोगों को आपकी तक्बीर सुनवाएँ। फिर ह़दीस बयान की।

तखरीज 606: स़ह़ीह़ मुस्लिमः 413

फ़वाइद व मसाइलः इमाम बीमार हो तो बैठकर नमाज़ पढ़ा सकता है। लेकिन मुक़्तदी खड़े होकर ही पढ़ेंगे। **(2)** इमाम की तक्बीर की आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए मुकब्बिर उसकी मदद कर सकते हैं। और आजकल आलाए मुकब्बिरुस्सौति (लाउड स्पीकर) यह ज़रूरत पूरी कर देते हैं।

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا زَيْدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ، مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ - قَالَ - فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ إِمَامَنَا مَرِيضٌ . فَقَالَ " إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هذا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ .

(607) जनाब हुसैन, यह सअद बिन मुआज़ की औलाद में से थे, हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि वह अपनी क़ौम की इमामत कराया करते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) उनकी एयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हमारा इमाम बीमार है, तो आपने फ़र्माया, 'जब वह बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ा करो।'

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, यह ह़दीस मुत्तसिल नहीं है।

तखरीज (सनद ज़ईफ़): 601 में देखें, अलफ़त; 2/176

फ़वाइद व मसाइलः **(1)** शैख़ अल्बानी (रह़.) के नज़दीक यह ह़दीस सही है। लेकिन यह और इस मफ़्हूम की दीगर अह़ादीस शुरूदौर की हैं जिसमें यही हुक्म था कि इमाम व मुक़्तदी खड़े होने या बैठने की सूरत में यक्साँ हों। मगर नबी (ﷺ) की आख़िरी नमाज़ में जो आपने बैठकर पढ़ाई उसमें स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) खड़े हुए थे तो वह उनकी नासिख़ है। **(2)** नबी (ﷺ) बशरी अवारिज़ से दो चार होते रहते थे। **(3)** नमाज़ में मुक़्तदी को इंतिक़ाले अरकान में इमाम से पीछे पीछे रहना वाजिब है। वह किसी भी रुक्न में इमाम से पहल न करें।

बाब : 69
जब दो आदमी हों, एक इमाम हो तो कैसे खड़े हों?

﴾69﴿

باب الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كَيْفَ يَقُومَانِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ فَأَتَوْهُ بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ فَقَالَ " رُدُّوا هَذَا فِي وِعَائِهِ وَهَذَا فِي سِقَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ " . ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا . قَالَ ثَابِتٌ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بِسَاطٍ .

(608) हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलल्लाह (ﷺ) (उनकी ख़ाला) उम्मे हराम (रज़ि) के यहाँ तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने आपको घी और खजूरें पेश कीं। आपने फ़रमाया 'खजूरों को उनके बरतन में और घी को उसके मशकीज़े में डाल दो। मैं रोज़े से हूँ।' फिर आप खड़े हुए और हमें दो रकअत नफ़्ल पढ़ाए तो उम्मे सुलैम (रज़ि.) (हज़रत अनस की वालिदा) और उम्मे हराम हमारे पीछे खड़ी हुईं.... साबित (रह.) ने बयान किया कि मैं यही समझता हूँ कि अनस (रज़ि .) ने कहा था, आपने मुझे अपनी दाएँ जानिब चटाई पर खड़ा किया था।

तख़रीज 608: (सनद सहीह) अहमदः 3/160, व अख़्रज अयज़नः 1/330, हाकिमः 3/534

फ़वाइद व मसाइल (1) कुछ औक़ात नफ़्ल नमाज़ की जमाअत हो सकती है। और हो सकता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बरकत पहुँचाने के इरादे से नमाज़ पढ़ाई हो और यह भी मुम्किन है कि आप (ﷺ) ने उन्हें नमाज़ की ता'लीम के लिए ऐसे किया हो ताकि औरतें भी क़रीब से आपकी नमाज़ का मुशाहिदा कर लें। (नववी) **(2)** जमाअत में दो मर्द हों तो दोनों की एक सफ़ होगी इमाम बाएँ जानिब और मुक़्तदी उससे दाएँ जानिब खड़ा होगा। और औरत ख़्वाह अकेली हो या ज़्यादा उनकी सफ़ अलग से होगी।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ .

(609) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी और उनमें से एक ख़ातून की इमामत कराई थी। पस आपने अनस को अपनी दाएँ जानिब और औरत को पीछे खड़ा किया था।

तखरीज 609: सहीह मुस्लिमः 660

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ فَأَطْلَقَ الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَوْكَأَ الْقِرْبَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي بِيَمِينِهِ فَأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ .

(610) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने (एक बार) अपनी ख़ाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि) के घर में रात गुज़ारी। रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को उठे, आपने मशकीज़ा खोला और उससे वुज़ू किया, फिर उसका मुँह बन्द कर दिया, फिर आप नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। तब मैं भी उठा और इसी तरह वुज़ू किया जैसे कि आपने किया था और आकर आपके साथ बाएँ जानिब खड़ा हो गया। तो आपने मुझे मेरे दाएँ हाथ से पकड़कर अपने पीछे से घुमाया और अपनी दाएँ जानिब खड़ा किया और मैंने आपके साथ मिलकर नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ी।

तखरीज 610: सहीह मुस्लिमः 763/193

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذُؤَابَتِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

(611) जनाब सईद बिन जुबैर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इस क़िस्से में बयान करते हैं कि आपने मुझे मेरे सिर से पकड़ा या मेरे बाल पकड़े और मुझे अपनी दाएँ जानिब खड़ा कर लिया।

तखरीज 611: सहीह बुख़ारीः 5919

फ़वाइद व मसाइल: (1) इसमें हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की फ़ज़ीलत का सुबूत मिलता है कि उन्हें अवाइले उम्र में नबी (ﷺ) के मअमूलात के मुशाहिदा का शौक़ था। (2) एक शख़्स जो अपनी नमाज़ पढ़ रहा हो, उसको इमाम बनाना जाइज़ है ख़्वाह उसने इमाम बनने की निय्यत न की हो। (3) कुछ औक़ात तहज्जुद या नफ़्ल नमाज़ की जमाअत कराई जा सकती है। (4) दो आदमियों की जमाअत भी दुरुस्त है और इस सूरत में वह दोनों एक सफ़ में बराबर खड़े होंगे। (5) नमाज़ के बीच में कोई ज़रूरी इस्लाह मुम्किन हो तो कर देने और क़बूल कर लेने में कोई हर्ज नहीं।

(70) باب إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً كَيْفَ يَقُومُونَ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ، مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ " قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ " . قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ صلى الله عليه وسلم .

बाब : 70
अगर तीन अफ़राद हों तो कैसे खड़े हों?

(612) सय्यदना अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि उनकी नानी मुलैका (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को खाने पर बुलाया। आपने खाना तनावुल फ़र्माया फिर कहा, 'खड़े हो जाओ मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊँ।' अनस (रज़ि.) कहते हैं कि मैं एक चटाई ले आया जो तवील (ज़्यादा) इस्तेमाल से काली हो गई थी। मैंने उस पर पानी छिड़क दिया। (ताकि कुछ नर्म हो जाए।) आप उस पर खड़े हो गए। मैंने और यतीम (इब्ने अबी ज़ुमैरा, मौला रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आपके पीछे सफ़ बनाई और बुढ़िया (मुलैका रज़ि.) हमारे पीछे खड़ी हुईं। आपने दो रकअतें पढ़ाईं फिर आप तशरीफ़ ले गए।

तखरीज 612: सहीह बुख़ारी: 380, मुस्लिम: 658, मौत्ता (यहया): 1/153

फ़ायदा: तीन मर्द हों तो इमाम आगे और बाक़ी दो उसके पीछे सफ़ बनाएँ और औरत की अलग सफ़ होगी ख़्वाह अकेली ही हो।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ كُنَّا أَطَلْنَا الْقُعُودَ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَاسْتَأْذَنَتْ لَهُمَا فَأَذِنَ لَهُمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ .

(613) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन अस्वद अपने वालिद से रिवायत करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब अ़ल्क़मा और अस्वद ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि. से (उनके घर में मिलने की) इजाज़त चाही। और हमें उनके दरवाज़े पर काफ़ी देर बैठना पड़ा था। बिल्आख़िर एक लौण्डी आई जिसने हमारे लिए इजाज़त तलब की तो आपने हमें बुलवा लिया। फिर आप नमाज़ के लिए उठे तो मेरे और उनके बीच खड़े हुए (और हमें नमाज़ पढ़ाई) फिर कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे ही करते देखा है।

तखरीज 613: (सनद हसन) नसाई: 800

नोट मल्हूज़: हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़त्हुल बारी में बयान करते हैं कि इब्ने सीरीन ने इसका जवाब यह दिया है कि शायद जगह की तंगी की वजह से ऐसे किया हो। अबू उ़मर नमरी ने इसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) पर मौक़ूफ़ कहा है और कुछ ने इसे मंसूख़ कहा है और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि. के अ़मल को उनकी अ़दमे इत्तिलाअ़ या निस्यान (भूलने) पर महमूल किया है।

﴿71﴾ باب الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

बाब : 71 इमाम सलाम के बाद क़िब्ले की तरफ़ से फिर जाए

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ

(614) जनाब जाबिर बिन यज़ीद बिन अस्वद अपने वालिद से नक़्ल करते हैं। कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी

بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ .

तो (देखा कि) आप जब नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो क़िब्ले की तरफ़ से (मुक़्तदियों की तरफ़) फिर जाया करते थे।

तखरीज 614: (सनद सहीह),: 575 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صلى الله عليه وسلم .

(615) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से मरवी है कि हम जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ते तो पसंद करते कि आपकी दाएँ जानिब खड़े हों कि आप (सलाम के बाद) हमारी तरफ़ रुख़ करेंगे।

तखरीज 615: सहीह मुस्लिमः 709

फ़ायदाः सलाम के बाद इमाम का हालते तशह्हुद से फिरकर मुक़्तदियों की तरफ़ रुख़ करके बैठना मस्नून है। और इस तरह बैठे कि दाएँ जानिब वालों की तरफ़ रुख़ क़द्रे ज़्यादा हो और बाएँ तरफ़ वाले भी अच्छी तरह उसकी नज़र में हों। इस तरह बैठना कि बाएँ जानिब वालों की तरफ़ पीठ हो जाए सही नहीं है। और मज़्कूरा अमल दाइमी नहीं होना चाहिए बल्कि कभी कभी रुख़ बाएँ जानिब भी होना चाहिए।

﴾72﴿
باب الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ

बाब : 72
इमाम का अपनी जगह (अपने मुसल्ले) पर सुन्नत या नफ़्ल अदा करना।

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ

(616) अता ख़ुरासानी हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इमाम ने जिस जगह नमाज़ पढ़ाई हो, उसी जगह (सुन्नत या

الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي الإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ .

नफ़्ल) न पढ़े, यहाँ तक कि वहाँ से हट जाए।'

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि अ़ता ख़ुरासानी ने मुग़ीरा बिन शुअ़बा को नहीं पाया।

तख़रीज 616: (इस्नाद ज़ईफ़) इब्ने माजाः 1428, फ़त्हुल बारीः 2/335

फ़वाइद व मसाइलः (1) यह रिवायत भले सनदन ज़ईफ़ है लेकिन यह मसला सही है, क्यों कि दीगर रिवायात से इसका सुबूत मिलता है। जैसे स़ह़ीह़ मुस्लिम में ह़ज़रत मुआ़विया (रज़ि) से मरवी है 'जब तुम जुम्अ़ा पढ़ लो तो उसके बाद उसे दूसरी नमाज़ से मत मिलाओ, यहाँ तक कि बात कर लो या वहाँ से निकल जाओ।' इसी रिवायत में आगे यह भी है 'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हम किसी नमाज़ को किसी नमाज़ के साथ न मिलाएँ, यहाँ तक कि हम बातचीत कर लें या उस जगह से निकल जाएँ।' इस ह़दीस के अल्फ़ाज़ में उ़मूम है जिससे मसला ज़ेरे बह़स के लिए इस्तिदलाल करना सही है। (स़ह़ीह़ मुस्लिमः 883) मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिए फ़त्हुल बारीः 2/335) **(2)** ह़िक्मत इसमें यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर सज्दा सब्त हो। यह मक़ामात क़ियामत के दिन गवाही देंगे जैसे कि आयते करीमा (यौमइज़िन तुह़द्दिसु अख़बारहा) (ज़िल्ज़ालः 4) 'ज़मीन उस दिन अपनी ख़बरें बयान करेगी।' की तफ़्सीर में आता है। **(3)** इमाम अबू दाऊद (रह़.) की सनद में इंक़िताअ़ है मगर दीगर शवाहिद की रोशनी में ह़दीस सही है। (शैख़ अल्बानी रह़.)

(73)
بَابُ الإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ

बाब : 73
इमाम ने आख़िरी रकअ़त से सिर उठाया और उसका वुज़ू टूट गया तो?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ

(617) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने **फ़र्माया, 'इमाम ने जब नमाज़ पूरी कर ली हो और (आख़िरी) क़अ़दा में बैठ गया हो और**

الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاَةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاَةَ .

कलाम करने (यानी सलाम फेरने) से पहले ही बेवुज़ू हो जाए तो उसकी नमाज़ हो गई और उसके मुक़्तदियों की भी जिन्होंने नमाज़ पूरी पढ़ी हो, नमाज़ कामिल होगी।'
तखरीज 617: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 408, दारे क़ुत्नी: 1/379, व: 62, 514 में देखें

नोट मल्हूज़: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इसलिए क़ाबिले हुज्जत नहीं। सहीह अहादीस से साबित है कि तशह्हुद और सलाम वाजिब है। इसलिए इमाम या मुक़्तदी का सलाम से पहले वुज़ू टूट जाए तो नमाज़ दोहराए सलाम के वुजूब के लिए नीचे दी गई हदीस दलील है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ .

(618) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नमाज़ की मिफ़्ताह (चाबी) वुज़ू है। इसकी तहरीम, तक्बीर और तहलील सलाम है।'
तखरीज 618: (सनद हसन), ह: 61 में इसकी तख़रीज़ गुजर चुकी है।

तौज़ीह: तक्बीर यानी (अल्लाहु अकबर) कहने से आम मशाग़िल हराम हो जाते हैं और (अस्सलामु अलैकुम) कहने से यह मशाग़िल हलाल हो जाते हैं। नीज़ यह भी साबित हुआ कि नमाज़ की इब्तिदा लफ़्ज़ (अल्लाहु अकबर) से है और इससे निकलने के लिए (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) मशरूअ है, न कि कोई और कलिमात या आमाल

बाब : 74
मुक़्तदी को इमाम की (पूरी तरह) पैरवी करने का हुक्म

﴿74﴾
باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلاَ بِسُجُودٍ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ .

(619) हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'रुकूअ और सुजूद में तुम मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश न किया करो, क्योंकि मैं रुकूअ करने में तुमसे जिस क़द्र आगे होऊँगा, मेरे सिर उठाने पर तुम्हारी यह तलाफ़ी हो जाएगी (कि तुम उतना ही ताख़ीर से सिर उठाओगे) बिलाशुब्हा मैं किसी क़द्र भारी हो गया हूँ।'

तखरीज 619: (सनद सहीह) इब्ने माजाः 963, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 1594, व इब्ने हिब्बान (अल्एह्सान): 2226, 2227

तौज़ीः यहाँ जिस्मानी तौर पर भारीपन के इज़्हार से, नबी (ﷺ) का मतलब नमाज़ के अरकान की अदायगी में एतिदाल व तवाज़ुन है। यानी मैं ज़्यादा तेज़ी से रुकूअ में जाने और रुकूअ से उठने के लिए हरकत नहीं कर सकता, इसलिए सुर्अत (तेज़ी) का मुज़ाहिरा करते हुए मुझसे पहल न करना, बल्कि मेरे बाद ही सारे अरकान अदा करना।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ،

(620) जनाब अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ख़तमी लोगों को ख़ुत्बा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें हज़रत बराअ (रज़ि.) ने बयान किया... और वह झूठे नहीं थे... कि सहाबा किराम (रज़ि.) जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के

साथ रुकूअ से सिर उठाते तो खड़े रहते। जब देखते कि आप सज्दे में चले गए हैं तब सज्दे के लिए झुकते।

तखरीज 620: सहीह बुख़ारीः 747, मुस्लिमः 474

(621) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, ह़ज़रत बराअ (रज़ि.) से बयान करते हैं कि हम नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे और हममें से कोई अपनी पीठ न झुकाता था जब तक कि नबी (ﷺ) को न देख लेता कि उन्होंने अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी है।

तखरीज 621: सहीह मुस्लिमः 474

(622) जनाब मुहारिब बिन दस्सार रिवायत करते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने मिम्बर पर ख़ुत्बा देते हुए कहा, मुझसे ह़ज़रत बराअ (रज़ि.) ने बयान किया कि सहाबा किराम (रज़ि.) रसूलल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे, जब आप रुकूअ करते तो वह रुकूअ करते जब आप (समिअ़ल्लाहु लिमन ह़मिदा) कहते (तो वह सिर उठाते) और फिर खड़े रहते यहाँ तक कि आपको देख लेते कि आपने अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी है। फिर वह आप (ﷺ) की पैरवी करते। (यानी सज्दा करते।)

तखरीजः सहीह मुस्लिम और देखिए पहली वाली हदीस

- وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامُوا قِيَامًا فَإِذَا رَأَوْهُ قَدْ سَجَدَ سَجَدُوا .

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ، أَبَانُ وَغَيْرُهُ - عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ .

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ صلى الله عليه وسلم .

फ़ायदाः इन अहादीस में मुक़्तदी को इमाम की इक़्तिदा का अदब बताया गया है कि जब इमाम रुकूअ में चला जाए तब मुक़्तदी रुकूअ करें। इसी तरह जब वह सिर उठाए तब सिर उठाएँ और जब वह अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दे तब सज्दा करें और मुक़्तदी का अपने इमाम से पीछे रहना वाजिब है।

(75) باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

बाब : 75
इमाम से पहले सिर उठाने या रखने पर वईद

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا يَخْشَى - أَوْ أَلاَ يَخْشَى - أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ .

(623) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो शख़्स (इमाम से पहले) अपना सिर उठाता है जबकि वह इमाम सज्दे में हो, उसे डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह तआला उसका सिर गधे के सिर जैसा न बना दे या उसकी शक्ल गधे की शक्ल न बना दे।

तख़रीज 623: सहीह मुस्लिमः 427

फ़ायदाः नमाज़ के अहम वाजिबात से ग़ाफ़िल रहना इंतिहाई जाहिल और ग़बी (बदमिजाज़) होने की अलामत है। इसी मअनी में यह वईद सुनाई गई है लिहाज़ा मुक़्तदी को हर हाल में अपने इमाम से पीछे रहना वाजिब है।

(76) باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

बाब : 76
इमाम से पहले उठकर जाने का मसला

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الْمُرْهِبِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله

(624) हज़रत अनस (रज़ि.) से मंक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) को नमाज़ की तर्ग़ीब दी और उन्हें मना फ़र्माया कि आपके उठकर जाने से पहले उठकर जाएँ।

عليه وسلم حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلاَةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ .

तखरीज 624: (सनद सहीह) शरहस्सुन्नाः 707, अहमदः 3/240, बैहक़ीः 2/192

फ़ायदाः सलाम के बाद अगरचे उठना जाइज़ है मगर चूँकि उस दौर में सहाबियात भी नमाज़ में हाज़िर हुआ करती थीं और वह पिछली सफ़ों में होती थीं। लिहाज़ा उन्हें हिदायत की थी कि कुछ देर इंतिज़ार कर लिया करें ताकि वह मर्दों से पहले मस्जिद से निकल जाएँ। नीज़ रास्ते में भी मर्दों और औरतों का इख़्तिलात (मिलाप) न हो। नीज़ यह भी है कि सलाम के बाद मस्नून अज़्कार से ग़फ़लत न करें। शैख़ अल्बानी (रह.) लिखते हैं कि इस रिवायत में 'तर्ग़ीबे नमाज़' वाला हिस्सा ज़ईफ़ है।

(77) باب جِمَاعِ أَثْوَابِ مَا يُصَلَّى فِيهِ

बाब : 77 कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़ी जाए?

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ .

(625) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक कपड़े में नमाज़ के बारे में पूछा गया तो आपने फ़र्माया, 'क्या तुममें से हर एक के पास दो दो कपड़े हैं?'

तखरीज 625: सहीह बुख़ारीः 358, मुस्लिमः 515, मौत्ता (यह्या): 1/140

फ़ायदाः यानी जब फ़िल्वाक़ेअ (हक़ीक़त में) हर इंसान को दो कपड़े मुहैया नहीं तो शरीअत में भी तंगी नहीं। एक कपड़े में भी नमाज़ जाइज़ है। उसके बाँधने का तरीक़ा नीचे वाली अहादीस में बयान हुआ है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

(626) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुममें से कोई शख़्स एक कपड़े में नमाज़ न पढ़े इस हाल में कि उसमें से कुछ उसके कंधों पर न हो।'

तखरीज 626: सहीह मुस्लिमः 516

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - الْمَعْنَى - عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

(627) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तुममें से कोई एक कपड़े में नमाज़ पढ़े तो उस चादर के दोनों पल्लुओं में से दाएँ पल्लू को बाएँ कन्धे पर और बाएँ पल्लू को दाएँ कन्धे पर डाल ले।'

तख़रीज 627: सह़ीह़ बुख़ारी: 360

फ़ायदा: यानी कमर पर इस त़रह़ लपेटे कि उसका दायाँ पल्लू बाएँ काँधे पर और बायाँ पल्लू दाएँ काँधे पर आ जाए। इस त़रह़ यह कपड़ा तहबन्द और ऊपर की चादर दोनों का काम देगा।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ .

(628) सय्यदना उमर बिन अबी सलमा (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप एक कपड़ा लपेटे नमाज़ पढ़ रहे थे और आपने उसके दोनों पल्लुओं (किनारों) को एक दूसरे की मुख़ालिफ़ सिम्त से अपने कन्धों पर डाला हुआ था।

तख़रीज 628: सह़ीह़ मुस्लिम: 517

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(629) ह़ज़रत क़ैस बिन त़ल्क़ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हम नबी (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए। उसी समय में एक आदमी आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! एक कपड़े में नमाज़ के बारे में आपका क्या इर्शाद है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना तहबन्द खोला और उस पर ऊपर वाली चादर को लपेटा (इस त़रह़ दोनों एक ही चादर बन

عليه وسلم إِزَارَهُ طَارَقَ بِهِ رِدَاءَهُ فَاشْتَمَلَ بِهِمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ

गईं) और उसे अपने ऊपर लपेट लिया, फिर आप खड़े हुए और हमें नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया, 'क्या तुम सबको दो दो कपड़े मयस्सर हैं?'

तखरीज 629: (सनद हसन) अहमदः 4/22

फ़ायदाः इन अहादीस से मालूम हुआ कि दो कपड़े मयस्सर न होने की सूरत में एक चादर में नमाज़ जाइज़ है और हुक्म है कि उसके पल्लू कंधों पर भी आएँ।

(78)
باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ فِي قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

बाब : 78
कोई अपने तहबंद के पल्लुओं को अपनी गर्दन में गिरह देकर नमाज़ पढ़े?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ كَأَمْثَالِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ .

(630) हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने लोगों को देखा कि कपड़ों की तंगी के बाइस उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ में अपने तहबन्दों के पल्लुओं को अपनी गर्दनों में गिरह लगाई होती थी जैसे कि बच्चों की होती है तो एक शख़्स ने कहा, ऐ औरतों! तुम मर्दों से पहले अपने सिर न उठाया करो। (कहीं किसी के सतर पर नज़र न पड़ जाए।)

तखरीज 630: सहीह मुस्लिमः 441, बुख़ारीः 362

फ़ायदाः मालूम हुआ नमाज़ में सतर ढाँपना वाजिब है और मालूम रहे कि मर्द के लिए नाफ़ से लेकर घुटने तक सतर है (यानी उस हिस्से को ढाँपना ज़रूरी है) और कांधों को भी ढाँका जाए। और यह भी साबित हुआ कि मुसलमान अपने अव्वलीन दौर में बेहद तंगदस्ती का शिकार थे।

बाब : 79
इंसान ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़े कि उसका कुछ हिस्सा दूसरे पर हो?

﴾79﴿
باب الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَىَّ

(631) सय्यदा आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने एक कपड़े में नमाज़ पढ़ी और उसका कुछ हिस्सा मुझ पर था।

तख़रीज 631: (सनद सहीह) अहमदः 6/70,: 369, 370, 656 में देखें

फ़ायदा: जाइज़ है कि एक बड़ी चादर या कम्बल वग़ैरह का कुछ हिस्सा नमाज़ी पर हो और कुछ हिस्सा उसकी बीवी पर, ख़्वाह वह अय्याम (पीरियड) से भी हो तो कोई हर्ज नहीं। तफ़्सील के लिए देखिए (सुनन अबू दाऊदः 369, 370)

बाब : 80
इंसान एक क़मीस में नमाज़ पढ़े

﴾80﴿ باب فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ح عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ .

(632) हज़रत सलमा बिन अक्वा (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ! मैं शिकारी आदमी हूँ। क्या मैं सिर्फ़ एक क़मीस में नमाज़ पढ़ लिया करूँ? आपने फ़र्माया, 'हाँ! और उसे बटन लगा लिया करो ख़्वाह काँटे ही के हों।'

तख़रीज 632: (सनद हसन) नसाईः 766, अहमदः 4/49, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 777, 778, इब्ने हिब्बानः 2291, हाकिमः 1/250, (फ़तः 1/465)

फ़ायदा: ज़ाहिर है कि इससे मुराद अरब की ख़ास लम्बी क़मीस है। अगर उसके नीचे सलवार या चादर न भी हो तो नमाज़ जाइज़ है, बशर्तेकि सतर पूरी तरह ढका हुआ हो, अगर खुलने का अंदेशा हो तो उसे बाँधने का हुक्म दिया गया है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَوْمَلٍ الْعَامِرِيِّ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ وَالصَّوَابُ أَبُو حَرْمَلٍ عَنْ - مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ .

(633) जनाब मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (मुलैकी) अपने वालिद से बयान करते हैं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने एक क़मीस में हमें नमाज़ पढ़ाई और उन पर चादर न थी। जब वह फ़ारिग़ हुए तो कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा था कि आपने एक ही क़मीस में नमाज़ पढ़ाई थी।

तख़रीज 633: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/239

﴾81﴿
باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

बाब : 81
जब कपड़ा तंग हो तो उसका तहबन्द बाँध ले

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ

(634) जनाब उबादा बिन वलीद बिन उबादा बिन सामित कहते हैं कि हम हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) के यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि मैं एक ग़ज़्वे में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चला। आप उठकर नमाज़ पढ़ने लगे और मुझ पर एक चादर थी। मैंने उसके पल्लुओं को उसके मुख़ालिफ़ अत्राफ़ से लपेटने की कोशिश की (यानी

بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ أَتَيْنَا جَابِرًا - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ سِرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ فَقَامَ يُصَلِّي وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا لاَ تَسْقُطُ ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُنِي وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَأَشَارَ إِلَىَّ أَنْ أَتَّزِرَ بِهَا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَا جَابِرُ " . قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ " .

दायाँ पल्लू बाए काँधे पर और बायाँ पल्लू दाएँ काँधे पर डालने लगा) मगर उसमें गुंजाइश नहीं थी और उसके किनारों पर झालर सी लगी थी। मैंने उन्हें उल्टा किया और उसके किनारों में इख़्तिलाफ़ करके अपनी गर्दन पर बाँध लिया और गर्दन को झुका लिया कि कहीं गिर न जाए। फिर मैं आकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आपकी बाएँ जानिब खड़ा हो गया तो आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घुमाकर अपनी दाएँ जानिब खड़ा कर दिया। फिर इब्ने सख़र आए और वह आपकी बाएँ जानिब खड़े हो गए। पस आपने हम दोनों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा यहाँ तक कि अपने पीछे खड़ा कर दिया। आप मुझे कंखियों से देख रहे थे मगर मैं न समझ सका। फिर मैं समझ गया और आपने इशारा किया कि उसे तहबन्द बना लो। जब आप फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया, 'ऐ जाबिर (रज़ि.)!' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ! मैं हाज़िर हूँ! आपने फ़र्माया, 'जब कपड़ा खुला हो तो उसके किनारों में इख़्तिलाफ़ कर लिया करो (और कन्धों पर डाल लिया करो) और अगर तंग हो तो अपनी कमर पर बाँध लिया करो।' (यानी सिर्फ़ तहबन्द बाँध लिया करो।)

तख़रीज 634: सहीह मुस्लिम, तक़्दुमः 485

फ़वाइद व मसाइलः (1) एक आदमी मुक़्तदी हो तो वह इमाम की दाएँ जानिब खड़ा हो। **(2)** नमाज़ के बीच में इमाम या मुक़्तदी दूसरे नमाज़ी की मुनासिब इस्लाह कर सकता है और उसे क़बूल

किया जाना चाहिए। (3) कपड़ा खुला हो तो उसके पल्लुओं को कन्धों पर डालना ज़रूरी है, वरना सिर्फ़ तहबन्द बना लिया जाए।

(635) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'या यह कहा कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा.. 'जब तुममें से किसी के पास दो कपड़े हों तो उनमें नमाज़ पढ़े। अगर एक ही हो तो उसे तहबन्द बना ले और यहूदियों की तरह न लपेटे।'

तखरीज 635: (सनद सहीह) अहमद: 2/148, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 766

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلاَ يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ ‏.‏

फ़ायदा: इश्तिमाले यहूद... यहूद की तरह लपेटने का मतलब यह है कि चादर इस तरह ओढ़ी जाए कि दोनों हाथ भी अंदर ही बंद होकर रह जाएँ और उन्हें बाहर निकालना आसान न हो।

(636) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद (हज़रत बुरैदा रज़ि.) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़र्माया है कि आदमी चादर में ऐसे नमाज़ पढ़े कि उसे लपेटा न हो। दूसरे यह कि सिर्फ़ पाजामे में नमाज़ पढ़े और उस पर चादर न हो।

तखरीज 636: (सनद हसन) बैहक़ी: 2/236, व सह़ीह़ुल ह़ाकिम: 1/250

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ، عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي لِحَافٍ لاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالآخَرُ أَنْ يُصَلِّى فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ ‏.‏

फ़वाइद व मसाइल: (1) जान बुझकर छोटा कपड़ा लेना कि कँधों पर कुछ न आ सके या जान बूझकर कन्धों को नंगा रखना जाइज़ नहीं है। हस्बे वुस्अत लिबास पूरा होना चाहिए। (2) इस ह़दीस और दीगर अह़ादीस में मर्दों के लिए नमाज़ में 'सिर ढाँपने' का कोई हुक्म या उसकी कोई फ़ज़ीलत साबित नहीं है। सिवा इसके कि कुरआने करीम की इस आयत में अल्लाह तआला ने (या बनी आदमा

ख़ुज़ू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिद) (आराफ़ः 31) 'ऐ लोगो! हर मस्जिद में आते वक़्त (या हर नमाज़ के वक़्त) अपना बनाव कर लिया करो।' का आम हुक्म दिया है। यानी नमाज़ और तवाफ़ में सतरे औरा फ़र्ज़ है। मर्द के लिए कमर से घुटने तक और औरत के लिए चेहरे और हाथों के अलावा सारा बदन। और बारीक कपड़ा जिससे बदन या बाल नज़र आएँ, मोअतबर नहीं। (मूज़िहुल कुरआन) बहरहाल इबादत के बीच में मुबाह ज़ीनत इख़्तियार करना मत्लूब है और मनमर्ज़ी हराम। और सिर को ढाँपना भी मुबाह ज़ीनत में शामिल है और नंगे सिर नमाज़ पढ़ने में मनमर्ज़ी का शाइबा है। इसके अलावा नमाज़ और ग़ैर नमाज़ में नंगे सिर रहने को आदत बना लेना नबी (ﷺ) , सहाबा किराम (रज़ि.) और सलफ़ सालेहीन (रह.) के मअमूलात के ख़िलाफ़ है। **(3)** पाजामे पर चादर की तल्क़ीन सतर के लिए है कि पोशीदा जिस्म के हिस्से कपड़े के ऊपर से भी नुमायाँ न हों।

बाब : 82
नमाज़ में टख़नों से नीचे कपड़ा लटकाना

﴿82﴾
باب الإسبال في الصلاة

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو

(637) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे, **'जिसने नमाज़ में तकब्बुर करते हुए अपना तहबन्द टख़नों के नीचे लटकाया, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ नहीं करेगा, न बुरे कामों से उसे बचाएगा।' (या उसके लिए जन्नत को हलाल और जहन्नम को हराम नहीं करेगा या जब वह अल्लाह की तरफ़ से किसी हलाल काम में नहीं तो उसके लिए भी कोई एहतिराम न होगा।)**

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुहद्दिसीन की एक जमाअत मस्लन हम्माद बिन सलमा, हम्माद बिन ज़ेद, अबुल अहवस और अबू

الأَحْوَصِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ .

मुआविया (रज़ि.) ने इस हदीस को आसिम से इब्ने मसऊद (रज़ि.) पर मौक़ूफ़ रिवायत किया है।
तखरीज 637: (सनद हसन) नसाईः 9680, तयालिसीः 351

फ़वाइद व मसाइलः (1) यह हदीस सही है और इससे साबित होता है कि अल्लाह के दीन और नबी (ﷺ) की सुन्नत से अमदन इंहिराफ़ (जानबुझ कर मुँह मोड़ना) और उसकी मुख़ालिफ़त का अज़ाब इंतिहाई शदीद है। जिसे (फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी हिल्लिन वला हराम) से ता'बीर किया गया है। शारेहीने हदीस ने इसकी यह वज़ाहत की है कि ऐसे शख़्स के गुनाह माफ़ नहीं होते। बुरे कामों से बचने की तौफ़ीक़ छीन ली जाती है। उसके लिए जन्नत हलाल नहीं होती और जहन्नम हराम नहीं की जाती। अल्लाह की तरफ़ से किसी एहतिराम का मुस्तहिक़ नहीं रहता। (वल्अयाज़ बिल्लाह) **(2)** तहबन्द, चादर और सलवार का टख़्नों से नीचे लटकाना कबीरा गुनाहों में से है और उसे तकब्बुर की अलामत क़रार दिया गया है जो अल्लाह को सख़्त नापसंद है। **(3)** जिहालत या निस्यान तो शायद किसी ऐतिबार से अल्लाह के यहाँ माफ़ हो जाए मगर इल्म हो जाने के बाद ऐसे अमल का इर्तिकाब 'तकब्बुर' में शुमार होता है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ " . فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ " اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ " . فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَ " إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ

(638) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था और वह अपना तहबन्द टख़्नों से नीचे लटकाये हुए था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (देखा तो) उसे फ़र्माया, 'जाओ और वुज़ू करके आओ।' चुनाँचे वह गया और वुज़ू करके आया। आपने उसे दोबारा फ़र्माया, 'जाओ और वुज़ू करके आओ।' चुनाँचे वह गया और वुज़ू करके आया। तो एक आदमी ने आपसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! किस वजह से आपने उसे वुज़ू करने का हुक्म दिया, फिर आप उससे ख़ामोश हो रहे? आपने फ़र्माया, 'यह शख़्स अपना तहबन्द

وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ " .

लटकाकर नमाज़ पढ़ रहा था और अल्लाह तआला ऐसे बन्दे की नमाज़ क़बूल नहीं करता जो अपना तहबन्द लटकाकर नमाज़ पढ़ रहा हो।

तख़रीज 638: (सनद हसन) अहमदः 4/67, तिर्मिज़ीः 3448, व सह्हहु इब्ने हिब्बानः 2406

फ़वाइद व मसाइलः (1) तहबन्द, चादर और सलवार का टख़्नों से नीचे लटकाये रखना अलामते तकब्बुर (घमण्ड की पहचान) है। इसलिए यह सख़्त मम्नूअ और कबीरा गुनाह है। **(2)** ताहम क्या, यह अमल नाक़िसे वुज़ू भी है? इसमें इख़्तिलाफ़ है, क्योंकि इस हदीस की सेहत में इख़्तिलाफ़ है। शैख़ अल्बानी (रह.) समेत अक्सर उलमा के नज़दीक यह हदीस ज़ईफ़ है इसलिए उनके नज़दीक टख़्नों के नीचे कपड़ा लटकने से वुज़ू नहीं टूटेगा, मगर जिनके नज़दीक यह हदीस सहीह या हसन दर्जे की है, उनके नज़दीक वुज़ू टूट जाएगा, जैसकि इस हदीस से मुस्तफ़ाद होता है। और कुछ के नज़दीक यह एक तहदीदी हुक्म है जिसका मक़्सद लोगों को इस्बाले इज़ार से रोकना है, वुज़ू इससे नहीं टूटेगा। बहरहाल एक मोमिन नमाज़ी की सलवार हमेशा और हर वक़्त टख़्नों से ऊपर ही रहनी चाहिए।

(83) بَابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

बाब : 83 औरत कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़े?

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا .

(639) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से सवाल किया गया कि औरत किन कपड़ों में नमाज़ पढ़े? तो उन्होंने कहा, 'ओढ़नी और पूरी क़मीस में नमाज़ पढ़े जो उसके पैर तक को ढाँप ले।'

तख़रीज 639: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 2/232, मौत्ता (यहया): 1/142, व सह्हहुल हाकिम (1/250)

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضى الله عنها.

(640) जनाब मुहम्मद बिन ज़ेद से रिवायत है, यही ह़दीस उन्होंने ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत की कि उन्होंने नबी (ﷺ) से पूछा कि क्या औरत एक क़मीस़ और ओढ़नी में नमाज़ पढ़ ले जबकि उसने तहबन्द न बाँधा हो? आपने फ़र्माया, '(हाँ!) जब क़मीस़ पूरी तरह ढाँपने वाली हो कि उसके पैर की पुश्त को भी ढक ले।'

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, इस ह़दीस को मालिक बिन अनस, बक्र बिन मुज़र, ह़फ़्स़ बिन ग़यास, इस्माईल बिन जअ़फ़र, इब्ने अबी ज़िअ्ब और इब्ने इस्ह़ाक़ ने मुह़म्मद बिन ज़ेद से, उन्होंने अपनी वालिदा से, उन्होंने ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत किया है। उनमें से किसी ने भी नबी (ﷺ) का ज़िक्र नहीं किया बल्कि सिर्फ़ उम्मे सलमा (रज़ि.) पर इक़्तिसार किया है। (यानी मौक़ूफ़ बयान करते हैं।)

तख़रीज 640: (सनद ज़ईफ़) दारे क़ुत्नीः 2/62, ह़ाकिम अ़ला शर्तिल बुख़ारीः 1/250

फ़वाइद व मसाइलः (1) यह दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। इस वजह से नमाज़ की ह़ालत में औरत के लिए पैरों का ढाँपना ज़रूरी नहीं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पर्दे के उ़मूमी हुक्म के एतिबार से बेहतर कहा जा सकता है। कुछ उ़लमा पैरों की पुश्त ढाँपने के लिए एक और रिवायत से इस्तिदलाल करते हैं जिसमें है कि नबी (ﷺ) ने ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के सवाल के जवाब में फ़र्माया कि अगर औरत के पैर मर्दों के लिबास से एक बालिश्त से ज़्यादा लटकाने पर नंगे रहते हों, तो फिर वह औरतें अपना लिबास एक हाथ और लटका लिया करें। (तिर्मिज़ीः 1731) इससे वह यह साबित करते हैं कि औरत को पैर की पुश्तों समेत नमाज़ में अपना पूरा जिस्म ही ढाँप कर रखना चाहिए। लेकिन ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) की इस ह़दीस का ताल्लुक़ पर्दे के उ़मूमी हुक्म से है, नमाज़ी औरत के लिए भी इसको ज़रूरी क़रार देना ग़लत़ है। इस त़रह़ तो फिर नमाज़ पढ़ते वक़्त औरत के लिए चेहरे को भी ढाँपना ज़रूरी क़रार

देना पड़ेगा। क्योंकि पर्दे के हुक्म में औरत का चेहरा भी शामिल है। अगर औरत के लिए नमाज़ की हालत में चेहरा ढाँपना ज़रूरी नहीं है, तो हज़रत उम्मे सलमा की ह़दीस से नमाज़ की हालत मे पैरों की पुश्त के ढाँपने को भी ज़रूरी क़रार देना ग़लत़ है। (मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिए, फ़तावा शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमियाः 11/426-430 तबअ़ जदीद 1998 अर्रियाज़) (2) इन अहादीस का मरफ़ूअ़ (यानी नबी (ﷺ) से मरवी) होना साबित नहीं मगर बेहतर यही है कि औरत नमाज़ में अपना तमाम जिस्म ढाँपे (क्योंकि उसे सिर समेत सारा जिस्म ढाँपने का हुक्म है) क़ाबिले गौर अम्र यह है कि जब मस्जिद जैसे पाकीज़ा माहौल और नमाज़ जैसी इबादत के दौरान में औरत पर पर्दे की इस क़द्र पाबन्दी है तो दीगर खुले मक़ामात और अजनबियों में निकलते हुए उसे अपने पर्दे का किस क़द्र एहतिमाम करना चाहिए!

बाब : 84
औरत का ओढ़नी के बग़ैर नमाज़ पढ़ना

﴿84﴾
باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(641) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह तआला किसी बालिग़ औरत की नमाज़ ओढ़नी के बग़ैर क़बूल नहीं फ़र्माता।'

इमाम अबू दाऊद (रह़ .) ने कहा, इस ह़दीस को सईद यानी इब्ने अबी अ़रूबा ने क़तादा से उन्होंने ह़सन से, उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है।

तखरीज 641: (सनद स़ह़ीह़) तिर्मिज़ीः 377, इब्ने माजाः 655, स़ह़ीह़ इब्ने ख़ुज़ैमाः 775, इब्ने ह़िब्बानः 1708, 1709, ह़ाकिम अ़ला शर्ते मुस्लिमः 1/251

फ़वाइद व मसाइलः (1) सिर के कपड़े का वुजूब औरत के लिए ख़ास़ है न कि मर्द के लिए। **(2)** ऐसे शफ़्फ़ाफ़ कपड़े जिनसे औरत के सिर के बाल नज़र आते हों, उनमें नमाज़ जाइज़ नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِي جَارِيَةٌ فَأَلْقَى لِي حِقْوَهُ وَقَالَ ح شُقِّيهِ بِشَقَّتَيْنِ فَأَعْطِي هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَإِنِّي لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتْ أَوْ لاَ أُرَاهُمَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ .

(642) इमाम मुहम्मद बिन सीरीन बयान करते हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि.) सफ़िया उम्मे तलहा अत्तल्हात की मेहमान हुईं। पस उनकी बेटियों को देखा तो फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए जबकि मेरे हुज्रे में एक नौ उम्र लड़की थी। आपने अपना तहबन्द मेरी तरफ़ फेंका और फ़र्माया, 'इसे दो हिस्सों में फाड़ दो और एक हिस्सा इस लड़की को दे दो और दूसरा उसको जो उम्मे सलमा के यहाँ है। मैं समझता हूँ कि यह बालिग़ (जवान) हो गई है। या (फ़र्माया कि) मैं समझता हूँ कि यह दोनों जवान हो गई हैं।'

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, हिशाम ने भी इब्ने सीरीन से ऐसे ही रिवायत किया है।

तख़रीज 642: (सनद ज़ईफ़) अह़मद: 6/96

नोट मल्हूज़: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम जो इन बच्चियों के लिए पर्दे की ताकीद साबित है। इसलिए कि बच्चियाँ जब जवान हो जाएँ तो उनसे पर्दे का एहतिमाम करवाया जाए। यह ख़ुद बच्चियों और उनके सरपरस्तों का लाज़मी फ़रीज़ा है। क़ुरआन की आयात और दीगर सह़ीह़ अह़ादीस इस पर सरीह़ दलालत करती हैं।

﴿85﴾ باب مَا جَاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : 85
नमाज़ में सद्ल करना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ،

(643) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ में सदल से मना किया है और इससे भी कि इंसान मुँह ढाँपकर (डाट बाँधकर) नमाज़ पढ़े।

قَالَ إِبْرَاهِيمُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عِسْلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ .

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा कि इसे इ़स्ल ने अ़त़ा से, उन्होंने अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत किया कि नबी (ﷺ) ने नमाज़ के दौरान में सद्ल से मना किया है।

तखरीज 643: (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमाः 772, 918, इब्ने माजाः 966, मुदल्लिसः 11 में देखें, तिर्मिज़ीः 378, मुस्तदरकः 1/253, इत्तिहाफुल महराः 15/375

फ़वाइद व मसाइलः (1) 'सद्ल' की शारेहीने ह़दीस ने यह वज़ाह़त की है कि चादर को उसके बीच से अपने सिर या कन्धों पर डाल लिया जाए और उसकी दाएँ बाएँ अत़राफ़ लटकती रहें। या साह़िबुन्नहाया के बयान के मुत़ाबिक़ कपड़े को इस अंदाज़ से अपने ऊपर लपेट लिया जाए कि हाथ भी अंदर ही बंद हो जाएँ और फिर रुकूअ़ और सज्दे में भी उनको न निकाला जाए, तो यह सूरतें नमाज़ के मनाफ़ी हैं। (2) रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए मसले के इस्बात के लिए काफ़ी नहीं। ताहम शैख़ अल्बानी (रह़.) वग़ैरह के नज़दीक सही है, इस वजह से इस सूरत में सद्ल मम्नूअ़ होगा।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلاً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يُضَعِّفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ .

(644) इब्ने जुरैज (रह़.) कहते हैं कि मैंने जनाब अ़त़ा (बिन अबी रबाह़.. ताबेई) को कई बार देखा कि वह सद्ल किये हुए नमाज़ पढ़ते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा कि अ़त़ा का यह अ़मल (गोया) मज़्कूरा बाला ह़दीस (अबू हुरैरा रज़ि.) को ज़ईफ़ साबित करता है।

तखरीज 644: (सनद स़ह़ीह़)

फ़ायदाः पहली सनद ह़सन और दूसरी (रिवायते इ़स्ल) सही है। (शैख़ अल्बानी रह़.) और तीसरी रिवायत ताबेई का अ़मल अगरचे सनदन सही है मगर ऊपर वाली ह़दीस के बरख़िलाफ़ है और किसी रावी का अपनी रिवायत के ख़िलाफ़ अ़मल करना उस रिवायत के ज़ईफ़ होने की दलील नहीं है और ह़क़ यह है कि नमाज़ में कपड़े को लपेटे बग़ैर सिर पर या कान्धों पर वेसे ही डाल लेना, या चेहरे को बंद कर लेना जाइज़ नहीं।

बाब : 86
औरतों के ज़ेरे इस्तेमाल कपड़ों में नमाज़

﴿86﴾
باب الصَّلاَةِ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ

(645) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे (यानी अज़्वाजे मुतहिरात के ज़ेरे इस्तेमाल) कपड़ों में या हमारे लिहाफ़ों में नमाज़ पढ़ा करते थे। उबेदुल्लाह (रह.) ने कहा (शुइरिना अव लुहुफ़िना) के अल्फ़ाज़ में मेरे वालिद को शक हुआ है (इसलिए लफ़्ज़ (अव) से रिवायत किया है।

तखरीज 645: (सनद सहीह): 367 में देखें

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ لُحُفِنَا . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ شَكَّ أَبِي

फ़ायदा: वह कपड़े जो जिस्म के साथ मुत्तसिल होते हैं उन्हें (शिआर) और जो उनके ऊपर हों उन्हें (दिसार) कहते हैं और जैसे कि यह मसला पहले (अहादीस 367 ता 370) में गुज़र चुका है कि अक्सर औक़ात नबी (ﷺ) ऐसी चादरों वग़ैरह में नमाज़ न पढ़ा करते थे जो आपकी औरतों के इस्तेमाल में भी होती थीं मगर कुछ औक़ात उनमें नमाज़ पढ़ी भी है। तो इस मसले में वुस्अत है ताहम कपड़े की तहारत का यक़ीन होना शर्त है।

बाब : 87
कोई मर्द अपने बालों का जूड़ा बनाकर नमाज़ पढ़े?

﴿87﴾ باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عَاقِصًا شَعْرَهُ

(646) जनाब सईद बिन अबी सईद मक़्बुरी अपने वालिद से बयान करते हैं, उन्होंने हज़रत अबू राफ़ेअ (मौला रसूलुल्लाह स.) को देखा कि वह हज़रत

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ،

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضُفُرَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ فَالْتَفَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ أَقْبِلْ عَلَى صَلاَتِكَ وَلاَ تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ . يَعْنِي مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَغْرِزَ ضُفُرِهِ .

हसन बिन अ़ली (रज़ि.) के पास से गुज़रे जबकि वह खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे और उन्होंने अपनी गुद्दी में अपने बालों की चोटी धंसा रखी थी। पस अबू राफ़ेअ़ ने उनके बाल खोल दिये। हज़रत हसन ने गुस्से से उनकी तरफ़ देखा, तो अबू राफ़ेअ़ ने कहा, अपनी नमाज़ पढ़िए और नाराज़ मत होइए। बिला शुब्हा मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि जूड़े का यह मक़ाम शैतान की बैठक है।

तखरीजः(सनद हसन) तिर्मिज़ीः 384, वक़ाल 'हसन', मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ः 2991, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 911, इब्ने हिब्बानः 474, हाकिमः 1/261, 262

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ وَرَاءَهُ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الآخَرُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ .

(647) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने देखा कि अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस नमाज़ पढ़ रहे थे और उनके बाल पीछे से बँधे हुए थे, तो वह उनके पीछे खड़े होकर उनके बाल खोलने लगे। उन्होंने (यानी अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस ने दौराने नमाज़ में) उस पर कोई इंकार न किया। नमाज़ के बाद वह इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की तरफ़ मुतवज्जा हुए और कहा, आपको मेरे सिर से क्या काम? (यानी आपने मेरे बाल क्यूँ खोले?) उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़र्माते थे 'बालों का जूड़ा बना लेना ऐसे है जैसे कोई नमाज़ पढ़े और उसके हाथ पीछे बँधे हों।'

तखरीज 647: सहीह मुस्लिमः 492

फ़वाइद व मसाइल (1) मर्दों के लिए बालों का जूड़ा बनाना बिल्ख़ुसूस नमाज़ में जाइज़ नहीं।

चाहिए कि उन्हें वैसे ही लम्बा छोड़ दिया जाए और सज्दा की हालत में ज़मीन पर लगने दिया जाए। दूसरी हदीस में सराहत है कि 'मुझे हुक्म है कि सात हड्डियों पर सज्दा करूँ और बालों को न बाँधू और कपड़ों को न समेटूँ।' (सहीह बुख़ारीः 812, सहीह मुस्लिमः 490) **(2)** जिन बुज़ुर्गों के बारे में आया है कि उन्होंने जूड़ा बनाया हुआ था तो शायद उन्हें यह इर्शादे नबवी मालूम न था।

बाब : 88
जूते पहनकर नमाज़ पढ़ने का मसला

﴿88﴾ باب الصَّلاَةِ فِي النَّعْلِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ

(648) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को फ़तहे मक्का वाले दिन देखा कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और आपके जूते आपकी बाईं जानिब रखे हुए थे।

तखरीज 648: (सनद सहीह) नसाईः 777, इब्ने माजाः 1431

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو عَاصِمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ - أَوْ ذِكْرُ مُوسَى

(649) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें मक्के में सुबह की नमाज़ पढ़ाई (उस नमाज़ में) आपने सूरतुल मोमिनून की तिलावत शुरू की। जब हज़रत मूसा और हज़रत हारून (अ.) या यूँ कहा कि हज़रत मूसा और हज़रत ईसा (अ.) का ज़िक्र आया... इब्ने अब्बाद को शक है या लोगों ने इख़्तिलाफ़ किया है... तो नबी (ﷺ) को खाँसी आ गई तो आपने क़िराअत को मुख़्तसर कर दिया और रुकूअ कर लिया और अब्दुल्लाह बिन साइब उसमें हाज़िर थे।

وَعِيسَى ابْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَوِ اخْتَلَفُوا - أَخَذَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَلِكَ .

तख़रीज 649: सहीह मुस्लिमः 455, मुसन्नफ़ः 2667, (फ़तः 2/255)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ قَالَ " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ " . قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا " . وَقَالَ " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا" .

(650) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने सहाबा (रज़ि.) को नमाज़ पढ़ा रहे थे कि आपने (दौराने नमाज़ में) अपने जूते उतारकर अपनी बाएँ जानिब रख लिये। जब सहाबा किराम (रज़ि.) ने आपको देखा तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिये। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया, 'तुम लोगों ने अपने जूते क्यूँ उतारे?' उन्होंने कहा कि हमने आपको देखा कि आपने अपने जूते उतारे हैं तो हमने भी उतार दिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बेशक जिब्रील (रज़ि.) मेरे पास आए और बताया कि आपके जूते में गंदगी लगी है।' लफ़्ज़ (क़दरन) था या (अजन) आपने फ़र्माया, 'जब तुममें से कोई मस्जिद में आए तो अपने जूतों को बग़ौर देख लिया करे। अगर उनमें कोई गंदगी या नजासत नज़र आए तो उसे पोंछ डाले और फिर उनमें नमाज़ पढ़ ले।'

तख़रीज 650: (सनद सहीह) अहमदः 3/20, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 1017, इब्ने हिब्बानः 360, हाकिमः 1/260, बैहक़ीः 2/431

फ़वाइद व मसाइलः (1) जूते पहनकर या उतारकर, नमाज़ पढ़ना दोनों तरह जाइज़ है। अगर जूते पहने हों तो उनका पाक होना शर्त है। और उन्हें पाक करने के लिए ख़ुश्क ज़मीन पर रगड़ लेना ही काफ़ी है। (2) नमाज़ी अकेला हो और अपने जूतों को अपने पहलू में रखना चाहता हो तो अपनी बाएँ जानिब रखे, मगर जब सफ़ में हो तो अपने पैर के बीच में रखे। (3) नजासत आलूद जूते या कपड़े में नमाज़ जाइज़ नहीं। नमाज़ के बीच में उसे दूर करना मुम्किन हो तो उसे दूर कर दे, वरना नमाज़ छोड़ दे और नजासत दूर करे। (4) ला इल्मी में जो नमाज़ नजिस कपड़े या जूते में पढ़ी जा चुकी हो वह सही है, उसके दोहराने की ज़रूरत नहीं। (5) जूतों में नमाज़ तमाम अहादीस की रोशनी में एक दुरुस्त (सही) अमल है। इसका सवाब की कमी बेशी से कोई ताल्लुक़ नहीं। (6) नबी (ﷺ) को ग़ैब की ख़बरें जिब्रील अमीन के ज़रिये से बताई जाती थीं। (7) नबी (ﷺ) की इत्तिबाअ, अफ़आले इबादत में इसी तरह ज़रूरी है जैसे कि अक़्वाल में। और सहाबा किराम (रज़ि.) की ख़ुसूसियत और ख़ूबी यही है कि वह आपके अक़्वाल (बातों) व अफ़आल (कामों) की इत्तिबाअ में कोई पसो पेश न करते थे और हर मुसलमान को ऐसे ही होना चाहिए।

حَدَّثَنَا مُوسَى، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا قَالَ " فِيهِمَا خَبَثًا " . قَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ " خَبَثًا".

(651) जनाब बक्र बिन अब्दुल्लाह (रह.) ने नबी (ﷺ) से यह मज़्कूरा हदीस बयान की तो उन्होंने उसमें जहाँ लफ़्ज़ (क़ज़रुन) आया है वहाँ दोनों जगह (ख़ुब्सुन) इस्तेमाल किया। (और मअनी उन सबका 'नजासत' है।)

तख़रीज 651: (हसन) बैहक़ीः 1230

फ़ायदाः मुहद्दिसीने किराम नक़्ले अहादीस में इंतिहाई मोहतात और कामिलुज़्ज़ब्त (पूरी जिम्मेदारी निभाते) थे। (रहि.)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(652) हज़रत शद्दाद बिन औस (रज़ि) से रिवायत है उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यहूद की मुख़ालिफ़त करो। यह लोग अपने जूतों या मोज़ों में नमाज़ नहीं पढ़ते हैं।'

तख़रीज 652: (सनद सहीह) शरहुस्सुन्नाः

وسلم خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ

534, सहीह इब्ने हिब्बानः 357, हाकिमः 1/260

फ़वाइद व मसाइलः (1) मालूम हुआ कि जूतों में नमाज़ पढ़ना सही है। (2) अहले किताब और मुश्रिकीन की मुख़ालिफ़त उन उमूर में है, जिनकी शरीअते इस्लामिया ने सराहत की है या उनकी ख़ास मज़हबी या क़ौमी अलामत है। (3) हमारे यहाँ मज़्कूरा मसला और इस क़िस्म के कुछ दीगर मसाइल मतरूक हो गए हैं। इन सुन्नतों के अह़्या के लिए पहले (उदउ़ इला सबिलि रब्बिक बिल्हिक्मति वल मौइज़तिल ह़सनति) (नह़लः 125) की बुनियाद पर रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपकी सुन्नत से मुह़ब्बत का दाइया पैदा करना ज़रूरी है, ताकि बेइल्म लोग दीन से और उलमा-ए-ह़क़ से मुतनफ़्फ़िर न हों।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً .

(653) जनाब अ़म्र बिन शुऐब (अ़न अबीही अ़न जद्दिह) के वास्ते से मरवी है, वह रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप जूते उतारकर भी नमाज़ पढ़ते थे और पहनकर भी।

तखरीज 653: (सनद ह़सन) इब्ने माजाः 1038, जुज़्उल अलिफ़ दीनार (144) अह़मदः 2/215

फ़ायदाः इस अ़मल का तअल्लुक़ सवाब की कमी बेशी से नहीं है जैसे कि मिस्वाक वग़ैरह में साबित है।

﴾89﴿ باب الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا

बाब : 89 नमाज़ी अपने जूते उतारे तो कहाँ रखे?

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ

(654) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़े तो अपने जूतों को अपनी दाएँ जानिब न रखा करे और न बाएँ जानिब कि इस तरह वह किसी दूसरे की दाएँ

مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ

जानिब होंगे। हाँ! अगर उसकी बाएँ जानिब कोई और न हो तो उस तरफ़ रख ले वरना उन्हें अपने दोनों क़दमों के बीच में रखे।

तखरीज 654: (सनद सहीह) बैहक़ी: 2/432, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1016, इब्ने हिब्बान: 361, हाकिम: 1/259

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا

(655) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब कोई नमाज़ पढ़ने लगे और अपने जूते उतारे तो उनसे किसी दूसरे को ईज़ा (तक्लीफ़) न दे। (यानी उसके आगे या दाएँ जानिब न रखे या किसी और तरह से भी अज़िय्यत का बाइस न बने।) चाहिए कि उन्हें अपने क़दमों के बीच में रखे या पहने हुए ही नमाज़ पढ़ ले।

तखरीज 655: (सनद सहीह) शरहस्सुन्ना: 301, हाकिम: 1/260, सहीह इब्ने हिब्बान: 358, इब्ने ख़ुज़ैमा: 1009, इब्ने हिब्बान: 359, हाकिम: 1/259

फ़वाइद व मसाइल (1) जूते उतारकर या पहनकर नमाज़ पढ़ना दोनों ही तरह जाइज़ है अल्बत्ता कभी कभी यहूदियों की मुख़ालिफ़त के इज़्हार के लिए पहनकर नमाज़ पढ़ना, सुन्नत को ज़िन्दा करने की निय्यत से बाइसे अज्रो फ़ज़ीलत है मगर ख़याल रहे कि यह काम बेइल्म अवाम में फ़ित्ने का बाइस न बने। **(2)** किसी भी मुसलमान को किसी तरह से अज़िय्यत (तक्लीफ़) देना हराम है।

बाब : 90
छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना

﴾90﴿
باب الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

(656) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत मैमूना बिन्ते ह़ारिस (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ते तो मैं आपके क़रीब बराबर ही में होती और अय्याम (पीरियड) से होती। आप सज्दे को जाते तो बसा औक़ात आपका कपड़ा भी मुझे लगता और आप छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ा करते थे।

तखरीज 656: सह़ीह़ बुख़ारीः 379, मुस्लिमः 513, व उंज़ुरः 369

फ़ायदाः ऐसी चटाई जो खजूर के पत्तों से बनाई गई हो कि इंसान उस पर सिर्फ़ बैठ सके या उस पर चेहरा और हाथ रखे जा सकें उसे (ख़ुम्रा) कहते हैं। अगर यह इंसान की क़ामत के बराबर हो तो उसे (ह़सीर) कहते हैं। दर्जे ज़ेल अह़ादीस से इस्तिदलाल यह है कि सज्दे की ह़ालत में पेशानी का बराहे रास्त ज़मीन या मिट्टी पर लगना ज़रूरी नहीं।

बाब : 91
बड़ी चटाई पर नमाज़ पढ़ना

﴾91﴿
باب الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيرِ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ

(657) ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक अंसारी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ! मैं भारी जिस्म वाला हूँ... और वह वाक़ेई मोटा था... मैं आपकी मइयत (साथ) में नमाज़

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَخْمٌ - وَكَانَ ضَخْمًا - لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ - وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ - فَصَلِّ حَتَّى أَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّي فَأَقْتَدِيَ بِكَ . فَنَضَحُوا لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ كَانَ لَهُمْ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ فُلاَنُ بْنُ الْجَارُودِ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لَمْ أَرَهُ صَلَّى إِلاَّ يَوْمَئِذٍ.

अदा नहीं कर सकता.. और उसने आपके लिए खाना तैयार करवाया और आपको अपने घर दावत दी... तो आप (मेरे यहाँ घर में) नमाज़ पढ़ें, यहाँ तक कि आपको देखूँ कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, लिहाज़ा मैं भी आपकी तरह किया करूँ। (चुनाँचे आप उसके घर तशरीफ़ ले गए।) तो उन लोगों ने आपके लिए चटाई के एक टुकड़े पर पानी छिड़का (ताकि वह नर्म हो जाए) आपने उस पर खड़े होकर दो रकअत नमाज़ पढ़ी। जारूद के बेटे फ़लाँ ने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा कि क्या आप (ﷺ) ज़ुहा (चाश्त के वक़्त) की नमाज़ पढ़ा करते थे? उन्होंने कहा, मैंने आपको सिर्फ़ उसी दिन यह नमाज़ पढ़ते देखा था।

तखरीज 657: सहीह बुख़ारीः 870

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الذَّرَّاعُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَتُدْرِكُهُ الصَّلاَةُ أَحْيَانًا فَيُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ لَنَا وَهُوَ حَصِيرٌ نَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ

(658) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) की मुलाक़ात के लिए जाया करते थे तो कुछ औक़ात उनके यहाँ नमाज़ का वक़्त भी हो जाता। पस आप हमारी एक चटाई पर नमाज़ पढ़ा करते थे, वह उस चटाई पर पानी छिड़क दिया करती थीं।

तखरीज 658: (सहीह) : 612 में देखें

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بِمَعْنَى الإِسْنَادِ وَالْحَدِيثِ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ،

(659) हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) चटाई और रंगे हुए चमड़े पर नमाज़ पढ़ते थे।

तखरीज 659: (सनद ज़ईफ़) अहमदः

عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ .

4/254, : 18414, ह़ाकिमः 1/259, . व वाफ़कहुज्जहबी : 612

फ़ायदाः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम स़ह़ीह़ ह़दीस से साबित है कि चमड़ा दबाग़त देने (रंगने) से पाक हो जाता है, लिहाज़ा उसे मुसल्ला बनाना या उसका लिबास बनाना जाइज़ है और सज्दे में पेशानी का बराहे रास्त ज़मीन या मिट्टी पर टिकाना ज़रूरी नहीं।

﴾92﴿ بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

बाब : 92 इंसान अपने कपड़े पर सज्दा करे

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

(660) ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से मरवी है कि सख़्त गर्मी के मौसम में हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे तो जब कोई हममें से अपनी पेशानी ज़मीन पर न टिका सकता, तो अपना कपड़ा बिछा लेता फिर उस पर सज्दा करता।

तखरीज 660: स़ह़ीह़ बुख़ारीः 385, मुस्लिमः 620

फ़वाइद व मसाइलः (1) सज्दे की जगह पर कोई चटाई, चमड़ा या कपड़ा वग़ैरह बिछाया गया हो तो कोई ह़र्ज नहीं, अल्बत्ता पेशानी का नंगा होना और नंगी ज़मीन पर सज्दा करना अफ़ज़ल और बेहतर है। (स़ह़ीह़ बुख़ारीः 385, स़ह़ीह मुस्लिमः 620) **(2)** नमाज़ में ख़ुशूअ एक अहम और ज़रूरी अमल है उसे ह़ासिल करने और क़ायम रखने के लिए गर्मी सर्दी से बचने या इस क़िस्म के मामूली आमाल नमाज़ के बीच में भी जाइज़ हैं ताकि ज़हन और जिस्म इन अवारिज़ में उलझा न रहे।)

सफ़बन्दी के अहकाम व मसाइल

बाब : 93
सफ़ें सीधी करने का मसला

﴾93﴿ باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، فِي الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَزَّ " . قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ " يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ " .

(661) हज़रत जाबिर बिन समुरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम सफ़ें वैसे क्यूँ नहीं बनाते जैसे कि फ़रिश्ते अपने रब के यहाँ बनाते हैं?' हमने कहा, फ़रिश्ते अपने रब के यहाँ कैसे सफ़ें बनाते है? आपने फ़र्माया, 'वह पहले इब्तिदाई सफ़ें मुकम्मल करते हैं और आपस में जुड़कर खड़े होते हैं।' (उनके बीच कोई ख़ाली जगह नहीं रहती।)

तख़रीज 661: सहीह मुस्लिम: 430

फ़वाइद व मसाइलः (1) सफ़ में जुड़कर खड़े होने से सफ़ सीधी हो जाती है। **(2)** मालूम हुआ कि सालेहीन का अमल इख़्तियार करना शरअन मत्लूब है और मुसलमान को हमेशा उनसे मुशाबिहत का हरीस (ख़्वाहिशमंद) रहना चाहिए। बिल्ख़ुसूस नमाज़ों में सफ़बंदी के मामले में। सूरह फ़ातिहा में इसी दुआ की ता'लीम दी गई है कि (इह्दिनस्सिरातल मुस्तक़ीम. सिरातल्लज़ीना अन्अम्ता अलैहिम) **(3)** पहले पहली सफ़ मुकम्मल (पूरी) हो तब दूसरी बनाई जाए।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ،

(662) हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों की तरफ़ अपना रुख़ किया और फ़र्माया, 'अपनी सफ़ें बराबर कर लो।' आपने यह तीन बार फ़र्माया। 'क़सम अल्लाह की! (ज़रूर ऐसा होगा कि) या तो तुम अपनी

يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ " أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ " . ثَلاَثًا " وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ " . قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ .

सफ़ों को बराबर रखोगे या अल्लाह तुम्हारे दिलों में मुख़ालिफ़त पैदा कर देगा।' हज़रत नोअमान (रज़ि.) कहते हैं कि फिर मैंने देखा कि एक आदमी अपने कँधे को अपने साथी के कँधे के साथ, अपने घुटने को अपने साथी के घुटने के साथ और अपने टख़ने को अपने साथी के टख़ने के साथ मिलाकर और जोड़कर खड़ा होता था।

तख़रीज 662: (सनद सहीह) बैहक़ीः 3/100, 101, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 160, इब्ने हिब्बानः 396, अल्लकहुल बुख़ारी (फ़तः 2/211, क़ब्लः 725) दारे क़ुत्नीः 1/283

फ़वाइद व मसाइलः (1) इस हदीस में सहाबी रसूल हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) के फ़र्मान पर तामील की वज़ाहत कर दी है कि सहाबा किराम सफ़ों में ख़ूब जुडकर खड़े होते थे, यहाँ तक कि कोई ख़ला (जगह) बाक़ी रहता था न कोई टेढ़। **(2)** शरई तालीमात से ऐराज़ का नतीजा 'आपस की फूट और नफ़रत' की सूरत में ज़ाहिर होता है... जैसे कि हम मुशाहिदा कर रहे हैं। अआज़नल्लाहु मिन्ह. **(3)** यह भी मालूम हुआ कि दिल का मामला ज़ाहिरी अअज़ा व आमाल के साथ भी है। अगर ज़ाहिरी आमाल सही हों तो दिल भी सही रहता है और उसके बरअक्स भी आया है कि अगर दिल सही हो तो बाक़ी जिस्म भी सही रहता है। **(4)** इमाम को चाहिए कि इस सुन्नत को ज़िन्दा करते हुए नमाज़ियों को तक्बीरे तहरीमा से पहले ताकीद करे कि आपस में मिलकर खड़े हों। बल्कि अमलन सफ़ें सीधी कराए।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّينَا فِي الصُّفُوفِ كَمَا

(663) हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) हमें सफ़ों में ऐसे बराबर और सीधा क्या करते थे जैसे कि तीर को सीधा किया जाता है। यहाँ तक कि जब आपको यक़ीन हो गया कि हमने आपसे यह सबक ले लिया और उसे ख़ूब समझ लिया है, तो एक दिन आप हमारी तरफ़ मुत्वज्जा

يُقَوِّمُ الْقِدْحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَخَذْنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَفَقِهْنَا أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ إِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ .

हुए और देखा कि एक आदमी अपना सीना सफ़ से आगे निकाले हुए है। आपने फ़र्माया '(क़सम अल्लाह की!) तुम लोग या तो सफ़ों को बराबर करोगे या अल्लाह तआला तुम्हारे चेहरों के बीच मुख़ालिफ़त पैदा कर देगा।'

तखरीज 663: सहीह मुस्लिमः 436

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو عَاصِمِ بْنِ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ " لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ " . وَكَانَ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُوَلِ " .

(664) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़ों के बीच एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ को चलते जाते। (उस बीच में) आप हमारे सीनों और कँधों पर हाथ फेरते और फ़र्माते 'आगे पीछे मत होओ, वरना तुम्हारे दिलों में भी इख़्तिलाफ़ आ जाएगा।' और आप फ़र्माया करते थे 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पहली सफ़ों में आने वालों पर रहमत नाज़िल करता है और फ़रिश्ते उनके लिए दुआएँ करते हैं।'

तखरीज 664: (सहीह) नसाईः 812, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 1551, 1556, इब्ने हिब्बानः 386, इब्ने माजः 997

फ़ायदाः नबी (ﷺ) का अमलन सफ़ों को बराबर कराना इसके इंतिहाई ताकीदी अमल होने की दलील है। नीज़ चाहिए कि इमाम ऐसा हो जो साहिबे इल्म, बा अमल, बा वक़ार और बा हैबत हो और ख़ुश अख़्लाक़ भी कि दीनी उमूर (मामलात) में अपने से छोटों और बड़ों की बिल्फ़ेअल इस्लाह कर सके। नौ उम्र, इल्म व अमल में कोताह और तंख़्वाह लेने वाले इमामों के लिए इस अंदाज़ से तालीम व तर्बियत आम तौर पर मुश्किल होती है। वल्लाहुल मुस्तआन

حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ،

(665) हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब हम नमाज़ के लिए

حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَغِيرَةَ - عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلاَةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ .

खड़े होते तो रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारी सफ़ों को बराबर करते। जब हम दुरुस्त हो जाते तो आप तक्बीर कहते।

तखरीज 665: (सनद सहीह) बैहक़ी: 2/21,: 663 में देखें

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، - وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَتَمُّ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، - قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ " . لَمْ يَقُلْ عِيسَى " بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ " . " وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو شَجَرَةَ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَعْنَى " وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ " . إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلَيِّنَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ .

(666) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सफ़ों को दुरुस्त करलो, कान्धों को बराबर रखो, दरम्यान में फ़ासला न रहने दो और अपने भाईयों के हाथों में नर्म बन जाओ।'...रावी हदीस ईसा बिन इब्राहीम ने (बि अयदि इख़्वानिकुम) 'अपने भाईयों के हाथों में।'' के लफ़्ज़ बयान नहीं किये.. 'और शैतान के लिए ख़ला (जगह) न छोड़ो। जिसने सफ़ को मिलाया, अल्लाह उसे मिलाए और जिसने सफ़ को काटा अल्लाह उसे काटे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि (रावी हदीस) 'अबू शजरा' से मुराद कसीर बिन मुर्रा है। इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़र्माते हैं कि 'अपने भाईयों के हाथों में नर्म हो जाओ।' का मअनी यह है कि जब कोई सफ़ में दाख़िल होना चाहे तो (सफ़ में पहले से मौजूद) हर शख़्स को अपने कन्धें नर्म कर देने चाहिए ताकि वह सफ़ में दाख़िल हो सके।

तखरीज 666 : (सनद हसन). नसाई: 820, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1549, हाकिम: 1/213

फ़वाइद व मसाइलः (1) जिसने सफ़ को मिलाया।' यानी जो नमाज़ की सफ़ में हाज़िर हुआ, अपने मुसलमान भाईयों के साथ मिलकर खड़ा हुआ, उसमें कोई ख़ला या कजी पैदा न की, तो उसके लिए नबी (स) की दुआ है कि अल्लाह उसको अपनी रहमते ख़ास से मिलाए और जिसने सफ़ को काटा यानी मज़्कूरा उमूर के बरअक्स किया तो अल्लाह उसको अपनी रहमत से महरूम रखे। **(2)** 'भाईयों के लिए नर्म होने।' के मअनी यह हैं कि सफ़ें दुरुस्त करने वाले साथियों के साथ ख़ुशदिली से तआवुन किया जाए। आगे पीछे होने के मामले में वह जो कहें मान लिया जाए और नाराज़ न हुआ जाए, नीज़ यह मअनी भी हैं कि अगर सफ़ में जगह मुम्किन हो तो दूसरे साथी को जगह दी जाए। ख़्याल रहे कि जगह न हो तो उसमें घुसने की कोशिश पहले से खड़े हुए भाईयों को तंग करना है जो किसी तरह रवा नहीं। **(3)** इमाम को तक्बीरे तहरीमा से पहले हस्बे ज़रूरत इन अल्फ़ाज़ से नसीहत करते रहना चाहिए और अमलन भी सफ़ दुरुस्त करानी चाहिए।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ .

(667) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से मंक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अपनी सफ़ों में ख़ूब मिलकर खड़े हुआ करो। उन्हें क़रीब क़रीब बनाओ और गर्दनों को भी बराबर रखो। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं शैतान को देखता हूँ कि ख़ाली जगहों में से तुम्हारी सफ़ों में घुस आता है गोया वह बकरी का बच्चा हो।'

तखरीज 667 : (सनद सहीह) नसाईः 816, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 1545, इब्ने हिब्बानः 387, 391

फ़ायदाः शैतान मोमिनीन मुख़्लिसीन पर हर आन (वक़्त) और हर मक़ाम पर हमले के लिए घात में रहता है जब वह नमाज़ की सफ़ों से घुस आता है तो मस्जिद से बाहर और आम हालात में उसका हमला और सख़्त होता होगा लिहाज़ा हर मुसलमान को अपने दिफ़ाअ से कभी ग़ाफ़िल नहीं रहना चाहिए और उसकी एक ही सूरत शरीअत का इल्म हासिल करना और फिर तमाम छोटे बड़े उमूर पर बिला तख़्सीस अमल पैरा होना है। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़!

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ

(668) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सफ़ों

حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ .

को सीधा और बराबर करो। बिला शुब्हा सफ़ों को बराबर करना नमाज की तक्मील का हिस्सा है।'

तखरीज 668 : सहीह बुख़ारीः723, मुस्लिमः 433

फ़ायदाः इससे मालूम हुआ कि जो लोग सफ़ों में जुड़कर खड़े नहीं होते, दरम्यान में ख़ला (जगह) रखते हैं, या सफ़ टेढ़ी रखते हैं उनकी नमाज़ कामिल नहीं होती, नाक़िस रहती है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ، صَاحِبِ الْمَقْصُورَةِ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ تَدْرِي لِمَ صُنِعَ هَذَا الْعُودُ فَقُلْتُ لاَ وَاللَّهِ . قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ اسْتَوُوا وَعَدِّلُوا صُفُوفَكُمْ .

(669) जनाब मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन साइब साहिबे मक़्सूरा का बयान है कि मैंने एक दिन हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) के पहलू में नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने कहा, क्या आपको मालूम है कि यह लकड़ी क्यूँ रखी हुई है? मैंने कहा, नहीं क़सम अल्लाह की! उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस पर हाथ रखा करते थे (यानी अपने हाथ में पकड़ा करते थे) और फ़र्माते थे 'बराबर हो जाओ और अपनी सफ़ों को सीधा कर लो।'

तखरीज 669 : (सनद ज़ईफ़) अहमदः 3/254, सहीह इब्ने हिब्बानः 8/389

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ

(670) जनाब मुहम्मद बिन मुस्लिम ने हज़रत अनस (रज़ि.) से पिछली हदीस बयान की और कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो इस लकड़ी को दाएँ हाथ से पकड़ लेते फिर (दाएँ सफ़ की तरफ़) मुतवज्जह होकर कहते, 'सीधे खड़े हो जाओ, अपनी सफ़ों को बराबर कर लो।' फिर अपने बाएँ हाथ से पकड़ते (और

" اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ " . ثُمَّ أَخَذَهُ بِيَسَارِهِ فَقَالَ " اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ " .

बाएँ जानिब मुतवज्जह होते) और फ़र्माते 'सीधे खड़े हो जाओ और अपनी सफ़ों को बराबर कर लो।'

तखरीज 670 : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 2/22

फ़ायदा: ह़दीस 669 और 670 दोनों ज़ईफ़ है। इसलिए इसमें सफ़ों की दुरुस्ती की ताकीद वाली बात तो सही है, क्योंकि इसका ज़िक्र स़ह़ीह़ अह़ादीस में भी है। लेकिन इस काम के लिए लकड़ी के इस्तेमाल वाली बात सही नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ .

(671) ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, '(पहले) पहली स़फ़ को पूरा करो फिर जो स़फ़ उसके बाद हो। और जो कमी हो तो वह आख़िरी स़फ़ में हो।'

तखरीज 671 : (सनद स़ह़ीह़) नसाईः 819, इब्ने ख़ुज़ैमाः 1547, इब्ने ह़िब्बानः 391, स़ह़ीह़ इब्ने ख़ुज़ैमाः 1546, इब्ने ह़िब्बानः 390

फ़ायदा: 'जो कमी हो वह आख़िरी स़फ़ में हो।' से यह वाज़ेह़ नहीं होता कि आख़िरी स़फ़ जो नाक़िस़ हो, उसमें मुक़्तदी किस त़रह़ खड़े हों? इमाम के दाएँ जानिब या बाएँ जानिब, या दरम्यान में? तो यह एक दूसरी ह़दीस (वसितुल इमाम) 'इमाम को दरम्यान में करो।' से वज़ाह़त हो सकती है। लेकिन यह सनदन ज़ईफ़ है। ताहम बेहतर स़ूरत यही मालूम होती है कि वह स़फ़ के बीच में खड़े हों ताकि इमाम दरम्यान में रहे। (औनुल मअबूद)

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمِّي، عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِ

(672) ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुममें बेहतरीन लोग वह हैं जिनके कन्धे नमाज़ में नर्म हों।'

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं कि रावी ह़दीस जअ़फ़र बिन यह़या अहले मक्का में से हैं।

तखरीज 672 : (सनद ह़सन) बैहक़ीः

. قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ .

3/101, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 1566, इब्ने हिब्बानः 397

तौज़ीहः यानी सफ़ें बराबर कराने वालों के साथ तआवुन करते हैं या सफ़ में अपने साथ खड़े होने वाले के साथ कन्धे भिड़ाते बल्कि नर्मख़ूई का इज़्हार करते हैं या यह भी कहा गया है कि अगर किसी के लिए जगह बनानी पड़े तो जगह बना देते हैं।

﴾94﴿ بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

बाब : 94 सुतूनों के बीच सफ़ें बनाने का मसला

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا فَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(673) जनाब अब्दुल हमीद बिन महमूद बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) के साथ जुम्आ के दिन नमाज़ पढ़ी तो (भीड़ की वजह से) हमें सुतूनों की तरफ़ धकेल दिया गया। चुनाँचे हम (सुतूनों से) आगे पीछे हो गए (यानी सुतूनों के बीच खड़े नहीं हुए) इस पर हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया, रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में हम इससे बचा करते थे। (यानी सुतूनों के बीच सफ़ें न बनाते थे।)

तखरीज 673 : (सनद सहीह) तिर्मिज़ीः 229, वक़ाल 'हसन' सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 1568, इब्ने हिब्बानः 2215, हाकिमः 1/210, 218, ज़हबीः 3/104

फ़ायदाः चूँकि सुतूनों की वजह से सफ़ कट जाती है, इसलिए जाइज़ नहीं। हाँ! अगर इज़्दहामे शदीद (सख़्त भीड़) और अम्बोहे कसीर (ज़्यादा तादाद) की वजह से कहीं और जगह न मिल रही हो तो इज़्तिरारन मुबाह है मगर हत्तुल इम्कान (हर सम्भव) बचना ही चाहिए।

बाब : 95
इमाम के क़रीब कौन खड़ा हो और पीछे रहने की कराहियत

﴿95﴾ باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمَامَ فِي الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ‏.‏

(674) हज़रत अबू मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'चाहिए कि तुम्हारे अहले अक़्ल व दानिश मेरे क़रीब खड़े हुआ करें। फिर वह जो उनके क़रीब हैं। उनके बाद वह जो उनके क़रीब हैं।'

तखरीज : सहीह मुस्लिमः 432, नसाईः 813

फ़ायदाः रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) में अहले इल्म व फ़ज़्ल को अपने क़रीब खड़े होने का हुक्म दिया ताकि आपकी नमाज़ का बग़ौर मुशाहिदा कर लें और अदब का तक़ाज़ा भी पूरा हो। चुनाँचे उम्मत में भी यही मत्लूब है ताकि यह लोग इमाम को उसकी ख़ता व सह्व पर मुतनब्बा कर सकें और अगर ज़रूरत पेश आए तो वह किसी को अपना नाइब बना सके... इससे बिज़्ज़रूरत यह भी मालूम हुआ कि अहले इल्म व फ़ज़्ल को बरवक़्त हाज़िर होकर इमाम के क़रीब जगह बना लेनी चाहिए ताकि अमलन उनका अहले इल्म व फ़ज़्ल होना साबित हो सके। अगर यह सफ़े अव्वल से पीछे रहते हैं तो इनका, अहले इल्म व फ़ज़्ल' होना महल्ले नज़र होगा जैसे कि बिल्उमूम मुशाहिदा है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ‏.‏ وَزَادَ ‏ وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ

(675) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से इसी के मिस्ल रिवायत किया और मज़ीद बयान किया 'आगे पीछे मत हो, वरना तुम्हारे दिलों में इख़्तिलाफ़ आ जाएगा और बाज़ारों के शोरो शग़ब से बचो।'

तखरीज 675 : सहीह मुस्लिम

फ़ायदाः मुसलमानों को हमेशा बा वक़ार रहते हुए अपनी आवाज़ को पस्त रखना चाहिए और मसाजिद में हों तो उसका और ज़्यादा एहतिमाम होना चाहिए ख़ुसूसन कुछ जगह तलबा उनमें दर्सो तदरीस की ग़र्ज़ से इक़ामत पज़ीर रहते हैं इसलिए मस्जिद में मुक़ीम और मस्जिद में आने वाले आबेदीन का हक़ है कि वह इन बातों का ख़्याल रखें।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ .

(676) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बेशक अल्लाह तआला सफ़ों के दाएँ अत्राफ़ वालों पर अपनी रहमते (ख़ास) नाज़िल फ़र्माता है और फ़रिश्ते उनके लिए दुआएँ करते हैं।'

तख़रीज 676 : (सनद हसन) इब्ने माजाः 1005, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 1550, इब्ने हिब्बानः 393, 394, हाकिमः 1/214

फ़ायदाः मुसलमान को फ़ज़ीलत वाले मक़ाम की तरफ़ सब्क़त करना और उसका हरीस (ख़्वाहिशमंद) होना चाहिए ताकि ख़ुसूसी रहमतों और फ़रिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक़ बन सके। ख़्याल रहे कि इमाम की बाएँ जानिब को भी नहीं भूल जाना चाहिए ताकि 'सफ़ों की बराबरी' क़ायम रहे। अज्रो फ़ज़ीलत का तअल्लुक़ निय्यत से भी होता है। एक आदमी जिसे इमाम की दाएँ जानिब खड़ा होना मुम्किन है मगर जब देखता है कि उसकी बाएँ जानिब ख़ाली है तो उस तरफ़ खड़ा हो जाए तो इंशाअल्लाह! मज़्कूरा अज्रो फ़ज़ीलत से महरूम नहीं रहेगा।' (वल्लाहु ज़ू फ़ज़्लिन अज़ीम, वल्लाहु आ'लम)

इसके अलावा यह रिवायत सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा और मुस्नद अहमद (फ़तहुर्रब्बानीः 5/316 वल्मौसूअतुल हदीसिया (मुस्नद अहमदः 24381) में इस तरह अल्फ़ाज़ है। (इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल्लज़ीना यसिलूनस्सुफ़ूफ़) 'अल्लाह तआला उन लोगों पर रहमत नाजिल फ़र्माता और फ़रिश्ते उनके लिए दुआएँ करते हैं जो सफ़ों को मिलाते हैं।' और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को इन ही अल्फ़ाज़ के साथ 'हसन' क़रार दिया है। गोया इनके नज़दीक इस हदीस में (मयामिनिस्सुफ़ूफ़) की बजाय (यसिलू-नस्सुफ़ूफ़) ही के अल्फ़ाज़ हैं, जिनसे सफ़ों के मिलाने की फ़ज़ीलत का इस्बात होता है, न कि इमाम के दाएँ जानिब खड़े होने की फ़ज़ीलत का इस्बात। जिसका मतलब यह है कि इमाम के दाएँ या बाएँ जानिब खड़ा होना, यक्साँ है। असल फ़ज़ीलत सफ़बन्दी का

सही तरीक़े से एहतिमाम करने में है। ताहम हर मामले में दाहिने पन की जो उमूमी फ़ज़ीलत है, उसके तहत इमाम की दाहिनी जानिब बाइसे फ़ज़ीलत हो सकती है, वल्लाहु आलम।

﴾96﴿ باب مُقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

बाब : 96
बच्चे सफ़ में कहाँ खड़े हों?

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلاَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلاَةُ قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى لاَ أَحْسَبُهُ إِلاَّ قَالَ صَلاَةُ أُمَّتِي .

(677) जनाब अब्दुर्रहमान बिन ग़नम ने कहा कि हज़रत अबू मालिक अशअरी (रज़ि.) ने कहा, क्या मैं तुम्हारे सामने नबी (ﷺ) की नमाज़ न बयान करूँ? चुनाँचे उन्होंने बताया कि आपने इक़ामत कही, फिर मर्दों की सफ़ बनाई और फिर बच्चों की सफ़ उनके पीछे बनाई और उन्हें नमाज़ पढ़ाई। और अबू मालिक (रज़ि.) ने आपकी पूरी नमाज़ बयान की, फिर फ़र्माया, 'ऐसे ही है नमाज़... अब्दुल आला ने कहा, मेरा ख़्याल है कि आपने फ़र्माया था 'ऐसे ही है नमाज़ मेरी उम्मत की।'

तखरीज 677 : (सनद हसन) अहमदः 5/344, तोहफ़तुल मेहताजः 548

नोट मल्हूज़ः हक़ यह है कि जमाअत में इमाम के क़रीब और पहली सफ़ में साहिबे इल्म और बालिग़ नज़र अफ़राद खड़े हों, बाद अज़ाँ (उसके बाद) बच्चों का मक़ाम है। मगर उनकी सफ़ अलग हो, इसके लिए कोई क़वी दलील नहीं है। नमाज़ी कम हों तो बच्चे भी पहली सफ़ में खड़े हो सकते हैं जैसे कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की हदीस से साबित है बयान करते हैं 'मैं सफ़ में दाख़िल हो गया और किसी ने मुझ पर इंकार नहीं किया।' (सहीह बुख़ारीः 493, सहीह मुस्लिमः 504) और यह उस वक़्त बुलूग़त के क़रीब थे।

बाब : 97
औरतों की सफ़ का बयान और यह कि वह पहली सफ़ से पीछे हो

﴾97﴿
باب صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

(678) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मर्दों की बेहतरीन सफ़ (अज्रो फ़ज़ीलत में) पहली सफ़ है और कमतर आख़िरी सफ़ है। और औरतों की बेहतरीन सफ़ वह है जो सबसे आख़िर में हो और (अज्रो फ़ज़ीलत में) कमतर वह है जो सबसे पहली हो।'

तखरीज 678 : सहीह मुस्लिमः 440

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا .

तौज़ीहः मर्दों के लिए नमाज़ों और दीगर ज़िन्दगी के मामलात के लिए घरों से बाहर निकलना मत्लूब है। इसलिए उनके लिए अव्वलीन सफ़ में जगह और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त मस्जिद में गुज़ारना बाइसे अज्रो फज़ीलत है और जो जिस क़द्र ताख़ीर से आता है उसका दर्जा कम होता चला जाता है मगर औरतों के लिए अफ़ज़ल व आला यह है कि वह अपने घरों में टिकी रहें। ताहम नमाज़ के लिए उनका मस्जिद में आना जाइज़ है, तो जो औरत ऐन वक़्त पर घर से निकलती और कम से कम वक़्त घर से बाहर रहती है और इस वजह से आख़िरी सफ़ों में जगह पाती है, वह अफ़ज़ल है उस औरत से जो पहले आती, पहली सफ़ में जगह लेती और ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहती है। नीज़ मर्दों की आख़िरी सफ़ औरतों से क़रीब होती है और औरतों की पहली सफ़ मर्दों के क़रीब होती है। इसलिए भी उन दोनों सफ़ों को कमतर दर्जे की क़रार दिया गया जबकि मर्दों की पहली सफ़ और औरतों की आख़िरी सफ़ एक दूसरे से दूर होती है और वहाँ तश्वीश और तवज्जह बटने का अंदेशा नहीं रहता इसलिए उनका अज्र ज़्यादा है। आजकल मर्दों और औरतों की नमाज़ में बाक़ायदा आड़ और अलग हिस्से का जो इंतिज़ाम है, इसमें इस तश्वीश का भी इम्कान बहुत कम है।

(679) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ .

(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो लोग सफ़े अव्वल से पीछे रहते (और उसे अपनी आदत बना लेते) हैं अल्लाह उन्हें जहन्नम में भी पीछे कर देगा।'

तखरीज 679 : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 3/103, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 1559, इब्ने हिब्बानः 392

तौज़ीहः यह हुक्म मर्दों से मख़्सूस है और उसमें उनके लिए तहदीद है जो सुस्ती व काहिली की वजह से सफ़े अव्वल से पीछे रहते हैं। अल्लाह उन्हें जहन्नम के पिछले दर्जे में डालेगा... या जन्नत में अव्वलीन दाख़िल होने वालों में शामिल न करेगा.. या यह मअनी भी हैं कि जब अल्लाह तआला गुनाहगारों को जहन्नम से निकालेगा तो उन्हें आख़िर में निकालेगा। (अल्लाहुम्म इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल्आफ़िया)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

(680) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने (कुछ) सहाबा में यह बात देखी कि वह पीछे रहते हैं, तो आपने फ़र्माया, 'आगे बढ़ो और मेरी इक़्तिदा करो। तुम्हारे बाद वाले तुम्हारी इक़्तिदा करें। और जो लोग पीछे रहने को अपनी आदत बना लेते हैं उनका अंजाम यह होगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उन्हें मुअख़्ख़र (देर) कर देगा।' (यानी अपनी रहमत से... जन्नत में दाख़िल करने में... या जहन्नम में पीछे कर देगा या जहन्नम से देरी से निकालेगा।

तखरीज 680 : सहीह मुस्लिमः 438

बाब : 98
इमाम के खड़े होने की जगह

﴾98﴿
باب مُقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

(681) जनाब यहया बिन बशीर बिन ख़ल्लाद अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं कि वह मुहम्मद बिन कअ़ब क़ुर्ज़ी के पास आईं तो उन्हें सुना, वह कह रहे थे कि मुझसे हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इमाम को (सफ़ से आगे) दरम्यान में खड़ा करो और सफ़ में ख़ला को पूरा करो।'

तखरीज 681 : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 3/104

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيرِ بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسِّطُوا الإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ ‏.‏

फ़ायदाः यानी इमाम सफ़ों के आगे इस तरह खड़ा हो कि वह मुक़्तदियों के वस्त (बीच) में हो। यह न हो कि मुक़्तदी दाएँ या बाएँ, किसी एक जानिब ज़्यादा तादाद में हों, ऐसी सूरत में इमाम वस्त में नहीं रहेगा। यही सूरत आख़िरी सफ़ में भी हो, जिसमें चन्द अफ़राद हों, यानी वह सफ़ के एक किनारे पर खड़े न हों, बल्कि बीच में (इमाम के दाएँ और बाएँ) खड़े हों। ताकि इमाम बीच में रहे। लेकिन रिवायत का यह पहला हिस्सा ज़ईफ़ है। इसलिए इसे मुस्तहब तो क़रार दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं। अल्बत्ता हदीस का दूसरा हिस्सा 'सफ़ के ख़ला (जगह) को पुर करो' सहीह है क्योंकि यह हुक्म दूसरी अहादीस से भी साबित है।

बाब : 99
जो शख़्स सफ़ के पीछे अकेला ही नमाज़ पढ़े

﴾99﴿ باب الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

(682) हज़रत वाबिसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को देखा कि वह सफ़ के पीछे खड़ा अकेला ही नमाज़ पढ़ रहा था तो आपने उसे दोहराने का

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ

هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ - قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ - الصَّلاَةَ .

हुक्म दिया। सुलेमान बिन हर्ब ने लफ़्ज़ (अस्सलात) भी बयान किया यानी (फ़अमरहू अंय्युईदस्सलात) कि 'नमाज़ दोहराए।'

तख़रीज 682 : (सनद सहीह) तिर्मिज़ीः 231, वक़ाल 'हसन' व सह्हहू इब्ने : 403, इब्ने ख़ुज़ैमाः 1569, इब्ने हिब्बानः 401

फ़ायदाः सफ़ में जगह होते हुए उसमें शरीक न होना और अलग से नमाज़ पढ़ना नाजाइज़ है। उसे नमाज़ दोहरानी पड़ेगी। बच्चे को भी सफ़ में शामिल होना चाहिए बल्कि किया जाए। (सहीह बुख़ारीः 76, सहीह मुस्लिमः 504) हाँ! औरत की सफ़ अलग होगी ख़्वाह वह अकेली ही क्यूँ न हो।

﴾100﴿ باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

बाबः 100
जो शख़्स सफ़ में मिलने से पहले ही रुकूअ कर ले

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، حَدَّثَ أَنَّهُ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ – قَالَ فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ .

(683) हज़रत अबू बक्रा (रज़ि.) ने बयान किया कि वह मस्जिद में दाख़िल हुए और नबी (ﷺ) रुकूअ में थे, कहा चुनाँचे मैं सफ़ में मिलने से पहले ही रुकूअ में हो गया। (नमाज़ के बाद) नबी (ﷺ) ने फ़र्माया 'अल्लाह तआला तेरी हिर्स और ज़्यादा करे, आइन्दा ऐसे न करना।'

तख़रीज 683 : सहीह बुख़ारीः 783

फ़वाइद व मसाइलः (1) 'आइन्दा ऐसे न करना' का मतलब है कि यह देखकर कि जमाअत हो रही है और इमाम रुकूअ में चला गया है, तो तुम तेज़ी से दौड़ते हुए आओ, और फिर दरवाज़े ही से रुकूअ कर लो और हालते रुकूअ ही में चलते हुए सफ़ में शामिल हो। आइन्दा इस तरह न करना, बल्कि इत्मिनान और वक़ार से आकर सफ़ में शामिल हो। बाक़ी रहा मसला कि इस रकअत को शुमार किया गया या नहीं किया गया? इस हदीस में इस अम्र की कोई सराहत नहीं है। लेकिन एक दूसरी हदीस में नबी (ﷺ) ने फ़र्माया है (इज़ा

अतैता...) (सही: 1198, बहवाला औसत, तब्रानी) 'जब तुम नमाज़ के लिए आओ तो वक़ार और आराम से आओ, पस जो (जमाअत के साथ) पा लो, पढ़ लो और जो फ़ौत हो जाए, उसे पूरा कर लो।' ज़ाहिर बात है कि जब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से क़याम और सूरह फ़ातिहा रह गई, तो उन्होंने यह रकअत दोहराई होगी, जिसका ज़िक्र गो हदीस में नहीं है, लेकिन फ़र्माने नबवी की रू से उन्होंने यक़ीनन ऐसा किया होगा, अगर इसी तरह रकअत का इस्बात या जवाज़ होता तो नबी (ﷺ) उनको यह न कहते कि आइन्दा ऐसा न करना। कुछ लोग ला तउद (आद, यऊद, ऊद से) को ला तुइद पढ़ते हैं और उसे अआद, युईदु से बतलाते हैं और मअनी करते हैं। इस रकअत को न लौटाना। और यूँ रुकूअ के पाने वाले के लिए रकअत का मुकम्मल होने का सुबूत मानते हैं। लेकिन इसका अआदा से होना स्याक़े कलाम से मेल नहीं खाता। इस तरह कुछ लोग इसे अद यउदु शुमार करना से क़रार देकर ला तउद पढ़ते हैं, यानी इस रकअत को शुमार न करना। इस तरह गोया लफ़्ज़ में मुतअद्दिद एहतिमालात पाये जाते हैं। लेकिन स्याक़ के एतिबार से उसके पहले मअनी ही सही हैं और इससे भी रुकूअ के पाने वाले के लिए रकअत का इस्बात नहीं होता। अलावा इसके दीगर दलाइल भी इसी मौक़िफ़ के मुईद (ताईद करने वाला) हैं, इसलिए यही राजेह और क़वी है। वल्लाहु आलम!

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا زِيَادٌ الأَعْلَمُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ قَالَ " أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ أَنَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زِيَادٌ الأَعْلَمُ زِيَادُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ قُرَّةَ وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ .

(684) जनाब हसन बसरी (रह.) से मरवी है कि हज़रत अबूबक्रा (रज़ि.) आए और रसूलुल्लाह (ﷺ) रुकूअ में थे, तो उन्होंने सफ़ में मिलने से पहले ही रुकूअ कर लिया और फिर (उसी हालत में) चलते हुए सफ़ में जा मिले। जब नबी (ﷺ) ने नमाज़ मुकम्मल की तो पूछा, 'तुममें से किसने सफ़ में मिलने से पहले रुकूअ किया था फिर वह चलते हुए सफ़ में मिला?' हज़रत अबूबक्रा (रज़ि.) ने कहा, वह मैं था। आपने फ़र्माया, 'अल्लाह तआला तेरी (नेकी की) हिर्स और बढ़ाए, फिर ऐसे न करना।'

तखरीज 684: (सनद सहीह) बैहक़ी: 3/105, 106

फ़वाइद व मसाइल: (1) नेकी करने में अगर किसी से कोई ख़ता हो जाए तो पहले उसकी हौसला अफ़्ज़ाई करनी चाहिए फिर सहीह तरीक़ा बताना या सिखाना चाहिए। (2) नमाज़ी को पहले इत्मिनान से सफ़ में पहुँचना चाहिए। उसके बाद सुकून से तक्बीर कहकर नमाज़ में शामिल हो।

सुतरे के अह़काम व मसाइल

फ़ायदाः नमाज़ी को बह़ालते नमाज़ ऐसी जगह खड़े होना चाहिए जहाँ उसके आगे से किसी के गुज़रने का एह़तिमाल न हो। जगह अगर खुली हो तो कोई मुनासिब चीज़ उसे अपने सामने रख लेनी चाहिए जो गुज़रने वालों के लिए आड़ और उसके नमाज़ में होने की अ़लामत हो। उसे इस्तिलाह़न 'सुतरा' कहते हैं। यह भी एक ताकीदी सुन्नत है। नमाज़ी और सुतरे के बीच फ़ासला तक़रीबन तीन हाथ का हो, उससे ज़्यादा फ़ासले पर मौजूद कोई चीज़ या आड़ मस्लन दीवार या सतून वग़ैरह शरअ़न सुतरा नहीं कहलाते। लिहाज़ा सुतरे के क़रीब खड़ा होना ही मस्नून अमल है।

बाबः 101 कौनसी चीज़ सुतरा हो सकती है?

﴿101﴾ باب مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلاَ يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ .

(685) ह़ज़रत त़लह़ा बिन उ़बेदुल्लाह (रज़ि.) से मंक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तुम अपने सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ रख लो तो तुम्हें कोई नुक़्सान नहीं कि कौन तुम्हारे आगे से गुज़रता है।'

तखरीज 685 : स़ह़ीह़ मुस्लिमः 499

फ़ायदाः मालूम हुआ कि सुतरा न रखने से नमाज़ी को नुक़्सान होता है। यानी उसके ख़ुशूअ़ खुज़ूअ़ और अज्र में कमी होती है या कम अज़्कम इत्तिबाअ़े अम्र की कोताही तो वाज़ेह़ है और यह सुतरा कम अज़्कम फ़िट या डेढ़ फ़िट के बीच कोई चीज़ होनी चाहिए।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ آخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ .

(686) जनाब इब्ने जुरैज, अ़त़ा से बयान करते हैं उन्होंने कहा, पालान की पिछली लकड़ी एक ज़राअ़ (हाथ) या उससे कुछ ज़्यादा होती है।

तखरीज 686 : (सनद स़ह़ीह़) बैहक़ीः 2/269, अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ः 2272, इब्ने खुज़ैमाः 807

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ .

(687) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ईद पढ़ने के लिए निकलते तो हुक्म देते कि नेज़ा साथ ले लिया जाए। उसे आपके आगे गाड़ दिया जाता फिर आप उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते और लोग आपके पीछे होते। सफ़र में भी आपका यह मअमूल होता था। चुनाँचे उमरा ने यहीं से यह अमल अख़ज़ किया है।

तख़रीज 687 : सहीह बुख़ारीः 494, सहीह मुस्लिमः 501

तौज़ीहः यानी उमरा व हुकमरान लोग जो ईद वग़ैरह के मौक़े पर भाला नेज़ा वग़ैरह का एहतिमाम करते हैं उसकी असल यही है। नमाज़ फ़र्ज़ हो या नफ़्ल, सफ़र हो या हज़र, हर मौक़े पर सुतरे का ख़्याल रखना चाहिए। नीज़ इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिए भी काफ़ी होता है।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ خَلْفَ الْعَنَزَةِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ .

(688) जनाब औन बिन अबी जुहैफ़ा अपने वालिद से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने उन्हें (मक्का के क़रीब) वादी बत्हा में नमाज़ पढ़ाई और आपके सामने छोटा नेज़ा था। (आपने हमें) ज़ुहर और अस्र की दो दो रकअतें पढ़ाईं। उस नेज़े के आगे से औरत भी गुज़रती थी और गधा भी।

तख़रीज 688 : सहीह बुख़ारीः 495, सहीह मुस्लिमः 503

फ़वाइद व मसाइलः (1) इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिए काफ़ी है। (2) सुतरे के आगे से कोई भी गुज़रे तो उसमें नमाज़ी का नुक़्सान नहीं।

बाब : 102
अगर सुतरा के लिए लाठी न मिले, तो ख़त्त (लकीर) खींचने का मसला

﴾102﴿
باب الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ، حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ .

(689) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ने लगे तो अपने सामने कोई चीज़ रख ले। अगर कुछ न मिले तो कोई लाठी खड़ी कर ले। अगर उसके पास अ़सा (लाठी) न हो तो ख़त्त ही खींच ले। फिर उसके आगे से जो भी गुज़रे उसे नुक़्सान न होगा।'

तख़रीज 689 : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/270

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، - يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ، حُرَيْثٍ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ، صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْخَطِّ . قَالَ سُفْيَانُ لَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَجِئْ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ

(690) जनाब अबू मुहम्मद बिन अ़म्र बिन हुरैस अपने दादा हुरैस से जो बनी उ़ज़्रा के आ़दमी थे, वह हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से, वह हज़रत अबुल क़ासिम (ﷺ) से रिवायत करते हैं और लकीर खींचने वाली हदीस बयान की।

सुफ़्यान बिन उ़येयना कहते हैं कि हमें ऐसी कोई दलील नहीं मिली जिससे हम इस हदीस को तक़्वियत दे सकें और यह सिर्फ़ इसी सनद से मरवी है। (इब्ने मदीनी ने कहा) मैं ने सुफ़्यान बिन उ़येयना से कहा कि मुहद्दिसीन इसके रावी में इख़्तिलाफ़ करते हैं (आया यह अबू मुहम्मद बिन अ़म्र बिन हुरैस है या

فِيهِ فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَحْفَظُ إِلاَّ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ قَدِمَ هَا هُنَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَخَلَطَ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهِلاَلِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قَالَ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ الْخَطُّ بِالطُّولِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَصَفَ الْخَطَّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا - يَعْنِي - بِالْعَرْضِ حَوْرًا دَوْرًا مِثْلَ الْهِلاَلِ يَعْنِي مُنْعَطِفًا.

कोई और) तो उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, मुझे अबू मुहम्मद बिन अ़म्र ही याद है। सुफ़्यान ने कहा कि इस्माईल बिन उमय्या की वफ़ात के बाद एक आदमी आया और उस (आने वाले) शैख़ ने अबू मुहम्मद को तलब किया, वह मिल गया और इस ह़दीस के बारे में पूछा मगर उसे इश्तिबाह हो गया (यानी वह उसे सही त़रीक़े से बयान नहीं कर सका।)

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, मैंने इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह़.) से सुना, उन्होंने कई बार ख़त़ खींचने का वस्फ़ बयान किया तो कहा कि इस त़रह़ अ़र्ज़ में खींचा जाए जैसे कि हिलाल (चाँद) होता है।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, मैंने मुसद्दद से सुना उन्होंने कहा इब्ने दाऊद (ख़रीबी) ने कहा कि यह ख़त़ त़वील मे खींचा जाए।

अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, मैंने अह़मद बिन ह़ंबल (रह़.) से सुना, उन्होंने कई बार उस ख़त़ की सिफ़त यह बताई कि यह अ़र्ज़ में हो और हिलाल की मानिन्द गोलाई में हो।

तख़रीज 690 : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजाः 943, इब्ने ख़ुज़ैमाः 811, व इब्ने ह़िब्बानः 407, 408

तौज़ीह़: ह़दीस 689 और 690 दोनों ज़ईफ़ हैं। इसलिए उनसे ख़त़ खींचने का मसला साबित नहीं होता।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ رَأَيْتُ شَرِيكًا صَلَّى

(691) जनाब सुफ़्यान बिन उयेयना कहते हैं कि मैंने शरीक (बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी नम्र... या शरीक बिन अ़ब्दुल्लाह नख़ई कूफ़ी) को देखा कि उन्होंने हमें एक जनाज़ा

بِنَا فِي جَنَازَةِ الْعَصْرَ فَوَضَعَ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ - يَعْنِي - فِي فَرِيضَةٍ حَضَرَتْ .

के इज्तिमाअ में अस्र की नमाज़ पढ़ाई तो अपने सामने अपनी टोपी रख ली। यानी एक फ़रीज़ा में जिसका वक़्त हो चुका था।

तखरीज 691 : (सनद सहीह)

फ़ायदा: सुतरा में मस्नून तो यही है कि एक हाथ हो लेकिन अगर कोई चीज़ मयस्सर न हो तो उससे कम भी किफ़ायत कर जाएगी।

(103)

باب الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

बाब: 103
सवारी को सुतरा बनाकर नमाज़ पढ़ना

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، - قَالَ عُثْمَانُ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ .

(692) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) अपने ऊँट को सुतरा बनाकर उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ लिया करते थे।

तखरीज 692 : सहीह मुस्लिमः 502, सहीह बुख़ारीः 430

फ़ायदा: ऊँटों के बाड़े में नमाज़ मम्नूअ है मगर मज़्कूरा सूरत में जब जानवर एक आध हो तो उसका सुतरा बनाकर या उसके क़रीब नमाज़ पढ़ना जाइज़ है।

﴾104﴿ باب إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ

बाब: 104 किसी सुतून वग़ैरह को सुतरा बनाए, तो उसे किस अंदाज़ में अपने सामने रखे?

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْوَلِيدُ بْنُ كَامِلٍ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُجْرٍ الْبَهْرَانِيِّ، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى عُودٍ وَلاَ عَمُودٍ وَلاَ شَجَرَةٍ إِلاَّ جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَلاَ يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا .

(693) हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते मिक़्दाद बिन अस्वद अपने वालिद (हज़रत मिक़्दाद रज़ि.) से रिवायत करती हैं, उन्होंने कहा, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब भी किसी लकड़ी, सुतून या दरख़्त की तरफ़ (मुँह करके) नमाज़ पढ़ते तो उसे हमेशा अपने दाएँ या बाएँ अबरू की तरफ़ रखते, बिलकुल ऐन सामने न रखते थे।

तखरीज 693 : (सनद ज़ईफ़) अहमद: 6/4

मल्हूज़ा (नोट): यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इसलिए यह बात, जो उसमें बयान हुई है, सही नहीं है। इस वजह से सुतरे के ऐन सामने होने में कोई हर्ज नहीं। बल्कि सुतरा ऐन सामने ही होना चाहिए।

﴾105﴿ باب الصَّلاَةِ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ

बाब: 105 बातों में मशग़ूल या सोने वालों की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ

(694) जनाब मुहम्मद बिन कअब क़ुर्ज़ी ने बयान किया कि मैंने उनसे यानी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कहा कि मुझसे हज़रत

اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ قُلْتُ لَهُ - يَعْنِي لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ .

अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सोने वाले के पीछे (खड़े होकर) नमाज़ पढ़ो न बातों में मशग़ूल शख़्स के पीछे।'

तखरीज 694: (सनद हसन) बैहक़ीः 2/289, इब्ने माजाः 959, तब्रानीः 5242

फ़ायदा: सह़ीह़ अह़ादीस से साबित है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ते और (कुछ औक़ात) ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) आपके सामने सोई हुई होती थीं। (देखिए सह़ीह़ बुख़ारीः 382, सह़ीह़ मुस्लिमः 512) मालूम हुआ कि यह जाइज़ है और जहाँ कहीं लोग बातों में मशग़ूल हों और वह क़िब्ला रुख़ पर हों तो बज़ाहिर नमाज़ी को उससे तश्वीश हो सकती है और उसके ख़ुशूअ़ में ख़लल आएगा। लिहाज़ा ऐसी सूरत में भी एह़तियात़ करना अच्छा है।

(106) باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

बाब: 106 सुतरे के क़रीब खड़े होने का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ

(695) ह़ज़रत सहल बिन अबी ह़स्मा (रज़ि.) नबी (ﷺ) से मरफ़ूअ़न बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई किसी सुतरा की त़रफ़ नमाज़ पढ़े तो उसके क़रीब खड़ा हो कहीं शैत़ान उस पर उसकी नमाज़ न क़त़अ़ कर दे।'

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, वाक़िद बिन मुह़म्मद ने इस ह़दीस को स़फ़्वान से, उन्होंने मुह़म्मद बिन सहल से, उन्होंने अपने वालिद से या मुह़म्मद बिन सहल से, उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है, जबकि कुछ ने नाफ़ेअ़ बिन

وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ .

जुबेर से, उसने सहल बिन सअ़द से कहा है। और उसकी सनद में इख़्तिलाफ़ किया गया है।

तख़रीज 695 : (सनद स़ह़ीह़) नसाई: 749, स़ह़ीह़ इब्ने ख़ुज़ैमा: 803, इब्ने ह़िब्बान: 409, ह़ाकिम: 1/251, 252

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، وَالنُّفَيْلِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ وَكَانَ بَيْنَ مُقَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُّ عَنْزٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَبَرُ لِلنُّفَيْلِيِّ .

(696) ह़ज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) और आपके क़िब्ले (यानी सुतरे) के बीच इतना फ़ास़ला होता कि उससे एक बकरी गुज़र सकती थी।

तख़रीज 696 : स़ह़ीह़ बुख़ारी: 496, स़ह़ीह़ मुस्लिम: 508

फ़ायदा: मालूम हुआ कि सुतरे के क़रीब खड़ा हुआ जाए और फ़ास़ला इतना हो कि बआसानी सज्दा हो सके। इससे ज़िम्नन यह बात भी मालूम हुई कि अगर दीवार (सुतरे) और इमाम के बीच फ़ास़ला ज़्यादा हो तो इमाम को चाहिए कि वह अपने आगे सुतरा रखे।

﴾107﴿ بَاب مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ

बाब: 107
नमाज़ी को यह हुक्म कि अपने आगे से गुज़रने वाले को रोके

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا

(697) ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से मंक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो किसी को न छोड़े कि उसके आगे से गुज़रे। जहाँ तक हो सके उसको रोके। अगर वह इंकार व इस़रार करे तो चाहिए कि उसके

كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

साथ लड़ाई करे, बेशक वह शैतान है।'

तखरीज 697 : सहीह मुस्लिमः 505, मौत्ता (यह्या): 1/154, सहीह बुख़ारीः 509

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا . ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ .

(698) जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबी सईद ख़ुदरी अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ने लगे तो चाहिए कि सुतरा रखकर पढ़े और उसके क़रीब खड़ा हो।' और ऊपर वाली हदीस के हम मअनी बयान किया।

तखरीज 698 : (सनद सहीह) इब्ने माजाः 954

तौज़ीहः अगर कोई शख़्स सुतरा के बावजूद नमाज़ी के आगे से गुज़रने की कोशिश करता और उस पर ज़िद करता है तो वह शैतान सिफ़त है। इसको नमाज़ के बीच ही में रोकना चाहिए और रोकने की कैफ़ियत हाथ से इशारा करना है। और (फ़ल्युक़ातिलहू) 'उससे लड़े' का मफ़्हूम ज़ोर से रोकने की कोशिश है, न कि मअरूफ़ मअनी में क़िताल करना, लड़ना।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، أَخْبَرَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيُّ، لَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ قَائِمًا يُصَلِّي فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ .

(699) जनाब अबू उबेद हाजिब सुलेमान कहते हैं कि मैंने अता बिन यज़ीद लैसी को नमाज़ में खड़े देखा और मैं उनके आगे से गुज़रने लगा तो उन्होंने मुझे रोका। फिर (नमाज के बाद) मुझसे कहा कि मुझे हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो कोई यह कर सकता हो कि किसी को अपने और क़िब्ले के बीच में से न गुज़रने दे तो चाहिए कि वह ऐसा करे।'

तखरीज 699 : (सनद हसन) अहमदः 3/82, 83

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ حُمَيْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ هِلاَلٍ - قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ أُحَدِّثُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ، دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ‏ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ

(700) जनाब अबू सालेह ने कहा, मैंने हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से जो देखा सुना है तुम्हें बताता हूँ। अबू सईद (रज़ि.) मरवान के पास गए और बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (स) से सुना, आप फ़र्मा रहे थे 'जब तुममें से कोई किसी चीज़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ रहा हो, जो उसके लिए लोगों से सुतरा हो और कोई उसके आगे से गुज़रने की कोशिश करे तो उसके सीने के आगे हाथ करके उसे रोक दे। अगर वह इंकार करे तो उससे लड़ाई करे, बिला शुब्हा वह शैतान है।'

तखरीज 700 : सहीह मुस्लिमः 505, सहीह बुख़ारीः 509

फ़ायदाः लड़ाई करने का मतलब, हाथ के ज़रिए से गुज़रने वाले को ज़ोर से रोकना है।

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَمُرُّ الرَّجُلُ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ يَدَىَّ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلاَ أَمْنَعُهُ ‏.‏

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि सुफ़्यान सौरी (रह.) ने कहा, एक आदमी तकब्बुर (घमण्ड) करते हुए मेरे आगे से नमाज़ की हालत में गुज़रता है तो मैं उसे रोक लेता हूँ और कभी कोई ज़ईफ़ इंसान होता है तो उसे मना नहीं करता।

तौज़ीहः हज़रत सुफ़्यान सौरी (रह.) एक ताबेई हैं, यह इनका अमल है, इस अमल की इनके नज़दीक क्या वजह थी? वह इन्होंने बयान नहीं की। इसलिए हदीस की रू से हर गुज़रने वाले को हाथ से रोकना चाहिए, चाहे कोई तकब्बुर से गुज़रने वाला हो या वह ज़ईफ़ हो।

बाब: 108
नमाज़ी के आगे से गुज़रने की मुमानिअत

﴿108﴾
باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً .

(701) जनाब ज़ेद बिन ख़ालिद जोहनी ने उन्हें (बुस्र बिन सईद को) ह़ज़रत अबू जुहैम (रज़ि.) के पास भेजा और पुछवाया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले के बारे में क्या सुना है? तो ह़ज़रत अबू जुहैम (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है, 'नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले को अगर मालूम हो जाए कि उस पर कितना गुनाह और अज़ाब है तो (उसके बदले) उसे चालीस... खड़ा रहना, उसके आगे से गुज़रने से अच्छा लगे।' अबू नज़्र ने कहा, न मालूम आपने चालीस के लफ़्ज़ के साथ दिन महीना या साल, क्या फ़र्माया?

तखरीज 701 : स़ह़ीह़ बुख़ारीः 510, मुस्लिमः 507, मौत्ता (यह़्या): 1/154, 155

फ़वाइद व मसाइलः (1) इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि जान बूझकर नमाज़ी के आगे से गुज़रना कितना सख़्त गुनाह है। नमाज़ ख़्वाह फ़र्ज़ हो या नफ़्ल। **(2)** चालीस के अ़दद के बाद दिन, महीने या साल का ज़िक्र न होना, उस सज़ा की शिद्दत के लिए है। ताहम कुछ कमज़ोर रिवायतों में (ख़रीफ़) 'साल' का लफ़्ज़ आया है, उससे उस गुनाह की शनाअ़त व क़बाह़त वाज़ेह़ है।

उन चीज़ों की तफ़्सील जिनसे नमाज़ टूट जाती है और जिनसे नहीं टूटती

बाब: 109
किस चीज़ (के गुज़रने) से नमाज़ टूट जाती है?

﴾109﴿
باب مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

(702) हफ़्स बिन उमर की सनद में हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) से मंक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'आदमी की नमाज़ को तोड़ देता है।' और उन दोनों (अब्दुस्सलाम बिन मित्हर और इब्ने कसीर) ने सुलेमान बिन मुग़ीरा से रिवायत करते हुए कहा कि हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) ने फ़र्माया, आदमी की नमाज़ को काट देता है जबकि उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कुछ न रखा हो, गधा, काला कुत्ता और औरत। मैं (यानी अब्दुल्लाह बिन सामित) ने कहा, काले कुत्ते की क्या ख़ुसूसियत है, सुर्ख़ हो या ज़र्द या सफ़ेद? उन्होंने कहा, भतीजे! मैंने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा था जैसे कि तुमने मुझसे पूछा है, तो आपने फ़र्माया था, 'काला कुत्ता शैतान है।'

तखरीज 702 : सहीह मुस्लिमः 510

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، وَابْنُ، كَثِيرٍ - الْمَعْنَى - أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، - قَالَ حَفْصٌ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالاَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ " يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ " . فَقُلْتُ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ " الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " .

(703) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है, उसे शुअबा ने मरफ़ूअ ज़िक्र किया,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ،

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما رَفَعَهُ شُعْبَةُ - قَالَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .

'नमाज़ को तोड़ देती है बालिग़ा औरत और कुत्ता।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इसे सईद, हिशाम और हम्माम ने क़तादा से, उन्होंने जाबिर बिन ज़ेद से रिवायत करते हुए इब्ने अब्बास (रज़ि.) पर मौक़ूफ़ किया है।

तख़रीज 703: (सनद सहीह) नसाईः752, इब्ने माजाः949, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः832, इब्ने हिब्बानः412

फ़ायदाः नमाज़ टूटने का मफ़्हूम कुछ मुहद्दिसीन के नज़दीक यह है कि नमाज़ी के ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ में फ़र्क आ जाता है और उसकी बरकत जाती रहती है। जबकि इमाम अहमद, इमाम इब्नुल क़य्यिम (रहि.) और कुछ दूसरे अइम्मा ने ज़ाहिरी मफ़्हूम मुराद लिया है कि नमाज़ बातिल हो जाती है। इसकी ताईद एक हदीस से होती है जिसे शैख़ अल्बानी (रह.) ने सहीहा में नक़्ल किया है। उसके अल्फ़ाज़ हैं (तुआदुस्सलातु...) (सहीहाः 7/959, हदीस 3323) 'गधे, औरत काला कलोटा कुत्ते के गुज़रने पर नमाज़ लौटाई जाए।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي نَفْسِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ شَىْءٌ كُنْتُ أُذَاكِرُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا جَاءَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَلاَ يَعْرِفُهُ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا

(704) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है, किसी रावी ने कहा मेरा ख़याल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान किया। फ़र्माया, 'जब तुममें से कोई शख़्स बग़ैर सुतरे के नमाज़ पढ़े तो कुत्ता, ख़िंज़ीर, यहूदी, मजूसी और औरत उसकी नमाज़ तोड़ देते हैं। मगर जब यह एक पत्थर फेंकने के फ़ासले से गुज़रें तो नमाज़ के टूटने से किफ़ायत रहती है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मेरे दिल में इस रिवायत के बारे में कुछ (तरद्दुद) सा है। मैंने इब्राहीम वग़ैरह से उसका मुज़ाकिरा किया तो किसी ने उसे हिशाम से रिवायत नहीं किया, न उसको पहचानता था। और न मैंने किसी को देखा

يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَأَحْسَبُ الْوَهَمَ مِنَ ابْنِ أَبِي سَمِينَةَ - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيَّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - وَالْمُنْكَرُ فِيهِ ذِكْرُ الْمَجُوسِيِّ وَفِيهِ " عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ " . وَذِكْرُ الْخِنْزِيرِ وَفِيهِ نَكَارَةٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَأَحْسَبُهُ وَهِمَ لأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنَا مِنْ حِفْظِهِ .

जो उसे हिशाम से बयान करता हो। और मेरा ख़्याल है कि यह इब्ने अबी समीना का वहम है। और उसमें मुंकर हिस्सा 'मजूसी, पत्थर फेंकने का फ़ासला और ख़िंज़ीर' का बयान है।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) कहते हैं, मैंने यह ह़दीस सिर्फ़ मुह़म्मद बिन इस्माईल बस़री से सुनी है और मेरा ख़्याल है कि इसे वहम हुआ है क्योंकि वह अपने ह़िफ़्ज़ से बयान करता था।

तखरीज 704 : (सनद ज़ईफ़) त़ह़ावी मआनिल आसारः 1/458

फ़ायदाः इस रिवायत से मालूम होता है कि पत्थर फेंकने के फ़ासले के बक़द्र, जगह छोड़कर, नमाज़ी के आगे से गुज़रना जाइज़ है। लेकिन यह रिवायत सही नहीं है। नमाज़ी के आगे सुतरा न हो, तो कितने फ़ासले से गुज़रने वाला गुज़र सकता है? इसकी बाबत किसी ह़दीस से कोई वाज़ेह़ स़राह़त नहीं मिलती। ताहम कुछ उ़लमा ने एह़तियात़ के त़ौर पर इसका अंदाज़ा तीन स़फ़ बयान किया है। इससे ज़्यादा दो या इसके बक़द्र फ़ासले से गुज़रना जाइज़ होगा, वल्लाहु आ'लम!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَوْلًى، لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ، قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً بِتَبُوكَ مُقْعَدًا فَقَالَ مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ . فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ .

(705) जनाब यज़ीद बिन निमरान ने बयान किया कि मैंने तबूक में एक आदमी देखा जो लुंजा था। (यानी चल फिर न सकता था) उसने बताया कि मैं नबी (ﷺ) के आगे से गुज़रा था, मैं गधे पर सवार था और आप नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने कहा, 'ऐ अल्लाह! इसके क़दम काट दे।' चुनाँचे उसके बाद से मैं अपने क़दमों पर नहीं चल सका हूँ।

तखरीज 705 : (सनद ज़ईफ़) अह़मदः 4/64

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ يَعْنِي الْمَذْحِجِيَّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ

(706) सईद ने मज़्कूरा सनद के साथ इसी के हम मअनी बयान किया और मज़ीद कहा, 'उसने हमारी नमाज़ तोड़ दी, अल्लाह उसके क़दम तोड़ दे।'

وَمَعْنَاهُ زَادَ فَقَالَ " قَطَعَ صَلاَتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ فِيهِ " قَطَعَ صَلاَتَنَا " .

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, अबू मुस्हिर ने सईद से रिवायत किया तो उसने सिर्फ़ इस क़द्र कहा, 'उसने हमारी नमाज़ तोड़ दी।'

तखरीज 706 : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 2/275

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُوَ حَاجٌّ فَإِذَا رَجُلٌ مُقْعَدٌ فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا فَلاَ تُحَدِّثْ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَيٌّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ " هَذِهِ قِبْلَتُنَا " . ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا فَأَقْبَلْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ أَسْعَى حَتَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ " قَطَعَ صَلاَتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ " . فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا .

(707) सईद बिन ग़ज़्वान अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने हज्ज को जाते हुए तबूक में पड़ाव किया। उसने एक लुंजा आदमी देखा (जो चल न सकता था) उसने उसकी कैफ़ियत पूछी तो उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ मगर जब तक तुझे यह मालूम रहे कि मैं ज़िन्दा हूँ किसी को बताना नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) तबूक में एक खजूर तले पड़ाव किये हुए थे। आपने फ़र्माया, 'यह हमारा क़िब्ला है।' फिर आप उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ने लगे, चुनाँचे मैं भागता हुआ आया जबकि मैं लड़का था, यहाँ तक कि आपके और आपके सुतरे के बीच में से गुज़र गया। आपने कहा, 'इसने हमारी नमाज़ तोड़ी अल्लाह इसके क़दम तोड़ दे।' चुनाँचे उस दिन से आज तक मैं इन पर खड़ा नहीं हो सका हूँ।

तखरीज 707 : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 2/275

फ़ायदाः नबी (ﷺ) की बद्दुआ वाली मज़्कूरा तीनों रिवायात (705 - 706 और 707) ज़ईफ़ है।

बाब: 110
इमाम का सुतरा उसके पीछे वालों का भी सुतरा होता है।

﴿110﴾ باب سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ - يَعْنِي - فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصِقَ بَطْنُهُ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ . أَوْ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ.

(708) अ़म्र बिन शुऐ़ब अ़न अबीहि अ़न जद्दिह के वास्ते से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मक़ामे 'सनिय्या अज़ाख़िर' में पड़ाव किया। नमाज़ का वक्त हो गया तो आपने एक दीवार की त़रफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ी और हम आपके पीछे थे। बकरी का एक बच्चा आया और आपके आगे से गुज़रने लगा मगर आप उसे रोकते रहे, यहाँ तक कि आपका पेट दीवार से जा लगा और वह बच्चा आपके पीछे से गुज़र गया। मुसद्दद (रह.) के अल्फ़ाज़ यही थे या इसी त़रह के क़रीब।

तखरीज 708 : (सनद हसन) अह़मदः 2/196

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ .

(709) ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे थे कि भेड़ का एक बच्चा आपके आगे से गुज़रने लगा मगर आप उसे हटाते रहे।

तखरीज 709 : (सनद ह़सन) अह़मदः 1/291, मुस्नदः 90, 716, 717 में देखें

फ़वाइद व मसाइलः (1) नमाज़ी को चाहिए कि अपनी नमाज़ की ह़िफ़ाज़त करे। नबी (ﷺ) ने बकरी के एक बच्चे का गुज़रना भी गवारा नहीं किया। **(2)** बकरी का वह बच्चा नबी (ﷺ) के पीछे से यानी मुक़्तदियों के आगे से गुज़र गया, क्यों कि मुक़्तदियों के लिए नबी (ﷺ) सुतरा थे।

﴿111﴾ باب مَنْ قَالَ الْمَرْأَةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - قَالَ شُعْبَةُ أَحْسَبُهَا قَالَتْ - وَأَنَا حَائِضٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو الأَسْوَدِ وَتَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَإِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبُو الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَذْكُرُوا وَأَنَا حَائِضٌ

बाब: 111
उनके दलाइल जो क़ाइल हैं कि औरत के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती

(710) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं नबी (ﷺ) और आपके क़िब्ले के बीच हुआ करती थी, शुअबा ने कहा, मेरा ख़याल है कि उन्होंने कहा, और मैं हैज़ से होती थी।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस को ज़ोहरी, अता, अबूबक्र बिन हफ़्स हिशाम बिन उर्वा, इराक बिन मालिक, अबुल अस्वद और तमीम बिन सलमा ने रिवायत किया है। और यह सब उर्वा से वह हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं जबकि इब्राहीम बवास्ता अस्वद आइशा (रज़ि.) से और अबुज़्ज़ुहा बवास्ता मसरूक़ आइशा (रज़ि.) से और क़ासिम बिन मुहम्मद और अबू सलमा (बराहे रास्त) हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं। इन हज़रात ने यह जुम्ला ज़िक्र नहीं किया 'और मैं हैज़ से होती थी।'

तखरीज 710: (सनद सहीह) मुस्नद तयालिसीः 1457, सहीह बुख़ारीः 383, सहीह मुस्लिमः 512

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ رَاقِدَةً عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ.

(711) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को अपनी नमाज़ पढ़ते और वह आपके और क़िब्ले के बीच बिस्तर पर होती थीं जिस पर कि आप सोते थे यहाँ तक कि जब आप वित्र पढ़ना चाहते तो उन्हें जगा देते। तब वह (भी उठकर) वित्र पढ़ लेतीं।

तखरीज 711 : स़ह़ीह़ बुख़ारीः 512, मुस्लिमः 512

फ़ायदाः मालूम हुआ कि बीवी अगर शौहर के क़रीब या सामने लेटी हुई हो तो नमाज़ सही है। गुज़िश्ता ह़दीस (694) का इश्काल (सस्पेंस) भी इससे दूर हो जाता है। यानी अगर सामने कोई सोया हुआ हो तो नमाज़ी की नमाज़ सही है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَىَّ ثُمَّ يَسْجُدُ

(712) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि तुम लोगों ने बुरा किया कि हमें (यानी औरतों को) गधे और कुत्ते के बराबर कर दिया है। बिला शुब्हा मैं ने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ते और मैं आपके सामने लेटी हुई होती थी। आप जब सज्दा करना चाहते तो मेरे पैर को दबा देते, मैं अपने पैर समेट लेती फिर आप सज्दा करते।

तखरीज 712 : स़ह़ीह़ बुख़ारीः 519

फ़ायदाः यह सूरत जगह की तंगी और हुज्रे की तारीकी के बाइस होती थी और यह कैफ़ियत नमाज़ के लिए नुक्सानदेह नहीं है।

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا

(713) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं सोई हुई होती और मेरे पैर रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने होते जबकि आप रात को नमाज़ पढ़ रहे होते थे। जब आप सज्दा करना चाहते तो मेरे पैर पर

قَالَتْ كُنْتُ أَكُونُ نَائِمَةً وَرِجْلاَىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَىَّ فَقَبَضْتُهُمَا فَسَجَدَ .

मारते, मैं उन्हें समेट लेती फिर आप सज्दा करते।

तखरीज 713 : सहीह बुख़ारीः 382, सहीह मुस्लिमः 512

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ، فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَمَامَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ . زَادَ عُثْمَانُ غَمَزَنِي ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ تَنَحَّىْ .

(714) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं सोती और रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़िब्ला रुख़ अर्ज़ में लेटी हुई होती थी और रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ते रहते और मैं आपके सामने होती। जब आप वित्र पढ़ना चाहते... उस्मान ने इज़ाफ़ा किया.. आप मुझे दबा देते फिर (क़अंबी और उस्मान) दोनों रिवायत में मुत्तफ़िक़ हैं कि आप फ़र्माते '(आइशा!) एक तरफ़ हो जाओ।'

तखरीज 714 : (सनद हसन) अहमदः 6/182, हुमैदीः 178

फ़ायदाः इन रिवायात से मालूम हुआ कि नमाज़ी के आगे किसी का लेटा हुआ होना और उसके आगे से गुज़रना, यह दो अलग अलग बातें हैं, आगे लेटा हुआ होना नमाज़ में क़ादिह (ख़राब करने वाला अमल) नहीं। अल्बत्ता गुज़रना ख़ुशूअ के मनाफ़ी है, इसीलिए यह मम्नूअ है और आगे गुज़रने वाला सख़्त गुनहगार।

बाब: 112
उनके दलाइल जो कहते हैं कि गधे के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती

﴿112﴾ باب مَنْ قَالَ الْحِمَارُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ، قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ . قَالَ مَالِكٌ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ .

(715) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक गधे पर सवार होकर आया। (दूसरी सनद से) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है, उन्होंने कहा कि मैं एक गधी पर सवार होकर आया और मैं उन दिनों क़रीबुल बुलूग़ (जवानी के क़रीब) था और रसूलुल्लाह (ﷺ) मिना में लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे, चुनाँचे मैं सफ़ के कुछ हिस्से के आगे से गुज़रा, फिर मैं उतरा और गधी को छोड़ दिया, वह चरने लगी और मैं सफ़ में शामिल हो गया और किसी ने मुझ पर ऐतिराज़ न किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, यह अल्फ़ाज़ (उस्ताद) क़अंबी के हैं और (उस्ताद उस्मान बिन अबी शैबा के अल्फ़ाज़ से) ज़्यादा कामिल हैं। इमाम मालिक (रह.) कहते हैं कि मैं इस मसले में तवस्सोअ समझता हूँ जबकि नमाज़ खड़ी हो चुकी हो।

तख़रीज 715 : सहीह बुख़ारीः 493, सहीह मुस्लिमः 504, मौत्ता (यह्या): 1/155, 156

तौज़ीहः इन हज़रात का इस्तिदलाल यूँ है कि गधी सफ़ के कुछ हिस्से के आगे से गुज़री और उनके आगे सुतरा न था और किसी ने उन पर ऐब न लगाया मगर साबितशुदा बात यह है कि इमाम का सुतरा

मुक़्तदियों के लिए भी सुतरा है। इस तरह ख़्वाह कुछ भी गुज़रे कोई हर्ज नहीं। नीज़ बच्चे भी बड़ों के साथ सफ़ में शरीक हो सकते हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، قَالَ تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ جِئْتُ أَنَا وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالاَهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالَى ذَلِكَ.

(716) जनाब अबुस्सहबा बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की मज्लिस में हमारा मुज़ाकिरा हुआ कि किस चीज़ से नमाज़ टूटती है तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने बयान किया कि मैं और बनी अब्दुल मुत्तलिब का एक लड़का गधे पर सवार होकर आए जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ा रहे थे, चुनाँचे वह उतरा और मैं भी और हमने गधे को सफ़ के आगे छोड़ दिया।, तो आपने उसकी कोई परवाह न की। और बनी अब्दुल मुत्तलिब की दो बच्चियाँ आईं और सफ़ में दाख़िल हो गईं आपने उनकी भी कोई परवाह न की।

तखरीज 716 : (सनद हसन) नसाई: 755, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 2/24, 25

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَدَاوُدُ بْنُ مِخْرَاقٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا فَأَخَذَهُمَا - قَالَ عُثْمَانُ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ دَاوُدُ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ الأُخْرَى فَمَا بَالَى ذَلِكَ .

(717) मंसूर ने यही हदीस अपनी सनद से रिवायत की। कहा कि बनी अब्दुल मुत्तलिब की दो लड़कियाँ लड़ती हुई आईं तो आपने उन दोनों को पकड़ लिया... उस्मान ने कहा, आपने उन दोनों को जुदा कर दिया... और दाऊद (रह.) ने कहा, उन्हें एक दूसरी से छुड़ा दिया और उसकी कोई परवाह न की।

तखरीज 717 : (सनद हसन) पिछली हदीस में देखें।

फ़ायदा: सुनन नसाई की रिवायत (755) में है कि 'वह बच्चियाँ आईं और आपके घुटनों को पकड़ लिया।' और ज़ाहिर है कि घरों में ऐसे लताइफ़ (कलाएँ) होते रहते हैं। उसमें माँ बाप के लिए उस्वा है कि नमाज़ के दौरान में ऐसा अमले क़लील (छोटी मोटी बात) मुबाह है।

बाब: 113
उन हज़रात की दलील जो कुत्ते को नमाज़ का क़ातेअ (तोड़ने वाला) नहीं समझते

﴿113﴾ باب مَنْ قَالَ الْكَلْبُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذَلِكَ .

(718) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हम बाहर अपने देहात में थे और आपके साथ हज़रत अब्बस (रज़ि.) भी थे। आपने सहरा में नमाज़ पढ़ी आपके सामने सुतरा न था। हमारी गधी और कुतिया आपके सामने खेल रही थीं और आपने उसकी कोई परवाह न की।

तखरीज 718 : (सनद ज़ईफ़) नसाई: 754

तौज़ीह: एहतिमाल है कि यह जानवर क़द्रे फ़ासले पर हों, नीज़ यहाँ इनके आगे से गुज़रने की तसरीह भी नहीं है। इसके अलावा यह रिवायत भी ज़ईफ़ है।

बाब: 114
उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती

﴿114﴾ باب مَنْ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(719) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती और जहाँ तक मुम्किन हो (आगे से गुज़रने वाली चीज़ को) हटाओ, बिलाशुब्हा वह शैतान है।'

وسلم لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

तख़रीज 719 : (सनद हसन) बैहक़ीः 2/278, दारे क़ुत्नीः 1/367

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ، قَالَ مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَىْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَفَعَهُ ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّ الصَّلاَةَ لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَلَكِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُظِرَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

(720) जनाब अबुल वद्दाक बयान करते हैं कि क़ुरैश का एक नौजवान हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के आगे से गुज़रने लगा, जबकि वह नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उसको रोका। वह फिर आया, तो उन्होंने उसे रोका। तीन बार ऐसा ही हुआ। जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुए, तो फ़र्माया नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है '(गुज़रने वाले को) जहाँ तक हो सके रोको, बिला शुब्हा वह शैतान है।' इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़र्माते हैं कि जब नबी (ﷺ) से दो हदीसें एक दूसरे के ख़िलाफ़ मंक़ूल हों तो देखा जाता है कि आपके अस्हाबे किराम (रज़ि.) ने आपके बाद क्या अमल इख़्तियार किया था।

तख़रीज 720 : (सनद हसन) बैहक़ी

फ़ायदाः शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह दोनों हदीसें ज़ईफ़ हैं। ताहम जिनके नज़दीक सही हैं। उनके नज़दीक तो इस उमूम से वह तीन चीज़ें ख़ारिज होंगी जिनके गुज़रने से नमाज़ टूट जाती है, और वह हैं औरत, गधा और काला कुत्ता। (देखिए हदीसः 702 और इसका फ़ायदा) यानी इस हदीस की वजह से हदीस 719 और 720 के उमूम से मज़्कूरा तीनों चीज़ें मुस्तस्ना (अलग) होंगी यानी उनके गुज़रने से नमाज़ टूट जाएगी और उसका लौटाना ज़रूरी होगा अल्बत्ता उनके अलावा किसी के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटेगी, वल्लाहु आलम

नमाज़ शुरू करने के अह़काम व मसाइल

बाब 114, 115: नमाज़ में रफ़उल यदैन का बयान (यानी दोनों हाथों का उठाना)

باب ﴿114, 115﴾ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ

नोट मल्हूज़ः हर मुसलमान पर वाजिब है कि दीन की तमामतर जुज़्इयात को ह़त्तल इम्कान (हर संभव) अपने अ़मल में लाए और बिल्ख़ुसूस जब इल्म, ह़क़्क़ुल यक़ीन तक पहुँच जाए तो फिर उनसे ऐ़राज़ किसी सूरत में भी जाइज़ नहीं। इल्म व तह़क़ीक़ के बाद उनसे ऐ़राज़ फ़िस्क़ तक पहुँचा देता है। आयाते करीमा (या अय्युहल्लज़ीना...) (बक़रः 208) 'ऐ ईमान वालों! इस्लाम में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ।' (व मय्युशक़िकिर्रसूल...) (निसाअः 115) 'और जो कोई मुख़ालिफ़त करे रसूल की, जबकि खुल चुकी उस पर सीधी राह और चले सब मुसलमानों के रास्ते के ख़िलाफ़ तो हम ह़वाले करेंगे उसको उसी के जो उसने इख़्तियार किया और डालेंगे उसको जहन्नम में और वह बहुत बुरा ठिकाना है।' यह और दीगर आयात व अह़ादीस वाज़ेह़ तौर पर सुन्नतों के इख़्तियार व इल्तिज़ाम को वाजिब क़रार देती हैं। मिन्जुम्ला इन सुनन के रफ़उल यदैन, आमीन बिल्जहर, सीने पर हाथ बाँधना और स़फ़ों में ख़ूब मिलकर खड़े होना ऐसी सुन्नतें हैं कि बर्रे सग़ीर पाक व हिन्द में इनकी अहमियत इस ह़द तक बढ़ गई है कि यह दीगर सुनन शरीअ़त की मुह़ाफ़िज़ बन गई हैं। इनका आ़मिल बिल्उ़मूम दीगर सुनन का भी आ़मिल और शाइक़ बन जाता है और इनसे ऐ़राज़ करने वाला दीगर सुनन से भी ग़ाफ़िल रहता है। (इल्ला माशा अल्लाह) बहरह़ाल नमाज... फ़र्ज़ हो या नफ़्ल... मर्द पढ़े या औ़रत और बच्चा... उसमें रफ़उल यदैन रसूलुल्लाह (ﷺ) की साबित, मुतवातिर, मुह़कम और ग़ैर मंसूख़ सुन्नत है। नबी (ﷺ) इस पर पूरी ज़िन्दगी कारबंद रहे। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह़.) की तह़क़ीक़ के मुत़ाबिक़ पच्चास स़ह़ाबा किराम ने इसे नक़्ल किया है। जिनमें ख़ुल्फ़ाए अरबआ़ बल्कि अ़शरा मुबश्शरा भी शामिल हैं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(721) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से मंक़ूल है, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि जब आप नमाज़ शुरू करते तो अपने दोनों हाथों को उठाते यहाँ तक कि आपके कँधों के बराबर

إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ . وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

आ जाते और जब रुकूअ़ करना चाहते (तो अपने दोनों हाथ उठाते) और ऐसे ही रुकूअ़ से सिर उठाने के बाद करते। और सुफ़्यान ने एक बार कहा, और जब अपना सिर उठाते। और अक्सर औक़ात उनके लफ़्ज़ होते थे (व बअ़द मा यर्फ़ इ रअसहु मिनर्रुकूइ) यानी 'रुकूअ़ से सिर उठाने के बाद करते।' और सज्दों के बीच हाथ न उठाया करते थे।

तखरीज 721 : सह़ीह़ मुस्लिमः 390, सह़ीह़ बुख़ारीः 735, 736, 738, अहमदः 2/8

फ़वाइद व मसाइलः (1) यह ह़दीस मुत्तफ़क़ अ़लैहि है। ख़िलाफ़ियाते बैहक़ी में है (फमा ज़ालत तिल्का सलातुहू...) 'आख़िर वक़्त तक नबी (ﷺ) की यही नमाज़ रही।' इमाम इब्नुल मदीनी फ़र्माते हैं कि ज़ोहरी अ़न सालिम अ़न अबीही की सनद से यह ह़दीस मेरे नज़दीक मख़्लूक़ पर वाज़ेह़ हुज्जत और दलील है। जो भी इसे सुने लाज़िम है कि इस पर अ़मल करे क्योंकि इसकी सनद में कोई नुक़्स (कमी) व ऐब नहीं है। (तल्ख़ीसुल ह़बीरः 1/218) **(2)** इस ह़दीस में तक्बीरे तह़रीमा, रुकूअ़ को जाते हुए और रुकूअ़ से उठने के बाद तीन मौक़ों पर रफ़उल यदैन मज़्कूर है। चौथा मौक़ा दूसरी रकअ़त से उठने के बाद का भी है। देखिए (स़ह़ीह़ बुख़ारीः 739) **(3)** इस ह़दीस में तस़रीह़ है कि सज्दों में रफ़उल यदैन नहीं करते थे। स़ह़ीह़ बुख़ारी के अल्फ़ाज़ हैं (वला यफ्अलु ज़ालिका फिस्सुजूद...) 'और आप सज्दों में यह न किया करते थे।' **(4)** इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ (बअ़द मा यर्फ़इ रअसहु मिनर्रुकूइ) और (व इज़ा रफ़अ़ रअसहु) दोनों का ह़ासिल क़रीब क़रीब है यानी रुकूअ़ से सिर उठा लेने के बाद हाथ उठाते थे या रुकूअ़ से उठते हुए साथ ही अपने हाथ भी उठा लेते थे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ

(722) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथ बुलंद करते यहाँ तक कि वह कँधों के बराबर आ जाते। फिर (अल्लाहु अकबर) कहते और उन्हें वैसे ही उठाते और रुकूअ़ करते फिर जब अपनी कमर उठाना चाहते तो

مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاَتُهُ .

अपने हाथों को बुलंद करते, यहाँ तक कि आपके कँधों के बराबर आ जाते फिर कहते (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) और सज्दों में अपने हाथ न उठाते और रुकूअ से पहले हर तक्बीर में अपने हाथ उठाते यहाँ तक कि आपकी नमाज़ पूरी हो जाती।

तखरीज 722 : (सहीह) दारे कुत्नीः 1/287, : 1098, अहमदः 2/133, 134, इब्नुल जारूदः 178

फ़ायदाः इस हदीस के अल्फ़ाज़ (रुकूअ से पहले हर तक्बीर) में यह इशारा है कि रुकूअ से पहले की तक्बीरात मस्लन ईदैन या जनाज़ा में रफ़उल यदैन किया जाए।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا لاَ أَعْقِلُ صَلاَةَ أَبِي قَالَ فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ - قَالَ - ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذَا رَفَعَ

(723) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल बिन हुज्र बयान करते हैं कि मैं नौ उम्र लड़का था, अपने वालिद की नमाज़ को न समझता था, तो मुझे वाइल बिन अल्क़मा ने मेरे वालिद वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी तो आप जब तक्बीर कहते तो अपने दोनों हाथ उठाते... बताया कि... फिर आपने अपना कपड़ा लपेट लिया, फिर अपने बाएँ हाथ को अपने दाएँ से पकड़ा और अपने हाथों को अपने कपड़े में कर लिया... कहा कि... जब रुकूअ करना चाहते तो अपने दोनों हाथों को (कपड़े से बाहर) निकालते फिर उन्हें ऊपर उठाते। और जब रुकूअ से अपना सिर उठाना चाहते तो अपने दोनों हाथों को उसी तरह उठाते। फिर आपने सज्दा किया और अपने चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच में रखा। और जब

رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ . قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ فَقَالَ هِيَ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ .

सज्दों से सिर उठाते तो भी अपने दोनों हाथ उठाते, यहाँ तक कि आप अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हो गए।

मुहम्मद (बिन जुहादा) ने कहा कि मैंने यह हदीस हसन बिन अबिल हसन (बसरी) से ज़िक्र की तो उन्होंने कहा, यही है रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़, जिसने इसे इख़्तियार किया, इख़्तियार किया और जिसने इसे छोड़ दिया, छोड़ दिया।

अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस को हम्माम ने इब्ने जुहादा से रिवायत किया तो उसमें सज्दों से उठकर रफ़उल यदैन का ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज 723 : (शाज़) महल्लीः 4/91, 92, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 905, इब्ने हिब्बानः 489, हम्माम अख़्रजा मुस्लिमः 401

फ़ायदाः इस हदीस में (व इज़ा रफ़आ रासहू...) यानी 'सज्दों में रफ़उल यदैन' के अल्फ़ाज़ शाज़ हैं। जैसे कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने ख़ुद फ़र्माया है। नीज़ सहीह मुस्लिमः 390, सुनन कुब्रा बैहक़ीः 2/71, मअरिफ़तुस्सुनन वल्आसार 1/543, और मुस्नद अहमदः 4/316 में रिवायत आई है। उनमें भी यह अल्फ़ाज़ नहीं हैं। सहीह इब्ने हिब्बानः 5/173 (हदीस 1862) में भी बतरीक़ अब्दुल वारिस बिन सईद अन मुहम्मद बिन जुहादा रिवायत बयान हुई है उसमें भी सज्दों के बीच रफ़उल यदैन का ज़िक्र नहीं है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ .

(724) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने नबी (ﷺ) को देखा कि जब आप नमाज़ के लिए खड़े हुए तो आपने अपने दोनों हाथ उठाए यहाँ तक कि वह कँधों के मुक़ाबिल हो गए और अंगूठे कानों के बराबर आ गए। फिर 'अल्लाहु अकबर' कहा।

तख़रीज 724 : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 2/24, 25

फ़ायदा: इससे मालूम हुआ कि इसी तरह रफ़उल यदैन करना कि अंगूठे कानों के बराबर आ जाएँ, सही नहीं है। क्योंकि किसी भी सही हदीस में यह बात बयान नहीं हुई।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، حَدَّثَنِي أَهْلُ، بَيْتِي عَنْ أَبِي أَنَّهُ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ .

(725) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल ने कहा कि मुझसे मेरे अहले ख़ाना ने मेरे वालिद (वाइल बिन हुज्र रज़ि.) से रिवायत किया, मेरे वालिद ने उनसे बयान किया कि उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा था कि वह तक्बीर के साथ हाथ उठाते थे।

तखरीज 725 : (सनद ज़ईफ़) अहमद: 4/316

फ़ायदा: यानी (अल्लाहु अकबर) कहने और हाथ उठाने का अमल एक साथ होता था। और इसमें तवस्सोअ (गुन्जाइश) है कि तलफ़्फ़ुज़े तक्बीर और रफ़उल यदैन इकट्ठे हों या आगे पीछे सब ही जाइज़ हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ

(726) हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने कहा, मैं बिज़्ज़रूर रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ देखूँगा कि आप कैसे पढ़ते हैं। उन्होंने बयान किया, चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुए क़िब्ले की तरफ़ रुख़ किया और (अल्लाहु अकबर) कहा, फिर अपने दोनों हाथ उठाए यहाँ तक कि आपके कानों के बराबर आ गए, फिर आपने अपने बाएँ हाथ को अपने दाएँ हाथ से पकड़ लिया, जब रुकूअ करना चाहा तो अपने दोनों हाथ पहले की तरह उठाए और फिर उन्हें अपने घुटनों पर रखा। जब रुकूअ से सिर उठाया तो दोनों हाथों को उसी तरह उठाया (यानी रफ़उल यदैन किया) जब सज्दा किया तो अपना सिर ज़मीन पर अपने हाथों के बीच उसी जगह पर रखा (यानी सिर

رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا . وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

और हाथों का फ़ासला इतना ही था जितना कि रफ़उलयदैन के वक़्त था।) फिर बैठे और अपने बाएँ पैर को बिछा लिया और अपना बायाँ हाथ अपनी बाएँ रान पर रखा और दाएँ हाथ की कोहनी को दाएँ रान से अलग और ऊँचा रखा। अपनी दो उँगलियों (छिंगली और साथ वाली) को बंद कर लिया और बाक़ी से हल्क़ा बना लिया। (मुसद्दद कहते हैं कि) मैंने अपने शैख़ बिश्र को देखा कि उन्होंने अंगूठे और बीच उँगली से हल्क़ा बनाया और शहादत की उँगली से इशारा किया।

तखरीज 726 : (सनद सहीह) नसाईः 890, इब्ने माजाः 867, इब्ने ख़ुज़ैमाः 480, 714, इब्ने हिब्बानः 485

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ .

(727) जनाब आसिम बिन कुलैब ने इसी सनद से इसका हम मअनी बयान किया और इसमें (तफ़्सील से) कहा कि फिर अपना दायाँ हाथ अपने बाएँ हाथ की पुश्त पर रखा, यूँ कि वह पहुँचों और कलाई पर भी आ गया। इस रिवायत में मज़ीद कहा कि मैं उसके बाद सख़्त सर्दी के मौसम में भी आपके यहाँ आया। मैंने लोगों को देखा कि वह बहुत कपड़े ओढ़े हुए थे। उनके हाथ (रफ़उल यदैन करते हुए) कपड़ों के नीचे से हरकत देते थे।

तखरीज 727 : (सनद सहीह) नसाई

फ़वाइद व मसाइलः (1) हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) सन 9 हिज्री में मुसलमान हुए हैं। यह

अगले साल सर्दी के मौसम में दोबारा तशरीफ़ लाए। यह नबी (ﷺ) की ज़िन्दगी का आख़िरी जाड़ा था और उस मौक़े पर भी नबी (ﷺ) और सहाबा किराम (रज़ि.) को रफ़उल यदैन करते देखा। **(2)** क़याम में हाथ बाँधने की कैफ़ियत में हाथ के ऊपर हाथ रखना या उसे पकड़ लेना दोनों जाइज़ है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ – قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ .

(728) हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को देखा कि आपने जब नमाज़ शुरू की तो अपने दोनों हाथों को कानों के बराबर तक उठाया। कहा कि मैं फिर उन (सहाबा) के पास आया मैंने सहाबा किराम (रज़ि.) को देखा कि वह नमाज़ शुरू करते हुए अपने हाथों को सीनों तक उठाते थे और जुब्बे और कम्बल ओढ़े हुए थे।

तख़रीज 728 : (सनद ज़ईफ़) शरहुस्सुन्नाः 5640

फ़ायदाः (बरानिस) बुर्नस की जमा है। बुर्नस हर वह कपड़ा है जिसमें टोपी लगी हो, जुब्बा हो या क़मीस़ या बारानी कोट। कुछ ने कहा, लम्बी टोपी जिसको लोग शुरू इस्लाम में पहना करते थे। (लुग़ातुल ह़दीस, अ़ल्लामा वह़ीदुज़्ज़मान)

باب ﴿115, 116﴾ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

बाब: 115, 116 नमाज़ के इफ़्तिताह़ का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ فِي الصَّلاَةِ.

(729) हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, सर्दी का मौसम था, मैंने सहाबा किराम (रज़ि.) को देखा कि वह कपड़ों के अन्दर से नमाज़ में अपने हाथ उठाते थे। (यानी रफ़उल यदैन करते थे।)

तख़रीज 729 : (सनद सह़ीह़) शरह़स्सुन्नाः 565, हदीस 727 में देखें

(730) जनाब मुहम्मद बिन अम्र बिन अ़ता बयान करते हैं कि मैंने ह़ज़रत अबू हुमैद साइदी (रज़ि.) को सुना, उन्होंने अस्ह़ाबे रसूल (ﷺ) में से दस अफ़राद की जमाअ़त में कहा... और उनमें अबू क़तादा (रज़ि.) भी थे.. कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में तुम सबसे ज़्यादा बाख़बर हूँ। उन्होंने कहा, कैसे ? क़सम अल्लाह की! तुम कोई हमसे ज़्यादा नबी (ﷺ) की इत्तिबाअ़ करने वाले तो नहीं हो या हमारी निस्बत ज़्यादा क़दीमुस्सोह़बत तो नहीं हो। उन्होंने कहा, क्यूँ नहीं। स़ह़ाबा ने कहा, अच्छा तो बयान करो। (अबू हुमैद ने) कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथों को उठाते यहाँ तक कि वह आपके कँधों के बराबर आ जाते, फिर (अल्लाहु अकबर) कहते यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी अपनी जगह पर ठीक त़रह से टिक जाती। फिर आप क़िराअत फ़र्माते। फिर (अल्लाहु अकबर) कहते और अपने दोनों हाथ उठाते, यहाँ तक कि दोनों कँधों के बराबर आ जाते। फिर रुकूअ़ करते और अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखते और एतिदाल व सुकून से रुकूअ़ करते, न सिर को झुकाते और न ऊपर उठाए होते, फिर रुकूअ़ से सिर उठाते, तो (समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदा) कहते, फिर अपने हाथ उठाते, यहाँ तक कि कँधों के बराबर आ जाते.. और ख़ूब एतिदाल व

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ قَالَ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالُوا فَلِمَ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا وَلاَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً . قَالَ بَلَى . قَالُوا فَاعْرِضْ . قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ

فَيَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ " . ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الأَرْضِ فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ " . وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلاَتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ . قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي صلى الله عليه وسلم .

सुकून से खड़े होते। फिर (अल्लाहु अकबर) कहते और ज़मीन की तरफ़ झुकते और (सज्दे में) अपने हाथों को अपने पहलूओं से दूर रखते। फिर अपना सिर उठाते और अपना बायाँ पैर मोड़ लेते और उसके ऊपर बैठ जाते। और सज्दे में अपने पैर की उँगलियाँ (क़िब्ला रुख़) मोड़ लेते, फिर (दूसरा) सज्दा करते, फिर (अल्लाहु अकबर) कहकर अपना सिर उठाते और अपना बायाँ पैर मोड़कर उस पर बैठ जाते, यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी अपनी जगह पर लौट आती। फिर दूसरी रकअत में भी ऐसे ही करते। फिर जब दो रकअतों से (तीसरी के लिए) उठते तो अपने हाथों को उठाते, हत्ताकि आपके कँधों के बराबर आ जाते जैसे कि नमाज़ शुरू करते वक़्त उठाए थे। (यानी रफ़उल यदैन करते) फिर बक़िया नमाज़ में इसी तरह करते यहाँ तक कि जब उस सज्दा में होते जिसमें सलाम कहना होता (तो तशह्हुद में) अपने बाएँ पैर को आगे कर देते और बाईं सुरीन के हिस्से पर बैठ जाते। उन सब सहाबा (रज़ि.) ने कहा, आपने सच फ़र्माया। आप (ﷺ) ऐसे ही नमाज़ पढ़ा करते थे।

तखरीज 730 : (सनद सहीह) तिर्मिज़ी: 304, इब्ने माजा: 1061, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 587, 588, इब्ने हिब्बान: 442, 491, 492 (नसबुर्राया ज़ेलई हनफ़ी: 1/344)

(731) जनाब मुहम्मद बिन अ़म्र आमिरी बयान करते हैं, मैं अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक मज्लिस में था, तो वहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ का ज़िक्र शुरू हो गया। हज़रत अबुल वलीद (रज़ि.) ने कहा... और मज़्कूरा हदीस का कुछ हिस्सा बयान किया। उसमें कहा, आप जब रुकूअ करते तो अपनी हथेलियों से अपने घुटनों को पकड़ लेते और अपनी उँगलियों को खोल लेते और अपनी कमर को दोहरा करते। सिर न तो उठाया होता और न अपने रुख़सार को इधर उधर मोड़ा होता (बल्कि सीधा क़िब्ला रुख़ होता) ... मज़ीद कहा... और जब दो रकअ़तों के बाद बैठते तो अपने बाएँ पैर के तलवे पर बैठते और दाएँ को खड़ा कर लेते। और जब चौथी रकअ़त में बैठते तो अपनी बाईं रान को ज़मीन पर टिका देते और अपने दोनों पैर को एक जानिब में निकाल लेते।

तखरीज 731 : (सनद सहीह) बैहक़ी: 2/84, 85

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ، قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَذَاكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلاَ صَافِحٍ بِخَدِّهِ وَقَالَ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ .

फ़ायदाः (1) शैख़ अल्बानी (रह़.) ने लिखा है कि जुम्ला (वला साफ़िहिन बि ख़द्दिह) 'रुख़सारे को इधर उधर न मोड़ा होता।' ज़ईफ़ है। (2) रुकूअ में घुटने पर हाथ रखना काफ़ी नहीं बल्कि उँगलियाँ फैलाकर घुटने को पकड़ना मस्नून है।

(732) जनाब मुहम्मद बिन अ़म्र बिन अ़ता से इसी की तरह रिवायत है, कहा और जब सज्दा करते तो अपने दोनों हाथों को रखते, इस हालत में कि ज़मीन पर बिछे हुए न होते और न सिमटे हुए। और उँगलियों का रुख़ सीधे क़िब्ले की तरफ़ होता।

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، نَحْوَ هَذَا قَالَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

तख़रीज 732 : सहीह बुख़ारीः 828

फ़ायदाः सहीह बुख़ारी की रिवायत में है कि पैर की उँगलियों का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ होता। (सहीह बुख़ारीः 828)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَحَدِ بَنِي مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسٍ، - أَوْ عَيَّاشِ - بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ - يَعْنِي مِنَ الرُّكُوعِ - فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " . وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ " . فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ

(733) जनाब अब्बास या अयाश बिन सहल साइदी से रिवायत है कि वह एक मज्लिस में हाज़िर थे जिसमें उनके वालिद भी मौजूद थे और वह सहाबिये रसूल थे और उसी तरह उस मज्लिस में हज़रात अबू हुरैरा, अबू हुमैद साएदी और अबू उसैद (रज़ि.) भी थे। (ईसा बिन अब्दुल्लाह ने) यही ख़बर बयान की, किसी क़द्र कमी बेशी के साथ। और उसमें कहा, फिर आपने अपना सिर उठाया यानी रुकूअ से तो कहा (समिअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहुम्म रब्बना लकल हम्द) और अपने दोनों हाथ उठाए। फिर कहा (अल्लाहु अकबर) फिर सज्दा किया और अपनी हथेलियों, घुटनों और पंजों को ज़मीन पर टिकाया, फिर (अल्लाहु अकबर) कहा और बैठ गए और सुरीन पर बैठे (तवर्रुक किया) और दूसरे क़दम को खड़ा किया, फिर (अल्लाहु अकबर) कहा और (दूसरा) सज्दा किया, फिर (अल्लाहु अकबर) कहा और खड़े हो गए मगर तवर्रुक नहीं किया (यानी सुरीन पर न बैठे)... और हदीस बयान की। कहा कि

يَتَوَرَّكْ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرَةٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ فِي التَّشَهُّدِ .

दो रकअत के बाद बैठ गये, यहाँ तक कि जब क़ियाम के लिए उठने का इरादा किया तो तक्बीर कहकर खड़े हो गए और दूसरी दो रकअतें पढ़ीं और तशह्हुद में तवर्रुक का ज़िक्र नहीं किया।

तखरीज 733 : (सनद ज़ईफ़) इब्ने हिब्बानः 496, बैहक़ीः 2/101, 102, 118, तहावीः 1/260, सुननः 449

मल्हूज़ा (नोट): हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह़.) ने अब्दुल अज़ीज़ बिन जअफ़र की साबिक़ा रिवायत (730) को राजेह कहा है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

(734) जनाब अब्बास बिन सहल ने कहा कि हज़रात अबू हुमैद, अबू उसैद, सहल बिन सअद और मुहम्मद बिन मस्लमा (रज़ि.) जमा थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ का ज़िक्र आ गया तो हज़रत अबू हुमैद (रज़ि.) ने कहा, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में तुम सबसे ज़्यादा आगाह हूँ। और इस ह़दीस में से कुछ हिस्सा बयान किया। कहा फिर रुकूअ किया और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा गोया उन्हें पकड़े हुए हों और अपने हाथों को ताँत बनाया (जो कि कमान पर होता है) और अपने हाथों को अपने पहलूओं से दूर रखा. बयान किया कि... फिर सज्दा किया तो अपनी नाक और पेशानी को ज़मीन पर टिकाया और अपने हाथों को अपने पहलूओं से दूर रखा और अपने दोनों हाथो को अपने कँधों के बराबर रखा। फिर अपना सिर

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ لَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ فُلَيْحٍ وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَحْوَ جِلْسَةِ حَدِيثِ فُلَيْحٍ وَعُتْبَةَ .

उठाया यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ गई, यहाँ तक कि (सज्दों से) फ़ारिग़ हो गए। फिर बैठे और अपने बाएँ पैर को बिछा लिया और अपने दाएँ पैर की उँगलियों का रुख़ क़िब्ला की तरफ़ कर दिया और अपनी दाएँ हथेली को अपने दाएँ घुटने पर रखा और बाएँ को बाएँ घुटने पर, और अपनी उँगली से इशारा किया।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, इस ह़दीस को उ़त्बा बिन अबी ह़कीम ने अ़ब्दुल्लाह बिन ईसा से उन्होंने अ़ब्बास बिन सहल से रिवायत किया मगर तवर्रुक (सुरीन पर बैठने) का ज़िक्र नहीं किया और ह़दीसे फुलैह़ की मानिन्द रिवायत किया जबकि ह़सन बिन हुर्र ने बैठने का अंदाज़ फुलैह़ और उ़त्बा की ह़दीस की त़रह़ बयान किया।

तख़रीज 734 : (सनद स़ह़ीह़) तिर्मिज़ीः 260, इब्ने माजाः 863, स़ह़ीह़ इब्ने ख़ुज़ैमाः 589, 608, 637, 640, 689, इब्ने ह़िब्बानः 494, बग़वी शरहुस्सुन्नाः 444

फ़ायदा: रुकूअ़ में घुटनों को उँगलियाँ खोलकर पकड़ना और बाज़ुओं को रुकूअ़ और सुजूद में पहलुओं से दूर रखना चाहिए। सज्दों में और बैठते हुए हाथों और पैरों की उँगलियों का रुख़ क़िब्ला की त़रफ़ होना चाहिए।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ

(735)जनाब अ़ब्बास बिन सहल साएदी ने ह़ज़रत अबू हुमैद (रज़ि.) से यह ह़दीस रिवायत की और कहा, जब सज्दा किया तो अपनी रानों को कुशादा रखा और पेट को रानों से न लगाया। इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, और इस ह़दीस को इब्ने मुबारक ने रिवायत किया तो कहा (अख़बरना फुलैहुन

بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا فُلَيْحٌ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَحَدَّثَنِيهِ أُرَاهُ ذَكَرَ عِيسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

समिअ़तु अ़ब्बासब्न सहलिन युहद्दिसु) मगर मैं इसको याद नहीं रख सका, पस उसने मुझे यह ह़दीस बयान की, मेरा (इब्ने मुबारक का) ख़याल है कि उन्होंने अपने शैख़ का नाम ईसा बिन अ़ब्दुल्लाह बताया और उन्होंने अ़ब्बास बिन सहल से सुना। उन्होंने कहा, कि मैं अबू हुमैद साएदी के पास हाज़िर था... और यह ह़दीस बयान की।

तखरीज 735 : (स़हीह़) बैहक़ीः 2/115, त़ह़ावीः 1/260

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ - قَالَ - فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ . قَالَ حَجَّاجٌ وَقَالَ هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا - وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ - وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ .

(736) जनाब अ़ब्दुल जब्बार बिन वाइल अपने वालिद से वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं। इस ह़दीस में बयान किया कि ... जब सज्दा किया तो आपके दोनों घुटने ज़मीन पर दोनों हथेलियों के पड़ने से पहले पड़े और जब सज्दा किया तो अपनी पेशानी को दोनों हाथों के बीच रखा और अपनी बग़लों से भी दूर रखा।

ह़ज्जाज ने कहा कि हम्माम ने कहा, ह़द्दसना शक़ीक़ ह़द्दसनी आ़सिम बिन कुलैब अ़न अबीही अ़निन्नबी (ﷺ) इसी के मिस्ल रिवायत की। मुह़म्मद बिन जुह़ादा और शक़ीक़ में से किसी एक की रिवायत में है... और मेरा ग़ालिब गुमान है कि मुह़म्मद बिन जुह़ादा की ह़दीस है कि आप जब उठते तो अपने घुटनों पर उठते और अपनी रानों पर टेक लगाते।

तखरीज 736: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 2/98, 99, ह़दीसः 724 में देखें

नोट मल्हूज़ः ज़मीन से उठने की कैफ़ियत का बयान आगे (ह़दीस 838, 839 में) आ रहा है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ

(737) जनाब अ़ब्दुल जब्बार बिन वाइल अपने वालिद से रिवायत करते हैं। कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप नमाज़ में अपने अंगूठों को कानों की लौ तक ऊँचा करते थे।

तखरीज 737: (सनद ज़ईफ़) नसाई: 883, हदीस: 724 में देखें

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(738) जनाब अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ के लिए तक्बीर कहते तो अपने दोनों हाथों को कँधों के बराबर ले जाते और जब रुकूअ़ करते तो इसी तरह करते। और जब (रुकूअ़ से) सज्दे के लिए सिर उठाते तो इसी तरह करते और जब दो रकअ़तों के बाद (तीसरी रकअ़त के लिए) उठते तो इसी तरह करते। (यानी रफ़उ़ल यदैन करते।)

तखरीज 738: (सनद सहीह) इब्ने ख़ुज़ैमा: 694, 695, हाफ़िज़ इब्ने हजर मुवाफ़क़तुल ख़ब्रिलख़बर: 1/409, 410

फ़ायदा: अहादीस 735 - 738 सब सनदन ज़ईफ़ हैं। ताहम इस हदीस में तीसरी रकअ़त के लिए भी उठते हुए रफ़उ़ल यदैन का सबूत है, जो सही है, इसके अ़लावा यह दीगर सही अहादीस से भी साबित है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ

(739) कुतैबा बिन सईद अपनी सनद से मैमून मक्की से रिवायत करते हैं कि उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (रज़ि.) को देखा कि उन्होंने लोगों को नमाज़ पढ़ाई कि वह अपने हाथों से इशारे करते थे। (यानी

بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاَةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الإِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْتَدِ بِصَلاَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ .

रफ़उल यदैन करते थे।) जब वह नमाज़ के लिए खड़े होते, जब रुकूअ करते, जब सज्दा करते और जब क़ियाम के लिए उठते और क़ियाम करते तो अपने हाथों से इशारे करते थे। चुनाँचे मैं हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास गया और उन्हें कहा कि मैंने इब्ने ज़ुबैर को इस इस तरह नमाज़ पढ़ते देखा है कि उनकी तरह किसी और को नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा और उन्हें इन इशारों (रफ़उल यदैन) की तफ़्सील बताई तो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जवाबन कहा, अगर तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ देखना पसंद करते हो, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (रज़ि.) की नमाज़ की इक्तिदा करो।

तखरीज 739: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 1/255, बैहक़ीः 2/73

मल्हूज़ (नोट): इस हदीस में सज्दों में रफ़उल यदैन का सुबूत मिलता है मगर आम मुहद्दिसीन इब्ने लहीआ की बिना पर इसकी सनद को कमज़ोर कहते हैं। ख़ुलासा तज़्हीब तहज़ीबुल कमाल लिल ख़ज़रजी में है 'इमाम अहमद कहते हैं कि इनकी किताबें जल गई थीं, ताहम यह सहीहुल किताब हैं। जिन लोगों ने इनसे इब्तिदा में सुना है उनका सुनना सही है यहया बिन मुईन ने कहा, यह कवी नहीं हैं। इमाम मुस्लिम कहते हैं कि इनको वकीअ, यहया क़त्तान और इब्ने महदी ने तर्क किया है।' हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने लिखा है कि किताबें जलने के बाद इन्हें ख़लत हो गया था। सहीह मुस्लिम में इनकी कुछ रिवायात हैं मगर दूसरे रूवात की मइयत से। अल्लामा अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह सनद सही है। अल्लामा साहब मौसूफ़ और कुछ दीगर भी इन अहादीस की रोशनी में सज्दों के रफ़उल यदैन को 'कुछ औक़ात' पर महमूल करते हैं। बहरहाल जुम्हूर मुहद्दिसीन के नज़दीक हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत ही जो पीछे गुज़री और सहीह बुख़ारी में भी है, मअमूल बिहा है और उसमें सराहत है कि 'नबी (ﷺ) सज्दों में या सज्दों से उठकर रफ़उल यदैन नहीं करते थे।' वल्लाहु आलम!

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ، - يَعْنِي السَّعْدِيَّ - قَالَ صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ فَقَالَ لَهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ وَقَالَ أَبِي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ .

(740) जनाब नज़्र बिन कसीर यानी सअ़दी ने बयान किया कि जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन ताउस (ताबेई) ने मस्जिदे ख़ैफ़ में मेरे पहलू में नमाज़ पढ़ी। वह जब पहला सज्दा कर लेते और उससे अपना सिर उठाते तो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने उठाते। मुझे उनका यह अ़मल मुंकर (अजीब और ग़लत) महसूस हुआ तो मैंने वुहैब बिन ख़ालिद को उनका यह अ़मल बताया। जनाब वुहैब ने उनसे कहा कि आप ऐसा करते हैं जो मैंने किसी को करते नहीं देखा। तो अ़ब्दुल्लाह बिन ताउस ने कहा, मैंने अपने वालिद को यह करते हुए देखा और मेरे वालिद ने कहा कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को यह करते हुए देखा और मैं नहीं जानता मगर उन्होंने कहा कि मैंने नबी (ﷺ) को देखा कि वह यह करते थे।

तख़रीज 740: (सनद ज़ईफ़) नसाई: 1147

मल्हूज़ (नोट): इस हदीस में भी सज्दों के रफ़उल यदैन का सुबूत मिलता है। अबूबक्र अल्मुंज़िर, अबू अ़त्तब्री और कुछ अहले हदीस इसके क़ाइल हैं , लेकिन यह हदीस नज़्र बिन कसीर सअ़दी की बिना पर ज़ईफ़ है। हाफ़िज़ अबू अहमद नीशापूरी ने कहा, यह हदीस इब्ने ताउस की मुंकर रिवायात में से है। अबू हातिम ने कहा है, इसमें नज़र (ऐतिराज़) है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा, इनके पास मुंकर रिवायात भी हैं। इब्ने हिब्बान (रह.) कहते हैं कि यह सिक़ात से मौज़ूआत रिवायत करता है इससे हुज्जत लेना किसी भी सूरत में जाइज़ नहीं मगर अ़ल्लामा शौकानी (रह.) ने कहा कि सज्दों के रफ़उल यदैन की नफ़ी ही सही तौर पर साबित है यहाँ तक कि कोई सही तरीन दलील मिल जाए। (औनुल मअ़बूद) वल्लाहु आ'लम!

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ

(741) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि वह जब नमाज़ शुरू करते तो (अल्लाहु अकबर) कहते और

الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى بَقِيَّةُ أَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَسْنَدَهُ وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ فِيهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ . قال أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحْدَهُ عَنْ أَيُّوبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ

अपने दोनों हाथों को उठाते (यानी रफ़उल यदैन करते) और (ऐसे ही) जब रुकूअ को जाते और जब (रुकूअ से उठते और) (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहते। और जब दो रकअतों से (तीसरी रकअत के लिए) उठते तो अपने दोनों हाथ उठाते। और वह अपना यह अमल रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मंसूब करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, सही यह है कि यह हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का क़ौल है, मरफ़ूअ हदीस नहीं। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, और बक़िया ने इस हदीस का पहला हिस्सा उबेदुल्लाह से बयान किया तो उसे मरफ़ूअ ज़िक्र किया (बग़ैर उसके कि आपने दो रकअतों से उठकर रफ़उल यदैन किया।) मगर अब्दुल वह्हाब सक़फ़ी ने उबेदुल्लाह से रिवायत किया, तो उसे हज़रत उमर (रज़ि.) पर मौक़ूफ़ किया और उसमें कहा, जब दो रकअतें पढ़कर उठते तो अपने हाथों को अपनी छातियों तक उठाते और यही सही है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि उसे लैस बिन सअद, मालिक, अय्यूब और इब्ने जुरैज ने मौक़ूफ़ ही रिवायत किया है। सिर्फ़ हम्माद बिन सलमा ने बवास्ता अय्यूब मरफ़ूअ बयान किया। अय्यूब और मालिक ने दो सज्दों (यानी रकअतों) से उठकर रफ़उल यदैन का ज़िक्र नहीं किया, सिर्फ़ लैस ने ज़िक्र किया है। इब्ने जुरैज ने इसमें कहा कि मैंने नाफ़ेअ से पूछा, क्या हज़रत

أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الأُولَى أَرْفَعَهُنَّ قَالَ لاَ سَوَاءً . قُلْتُ أَشِرْ لِي . فَأَشَارَ إِلَى الثَّدْيَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ .

इब्ने उ़मर (रज़ि.) पहली बार रफ़उ़ल यदैन में अपने हाथ ज़्यादा ऊँचे उठाते थे? उन्होंने कहा नहीं! सब में बराबर ही उठाते थे। मैंने कहा, मुझे करके दिखाओ, तो उन्होंने छातियों तक उठाए या उससे ज़रा कम ही।

तखरीज 741: स़ह़ीह़ बुख़ारीः 739, शरहुस्सुन्नाः 3/21

फ़ायदाः अस़ल मसला रफ़उ़ल यदैन का है। और इसमें क़द्रे तनव्वुअ़ आ जाता है। हथेलियाँ छातियों के बराबर हों तो उँगलियों के सिरे कँधों तक पहुँच जाते हैं। हथेलियाँ अगर कँधों के बराबर हों तो उँगलियाँ कानो की लोओं तक पहुँच जाती हैं और उससे ज़रा ऊँचे भी हो सकते हैं और इन सब सूरतों में तवस्सोअ़ है, ताहम औला और अफ़ज़ल यही है कि हथेलियाँ कँधों के बराबर आ जाएँ।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ رَفْعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ . أَحَدٌ غَيْرَ مَالِكٍ فِيمَا أَعْلَمُ.

(742) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि जब वह नमाज़ शुरू करते तो अपने हाथों को कँधों के बराबर तक ऊँचा करते और जब रुकूअ़ से सिर उठाते तो उन्हें ज़रा कम ऊँचा करते।

इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, जहाँ तक मुझे मालूम है, हाथों को ज़रा कम ऊँचा उठाने का ज़िक्र मालिक के अ़लावा किसी और ने नहीं किया।

तखरीज 742: (सनद स़ह़ीह़) शाफ़ेई फ़ी मुस्नदिहीः 212, मौत़ाः 1/77

फ़ायदाः ऊपर बयान हुआ कि इब्ने जुरैज ने नाफ़ेअ़ से रिवायत किया है कि सब मौक़ों पर अपने हाथ बराबर ही ऊँचा करते थे। इन दोनों रिवायतों को मुख़्तलिफ़ मौक़ो पर मह़मूल किया जा सकता है।

باب....

बाबः..
दो रकअतों के बाद तीसरी के लिए उठने पर रफ़उल यदैन

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ .

(743) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब दो रकअतें पढ़कर उठते तो (अल्लाहु अकबर) कहते और अपने दोनो हाथों को उठाते।

तखरीज 743 : (सनद सहीह) अहमद: 2/145

फ़ायदा: यह रफ़उल यदैन तीसरी रकअत में खड़े होकर करना है। नीज़ देखिए नीचे की हदीसे अली (रज़ि.)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ

(744) सय्यदना अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से रिवायत है, वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आप जब फ़र्ज़ नमाज़ के लिए खड़े होते तो (अल्लाहु अकबर) कहते और अपने दोनों हाथों को कँधों तक उठाते। और जब अपनी क़िराअत पूरी कर लेते और रुकूअ करना चाहते तो उसी तरह हाथ उठाते और जब रुकूअ से उठते तो उसी तरह करते। और नमाज़ में बैठे हुए होने की हालत में आप रफ़उल यदैन न करते थे और जब दो रकअतें पढ़कर उठते तो अपने हाथ उठाते और (अल्लाहु अकबर) कहते।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा हज़रत अबू हुमैद साएदी (रज़ि.) की वह हदीस, जिसमें उन्होंने नमाज़े नबवी की तफ़्सील बयान की है, उसमें है

وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ حِينَ وَصَفَ صَلاَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

कि आप जब दो रकअतों के बाद उठते तो (अल्लाहु अकबर) कहते और अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि आपके कँधों के बराबर आ जाते जैसे कि शुरू नमाज़ के वक़्त तक्बीर कहते थे।

तखरीज 744 : (सनद हसन) तिर्मिज़ीः 3423, इब्ने माजाः 864, इब्ने ख़ुज़ैमाः 584

फ़ायदाः इस हदीस में भी सज्दों के रफ़उल यदैन की नफ़ी है। नीज़ यह भी वाज़ेह हुआ कि तीसरी रकअत के लिए खड़े होकर रफ़उल यदैन करना है न कि बैठे हुए।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ .

(745) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को देखा कि जब आप तक्बीरे (तहरीमा) कहते तो रफ़उल यदैन करते, और जब रुकूअ को जाते और जब रुकूअ से सिर उठाते तो भी अपने हाथ उठाते और वह आपकी कानों की लौ तक पहुँच जाते। (..या.. कानों के ऊपर के हिस्से तक पहुँच जाते थे।)

तखरीज 745 : सहीह मुस्लिमः 391

तौज़ीहः (फ़ुरुअ उज़ुनैहि) की शरह में दो क़ौल हैं। एक तो यही कि कान के नीचे जो नर्म गोश्त वाला हिस्सा होता है उसे (शहमतुल उज़ुन) भी कहते हैं और दूसरा क़ौल यह है कि कान की ऊपर वाली चोटी को (फ़ुरूउल उज़ुन) कहा जाता है और लुग़त इसी की ताईद करती है।इमाम शाफ़ेई (रह.) ने उन मुख़्तलिफ़ रिवायात को यूँ जमा किया है कि हथेलियाँ कँधों के बराबर हों, इस तरह कि अंगूठे कानों की लौ के बराबर और उँगलियाँ ऊपर के हिस्से के बराबर आ जाएँ।

حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا

(746) जनाब बशीर बिन नहीक कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने कहा, अगर

مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ الْمَعْنَى - عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ لاَحِقٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَرَأَيْتُ إِبْطَيْهِ . زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ يَقُولُ لاَحِقٌ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَادَ مُوسَى يَعْنِي إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ .

मैं नबी (ﷺ) के आगे होता तो मैं आपकी बग़लें देख सकता था। (यानी आपके हाथ रफ़उल यदैन के वक़्त नुमायाँ तौर पर बग़लों से अलग दूर और ऊँचे होते थे।) इब्ने मुआज़ ने कहा कि लाहिक़ ने कहा, भला अबू हुरैरा नमाज़ में होते हुए नबी (ﷺ) से आगे क्यूँ कर सकते थे? मूसा ने यह इज़ाफ़ा किया है (मक़्सद यह है कि) जब आप तक्बीर कहते तो हाथ ऊँचे करते थे। (यानी नुमायाँ तौर पर ऊँचे करते थे।)

तखरीज 746 : (सनद हसन) नसाई: 1108

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِي الإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ .

(747) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ सिखाई तो आपने (अल्लाहु अकबर) कहा और अपने दोनों हाथ उठाए। जब रुकूअ किया तो दोनों हाथों को जोड़कर घुटनों में रख लिया। (यानी तत्बीक़ की।) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि) को यह ख़बर पहुँची तो कहा, मेरे भाई ने सच कहा। हम यह अमल किया करते थे, फिर हमें इसका हुक्म दिया गया। यानी घुटने पकड़ने का।

तखरीज 747 : (सनद सहीह) नसाई: 1032, देखिए हदीस 868

फ़ायदा: रुकूअ में तत्बीक़ का हुक्म मंसूख़ कर दिया गया था मगर शायद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) को इसकी ख़बर न हुई हो या उन्हें याद न रहा हो।

बाब: 116, 117
जिसने रुकूअ के वक़्त रफ़उल यदैन करने का ज़िक्र नहीं किया

باب (116,117)
مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، - يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ .

(748) जनाब अल्क़मा से रिवायत है, उन्होंने कहा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने कहा, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ न पढ़कर दिखाऊँ? चुनाँचे उन्होंने नमाज़ पढ़ी और अपने हाथ सिर्फ़ एक ही बार उठाए।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, यह हदीस एक लम्बी हदीस से मुख़्तसर है और इन अल्फ़ाज़ में सही नहीं है।

तखरीज 748 : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 257, नसाई: 1027

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، وَخَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو حُذَيْفَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً .

(751) जनाब सुफ़्यान ने इसी सनद से इस हदीस को बयान किया। कहा, पस आपने पहली ही बार अपने हाथ उठाए। और कुछ ने कहा, एक ही बार उठाए।

तखरीज 751 : (सनद ज़ईफ़) देखिए हदीस 748

तौज़ीह: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की यह रिवायत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) की तहक़ीक़ में 'हसन' और इमाम इब्ने हज़म के नज़दीक 'सहीह' है। अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी और उनसे पहले अल्लामा अहमद मुहम्मद शाकिर (रह.) ने भी इसे सहीह लिखा है। जबकि मुतक़द्दिमीन हुफ़्फ़ाज़े हदीस की तहक़ीक़ का ख़ुलासा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने यूँ बयान किया है कि इब्नुल मुबारक ने कहा, 'यह हदीस मेरे नज़दीक साबित नहीं है।' इब्ने अबी हातिम ने अपने वालिद से बयान किया (हाज़ा हदीसुन ख़तउन) 'यह हदीस ख़ता और ग़लत है।' इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) और उनके

शैख़ यह्रया बिन आदम ने कहा, 'यह ज़ईफ़ है।' इमाम बुख़ारी (रह़.) ने भी इन ही की ताईद व मुताबिअ़त की है। और इमाम अबू दाऊद (रह़.) ने कहा, 'यह स़ह़ीह़ नहीं है।' दारे कुत्नी ने कहा, यह साबित नही है।' इब्ने ह़िब्बान ने कहा 'अहले कूफ़ा के मज़हब के मुताबिक़ रुकूअ़ के रफ़उल यदैन की नफ़ी में यह उनकी सबसे उ़म्दा (अह़सन) ह़दीस है ह़ालाँकि यह सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ है क्योंकि इसमें कुछ इल्लतें हैं जिनकी बिना पर यह ज़ईफ़ क़रार पाती है।' (तल्ख़ीसुल ह़बीरः 1/222, नैलुल अवत़ारः 2/201) अ़ल्लामा शौकानी (रह़.) लिखते हैं 'अगर हम ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) वाली ह़दीस को सही तस्लीम करलें और अइम्मा ह़दीस की तंक़ीद का कोई ऐतिबार न भी करें तो इस ह़दीस और दीगर अह़ादीस, जिनमें रुकूअ़ के रफ़उल यदैन का सुबूत मिलता है, में कोई तआ़रुज़ या मनाफ़ात नहीं है क्योंकि इन अह़ादीस में अम्रे ज़ाइद का बयान है और (स़ह़ीह़ अह़ादीस से साबित) उमूरे ज़ाइद बिल्इज्माअ़ मक़्बूल हुआ करते हैं बिल्ख़ुसूस़ जबकि उसे स़ह़ाबा की एक बड़ी जमाअ़त ने नक़्ल किया हो और मुह़द्दिसीन की एक जमाअ़त इसकी रावी हो। (नैलुल अवत़ारः 2/202)

नोट मल्हूज़ः यह क़ायदा सज्दों के रफ़उल यदैन पर मुन्तबिक़ नहीं हो सकता। इसलिए कि स़ह़ीह़ असानीद से साबित है कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बिल्वज़ाह़त कहते हैं, 'आप (ﷺ) सज्दों में रफ़उल यदैन न करते थे।' (स़ह़ीह़ बुख़ारीः 735, स़ह़ीह़ मुस्लिमः 390)

अ़ल्लामा अह़मद शाकिर (रह़.) फ़र्माते हैं कि इस ह़दीस (यानी ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की ह़दीस) से दीगर मौक़ों के रफ़उल यदैन का तर्क साबित नहीं होता क्योंकि इस ह़दीस में 'नफ़ी' का बयान है और दीगर स़ह़ीह़ अह़ादीस में 'इस्बात' है। और इस्बात हमेशा मुक़द्दम हुआ करता है। चूँकि यह अ़मल सुन्नत है मुम्किन है कि नबी (ﷺ) ने कभी एक या ज़्यादा बार उसे तर्क भी किया हो। मगर अग़्लब और अक्सर इस पर अ़मल करना ही साबित है लिहाज़ा रुकूअ़ के लिए जाते और उससे उठते वक़्त रफ़उल यदैन करना ही सुन्नत है। (ह़वाशी जामेअ़ तिर्मिज़ीः 2/41, बि तह़क़ीक़ अह़मद शाकिर)

राक़िम अ़र्ज़ करता है कि स़ह़ीह़ अह़ादीस में तआ़रुज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ कहीं मह़सूस होता है वह या तो नक़्ल की ख़राबी होती है या अ़क़्लो फ़हम की। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की यह रिवायत इस्नादी बह़स से क़त़अ़ नज़र मअ़नवी ऐतिबार से भी क़ाबिले बहस है। पहले तो उसमें सिवा एक बार रफ़उल यदैन के इस्बातन या नफ़्यन और कोई बात मज़्कूर नहीं है ह़ालाँकि नमाज़ के बीसियों मसाइल हैं। जैसे उनके न ज़िक्र करने से उनकी नफ़ी नहीं होती। ऐसे ही रुकूअ़ का रफ़उल यदैन है। दूसरे इसको मुत्लाज़ेअ़ रफ़उल यदैन के साथ ख़ास़ करने की बजाय इस त़रह़ भी कहा जा सकता है कि नबी (ﷺ) ने दूसरी रकअ़त में उठते हुए फिर दोबारा रफ़उल यदैन न किया, बल्कि पहली रकअ़त ही में एक बार हाथ उठाए थे। या जैसे कि सय्यद इस्माईल शहीद (रह़.) ने बह़वाला फ़ुतूह़ात लिखा है कि इस ह़दीस का मफ़्हूम यह है कि नमाज़ शुरू करते वक़्त आप (ﷺ) बार बार हाथ न उठाते थे जैसे कि

ईदेन में होता है बल्कि सिर्फ़ एक ही बार उठाना मस्नून है। (जैसे कि कुछ वस्वसा ज़दा लोगों को देखा गया है कि उनकी निय्यत ही सीधी नहीं हो पाती है और वह बार बार हाथ उठाते और बाँधते हैं।)

मुहद्दिसीने किराम पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें हों, देखिए उन्होंने दीन की अमानत पूरी दयानत के साथ... अपनी असानीद से.. बिला कमो कास्त उम्मत के हवाले कर दी है। और उसमें अस्हाबे बसीरत को दअवत है कि मुसल्लमाा उसूलों के तहत आप लोग भी तंक़ीह कर सकते हैं। हमारा अक़ीदा है कि अस्मत सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) के लिए है। आपके बाद तलामिज़-ए-रसूल, ताबेईने इज़ाम और अइम्मा उम्मत सबके सब क़ाबिले एज़ाज़ व इकराम हैं मगर हुज्जत और अल्लाह के यहाँ क़ुर्बत सिर्फ़ किताबुल्लाह और सहीह साबित शुदा फ़रामीने रसूल में है। (रब्बनग़्फ़िर लना वलि इख़्वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल्ईमानि वला तज्अल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लल लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर्रहीम) (हश्रः 10) (रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब्लना मिल्लदुन्का रहमतन इन्नका अन्तल वह्हाब) (आले इमरानः 8)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ .

(749) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ शुरू करते तो अपने दोनों हाथ अपने कानों तक उठाते, फिर दोबारा न उठाते।

तखरीज 749 : (सनद ज़ईफ़) इब्ने हिब्बानः 3/100, हुमैदीः 724, तल्ख़ीसुल हबीरः 1/221

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ، نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَمْ يَقُلْ ثُمَّ لاَ يَعُودُ . قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا بِالْكُوفَةِ بَعْدُ ثُمَّ لاَ يَعُودُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا ثُمَّ لاَ يَعُودُ .

(750) अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ज़ोहरी की सनद से, यज़ीद से शरीक की मानिन्द मरवी है और (सुम्म ला यऊदु) के लफ़्ज़ ज़िक्र नहीं किये (यानी 'फिर दोबारा न उठाते' के लफ़्ज़ नक़्ल नहीं किये।)

सुफ़्यान ने कहा, बाद में कूफ़ा में हमको (सुम्म ला यऊदु) के लफ़्ज़ बयान किये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस को हुशैम, ख़ालिद और इब्ने इदरीस ने यज़ीद से रिवायत किया है मगर इन हज़रात ने (ला यऊदु) का लफ़्ज़ रिवायत नहीं किया है।

तखरीज 750 : (सनद ज़ईफ़) हुमैदी

(752) हज़रत बरा बिन आज़िब (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आपने नमाज़ शुरू करते हुए अपने हाथ उठाए। फिर फ़ारिग़ होने तक नहीं उठाए।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, यह हदीस सही नहीं है।

तख़रीज 752 : (सनद ज़ईफ़) अबू यअ़ला: 1689, तहावी: 1/224, जुम्हूर (फ़ैज़ुल बारी: 3/168) अहमद: 693 **नोट** — हदीस 751 पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، عِيسَى عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ .

तौज़ीह: हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) लिखते हैं कि हुफ़्फ़ाज़े हदीस मुत्तफ़िक़ हैं कि इस रिवायत (बराअ बिन आज़िब रज़ि.) में (सुम्म ला यऊदु) के लफ़्ज़ मुदरज (यानी इल्हाक़ी) हैं। जो कि यज़ीद बिन अबी ज़ियाद का इज़ाफ़ा हैं। जबकि शुअबा, सौरी, ख़ालिद तिहान और ज़ुहैर वग़ैरह हुफ़्फ़ाज़ ने इस हदीस को इस इज़ाफ़े के बग़ैर रिवायत किया है। हुमैदी ने कहा कि इस इज़ाफ़े को यज़ीद ने रिवायत किया है और वह (अपने नाम के मअनी की मुनासिबत से) 'ज्यादती करने वाला है।' उस्मान दारमी ने इमाम अहमद बिन हंबल से नक़्ल किया कि 'यह सही नहीं है' ऐसे ही इमाम बुख़ारी, अहमद, यहया, दारमी, हुमैदी (रहि.) और कई एक मुहद्दिसीन ने इसे ज़ईफ़ कहा है। यहया बिन मुहम्मद बिन यहया कहते हैं कि मैंने अहमद बिन हंबल (रह.) को सुना कहते थे 'यह हदीस वाही है।' (यानी बेहद ज़ईफ़ है) यज़ीद पहले इसको बयान करता था तो (सुम्म ला यऊदु) के लफ़्ज़ उसमें न होते थे, मगर बाद में जब उसे 'तल्क़ीन' की गई तो उसने इसे क़बूल कर लिया और यह अल्फ़ाज़ ज़िक्र करना शुरू कर दिये। (मज़ीद देखिए तल्ख़ीसुल हबीर: 1/221)

(753) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ में दाख़िल होते तो अपने हाथ लम्बे करके उठाते।

तख़रीज 753 : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 240

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا .

फ़ायदा: इस हदीस में रफ़उल यदैन करने का अंदाज़ बयान किया गया है। सुनन दारमी की रिवायत में है 'जब आप नमाज़ के लिए हाथ उठाते तो अपनी उँगलियों को क़द्रे खोले हुए होते थे।' (नैलुल अवतार: 2/197) इस हदीस से यह इस्तिदलाल करना कि रुकूअ का रफ़उल यदैन नहीं है, किसी तौर सही नहीं और उसमें इसका कोई क़रीना भी नहीं है।

बाब : 118
नमाज़ में दायें हाथ को बायें हाथ के ऊपर रखना

﴿118﴾ باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ .

(754) हज़रत इब्ने ज़ुबैर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि (नमाज़ में) क़दमों को बराबर रखना और हाथ पर हाथ रखना सुन्नत है।

(754) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/30, अबी दाऊद मुख़्तारा: 9/301, हदीस: 257.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى .

(755) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मरवी है कि वह नमाज़ पढ़ रहे थे और अपने बायें हाथ को दायें पर रखे हूए थे, नबी (ﷺ) ने देखा तो उनके दायें हाथ को बायें के ऊपर कर दिया।

(755) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 889, इब्ने माजा, हदीस: 811.

फ़ायदा : क़याम में इस तरह हाथ बाँधना कि दायाँ हाथ बायें पर हो, सुन्नते मुतवातिरा है। नीज़ उलमा को चाहिए कि अवाम की इस्लाह करते रहा करें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، - رضى الله عنه - قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ .

(756) हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया कि नमाज़ में हथेली को हथेली पर नाफ़ के नीचे रखना सुन्नत है।

(756) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)
मुसनद अहमद: 1/110.

नोट : ये हदीस ज़ईफ़ है। अल्लामा शौकानी (रह.) ने लिखा है कि इसकी सनद में अब्दुर्रहमान बिन

इस्हाक़ कूफ़ी है और इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) इसे ज़ईफ़ कहते हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं कि 'इसमें नज़र है।' (यानी कमज़ोर रावी है।) इमाम नववी (रह.) ने लिखा है: 'ये रिवायत बिल इत्तेफ़ाक़ ज़ईफ़ है।' और इससे बाद वाली में हज़रत अली (ﷺ) ही से मरवी है कि उन्होंने नाफ़ से ऊपर हाथ रखे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، - يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ - عَنْ أَبِي بَدْرٍ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلاَمِ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ . وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

(757) जनाब इब्ने जरीर ज़ब्बी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मैंने हज़रत अली(ﷺ) को देखा कि उन्होंने अपने बायें हाथ को दायें हाथ से पुहँचे (कलाई) के पास से (यानी जोड़ के पास से) पकड़ रखा था और वह नाफ़ से ऊपर थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: जनाब सईद बिन जुबैर से 'नाफ़ से ऊपर' मरवी है। और अबू मिजलज़ ने 'नाफ़ से नीचे' कहा है। और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से भी 'नाफ़ से नीचे' ही रिवायत की गई है। मगर क़वी नहीं है।

(757) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी शैबा: 1/390, 2/443.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ .

(758) जनाब अबू वाइल ने कहा कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने कहा: नमाज़ में हथेलियों को हथेलियों से नाफ़ के नीचे से पकड़ना है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) को सुना, वह (ऊपर दिये गये असर के एक रावी) अब्दुर्रहमान कूफ़ी को ज़ईफ़ कहते थे।

(758) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्दुल बर अत्तमहीद: 20/78, हदीस: 756 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، - يَعْنِي ابْنَ

(759) जनाब ताऊस (बिन कैसान यमानी, ताबेई) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ)

حُمَيْدٍ - عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ .

नमाज़ के दौरान में अपना दायां हाथ बायें के ऊपर रखते और उन्हें अपने सीने पर बाँधा करते थे।

(759) तख़रीज : (सनद सही) अबी दाऊद, हदीस: 33, मुसनद अहमद: 5/226.

फ़वाइद व मसाइल : अल्लामा मिज़्ज़ी ने अल अतराफ़ में किताबुल मरासील में हरफ़े ता में लिखा है: 'इस रिवायत को अबू दाऊद ने किताबुल मरासील (हदीस: 33) में ज़िक्र किया है और ऐसे ही इमाम बैहक़ी ने अलमारूफ़ा में लिखा है।' (औनूल माबूद) शैख़ अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत अगरचे मुर्सल है मगर सनद के ऐतिबार से सही है। और अहनाफ़ के नज़दीक वैसे भी मुर्सल, सही और हुज्जत होती है। और इसकी ताइद सही बुख़ारी की इस रिवायत से होती है। (हदीस: 740) यानी हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) से मरवी है कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि आदमी नमाज़ में अपना दायाँ हाथ अपने बायें बाज़ू पर रखे।

- जनाब हल्ब (ﷺ) से मरवी है कि (मुसनद अहमद: 5/226) 'मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप नमाज़ से फ़ारिग़ होकर दायें बायें दोनों अतराफ़ से फिरते थे और आप हाथ अपने सीने पर रखते थे।' अल्लामा शम्सुल हक़ अज़ीम आबादी ने मुसनद अहमद की सनद को क़वी लिखा है और ये कि इसमें कोई इल्लते क़ादिहा नहीं है।
- इस तरह हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) से मरवी है कि (सही इब्ने ख़ुज़ैमह: 1/243) 'मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत में नमाज़ पढ़ी तो (देखा कि) आपने अपना दायां हाथ बायें पर रखा और सीने पर रखा।' शैख़ अल्बानी (रह.) का तब्सरा ये है कि 'ये हदीस दीगर अहादीस की रोशनी में सही है और सीने पर हाथ रखने की दूसरी अहादीस इसकी शाहिद हैं।' नीज़ सही बुख़ारी की रिवायत पर कोई गुबार नहीं और हर मुन्सिफ़ मिज़ाज मुसलमान अमलन ये देख सकता है कि हाथ को बाज़ू (यानी कलाई और कुहनी के दरम्यानी हिस्से) पर रखने से हाथ कहाँ तक जाते हैं। ज़ाहिर है कि वह नाफ़ से ऊपर ही रहेंगे लिहाज़ा सीने पर हाथ रखना ही सही है या ज़्यादा से ज़्यादा नाफ़ से ऊपर हैं। नाफ़ से नीचे वाली रिवायात बेहद ज़ईफ़ हैं।

बाब : 119
नमाज़ शूरू करते हूए कौनसी दुआ पढ़ी जाये

﴿119﴾ باب مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاَةُ مِنَ الدُّعَاءِ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ " وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ لِي إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا

(760) सय्यदना अली बिन अबी तालिब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ के लिये खड़े होते तो (अल्लाहु अकबर) कहते फिर ये दुआ पढ़ते: (वज़्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ा हनीफ़न मुस्लिमन...) 'मैंने अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ़ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। मैं उसकी तरफ़ यकसू हूँ, उसी का मुतीअ फ़रमान हूँ, और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ। बिलाशुब्हा मेरी नमाज़, मेरी क़ुर्बानी, मेरा जीना और मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिये है। उसका कोई साझी नहीं है। मुझे इसका हुक्म दिया गया है और मैं अव्वलीन इताअत गुज़ारों में से हूँ। ऐ अल्लाह! तू ही बादशाह है, तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं। तू मेरा पालनहार है और मैं तेरा बंदा हूँ। मैंने अपनी जान पर ज़्यादती की है। मुझे अपने गुनाहों का ऐतराफ़ है। पस मेरे सब गुनाह माफ़ फ़रमा दे। तेरे सिवा गुनाहों को और कोई माफ़ नहीं कर सकता। मेरी उम्दा अख़्लाक़ व आदात की तरफ़ रहनुमाई फ़रमा। अच्छे अख़्लाक़ व आदात की तौफ़ीक़ तुझी से मिल सकती है। बुरे अख़्लाक़ व आदात मुझसे दूर फ़रमा दे। बुरी

إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " . وَإِذَا رَكَعَ قَالَ " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي " . وَإِذَا رَفَعَ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ " . وَإِذَا سَجَدَ قَالَ " اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " . وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ

आदतों को तू ही फेर सकता है। मैं तेरे दरबार में हाज़िर हूँ। फिर हाज़िर हूँ। तेरा मुतीअ़ फ़रमान हूँ फिर तेरा मुतीअ़ फ़रमान हूँ। ख़ैर और भलाई सारी की सारी तेरे ही हाथ में है और किसी शर की निस्बत तेरी तरफ़ नहीं है। मैं तेरा हूँ और मेरा ठिकाना तेरी ही तरफ़ है। तू बड़ी बरकतों वाला और बुलंदियों वाला है और मैं तुझ से मग़फ़िरत चाहता हूँ और तेरी जानिब तौबा कर रहा हूँ।' और जब रूकू करते तो यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा लका रकअ़तु ...) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे लिये झुक गया हूँ, तुझ पर ईमान लाया हूँ और तेरा मुतीअ़ हूँ। मेरे कान, मेरी आँखों, मेरी हड्डियाँ, गूदा और पुट्ठे सब ही तेरे सामने आजिज़ी का मज़हर हैं।' और जब रूकू से सर उठाते तो फ़रमाते: (समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्दु ...) 'अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जिसने उसकी हम्द की। ऐ हमारे रब! और तेरी ही तारीफ़ है आसमानों और ज़मीन भर, और उनका बीच भर कर और उसके बाद उस चीज़ के भराव के बराबर जो तू चाहे।' और जब सज्दा करते तो यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा लका सजत्तु ...) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे हुज़ूर सज्दा रेज़ हूँ, तुझ पर ईमान लाया हूँ और तेरा मुतीअ़ फ़रमान हूँ। मेरे चेहरे ने उस ज़ात के लिये सज्दा किया जिसने उसको पैदा किया, उसे शक्ल दी और बेहतरीन शक्ल दी और उसमें कान और आँखें बनाईं। बड़ी बरकतों वाला है अल्लाह

وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " .

जो बेहतरीन पैदा करने वाला है।' और जब नमाज़ से सलाम फेरते, तो ये दुआ करते: (अल्लाहुम्मग़फ़िरली माक़द्दमतु ...) 'ऐ अल्लाह! मेरे सब गुनाह और मेरी तमाम तक़्सीरें माफ़ फ़रमा दे, जो मैं पहले कर चुका और जो मैंने बाद में कीं, जो छुपे हूए कीं और जो ज़ाहिर में कीं और जो मैं हद से बढ़ा रहा और जिनका तू मुझ से ज़्यादा बा'ख़बर है। तू ही (नेकी और ख़ैर में) आगे करने वाला और पीछे करने वाला है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।'

(760) तख़रीज : सही मुस्लिम: 771.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ शूरू करने के वक़्त की कई दुआएँ साबित हैं। लम्बी भी और मुख़्तसर भी। मिन जुम्ला इनके मज़कूरा दुआ में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अल्लाह के हुज़ूर अपने इजज़ो व न्याज़ और इज़हारे बंदगी में इन्तेहा फ़रमा दी है। हमारे लिये भी इन दुआओं का पढ़ना मुस्तहब है और मानवी लिहाज़ से इनमें तौहीदे उलूहियत, रूबूबियत और अस्मा व सिफ़ात सब ही का इस्बात व इक़रार है। **(2)** ये दुआ फ़राइज़ नवाफ़िल और दिन और रात की सब ही नमाज़ों में पढ़ी जा सकती है जैसे कि इमाम इब्ने हिब्बान और इमाम शाफ़ेई (रह.) ने इनका फ़राइज़ में पढ़ना बयान फ़रमाया है। ताहम सही मुस्लिम में रात की नमाज़ में पढ़ने का ज़िक्र किया गया है। **(3)** इस रिवायत में तसरीह है कि दुआ (वज्जहतु वज्हिया...) का मक़ाम तकबीरे तहरीमा के बाद है बख़िलाफ़ उन हज़रात के जो इसे तकबीर से पहले समझते हैं। (सही मुस्लिम) **(4)** (व अना अव्वलुल मुसलिमीन) का जुम्ला जो पहली दुआ में आया है, उसके मुताल्लिक़ कुछ फ़ुक़हा–ए–मदीना से मरवी है कि वह इसे रसूलुल्लाह(ﷺ) से मख़्सूस समझते थे और आम मुसलमानों को (व अना मिनल मुस्लिमीन) कहने की तल्क़ीन करते थे। (देखिये रिवायत: 762) मगर हक़ीक़त ये है कि दोनों तरह सही है और (अव्वलुल मुसलिमीन) का मफ़हूम भी बिल्कुल बजा है, यानी बंदा ये इक़रार करता है कि 'मैं तेरे अहकाम क़बूल करने में सबसे पेश पेश हूँ।'

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي

(761) हज़रत अली बिन अबी तालिब (رضی اللہ عنہ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप जब फ़र्ज़ नमाज़ के लिये खड़े होते

الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَىْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ وَدَعَا نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الدُّعَاءِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ الشَّىْءَ وَلَمْ يَذْكُرْ " وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ " . وَزَادَ فِيهِ وَيَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " .

तो (अल्लाहु अकबर) कहते और अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर ऊँचा करते (रफ़उलदैन करते) और क़िराअत मुकम्मल कर लेने पर जब रूकू को जाते तो ऐसे ही (रफ़उलदैन) करते और रूकू से उठकर भी ऐसे ही (रफ़उलदैन) करते। और आप अपनी नमाज़ में जब बैठे हूए होते तो हाथ न उठाते और जब दो रकअतों से उठते तो इसी तरह रफ़उलदैन करते और (अल्लाहु अकबर) कहते और दुआ करते जैसे कि अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ की (पहले) हदीस़ में बयान हूआ है। इसमें अल्फ़ाज़ की कुछ कमी बेशी है और ये अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये यानी (वल्ख़ैरू कुल्लुहू फ़ी यदैक वश्शरू लैसा इलैक) और इस रिवायत पर इज़ाफ़ा करते हूए ये कहा कि जब नमाज़ से फ़िरते तो ये दुआ करते: (अल्लाहुम्मग़ फ़िरली माक़द्दमतु व अख़्ख़र्तु...) 'ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा दे जो मैंने पहले किये, जो बाद में किये, जो पोशीदा किये जो ज़ाहिर किये, तू मेरा माबूद है, तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं।'

(761) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 744 में देखें।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ

(762) शुऐबा बिन अबी हमज़ा बयान करते हैं कि मुझे इब्ने मुन्कदिर और इब्ने अबी फ़रवा वग़ैरह फ़ुक़हा–ए–मदीना ने कहा कि जब तुम ये दुआ: (वज्जहतु वजहिया...)

قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَابْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا قُلْتَ أَنْتَ ذَاكَ فَقُلْ " وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " . يَعْنِي قَوْلَهُ " وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ " .

पढ़ो, तो (वअना अव्वलुल मुसलिमीन) की बजाये (वअना मिनल मुसलिमीन) कहा करो।

(762) तख़रीज : (सनद सही)

नोट : इसकी तौज़ीह हदीस नम्बर: 760 के फ़वाइद में कर दी गई है कि (वअना अव्वलुल मुसलिमीन) कहने में कोई हर्ज नहीं। इसका मफ़हूम ये है: 'ऐ अल्लाह! तेरे अहकाम की तामील में, मैं सबसे पेश पेश हूँ।' जैसे कि आयते करीमा: 'कहिये कि अगर (बिलफ़र्ज़) रहमान का कोई बेटा होता तो मैं ही सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला होता।' (अज़्ज़ुख़रूफ़: 81) हज़रत मूसा (ﷺ) ने फ़रमाया था: (वअना अव्वलुल मुसलिमीन) 'मैं ईमान लाने वालों में सबसे आगे हूँ।' (अल आराफ़: 143)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى الصَّلاَةِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ قَالَ " أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا " . فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا . فَقَالَ " لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَىْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا " . وَزَادَ حُمَيْدٌ فِيهِ " وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ

(763) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदमी नमाज़ के लिये आया और उसकी साँस चढ़ी हुई थी। उसने कहा: (अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी) 'अल्लाह सबसे बड़ा है। हम्द व सना अल्लाह ही के लिये है, बहुत सी हम्द, तय्यब, पाक़ीज़ा और बा'बरकत।' जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो पूछा: 'तुममें से किसने ये कलिमात कहे थे? और उसने कोई बुरी बात नहीं कही।' तो एक शख़्स बोला मैं हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आया और मेरी साँस फूली हूई थी तो मैंने ये अल्फ़ाज़ कह दिये। आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा मैंने बारह फ़रिश्तों को देखा है कि वह इन कलिमात की तरफ़ जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं कि कौन उनको लेकर अल्लाह के हुज़ूर पहुँचता है।' हुमैद ने इस

نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِي فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَهُ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ " .

रिवायत में इस क़द्र मज़ीद कहा कि (आपने फ़रमाया:) 'और जब तुममें से कोई नमाज़ के लिये आये तो इसी तरह चलता आये जैसे कि चला करता है। जो पहले वह पढ़ ले और जो गुज़र जाये उसकी क़ज़ा कर ले।'

(763) तख़रीज : सही मुस्लिम 600.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये कलिमाते तय्यबात बहुत ज़्यादा मुबारक हैं और इन्हें बतौर सना पढ़ना मुस्तहब है। **(2)** ज़ाहिर है कि उस सहाबी ने ये कलिमात ऊँची आवाज़ से कहे थे मगर हमारे लिये इन्हें ऊँची आवाज़ से पढ़ना सुन्नत नहीं होगा वरना दूसरे नमाज़ियों के लिये तशवीश होगी।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاَةً قَالَ عَمْرٌو لاَ أَدْرِي أَىَّ صَلاَةٍ هِيَ فَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً " . ثَلاَثًا " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ " . قَالَ نَفْثُهُ الشِّعْرُ

(764) जनाब इब्ने जुबैर बिन मुतइम अपने वालिद (जुबैर बिन मुतइम) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक नमाज़ पढ़ते देखा, अम्र ने कहा: मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी नमाज़ थी ... तो आपने तीन बार कहा: (अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वलहम्दुलिल्लाहि कसीरा, अलहम्दुलिल्लाहि कसीरा, अलहम्दुलिल्लाहि कसीरा, वसुब्हानल्लाहि बुकरतंव व असीला) 'अल्लाह सबसे बड़ा और बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा और बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है और बहुत बड़ा है और हम्द अल्लाह ही की है, बहुत ज़्यादा, हम्द अल्लाह ही की है बहुत ज़्यादा, हम्द अल्लाह ही की है बहुत ज़्यादा। और वह सब ऐबों से पाक है। सुबह व शाम उसकी ये सना है।' (और बाद में ये कलिमात भी पढ़ते:) (अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानि मिन नफ़ख़िहि व हम्ज़िही) 'मैं अल्लाह की

وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ وَهَمْزُهُ الْمُوتَةُ .

पनाह चाहता हूँ शैतान के दम, फूँक और जिन्नों से।' (जनाब अम्र बिन मुर्रा ने इन अल्फ़ाज़ की शरह में) कहा कि (नुफ़ूस) से मुराद लग़्व क़िस्म की शेअर व शाइरी है। (नफ़ख़) का मफ़हूम तकब्बुर की अंगेख़्त है और (हम्ज़) का मानी जुनून है।

(764) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 807, इब्ने हिब्बान, हदीस: 443, 444, इब्ने जारूद, हदीस: 180, हाकिम: 1/235.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي التَّطَوُّعِ ذَكَرَ نَحْوَهُ

(765) जनाब नाफ़े बिन जुबैर अपने वालिद (जुबैर बिन मुतइम) से बयान करते हैं, कहा कि मैंने नबी (ﷺ) से सुना, आप नफ़ल नमाज़ में ऊपर दी गई दुआ पढ़ते थे।

(765) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَازِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَىْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ إِذَا قَامَ

(766) हज़रत आसिम बिन हुमैद कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से सवाल किया कि रसूल (ﷺ) अपना क़यामुल लैल (तहज्जुद) किस चीज़ से शुरू फ़रमाया करते थे? उन्होंने कहा: तुमने मुझसे वह बात पूछी है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं पूछी। आप (ﷺ) जब (नमाज़ के लिये) खड़े होते तो कहते: (अल्लाहु अकबर) दस बार (अल्हम्दुलिल्लाह) दस बार, फिर (सुब्हानल्लाह) दस बार (ला इलाह इल्लल्लाह)दस बार (अस्तग़फ़िरूल्लाह) दस बार और (ये दुआ) पढ़ते: (अल्लाहुम्मग़ फ़िरली वहदिनी वरज़ुक़नी व

كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللَّهَ عَشْرًا وَسَبَّحَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَقَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي " . وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ .

आफ़िनी) 'ऐ अल्लाह! मुझे बख़्शश दे, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ इनायत फ़रमा और मुझे आराम व राहत से बहरावर फ़रमा।' और आप क़यामत के रोज़ (मैदाने हश्र में) खड़े होने की तंगी से पनाह माँगते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: इस हदीस़ को ख़ालिद बिन मअ़दान ने हज़रत आ़यशा (ﷺ) से बवास्ता रबीया जुरशी ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया है।

(766) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 1618.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ " اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"

(767) जनाब अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आ़यशा(ﷺ) से सवाल किया कि नबी (ﷺ) जब रात को उठते तो अपनी नमाज़ किस चीज़ से शुरू फ़रमाते थे? उन्होंने बताया कि आप जब रात को उठते और अपनी नमाज़ शुरू करते तो कहते: (अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्रील व मीकाईल व इस्राफ़ील ...) 'ऐ अल्लाह! जिब्राईल, मीकाईल और इस्राफ़ील के रब! आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले! सब ज़ाहिर और पोशीदा के जानने वाले! तेरे बंदों के बीच जो इख़्तिलाफ़ होता है तू ही उसका फ़ैसला करता है। तू अपनी ख़ास तौफ़ीक़ से मेरी हक़ की तरफ़ रहनुमाई फ़रमा। बेशक तू ही जिसे चाहे, उसे सीधी राह की रहनुमाई फ़रमाता है।'

(767) तख़रीज : सही मुस्लिम.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، قُرَادٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، بِإِسْنَادِهِ بِلاَ إِخْبَارٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ كَانَ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ وَيَقُولُ .

(768) जनाब इक्रमा (बिन अम्मार अज्ली) ने अपनी सनद से हद्दसना की स़राहत के बग़ैर और इस हदीस़ के हम मानी बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात को क़याम फ़रमाते तो (पहले) (अल्लाहु अकबर!) कहते और फिर ये दुआ पढ़ते।

(768) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا .

(769) जनाब क़ानबी इमाम मालिक (रह.) से बयान करते हैं कि नमाज़ के शूरू में, दरम्यान और आख़िर में दुआ करने में कोई हर्ज नहीं। नमाज़ ख़्वाह फ़र्ज़ हो या ग़ैर फ़र्ज़।

(769) तख़रीज : (सनद स़ही) मौता: 1/218.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا آنِفًا

(770) रिफ़ाआ बिन राफ़े ज़ुरक़ी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम लोग एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रूकू से सर उठाया और (समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदा) कहा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे एक आदमी ने कहा: (अल्लाहुम्मा! रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह) 'ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! और तेरी ही तारीफ़ है, बहुत सारी हम्द, पाकीज़ा और बा'बरकत।' जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हूए तो पूछा: 'अभी अभी किसने ये कलिमात कहे हैं?' उस आदमी ने कहा: मैंने ऐ अल्लाह के रसूल! तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया:

" . فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ " .

'तहक़ीक़ मैंने तीस से कुछ ऊपर फ़रिश्तों को देखा है जो इन कलिमात की तरफ़ सब्क़त कर रहे थे कि कौन उनको पहले लिखता है।'

(770) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस: 799, मौता, 1/211, 212.

फ़ायदा : रूकू से उठ कर ऊपर दी गई दुआ का पढ़ना मुस्तहब है मगर तमाम ही मुक़तदी ऊँची आवाज़ से पुकार कर पढ़ें, सहाबा से इसका सबूत नहीं मिलता। इसलिए तमाम मुक़तदियों के लिए इन कलिमात को बा'आवाज़े बलन्द कहने का पाबन्द करना, सही नहीं, न इस हदीस से इसका इस्बात ही होता है। इससे सिर्फ़ इन कलिमात की फ़ज़ीलत और इसे इस मौक़े पर पढ़ने का इस्बात होता है, न कि तमाम मुक़तदियों का ऊँची आवाज़ से पढ़ने का। नीज़ देखिये हदीस: 773.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ

(771) सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात को नमाज़ के लिये खड़े होते तो यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा लकल्हम्दु अन्त नूरूस समावाति वलअरज़ि ...) 'ऐ अल्लाह! तेरी ही तारीफ़ है। तू आसमानों और ज़मीन का नूर है। तेरी ही तारीफ़ है कि तू आसमानों और ज़मीन की तदबीर करने वाला है। तेरी ही तारीफ़ है कि तू आसमानों, ज़मीन और जो कुछ उनमें है सबका रब है। तू हक़ है। तेरा फ़रमान हक़ है। तेरा वादा हक़ है, तुझ से मुलाक़ात बरहक़ है। जन्नत बरहक़ है। दोज़ख़ बरहक़ है। क़यामत बरहक़ है। ऐ अल्लाह! मैं तेरा मुतीअ फ़रमान हूँ। तुझ पर ईमान लाया हूँ। मेरा ऐतमाद तुझी पर है।मैं तेरी तरफ़ रूजू करने वाला हूँ। (मुख़ालिफ़ीने हक़ से) तेरी ही मदद से झगड़ता हूँ और तुझ ही को अपना फ़ैसल (फ़ैसला करने वाला) बनाता हूँ। मेरे सब गुनाह माफ़ फ़रमा दे, जो

لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ".

मैंने पहले किये, बाद में किये, छिप के किये और ज़ाहिरन किये। तू ही मेरा माबूद है। तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं।'

(771) तख़रीज : मौता: 1/215, 216, व सही मुस्लिम: 769.

फ़ायदा : तमाम ही नमाज़ों में सना के मौक़े पर इस दुआ का पढ़ना मुस्तहब है बिलख़ुसूस तहज्जुद में। इस दुआ में नबी (ﷺ) ने जिस अन्दाज़ से इज़हारे उबूदियत किया है वह आप ही का मक़ाम है। इनमें ईमान, इस्लाम और एहसान का ख़ुलासा आ गया है।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي التَّهَجُّدِ يَقُولُ بَعْدَ مَا يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ " . ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ .

(772) सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तहज्जुद में (अल्लाहु अकबर) यानी (तकबीरे तहरीमा) कहने के बाद कहा करते थे ... और फिर ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत किया।

(772) तख़रीज : सही मुस्लिम: 769.

फ़ायदा : मालूम हूआ ये दुआएँ जागने के वक़्त की नहीं हैं, बल्कि नमाज़ शूरू करते हूए सना के मौक़े की हैं।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نَحْوَهُ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّ، أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَطَسَ رِفَاعَةُ لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ رِفَاعَةُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا

(773) जनाब मुआज़ बिन रिफ़ाआ बिन राफ़े अपने वालिद से बयान करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी तो रिफ़ाआ को छींक आ गई ... (उस्ताद) क़ुतैबा ने रिफ़ाआ का नाम नहीं लिया ... तो मैंने कहा: (अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कस़ीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह, मुबारकन अलयहि कमा युहिब्बु रब्बना वयर्ज़ा) 'तारीफ़ अल्लाह की है बहुत ज़्यादा तारीफ़, पाकीज़ा और बा'बरकत (यानी बाक़ी रहने वाली) जैसे कि हमारा रब पसन्द फ़रमाये और जिस पर राज़ी और ख़ूश हो।'

وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ فَقَالَ " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ " . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَتَمَّ مِنْهُ .

जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हूए तो पूछा: 'नमाज़ में कौन बोल रहा था?' फिर मालिक की हदीस़ की मानिन्द बयान किया और इससे कामिल तर बयान किया।

(773) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 404.

फ़ायदा : हदीसे मालिक से मुराद पीछे गुज़री हूई हदीस़: 769 है। मालूम हूआ कि नमाज़ में छींक आये तो ऊपर दी गई दुआ या (अल्हम्दुलिल्लाह) कहना मुबाह है। इन दोनों अहादीस़ (यानी हदीस: 770, 773) को जमा करने से मालूम होता है कि शायद रूकू से उठने और छींक आने का वक़्त एक ही था कि जनाब रिफ़ाआ (ﷺ) ने ये कलिमात कहे थे।

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَطَسَ شَابٌّ مِنَ الأَنْصَارِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ حَتَّى يَرْضَى رَبُّنَا وَبَعْدَ مَا يَرْضَى مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ " . قَالَ فَسَكَتَ الشَّابُّ ثُمَّ قَالَ " مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا قُلْتُهَا لَمْ أُرِدْ بِهَا إِلاَّ خَيْرًا . قَالَ " مَا تَنَاهَتْ

(774) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन आ़मिर बिन रबीया अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ में एक अन्सारी जवान ने छींक मारी, तो उसने कहा: (अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह, ...) 'तारीफ़ अल्लाह की, बहुत सारी तारीफ़, पाकीज़ा, बा'बरकत, यहाँ तक कि हमारा रब राज़ी हो जाये और दुनिया व आख़िरत के मामले के बाद जिस पर वह राज़ी हो।' जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हूए तो पूछा: 'किसने कलिमात कहे हैं?' तो वह नौजवान ख़ामोश रहा। फिर आपने फ़रमाया: 'किसने कलिमात कहे हैं? उसने कोई हर्ज की बात नहीं कही।' तब वह बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने कहे हैं और मैंने भलाई ही का इरादा किया है। आपने फ़रमाया: 'ये कलिमात अ़र्शे रहमान से वरे कहीं नहीं रूके। (बल्कि बराहे रास्त सीधे

دُونَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " .

अ़र्श तक जा पहुँचे हैं) बलन्द है ज़िक्र उसका।

(774) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बग़वी, हदीस: 727, हदीस: 728 में देखें।

﴾120﴿

باب مَنْ رَأَى الاِسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

बाब : 120
इफ़्तिताहे नमाज़ में (सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका) वाली दुआ पढ़ना

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ " . ثُمَّ يَقُولُ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . ثَلاَثًا ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا " . ثَلاَثًا " أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ " . ثُمَّ يَقْرَأُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ

(775) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात को क़याम फ़रमाते तो (अल्लाहु अकबर) कहते फिर यूँ कहते: (सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकसमुका वतआला जहुका वला इलाहा ग़ैरूका) 'पाक है तू ऐ अल्लाह! अपनी हम्द के साथ। तेरा नाम बड़ी बरकत वाला है। तेरी शान बहुत बलन्द है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।' फिर कहते: (ला इलाहा इल्लल्लाह) तीन बार 'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं' फिर कहते (अल्लाहु अकबर कबीरा) तीन बार 'अल्लाह सबसे बड़ा और बहुत बड़ा है।' (अऊज़ुबिल्लाहि समीउल अ़लीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही) 'मैं अल्लाह सुनने वाले जानने वाले की पनाह चाहता हूँ कि शैतान मरदूद मुझ पर कोई जिन्नों का असर डाले या मुझे तकब्बुर पर आमादा करे या ग़लत शेअ़र व

يَقُولُونَ هُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً الْوَهَمُ مِنْ جَعْفَرٍ .

शाइरी की तरफ़ ले आये।' इसके बाद आप क़िराअत फ़रमाते।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि इस हदीस़ के बारे में अहलुल हदीस़ कहते हैं कि ये अ़ली बिन अ़ली अ़न हसन की सनद से मुर्सल है और ये वहम जाफ़र को हूआ है।

(775) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 242, स़ही इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 467, इब्ने माजा, हदीस़: 804.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सना में पढ़ी जाने वाली ये मशहूर मारूफ़ दुआ है जो कि हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) और हज़रत इब्ने मसऊ़द (ﷺ) से भी मरवी है। अइम्मा मुतक़द्दिमीन ने इसकी सनद में बहस़ की है जो इसके क़द्रे कमज़ोर होने का इशारा है मगर इसके मुबाह होने में कोई शक नहीं। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे स़ही कहा है। **(2)** नीज़ इसमें तअ़व्वुज़ पढ़ने का भी स़बूत है कि स़ना के बाद और क़िराअत से पहले (अऊ़ज़ुबिल्लाह) पढ़ना सुन्नत है। **(3)** इस दुआ का ज़िक्र नबी (ﷺ) से नफ़ल नमाज़ों के अन्दर आया है।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلاَئِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ وَقَدْ رَوَى قِصَّةَ الصَّلاَةِ عَنْ بُدَيْلٍ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ شَيْئًا مِنْ هَذَا

(776) सय्यदा आ़यशा (ﷺ) बयान फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ शुरू करते तो ये दुआ पढ़ते: (सुब्हानकल्लाहुमा वबिहम्दिका वतबारकस्मुका व तआ़ला जद्दुका वला इलाहा ग़ैरूका)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ अ़ब्दुस्सलाम बिन हर्ब से मशहूर नहीं है। इसे सिर्फ़ तलक़ बिन ग़न्नाम ने रिवायत किया है। बुदैल से एक जमाअ़त ने नमाज़ की तफ़्सील रिवायत की है मगर इनमें से किसी ने भी इसे ज़िक्र नहीं किया।

(776) तख़रीज : (सनद स़ही) दारक़ुतनी: 1/299, हाकिम: 1/35, व मुस्लिम: 783.

फ़ायदा : अ़ल्लामा शौकानी फ़रमाते हैं कि नबी (ﷺ) से स़ही इस्नाद से स़ाबित अज़कार का इख़्तियार

करना ही बेहतर और अफ़ज़ल है। इफ़्तेताहे नमाज़ की दुआओं में सबसे सहीतरीन हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की हदीस है, यानी (अल्लाहुम्मा बाइद बयनी वबयना ....) (सही बुख़ारी, हदीस: 744, व सही मुस्लिम) इसके बाद हदीसे अली (ﷺ) यानी (वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी ......) और हदीसे आयशा (ﷺ) और अबू सईद (ﷺ) यानी (सुब्हानकल्लाहुमा ...) में कलाम है। (नैलुल अवतार, 3/215 से 219) लेकिन इमाम शौकानी ने अगले बाब में इस हदीस को भी शवाहिद की वजह से क़ाबिले अमल क़रार दिया है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को सही क़रार दिया है, इसके अलावा हमारे मुहक़्क़िक़ (शैख़ ज़ुबैर अली ज़ई) (रह.) ने भी इसे सही कहा है, इसलिए इस दुआए इस्तेफ़्ताह का पढ़ना भी सही है, गो दर्जाते हदीस में इसका नम्बर तीसरा है, लेकिन ये भी सही है।

बाब : 121
इफ़्तिताहे नमाज़ के मौक़े पर सकते का बयान

121
باب السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ

(777) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) बयान करते हैं कि मुझे नमाज़ में दो सकते याद हैं। एक तो जब इमाम तकबीर कहता है तो क़िराअत शुरू करने तक। और दूसरा जब वह फ़ातिहा और सूरत की क़िराअत से फ़ारिग़ होकर रूकू करना चाहता है। कहा कि इमरान बिन हुसैन (ﷺ) ने इन (समुरा) पर इसका इंकार किया। चुनांचे उन्होंने ये मसला मदीना में हज़रत उबय बिन कअब(ﷺ) की तरफ़ लिख भेजा तो उन्होंने हज़रत समुरा की तस्दीक़ फ़रमाई।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस हदीस की रिवायत में हुमैद तवील ने भी ऐसे ही कहा है कि 'दूसरा सकता उस वक़्त है जब वह क़िराअत से फ़ारिग़ हो।'

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرُّكُوعِ قَالَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَىٍّ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ .

(777) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 845.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا اسْتَفْتَحَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا . فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ .

(778) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) नबी(ﷺ) से बयान करते हैं कि आप दो सकते फ़रमाया करते थे। एक नमाज़ शूरू करते हूए (क़िराअत से पहले) और दूसरा जब पूरी क़िराअत से फ़ारिग़ हो जाते। और यूनुस की रिवायत के हम मानी ज़िक्र किया।

(778) तख़रीज : (सनद सही) अब्दुल बर तम्हीद: 11/42, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ .

(779) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) ने बयान किया कि उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) से दो सकते याद हैं, एक सकता जब आप तकबीर कहते और दूसरा सकता जब आप (ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) पढ़ कर फ़ारिग़ होते। हज़रत समुरा (ﷺ) को ये याद था मगर हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) ने इसका इंकार किया तो इन दोनों ने ये मसला हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) की जानिब लिख भेजा। उन्होंने उनके जवाब में लिखा कि हज़रत समुरा (ﷺ) ने ये मसला सही याद रखा है।

(779) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1578, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِهَذَا قَالَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ

(780) हज़रत समुरा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि दो सकते हैं जो मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) से याद हैं। सईद कहते हैं कि हमने क़तादा से पूछा कि ये दो सकते क्या हैं? उन्होंने कहा: जब नमाज़ शूरू करते और जब क़िराअत से फ़ारिग़ होते। फिर उसके बाद कहा: और जब (ग़ैरिल

فِيهِ قَالَ سَعِيدٌ قُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ قَالَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَإِذَا قَالَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} .

मग़ज़ूबि अ़लैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहते।

(780) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 251, इब्ने माजा, हदीस: 844, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1578, इब्ने हिब्बान, हदीस: 448, हाकिम: 1/215.

तौज़ीह : ऊपर दी गई अहादीस 'हसन अज़ समुरा बिन जुन्दुब' की सनद से मरवी हैं और उनके सिमाअ में इख़्तिलाफ़ है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस इख़्तिलाफ़ की वजह से इस हदीस को हसन कहा है। और जामेअ तिर्मिज़ी के शारेह और मुहक़्क़िक़ अहमद मुहम्मद शाकिर (रह.) के नज़दीक हसन (बसरी) का सिमाअ हज़रत समुरा (ﷺ) से साबित है, इसलिए उन्होंने इस हदीस को सही कहा है और दीगर मुहक़्क़िक़ीन (शैख़ ज़ुबैर अ़ली ज़ई समेत) के नज़दीक भी ये हदीस सही है, इसलिए इन अहादीस से साबित सकतात का जवाज़ है। ताहम शैख़ अल्बानी (रह.) ने ऊपर दी गई अहादीस को ज़ईफ़ शुमार किया है। इस वजह से इनके नज़दीक सहीतर अहादीस में मुत्तफ़क़ अ़लैहि सकता सिर्फ़ एक ही है यानी तकबीरे तहरीमा के बाद, जिसमें सना पढ़ी जाती है। अलबत्ता दीगर सकतात जिनका इन रिवायात में बयान आया है ये महज़ 'तवक़्क़ोफ़ात' हैं और अइम्मा ने इनको मुस्तहब कहा है और ज़रूरत भी होती है ताकि फ़ातिहा का इख़्तिताम, आमीन, दूसरी क़िराअत की इब्तेदा और इन्तेहा वाज़ेह रहे और इसके बाद ही रूकू के लिये तकबीर कही जाये।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عُمَارَةَ، - الْمَعْنَى - عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ أَخْبِرْنِي مَا

(781) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ के लिये तकबीर कह लेते तो तकबीर और क़िराअत शुरू करने के दरम्यान क़द्रे ख़ामोश रहते। मैंने आप (ﷺ) से अ़र्ज़ किया: मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान! तकबीर और क़िराअत के दरम्यान अपने सुकूत (खामूशी) के मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमायें कि इसमें आप क्या पढ़ते हैं? फ़रमाया: (अल्लाहुम्मा बाइद बयनी .....) 'ऐ अल्लाह! मेरे और मेरे गुनाहों के दरम्यान दूरी कर दे, जैसे कि तूने मश्रिक़ और मग़रिब के दरम्यान दूरी और

تَقُولُ . قَالَ " اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَاىَ كَالثَّوْبِ الأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ "

फ़ासला रखा है। ऐ अल्लाह! मुझे मेरे गुनाहों से ऐसे साफ़ फ़रमा दे जैसे कि सफ़ेद कपड़ा मैल से साफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह! मुझे बर्फ़, पानी और औलों से धो दे।'

(781) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस़ 744, व सही मुस्लिम: 598.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सना की दुआओं में से ये दुआ सबसे सही असानीद से साबित है। अल्फ़ाज़ में क़द्रे फ़र्क़ भी मरवी है। (2) सना को ख़ामोशी से पढ़ना मसनून है। (3) आख़री जुम्ला 'ऐ अल्लाह! मुझे बर्फ़, पानी और औलों से धो दे।' इसमें बर्फ़ और औलों का ज़िक्र या तो ताकीद के लिये है या इस मानी में है कि ये पानी ज़मीनी आलूदगियों (मिलावटों) से पाक और साफ़ होता है तो इससे सफ़ाई और भी उम्दा होगी। और सफ़ाई के लिये 'बर्फ़ और औलों' के ज़िक्र में हिकमत ये बयान की जाती है कि ये अल्फ़ाज़ बतौर तफ़ावुल हैं। यानी ऐ अल्लाह! गुनाहों के बाइस जो आग की हरारत का सज़ावार बन रहा हूँ, इससे महफ़ूज़ रख और मेरी ख़ताओं को ठण्डी बर्फ़ और औलों से धो और आग की जलन से बिल्कुल मामून व महफ़ूज़ फ़रमा दे। वल्लाहु आलम! (4) सहाब-ए-किराम (ﷺ) नबी(ﷺ) के तमाम अहवाल का ततब्बो (देख-रेख) फ़रमाया करते थे, ख़्वाह वह ज़ाहिर होते या मख़्फ़ी। इस तरह अल्लाह तआला ने इनके ज़रिये से दीन को महफ़ूज़ कर दिया है। (ﷺ)

﴾122﴿
بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْجَهْرَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

बाब : 122
उन हज़रात के दलाइल जो 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' को ऊँची आवाज़ से नहीं पढ़ते

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا

(782) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अबूबक्र, उमर और उस्मान(ﷺ) क़िराअत की इब्तेदा (अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) से किया करते थे।

يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.

(782) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 125, मुसनद अहमद: 3/114, 183, 273, बुख़ारी, हदीस़: 743, व सही मुस्लिम: 399.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِـ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ " التَّحِيَّاتُ " . وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ .

(783) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ की इब्तेदा (अल्लाहु अकबर) से और क़िराअत की इब्तेदा (अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) से किया करते थे। और जब रूकू करते तो अपना सर न ऊँचा रखते और न झुकाते बल्कि उनके बीच बीच होता। और जब रूकू से सर उठाते तो उस वक़्त तक सज्दा न करते जब तक कि सही सीधा खड़े न हो जाते। और जब सज्दे से सर उठाते तो दूसरा सज्दा उस वक़्त तक न करते जब तक कि दुरूस्त अन्दाज़ में बैठ न जाते और हर दो रकअत के बाद (अत्तहिय्यात) (तशहहुद) पढ़ते। और जब बैठते तो अपना बायाँ पाँव बिछा लेते और दायें को खड़ा करते। और शैतान की चौकड़ी और दरिन्दे की मानिन्द बैठने से मना फ़रमाते। और नमाज़ को सलाम पर ख़त्म करते।

(783) तख़रीज : सही मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन हदीसों से इस्तेदलाल ये है कि क़िराअत की इब्तेदा (अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) के अल्फ़ाज़ से होती थी न कि (बिस्मिल्लाह) के अल्फ़ाज़ से। मगर शवाफ़ेअ वग़ैरह जो (बिस्मिल्लाह) ज़ोर से पढ़ने के क़ाइल हैं, वह इन अहादीस़ का मफ़हूम ये बताते हैं कि इससे मुराद ये है कि क़िराअत की इब्तेदा सूरह फ़ातिहा से होती थी न कि किसी और सूरह से। और बक़ौल इनके (बिस्मिल्लाह) हर सूरह का हिस्सा है मगर दलाइल को जमा किया जाये तो उनसे (बिस्मिल्लाह) को ख़ामोशी से पढ़ने की जानिब राजेह साबित होती है। जैसे कि सही बुख़ारी, सही

मुस्लिम और मुसनद अहमद में हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि 'ये हज़रात बिस्मिल्लाह जहरन न पढ़ा करते थे।' (सही बुख़ारी, हदीस: 743 व सही मुस्लिम) **(2)** हर दो रकअत के बाद (अत्तहिय्यात) तीन या चार रकअत वाली नमाज़ में है मगर वित्र के लिये बसराहत साबित है कि नबी(ﷺ) जब तीन या पाँच रकअत वित्र एक ही सलाम से पढ़ते तो बीच में कोई (अत्तहिय्यात) (तशहहुद) न पढ़ते सिर्फ़ आख़री रकअत में पढ़ते थे। **(3)** शेतान की चौकड़ी (इक़ाउश्शयतान) से मुराद ये है कि आदमी अपने सुरीन को ज़मीन पर रख ले, पिण्डलियाँ खड़ी कर ले और हाथों को ज़मीन पर रख ले। ये नाजायज़ है मगर इक़आ की एक दूसरी सूरत ये है कि अपने सुरीन को अपनी एड़ियों पर रखे जबकि पाँव, पंजों पर खड़े किये हों तो सज्दों के दरम्यान ये सूरत जायज़ है। **(4)** 'दरिन्दों की तरह बैठना' इससे मुराद ये है कि सज्दे में अपने हाथ ज़मीन पर कुहनी तक लम्बे बिछा ले जैसे कि दरिन्दे बैठते हैं, ये नाजायज़ है।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آنِفًا سُورَةٌ " . فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } حَتَّى خَتَمَهَا . قَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ " .

(784) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझ पर अभी अभी एक सूरह नाज़िल हुई है।' आपने (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम—इन्ना आतैना कल कौसर) पूरी सूरह पढ़ कर सुनाई। आपने पूछा: 'जानते हो कौसर क्या है?' सहाबा (ﷺ) ने कहा: अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'ये एक नहर है जिसका मेरे रब अज़्ज़ व जल्ल ने मुझसे जन्नत में वादा फ़रमाया है।'

(784) तख़रीज : सही मुस्लिम: 400.

फ़ायदा : ऊपर बयान की गई दोनों अहादीस सही और हसन हैं। लिहाज़ा तर्जीह सही अहादीस को है। नीज़ अगले बाब की हदीस कि (बिस्मिल्लाह) से दो सूरतों के बीच फ़र्क़ व फ़सल नुमायाँ होता था, इससे यही जानिब राजेह मालूम होती है कि (बिस्मिल्लाह) सूरह का जुज़ नहीं है। (तफ़्सील के लिये देखिये: नैलुल अवतार)

حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا

(785) जनाब उर्वा के वास्ता से हज़रत

حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ الْمَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَذَكَرَ الإِفْكَ، قَالَتْ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ " أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ { إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ } " . الآيَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلاَمَ عَلَى هَذَا الشَّرْحِ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ كَلاَمِ حُمَيْدٍ .

आयशा(ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) बैठे और अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और कहा: (अऊज़ुबिस समीइल अलीम मिनश्शयतानिर्रजीम) (इन्नल्लज़ीना जाऊबिल इफ़्कि उस्बतुम मिन्कुम...) (अन नूर: 11)

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया कि ये हदीस़ मुन्कर है। इसे ज़ोहरी से मुहद्दिसीन की जमाअत ने रिवायत किया है मगर उन्होंने ये कलाम (यानी तअव्वुज़) इस तरीक़े से (यानी यहाँ पर) ज़िक्र नहीं किया और मुझे अन्देशा है कि शैतान से तअव्वुज़ का बयान हुमैद का कलाम होगा।

(785) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/43.

फ़ायदा : इमाम स़ाहिब का इस हदीस़ को मुन्कर बताकर ये वाज़ेह करना मक़सूद है कि क़ुर्आन करीम और अहादीसे स़हीहा से तअव्वुज़ का तरीक़ा ये स़ाबित है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला का नाम भी आये, क्योंकि क़ुर्आन में है: 'अल्लाह के ज़रिये से शैताने मरदूद से पनाह माँगो।' (अन्नहल: 16/98) और अहादीस़ में भी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम या अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रज़ीम के अल्फ़ाज़ वारिद हैं। (अऊज़ुबिस्समीइल अलीम) नहीं है। ये अल्फ़ाज़ सिर्फ़ हुमैद रावी बयान करता है, दूसरे रावियों ने इस तरह बयान नहीं किया है। इसलिए ये हदीस़ इमाम अबू दाऊद के नज़दीक मुन्कर है। लेकिन स़ाहिबे औनूल माबूद फ़रमाते हैं कि इस लिहाज़ से ये रिवायत (मुन्कर नहीं) शाज़ होगी और शाज़ रिवायत वह होती है जिसमें मक़बूल रावी अपने से ज़्यादा सिक़ा रावी के मुख़ालिफ़ बयान करे (और इसमें ऐसा ही है) और मुन्कर रिवायत में ज़ईफ़ रावी सिक़ा रावी की मुख़ालिफ़त करता है।

बाब : 123
... बिस्मिल्लाह ज़हरी (ज़ोर से) पढ़ने वालों के दलाइल

﴾123﴿
باب مَنْ جَهَرَ بِهَا

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ، إِلَى بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ وَإِلَى الأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي فَجَعَلْتُمُوهُمَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } قَالَ عُثْمَانُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الآيَاتُ فَيَدْعُو بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ لَهُ وَيَقُولُ لَهُ " ضَعْ هَذِهِ الآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا " . وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ الآيَةُ وَالآيَتَانِ فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَكَانَتِ الأَنْفَالُ مِنْ أَوَّلِ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ هُنَاكَ وَضَعْتُهُمَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ { بِسْمِ

(786) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) से कहा: क्या बात हुई कि आपने सूरह बरात, जो मिईन (सौ आयतों वाली सूरतों) में से है, और सूरह अन्फ़ाल को, जो मसानी में से है, मिलाकर सात तिवाल सूरतों में शामिल कर दिया है और इन दोनों के दरम्यान 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' की लाइन नहीं लिखी है। हज़रत उस्मान (ﷺ) ने कहा: नबी (ﷺ) पर जब कुर्आन की आयात नाज़िल होती थीं तो आप किसी कातिब को बुला लेते और फ़रमाते: 'इस आयत को इस सूरह में लिख दो जिसमें फुलां फुलां बयान है।' फिर एक दो आयात उतरतीं तो इसी तरह फ़रमाते। और सूरह अन्फ़ाल उन सूरतों में से है जो आपकी आमदे मदीना के शुरू दिनों में उतरी थी और सूरह बरात नुज़ूले कुर्आन के आख़री दौर की सूरतों में से है और इनका मज़मून आपस में मुशाबा है लिहाज़ा मैंने समझा कि ये सूरह बरात, सूरह अन्फ़ाल का हिस्सा है और यही से मैंने इन दोनों को तिवाल में दर्ज कर दिया और इनके दरम्यान (बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम) की सतर नहीं लिखी।

اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } .

(786) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3086, इब्ने हिब्बान, हदीस: 452, हाकिम: 2/321, 330.

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ - أَخْبَرَنَا عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَبُو مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكْتُبْ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ النَّمْلِ هَذَا مَعْنَاهُ .

(787) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान किया और इसमें कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात हो गई और आपने हमारे लिये ये वाज़ेह नहीं फ़रमाया कि ये (सूरह बरात) सूरह अन्फ़ाल में से है। (या नहीं)

इमाम अबू दाऊद ने फ़रमाया कि शअबी, अबू मालिक, क़तादा और साबित बिन उमारा ने कहा है कि नबी (ﷺ) ने (अपने मक्तूबात वग़ैरह में) (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) लिखनी शूरू नहीं की यहाँ तक सूरह नमल नाज़िल हो गई। ये इस रिवायत का मफ़हूम है।

(787) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، - قَالَ قُتَيْبَةُ فِيهِ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْهِ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } . وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ .

(788) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी हे कि नबी (ﷺ) सूरतों का फ़र्क़ न पहचानते थे यहाँ तक कि (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) नाज़िल की जाती। ये इब्ने सरह के अल्फ़ाज़ हैं।

(788) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 2/42, 43, हुमैदी, हदीस: 528, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 11636, वत्तहावी मुश्किलुल आसार: 2/153, हाकिम: 1/231.

फ़ायदा : इस मसले में कि 'बिस्मिल्लाह' को ज़ोर से पढ़ा जाये या आहिस्ता से अल्लामा इब्ने

क़य्यिम (रह.) की बात मोतदिल है कि 'नबी करीम (ﷺ) इसे कभी ज़हरन् (ज़ोर से) पढ़ते थे और कभी सिर्रन (धीरे से), मगर आपका इसको सिर्रन (आहिस्ता से) पढ़ना ज़्यादा साबित है। ये नामुमकिन है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इसे रोज़ाना पाँच औक़ात में, नीज़ सफ़र व हज़र में भी जहरन पढ़ते रहे हों और आपका ये अमल ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन और दीगर सहाबा (رضي الله عنهم) पर मख़्फ़ी रहा हो और फिर आपके अहले शहर ख़ैरूल कुरून में भी इससे बेख़बर रहें, ये बहुत ज़्यादा नामुमकिन बात है। चे जाये कि बिस्मिल्लाह के जहर को साबित करने के लिये मुज़्मल अल्फ़ाज़ और कमज़ोर अहादीस़ का सहारा लिया जाये। इस बारे में सही अहादीस़ ग़ैर सरीह और जो सरीह हैं वह ग़ैर सही हैं। (ज़ादुलमआद) मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतार) शैख़ अलबानी (रह.) का मौक़िफ़ भी 'बिस्मिल्लाह' सिर्री (धीरे से) पढ़ने का है। देखिये (सिफ़तु सलातिन नबी (ﷺ), सफ़ा: 96) और यही राजेह है।

बाब : 124
किसी आरिज़ की वजह से नमाज़ को हल्का (मुख़्तसर) कर देना

﴾124﴿
باب تَخْفِيفِ الصَّلاَةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ " .

(789) जनाब अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अपने वालिद (हज़रत अबू क़तादा) (رضي الله عنه) से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं नमाज़ के लिये खड़ा होता हूँ और मेरा इरादा होता है कि इसे लम्बा करूंगा मगर मैं बच्चे का रोना सुनता हूँ तो उसे मुख़्तसर कर देता हूँ ताकि उसकी माँ बेचैन न हो।'

(789) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 707.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ को तवील करके ख़ुशू व ख़ुज़ूअ से पढ़ना मुस्तहब है मगर इमाम के लिये शर्त है कि अपने मुक़तदियों में से कमज़ोर अफ़राद का ख़्याल रखे। (2) नमाज़ में किसी मुस्तहब अ़मल की नियत करके उसे पूरा करना लाज़मी नहीं है, नियत में इस तरह की तब्दीली जायज़ है मसलन किसी ने क़याम लम्बा करने की नियत की तो उसे मुख़्तसर कर दिया या खड़े होकर नफ़ल पढ़ने की नियत की तो ज़रूरी नहीं की खड़े होकर मुकम्मल करे, बैठ कर भी मुकम्मल कर सकता है। (3) औरतें भी जमाअ़त में शामिल हों तो बेहतर है और छोटे बच्चों को भी मस्जिद में लाया जा सकता है। (4) नमाज़ को हल्का करने से मुराद ये है कि क़िराअत मुख़्तसर और दीगर अज़कार को मुनासिब हद तक कम कर दिया जाये। न कि अरकाने नमाज़ को जल्दी जल्दी अदा किया जाये।

बाब : 125
नमाज़ मुख़्तसर (हल्की) पढ़ानी चाहिए

﴾125﴿
باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَهُ مِنْ، جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا - قَالَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ - فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً الصَّلاَةَ - وَقَالَ مَرَّةً الْعِشَاءَ - فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى

(790) हज़रत जाबिर (ﷺ) का बयान है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते और फिर वापस आकर हमारी इमामत कराते थे, अ़म्र बिन दीनार ने एक बार यूँ कहा कि फिर वापस आकर अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाते थे ... एक रात नबी (ﷺ) ने ताख़ीर से नमाज़ पढ़ाई ... और एक बार रिवायत किया कि इशा की नमाज़ आपने ताख़ीर से पढ़ाई और हज़रत मुआज़ (ﷺ) ने नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी फिर आकर अपनी क़ौम की इमामत की और सूरह बक़रः पढ़नी शूरू कर दी। तो क़ौम में से एक आदमी अलग हो गया और उसने अलग ही अपनी नमाज़ पढ़ी, तो उसे कहा गयाः क्या तू मुनाफ़िक़ हो गया है ऐ फ़लां? उसने कहाः मैं मुनाफ़िक़ नहीं हूआ

فَقِيلَ نَافَقْتَ يَا فُلاَنُ . فَقَالَ مَا نَافَقْتُ . فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَإِنَّهُ جَاءَ يَؤُمُّنَا فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ . فَقَالَ " يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَفَتَّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ بِكَذَا اقْرَأْ بِكَذَا " . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } فَذَكَرْنَا لِعَمْرٍو فَقَالَ أُرَاهُ قَدْ ذَكَرَهُ .

हूँ। चुनांचे वह नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: हज़रत मुआज़(ﷺ) आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वापस जाकर हमारी इमामत कराते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल! और हम आब पाशी की ऊँटनियों वाले हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, (गुज़िश्ता रात) वह आये और हमारी इमामत कराई और सूरह बक़रः पढ़ने लगे। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: ऐ मुआज़! क्या तू फ़ितने में डालने वाला है? क्या तू फ़ितने में डालने वाला है? वह पढ़ो और वह पढ़ो।' अबू ज़ुबैर ने नाम लेकर कहा कि (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) और (वल्लैलि इजा यग़्शा) पढ़ो और हमने अम्र से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि मेरा भी ख़याल है कि आपने सूरतों के नाम ज़िक्र किये थे।

(790) तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/308, बुख़ारी, हदीस: 700, व सही मुस्लिम: 465.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम को अपने मुक़तदियों का लिहाज़ रखते हुए नमाज़ मुख़्तसर पढ़ानी चाहिए। **(2)** सहाबा–ए–किराम (ﷺ) नमाज़ और जमाअत से पीछे रहने को निफ़ाक़ से ताबीर किया करते थे। **(3)** इमाम, मुफ़्ती और दाई को किसी अमले ख़ैर में इस नुक्ते को नहीं भूलना चाहिए कि आम मुसलमानों पर इसके क्या असरात होंगे, ऐसी सूरत न हो कि लोग दीन ही से बिदक जायें। मुर्दा सुन्नतों के ज़िन्दा करने के लिये ज़रूरी है कि पहले लोगों की फ़िक्री तरबियत की जाये और उनमें सुन्नत की मोहब्बत भर दी जाये और दलाइले मुहकमा से इन्हें मुतमइन किया जाये। फिर अमल शुरू किया जाये। कुछ औक़ात एक शख़्स का इरादा तो नेकी का होता है मगर उससे फ़ितना पैदा हो जाता है। अल्लाह तआला अपनी आफ़ियत में रखे। अइम्मा और दाई हज़रात की ज़िम्मेदारी इन्तेहाई अहम और हस्सास है। **(4)** पीछे ये गुज़र चुका है कि किसी भी मशरूअ सबब से नमाज़ को दोहराना और नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ अदा करना जायज़ है। देखिये (हदीस: 599) क्योंकि हज़रत मुआज़ (ﷺ) जो नमाज़ अपनी क़ौम को पढ़ाया करते थे, वह उनकी नफ़ल नमाज़ होती थी।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حَبِيبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جَابِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حَزْمِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ أَتَى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِقَوْمٍ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مُعَاذُ لاَ تَكُنْ فَتَّانًا فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالْمُسَافِرُ " .

(791) जनाब हज़्म बिन उबय बिन कअ़ब का बयान है कि वह हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) के यहाँ आये और वह क़ौम को मग़रिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे। इसी मजकूरा ख़बर में बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! फ़ितने में डालने वाले न बनो, बेशक तुम्हारे पीछे बड़ी उमर वाले, कमज़ोर, काम काज वाले और मुसाफ़िर लोग नमाज़ पढ़ते हैं।'

(791) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

नोट : इस रिवायत में सिर्फ़ 'मुसाफ़िर' का ज़िक्र सही नहीं है। (शैख़ अल्बानी) (रह.)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ " كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ " . قَالَ أَتَشَهَّدُ وَأَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ أَمَا إِنِّي لاَ أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ " .

(792) नबी (ﷺ) के एक सहाबी से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स से पूछा: 'तुम नमाज़ में क्या कहते हो?' उसने कहा: मैं तशह्हुद पढ़ता हूँ फिर यूँ कहता हूँ, ऐ अल्लाह! मैं तुझ से जन्नत का सवाल करता और जहन्नम से पनाह माँगता हूँ, और मैं आपकी और हज़रत मुआज़(ﷺ) की गुनगुनाहट को अच्छी तरह नहीं समझता (यानी आप और मुआज़ क्या दुआ माँगते हैं? आवाज़ तो सुनता हूँ, लेकिन वाज़ेह अल्फ़ाज़ समझ में नहीं आते।) तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम भी इन (जन्नत और दोज़ख़) के गिर्द ही गुनगुनाते हैं।' (यानी जन्नत का सवाल और दोज़ख से पनाह माँगते हैं।)

(792) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/474, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 725, इब्ने हिब्बान, हदीस: 514.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये सहाबी मुख़्तसर नमाज़ और मुख़्तसर दुआएँ करते थे। और नबी(ﷺ) ने इनकी तौसीक़ व ताईद फ़रमाई। और अल्लाह तआला किसी को उसकी हिम्मत से बढ़ कर

मुकल्लफ़ नहीं ठहराता है। **(2)** लफ़्ज़े हदीस (दनदना) का मफ़हूम ये है कि आवाज़ की गुनगुनाहट तो महसूस हो मगर अल्फ़ाज़ वाज़ेह न हों। **(3)** ख़तीब बग़दादी (रह.) ने लिखा है कि ये सहाबी जिनसे आपने ये दरयाफ़्त फ़रमाया था, उनका नाम 'सुलैम अन्सारी' है। (मुन्ज़िरी)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ، ذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ قَالَ وَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِلْفَتَى - " كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا صَلَّيْتَ " . قَالَ أَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ وَإِنِّي لاَ أَدْرِي مَا دَنْدَنَتُكَ وَلاَ دَنْدَنَةُ مُعَاذٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي وَمُعَاذٌ حَوْلَ هَاتَيْنِ " . أَوْ نَحْوَ هَذَا .

(793) उबैदुल्लाह बिन मुक़ीम, हज़रत जाबिर(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने हज़रत मुआज़ (ﷺ) का क़िस्सा ज़िक्र किया, और बयान किया कि नबी(ﷺ) ने इस जवान से फ़रमायाः 'भतीजे! जब नमाज़ पढ़ते हो तो कैसे करते हो?' (यानी क्या पढ़ते हो?) उसने कहाः फ़ातिहा पढ़ता हूँ और अल्लाह से जन्नत माँगता हूँ और आग से पनाह चाहता हूँ। और मुझे नहीं मालूम कि आप की गुनगुनाहट क्या है और न मुआज़ के मुताल्लिक़ मालूम है कि उनकी गुनगुनाहट क्या है, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'मैं और मुआज़ इन ही के गिर्द गुनगुनाते हैं।' या इसकी मानिन्द कुछ फ़रमाया।

(793) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 3/302, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीसः 1634, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। हदीसः 599.

फ़ायदाःनबी (ﷺ) के हुस्ने तालीमो-तर्बीयत का ये अन्दाज़ दिलों को मोहेने वाला और सादा लोह मुसलमानों की हसनात पर इस्तेक़ामत का बाइस था। इसमें मुदर्रिसीन और दाई हज़रात के लिये बहुत बड़ा दर्स है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ " .

(794) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से कोई शख़्स लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो हल्की नमाज़ पढ़ाये। क्योंकि इनमें कमज़ोर, बीमार और बड़ी उमर के लोग होते हैं। और जब अपनी अकेले नमाज़ पढ़े, तो जितनी चाहे लम्बी कर ले।'

(794) तख़रीजः बुख़ारी हदीसः703, मौताः1/134.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ " .

(795) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो हल्की नमाज़ पढ़ाये, क्योंकि इनमें बीमार, बड़ी उ़मर के और कामकाज वाले होते हैं।'

(795) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 1/271, मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 3713.

फ़ायदा : नमाज़ हल्की और मुख़्तस़र होने का मफ़हूम ये है कि क़िराअत मुख़्तस़र और अज़कार व तस्बीहात की तादाद मुनासिब हद तक कम हो। अहम शर्त ये है कि अरकान में ऐतदाल व इत्मीनान हो। अ़दमे ऐतदाल से नमाज़ बातिल हो जाती है।

﴾126﴿
باب مَا جَاءَ فِي نُقْصَانِ الصَّلاَةِ

बाब : 126
... नमाज़ के स़वाब में कमी का बयान

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَكْرٍ، - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَمَةَ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا " .

(796) हज़रत अ़म्मार बिन यासिर (ﷺ) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़र्माते थे: 'इंसान नमाज़ से फ़ारिग़ होता है और उसके लिए उसकी नमाज़ से स़िर्फ़ दसवां, नवां, आठवां, सातवां, छठा, पाँचवां, चौथा, तीसरा और आधा हिस्सा ही लिखा जाता है।'

(796) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 612, मुसनद अहमद: 4/321, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 521.

फ़ायदा : ज़ाहिर है कि ये नुक़स़ान नमाज़ में वस्वसे और इधर उधर ख़्याल बटने की वजह से और ख़ुशू व ख़ुज़ू और तादीले अरकान वग़ैरह में कमी के बाइस़ होता है। ये हदीस़ शरीफ़ मुसलमानों के तमाम तबक़ात, उ़लमा व अ़वाम सबको अपने पेशे नज़र रखते हूए अपनी नमाज़ों की इस़्लाह करते रहना चाहिए।